लोक सभा वाद-विवाद

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

26 से 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1997
4 से 8 और 10 भाद्र, 1919 (शक)

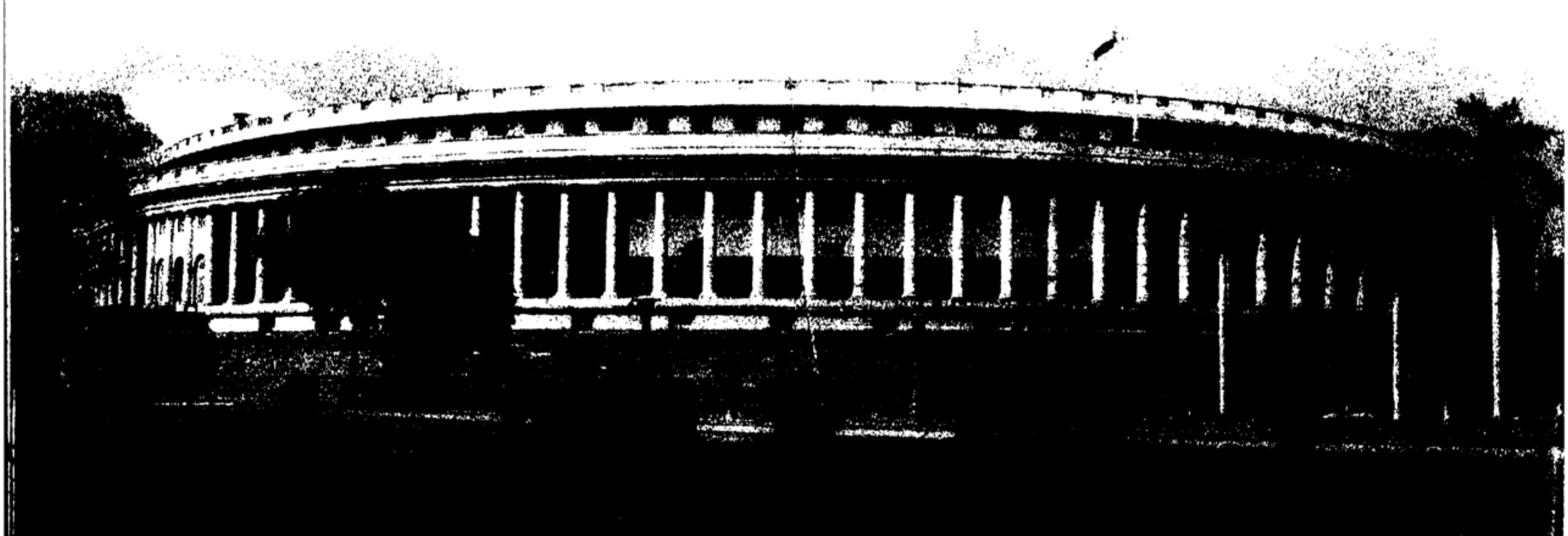

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सोमवार, 1 सितम्बर, 1997

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम. आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री विद्या सागर शर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

श्री हरनाम दास टक्कर
सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री जगदीश चन्द चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

मूल्य : 1500 रु./-

© 1999 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोक सभा के छह दिन के एक विशेष सत्र में भाग लिया और विगत पांच दशकों के दौरान पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का प्रयास किया। ये क्षेत्र थे, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकरण, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां और संभावनाएं तथा मानव विकास की स्थिति।

सभा के इतिहास में पहली बार स्वयं माननीय अध्यक्ष ने चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 360 के अन्तर्गत सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। उनका विचार था कि इस बार यह लड़ाई ''हमारी समृद्धि और गरीबी के बीच, संसाधन व्यवस्था के प्राचुर्य और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के अभाव के बीच, शांति और सहनशीलता की हमारी संस्कृति और वर्तमान की हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर बढ़ते हुए झुकाव के बीच हमारे आन्तरिक विरोधाभासों से मुक्ति के लिए होनी चाहिए।'' उन्होंने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा करें। स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की उपलब्धियों का जायजा लें, कमियों का आत्मलोचन करें और देश के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें।

सभा ने, लोक सभा में सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं की ओर से, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार किया। यह प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 342 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

लोक सभा सचिवालय ने इस अवसर पर चर्चा को सुगम बनाने हेतु ''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' नामक एक वृहत सन्दर्भ दस्तावेज प्रकाशित किया।

सभा की इन विशेष बैठकों से कई कीर्तिमान स्थापित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि सभा का विशेष सत्र केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। सभा ने इस प्रस्ताव पर 64 घन्टे और 29 मिनट चर्चा की जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। इस चर्चा में माननीय अध्यक्ष, प्रधान मंत्री और 9 मंत्रियों सहित सभा के 209 सदस्य बोले। चूंकि समयाभाव के कारण बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को मौका दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए 5 मंत्रियों सहित 103 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। इस चर्चा में कुल 312 सदस्यों ने भाग लिया जो सभा की कुल सदस्य संख्या (545) का 57.25 प्रतिशत था। सभापति तालिका के सदस्य श्री पी.सी. चाक्को ने 31 अगस्त, 1997 को 00.30 बजे से लेकर प्रात: 08.24 बजे तक लगातार 7 घन्टे 54 मिनट सभा में पीठासीन होकर नया इतिहास रचा।

चर्चाओं के दौरान सौहार्दपूर्ण तथा व्यवस्थित वातावरण बना रहा जो अपने आप में एक मिसाल है।

सभा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें ''भारत के लिए कार्यसूची'' की रूपरेखा दी गई है।

लोक सभा सचिवालय ने इन बैठकों की कार्यवाहियों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में अलग-अलग विशेष खण्ड के रूप में प्रकाशित किया है।

मुझे आशा है कि इसके हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सांसदों, इतिहासकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
अक्तूबर, 1997
आश्विन, 1919 (शक)

एस. गोपालन,
महासचिव

विषय सूची

[एकादश माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/4 भाद्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	2
अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन	3
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16–25
श्री माधवराव सिंधिया	25–35
श्री शरद यादव	36–47
श्री सोमनाथ चटर्जी	47–55
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	55–60
श्री चतुरानन मिश्र	60–69
श्री जगमोहन	69–76
श्री पी.आर. दासमुंशी	76–85
श्री चित्त बसु	85–90
श्री पी. कोदंड रमैया	90–95
श्री जार्ज फर्नान्डीज	95–107
श्री मेजर सिंह उबोक	107–113
श्री अनंत कुमार	113–117
डा. गिरिजा व्यास	117–122

अंक 19, बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	123
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*	
डा. गिरिजा व्यास	123–126
श्री चन्द्रशेखर	126–137
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	137–142
श्री सुन्दर लाल पटवा	142–149
श्री शरद पवार	150–158
श्रीमती गीता मुखर्जी	158–162
कर्नल राव राम सिंह	162–167
श्री कांशी राम	168–176
कुमारी ममता बनर्जी	177–185
श्री एन.वी.एन. सोमू	186–189
श्री जी.जी. स्वैल	190–194
डा. एम. जगन्नाथ	194-197
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	197–204
श्री नीतीश कुमार	205–212

विषय	कालम

श्री संतोष कुमार गंगवार 213–218
श्री एन.एस.वी. चित्यन 219–225
श्री सैयद मसूदल हुसैन 225–228
श्री अनंत गंगाराम गीते 229–232
श्री नवल किशोर शर्मा 232–240
श्री राम कृपाल यादव 240–245
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा 245–250
श्री लाल बिहारी तिवारी 250–253
श्री मनोरंजन भक्त 253–260

अंक 20, गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा. 261

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव – *जारी*

श्री पी.वी. नरसिंह राव 262–275
श्रीमती सुषमा स्वराज 276–286
श्री मुलायम सिंह यादव 287–305
श्री सुरेन्द्र सिंह 306–311
श्री शिवराज वी. पाटिल 312–330
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला 331–348
श्री सत्यदेव सिंह 349–361
श्री कमरूल इस्लाम 361–367
श्री ई. अहमद 367–373
श्री शिबु सोरेन 374–377
डा. अरविन्द शर्मा 377–380
कुमारी उमा भारती 380–389
श्रीमती संध्या बौरी 390–393
श्रीमती मीरा कुमार 394–399
श्रीमती वसुन्धरा राजे 400–403
श्री पीताम्बर पासवान 404–407
श्री एल. बालारमन 407–412
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी 412–415
श्रीमती रजनी पाटिल 415–419
श्री इलियास आजमी 419–425
श्री नवीन पटनायक 426–429
श्री सतपाल महाराज 429–431
श्री चमन लाल गुप्त 432–435
श्री सुरेश प्रभु 435–442
श्री सनत मेहता 442–448
श्री नील एलायसियस ओ'ब्रायन 448–450
श्री मानवेन्द्र शाह 450–454
डा. देवी प्रसाद पाल 454–459
श्री बादल चौधरी 460–464
श्री के.एस. रायुडू 464–470

विषय	कालम
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	470–474
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	475–479
श्री बृज भूषण तिवारी	479–482
डा. राम विलास वेदान्ती	482–485
श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी	485–488
प्रो. पी.जे. कुरियन	488–493
डा. जयन्त रंगपी	493–497
श्री आई.डी. स्वामी	498–502
श्री नारायण आठवले	503–505
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	506–508
श्री एस.के. कारवेंधन	508–510
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	511–514
श्री दिलीप सिंह भूरिया	514–516
प्रो. ओम पाल सिंह ''निडर''	517–522
श्री शिवानन्द एच. कौजलगी	523–524
श्री हंसराज अहीर	525–526
प्रो. आर.आर. प्रामानिक	527–531
श्री रमेश चेन्नित्तला	531–535
श्री पुण्डलिकराव रामजी गवाली	536–537
श्री लालमुनी चौबे	537–542
श्री सुकदेव पासवान	543–545
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	546–551
श्री डी.पी. यादव	552–554
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	555–558
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	559–561
श्री मंगत राम शर्मा	561–564

अंक 21, शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997/7 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	565
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*	
श्री राम विलास पासवान	567–577
डा. मुरली मनोहर जोशी	578–597
श्रीमती शारदा टाडीपारथी	597–600
श्री एस. बंगारप्पा	601–607
श्री तरित वरण तोपदार	607–613
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	613–619
प्रो. रीता वर्मा	619–630
श्री पी. उपेन्द्र	631–639
श्री मोहम्मद मकबूल डार	640–645
श्री वी.वी. राघवन	646–650
श्री भक्त चरण दास	651–654
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	655–658
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	659–664
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	664–669
डा. के.पी. रामलिंगम	670–671

विषय	कालम
श्री समीक लाहिड़ी	672–675
श्री सत महाजन	675–679
श्री आनन्द मोहन	679–682
श्री ओ.पी. जिन्दल	683–685
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल	685–688
श्री मोहन सिंह	689–691
श्री ए.सी. जोस	691–695
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	695–698
श्री चन्द्रभूषण सिंह	699–701
श्री अनादि चरण साहू	702–706
श्री सी. नारायण स्वामी	706–710
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	711–714
श्री पी.एस. गढ़वी	715–720
कुमारी सुशीला तिरिया	720–723
श्री सत्य पाल जैन	724–725
श्री के.एच. मुनियप्पा	725–728

अंक 22, शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक)

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

श्री देवेन्द्र बहादुर राय	729–737
श्री अब्दुल रहमान अन्तुले	737–751
श्री मधुकर सरपोतदार	751–762
श्री रूपचन्द पाल	762–769
श्री जोआचिम बक्सला	769–771
श्री सोहन वीर सिंह	772–781
श्री राजेश पायलट	781–790
श्री राजाभाऊ ठाकरे	791–797
डा. अरुण कुमार शर्मा	798–805
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	805–810
श्री पी.सी. चाक्को	811–816
श्री राम टहल चौधरी	816–820
श्री ए. सम्पत	820–827
श्री पी.सी. थामस	828–835
श्री उत्तम सिंह पवार	838–838
श्री इन्द्रजीत गुप्त	838–842
श्री नकली सिंह	842–846
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	847–852
श्री नवल किशोर राय	852–855
श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो	855–856
श्री सुख राम	857–860
श्री हरिन्दर सिंह खालसा	860–862
श्री अजय चक्रवर्ती	863–865
श्री बुद्धसेन पटेल	866–868
श्री अमर रायप्रधान	869–871

विषय	कालम
श्री मनोज कुमार सिन्हा	872–876
श्री सुरेश कलमाडी	877–881
श्री सी. नरसिम्हन	881–884
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	885–888
श्री वी. प्रदीप देव	888–890
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	891–896
श्री पी. षण्मुगम	896–900
*श्री प्रदीप भट्टाचार्य	900–901
श्री सुरेश आर. जाधव	901–905
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	905–913
श्री लक्ष्मण सिंह	913–916
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	916–920
*श्री किशन लाल दिलेर	921–922
*श्री मोहन रावले	923–933
श्री गंगा चरण राजपूत	934–939
*श्री विजय गोयल	940–943
श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा	944–948
श्री कृष्ण	948–952
*श्री के. परसुरामन	953–955
चौधरी रामचन्द्र बैंदा	955–958
*श्री महेन्द्र बैठा	959–960
*श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	960–962
डा. रामचन्द्र डोम	963–966
राजकुमारी रत्ना सिंह	966–968
श्री पी. नामग्याल	969–971
श्री एल. रमना	972–975
*श्री वीरेन्द्र कुमार	975–978
श्रीमती कमल रानी	978–981
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	982–983
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया	983–985
श्री विजय हाण्डिक	986–989
*श्री अशोक प्रधान	989–997
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	997–999
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	999–1003
*श्री चन्द्रेश पटेल	1003–1005
श्री दत्ता मेघे	1005–1009
श्री तिलक राज सिंह	1009–1012
श्री राजीव प्रताप रूडी	1012–1017
श्री के.सी. कोंडय्या	1017–1020
श्री हन्नान मोल्लाह	1021–1025
*श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्त	1025–1028
श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर	1028–1031
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी	1032–1035
श्री शरत पटनायक	1036–1039
प्रो. अजित कुमार मेहता	1039–1043
डा. रमेश चन्द तोमर	1043–1045

विषय	कालम
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1046–1050
डा. वल्लभभाई कथीरिया	1050–1054
श्री रामबहादुर सिंह	1055–1057
डा. बी.एन. रेड्डी	1058–1061
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	1061–1065
श्री राजू राणा	1065–1067
श्री सौम्य रंजन	1068–1072
श्री राधा मोहन सिंह	1072–1076
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी	1076–1077
श्री अंचल दास	1078–1080
डा. राम लखन सिंह	1081–1085
श्री पवन सिंह घाटोवार	1085–1088
श्री रामशकल	1089–1091
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा	1091–1093
श्री आर.एल.पी. वर्मा	1093–1096
श्री नन्दकुमार सिंह चौहान	1097–1099
श्री सुरेन्द्र यादव	1100–1103
डा. अमृत लाल भारती	1104–1106
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	1106–1110
श्री शिवराज सिंह	1110–1116

अंक 23, सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	1117
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव - *जारी*	
*श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	1118–1121
*श्री सनत कुमार मंडल	1121–1123
*वैद्य दाऊ दयाल जोशी	1123–1125
*श्री के.एस.आर. मूर्ति	1125–1135
*श्री जी.ए. चरण रेड्डी	1135–1139
*श्री आर. साम्बासिवा राव	1140–1142
*श्री पुन्नू लाल मोहले	1143–1145
*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	1145–1149
*श्रीमती पूर्णिमा वर्मा	1150–1154
*श्री लुई इस्लेरी	1154
*श्री हरिवंश सहाय	1155–1156
*जस्टिस गुमान मल लोढा	1156–1157
*श्री श्रीकान्त जेना	1158–1165
*श्री पवन दीवान	1165–1168
*श्री टी. गोपाल कृष्ण	1168–1169
*श्री हरिन पाठक	1169–1170
*श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	1171–1172
*श्री पी.एम. सईद	1172–1177
*प्रो. रासा सिंह रावत	1177–1179

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कालम
*श्रीमती सुभावती देवी	1179–1180
*श्री सुखलाल कुशवाहा	1180–1182
*श्री एस.पी. जायसवाल	1182–1185
*श्री विश्वेश्वर भगत	1186–1188
*श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर	1189–1193
*डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	1193–1195
*श्री सिद्दय्या कोटा	1195–1197
*श्री जसवंत सिंह	1198–1204
*श्रीमती कान्ति सिंह	1204–1208
*डा. सी. सिल्वेरा	1209–1210
*श्री संतोष मोहन देव	1211–1217
*श्री के.पी. सिंह देव	1217–1224
*श्री आनन्द रत्न मौर्य	1224–1225
*श्री येल्लैया नंदी	1225–1230
*श्री मृत्युंजय नायक	1230–1233
*श्री भगवान शंकर रावत	1233–1236
*चौधरी तेजवीर सिंह	1236–1238
*श्री अनिल कुमार यादव	1239–1240
*श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला	1241–1242
*श्री बीर सिंह महतो	1243–1244
*श्रीमती केतकी देवी सिंह	1244
*श्रीमती सुमित्रा महाजन	1245–1246
*श्री छतर सिंह दरबार	1247–1248
*श्री जगतवीर सिंह द्रोण	1248–1250
*श्री अशोक शर्मा	1250–1251
*श्री प्रह्लाद सिंह	1251–1253
*डा. सत्यनारायण जटिया	1253–1255
*श्री एम. कमालुद्दीन अहमद	1256–1258
*श्री निहाल चन्द चौहान	1258–1260
*श्री कल्लप्पा आवाडे	1260–1261
*श्री विद्यासागर सोनकर	1262–1263
*श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी	1263–1265
*कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1266–1275
*श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1275–1276
*श्री गिरधारी लाल भार्गव	1276–1277
*स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी	1277–1279
*कुमारी शैलजा	1279–1284
*श्री टी.आर. बालू	1284–1288
*श्रीमती उषा मीणा	1288–1289
*श्री जयसिंह चौहान	1289–1290
*श्री दादा बाबूराव परांजपे	1291–1294
*श्री देवी बक्स सिंह	1294–1296
*श्री नन्द कुमार साय	1296–1297
*श्री कृष्ण लाल शर्मा	1298–1300

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

विषय **कालम**

*श्री श्याम बिहारी मिश्र 1300–1302
*श्री भेरूलाल मीणा 1302–1304
*श्री छत्रपाल सिंह 1305–1306
*श्री माणिकराव होडल्या गावीत 1307–1309
*श्री चित्रसेन सिंकु 1309–1310
*श्री राममूर्ति सिंह वर्मा 1310–1311
*श्री श्रीराम चौहान 1311–1314
*श्री पद्मसेन चौधरी 1314–1315
*श्री चुन चुन प्रसाद यादव 1315–1317
*श्री ऑस्कर फर्नान्डीज 1317–1319
*श्री अशोक अर्गल 1319–1321
*श्री सौडे रमैया 1322–1324
*श्री अनिल बसु 1324–1325
*श्री नरेन्द्र बुडानिया 1326–1330
*श्री लाल बाबू प्रसाद यादव 1330–1331
*श्रीमती फूलन देवी 1331–1332
*श्रीमती शीला गौतम 1332–1334
*मुहम्मद शहाबुद्दीन 1334–1337
*श्री परसराम मेघवाल 1337
*श्री राजकेशर सिंह 1338–1339
*श्री गिरधारी यादव 1339–1341
*श्री मुनिलाल 1341–1343
*श्री तसलीमुद्दीन 1344–1345
*श्री विनय कटियार 1345–1347
*श्री छीतुभाई गामीत 1347–1350
*श्री वी. धनन्जय कुमार 1350–1351
*श्रीमती भगवती देवी 1351–1353
*कर्नल सोनाराम चौधरी 1353–1355
*श्री नामदेव दिवाथे 1356–1357
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 1357–1363
श्री धर्मभिक्षम 1363–1365
श्री सोमजीभाई डामोर 1365–1369
डा. बलिराम 1369–1372
श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1372–1378
**श्री इन्द्र कुमार गुजराल 1379–1404
विदाई उल्लेख 1404–1406
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर "भारत के लिए कार्यसूची" के बारे में संकल्प—*स्वीकृत* 1406–1410
राष्ट्र गीत—राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई 1410
अनुबंध – *संकल्प, लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सहित* 1411–1453
अनुक्रमणिका 1455–1474

---

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ लिखित अंश भी सभा पटल पर रखे।

सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर 3 मिनट पर समवेत हुई।

[श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे अपने दो मित्रों सर्वश्री जुल्फीकारउल्ला और श्री कंसारि हलधर के निधन संबंधी सूचना सदन को देनी है।

श्री जुल्फीकारउल्ला छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता होने के कारण उन्होंने 1977-79 तक वित्त मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में सेवा की।

एक योग्य संसद सदस्य होने के कारण उन्होंने संसद की बैठकों में सक्रिय योगदान किया। वह पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के भी सदस्य रहे।

व्यवसाय से उद्योगपति, श्री जुल्फीकारउल्ला ने शिक्षा तथा सामाजिक खुशहाली के लिए अथक परिश्रम किया। 1962-63 में वे इलाहाबाद के मेयर रहे। और इससे पूर्व 1944-45 में इलाहाबाद नगर निगम के सभापति रहे। सात कार्यावधियों में नगर निगम के वरिष्ठ उप-सभापति भी रहे।

वे 94 वर्ष की आयु में 17 जनवरी, 1997 को इलाहाबाद में स्वर्ग सिधार गए।

श्री कंसारि हलधर दूसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने 1957-62 तक तथा 1967-68 में डायमंड हार्बर तथा पश्चिम बंगाल के मथुरापुर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक अनुभवी स्वतंत्रता संग्रामी, श्री हलधर ने 1930 में नागरिक अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय योगदान किया और कई वर्षों तक जेल में रहे।

एक सक्रिय तथा राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, श्री हलधर ने 1941 में बंगाल में अकाल के समय राहत कार्य का संयोजन किया। जमींदारों के शोषण, अकाल तथा बाढ़ के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए संगठित किया। काकद्वीप सुंदरबन तभागा अभियान के लिए भी हलधर प्रसिद्ध हो गए।

एक काबिल और सक्रिय संसद सदस्य होने के नाते, उन्होंने सदन के कार्य प्रक्रिया में अच्छा योगदान किया।

श्री कंसारि हलधर 87 वर्ष की आयु में कलकत्ता में 29 अगस्त, 1997 को स्वर्ग सिधार गए।

हमें इन दोस्तों को खोने पर गहन दुख पहुंचा है और मुझे विश्वास है कि दुखी परिवारों को सांत्वना देने में सदन मेरा साथ देगा। सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम चर्चा पुन: आरंभ करते हैं। जो माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल

[हिन्दी]

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा): महोदय, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर देश की उपलब्धियों एवं कमियों पर चर्चा के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, भारत ने आजादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति तो जरूर की है, परन्तु क्या हम उनका फायदा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी तक पहुंचा पाये हैं, क्या यही वो आजादी है जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी, क्या यही वह रामराज्य है जिसकी कल्पना पूज्य बापू ने करी थी? यह चिंतन का विषय है।

सभापति महोदय, देश की बड़ी समस्याओं में एक समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जिसने देश की सारी व्यवस्थाओं को चरमरा कर रख दिया है। शायद देश में आज तक कोई भी ऐसा विभाग या क्षेत्र नहीं है जहां बिना लेन-देन के कोई कार्य होता हो। यहां तक कि सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के तहत जो एक करोड़ की राशि क्षेत्र के विकास के तहत सांसदों को दी जाती है उसमें भी तीस प्रतिशत के लगभग सरकारी पदाधिकारियों द्वारा कमीशन के रूप में उदरस्थ कर लिया जाता है। मेरे क्षेत्र में पड़ने वाले जिले पलामू, चतरा, तथा गया में यही हो रहा है और हम देख कर भी कुछ नहीं कर पाते। किससे कहें, कहां शिकायत करें? शिकायत जिससे करें वह भी इस भ्रष्टाचार की गंदगी में डूबा हुआ है। सभापति महोदय, क्या होगा इस देश का, कैसे हम सार्वजनिक जीवन के आदर्शों को अपने में ढाल पाएंगे, जब हम चाह कर भी ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वाह नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं सहमत नहीं होते हुए भी अगर आदरणीय चन्द्रशेखर जी की बात मान लूं कि 5% लोग ही भ्रष्ट हैं इस देश के। आदरणीय चन्द्रशेखर जी क्षमा करेंगे सुनने में तो 5% बहुत कम लगता है परन्तु भारत की जनसंख्या के हिसाब से यह संख्या पहुंचती है करीब 5 करोड़ लोग 15 करोड़ लोग जो देश के उच्च पदों पर बैठे हैं, कई यूरोपियन देशों की जनसंख्या से ज्यादा होते हैं।

सभापति महोदय, यही करोड़ों लोग देश के भाग्य विधाता बने हुए हैं, देश की आजादी इन्हीं के हाथों में गुलाम है। यह वे लोग हैं जो देश के बाकी 90-95 करोड़ लोगों को कीड़े-मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते, ये लोग रोज नए-नए तरीके ईजाद करते हैं शोषण के, अत्याचार के, भ्रष्टाचार के।

सभापति महोदय, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक गुलाम बना कर रखा, और आज आजादी के 50 साल बाद भी एक आम हिन्दुस्तानी को अपने ही मुट्ठी भर लोगों के शोषण और अत्याचार से गुजरना पड़ रहा है। कब बुझेगी भ्रष्टाचार की यह अग्नि, कब थमेगा यह सिलसिला अत्याचार का, शोषण का, भ्रष्टाचार का? कब हम हर हाथ को काम और हर खेत को पानी दे पायेंगे? कब हम आजादी के शहीदों के सपनों को साकार रूप दे पायेंगे? कब और कैसे हम इस देश के एक-एक व्यक्ति की आंखों में खुशहाली की चमक ला पायेंगे, यह चिंतन का विषय है।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और जमीन पर पहुंचती हैं। मेरी मान्यता है यदि उच्च पदों पर बैठे लोग ईमानदार होंगे तो उनके अधीनस्थ लोग भी ईमानदार रहेंगे।

सभापति महोदय, हम में से शायद कोई भी देश के बारे में नहीं सोचता। स्व हम सब पर इस कदर हावी है कि देश का ध्यान कहीं भी नहीं आता।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दो बड़ी जलाशय परियोजनाएं हैं। पहली महाने जलाशय परियोजना तथा दूसरी तिलैया ढाढर परियोजना। यदि यह परियोजना अपने निश्चित समय पर पूरी हो जातीं तो मेरे क्षेत्र के अलावा आसपास के भी कई क्षेत्रों में हरित क्रान्ति आ जाती, परन्तु खेद का विषय है कि ये दोनों परियोजनाएं लालफीताशाही के कारण रुकी पड़ी हैं। सिंचाई एवं पीने के पानी के अलावा इनसे बिजली भी तैयार होती एवं अकाल से भी मुक्ति मिल जाती जिसका सामना इस क्षेत्र में निरंतर करना पड़ता है। मैं आप से आग्रह करूंगा कि इन दोनों परियोजनाओं पर कार्य अविलम्ब शुरू करवाया जाये।

सभापति महोदय, आज भारत की दूसरी बड़ी समस्या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। पिछले 50 साल में हमारी जनसंख्या में करीब 50 करोड़ की वृद्धि हुई है। हमारे सारे विकास इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण छिप जाते हैं। आज फिर से ऐसी हालत हो गई है कि हमें खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा है, हमारे अपने स्रोत कम पड़ रहे हैं। सभापति महोदय, आज यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम धर्म, जातीयता से ऊंचे उठ कर राष्ट्र हित में इस जनसंख्या की तीव्र गति पर रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठायें। इस देश को प्रगति के मार्ग पर तभी आगे बढ़ाया जा सकेगा।

सभापति महोदय, शर्म की बात है आजादी के 50 साल बाद भी हमारे देश के अधिकांश बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि अधिकांश जगहों पर मास्टर पढ़ाने ही नहीं जाता है सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने महीने में एक बार जाता है। कहीं शिक्षक जाता है तो विद्यालय भवन नहीं है। भवन है तो 200-300 बच्चों पर एक शिक्षक है। हिन्दी के विद्यालय में उर्दू के और उर्दू के विद्यालय में हिन्दी के शिक्षक भेज दिये जाते हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं कुछ कमी है जिसके कारण यह हो रहा है।

सभापति महोदय, इस बीसवीं शताब्दी में पूरे विश्व में जितना विकास हुआ है उतना शायद फिर किसी शताब्दी में ना हो, परन्तु यह भी सच है कि इस बीसवीं शताब्दी ने पर्यावरण का जितना विनाश किया है उतना शायद फिर कभी न हो। आज हमारे देश के अधिकांश जंगल समाप्त हो गए, नदियां प्रदूषित हो गईं। नदियों में गंदगी गिरते रहने से उनकी गहराई खत्म हो गई है। सभापति महोदय, अगर हमने अपने पर्यावरण संतुलन की तरफ अभी ध्यान नहीं दिया तो इसके विनाश के फल को भी हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को चखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, भारत से पूरे विश्व ने कुछ न कुछ सीखा है, लिया है। आज का हवाई जहाज हमारे रामायण काल में उड़न खटोला के रूप में मौजूद था। आज के परमाणु आयुध उस काल में शक्ति, अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र के रूप में मौजूद थे। सभापति महोदय, हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाते

हैं। इसके क्या कारण हैं, क्यों हमारी प्रतिभाएं देश से पलायन कर जाती हैं यह हमें सोचना होगा, इस पर रोक लगे ऐसा करना चाहिए।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी, कि देश ने 50 सालों में दूरी तय की परन्तु वहां नहीं पहुंच पाया जहां इसे पहुंचना था। शायद इसे मंजिल की ओर ले जाने वाले लोगों में कुछ कमी रही होगी। शायद उनमें इच्छा-शक्ति का अभाव रहा होगा, शायद उन्होंने अपने-अपने स्वार्थों के चलते देश के हितों की बलि दी होगी।

सभापति महोदय, जब तक उच्च पदों पर आसीन लोगों में नैतिकता का अभाव रहेगा, तब तक शायद देश का विकास नहीं हो सकता।

आज वक्त है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखें और भारत दैट इज इंडिया की जगह भारत को भारत की तरह स्वीकारें। यहां बैठें हम सभी अपने वचनों को अपने कर्मों में ढाल लें तो शायद परिवर्तन का युग शुरू हो जाये। हमारा स्वर्णिम इतिहास आँखें बिछाये भविष्य में हमारी राह ताक रहा है।

श्री सनत कुमार मंडल

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान कर देने वाले शहीदों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि विगत पचास वर्षों के दौरान अपनी सफलताओं तथा असफलताओं का लेखा-जोखा करने के लिए संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के लिए आपने विशेष पहल की। भारत को अपने अंतर्विरोधों से मुक्त करने के लिए एक दूसरा स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने का आपने आह्वान किया। मैं और मेरी पार्टी इस आह्वान का समर्थन करते हैं। जब तक दल और लोग जुड़कर प्रयास नहीं करते देश के सामने प्रमुख समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता।

मैं अपनी चर्चा मुख्यतः शिक्षा, गरीबी, जनसंख्या और बेरोजगारी के मुद्दों तक सीमित रखूँगा। वास्तव में यह सब मुद्दे परस्पर जुड़े हुए हैं। बहुत दुख की बात है कि आजादी के पचास वर्षों के पश्चात भी लगभग 42 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के शुरू करने के बावजूद हम उन्हें दो रोटी देने में असफल रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। भारत के प्राकृतिक संसाधन बहुत सम्पन्न हैं। फिर भी, क्या कारण है कि बहुत अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। हमें यह अवश्य सोचना चाहिए कि हम कहां असफल हुए और हमें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को फिर से स्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। गरीबी बहुत भयानक रोग है। यह सभी बुराईयों की जड़ है हमें आज यह प्रण करना चाहिए कि आने वाले पचास वर्षों में हम अपने देश से गरीबी को निकाल दूर करेंगे ताकि जब देश स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ मनाए तो यहां भूख और गरीबी न हो।

दूसरा चिन्ता का विषय यह है कि जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। जो आधारभूत पत्र अभी परिचालित किया गया है उसके अनुसार तो 2001 तक जनसंख्या सौ करोड़ तक पहुंच जायेगी और जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। 1950 में हमारे देश की जनसंख्या मात्र 361 मिलियन थी। इस समय के अंतराल में जो जनसंख्या बढ़ी है वह चीन की आधी जनसंख्या के बराबर है।

हमारे देश का आकार और जनसांख्यिकीय संरचना भोजन, सुरक्षा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, रोजगार तथा शिक्षा पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। हमें यह सोचना है कि हमें इस जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोकना है। मेरे मत में यदि संसद का विशेष सत्र कोई समाधान निकाले तो चार दिवसीय सत्र की यह बड़ी उपलब्धि होगी। यह मात्र सरकार अथवा राजनीतिक दलों से संबंधित मामला नहीं है। देश के सभी वर्गों को इससे जोड़ना होगा। हमें जनसंख्या वृद्धि के विरुद्ध एक जन-आंदोलन छेड़ना होगा और लोगों को इसके बुरे परिणामों से अवगत करवाना होगा। चीन ने कुछ कड़े कदम उठाकर इसमें स्थिरता हासिल कर ली है। अब हम सबको मिलकर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है।

बेरोजगारी एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है। हमारी बहुत सी श्रम शक्ति अभी भी बेरोजगार है। उदारीकरण के पश्चात सरकारी नौकरियों में भारी कमी आ रही है। अधिकतर युवाओं को अब यही चिन्ता लगी हुई है कि महाविद्यालयों में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे क्या करेंगे। हमें अधिक से अधिक विकासात्मक अवसर तथा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने होंगे जिसके लिए हमारी शिक्षा की दिशा बदली जानी चाहिए। डिग्रियों पर अधिक जोर देने के बजाय हमें अधिक से अधिक युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना से 1986-87 तक शिक्षा पर किया जाने वाला निवेश 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गया है। इस निवेश को हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक किये जाने का प्रस्ताव है। परन्तु फिर भी हम सब को शिक्षा नहीं दे सके हैं। हमें चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का संवैधानिक दायित्व पूरा करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस दायित्व को राज्य द्वारा हाथ में लिए जाने के बावजूद हमारे असमान समाज में शैक्षिक अवसर समान नहीं हैं। वास्तव में शैक्षिक अवसर के बीच का अंतर बढ़ता जा

रहा है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में अभी भी सबसे अधिक निरक्षरता है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के सबसे कम अवसर मिलते हैं। इन परिस्थितियों में मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा के अधिकार को संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाए।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने एक दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपके आह्वान का पहले ही समर्थन किया है। मेरे विचार से अगर हम मिलकर निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी तथा जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ एक अनवरत अभियान शुरू करें तो भारत विश्व में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। किसी ने भारत को सुप्त महान् शक्ति की संज्ञा दी है। हमें इस सोई हुई शक्ति को जगाना होगा, हमें अपनी क्षमता का अहसास होना चाहिए। अगर हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए जिम्मेवार ठहराएगी। उन्हें हम पर शर्म आएगी। यदि हम भारत के महान् स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए स्वतंत्र भारत में इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमें भारत की पीढ़ी को भूख, बेरोजगारी, निरक्षरता से आजादी दिलानी चाहिए।

अंत में, इस सदन के कई सदस्यों ने राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार तथा चुनावी सुधारों के तुरन्त कार्यान्वयन तथा लोक पाल विधेयक के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। अगर इन मुद्दों के कार्यान्वयन में देर की जाती है और सरकार कोई प्रभावी उपाय करने में असफल होती है तो इस देश का प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि चुनावी सुधारों के लिए तुरन्त एक विधेयक प्रस्तुत करे जिसमें चुनावों के लिए निधियाँ प्रदान करने के लिए विशेष बल दिया जाए।

लोक पाल विधेयक जिसे पहले ही सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है, को तुरन्त पारित किया जाए।

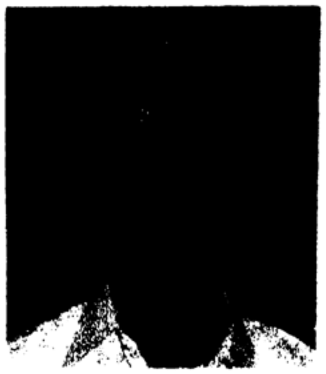

वैद्य दाऊ दयाल जोशी

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा): महोदय, वर्ष 2001 में अगली दस वार्षिक योजना तक भारत की जनसंख्या के एक अरब तक पहुंच जाने की संभावना है। इस प्रकार जनसंख्या के मामले में भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन को दूसरे नम्बर पर धकेल देगा।

परिवार नियोजन के माध्यम से 50 वर्षों में भारत मात्र लगभग 20 करोड़ व्यक्तियों के जन्म को टालने, जीवन प्रत्याशा में 20 वर्ष की वृद्धि करने, शिशु मृत्यु संख्या को आधा करने में ही सफल हुआ है जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के काफी देश आगे निकल चुके हैं।

उच्च जनन क्षमता दर और माताओं की मृत्यु संख्या, महिलाओं के अनुपातों में कमी, शहरीकरण में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय कम रहने, अमीर और गरीब के बीच अन्तर चिन्ताजनक पहलू है। चार राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अपनायी गयी नीतियों पर अत्यधिक निगाह रखने के बावजूद व अभी तक किए गए प्रयासों के नतीजे निराशाजनक रहे हैं और देश की जनसंख्या में 92 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है जिस पर सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जनसंख्या का परिणाम वर्ष 1991 व 1961 के दौरान 36 करोड़ दस लाख की तुलना में आज हमारी जनसंख्या 96 करोड़ है। विश्व की समूची जनसंख्या का 16 प्रतिशत भारत की जनसंख्या है। हमारी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत है। वर्ष 2000 तक जनसंख्या का अनुमान लगभग एक अरब है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम अपनी जनसंख्या के समाधान के लिए निरन्तर प्रयास करते आ रहे हैं। परिणामस्वरूप हमें कुछ सफलता भी मिली है। जन्म दर में एक तिहाई कमी हुई है। हमारी जनसंख्या में लिंग अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों की तुलना में 926 महिलाएं हैं। 1981 में यह आंकड़ा एक हजार की तुलना में 938 था। घटता हुआ लिंग अनुपात वास्तव में खतरे का सूचक है। इन आंकड़ों के पीछे सामाजिक तस्वीर छिपी है। प्रसवपूर्व बच्चों के लिंग का पता लगाने जैसे अनैतिक प्रथा के कारण भी बालिका भ्रूण हत्या व शिशु हत्या होती है। यह ठीक है कि हमने प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 पारित किया है, परन्तु समस्या कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की है।

मृत्यु-दर में गिरावट की दर जो 60वें दशक के आरम्भ में शुरू हुई थी धीमी पड़ रही है और प्रजनन दर में गिरावट की गति नौवें दशक के आरम्भ से तेज हो रही है। प्रजनन दर में कमी में गति नहीं आयी है। इसलिए 1991 तक चार दशकों के दौरान जननदर में वृद्धि हुई है। हमारी जनसंख्या युवा है और कुल जनसंख्या का लगभग 36 प्रतिशत 15 वर्ष से कम आयु का है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण काफी हद तक हमारा आर्थिक विकास रुक गया है। जहां हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर पांच गुणा वृद्धि हुई है वहीं प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दुगुना हो पाया है। वर्ष 1951 से 1996 तक खाद्यानों के उत्पादन में लगभग चार गुणा वृद्धि हुई है। अत: पांच करोड़ टन से 19.8 करोड़ टन। परन्तु खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 तक हमारी जनसंख्या 116.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

हमारी जनसंख्या का 38 प्रतिशत भाग अभी तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है और उसकी स्थिति अभी बेहतर बनायी जा सकती है जब इसको सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर इस ओर विशेष व निरन्तर ध्यान दिया जाए। गरीबों व महिलाओं के लिए

अनुकूल नीति अपनाने की आवश्यकता है। परिवार को सीमित करना पति-पत्नि को संयुक्त दायित्व बने।

छोटा परिवार संबंधी मानदंड का पालन न करने वाले व्यक्तियों को भविष्य प्रभावी तिथि से निर्वाचित पदों से वंचित किया जाए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु जनसंख्या तथा विकास संबंधी कैबिनेट समिति का गठन हो। जो राजनीतिक समर्थन तथा नीतिगत मार्ग निर्देशन प्राप्त कर सकें। गिरते हुए स्त्री-पुरुष, अनुपात को रोकने व इस प्रक्रिया को उलटने हेतु प्रयत्न हो। यद्यपि स्वामीनाथन समिति का प्रत्यावेदन मई 94 में प्राप्त हुआ था व अभी तक विचारणीय अवस्था में है। इस प्रत्यावेदन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वामीनाथन ग्रुप में प्राथमिक स्वास्थ्य, रक्षा, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य रक्षा, सेवा प्रदान करने वालों का प्रशिक्षण, गर्भ निरोधक उपाय, प्रोत्साहन, संगठित क्षेत्र की भूमिका, स्वास्थ्य संबंधी बीमा, लैंगिक मुद्दे, जनता की भागीदारी, सूचना, शिक्षा, संचार एवं राजनीतिक समर्थन, पंचायत राज्य प्रक्रिया में सम्मिलित करना। युवजन और गैर सरकारी संगठन और संसाधन के संबंध में एक क्रियान्वयन योजना की सिफारिश भी की है।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण काफी हद तक हमारा आर्थिक विकास रुक गया है। जहां हमारे राष्ट्रीय उत्पाद में पांच गुणा वृद्धि हुई है वहीं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन केवल दुगुना हो पाया है।

1953-54 और 1981-82 के बीच जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि भूमि पर दबाव होने से जोतों के विखंडन के परिणामस्वरूप हल चलाने वाले भूमि की जोतों की संख्या 4.4 करोड़ से बढ़कर 7.1 करोड़ हो गयी है व जिसके कारण भूमि के जोतों का औसत 3.05 हेक्टेयर से घटकर 1.67 हेक्टेयर हो गया है।

लघु जोतों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना कठिन होगा। इससे कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री के.एस.आर. मूर्ति

[अनुवाद]

श्री के.एस.आर. मूर्ति (अमलापुरम): महोदय, जैसा कि निस्संदेह कई सदस्यों ने पिछले 50 वर्षों में कृषि, उद्योग, रक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों की सराहना की है, मैं इन मदों पर और अधिक कहना नहीं चाहूंगा। तथापि, मैं इस बात पर पुन: दोहराना चाहूंगा कि जब अपने पड़ोसी देशों की प्रजातांत्रिक परम्पराओं की तुलना में हमने अपने देश में एक बहुत ही स्वस्थ और मजबूत प्रजातंत्र की नींव डाली है।

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन ने लगभग 25 लाख लोगों के लिए देश भर में ग्राम पंचायतों, मंडलों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं, विधान सभाओं तथा संसद में चुना जाना संभव कर दिया है। महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि, कई वर्षों तक विकेन्द्रीकरण मुख्य लक्ष्य रहा है। फिर भी राज्य सरकारें इसे लागू करने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाती हैं। जिला परिषदें अधिकतर उन मंत्रियों द्वारा शासित होती हैं जो उन जिलों से आते हैं। विधायक इन स्थानीय संस्थाओं से अपने संभावित दुश्मनों की तरह डरते हैं इसीलिए वे पर्याप्त विकेन्द्रीकरण पसन्द नहीं करते। मंत्री को इन स्थानीय निकायों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए जिला समीक्षा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। आज भी, अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की अध्यक्षता करते हैं। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।

संसद सदस्यों सहित स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि उनमें से अधिकांश को अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों का पता नहीं है। उनको प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाएँ हैं। परन्तु कोई भी रुचि नहीं लेता। किसी अन्य सेवा की तरह आम आदमी को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

यद्यपि जे.आर.वाई, आई.ए.वाई., ई.ए.एस., डी.डब्ल्यू., सी.आर.ए., टी.आर.वाई, एस.ई.एम. जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अच्छे हैं लेकिन उनके पर्याप्त लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच सके हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अद्यतन प्रतिशत बिहार में 54.96 प्रतिशत, उड़ीसा में 48.56 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 40.85 प्रतिशत है जबकि पंजाब में यह 11.77 प्रतिशत है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि इन कार्यक्रमों का 15 प्रतिशत ही लोगों तक पहुंचता है और 75 प्रतिशत धन भ्रष्टाचार या विभिन्न गतिविधियों में लग जाता है। इसलिए, हमें वितरण प्रणाली की गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए जिससे इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित पूरी राशि उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए यह निर्धारित की गई है। उन राज्यों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत काफी अधिक है।

वितरण प्रणालियाँ गांव प्रशासनिक अधिकारी से शुरू होती हैं जो मंडल विकास अधिकारियों (मंडल विकास अधिकारी), फिर डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशक तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला परिषद तक होती है। यह एजेंसियाँ इतनी भ्रष्ट हो गई हैं कि ये लाभग्राहियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए पैसा लेती हैं और यह कहा जाता है कि यदि 5,000 रुपये का एक ऋण मन्जूर कराना हो तो 2,500 रुपये सीधे इन अधिकारियों, जिनमें बैंकर भी शामिल हैं, की जेबों में चला जाता है और केवल शेष धनराशि ही लाभग्राही तक पहुंचती है। ये अधिकारी भयमुक्त होकर कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि सारी नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया है। मुख्य सचिव से लेकर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी तक अपने मालिकों जोकि मुख्य मंत्री, मंत्री और विधायक हैं, को मना करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं जहां तहसील स्तर पर मंडल विकास अधिकारियों

और मंडल राजस्व अधिकारियों के लिए रखी गई कुर्सियों पर पार्टी कार्यकर्ता बैठ गए थे। ये अधिकारी भयानक परिणामों जैसे कम महत्वपूर्ण जगहों पर उनका स्थानांतरण या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के छापों से भयभीत रहते हैं।

कई राज्यों में भारत सरकार की इन निधियों को उन कार्यों पर, जिनके लिए यह प्रदान की गई थी, खर्च न कर अन्य कार्यों पर भी खर्च कर दिया जाता है। 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का राज्य का अंशदान मुश्किल से उपलब्ध कराया जाता है और राज्य भारत सरकार की निधियों को प्राप्त करने के लिए इन आंकड़ों में हेर-फेर करते हैं। डी.आर.डी.ए. काफी ब्याज कमाता है और जिलाधीश अपने इस धनराशि को निजी उपयोग संबंधी मदों पर खर्च करते हैं जिसके लिए वे प्राधिकृत नहीं हैं, जैसे वातानुकूलन यंत्र, कार इत्यादि। 8वीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की थी और 9वीं योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। यह बात समझ में नहीं आती कि इन तमाम निवेशों के बावजूद भी हम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का जीवन स्तर पर्याप्त रूप से ऊपर उठाने में सफल क्यों नहीं हो पाए हैं।

सामान्यत: हमें हमारी विकास प्रक्रिया की तुलना चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान इत्यादि जैसे देशों में चल रही विकास प्रक्रिया के साथ करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यद्यपि हमने और चीनियों ने विकास प्रक्रिया की शुरूआत साथ-साथ की थी परन्तु हम यह कह नहीं सकते कि चीन या उपरोक्त देशों में भारत जितनी ही गरीबी विद्यमान है। राजनीतिज्ञों और अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और निष्ठा का अभाव इस प्रकार की स्थितियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है।

मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए 8वीं योजना में 950 करोड़ रुपये की जो धनराशि निर्धारित की गई थी, मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह धनराशि जनता तक वास्तविक अर्थों में नहीं पहुंच पायी। कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव के रूप में मुझे कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों के अतिरिक्त कई राज्यों में इस कार्यक्रम की समीक्षा करने का भी अवसर मिला था। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि राज्य सरकारों द्वारा इन सभी निधियों को अन्य क्षेत्रों में लगा दिया गया है।

क्या यह दुख की बात नहीं है कि अभी भी हमारे लोग सिर पर मैला ढोते हैं। सूखे शौचालयों को खत्म करने वाला विधान काफी समय से विद्यमान है और इसके कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अपने सूखे शौचालयों को पानी से साफ होने वाले शौचालयों में नहीं बदलने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। हमें इन सभी सफाई कर्मचारियों को वाच मैन, चपरासी इत्यादि के रूप में पुनर्वास के उपाय के रूप में सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में काम पर लगाना चाहिए।

श्रीमती गांधी ने अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एस.सी.पी. और जनजातियों के लिए ट्राइबल सब प्लान (टी.एस.पी.) नामक विशेष कार्यक्रमों को आरंभ किया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन दो कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार के द्वारा यथाअपेक्षित राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजनाओं का 15+7 प्रतिशत निर्धारित नहीं करती हैं और न ही इसका अनुपालन भारत सरकार के मंत्रालयों ने किया है। 17 दिसम्बर, 1996 को 150 अनुसूचित जाति/जनजाति के संसद सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी को सौंपे गए ज्ञापन पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस ज्ञापन में की गई सिफारिशों को हमेशा की तरह नौकरशाहों द्वारा सही नहीं माना गया क्योंकि उनकी इन कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई कार्यक्रम कई राज्यों में बुरी हालत में हैं क्योंकि इन विभागों में तैनात अधिकारी सामान्यत: अवांछित व्यक्ति या अनावश्यक व्यक्ति होते हैं। उन्हें यहां पर सजा के रूप में भेजा जाता है। ऐसे कई राज्य भी हैं जहां पर बुद्धिमान, उत्कृष्ट अधिकारियों को भी तैनात किया गया है परन्तु सामान्यत: ऐसे पदों पर अनावश्यक व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों में विशेष रुचि दर्शाने वाले और ऐसे अधिकारियों को तैनात करना चाहिए जोकि इन नियुक्तियों को पसंद करते हैं और जो उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें चार या पांच वर्ष के लिए कार्य करने के लिए विशेष जगहों पर नियुक्तियों की विशेष प्रोन्नतियों के रूप में पुरस्कार प्रदान करने चाहिए।

मैं यहाँ यह अवश्य बताना चाहूंगा कि राजनीतिज्ञ और नौकरशाह गरीबों के दुख दर्द के प्रति कितने असंवेदनशील होते हैं। 6.11.96 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तूफान आया था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और साढ़े चार लाख मकान नष्ट हो गए थे। यद्यपि तब से अब तक नौ महीने बीत चुके हैं परन्तु अभी भी उन दुर्भाग्यशाली गरीबों को राज्य सरकार द्वारा मकान प्रदान नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार लगभग 30,000 मकान बनाने की योजना बना रही है। लेकिन अभी यह पता नहीं है कि यह कार्य कब पूरा होगा। भारत सरकार द्वारा मुख्य मंत्री तूफान राहत निधि और प्रदान की गई अन्य निधियों को राज्य सरकार के अन्य कार्यों में लगा दिया गया है। प्रत्येक तीन महीनों में राज्य सरकार एक बार ओवर ड्राफ्ट करती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन धनराशियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रही है। मछुआरे जिनकी नावें और जाल नष्ट हो गए हैं, बुनकर जिनके करघे और सूत नष्ट हो गए हैं वे अभी भी सड़कों पर सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मेरे विचार से कृषि और उर्वरकों को दी जाने वाली राजसहायता का अधिकांश प्रतिशत, छोटे किसानों या सीमांत किसानों की जेब में न जाकर बड़े किसानों की जेब में चला जाता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में भूमि सुधार हुआ है फिर भी बहुत से जमींदारों के पास अधिकतम निधारित सीमा से अधिक जमीन है। करीब 14 लाख एकड़ फालतू जमीन का अभी भी वितरण किया जाना है और 20 लाख एकड़ जमीन से संबंधित मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। हमारे मंत्रियों, प्रशासकों या न्यायाधीशों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, इससे हजारों कृषकों के जीवन में सुधार होगा। न्यायालयों में जनहित याचिकाओं की भरमार है किन्तु उन्हें निर्धनों की कोई चिन्ता नहीं है। क्या निचले न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के सभी न्यायाधीश निष्पक्ष हैं? हम जानते हैं कि इन न्यायालयों में पैसे के बल पर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाता है। इसके लिए प्रशासनों में किसी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि भ्रष्टाचार का रोग पूरे देश में फैला है और इसने प्रशासन की प्रत्येक प्रणाली को प्रभावित किया है। कार्यपालिका और विधानपालिका ने अपने वैध

अधिकारों और कर्तव्यों को छोड़ दिया है और इसलिए न्यायपालिका न्यायिक रूप से सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय अखंडता के हित में इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक संस्थान को अपनी सीमाओं को लांघने की बजाय उसे सौंपे गए कार्य को निपटाना चाहिए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आन्ध्र प्रदेश में, सरकार द्वारा पारित आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को चार वर्गों में बांटा गया है अर्थात् श्रेणी ''ए'', श्रेणी ''बी'', श्रेणी ''सी'' और श्रेणी ''डी'' अनुसूचित जातियों में असामंजस्य की स्थिति पैदा करने का सरकार का यह एक राजनैतिक कदम है। इसलिए राज्य सरकारों ने विशेष न्यायालयों को गंभीरता से नहीं लिया है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के प्रमुख दल अर्थात् मालास और मडिगास सड़कों और गांवों में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। निःसंदेह आने वाले वर्षों में इन उपजातियों, जिनका अभी पूरा विकास नहीं हुआ है, की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इनके विकास के लिए और अधिक आर्थिक कार्यक्रम विशेषकर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए। मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि सिर पर मैला ढोने वाले वर्ग में से एक भी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। राज्य सरकार ने उन जातियों, जिनका अभी पूरा विकास नहीं हुआ है, के विकास के लिए उस तरह से प्रयास नहीं किए हैं जैसे हमें करने चाहिए। न्यायाधीश रामचन्द्र राजू आयोग की रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की गई और यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने न तो 1991 की जनगणना को ध्यान में लिया और न ही पूरे राज्य में विभिन्न विभागों में वर्तमान स्थिति पर गहराई से विचार किया। यह ऐसा विषय है जिस पर केवल संसद को ही निर्णय लेना चाहिए राज्य सरकारों को नहीं।

यह माना जा रहा है कि प्रसिद्ध गायक ''गैडर'' की हत्या के लिए पुलिस जिम्मेदार थी और यद्यपि इस घटना को घटित हुए छः महीने से अधिक समय बीत चुका है, दोषी व्यक्ति को अभी तक पकड़ा नहीं गया।

देश में दलितों पर हुए अत्याचारों की संख्या करीब 93000 है। इनमें बलात्कार, कत्ल और आगजनी आदि के मामले शामिल हैं। हमने लोगों का कत्ल होते देखा है। आखिरकार पांच साल की लंबी मुकदमेंबाजी के बाद, अधिकांश मामलों में जज दोषी व्यक्ति को सबूत के अभावों में छोड़ देते हैं। विशेष न्यायालय स्थापित करने के भारत सरकार के निदेश को राज्य सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया है।

भारतीय जनता पार्टी को दलितों के प्रति अपना अधिक सौहार्द्र दर्शाना चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश में ब.स.पा. का 6 माह का कार्यकाल सितम्बर में समाप्त हो जाएगा, यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर में किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को नेता बनाती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। क्या उनमें ऐसा करने का साहस है?

हमारे देश के कई गांवों में पेयजल की समस्या आज भी बरकरार है। शहरी क्षेत्रों में अपने बंगलों में 10-12 नल लगवाते हैं। लेकिन जब ग्रामीण जनता की बात आती है तो हम प्रत्येक घर के लिए कुछ मानदंड निर्धारित कर देते हैं। भारत में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां औरतों को एक मटका जल के लिए 1 से 6 कि.मी. दूर चल कर जाना पड़ता है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड युक्त और खारा पानी ही उपलब्ध है। कल्पना कीजिए आजादी के 50 वर्षों के बाद भी, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। इसी तरह, हर साल बहुत से मकान आग से, बाढ़ के कारण अथवा चक्रवात के कारण नष्ट हो जाते हैं। इंदिरा आवास योजना जो विशेष रूप से इन्हीं लाभार्थियों के लिए बनाई गई थी, का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर, इसका लाभ उन लोगों को ही मिलता है जिन्हें स्थानीय विधायक फायदा दिलाने का इच्छुक होता है। कई बार तो ये व्यक्ति उस लाभ के पात्र भी नहीं होते।

आंध्र प्रदेश में रोजगार आश्वासन योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना को पार्टी कार्यक्रम का रूप दे दिया गया है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों का खुले रूप से उल्लंघन किया जाता है किन्तु भारत सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है।

राज्यों में भारत सरकार की किसी योजना पर कोई निगरानी नहीं है। मुख्य मंत्री की इस मांग पर कि केन्द्र सरकार की सभी योजनाएं इस राज्य में लागू की जाए, के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यद्यपि मुख्य मंत्री निर्धनों के लिए काम करने का दावा तो करते हैं लेकिन वे वास्तव में उनके हितों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसी कारण, गांवों में जलापूर्ति, सड़कों, आवास आदि की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, क्योंकि इनके लाभग्राही सीधे लोग हैं। कोई भी राजनीतिज्ञ उनकी परवाह नहीं करता। अतः केन्द्र सरकार की योजनाओं को राज्यों में स्थानान्तरित करना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरी ओर केन्द्र सरकार को इन कार्यक्रमों को कम्प्यूटरीकृत करना चाहिए और निकनैट आदि के माध्यम से इन पर निगरानी रखनी चाहिए।

हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि आखिर ''नौकरशाही है क्या'' चाहे कोई चपरासी हो या कैबिनेट सचिव, वह वेतन भोगी अधिकारी होता इनमें से कई व्यक्तियों की कोई जवाबदेही नहीं होती और वे नौकरी को नौकरी की तरह करते हैं और उनका सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही दफ्तर से संबंध रहता है। इनमें से कुछ श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी को विदेशों में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में अपने समकक्ष काम करने वालों से बहुत ही कम वेतन मिलता है इसलिए वे दफ्तर के समय में ही कुछ अतिरिक्त काम करना चाहते हैं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगानाथनंदा ने 1950 में नौकरशाह की तुलना अल्पबुद्धि, केवल नियम के अनुसार चलने वाला और घमंडी व्यक्ति से की थी। न तो ये लोग जिम्मेदार होते हैं और न ही संवेदनशील होते हैं। वे एक ऐसा साधन होते हैं जिसके साथ राजनीतिक दिग्गजों को कार्य करना होता है। अतः जब तक राजनीतिक स्वामी समाज में यह सिद्ध न करें कि उनका काम जनता की सेवा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है और एक बार जब उनका यह संदेश जन-जन तक पहुंच जाता है तो वे नौकरशाह स्वतः ही बदल जाते हैं और वह ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो वे इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। कल्पना कीजिए 1947 में हमारा राष्ट्र कैसा था और अब हम क्या बन गए हैं।

महात्मा गांधी की एक प्रिय योजना खादी और ग्रामोद्योग तथा नशाबंदी थी। दुर्भाग्यवश, हम इन दोनों क्षेत्रों में उनका सपना पूरा नहीं कर पाये हैं। वर्ष 1995-96 में कुल उत्पादन 4026 करोड़ रुपये और बिक्री 4429 करोड़ रुपये के बावजूद खादी और ग्राम उद्योग भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के लिए बदनाम है। निवल भुगतान मुश्किल से 1015 करोड़ रुपये था। इस उद्योग ने 57 लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया है। इस क्षेत्र को इसका उचित महत्व नहीं दिया गया है। जो छूट उन्हें कई वर्षों से मिलती रही है उसको घटा दिया गया है। छूट

की भी बहुत सारी बकाया राशि है। सरकारी खरीद पर से छूट भी समाप्त कर दी गई है। ग्रामीण उद्योगों की ब्याज दर बड़े उद्योगों के बराबर अर्थात् 16 प्रतिशत और इससे अधिक है। इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार खादी उद्योग के इस क्षेत्र का पुनरुत्थान किया जाए जिसमें रोजगार उपलब्ध करने की अत्यधिक क्षमता है। इस वर्ष अर्थात् 1997-98 के दौरान 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जानी चाहिए और पुराने बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए तथा सरकारी खरीदों पर दी जाने वाली छूट को पुन: आरंभ किया जाना चाहिए। इससे यह और अधिक अर्थक्षम बनाने में सहायक होंगे। इस संस्था को सुव्यवस्थित करना निश्चय ही कोई गंभीर समस्या नहीं है और इसे पूरी वचनबद्धता तथा रुचि के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

इससे मुझे याद आ रहा है कि जिन विभिन्न आयोगों की हम नियुक्ति करते हैं उनमें योग्य और सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। उनका चयन विभिन्न अन्य कारणों से किया जाता है। यही उचित होगा कि हमारे सभी आयोगों में ऐसे लोग हों जिन्हें संगठन में विशेषज्ञता प्राप्त हो और जो अपनी ईमानदारी और समर्पण के लिए जाने जाते हों।

दुर्भाग्यवश नशाबंदी यद्यपि गुजरात में लागू है किसी भी अन्य राज्य में यह सफल नहीं रही है। इसका कारण केवल यह है कि हममें राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। भारत में कुछ लोग मानव कल्याण की कीमत पर धन कमाना चाहते हैं। यदि हम अभी भी इसका सुधार नहीं करते हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है।

शिक्षा जो हमारे विकास का मूल आधार है, की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने सौ वर्ष पूर्व कहा था कि भारतीय शिक्षा अभी भी किताबी है और भारतीय विश्वविद्यालयों में से गिने-चुने नोबल पुरस्कार से अलंकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बनाया जिसमें वास्तव में मौलिकता हो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने समझा था, हमें शिक्षा की ऐसी पद्धति आरंभ करनी चाहिए जिससे चरित्र निर्माण, मानव निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हो। अपने अतीत में झाँकते हुए जब मैं अपनी शिक्षा की ओर देखता हूं तो मुझे प्रतीत होता है कि मेरी स्नातकोत्तर योग्यता में शिक्षा के यह तीन प्रमुख अंश नहीं हैं। अत: मैं शिक्षा के सभी प्रवर्तकों, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि कम से कम हमारी शिक्षा पद्धति को उपयोगी बनाएं। आत्मनिर्भरता हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। आजकल हमारे यहां सहस्त्रों डाक्टर (चिकित्सक), इंजीनियर (अभियंता) केवल इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उन्हें स्वरोजगार की शिक्षा नहीं दी गई है। डाक्टरों के लिए कार्यक्षेत्र के बहुत सारे अवसर हैं यदि वे गांवों में जाने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार हमारे इंजीनियरों में उद्यमी बनने की व्यापक क्षमता है। हमारे विश्वविद्यालयों में जिस बात की कमी है वह है उद्यम की।

निरक्षरता का उन्मूलन कभी भी सरकार की योजनाओं से नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में हमें केरल को बधाई देनी चाहिए। केरल के उदाहरण का देश भर में अनुकरण किया जाना चाहिए चाहे इसमें थोड़े से संशोधन किए जायें। मैं अपने देश के सभी शिक्षित व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि इन अशिक्षितों को शिक्षा देने के लिए रोज एक घंटा निकाल कर इन्हें पढ़ायें। प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता आयोग का यद्यपि स्वरूप अच्छा है किन्तु इनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसके बारे में हम विगत एक दो वर्षों से सुन रहे हैं और कई वर्षों से देख रहे हैं लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एकमात्र खतरा है। इसे सभी क्षेत्रों और स्तरों पर रोका जाना चाहिए। संथानम समिति की सिफारिशों की उपेक्षा की गई है और हम समितियां नियुक्त करने के विशेषज्ञ हैं किन्तु इनकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है। मुख्य कारणों में एक कारण है विलंब। सरकारी कामकाज में अत्यधिक अथवा अनावश्यक गोपनीयता दूसरा कारण है ठेकों को अंतिम रूप किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। यह काम एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए। जमाखोरी, सरकारी संपत्ति और निधियों का गबन अथवा दुरुपयोग, खाद्य पदार्थों और औषधियों में मिलावट के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। कई वर्षों से लोकपाल बिल पर भी चर्चा की जा रही है। मेरा संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी परिसंपत्तियों को घोषित करें और उन्हें समाचारपत्रों में प्रकाशित करने की अनुमति भी दें ताकि देश की जनता को यह दिखाया जा सके कि यह हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए तथा इसके साथ-साथ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों तथा अपराधियों को भी समाप्त किया जाए। यही वह पहला कदम है जो हम सबको उठाना चाहिए।

हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि लोग संसद भवन के बाहर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब हम संसद सदस्यों ने समुचित व्यवहार नहीं किया था तो अध्यक्ष महोदय को त्यागपत्र देने तक की धमकी देनी पड़ गई थी। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि ''एक पिता के रूप में'' या ''एक पुत्र के रूप में'' किसी व्यक्ति का विकास कोई समस्या नहीं है लेकिन आत्म विकास करना वास्तव में एक बड़ी समस्या है। लोकतंत्र की इस महान सभा में हम किस प्रकार का आचरण करते हैं। कहते हैं कि हमारे बीच 40 सदस्य अपराधी प्रवृत्ति के हैं। वे 40 लोग कौन हैं? हमें इन लोगों के प्रति क्या कार्रवाई करनी चाहिए? व्यक्तिगत रूप से मैं यह महसूस करता हूँ कि इन 40 लोगों के बीच मैं भी माननीय कहलाने योग्य नहीं हूं। या तो सदस्य शब्द से पहले लगने वाले माननीय शब्द को हटा दिया जाना चाहिए या इन 40 व्यक्तियों में सुधार लाया जाये। मुझे अक्सर यह देखकर दुख होता है कि सभा में सदस्य किस प्रकार चिल्लाते हैं। सभा के वाद-विवाद को दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है, इसका हमारी युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ता होगा। यदि इस देश में कोई सुधार लाना है तो उसकी शुरूआत इस सभा से होनी चाहिए अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। इस सभा में पिछले कुछ दिनों में दिए गए सभी उत्कृष्ट भाषणों को कार्यरूप दिया जाना चाहिए। हम जो उपदेश देते हैं उससे एकदम उल्टा करते हैं। हम इस बात के लिए विख्यात हैं। यही कारण है कि इस सभा के बाहर हमारा कोई सम्मान नहीं होता है। लोग हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि स्वतंत्रता के पश्चात् धनवान वर्ग और अधिक धनी बन गया और गरीब और अधिक गरीब बन गया।

प्रधान मंत्री जी ने अपने संदेश में कहा है कि हमें भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ''सत्याग्रह'' शुरू करना चाहिए। यह अच्छा विचार है लेकिन यहां हमें राष्ट्र को नेतृत्व देने के लिए महात्मा गांधी जैसे नेताओं की आवश्यकता होगी। हम में कितनों में ऐसी क्षमता है। लोगों को

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। लोगों को इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे संसद में अपराधियों को न भेजें। लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिससे वे जनप्रतिनिधियों के बहकावे में न आएं, वर्षों तक उनके बहकावे में आकर मूर्ख न बनते रहें। प्रधान मंत्री जी ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में एक कक्ष बनाए जाने की भी घोषणा की है। मैं नहीं समझता कि इससे समस्या का समाधान होने वाला है। लोक सेवा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमारे पास सी.बीआई., सी.वी.सी. राज्य सतर्कता आयोग, राज्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो जैसी कई संस्थाएं हैं, लेकिन ये सभी संस्थाएं अपने काम में असफल हो गई हैं क्योंकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की राजनैतिक इच्छाशक्ति का ही अभाव है। वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में हमारी इन संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी तौर पर आई.बी., सी.आई.बी. और प्रवर्तन विभाग को अपराधियों, तस्करों, असामाजिक तत्वों आदि के बारे में पूरी जानकारी होती है। प्रधान मंत्री जी से मेरी अपील है कि वे तत्काल इस जानकारी को कम्प्यूटर में संग्रहीत कर लें और आगे अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु इस जानकारी को उपयोग में लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश के साथ कुछ समर्पित लोगों के एक दल का गठन करें। आज अपराध संगठनों, माफिया संगठनों का सर्वत्र बोलबाला हो गया है। आज के छोटे-छोटे बदमाश कल माफिया सरदार बन जाते हैं और नशीली औषधों के धंधे, भूमि तथा भवनों पर उनका कब्जा है, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों और न्याय व्यवस्था की खरीद फरोख्त करने लगते हैं। हमारे पास इस बुराई से लड़ने की राष्ट्रीय इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली पुरानी, विलम्बकारी और निष्प्रभावी है। इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बचाव के सभी रास्ते बंद किये जाने चाहिए। व्यापारी जिसके पास बेरोकटोक धनशक्ति है उसे अवैधानिक एवं गैर- जिम्मेदाराना व्यापार करने से रोका जाना चाहिए। चुनाव कानून लागू किये जाने चाहिए तथा राज्य द्वारा चुनाव वित्त पोषण व्यवस्था शीघ्र लागू की जानी चाहिए और अपराधियों पर किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने पर रोक लगायी जानी चाहिए। यह केवल तभी संभव हो सकता है जब हम सच्चाई, सादगी, मितव्ययता और ईमानदारी की गांधीवादी परम्परा को वापस लाने का गंभीरता से प्रयास करें।

राष्ट्र को तोड़ने में जाति एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आज वोट जाति के आधार पर मांगे जाते हैं और ग्रामीण भारत में जाति आधार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेरी सभी सदस्यों से अपील है कि वे यह प्रतिज्ञा करें कि वे अपने बच्चों व पोते-पोतियों का विवाह अपनी जाति से बाहर दूसरी जातियों में करें। यदि हम ऐसा उदाहरण स्थापित कर सकें तो इसके संपूर्ण देश में विस्मयकारी परिणाम निकलेंगे। हमें जनता के लिए ऐसा कानून भी बना देना चाहिए जिससे वे इसका पालन करें। हमें अपने नाम से वे प्रत्यय भी हटा देने चाहिए जो जाति का बोध कराते हैं। हम सभी को "भारतीय" के रूप में आचरण करना चाहिए।

इस वर्ष इन स्वतंत्रता सेनानियों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों, अपने परिवारों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने संबंधी लंबित पड़े मामलों पर शीघ्रातिशीघ्र मन्जूरी दी जानी चाहिए। हम अपनी उन सशस्त्र सेनाओं के अत्यन्त ऋणी हैं जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए शालीन जीवन यापन की व्यवस्था नहीं की है। उनके पुनर्वास, सेवानिवृत्ति के बाद, जबकि वे शारीरिक दृष्टि से भी हृष्ट-पुष्ट रहते हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और गांवों में उनकी जमीन संबंधी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

कांस्टेबल और इससे ऊपर के पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर दस वर्ष पश्चात् नहीं बल्कि तत्काल गंभीरता से विचार किये जाने तथा उन्हें कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है। वास्तव में मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने आक्सफोर्ड स्ट्रीट, लंदन में एक ब्रिटिश कांस्टेबल के पास एक वृद्ध महिला को देखा, वह उसे इस सम्बोधन से पूछ रही थी "आफिसर, मैं आक्सफोर्ड स्ट्रीट ट्यूब स्टेशन कैसे जा सकती हूं" हम सड़क पर किसी कांस्टेबल के प्रति अपनी जनता द्वारा इस प्रकार का रवैया अपनाये जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह जनता का मित्र बनने के बजाये कमोबेश उसका शत्रु बन गया है। आज झूठी एफ.आई.आर. लिखी जा रही है, राजनीतिक आकांक्षाओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शह पर दंड संहिता की धाराएं बदल दी जाती हैं।

हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में सभी तरह की सीमाओं के रहने तथा स्वायत्तता का अभाव होने के बावजूद काफी हद तक अच्छी प्रगति की है। मंत्रालय के नौकरशाहों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संचालन में अपना हस्तक्षेप रोकना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बोर्डों में व्यावसायिक क्षेत्र से संबद्ध लोगों को लिया जाना चाहिए न कि किसी नौकरशाह को चाहे वह वित्त मंत्रालय का ही क्यों न हो उक्त बोर्डों को तथा चेयरमेन एवं प्रबंध निदेशकों को पूरी स्वायत्ता दी जानी चाहिए। प्रत्येक छः माह के अंत में यदि अध्यक्ष प्रबंध निदेशक का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है तो इसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और नए अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए।

अधिकांशतः सिंचाई से संबंधित अनेक मामलों के बारे में अन्तर-राज्य विवादों के संबंध में नया दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है इन मामलों को न्यायालयों में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहां अनुचित रूप से लम्बा समय लगता है। विभिन्न राज्यों को इस देश के एक भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। सबसे पहले हम भारतीय हैं, यह भावना हम सब में आनी चाहिए।

विदेश नीति के मामले में पड़ोसी देशों के लिए लम्बे समय से हमारी छवि एक बड़े दबंग भाई की रही है। यह छवि बदलनी चाहिए। हमारी बहुत-सी बातें पड़ौसियों के साथ मिलती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रयासों का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। हमारे औद्योगिक

संसाधनों का संदोहन जिस प्रकार कि पश्चिमी देशों ने हमारे साथ किया है, हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए। ''वीसा'' आदि जैसे मामलों में बिना किसी आदान-प्रदान की आशा के हमें अधिक उदार होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ मैत्री स्थापित करने के लिए हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए। उनकी अनेक अपनी घरेलू समस्याएं हैं जो हमारे लिए परेशानी पैदा करती हैं। अत: हमें सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ बड़े भाई का सा व्यवहार करना चाहिए और उनकी तरफ मैत्री, शांति और गुट निरपेक्षता का हाथ बढ़ाना चाहिए।

श्री जी. ए. चरण रेड्डी

श्री जी. ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद): महोदय, आधारभूत ढांचे के मामले में मांग और सप्लाई में अत्यधिक असंतुलन है तथा सप्लाई मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के भाग के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए आधारभूत क्षेत्रों की स्थापना में गम्भीर और सराहनीय अनुवर्ती कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र से पूंजी इतनी आए कि वह सरकारी बजट पर पड़े भार को पर्याप्त रूप से कम कर सके।

1994 के पहले पांच वर्षों के लिए बुनियादी ढांचे पर लगभग 450,000 करोड़ रु. निवेश करने का अनुमान था और अगले पांच वर्षों के लिए लगभग 750,000 करोड़ रु. था।

वाणिज्यिक ऊर्जा के कुल प्राथमिक स्रोतों में कोयले का कुल उपयोग लगभग 85 प्रतिशत है और यह देश में कुल ऊर्जा खपत का 67 प्रतिशत है। इसकी उत्पादकता और इस पर खर्च बहुत कम है। एकाधिकार के वातावरण के कारण यह क्षेत्र पिछड़ रहा है।

भारतीय कोयला उद्योग से संबंधित अनेक कठिनाइयां हैं:—

(एक) कोयले की खराब गुणवत्ता और स्थानीय परिवहन में कठिनाई

(दो) धोवनशालाओं का क्षमता से कम उपयोग

(तीन) कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भरता में वृद्धि

(चार) प्रशासित मूल्य

चिन्ता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:—

1. उत्पादन और परिवहन की कठिनाइयों के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि।
2. आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के कोकिंग कोयले की अपर्याप्त घरेलू उपलब्धता।
3. भूमिगत खानों में कम उत्पादकता।
4. गैर-सरकारी क्षेत्रों की अपर्याप्त भागीदारी यद्यपि 1996 में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 85,000 मेगावाट थी किंतु संसाधनों की कमी, प्रक्रियात्मक विलम्ब और अन्तर-राज्यीय विवादों के कारण नई क्षमता उत्पादन में कमी आई हुई है। जल विद्युत क्षमता 70 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
   1. राज्य बिजली बोर्ड में ताप विद्युत संयंत्र से उत्पादित क्षमता केवल 58 प्रतिशत है।
   2. पारेषण और वितरण में 21 प्रतिशत की क्षति होती है। विद्युत सप्लाई प्रभार उत्पादन लागत से कम है। इनमें 1.23 रु. प्रति किलोवाट घंटा एकक (के.डब्ल्यू.एच.) का अन्तर है। 17 राज्य बिजली बोर्डों की (मार्च, 1996 तक) 18,000 करोड़ रु. से अधिक की हानि हुई है।

महोदय, विद्युत के क्षेत्र में आमूल संगठनात्मक परिवर्तनों के बिना 2000 ई. तक वर्तमान मांग और सप्लाई का अन्तर अधिकतम मांग के समय 25 प्रतिशत हो सकता है।

देश में बिजली का उत्पादन जो कि 1947 में केवल 4.1 बिलियन यूनिट (के.डब्ल्यू.एच.) था, 1995 में बढ़कर लगभग 350 बिलियन (के.डब्ल्यू.एच.) हो गया है। इससे 7.5 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक दर से वृद्धि हुई। इसके बावजूद विद्युत के क्षेत्र में मांग की तुलना में सप्लाई की अत्यधिक कमी है।

अत: अगले पचास वर्षों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए भरसक प्रयास किये जाने चाहिए इसके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता।

पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत रेलवे में अधिकांश व्यय विद्यमान रेल प्रणाली के रखरखाव, क्षमता बढ़ाने से संबंधित कार्यों पर किया जाता है ताकि देश के आर्थिक विकास से बढ़ रही यातायात की मांग को पूरा किया जा सके और नए क्षेत्रों में रेल प्रणाली के विस्तार के लिए बहुत कम निवेश किया गया है।

सराहनीय कार्यों के बावजूद रेलवे का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप कुल परिवहन में रेलवे का योगदान कम हुआ है। माल परिवहन के संबंध में जहां 1950-51 में रेलवे की भागीदारी 88 प्रतिशत थी 2000 ई. तक माल परिवहन में रेलवे की भागीदारी के 43.5 प्रतिशत तक कम हो जाने की संभावना है।

चूंकि रेलवे परिवहन की दृष्टि से अधिक सक्षम और सुरक्षित तरीका है, यह बड़ी ही चिन्ता का विषय है कि कुल परिवहन में रेलों की भागीदारी के कम होने का कारण परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित करने में रेलवे ही अक्षम है।

रेलवे में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने में कमी मुख्यत: इस क्षेत्र में किये जा रहे कम निवेश और गिरते हुए बजटीय समर्थन के कारण आई है।

महोदय, योजना परिव्यय में रेलवे के लिए बजटीय समर्थन पहली पंचवर्षीय योजना में 75 प्रतिशत से कम होकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 22 प्रतिशत रह गया है। रेल परियोजनाओं को वित्त देने के लिए बाजार से उधार लेने की बढ़ती निर्भरता से उधार लौटाने के लिए अपेक्षित राजस्व के अनुपात में निरन्तर वृद्धि हुई है। पूंजी बाजार से अधिक ब्याज दर पर उधार लेने के कारण रेलवे की निवेश हेतु कुल अतिरिक्त राशि में कमी आई है।

योजना परिव्यय में रेलवे के भाग में गिरावट कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में रेलवे का भाग 10.3 प्रतिशत से (चौथा भाग) कम होकर 6.3 प्रतिशत (आठवां भाग) रह गया है।

जब तक देश के कोने-कोने में रेल लाईन नहीं बिछा दी जाती भारत का पूर्णत: विकास नहीं हो सकता। अगले पचास वर्षों में रेलवे के विस्तार और माल परिवहन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

पिछले दशक से सड़क परिवहन भारत में माल परिवहन और यात्री यातायात का मुख्य स्रोत रहा है। माल और यात्री यातायात में सड़क परिवहन द्वारा दिये जाने वाले योगदान में 1950-51 के बाद से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, उस समय सड़क परिवहन से माल की ढुलाई केवल 12 प्रतिशत थी और यात्री यातायात केवल 26 प्रतिशत था। वर्ष 1995-96 में सड़क परिवहन से माल की ढुलाई 60 प्रतिशत हो गई और यात्री यातायात बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 1995-96 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2000 ई. तक यह अनुपात माल ढुलाई में बढ़कर 65 प्रतिशत और यात्री यातायात में 87 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

सड़क यातायात में 9 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हो रही है और इससे राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर बहुत अधिक भार पड़ा है। वाहनों की कुल संख्या जोकि 1951 में 0.3 मिलियन थी। 1994 में बढ़कर 25.3 मिलियन हो गई है और आशा की जाती है कि 2000 ई. तक वाहनों की संख्या 54 मिलियन हो जाएगी।

महोदय, लेकिन सच यह है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग दोनों मिलाकर सम्पूर्ण सड़क नेटवर्क इस यातायात वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली देश की प्रमुख परिवहन प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सड़क की कुल लम्बाई लगभग 34000 कि.मी. है जो कुल सड़क की लम्बाई से 2 प्रतिशत से भी कम बैठती है लेकिन इस पर कुल यातायात लगभग 40 प्रतिशत है।

महोदय राष्ट्रीय राजमार्ग में केवल लगभग 55 प्रतिशत का विस्तार हुआ है। यह 1951 में लगभग 20,000 कि.मी. से बढ़कर 1995 में 34,000 कि.मी. हो गया है और राज्य राजमार्ग में 118 प्रतिशत का विस्तार हुआ है यह 1951 में 60,000 कि.मी. से बढ़कर 1,31,000 मि.मी. हो गया है।

महोदय, मुख्य सड़कों की स्थिति उनकी गुणवत्ता के हिसाब से यातायात की मांग के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रीय और राजमार्गों की कुल 1,65,000 कि.मी. लम्बाई में से कुल सड़क लम्बाई की केवल 2 प्रतिशत लम्बाई में चार लेने हैं और 34 प्रतिशत में दो लेने हैं जबकि शेष 64 प्रतिशत लम्बाई एक लेन वाली है।

महोदय, अपर्याप्त सड़क नेटवर्क के कारण परिवहन में बहुत अधिक लागत आती है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कमी आई है। मुख्य सड़कों की खराब स्थिति के कारण प्रतिवर्ष 200 बिलियन से 300 बिलियन तक की आर्थिक क्षति का अनुमान लगाया गया है।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित मुख्य सड़कों को विकसित करने और उनकी यातायात क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

1. सड़कों के विकास और विस्तार की तुलना में उनका रखरखाव अधिक महत्वपूर्ण है।
2. भारत की सड़क प्रणाली में सड़कों का रखरखाव बहुत अधिक उपेक्षित पहलू है।
3. अत्यधिक लागत पर इतने बड़े सड़क नेटवर्क का निर्माण विघटन और अपकर्ष को दर्शाता है।
4. यह नोट किया गया है कि सामान्यत: रखरखाव के लिए निधियों की उपलब्धता सामान्य आवश्यकता के 50-60 प्रतिशत से अधिक नहीं बैठती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति और क्षमता यातायात वृद्धि और देश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास के साथ-साथ निरन्तर बढ़ाई जाती रहनी चाहिए।

सड़क नेटवर्क में कमियों के कारण परिवहन की लागत बढ़ने के साथ-साथ सुरक्षा का खतरा भी बढ़ा है। अत: इन राजमार्गों पर क्षमता के बढ़ाये जाने के साथ-साथ इनके संरचनात्मक विकास की भी आवश्यकता है।

महोदय, पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तरोत्तर सड़कों के लिए बहुत कम राशि आबंटित की गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए कुल राशि का 6.7 प्रतिशत आबंटित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय जो कि निरन्तर कम होता गया है आठवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 3.2 प्रतिशत रह गया है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है तो पहली पंचवर्षीय योजना में कुल योजना परिव्यय का 1.4 प्रतिशत का निवेश होता था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के कुल योजना परिव्यय का मात्र 0.6 प्रतिशत रह गया है।

एक आंकलन के अनुसार 1996-1997 से 2000-01 तक राष्ट्रीय राज्य और सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार के लिए 320 बिलियन रुपये की आवश्यकता होगी और 2001-02 और 2005-06 के बीच अतिरिक्त 360 बिलियन रुपये की आवश्यकता है। हम यह धन कहां से जुटायेंगे। यह एक विचारणीय प्रश्न है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत बिल्ड आपरेशन के तहत निजी क्षेत्रों को सड़कों का निर्माण, रखरखाव और परिचालन की स्वीकृति दी गई है जिसके एवज में उन्हें उस सड़क के उपयोग के बदले उपकरण शुल्क लेने की अनुमति होगी। लेकिन निजी क्षेत्रों ने अभी तक इस निजीकरण प्रक्रिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

अत: सड़क का विकास करना अति आवश्यक है। आगामी पचास वर्षों में इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, नागर विमानन के क्षेत्र में अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा यहां दो राष्ट्रीय एयरलाइन्स हैं जिनका जहाजी बेड़ा काफी बड़ा है। 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार एयर इंडिया के पास 28 वायुयान थे जबकि इंडियन एयर लाइन्स के पास 53 वायुयान थे। देश में, रक्षा विमान पत्तनों पर 28 सिविल एन्कलेवों के अतिरिक्त, कुल 92 सिविल विमान पत्तन हैं।

गत कुछ वर्षों में एयर इंडिया के कार्यनिष्पादन में व्यापक गिरावट आई है। भारत से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैफिक के उचित रखरखाव में भी गिरावट आई इसका मुख्य कारण था वायुयान क्षमता में वृद्धि न करना तथा 1995-96 के दौरान इसके परिचालन में कम लाभ होना। जबकि 1994-95 में इसे 41 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इसकी तुलना में 1995-96 में इसे 272 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इंडियन एयरलाइंस विगत अनेक वर्षों से घाटे में चल रही है। इसके वित्तीय कार्य निष्पादन में 1989-90 से गिरावट शुरू हुई जो 1995-96 में बढ़कर 1000 करोड़ रुपये हो गई। देश के कुल 92 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों और 28 सिविल एन्कलेवों में से मात्र 35 विमानपत्तन ही लाभ अर्जित कर रहे हैं।

वायु परिवहन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश किये जाने के साथ और ज्यादा निवेश करके बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचार और विमान यात्रा संबंधी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एयरलाइन्स की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि विमानों की सेवा में सुधार किया जा सके और यातायात में कमी लाई जा सके।

हमारे राष्ट्रीय एयरलाइन्स को अपने परिचालन सेवाओं और वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करके आत्मनिर्भर होना चाहिए।

श्री आर. साम्बासिवा राव

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर): मुझे इस बात का गर्व है कि जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है तब मैं इस माननीय सभा का सदस्य हूं। सभा के माननीय सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं यहां उन्हीं मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं जो वर्तमान राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में तर्कसंगत हैं।

इन पचास वर्षों में राष्ट्र ने निसंदेह काफी सम्मानजनक और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। तथापि, अपार प्राकृतिक सम्पदा की उपलब्धता व्यापक उपजाऊ क्षेत्र और भारतीय किसानों की योग्यता और क्षमता का यदि उचित उपयोग किया जाता तो हमने और अधिक प्रगति और विकास किया होता।

इस संदर्भ में, मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं के महत्वपूर्ण योगदानों का उल्लेख करना चाहता हूं। जिनके अथक प्रयास से जनमानस को आधुनिक विचारों से अवगत कराया गया और फलस्वरूप हमारे औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में आधुनिकीकरण हुआ। इस अवसर पर हम अपने युवा सशक्त नेता श्री राजीव गांधी को नहीं भूल सकते जिन्होंने वास्तव में एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में इसे 21वीं शताब्दी में ले जाने का अथक प्रयास किया।

हम अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना चाहते हैं कि शायद हमने खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। लेकिन कृषि विकास दर ज्यों की त्यों बनी हुई है। बल्कि इसमें गिरावट हो रही है। निसंदेह, भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और हमने गंगा के पूर्वी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी और मध्य भारत में पर्याप्त निवेश कर हरित क्रांति का अनुभव भी प्राप्त किया है। लेकिन आंकड़ों पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली जैसे राज्यों में हैं जहां कृषि क्षेत्र में काफी निवेश किया जाता है। लेकिन फिर भी हम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अधिकतर लोगों की भोजन और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके गरीबी दूर करने में असफल रहे हैं।

महोदय, जबकि हम प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से संतुष्ट हैं फिर भी हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इस महान देश के लोगों के लिए भोजन, आवास और रोजगार प्रदान करके वास्तव में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। तभी हम वास्तव में यह दावा कर सकते हैं कि स्वतंत्र भारत महात्मा गांधी जी द्वारा देखे गए सपने के अनुसार एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य बन गया है।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमें हरित क्रांति को पुनर्जीवित करना चाहिए तथा पूरी उपलब्ध जमीन में सिंचाई तथा खेती की जानी चाहिए। यह तभी हो सकता है अगर महान नदी गंगा के पानी का देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो ताकि मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के किसानों को सिंचाई का लाभ हो सके।

महोदय, इसके लिए हमें बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए गंगा के पानी को देश के उत्तरी भाग से अन्य भागों की ओर मोड़ने के लिए तत्कालीन सिंचाई मंत्री, डा. के.एल. राव द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की तुरन्त समीक्षा करनी चाहिए। यद्यपि सरकार ने डा. के.एल. राव के प्रस्ताव की सराहना की थी फिर भी इसे निधियों की कमी के कारण लागू नहीं किया जा सका। यह दुर्भाग्य की बात है कि बाढ़ और खेती न की जाने वाली भूमि का सही उपयोग न किये जाने के कारण डा. के.एल. राव द्वारा प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन में लगने वाले खर्च से कहीं अधिक खर्च हुआ। यही सही समय है कि वर्तमान सरकार तुरन्त उस प्रस्ताव की समीक्षा करे ताकि गंगा के पानी का हमारी खेती वाली समस्त भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। इससे हमारी सरकार हमारे देश के किसानों के आर्थिक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हो सकेगी।

महोदय, समाज के आर्थिक विकास में आधारभूत ढांचा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यद्यपि सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र में अनुमति दे दी है और यद्यपि विद्युत, पेट्रोलियम, खनन इत्यादि क्षेत्रों में अच्छी से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं फिर भी अपरिहार्य कठिनाइयां और प्रतिबंध, जो इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए काफी असुविधा पैदा कर रहे हैं, हटाए जाने चाहिएं क्योंकि ये प्रशासनिक प्रतिबंध वास्तव में निजी क्षेत्र में निवेश करने में बाधक हैं। इसलिए सरकार को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा सभी कठिनाइयां दूर करके निजी क्षेत्र की कम्पनियों से निवेश का मुक्त प्रवाह का रास्ता खोलना चाहिए।

बुनियादी क्षेत्र में, यातायात एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका विकास किए जाने की आवश्यकता है।

जबकि हम इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे देश में यातायात का प्रमुख साधन है जो कि एकल प्रबंधन के अंतर्गत देश का दूसरा सबसे बड़ा यातायात का साधन है, आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार अंग्रेजों द्वारा दी गई भारतीय रेलवे प्रणाली की समीक्षा करे।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रेलवे ने स्वतंत्रता के बाद से पर्याप्त प्रगति की है। अच्छी सेवा देने के लिए आधुनिकीकरण द्वारा महत्वपूर्ण विकास भी हुआ है। तथापि, अगर हम विश्व के विकसित और विकासशील देशों के साथ अपने निष्पादन की तुलना करते हैं तो अभी भी इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है।

भारतीय रेलवे, जिसकी स्थापना 19वीं सदी में हुई थी तथा जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत एक विभागीय उपक्रम के रूप में काम कर रही थी, अभी भी उसी तरीके से काम कर रही है। यद्यपि इसके लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक रेल मंत्रालय है फिर भी इस वृहद मंत्रालय के कार्य को उपक्रम की तरह से ही एक बोर्ड के माध्यम से तुरंत केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय की तरह ही बदला जाना चाहिए तथा सचिव स्तर के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जो किसी अन्य मंत्रालय की तरह उसी व्यवस्था क्रम में हो, को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रशासनिक, प्रचालनात्मक और कार्यान्वयन पक्षों का स्थायी तौर पर प्रभार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा माल भाड़ा और यात्री यातायात में भी सड़कों की प्रमुख भूमिका रही है। अब समय आ गया है जब सरकार को यातायात सुविधाओं की मांग और आपूर्ति में असन्तुलन को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। यदि इस महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्र की ओर उचित ध्यान दिया जाता है केवल तभी वर्तमान सड़क नेटवर्क के रखरखाव की समस्या को दूर किया जा सकता है।

अन्त में, महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत ने, जो कि संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है निश्चय ही निःसन्देह रूप से सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। परन्तु समाज के सामने गरीबी, निरक्षरता, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीब तथा अमीर के बीच की खाई, बढ़ती बेरोजगारी आदि जो विकट समस्याएं हैं यदि उनका उचित समाधान नहीं किया जाता और यदि हम गरीब लोगों की दयनीय अवस्था को नहीं सुधारते तो हम स्वयं को स्वतंत्र और आजाद भारत के निवासी नहीं कह सकते। आजादी से पूर्व हम पूंजीवादी शासन की गिरफ्त में थे और अब हम गरीबी और बेरोजगारी की बुराइयों के शिकंजे में हैं। हमें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए संगठित प्रयास करने चाहिएं ताकि हम वास्तव में आजाद और स्वतंत्र भारत के निवासी बन सकें।

श्री पुन्नू लाल मोहले

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, भारत को स्वतंत्र न करने की हठधर्मी के पीछे अंग्रेजों की सबसे प्रमुख दलील यह थी कि भारत और भारतवासी स्वशासन के योग्य नहीं हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक सफल लोकतंत्र है जहां समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हैं तथा जहां महिलाएं तथा दलित क्रमश: पुरुषों तथा सवर्णों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों-जनजातियों की अनिवार्यत: भागीदारी है। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में से एक है जहां पंचायतीराज संस्थाओं तथा शहरी नगर निकायों में एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इतना ही नहीं लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किये जाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा के विचाराधीन है।

विगत पचास वर्षों में लोक सभा के ग्यारह आम चुनाव हो चुके हैं। काफी बड़े पैमाने पर चार-पांच बार सत्ता परिवर्तन हो भी चुका है परन्तु यह सब कुछ बिना किसी खून-खराबे के मात्र वोट के फैसले से हुआ है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वसनीयता एवं वैधता प्राप्त है। समाज के निर्धनतम एवं शताब्दियों तक आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों से वंचित लोग अब तथाकथित भद्रलोक की तुलना में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। घर की चारदीवारी में सैंकड़ों वर्षों से कैद भारतीय नारियां अपने शासकों का चयन अब स्वयं करती हैं। यह लोकतंत्र की सफलता कही जा सकती है कि दलित समाज की एक साधारण महिला उ.प्र. जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं तथा दलित समाज का ही एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रहा है। भारत की न्यायपालिका की विश्वसनीयता आज भी विश्व में काफी ऊंचे स्तर पर है तथा राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, सांसदों एवं विधायकों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निभाने वाला चुनाव आयोग देश की ही नहीं विश्व स्तर की सर्वाधिक विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है।

भारतीय लोकतंत्र की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय सफलता राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण की है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों, नगरपालिकाओं, आदि को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिये जाने के साथ ही सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। अब दूर-दराज के अति पिछड़े गांवों का भोला-भाला कृषि श्रमिक भी अपने वोट की कीमत जानता है।

भारतीय जाति व्यवस्था का कलंक समझी जाने वाली अस्पृश्यता का अब लगभग अंत हो चुका है। किसी भी प्रकार की छुआछूत करना अब संवैधानिक रूप से गंभीर अपराध है। अब किसी भी व्यक्ति को धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करने, कुंओं से पानी लेने, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने से केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह अमुक जाति या अमुक धर्म का है।

भारतीय समाज आज समता, न्याय, समान अवसर की अवधारणा पर आधारित है। जाति-धर्म-लिंग-भाषा-क्षेत्रीयता-नस्ल के आधार पर सभी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्राप्त हैं।

हमें आजाद हुए पचास साल हो गए। वास्तव में यह उत्सव मनाने का दिन है इसलिए भी कि इन पांच दशकों में हमने प्रगति, समृद्धि और विकास की अनेक मंजिलें पार की हैं। इसलिए भी कि जिस देश में एक अदना सुई तक आयात होती थी आज अनेक स्तर पर आत्मनिर्भर हो गया है और इसलिए भी कि कई क्षेत्रों में हमने विश्व स्तर की कुशलता हासिल की है और दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में हमारा शुमार होता है पर यह केवल राजनीतिक आजादी की उपलब्धियां हैं, स्वराज्य नहीं: वह सुराज भी नहीं जिसका सपना हमारे देश के पूज्य नेताओं ने देखा था। इसलिए इस स्वर्ण जयन्ती से आजादी की हमारी दूसरी सत्ता की शुरुआत होनी चाहिए। सुराज यानि सच्चे स्वराज की ओर बढ़ने के साथ ही यह भी जरूरी होगा कि हम इसका जायजा ले लें कि इस अर्द्धशति में हम किन मोर्चों पर असफल रह गये ताकि अपनी उन कमियों को इस यात्रा में सुधार सकें।

यह सही है कि जिस संसदीय लोकतंत्र को हमने आजादी के बाद अपनाया उसकी जड़ें हमारी संस्कृति में नहीं हैं। यह बाहरी ढांचा है जिसे हमने स्वीकार किया और यह आशा रखी कि हम इसे अपने देश की सरजमीं में उतार लेंगे। दुखद यह रहा कि इस ढांचे को चलाने का मौका जिन लोगों को मिला उनका ही अपनी सरजमीं से रिश्ता कुछ अजनबी था। इसलिए इस बाहरी पौधे को रोपने की कोशिश तो बहुत की गयी, उसे इस मिट्टी के अनुरूप खाद-पानी नहीं मिला।

आज हमारे लोकतंत्र पर जो ग्रहण लगा है। उसके कई कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि हम लोकतंत्र के ढांचे को भारतीय स्वर्ग दे ही नहीं सके हैं। धन, बल से ले कर जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय की जौ जहरीली बेलें आज हमारे लोकतंत्र के प्रति इन वर्षों में हमारी आस्था गहरी हुई है और हम संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा पहचानने लगे हैं।

पचास साल पहले जिन लोगों ने शंका व्यक्त की थी कि अनपढ़, निरक्षर और दरिद्र भीड़ को वोट का अधिकार देना लोकतंत्र को मौत के कुएं में धकेलने के समान है, उन्हें मानना पड़ रहा है कि हमारा निरक्षर मतदाता निरर्थक भीड़ मात्र नहीं है। उसने हर नाजुक वक्त पर इतनी नजाकत से अपना फैसला दिया है कि सारी किताबी भीड़ उसके सामने निरर्थक साबित हुई है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा): श्रीमान सभापति महोदय, भारत राष्ट्र को राष्ट्र वाणी हिन्दी को स्वर्ण जयन्ती वर्ष से राजकाज की भाषा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय समारोह हिन्दी और भारतीय भाषाओं में मनाए जाएं।

राष्ट्र प्रशासन और विकास में भागीदारी देने के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं में ही अब राष्ट्र और राष्ट्रीय कार्यक्रम हो। राष्ट्र का विदेशी भाषा एवं गुलामी की भाषा से पिण्ड छुड़ाकर विश्व में इसकी स्वतंत्र पहचान बनायी जाए।

अंग्रेजी-अंग्रेजियत के रूप में संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति को विभाजित करती है। भारतीय अस्मिता को धूमिल करती है एवं भारतीयों में हीन भावना भरती है। इस गुलामी की भाषा से देश और देश की जनता को निजात मिले।

राजभाषा हिन्दी चीनी के बाद विश्व की दूसरी भाषा है। ज्ञान-विज्ञान की समर्थ भाषा है। यह आज व्यवहार में आना चाहती है। तभी सबको इसके सामर्थ्य का पता चलेगा।

इसके प्रयोग पर से अब तक काल का प्रतिबंध समाप्त है। "क" क्षेत्र में मंत्रालय की अंग्रेजी प्रयोग की छूट समाप्त हो और वे शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करें।

रेल रक्त नली है देश को जोड़ने और एकत्व का बोध कराने में। तो बैंक रक्त संचालन और रक्त आपूर्ति करने वाला देश का अर्थतंत्र है। आज दुनियां में राज्य प्राप्ति का संघर्ष कम, परन्तु अर्थ में श्रेष्ठता प्राप्ति का विश्व स्तरीय संघर्ष घमासान है। बैंक स्वतंत्रता के पहले और आज में अगर आमूल-चूल परिवर्तन न कहा जाये तो चोला तो बदलकर राष्ट्रीय और सामाजिक रूप धारण कर लिया है। इससे भी आगे बढ़कर भारत की आत्मा गाँव किसान के जीवन को उन्नत बनाने के कार्य में उसके बगल में सहयोगी बनकर व्यापक रूप में अपना विस्तार कर लिया है। आज अगर देश या सरकार का कोई अन्तर है जो शहर से गाँव तक फैलकर जन-जन से सम्पर्क स्थापित कर उनके अर्थतंत्र को ठीक करने में लगाते हैं तो बैंक और उनकी हजार-हजार शाखाएं। जीवन के विकास और प्रकाश के साथ बैंक और समाज का अनन्योश्रय-संबंध स्थापित हो गया है।

जनसंपर्क का माध्यम भाषा है--वह हर स्थान पर भारतीय भाषाएं हैं। भाषाओं में हिन्दी भाषा भारतीय भाषाओं रूपी पुष्प को एक में गूंथने वाला सहज, स्नेही, सरल और सुबोध धागा है जो देश की एकता और अखंडता का भी सूत्र है।

इस वर्ष देश संविधान निर्माण का तथा स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के साथ देश के महान क्रांतिकारी सपूत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। यह अनूठा वर्ष है। भारत के इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं का संगम वर्ष है। अगर फ्रान्स और इंगलैंड का सौ वार्षिक और सप्त वार्षिक युद्ध इंगलैंड की जनता को यह बोध कराने में सक्षम रहा कि फ्रेंच भाषा चाहे जितनी भी उन्नत हो पर विदेशी भाषा है। अत: उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाया जबकि वहां की राजभाषा फ्रेंच थी। यही घटना रूस के साथ घटी जो नेपोलियन विजय प्राप्त करता हुआ मास्को पहुंच गया तो रूस को यह भान हुआ कि उनकी राजभाषा फ्रेंच तो विदेशी भाषा है तो उन्होंने रशियन को राष्ट्रभाषा बनाया तो वे दोनों देश महान हुए।

इन पंक्तियों के साथ स्वतंत्रता पर विचारें:—

"मुझे तोड़ लेना वन माली,
उस पथ पर तुम देना फेंक,
मातृभूमि हित शीश चढ़ाने,
जिस पथ जाएं वीर अनेक।"

स्वर्ण जयन्ती वर्ष में इतना तो सिंहावलोकन करना चाहिए कि स्वतंत्रता दीवाने, अमर शहीदों और संघर्षरत सभी प्रकार के नेतृत्व देने वालों की स्वतंत्रता की कल्पना कैसी थी तथा आज स्थिति क्या है। यह नहीं कहा जा सकता है देश ने प्रगति नहीं की है। जहां परतंत्र भारत में एक सुई नहीं बनती थी वहां आज संसार में अति आधुनिक लगभग सभी चीजें बन रही हैं। इतना होने पर भी जो वास्तविक कसौटी है जन का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास और देश की रक्षा में देश क्यों आज पिछड़े देशों की श्रेणी में पहुंच गया? 14 वर्ष के नीचे के बच्चे को 10 वर्ष में शिक्षित करना था, यह हो गया होता तो आज भारत शिक्षित और जागृत होता। एक-तिहाई लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। एक चित्र साफ-साफ दिखायी देता है कि स्वतंत्रता में जो परिवर्तन मूल रूप में होना चाहिए वह नहीं हुआ—कारण था कि गांधी जी के नाम को अपनाया गया, पर विचारों को नहीं। सार्वजनिक पदों को सेवा की बजाय अधिकार और प्रतिष्ठा के साथ जोड़ना यह तो औपनिवेशिक शासन की परम्परा है। भारत ने सब चीज अंग्रेजों की अपना ली। भारतीयता का भाव जो गांधी जी जीवन के हर क्षण में लिये हुए थे उसे छोड़ कर अंग्रेजी शासन व्यवस्था और मूल्यों की प्रतिष्ठा और वैधता प्रदान की गयी। ब्रिटेन के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कड़ी 26 जनवरी, 1950 को टूटी—जब भारत गणराज्य हो गया। फिर भी भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा और ब्रिटिश सम्राट को उसके एक प्रतीक रूप में मान्यता मिली। उस काल के नेता औपनिवेशिक काल की व्यवस्था की सुविधाओं को बनाये रखने के लिए ज्यादा उत्सुक थे बनिस्पत उसको बदलने की। आई.सी.एस. के ढांचे को आई.ए.एस. बनाकर कायम रखा गया। विदेशी संरक्षण की यह भावना प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवार को खान-पान के पश्चिमी तौर-तरीकों के साथ पश्चिमी आचार-व्यवहार के अन्य ढंग सिखाने तक पहुंच गयी। जिनकी सेवा करनी थी उनसे अन्तर बना कर रखा गया। इस प्रकार आज अपना समाज एक तरफ आम जनता गरीबी रेखा से ऊपर उठना चाहती है तो दूसरी ओर हमारे समाज के उच्च वर्ग पश्चिम के उच्च वर्गीय लोगों जैसी वैभव और विलास की जिन्दगी जी रहा है। गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई ने सम्पन्न वर्ग में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। अब परिवर्तन जनता के दबाव में ही आ सकता है। समाज का जो ये विशिष्ट वर्ग है उन्हें तीन वर्ग में देख सकते हैं—बड़े-बड़े नेतागण, बड़े-बड़े पूंजीपति एवं सरकार के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्ति—ये तीनों अनकहे मेल हैं। स्वतंत्रता का पूरा लाभ इन्होंने ही उठाया है। सत्ता-साधन-सुविधा आदि पर इनका वर्चस्व स्थापित हो गया है। ये तो सुख भोग ही रहे हैं भावी सन्तान के भी रास्ते साफ रहें इसके लिए अंग्रेजी को कायम रखना चाहते हैं। अंग्रेजी इनका कवच और औजार दोनों हैं। आज साधारण जनता रोजी-रोटी के संघर्ष में पीछे हटती जा रही है।

संविधान ने हिन्दी को राष्ट्र में राजभाषा घोषित किया पर लार्ड मैकोले की तरकीब को समझे नहीं या समझने नहीं दिया गया—मैकाले ने अंग्रेजी लाई तो अनिवार्य नहीं बनाया, प्रयोग और सम्मान बढ़ा दिया पर हिन्दी राजभाषा बनी तो इसके प्रयोग और सम्मान पर ही पहले 15 वर्ष और बाद में अनन्त काल का प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि धीरे-धीरे हिन्दी राजभाषा बन रही है पर तालाब या नदी में कूदे बिना तैरना कैसे सीखा जा सकता है। अब प्रयास चल रहा है कि इसका प्रयोग राजकाज में बढ़े, इसके लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति, संसदीय राजभाषा समिति तथा सभी मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां बनती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा, लोक सभा के कार्यालय को छोड़कर पता नहीं क्यों? इसके सिवा सभी स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनी हैं तथा संचालन एवं देखभाल के लिए गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग है जिसके सचिव बराबर अंग्रेजीदां ही होते हैं जो अंग्रेजी के संरक्षण और संवर्धन पर नजर रखते हैं।

कार्य का नमूना देखें, यह एक वार्षिक हिन्दी प्रगामी कार्यक्रम बनाकर देता है। वह एक वर्ष का कार्यक्रम आज तक 29 वर्ष में एक वर्ष का कार्यक्रम अपवाद रूप में भी किसी ने पूरा नहीं किया है। हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की कोई समय सीमा नहीं है। और इसके साल में चार बैठकों की किसी के लिए अनिवार्यता है। इसके अध्यक्ष मंत्री होते हैं जो अपने कार्यकाल में इसकी बैठक नहीं बुलाये तो कोई पूछने वाला नहीं। इस प्रकार जो हिन्दी के प्रयोग बढ़ रहे थे एकाएक कम्प्यूटर आदि एक दर्जन आधुनिक यंत्र रोमन लिपि में सर्वत्र राजभाषा की कृपा से स्थापित हो गये और राजभाषा प्रयोग के रास्ते में रोड़ा के बदले बोल्डर बिछा दिये गये। प्रयोग लगभग ठप्प हो गये। आज भाषाओं का दारोमदार ये यंत्र हैं। अब कहा जा सकता है कि ये यंत्र द्विभाषी बनाये जा रहे हैं। बन भी रहे हैं पर अभी तक इनमें देवनागरी वाले यंत्र में वे सब सुविधायें नहीं हैं जो कि रोमन/अंग्रेजी में हैं। एक बार मान लें कि सभी यंत्र द्विभाषी बन गये तो प्रश्न है कि देवनागरी वाले यंत्र का प्रयोग कौन, क्यों, कहां, कैसे और किसके लिए करेगा? जबकि भारत सरकार की सभी संचिकाएं मात्र रोमन/अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। जब तक इसका समाधान नहीं होता है तब तक तो ठीक जैसे हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं पर प्रशिक्षितों के लिए हिन्दी में काम ही नहीं तो यह जन, धन, समय अभी तक बेकार जा रहा है। कुछ बात और विचार करें कि हर विभाग या संस्था आदि में प्रमुखों का दायित्व है कि वे अपने यहां हिन्दी का प्रयोग कराएं पर वे इस दायित्व को हिन्दी अधिकारी पर छोड़ देते हैं जिन्हें विभाग में कोई अधिकार नहीं। राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की जिम्मेवारी है कि वे हिन्दी का प्रयोग करायें पर वे स्वयं अपना मूल काम हिन्दी में नहीं करते हैं।

14 सितम्बर पर भी विचार करें तो लगता है कि हिन्दी दिवस तमिल के समान श्राद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्राद्ध में हिन्दी पंडित प्रतियोगियों को अंग्रेजीदां दातादान स्वरूप पुरस्कार देते हैं। सौ-दौ-तीन सौ रुपये जो आज के मूल्य में दस, बीस और तीस रुपये के बराबर होता है। इस पर अभी तक विचार नहीं किया जाता है। अंग्रेजी हिन्दी को पिण्डदान (पिण्ड छुड़ा नहीं सकते हैं) नहीं करते हैं। इस कारण हर साल अंग्रेजी का भूत इन्हें परेशान करता है और इन्हें हिन्दी दिवस मनाने को बाध्य होना पड़ता है।

मुख्य विषय है कि जब तक रोजी-रोटी के साथ अंग्रेजी जुटी हुई है तब तक हिन्दी कैसे प्रयोग की भाषा उच्च शिक्षा या राजकाज में प्रयोग होगी? यह गहरा प्रश्न है।

यह ठीक है कि बैंक को जनसंपर्क करना है। गांव-गांव तक में इसलिए इनके यहां जाहिर तौर पर राजभाषा हिन्दी का प्रयोग भरपूर पड़ा है पर अभी भी आंतरिक कार्यकलाप की भाषा अंग्रेजी है। इतना कहा जा सकता है कि बैंकों के प्रयास से देश में हिन्दी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ रहा है और अधिक बढ़ेगा। कहा भी गया है कि शासन हो या शासित, धर्मप्रचारक हों, या व्यापारी, उद्योगपति हों या मत मांगने वाले नेता जिन्हें जनसंपर्क करना है उन्हें हिन्दी अपनानी पड़ेगी। हिन्दी सम्पूर्ण राष्ट्र, उसके विकास, उसकी संस्कृति, अस्मिता की भाषा है। इस स्थान को लाख प्रयास करके भी अंग्रेजी कभी प्राप्त नहीं कर सकती है। हिन्दी को संतों का वरदान है और सम्पूर्ण देश में अपने उपदेश हिन्दी में देकर उन्होंने बिना कहे इसका प्रचार पहले ही सैकड़ों वर्ष से कर रखा है। यह हिन्दी राष्ट्र भाषा, बंग, मनीषा, गुजराती और महाराष्ट्रीय संतों की देन है। यही कारण है कि हिन्दी अपनी सरलता, सुबोधता, बोधगम्यता तथा समन्वय करने की क्षमता के कारण अभी अभियांत्रिकी ऊर्जा तल पर दिनानुदिन प्रगति के मार्ग पर बिना सरकार की सहायता की कामना किये आगे बढ़ती जा रही है।

इसका ही प्रभाव है कि विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है—शोध की जाती है तथा दर्जनों देश दूरदर्शन आदि पर हिन्दी में समाचार एवं अन्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। विदेश के अनेक देशों का मत है कि यह राष्ट्र संघ की वैकल्पिक भाषा बने। पर नेतृत्व तो भारत को ही करना पड़ेगा।

यह निर्विवाद सत्य है कि देर है, अंधेर नहीं। हिन्दी भारत की राजभाषा बन कर रहेगी। सभी बाधा-बंधनों को काट कर, जन-साधारण जनता जग रही है और प्रशासन एवं विकास में भागीदारी की मांग बढ़ रही है और भागीदारी की भाषा निश्चित रूप से हिन्दी और भारतीय भाषाएं होंगी।

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा (मोहनलाल गंज): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। सबसे पहले मैं भारत माता के उन महान सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली है।

"आओ हम सब मिलकर एक नया भारत बनायें।"

महोदय, आज हम नैतिक मूल्यों में कितने आजाद हुए हैं यह एक विचार करने की बात है। संसद की दीवार पर एक जगह लिखा है कि—

"सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तुः मा कश्चिद् दुःखभागभवेत।"

आज यह श्लोक कुछ झूठा साबित हो रहा है। प्रजातंत्र खतरे में है, शताब्दियों बाद जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह सारी भारत माता की भूमि एक-एक झंडे के नीचे आई है। भारतीय गणराज्य अपनी सम्पूर्ण गौरव, गरिमा के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। यह हमारे लिए अभिमान की बात है।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, परन्तु आज प्रजातंत्र खतरे में है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में पचास वर्ष का समय कोई बहुत लम्बी अवधि नहीं तथापि देश किधर जा रहा है। यह जानने के लिए इतना समय पर्याप्त है। यह सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है कि भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे स्वार्थान्ध राजनेताओं ने प्रजातंत्र के सुख को जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प को न केवल स्वयं त्याग दिया है, अपितु इसे सबसे अधिक हास्यास्पद मूर्खता घोषित करके सबका मनोबल तोड़ दिया है।

स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती का सरकारी महोत्सव इसी माहौल में जब मनाया जा रहा है तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी यह सोच बिल्कुल ठीक लगती है कि हम देशवासियों को वर्तमान भ्रष्ट राजनीतिक शोषकों के विरुद्ध स्वाधीनता की एक और लड़ाई लड़नी चाहिए।

स्वाधीनता के बाद का हमारा युग अवश्य निराश करने वाला है लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम का इतिहास अदम्य साहस, अनन्त त्याग और प्राणों के उत्सर्ग की वीरगाथाओं में बेमिसाल है।

आज देश कई कारणों से छोटे-छोटे दलों में बंटता जा रहा है। राष्ट्रीयता की भावना जबकि जीवन से सर्वथा लुप्त हो चुकी है। शोषण और अन्याय बढ़ रहा है। अंग्रेजों की हुकूमत में राष्ट्र नंगा और सहमा हुआ है। हमें फिर से इसी अध्याय से प्रेरणा लेकर देश को आजाद कराने के लिए काम करना है। आजादी की यह लड़ाई अधूरी रह जायेगी, यदि शराब की और शराब की लौबी के शिकंजे से हम प्रजातंत्र को न छुड़ा पाए। देश की अखण्डता के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। लोकतंत्र को सफल बनायें, हमारा देश विविधताओं का देश है। आज इतनी विविधताओं के देश में शिक्षा नहीं है, गरीबी है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, कई बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं, परन्तु कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि इस सत्र के पहले दिन मेरा सर्वप्रथम प्रश्न था "बाल मजदूरी समाप्त करने के संबंध में" परन्तु जो बच्चे देश का भविष्य हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। किसी कारणवश उस रोज प्रश्न काल ही नहीं हुआ। जब तक हम इन तमाम बातों की ओर ध्यान नहीं देते जो कि राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य से संबंधित हैं, तो हमारा इस सभा में बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। राजनैतिक मतभेदों के बावजूद कुछ मामलों में सबको मिलाकर चलने की जो हमारी पुरानी पद्धति है वही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र इस देश में पैदा हुआ है, यह इस देश की विरासत है। आज जो राजनैतिक स्थिति है, वह बदलनी चाहिए। यद्यपि हमारी उपलब्धियां हैं और हम उन पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन जनता की अपेक्षायें उससे ज्यादा हैं, जनता की आवश्यकतायें उससे ज्यादा हैं।

आज हमारे देश में महिलाओं व दलितों को शिक्षित करने का प्रयास हुआ होता और सभी महिलाओं एवं दलितों को लेकर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से चले होते तो हम उन्हें शिक्षित कर चुके होते और निश्चित रूप से वह अपनी प्रतिभा का उपयोग भारत माता की तरक्की और विकास में कर पाते। जब हम ऐसा नहीं कर पाये तब ही आज हमारे सामने आरक्षण जैसी स्थिति पैदा हुई है। आज भी पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए महिला आरक्षण बिल बार-बार लटक जाता है, कहीं इसका भयंकर परिणाम न निकल जाये, इसलिए मैं सम्पूर्ण सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर एक नया भारत बनाना है तो महिला आरक्षण के बारे में और साथ-साथ महिला शिक्षा के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। आज महिलायें पायलट से लेकर सिपाही तक सभी पदों पर निर्भीक होकर काम कर रही हैं। महिलायें किसी से भी पीछे नहीं हैं। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है, माता भारत की जननी है। आज हम अपनी जननी की उपेक्षा कर रहे हैं, महिला आरक्षण विधेयक में इतना विलम्ब हो रहा है, यह शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के लिए 12वीं कक्षा तक की शिक्षा होनी चाहिए। जब तक जननी शिक्षित नहीं होगी हम एक साफ-सुथरी भारत माता की कल्पना नहीं कर सकते। हम अपने आप से आशा करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाला भारत एक नया भारत होगा, चाहे उसकी रचना के लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।

आज पूरे भारत में हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे हैं। लेकिन आज भी हम सब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या जैसे कारण से हम घिरे हैं। आज भी सैकड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। आज बहुत से लोग भुखमरी के कगार पर जीते हैं। आज भी लोग मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं। सभापति जी, आज हमारा देश प्रगति की ओर है लेकिन आज देश में कितनी अराजकता है। सन् 1947 से जब हमारा देश आजाद हुआ था और जिन नेताओं ने देश को आजाद कराया, देश के लिए कुर्बानी दी, क्या उनका यह सपना था कि देश भुखमरी के कगार पर हो, बेरोजगारी से ग्रस्त हो, भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, एक उनका चरित्र था, जिनकी मिसाल हम आज भी देते हैं और एक आज के नेता हैं जिनके बारे में देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि उनका चरित्र क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या गांधी जी का यह सपना था, क्या नेहरू जी का यह सपना था कि देश आजाद हो और उसके बाद भ्रष्टाचार व्याप्त हो। आज भी मैं जब अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में जाती हूं तो लगता है कि ग्रामीण अंचल आज भी ब्यूरो क्रेसी की गुलामी में जकड़ा है। आज भी उसको और उनके परिवार को अशिक्षा के अंन्धकार में जीवन बिताना पड़ता है। आज भी हम बराबरी की बात करते हैं कि पुरुष महिलाओं में कोई अन्तर न हो परन्तु हमारा समाज पुरुप प्रधान है और इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी महिलाओं का शोषण होता है, चाहे वे घर के अन्दर हों चाहे वे घर के बाहर हों, हमारा समाज बहुत ही रूढ़िवादिता से घिरा है। आज हम आरक्षण की बात करते हैं पर आज महिला आरक्षण का विरोध हो रहा है, यह कहा जाता है कि पंचायत में आरक्षण हुआ, महिलाओं के पति आते हैं, मीटिंग में हर जगह उनके पति जाते हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि इसके पीछे भी पुरुषों की ही मानसिकता होती है, उनका ईगो होता है, उनकी यह सोच होती है हम उनसे ज्यादा समझदार हैं। उनकी अहम की भावना होती है। एक तरह से पुरुष ही अपने अहम की वजह से उसका शोषण करने लगता है। उदाहरण— बिहार में आज महिला मुख्यमंत्री है। यहां भी एक पुरुष ने अपनी पत्नी को शौक से सत्ता नहीं दी है बल्कि उनकी मजबूरी ने आज उन्हें मजबूर किया, अपनी पत्नी को हथियार बनाकर सत्ता के करीब रहने के लिए।

समाज की व्यवस्था, शिक्षा का अभाव, आज अगर देश की जनसंख्या 90 करोड़ के ऊपर है तो इसका कारण भी अशिक्षा है।

ग्रामीण महिलाओं को यह पता नहीं होता कि फैमिली प्लानिंग क्या है और उनके परिवार की वृद्धि होती चली जा रही है। शिक्षा का अभाव इतना है कि आज भी किसान अपने अधिकारों को नहीं जानते। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की कमी है। इन्टर डिग्री कालेज की तो बात ही छोड़ दीजिए।

कक्षा 5 तक के विद्यालय भी 2 कि.मी. की दूरी पर होते हैं और अगर सड़क नहीं है तो वो पूरा गांव ही शिक्षा के अभाव में रह जाता है। सभापति जी, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं पर हम आज भी लड़का-लड़की में अंतर करते हैं। महिला ही मां के रूप में बेटी के रूप में उसको शिक्षा से वंचित कर देती हैं। लड़के को तो वो बराबर चाहेगी कि वो पढ़े-लिखे। क्योंकि वो नौकरी करेगा, कमा के लायेगा पर शायद वे यह भूल जाती है कि लड़की भी वे सब कुछ कर सकती है जो लड़का कर सकता है। लड़की भी पढ़-लिखकर डाक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। कोई काम वो करने में सक्षम हो सकती है जिससे वो अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसमें वो क्षमता रहती है कि वो अपने परिवार को एवं बाहर अपने कार्य भी देख सकती है क्योंकि एक लड़की के शिक्षित होने से एक परिवार शिक्षित होता है।

इसीलिए महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है जिसमें घर की बड़े लोगों की खास कर महिलाओं का सहयोग मिले तो लड़की भी आगे बढ़ कर घर की समस्याओं को सुलझा सकती है। सभापति जी, आज अगर नारी का शोषण होता है तो उसमें अशिक्षा और समाज के कारण उसका शोषण होता है। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है तो उस महिला को इतनी गिरी निगाह के साथ देखा जाता है कि उसके सामने मरने के सिवा कोई चारा नहीं होता वहीं पुरुष सीना तान कर चलता है। आज हमारे समाज में अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं होता और अगर एक बच्चा भी तो प्रश्न ही नहीं और महिला भी इतनी स्वाभिमानी और इमोशनल होती है कि उसमें इतनी क्षमता रहती है कि अपने पति के नाम और बच्चे के सहारे अपना जीवन गुजार देती है पर वही पुरुष अगर चार बच्चों का भी पिता है तो उसकी शादी कुंआरी लड़की से हो जायेगी और लड़की के माँ-बाप खुशी-खुशी शादी भी कर देंगे। चार बच्चे उसके पहले से हैं और एक दो बच्चे भी और हो गये तो परिवार की वृद्धि हुई एवं जनसंख्या पर भी असर होता है। ये हमारे समाज की कुरीतियां हैं। इन सब कुरीतियों को तोड़ना होगा, समाप्त करना होगा जिससे महिला भी अपनी सम्मानजनक जगह समाज में बना सके। शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आज हमारी नई पीढ़ी के युवा बेरोजगारी से बुरी तरह पीड़ित हैं। अगर उनके लिए इस 50वीं स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर कुछ नहीं सोचा गया तो उनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती होगी। आज हमने देश में तरक्की की है और आगे भी करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपने युवा वर्ग के लोगों को साथ में लेकर समाज के हर अंग को विश्वास में लेते हुए 21वीं सदी में पदार्पण करें।

सभापति महोदय, मुझे गर्व है कि आजादी की 50वीं स्वर्ण जयन्ती के इस विशेष सत्र के अवसर पर मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला। मैं यहां पहली बार चुन कर आयी हूं और इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि इस ग्यारहवीं लोक सभा की मैं सदस्या हूं जिस वर्ष स्वर्ण जयन्ती मनायी गयी तथा आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री लुई इस्लेरी

[अनुवाद]

श्री लुई इस्लेरी (कोकराझार): महोदय, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती समारोह के एक भाग के रूप में संसद के विशेष सत्र में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपने उद्घाटन भाषण में आपने यह उल्लेख किया है कि देश में वर्तमान विद्रोह, अशान्ति तथा सामाजिक तनाव का एक कारण यह है कि राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उपेक्षा की गई है।

महोदय, आजादी के पश्चात् नई पुनर्सगठन नीति के अन्तर्गत कई नये राज्यों का गठन किया गया है। महोदय, हमारे बोडो लोग भी गत 28 वर्षों से अलग राज्य की मांग करते रहे हैं। कई बार त्रिपक्षीय वार्ता के बाद बोडो लोगों ने बोडोलैंड स्वायत्त परिषद को स्वीकार किया था और 20 फरवरी 1993 को इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। परन्तु उस समझौते को अभी लागू करना बाकी है। हम केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों से अपील करते हैं कि वह बोडो समस्या को सुलझाने के लिए ईमानदारीपूर्ण तथा न्याययुक्त प्रयास करें।

वैकल्पिक रूप से बोडो को उनका उचित हिस्सा दें अर्थात भारतीय संविधान की परिधि के अन्तर्गत बोडोलैंड नाम से एक अलग राज्य की स्थापना करें।

बोडो समुदाय के गुमराह नवयुवकों को काम पर लगाने के लिए एक अलग अर्ध-सैनिक बोडो रेजिमेंट का गठन किया जाए।

श्री हरिवंश सहाय

[हिन्दी]

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपना भाषण टेबल पर रख रहा हूँ। आजादी की 50वीं स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर अपना भाषण रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ।

50 वर्षों की आजादी के बाद भी सभी लोगों को समान शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरा सुझाव है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को एक समान शिक्षा देना पूरे देश में लागू किया जाए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को तत्काल बंद किया जाये।

50 वर्षों की अवधि में किसानों की काफी दुर्गति हुई है। किसानों के सामानों का दाम सरकार तय करती है तथा कारखानी सामानों का दाम कारखाना, मिल मालिक तय करते हैं। इससे किसानों की माली हालत खराब होती जा रही है। इस वर्ष किसानों का आलू कौड़ी के भाव बिका। सड़ भी गया। किसानों के सामानों का लागत खर्च के बाद मुनाफे का भाव तय करना चाहिए, परन्तु ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इससे दिन-प्रतिदिन किसान गरीब होते जा रहे हैं।

भारतवर्ष में हाथ की संख्या अधिक है तथा दुनिया के अन्य देशों में हाथ की संख्या कम है। इसीलिए वहाँ मशीनी युग चल रहा है। भारत में भी उसी की नकल की जा रही है। इससे हाथ बेकार होते जा रहे हैं। हाथ को महत्ता देने के लिए देश में ऐसी ही योजनायें बनानी चाहिए। इसमें मेरा सुझाव है कि देश में एक परिवार के पास एक ही काम होना चाहिए। आज एक ही परिवार के पास नौकरी, रोजगार तथा खेती है। मेरा सुझाव है कि एक परिवार के पास एक ही धंधा हो परन्तु उनकी मिलकियत उनके नाम से रहे। इस व्यवस्था से लोगों को काम मिलेगा तथा देश खुशहाल होगा।

देश में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। मेरी मांग है कि तत्काल देश के अन्दर खाते, डिपोजिट्स तथा नोटों को समाप्त कर, नए सिरे से सभी लोगों को समान धंधा, उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाए।

सभी लोगों के पास मकान नहीं है। एक आदमी के पास 20 कमरे हैं तथा उनकी बीवी 20 कमरे में रहती है तथा 20 बीवियाँ एक ही कमरे में रहती हैं। सभी को मिलाकर एक-एक कमरे की व्यवस्था की जाए। इससे लोगों के रहने का मामला हल हो जायेगा।

देश में सभी लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तत्काल सभी को पानी की व्यवस्था की जाए।

काम के अधिकार को संविधान में जोड़ा जाए।

आजादी का लाभ सभी तबके के लोगों को नहीं मिल पाया है, जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। खेतों की सिंचाई की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। सिंचाई की व्यवस्था की जाये।

नदियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह अपार सम्पत्ति है। इसे बिजली पैदा करने तथा सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए।

फिजूलखर्ची पर रोक लगाना जरूरी है।

जस्टिस गुमान मल लोढा

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं 1942-43 के संस्मरण आज याद करता हूं जब मैंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर, अंग्रेजों के मंच को फासफोरस डालकर जलाया था। आज उस स्वतंत्रता की प्राप्ति की स्वर्ण जयन्ती है—पर भारत विभाजित है—यह वेदना है।

यह भी वेदना है कि हमारा कश्मीर आधा पाकिस्तान में है व चीन से हम हमारी मातृभूमि को रिहा नहीं करा सके। तिब्बत को भी हम मुक्त नहीं करा सके यह दुखद है।

मेरी यह भी चिन्ता है कि हम पूर्णतया हिन्दी को न ही राजभाषा के रूप में बना सके न हम गोहत्या पूरी बन्द करा सके।

मेरा सुझाव है कि हमें संविधान में संशोधन कर गोहत्या प्रतिबन्ध मौलिक अधिकार में रखना चाहिए। भाषा राजस्थानी को 8वीं शेड्यूल में रखना चाहिए।

मेरी अपील है कि हम आज की अस्थिर सरकारों को स्थायित्व दें और संविधान का संशोधन कर अध्यक्षीय प्रणाली अपनावें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जो यहां आघात किये मैं उनका विरोध करता हूं व ज्यूडिशियल एक्टीविजम की सराहना करता हूं।

मेरी मान्यता है कि न्यायपालिका के कारण ही भ्रष्टाचार को लगाम लगाना प्रारंभ हुआ है। हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसका विरोध निहित स्वार्थ वाले करते हैं—क्योंकि आज उनके नेता भ्रष्टाचार के मुकदमों के कठघरे में हैं।

मेरी मान्यता है कि संविधान सभा को फिर बुलाकर संविधान को संशोधित करना चाहिए। मैं अंतुले जी का समर्थन करता हूं।

मुझे विश्वास है कि अब स्वर्ण जयंती को साकार करने के लिये हम हमारे राष्ट्रीय मान बिन्दु अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण करने को सब सहमत हों—नये भारत का निर्माण करें। सोमनाथ की तरह अयोध्या में भी हम राष्ट्रीय एकमत प्रकट करें व उसे मुक्त कराने वाले शहीदों को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करें।

द्वितीय स्वतंत्रता युद्ध में हम तभी सफल होंगे जब छद्म राष्ट्रीयता के भ्रम को समाप्त करें व गरीबी व निरक्षरता को समाप्त कर, राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश के विकास की विशेष योजना बनायें जिसमें मेरा क्षेत्र पाली भी है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, मेरा एक सुझाव है कि ऐसे माननीय सदस्य जिनके पास इस समय उनके भाषण टंकित रूप में उपलब्ध नहीं हैं, वे यह कह सकते हैं कि वे अपने भाषण सभा पटल पर रख रहे हैं और बाद में अपने भाषण की प्रति दे सकते हैं।

सभापति महोदय: हमें इस सत्र को सम्पन्न करना है। मुझे लगता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय यह चाहते हैं कि हम अपना सत्र दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर समाप्त कर दें। अत: समय की भी बहुत तंगी है।

अब माननीय मंत्री महोदय, श्री श्रीकान्त जेना 20 मिनट लेंगे। शेष सब सदस्यों को 15 मिनट का समय मिलेगा।

श्री श्रीकान्त जेना

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय को, आपको तथा अन्य सभापतियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इन विगत पांच दिनों के दौरान इतनी लम्बी बहस हुई। हमने लगभग 62 घंटे तक लम्बी चर्चा की और लगभग 215 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जो एक ऐतिहासिक घटना है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है अभी भी बहुत से सदस्य अपने भाषण सभा पटल पर रख रहे हैं ताकि वे भी सभा की कार्यवाही का एक हिस्सा बन सकें।

इस सत्र से सभा में और इस सभा से बाहर भी लोगों में बहुत रुचि पैदा हुई है। समाचार पत्र इसके बारे में चाहे जो रिपोर्ट दें, परन्तु जन-सामान्य ने इस चर्चा को गम्भीरतापूर्वक लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सदस्य समग्र राष्ट्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। परसों सदस्य सुबह तक बैठे और कल भी वे सुबह 8.30 बजे तक बैठे। सभापति श्री पी.सी. चाको ने लगातार आठ घण्टे तक पीठासीन अधिकारी होने का उत्तरदायित्व निभाया जो कि एक रिकार्ड है। उन्होंने आपका भी रिकार्ड तोड़ दिया वे लगातार कई घण्टों तक पीठासीन रहे।

इस वाद-विवाद के दौरान संसदीय लोकतंत्र की कमियां और शक्तियां, आज हमारे देश में मिली-जुली सरकार की स्थिति, हमारी आर्थिक व्यवस्था की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय असमानताएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, चुनावी सुधार तथा राजनीति का अपराधीकरण आदि जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। सामान्यतया प्रत्येक सदस्य ने एक विशेष मुद्दे पर चर्चा की जिस पर हमें आगे विचार-विमर्श करना है और निर्णय लेना है कि इस बारे में क्या कदम उठाना है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संसदीय लोकतंत्र केवल मजबूत ही नहीं हुआ है अपितु यह दिन-प्रतिदिन और अधिक मजबूत होता जा रहा है। यद्यपि यह भी सच है कि इसमें कुछ कमियां हैं।

हाल ही में श्रीनगर में सचेतकों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में संसद तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं के लगभग 108 सचेतकों तथा मुख्य सचेतकों ने हिस्सा लिया। इन्होंने यह सर्वसम्मत राय अभिव्यक्त की कि राज्य विधान सभा हो या संसद कोई सदस्य अध्यक्ष पीठ के सामने वाले स्थान पर नहीं आयेगा। कोई भी सदस्य सभा में नारे नहीं लगाएगा तथा सभा में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों का पालन करेगा तथा सभा में शिष्टाचार, मर्यादा तथा शिष्ट व्यवहार को बनाए रखेगा। उन्होंने सभा में चर्चा के स्तर को भी ऊपर

उठाने का संकल्प लिया। यह एक अच्छी बात रही कि बासठ घंटे के विचार विमर्श के दौरान कोई व्यवधान नहीं हुआ सभी दलों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। यदि किसी सदस्य ने कुछ अच्छी बात कही, तो दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। बहुत सी आलोचनाएं भी हुईं। परन्तु वे सब रचनात्मक थी।

आज हमारे संसदीय लोकतंत्र में मुख्य मुद्दा यही है कि मिली-जुली सरकार टिकेगी भी या नहीं। क्या एकदलीय शासन जो पहले रहा है आयेगा या नहीं। मेरे मतानुसार तो मिली-जुली सरकार जो पहले ही सत्ता संभाल चुकी है और अब वह यहां टिकेगी क्योंकि कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि वह पूरे देश में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सके। बहुदलीय सरकार तथा बहुदलीय शासन पद्धति मेरे विचार से श्रेष्ठ शासन पद्धति है। इस तरह की सरकार में भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों की बात सुनी जाती है, तथा समाज के विभिन्न वर्गों के विचार व्यक्त किये जाते हैं। पश्चिम बंगाल में हमारा क्या अनुभव है? पिछले 20 वर्षों में यद्यपि वहां एक ही दल का बहुमत रहा है, परन्तु अन्य दल भी संयुक्त सरकार में शामिल रहे हैं। केरल में भी इसी तरीके का पालन किया जा रहा है। वहां पर उन्हें स्थिर सरकार मिली हुई है, किसी अन्य राज्य की तुलना में उनका आर्थिक विकास और राजनीतिक वातावरण वास्तव में बेहतर है। इसीलिए केन्द्र में भी सरकार का बेहतर स्वरूप होगा।

मैं उस सरकार की आलोचना नहीं करता जिसने पिछले पचास वर्षों से शासन किया है। हमारे हिस्से में कई उपलब्धियां आयी हैं और हमने कई अवसरों को भी खोया है। हमें आगामी पचास वर्षों में कई उपलब्धियों को प्राप्त करना है। साझेदारी की राजनीति और आपसी समझदारी की राजनीति आगे भी चलती रहेगी। इस देश पर नियंत्रण का प्राधान्य बनाए रखना किसी भी पार्टी के लिए सम्भव नहीं है।

हमारे देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय आशाएं और आकांक्षाएं जन्म ले रही हैं। उन आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय दल जिनका कि एक दृष्टिकोण है, वे पनप रहे हैं। यदि हम इसकी कोई उपमा देना चाहें तो कह सकते हैं कि संयुक्त मोर्चा एक पुष्पमाला के समान है।

पिछले 15 महीनों के दौरान आलोचनाएं तो हुई थी, परन्तु आज तक कोई भी यह कहते हुए इस सरकार पर उंगली नहीं उठा पाया कि यह सरकार किन्हीं भ्रष्ट आचारों या कहीं किसी घोटाले में संलिप्त है ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि जांच और संतुलन बनाए रखा गया। निरीक्षण और संतुलन को बनाए रखने के लिए संचालन समिति है। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां प्रत्येक क्षण नजर रख रही हैं कि सरकार क्या कर रही है। यह एक अच्छी बात है। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियों द्वारा सरकार के प्रत्येक कदम की जांच पड़ताल की जा रही है। सरकार बनाने वाली पार्टियां चाहे वे छोटी हों या बड़ी सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसीलिए आजकल इसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिये और यह राष्ट्र के लिए अच्छी बात है। यही बात देश के विभिन्न भागों या क्षेत्रों में प्रतिविम्बित होगी। इस प्रकार की व्यवस्था में लोगों की आकांक्षाएं प्रतिबिम्बित होंगी।

अध्यक्ष महोदय ने अपने आरम्भिक भाषण में दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की बात की थी। जैसाकि आप जानते हैं, मैं उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं—अन्य राज्यों की तरह राष्ट्रीय आन्दोलन या स्वतंत्रता संग्राम में उड़ीसा ने भी बढ़चढ़कर भाग लिया था।

मैं किसी अन्य बात की चर्चा नहीं करूंगा परन्तु अपनी चर्चा को क्षेत्रीय असंतुलन पर केन्द्रित रखूंगा। यदि आप राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, तो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना होगा। पचास वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्र का परिदृश्य यह था कि तब हमारी जनसंख्या केवल 36 करोड़ थी और अब 96 करोड़ हो गई है। हमारी जनसंख्या तिगुनी बढ़ गई है। गरीबी और बेरोजगारी भी दो या तीन गुणा या इससे भी ज्यादा बढ़ गई है। आज की स्थिति में हमें क्षेत्रीय पॉकिटों पर क्षेत्रीय असंतुलनों के लिए ध्यान देना होगा।

1932 में महात्मा गांधी सर्वप्रथम उड़ीसा गए थे और उड़ीसा से वे मुम्बई गए थे। मुम्बई में उन्होंने कहा था कि यदि कोई गरीबी के दर्शन करना चाहता है, तो उसे उड़ीसा जाकर देखना चाहिए। आज भी हम 50 वर्षों बाद, इसी स्थिति या इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति को पाते हैं। इसका अर्थ है कि अभी भी इसका उन्मूलन नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्रीय योजनाकारों ने या योजना आयोग अथवा राष्ट्रीय नेताओं ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है। मैं केवल यही कहूंगा कि यह आदमी तक नहीं पहुंचा है।

उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसकी 22 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों और 16 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की है। इसका अर्थ है कि लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की है। उड़ीसा में लगभग 52 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़े वर्गों और दो प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यकों की है। इस प्रकार राज्य की 94 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की है।

प्रत्येक दिन जब कभी भी हम दुनिया के किसी भी समाचार पत्र को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इथोपिया में कुछ मौतें भुखमरी के कारण हुई हैं। उड़ीसा में भी एक संभाग ऐसा है—जिसे आप प्रत्येक समाचार पत्र में पाएंगे—जहां कोई भी प्रतिदिन भुखमरी के कारण होने वाली मौतों को देख सकता है। यदि एक केन्द्रीय मंत्री के रूप में मैं बोलूं कि वहां भुखमरी के कारण मौत हुई है, तो लोग मुझ पर आक्रमण भी कर बैठेंगे और मुझसे पूछेंगे कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री की हैसियत से मैं क्या कर रहा था। हमें वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वास्तविकता यह है कि हजारों लोग गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। हम गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन किस प्रकार करेंगे?

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): उड़ीसा की सरकारें क्या कर रही थीं?

श्री श्रीकान्त जेना: पहले भी कई सरकारें आयी थीं और कई भविष्य में भी आएंगी। परन्तु प्रश्न यह है कि मैं यह बात केवल सरकार के ध्यान में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। समस्त सदन को यह बात विदित होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): आप तो एक मेम्बर के रूप में बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: मैं अपने उद्‌गार व्यक्त कर रहा हूं।

मैं यहां पर इस बात को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और विपक्ष के नेता के ध्यान में लाना चाहता हूं। उड़ीसा में खनिज सम्पदा बहुत है। उड़ीसा जल संसाधनों, भू-संसाधनों, वन-संसाधनों आदि से भी सम्पन्न है।

श्री कल्पनाथ राय: बिहार भी सम्पन्न है।

श्री श्रीकान्त जेना: मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि बिहार भी सम्पन्न है। बिहार गरीब भी है। जब गरीबी का प्रश्न आता है, तो बिहार और उड़ीसा आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं। यदि आप उड़ीसा की सम्पन्नता पर ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि पूरे देश की ''बॉक्साइट अयस्क'' का 57 प्रतिशत भाग उड़ीसा में है। सारे देश में उपलब्ध कोयले का तेईस प्रतिशत भाग उड़ीसा में है और सारे देश में उपलब्ध उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का 27 प्रतिशत भाग उड़ीसा में है। देश में उपलब्ध कुल मैगनीज का 23 प्रतिशत भाग उड़ीसा में है। देश में उपलब्ध कुल ग्रेफाइट का तीस प्रतिशत भाग उड़ीसा में है और देश में उपलब्ध क्रोमाइट का 99.9 प्रतिशत भाग उड़ीसा में है। इनके अतिरिक्त, मणि-माणिक्य, हीरे और कई अन्य वस्तुएं वहां उपलब्ध हैं और उनकी तस्करी प्रतिदिन उड़ीसा से बाहर हो रही है। परन्तु लोग गरीब हैं। प्रयोग में लाए जाने के लिए ''गरीब'' शब्द उनकी इस गरीबी की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं प्रो. अलघ से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार की गरीबी के बारे में सही वर्णन किए जाने के लिए एक सही शब्द सुझाएं। यह तो स्थिति है।

दूसरी ओर जहां तक पिछले पचास वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे का संबंध है, यदि हम रेलवे के बिस्तार की ओर देखते हैं—रेल मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं—हम देख सकते हैं कि पचास वर्ष पहले जो स्थिति थी वो आज भी विद्यमान है। रेलवे लाइनों का विस्तार एक इंच भी नहीं हुआ है। जहां तक रेलवे का संबंध है उड़ीसा से उसे सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व उड़ीसा से मिलता है। परन्तु सबसे कम आवंटन उड़ीसा राज्य के लिए किया जाता है। मैं निश्चित रूप से श्री राम विलास पासवान जी को, भुवनेश्वर में रेलवे मुख्यालय बनाए जाने की मांग को पूरा करने के लिए, धन्यवाद देता हूं। पूर्वी तट का रेलवे मुख्यालय भुवनेश्वर में है और 1996-97 वित्तीय वर्ष में अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा राज्य को उन्होंने अधिकतम आवंटन प्रदान किया है। परन्तु यह मात्र शुरुआत है। मैं केवल यह बता रहा हूं कि पिछले पचास वर्षों में क्या हुआ है।

यदि आप सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई के लिए बुनियादी सुविधाएं उतनी ही हैं जितनी कि पचास वर्ष पूर्व थीं। यही स्थिति बनी हुई है। पूरी भूमि का बाईस प्रतिशत भाग सिंचाई योग्य था और वह अभी भी वैसे है। इसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वहां पर क्या है: बांध वहां पर तैयार हैं परन्तु हमारे पास नहरों को बनाने के लिए निधियाँ नहीं हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य, जिसे बिक्री कर से राजस्व के रूप में 10,000 करोड़ रुपये मिलते हैं की तुलना में उड़ीसा सरकार को बिक्री कर से राजस्व के 600 करोड़ से 700 करोड़ रुपये तक मिलते हैं? गाडगिल फार्मूला के अनुसार उड़ीसा को धन मिल नहीं सकता। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में उर्वरक की खपत सबसे कम है।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

[**श्री पी.सी. चाक्को** *पीठासीन हुए*]

केवल यही नहीं। यदि आप शिशु मृत्यु दर को देखेंगे, तो उड़ीसा का स्थान दुनिया में पहला है। इसलिए एक संभाग में गरीबी के चलते राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की रक्षा नहीं की जा सकती। आप एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते जबकि जनता पिछले पचास वर्षों से गरीबी की विभीषिका का सामना कर रही हो।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): फिर भी एक तथ्य मैं कहना चाहूंगा। केरल जैसे राज्य की तुलना में जहां पर शिशु मृत्युदर और जीवन स्तर के अन्य मानदण्ड कम या ज्यादा लगभग यरोप जैसे पश्चिमी देशों के समान हैं। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि सारा देश ही ऐसा है। यदि उड़ीसा इन मामलों में पीछे रहता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जेना, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री श्रीकांत जेना: इसलिए यदि यह स्थिति है, तो हम क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित समस्याओं के बारे में कैसे उल्लेख करें?

मैं एक बार फिर भी शरद पवार का ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री हैं। सभी बैंक मुख्यालय मुम्बई में हैं और महाराष्ट्र को वाणिज्यिक बैंक ऋणों का 30 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उड़ीसा को बैंक के लेनदेनों का केवल एक प्रतिशत हिस्सा मिलता है। आप वहां आधारभूत ढांचा कैसे स्थापित कर सकते हैं? मुद्दा यह नहीं है कि मैं उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। मुद्दा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो उड़ीसा से संबंध नहीं रखता है, वह इस बारे में काफी कुछ कह सकता है और इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। अब, जो निवेशकर्ता, भारत में निवेश करने आ रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। उड़ीसा जैसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र और विशेषकर पूर्वी क्षेत्र पूर्णत: उपेक्षित हैं। इसकी उपेक्षा की जा रही है और यह उपेक्षित ही रहेगा यदि आप इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे।

इसलिए, हमें आतंकवाद तथा विद्रोह से कैसे निपटना चाहिए? भगवान का शुक्र है कि उड़ीसा में शांति है। पिछले पचास वर्षों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा में कोई साम्प्रदायिक झगड़े नहीं हुए हैं। इस राज्य में शांति रही है। वहां पर्याप्त खनिज तथा प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। लेकिन हमने अभी तक उन संसाधनों का दोहन नहीं किया है। यदि आप राष्ट्रीय राजमार्गों को देखें तो उड़ीसा में यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में सबसे कम हैं। जब तक कि हम अपने आपको क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को सुलझाने में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे देश की एकता तथा अखंडता को खतरा रहेगा। हमें इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

यहां अनेक राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर हम विचार-विमर्श कर सकते हैं। आज की चर्चा का मुख्य विषय ''भ्रष्टाचार'' रहा है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान दिल्ली में कितनी कारें आ गई हैं? यदि हम दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई अथवा मुम्बई की उड़ान भरें तो आपको स्थिति का अंदाजा लग जाएगा। आपको मुम्बई के आस-पास कुछ आर्थिक गतिविधियों का पता चलेगा। वहां कुछ फैक्टरियां और औद्योगिक

क्रियाकलाप हैं। मुम्बई में कारों की कुल संख्या सात से आठ लाख है। चेन्नई के इर्द-गिर्द भी कुछ आर्थिक गतिविधियां हैं। वहां फैक्ट्रियां विद्यमान हैं। वहां कुछ वाणिज्यिक गतिविधियां हैं। चेन्नई में कारों की संख्या छः लाख है।

मैं एक वर्ष पहले एक मंत्री जी का उत्तर पढ़ रहा था। आज दिल्ली में 30 लाख कारें हैं। यदि आप दिल्ली की ओर देखें, दिल्ली के आस-पास कोई औद्योगिक गतिविधियां नहीं हैं। मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता की तुलना में दिल्ली में कोई वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं हैं। हमारे देश की राजधानी में किस तरह के उद्योग चल रहे हैं? दिल्ली में इतनी कारें चलती हैं। यदि आप शाम को होटलों में जायें, तो वहां पैसा खर्च किया जा रहा है। यदि आप सही तरीके से दिल्ली के चारों ओर नजर दौड़ाएं तो भ्रष्टाचार के अधिकतर मसले हल हो जायेंगे। आइए इसे ध्यानपूर्वक देखें। आइए दिल्ली पर नजर दौड़ाएं। दिल्ली में क्या हो रहा है दिल्ली वालों के पास इतना पैसा कहां से आता है जो वे इतना खर्च करते हैं? मैं केवल उन दिल्लीवालों की बात नहीं करता हूं जो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन दिल्ली में धन आता है। देश के अन्य भागों में धन का प्रवाह नगण्य है। देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली फल-फूल रही है। पिछले 50 वर्षों में दिल्ली काफी फली-फूली है। सुन्दर मकान, सुन्दर फार्म हाउस और बाग-बगीचे बन गए हैं। दिल्ली में सुन्दर-सुन्दर कारें चल रही हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रांगण में तीन या चार कारें खड़ी हैं।

अब, आप पैट्रोल की खपत पर गौर करिए। मैं इसकी तुलना उड़ीसा राज्य से कर रहा हूं। उड़ीसा में पैट्रोल की खपत सबसे कम है। यदि आप पैट्रोलियम उत्पादों की खपत के संबंध में इनाम देना चाहें, तो यह इनाम उड़ीसा को देना होगा। उस राज्य के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में सब कुछ उपलब्ध है। तेल पूल खाते में हम इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हैं? उसके लिए दिल्ली 50% तक जिम्मेदार है। इस नगर में फिजूलखर्ची हो रही है। यह पैसा कहां से आता है? हमें उन लोगों पर ध्यान देना होगा। मेरे विचार में, एक दिन श्री शरद यादव भी इसका उल्लेख कर रहे थे। आइए दिल्ली पर सही ढंग से नजर दौड़ाएं। भ्रष्टाचार का केन्द्र ही दिल्ली है। यदि आप इस तरह के भ्रष्टाचार के पनपने के केन्द्र को समाप्त नहीं कर सकते, तो आप पूरे देश के भ्रष्टाचार के मसले से वास्तव में नहीं निपट सकते। इसलिए, आइए इस पर विचार करें।

मैं प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। जब प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त को देश का आह्वान करते हुए कहा था कि उन्हें सत्याग्रह करना चाहिए, तब इस बात की आलोचना की गई थी। इसमें क्या गलत बात है, यदि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जन-जीवन में सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने लाल किले से ठीक ही कहा था कि लोगों को सामान्य रूप से आगे आना चाहए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चहिए। लेकिन आइए पहले हम भ्रष्टाचार के केन्द्र-बिन्दु, दिल्ली से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का आरंभ करें। अब, जनता की नजरों में प्रत्येक संसद सदस्य को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। यहां तक कि यदि कोई आपको अच्छा पेन उपहार में देता है, तो यह समझा जाता है कि संसद सदस्य ने इसे कहीं से लिया है।

यह आलोचना है। एक दिन का सत्र होना चाहिए और उसमें प्रत्येक सदस्य अपनी सम्पत्ति तथा अन्य परिसम्पत्तियों का ब्यौरा दे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। मेरे मित्र श्री चव्हाण यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में अच्छी बातें कहीं हैं। एक दिन जोशी जी ने भी उस संबंध में उल्लेख किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे कुल निर्यात का 40 प्रतिशत भाग उद्योगों तथा छोटे-छोटे क्षेत्रों के कारण है। अब यह 60 प्रतिशत हो गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुरादाबाद स्वयं शिल्प के क्षेत्र में लगभग 5 प्रतिशत निर्यात का योगदान देता है? विश्व बाजार में चीनी शिल्पकार एक के बाद एक नए-नए बाजारों पर कब्जा करते जा रहे हैं। उनके कारीगर इतने शक्तिशाली हैं कि यदि आप लंदन, पेरिस यूरोप या न्यूयार्क चले जाएं तो आपको चीन की बनी हुई वस्तुएं ही मिलेगी। हम भी लघु तथा छोटे-छोटे उद्योगों पर जोर देकर ऐसा कर सकते हैं। हमें अधिकतम प्राथमिकता अपने कारीगरों को देनी चाहिए जो वास्तव में चमत्कार कर सकते हैं। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी फले-फूलेगी।

मैं अपनी समय सीमा में रहूंगा। मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मैं अपनी सीमाएँ जानता हूं। मैं जानता हूं कि अनेक सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं और 1.00 बजे प्रधान मंत्री जी ने बोलना है। मैं अधिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करूंगा।

मैं वास्तव में क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में चिन्तित हूं। हर जगह कुंठा व्याप्त है। मेरे विचार में लगभग प्रत्येक सदस्य के पास कोई न कोई बेरोजगार युवक आकर मिलता है। मैं नहीं जानता कि उड़ीसा के लोगों ने क्या अपराध किया है। रक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा राज्य को सबसे कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। और राज्य का कोटा अन्य राज्यों को दे दिया गया है। हम सब जानते हैं कि 1857 में सैन्य द्रोह हुआ था। स्वतंत्रता की लड़ाई 1817 में उड़ीसा से प्रारंभ हुई थी जब "पाइका विद्रोह" पाइका बगावत हुई थी जिसके कारण ब्रिटिशों ने लिखा था कि उड़ीसा के लोग सेना के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए सेना में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह अब तक जारी है। यदि आप हमारी जनसंख्या की तुलना सेना में हमारे लोगों के प्रतिनिधित्व से करें तो वह न के बराबर है। रेलवे के संबंध में भी ऐसा ही है। रेलवे में 20 लाख लोग कार्य करते हैं जिसमें से 0.1 प्रतिशत लोग भी उड़ीसा से नहीं हैं। मैं नाराजगी प्रकट नहीं कर रहा हूं। कहीं कुछ गलत है। मैं यह कहूंगा कि जिसकी दिल्ली तक पहुंच है वही सभी लाभ उठा सकते हैं और दूर-दराज में रहने वाले लोगों को यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। योजना के संबंध में भी हमें इन प्रश्नों की ओर ध्यान देना होगा।

हर जगह निराशा व्याप्त है। हर जगह बेरोजगारी तथा गरीबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आह्वान किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ उड़ीसा में कालाहान्डी के जनजातीय क्षेत्रों से करें, चूंकि वे एक ऐसे राज्य से और एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं कि वे समझ सकते हैं कि निर्धनता क्या है। आइए, हम कालाहान्डी से आरंभ करें और निर्धनता तथा बेरोजगारी जैसे अभिशाप से लड़ें। माननीय अध्यक्ष

महोदय ने स्वयं भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे उड़ीसा से आन्दोलन आरंभ करें। इससे हमारे देश में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त होगा जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी और हमारे देश में एकता होगी और देश मजबूत बनेगा।

मैं संसदीय मंत्री के नाते नहीं अपितु साथी के नाते इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं सभी राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक टीम के रूप में मिलकर काम किया और इस वाद-विवाद को सफल बनाया। मैं पार्टी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुख्य सचेतक केवल अपने नेताओं के आदेशानुसार कार्य करते हैं।

यह वाद-विवाद सभी तरह से सफल सिद्ध होना चाहिए। हम चुनाव सुधार की बात करते हैं। चुनाव सुधार क्या है? श्री वाजपेयी ने कहा था कि इस सदन में निर्वाचित होने के बाद पहले दिन ही हम झूठा वक्तव्य देते हैं कि हमने चुनाव में इतनी राशि खर्च की जबकि वास्तव में हम इससे अधिक राशि खर्च करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव में, करीब 5000 करोड़ रुपये तक काला धन खर्च किया जाता है। यह मेरा आकलन है, हो सकता है यह गलत है। आज देश में सफेद धन से अधिक काला धन संचालन में है। हर तरफ काला धन ही उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रश्न पर क्या कहा जाए?

हमने कई मामलों पर चर्चा की है। आप मुझे संकीर्णमना कह सकते हैं किन्तु फिर भी मैं कहूंगा कि निर्धनता और बेरोजगारी ऐसे मुख्य विषय हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। अतः मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें, उड़ीसा आएं और दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत वहां से करें। इससे हमारे देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी।

श्री पवन दीवान

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान (महासमुंद): सभापति महोदय, इस सत्र के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उससे संबंधित भाषण की प्रति मैं सभा पटल पर रखना चाहता हूं। महोदय, यह हम सभी सदस्यों एवं देशवासियों के लिए एक सुवर्ण अवसर है कि आपने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे पता चलता है कि जनप्रतिनिधियों, सांसदों एवं आम जनता की भावनाओं में आपकी कितनी गहरी पैठ है। यह एकदम उचित अवसर पर लिया गया उचित निर्णय है। इसे आपने आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है जो यह बताता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, बेरोजगारी, गरीबी आम आदमी की सुरक्षा एवं अन्य समस्याएं कितनी भयानक हैं। लेकिन लड़ाई आखिर लड़ाई होती है चाहे पहली हो या दूसरी। हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ याने स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। जब पहली आजादी की लड़ाई हुई थी तब चन्द्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, जवाहर लाल नेहरु, असफाक उल्ला, अरुण आसफ अली और इसी श्रेणी के अनेक क्रान्तिकारी देशभक्तों की एक लम्बी सेना थी और इस लड़ाई को महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त था। क्या ऐसे निस्वार्थ और बलिदानी नेता आज हमारे पास हैं, और क्या 96 करोड़ की आबादी में एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसका आदेश देश की दूसरी आजादी के लिए सारा देश हृदय से स्वीकार कर सके। सत्ता का नेतृत्व संभालने वाले तो अनेक हैं लेकिन इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा, क्या इस विशेष सत्र के समुद्र मंथन से ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध होगा। आपने जिस लड़ाई का आह्वान किया है उससे स्पष्ट है कि जिनसे हमें लड़ना है वे अंग्रेजों की श्रेणी पा चुके हैं और धनबल एवं बाहुबल से सुसज्जित हैं। वे सरलता से आत्मसमर्पण करने वाले या हार मानने वाले नहीं हैं। अपनी रक्षा एवं जीत के लिए वे हर प्रकार का हथकन्डा अपनायेंगे। हम जानते हैं कि यह लड़ाई प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध की तरह अहिंसक होगी पर क्या परिस्थितियाँ बनेंगी उसकी कल्पना सभी को है।

हमारी आत्मा में सोये हुए अमर शहीद आज जागृत हो रहे हैं इसलिए हमारे दिलों में ऐसी भावनाओं के ज्वर उठ रहे हैं लेकिन यह दूसरी लड़ाई अधिक जटिल एवं कठिन है। विदेशियों से लड़ना और स्वदेशियों से दोनों में बहुत अंतर है। देश के मौजूदा भ्रष्टाचारी और अपराधी हमारे ही देशवासी हैं हमारे रिश्तेदार एवं संबंधी हैं। हम मोहग्रस्त होकर असहाय उनको देख रहे हैं। हममें साहस एकता एवं निर्मोहिता का अभाव है। उनको देखकर हम शिथिल हो रहे हैं, कांप रहे है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई है। यह अपने आप से लड़ना है। एक आत्म युद्ध है। आज फिर गीता के सन्देश जैसे विचारों की जरूरत है। इसीलिए लोक मान्य तिलक ने गीता का रहस्य समझाया था और महात्मा गांधी ने गीता को माता कहा था।

वेदान्त हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है।
हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र, हर सांस हमारी गीता है।

हम दूसरे कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित हैं, इस देश के लाखों आदिवासी हरिजन एवं गरीब पहले से ही भूमिहीन हैं या अपनी जमीन से बेदखल कर दिये गये हैं। आजादी के पचास वर्षों में आन्दोलन, सत्याग्रह, प्रदर्शन करने पर भी उन्हें पट्टे नहीं मिले हैं। उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाये कि देश को आजादी मिल चुकी है कि बिना युद्ध के उन्हें सुई भी की नोक भर भी जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता

हूँ कि चीन कभी महाचीन नहीं होता, अमरीका कभी महाअमरीका नहीं होता जब होता है तो भारत ही होता है महाभारत..

जब शांतिमंत्र गाते हैं तब हम होते हैं केवल भारत
जब कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है हो जाते हमीं महाभारत

दरअसल जब कार्यपालिका न्यायपालिका एवं विधायिका सभी परिस्थितियों को सम्भालने में असमर्थ हो जाते हैं तब लड़ाई की नौबत आती है। आज विश्वास का संकट तेजी से चारों ओर छाता जा रहा है। हम सभी ने जनता का विश्वास खो दिया है। इस विशेष सत्र को भी जनता पूर्व की तरह अविश्वास की नजरों से देख रही है लेकिन जनता के मन में कुछ इससे उम्मीद जरूर होगी इसलिए हमारी बाध्यता है कि हम कुछ ठोस निर्णय पर पहुंचे और उस पर ईमानदारी से अमल करें। यह अंतिम अवसर है इसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए। आखिर में हम नहीं करेंगे तो जनता तो करेगी।

अपराधी किसी के अपने नहीं होते उनके लिए अपराध ही सब कुछ है उन्हें अब हम और संरक्षण देंगे तो वे हमें डुबा कर रहेंगे।

तुमने जितने जोड़े हैं वे एक एक तोड़ेंगे
तुमने छोड़ दिया लेकिन वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे

आज समाज सुधारकों की नहीं बल्कि आत्म सुधारकों की जरूरत है। सब दूसरों को सुधारने के लिए घूम रहे हैं खुद नहीं सुधरना चाहते इसलिए सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है।

उद्ध रेंदात्मनात्मान, नात्मानम् अवसादयेत्
आत्मैव हात्मनो बंधु: आत्मैव रिपुरात्मन:

हम ही अपने बंधु हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। हम दूसरों पर नहीं खुद पर कृपा करें।

इस देश में जाति, धर्म और अन्य विवादों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम सुलझने नहीं देना चाहते हैं। वे शांत होने लगते हैं तो हम उन्हें और सुलगाते हैं इस तरह कोई समाधान कभी नहीं हो सकता।

बड़े लोगों को ही ठीक रास्ते पर चलने की पहले जरूरत है क्योंकि कहा गया है...

गतानुगतिको लोक: और यद् यद् आचरति श्रेष्ठ:
तद् तद् एव इतरो जन:

धर्म और जाति की तरह इस रत्नगर्भा धरती में सोने और हीरे की खदाने हैं उन्हें भी विवादित कर दिया गया है जिनसे भारत माता के सिर पर रखा कर्ज का बोझ उतारा जा सकता है। कोई कर्जदार स्वाभिमानी कब तक रह सकता है।

80 अरब डालर याने 280000 करोड़ रुपये विदेशों में काला धन जमा है जो हमारी बजट के बराबर है मार्च 96 तक 92.2 अरब डालर विदेशी कर्ज है। विदेश में पड़ा पैसा वापस लाया जाये तो भी विदेशी कर्ज से आजादी मिल सकती है। दूसरी आजादी की लड़ाई छिड़ने वाली है यानी हम दूसरी गुलामी के शिकार हो चुके हैं। अब हमें जागना ही होगा लेकिन हमारे सेनापति सो रहे हैं।

भ्रष्ट इतने है कि गिनती नहीं उनकी ये खा रहे हैं रोज रोज देश को उबाल

राम चरित मानस के और भी आगे कुंभकरण आज का सोता है पांच साल।

देश में आधे लोग शिक्षित हैं, आधे अशिक्षित, आधे गरीबी रेखा के ऊपर, आधे नीचे, एक तरफ अमीरी बढ़ रही है दूसरी तरफ गरीबी।

पत्तों पर बूंदा बांदी है जड़ में धधके आग
जीत सकेगा मर न सकेगा भाग सके तो भाग
आधी मौत जिन्दगी आधी यह आधी बरसात
आधे सूरज से क्या होगा पूरी आधी रात...

विकास तो हुआ पर जिसके लिए हुआ उस तक लाभ नहीं पहुँचा जो गरीबों के आंसू न पोंछ सके उस विकास का क्या मतलब।

श्री टी. गोपाल कृष्ण

[अनुवाद]

श्री टी. गोपाल कृष्ण (काकीनाडा): महोदय, हम औद्योगिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को रोकने में पूरी तरह से असफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली की जनसंख्या का करीब दसवां हिस्सा हृदय रोग या अस्थमा से पीड़ित है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है।

भारतीय वन करीब 20 प्रतिशत भूमि क्षेत्र तक रह गए हैं। विश्व में औसत वन क्षेत्र 40 प्रतिशत है। वनों की कटाई रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है। अवैध कटाई के लिए जिलाधीशों/ कलक्टरों को दंडित किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी योजना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

भूतपूर्व मंत्री डा. के.एल. राव ने यह सुझाव दिया और योजना तैयार की कि सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए जिससे देश में वर्ष भर पानी की सप्लाई की जा सके। इस समय जबकि आसाम में बाढ़ आई हुई है, देश के अन्य भागों में सूखा पड़ा होगा। सभी नदियों को आपस में जोड़कर इस स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है।

देश के संघीय ढांचे में राज्यों को और अधिकार दिये जाने चाहिए।

भारत एक बृहद देश है, अत:, हर समय केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के प्रत्येक कार्य पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। इसलिए राज्यों को और अधिक अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए ताकि वे सभी परिस्थितियों से निपट सकें।

उदाहरण के लिए, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो राज्यों को केन्द्र सरकार से और अधिक बल भेजने के लिए कहना पड़ता है।

संसद में केवल राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए और आम तौर पर राज्यों की समस्याओं में दखल नहीं देना चाहिए।

महत्वहीन मामलों पर अनावश्यक रूप से बहुत समय नष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए हाल ही में महाराष्ट्र की घटनाओं पर चर्चा व्यर्थ थी।

लोक पाल विधेयक, चुनाव सुधार विधेयक, महिला विधेयक को तुरन्त कानून बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए अपराधियों को कम से कम 10 वर्षों तक चुनावों में खड़े होने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

श्री हरिन पाठक

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आदरणीय सभापति महोदय, देश की 50वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में मेरे कई नेताओं और साथियों ने अपने विचार रखे हैं।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मगर एक बात जो बड़ी महत्व की है वह यह कि क्या 50 साल की आजादी के बाद हमारे देश में जो बुनियादी समस्याएं थीं उसका निराकरण हुआ या नहीं? मैं मानता हूं कि इस समय में हमने पाने से ज्यादा खोया है। हमने व्यक्तिगत और सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में ईमानदारी खो दी है। हमने अपने संस्कार खो दिये हैं ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना से प्रेरित हमारा जीवन आज जाति, धर्म और भाषा के विवाद में उलझ कर अपने ही देशव्यापी परिवार का दुश्मन बना है।

सभापति जी, देश की वर्तमान समस्याओं के प्रति हमारी उदासीनता और उसके निराकरण में राजनैतिक और दलीय दृष्टिकोण के कारण हम उसका सुखद निराकरण नहीं कर सके। सामाजिक आइवी के बारे में हम चिंतित हैं और उसे दूर करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। मैं मानता हूं कि सामाजिक अस्पृश्यता जितनी जल्दी दूर हो सकती है उतनी जल्दी दूर करके समाज में समानता और समरसता लानी चाहिए। हम सबको उसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। मगर उसके साथ-साथ प्रजातंत्र में किसी राजनैतिक दल को भी अछूत मानकर चलना देश की जनता की भावनाओं का और उनकी अपेक्षाओं का अपमान है। इस सदन में हम जो सदस्य बैठे हैं वह जनता के पास जाकर अपनी पार्टी की विचारधारा को उजागर करके उनका समर्थन पाकर जीत करके बैठे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को राजनैतिक अछूत मानकर चलने की, मानसिकता ने भी अनेक समस्याओं को पैदा किया है।

सभापति जी, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ राजनैतिक दल जो प्रतिपक्ष में हैं या सरकार में, वो इस मानसिकता को छोड़कर राष्ट्रहित में देश की मूलभूत समस्याओं के निराकरण में सहयोग करने के लिए आगे बढ़े।

सभापति जी, मैं देश की निम्न मूल समस्याओं को अग्रिमता देकर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उसके निराकरण के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाये, यह मांग करता हूं।

1. बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण करना।
2. बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकना और शिक्षित और अशिक्षित एवं अर्धशिक्षित युवकों को राष्ट्र निर्माण के काम में रोजगारी के साथ जोड़ना।
3. भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाना और भ्रष्ट किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति समूहों को बख्शाना नहीं।
4. गरीबी दूर करने के लिए स्वावलम्बी और स्वदेशी अर्थ बिल का अमलीकरण करना।
5. देश की रक्षा और स्वाभिमान के लिए नई पीढ़ी में नई शिक्षा बिल के द्वारा समेकित होने की इच्छायें प्रबल करना।
6. देश में व्याप्त अराजकता और बढ़ती हुई राष्ट्रद्रोह की प्रवृत्ति को हम सब मिलकर कुचल डालने की शपथ लें।
7. देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ देश की कृषि का आधुनिकीकरण और उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने का भी संकल्प करें।
8. आने वाले समय में हमारा राष्ट्र दुनिया में वैभव के शिखर पर विराजमान हो, यह कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने भाषण का अंश सभा पटल पर रखता हूं:

महोदय, जश्ने आजादी के पचासवें साल माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने प्रारंभिक भाषण के क्रम शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के संबंध में अपना सुझाव दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं वे बातें कोई नयी नहीं है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने में 1854 में बुड डिस्पैच, 1937 वर्द्धा समिति 1952-53 मुदालियार आयोग, 1964-86 में कोठारी आयोग, 1986-95 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के संबंध में अनुशंसाएं की गयी हैं लेकिन अभी तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा नहीं दी जा रही है।

इससे भयंकर परिणाम हो रहे हैं। करोड़ों युवा दिशाहीन शिक्षा के कारण आतंकवादी हो रहे हैं। यदि आजादी के 50 साल भी एक प्रभावशाली और तुरन्त लागू होने वाली युवा नीति की घोषणा की जाए तो देश के युवाओं के भविष्य को संवारा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज की जश्ने आजादी की लाली युवा शहीदों के खून की लाली है। ठीक ही कहा गया है:

"विजय विटप को विकच देख,
जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे
फूलों में शोणित की लाली
कभी समझ क्या पाओगे।"

सभापति महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की ओर से मानव विकास सूचकांक प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार भारत 173 देशों में 135 क्रमांक पर 1992 में था और उसका विकास सूचकांक 0.38 था जबकि कनाडा 0.93, चीन 0.80, मलेशिया 0.79। इस तरह आज हमें अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है।

स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर नये जोश के साथ निरक्षरता के कलंक को दूर करने का संकल्प लेना है। साक्षरता आन्दोलन को सिर्फ सरकारी यंत्र के भरोसे नहीं छोड़ना है। साक्षरता, आन्दोलन में कई गैर सरकारी संगठन बेहतर कार्य कर रहे हैं। मैं अपने गृह जिला बेगूसराय में हो रहे साक्षरता आन्दोलन की उपलब्धियों को देखने के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे यहां साक्षरता आन्दोलन के साथी एस.एन. आजाद के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चल रहा है।

सभापति महोदय, जब तक निरक्षरता का कलंक दूर नहीं होगा, गरीबी के पाप का भी अन्त नहीं होगा। जनसंख्या की भयावह समस्या का भी समाधान नहीं होगा। अत: गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या की समस्याओं के समाधान की तुरन्त आवश्यकता है।

मेरा सुझाव है कि इस महत्वपूर्ण बहस पर ठोस कार्रवाई का अनुश्रवण लोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा होना चाहिए जिससे बहस सार्थक हो सके।

श्री पी.एम. सईद

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): आदरणीय सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक संसद सत्र में मैं भारतीय राजभाषा में दो शब्द शुरू करके अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूंगा।

मैं 1967 में जब पहली दफा इस हाउस में आया, इसी जगह से मेरी मेडन स्पीच हुई। 31 साल बीत गए। मैंने देखा कि इस हाउस का फंक्शन किस तरह चल रहा है? मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक सभा में बड़े गौरव से डाकुमैंटेशन यहां हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की आज की स्थिति चाहे वह आर्थिक स्थिति हो या और कोई स्थिति हो, सब के बारे में उल्लेख किया। मैंने देखा उन्होंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसका भारत को मुकाबला न करना हो।

[अनुवाद]

अपने भाषण में अध्यक्ष महोदय ने हम सबको इन सभी मामलों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इस देश में व्याप्त प्रत्येक पहलू को बड़े अच्छे और व्यापक ढंग से हमारे समक्ष रखा। मैंने देखा कि इस चर्चा में सभी सदस्यों ने बहुत रुचि ली है और मैंने विशेष रूप से एक बात नोट की है। बीते अच्छे दिनों में जब किसी सदस्य द्वारा अच्छे विचार प्रकट जाते थे तो सदन के प्रत्येक दल के सदस्यों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती थी, जिसका चलन पिछले कुछ समय से समाप्त होता जा रहा है। इस ऐतिहासिक सत्र में मैंने स्वयं एक बात महसूस की कि प्रत्येक सदस्य सदन की कार्यवाही में गहन रुचिं ले रहा है, अति सावधानी से पढ़ एवं समझ रहा है और सोहार्दपूर्ण

ढंग से अपने विचारों को प्रकट कर रहा है तथा सदन के सभी वर्गों द्वारा इसकी सराहना की गई है।

मैं विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात से सहमत हूं कि सर्वप्रथम हमें इस सदन की गरिमा और शिष्टाचार को बनाए रखना होगा क्योंकि हमें देशवासियों के समक्ष उदाहरण पेश करना है। अतः, मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें किसी भी कीमत पर प्रश्न काल को समाप्त नहीं करना चाहिए। यही अवसर है जब सत्तासीन सरकार को खींचा तथा घेरा जा सकता है। दूसरे सदस्यों द्वारा सदन के बीचों-बीच आने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तीसरे उन्होंने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए और उस मौके पर किसी तरह की अशांति नहीं फैलायी जानी चाहिए। मैं पूर्णतया इससे सहमत हूं।

हम सदन में पिछले पांच दिनों से चर्चा कर रहे हैं और आज छठा दिन है। पूरा देश, मीडिया और समूचा विश्व इस सत्र में हो रही चर्चा में रुचि ले रहा है कि देखे कि क्या होने जा रहा है। यदि हम बातों पर केवल विचार करके ही छोड़ देंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। मेरा विचार है कि हमें राजनीति से और अन्य सब बातों से ऊपर उठना चाहिए। हमें राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी कार्यसूची में एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हमें जिन समस्याओं पर चर्चा करनी है उनके बारे में समय-सूची के संकल्प को बनाए रखा जाए। मुझे आशा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के सहयोग से सभा के समक्ष जो संकल्प रखने जा रहे हैं, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

मैं केवल तीन या चार सुझाव ही दूंगा। मैं जानता हूं कि समय कम है और समय समाप्त होने पर घंटी बजाने में कितनी तकलीफ होती है। मैंने भी तीन-चार बार अपना मौका खोया है। जब मेरा नाम पुकारा जाना था, तो मुझे सभा का संचालन करने के लिए कह दिया गया। इस नयी लोक सभा में सभापतियों की सूची में आपका भी नाम है—हम यहां विचार विमर्श करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमें ज्यादा देर तक सदन का संचालन करने के लिए कहा गया और इस प्रक्रिया में हमें माननीय सदस्यों की नाराजगी झेलनी पड़ी।

मैं पहला मुद्दा रखता हूं। हमारा आज का मुद्दा यह होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में सदस्य ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें। इस प्रणाली में तथा जो कार्यवाही हम करते हैं उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि किसी को जवाबदेही नहीं होगी तो हमने अपनी गतिविधियों के लिए जो प्रणाली अपनाई है उसमें हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह जाएगा। इसलिए सरकारी नौकर से लेकर राजनीतिक प्रशासक और राजनीतिक प्रशासक से लेकर विधान मंडल और विधान मंडल से लेकर जनता तक अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चाहे यह नौकरशाही हो या कोई अन्य क्षेत्र, जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए और हमें सर्वप्रथम इसी मुद्दे पर विचार करना चाहिए क्योंकि हमें अपने जीवन में पारदर्शी होना चाहिए।

मेरे विचार से मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि पिछली आठ बार से मैं लगातार चुनाव लड़ता रहा हूं और फिर-फिर यहां चुनकर आया हूं। मुझे इस छोटे से क्षेत्र में लोगों ने अच्छी तरह से जांचा-परखा है। अतः, मेरा आचरण मेरा सामाजिक समादेश और मेरी सम्पत्ति की जानकारी जनता को होनी चाहिए। केवल ऐसा करने से ही जनता के प्रतिनिधियों और उस पद्धति के प्रति आदर मान होगा जिसके प्रति हम वचनबद्ध हैं ताकि काम अच्छी तरह से हो।

महोदय, हमने केवल 52 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त की है। साक्षरता प्रमुख समस्या है जिसकी ओर ध्यान देना है। निरक्षरता को दूर करने के लिए लोगों और संसाधनों को प्रयोग में लाने के बावजूद हम केवल 52 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर सके हैं।

मेरे विचार में यह गुजरात के श्री सनत मेहता ही थे जिन्होंने कहा कि हमें इस समस्या के उन्मूलन के लिए संकल्प करना चाहिए। निरक्षरता के पूर्ण रूप से उन्मूलन में 27,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। हमें किसी न किसी प्रकार से यह देखना है कि यह हमारी प्राथमिकता सूची में सम्मिलित हो जाए। इसके लिए एक समयावधि होनी चाहिए क्योंकि इस समस्या के समाधान से कई अन्य समस्याओं का समाधान भी हो जायेगा।

उदाहरण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण का समाधान। हमारी जनसंख्या आज 33 करोड़ से 96 करोड़ तक बढ़ गई है। ऐसी बात तो नहीं है कि हमने इस समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दिया है? क्या यह सच है कि हमने इस समस्या को महत्व नहीं दिया? हमने तो इस समस्या को उचित महत्व दिया है। यद्यपि हमने पूरी तरह जनशक्ति और संसाधनों का भरपूर निवेश किया परन्तु फिर भी हमें आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसमें असली बात यह है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है।

श्री फातमी ने ऐसे अनेक देशों का उल्लेख किया जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाए हैं। यहां भी कोई इसके विरुद्ध नहीं है। किन्तु समस्या यह है कि दिल्ली में निर्मित कार्यक्रम देश के कुछ भागों के लिए उपयुक्त नहीं हो। यह सारा स्थानीय परिस्थितियों तथा स्थानीय तरीकों पर निर्भर करता है। इनकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए, तत्पश्चात् निश्चय ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

सर्वप्रथम तो देश की साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाई जानी चाहिए। महोदय, आप केरल के हैं और केरल एक ऐसा राज्य है जहां 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली गई है। पूरे केरल भर में शिक्षा फैल गई है और उनके राजस्व आय की पर्याप्त राशि शिक्षा में लगायी गयी है। परिणाम 100 प्रतिशत साक्षरता है। इसी से जनसंख्या का भी नियंत्रण होता है। अतः, हमें निरक्षरता को दूर करने के संसाधनों का भी पता लगाना है। इसके लिए 27,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है। हमें इस संकल्प में इसका उल्लेख करना पड़ेगा।

यदि हमारा देश प्रगति करना चाहता है, तो जनसंख्या नियंत्रण भी अत्यन्त आवश्यक है। हमारी जनसंख्या 33 करोड़ से बढ़कर इस समय 96 करोड़ हो गई है। जहां तक जनसंख्या का संबंध है इस शताब्दी के अंत तक विश्व में हमारी जनसंख्या सब से अधिक होगी। ऐसी स्थिति में, चाहे हम आर्थिक अथवा अन्य कोई भी उपाय करें वह व्यर्थ ही होंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिन तरीकों पर हम बल देते रहे हैं उनकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए और प्रभावशाली उपाय किये जाने चाहिए।

महोदय, मैं जानता हूँ कि आप अपने सामने घड़ी की ओर देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि भाषण समाप्त करने से पूर्व मुझे चेतावनी की घन्टी सुनने को मिल जाए। अत: मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, हमारे देश के युवा कुंठित हैं। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही अपने दस्तावेज में इसका उल्लेख किया है कि इस देश के युवा अशान्त क्यों हैं। इस समस्या का कारण भी यही है कि प्रभावशाली शिक्षा नहीं दी जा रही है। जब से स्वतंत्रता मिली तभी से देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यभार अधिकतर विख्यात शिक्षाविदों के हाथ में ही रहा, किन्तु दुर्भाग्यवश, कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसका संबंध किसी ऐसे कार्य से होना चाहिए जिससे रोजगार मिले। हम केवल इस प्रकार की शिक्षा की प्रेरणा देते रहे हैं जिससे लिपिक बनाए जा सकें। दुर्भाग्यवश, इस समय देश में ऐसी स्थिति है।

महोदय, मेरा संबंध सब से छोटे चुनाव क्षेत्र से है और द्वीप विकास प्राधिकरण में मेरे अनुरोध पर उन्होंने स्वीकार किया है कि मछली पकड़ने में तीन वर्ष की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अब हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ-साथ हमें बाजारोन्मुख भी होना चाहिए। हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल अपनी शिक्षा को बनाए। हमें इस संबंध में भी ध्यान देना चाहिए। हमें यह कार्य युद्ध स्तर पर करना चाहिए अन्यथा इस शताब्दी के अन्त तक हमारे यहां और अधिक परेशान लोग ऐसे होंगे जिनके पास डिगरियां होंगी लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होगा। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग 15 करोड़ है।

भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री शिवराज वी. पाटिल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा व्यक्त किया है। उन्होंने पूछा है कि हम इन शिक्षित बेरोजगारों का क्या करेंगे जिनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है। हम उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी की इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए अन्यथा हमारे निराश युवक आतंकवाद, विद्रोह और हर प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लग जाएंगे।

यह इस देश की एकता के ढांचे के लिए निरन्तर खतरा होगा। अत:, निराशा, कुण्ठा का अन्त होना चाहिए। बेरोजगार युवकों को अनुदान दिया जाना चाहिए जो हमें मिल रहा है। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्रत्येक संसद सदस्य को एक करोड़ रुपये दिया जा रहा है। इसी प्रकार हमें इस प्रकार की निधि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको भी कम से कम कुछ जीवन-निर्वाह भत्ता मिल जाए।

अब मैं गरीबी उन्मूलन की बात करता हूँ। इसमें एक बात तो सार्थक है। अनेक सदस्यों ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, और बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि बहुत कुछ हुआ है। वर्ष 1947 में हमारा देश गणतन्त्र घोषित होने के पश्चात् इस देश की स्थिति क्या थी? क्या नई पीढ़ी का कोई सदस्य कह सकता है कि हम फाउंटेन पेन और हैंड पिन आयात करते थे? नहीं। ऐसी थी स्थिति इस देश की। हम ने अमेरिका से भीख भी मांगी। पी.एल. 480 के अंतर्गत सड़ा हुआ गेहूं आयात किया गया। ऐसी स्थिति थी।

हमने तीन युद्ध देखे हैं। विश्व के किसी भी देश ने इतने युद्धों का सामना नहीं किया है। फिर भी पिन आयातों से हम मिसाइल तैयार करने तक पहुंच गए हैं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। परन्तु इसके साथ-साथ ही हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के निर्माताओं और नेताओं ने अपना योगदान किया है। और इस सदन में लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रशंसा की है। मुझे इस बात पर बहुत प्रसन्नता है। हमें अधिक से अधिक धन जुटाना होगा। इसीलिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था बना दिया लेकिन मैं मात्र उदारीकरण के लिए उदारकरण से सहमत नहीं हूं। श्री सनत मेहता ने फिर यह भी कहा कि हमें मिल बैठकर देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या उचित है, वह हमें स्वीकार करना होगा और हमें उदारीकरण का आख मूंद कर अनुकरण नहीं करना चाहिए। चीन में वे क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार हम अपने स्वदेशी उद्योगों को मिटा तो नहीं सकते हैं। हमें संरक्षणवादी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। निश्चय ही हम इस बात को भूल गए हैं। इसके साथ-साथ हमें अपने स्वदेशी उद्योगों को आवश्यकतानुसार बचाना है। मात्र इसी के लिए यदि हम आंख मूंद कर उदारीकरण का अनुकरण करते हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं श्री सनत मेहता से सहमत हूं।

महोदय, यहां लगभग सभी ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का उल्लेख किया है। मैं भी इसके पक्ष में हूं। मुझे यह देख कर बहुत दु:ख हुआ कि हमारे नेताओं की ओर से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला गया। हमारे देश में सभी जगह लोकतंत्र लागू होता है। केन्द्र शासित प्रदेश सात हैं। इनमें कहीं भी किसी प्रकार का लोकतंत्र लागू नहीं है। किसी भी वक्ता ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा। क्या नेता लोग इस बात को भूल गए हैं कि केन्द्र शासित प्रदेश सात हैं? इस रोग के क्या कारण हैं? क्योंकि हम शक्तियां बांटते नहीं हैं, हमने शक्ति के विकेन्द्रीकरण की ओर गम्भीरता से विचार नहीं किया है।

राजीव गांधी एक व्यावसायिक पायलेट थे। उन्होंने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित कराये। इनको कहां लागू किया गया है?

मैंने प्रेस रिपोर्ट देखी है। श्री पी. चिदम्बरम राज्य सरकारों के बारे में यह शिकायत कर रहे हैं कि जो दल राज्यों में सत्ता में हैं वे सबसे छोटी इकाइयों को शक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। पंचायत राज को केवल स्वरूप में ही लागू किया जाता है। हकीकत में इसे लागू नहीं किया गया है। श्री शरद ने पूछा है कि जहां तक इसके कार्यान्वयन का संबंध है, हमारी स्थिति क्या है? हमारे यहां कोई प्रशासकीय तंत्र नहीं है। हर मामले में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। और राज्य सरकारें चाहती हैं कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों को दिल्ली से राज्य की राजधानियों में और वहां से फिर ग्रामों में लागू किया जाए।

मैं मांग करता हूं कि हमारे संकल्प में, हमें यह देखना होगा कि "थ्री टायर" प्रणाली पूरी तेजी से निर्धारित समय में अपनाई जायेगी। हम जैसे लोग, जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ और उपाय नहीं है।

महोदय, मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं। मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, लोगों को शिक्षित कर, लोगों के लिए जीविका के लिए साधनों का सृजन कर और अर्थव्यवस्था की पूर्ण संभाव्य क्षमता का उपयोग करने के लिए इसे उदार बनाकर तथा वास्तविक विकेन्द्रित शासन व्यवस्था सहकारी संघवाद के द्वारा यह कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। यदि हम इस कार्यसूची को क्रियान्वित कर सकते हैं, तो हम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कर लेंगे।

महोदय, इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे कृपया अपने भाषण सभा पटल पर रख दें लेकिन पाठ ''टेबल आफिस'' में पहुंच जाना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, सभापति महोदय, अत्यन्त हर्ष का विषय है कि स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आपने लोक सभा का विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर आजादी की द्वितीय लड़ाई प्रारंभ करने का देशवासियों को आह्वान किया है। हम आपके इस आह्वान का हार्दिक स्वागत करते हैं तथा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं अन्य सभी दलीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भारत की महान जनता, लोकतंत्र, लोकतंत्रीय आदर्शों एवं देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने वाले महान क्रान्तिकारियों, अमर शहीदों, देशभक्तों तथा राष्ट्रीय महापुरुषों के योगदान के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

एक कवि ने ठीक कहा है:

''हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी।
आओ मिलकर विचारें, देश की समस्याएं सभी।''

आज का यह स्वर्ण जयन्ती का अवसर जहां खुशियां मनाने और हर्ष व्यक्त करने का है, वहीं यह दिवस हमें आत्मलोचन एवं आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित करता है। हमने क्या खोया, क्या पाया यह जानने का अवसर है। क्या हम उन महान क्रान्तिकारियों, शहीदों के सपनों का राष्ट्र निर्माण कर पाये हैं। भौतिक दृष्टि से तो पर्याप्त उन्नति की है, बड़े-बड़े बांध, कल-कारखाने, उद्योग-धंधे स्थापित किए हैं, विकास पथ पर अग्रसर होने का प्रयास किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दस-ग्यारह चुनाव हो चुके हैं। भारत की जनता ने बिना रक्तपात के कई बड़े-बड़े राजनैतिक परिवर्तन किए हैं परन्तु खेद है कि आज 50 वर्ष बाद लोक अलग है और तंत्र (शासन) अलग है। दोनों एक-दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसमें समन्वय की आवश्यकता है।

आज 50 वर्ष बाद भी हम गरीबी, भुखमरी, बेकारी, रिश्वतखोरी को दूर नहीं कर पाये हैं। ''रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान'' का नारा ज्वलंत समस्या बना हुआ है। देश में क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद, अलगाववाद, प्रान्तीयवाद, भाई-भतीजावाद, स्वार्थ निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। राष्ट्रवाद, देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण को भूलते जा रहे हैं। ''हम रहे मस्ती में-आग लगे बस्ती में'' की स्वार्थ भावना बढ़ रही है। संसद, विधान सभाओं, संसदीय जनतंत्र एवं वैधानिक निकायों की अवमानना हो रही है। राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण बढ़ता चला जा रहा है। यह भयावह स्थिति है।

हमें राष्ट्र को सर्वोच्च महत्व देना है। ''राष्ट्र देवो भव'' राष्ट्र को देवता तुल्य समझें, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानें। अन्यथा

''गर नाव डूबेगी तो डूबेंगे सारे।
न हम ही बचेंगे, न साथी हमारे।''

इसलिए आज संकल्प लें कि-

''न इज्जत दे, न अजमत दे,
या रब मुझे वतन के वास्ते जीने की हिम्मत दे।''
''जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।''

मेरा भारत बने महान, यही हमारा संकल्प हो। सर्वजन हिताय, सर्वजन लाभाय। हम राजनैतिक मतभेदों को भुलाकर एकता के सूत्र में आबद्ध होकर निरन्तर आगे बढ़ने का संकल्प लें। अशिक्षा, निर्धनता, बीमारी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार को हटाने की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रयत्न करें। सफलता अवश्य मिलेगी। भारत दुनिया का गुरु होगा। सोने की चिड़िया बनेगा। शक्तिशाली होगा।

हमें आने वाली शताब्दी में विश्व का नेतृत्व करना है। यहां के नागरिक देशभक्त, ईमानदार, मेहनती, सत्यवादी, अहिंसक, मानवतावादी बनें। छोटे-छोटे मतभेदों को भुलाकर आर्थिक विकास करना है।

''झूम उठो ए भारत के वीरों,

तुम हो ताकत से भरपूर।

एक बार फिर मार दो ठोकर,

करो शत्रु को चकनाचूर।''

अस्पृश्यता, साम्प्रदायिकता, शोषण, नारी उत्पीड़न जैसी बुराइयों से संघर्ष कर हमें भारतीय समाज में समता, ममता एवं समरसता उत्पन्न करनी है। मल्टीनेशनल कम्पनियों के अबाध आगमन को रोकना है, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना है। भारतीय परिवेश के अनुकूल भारतीय अस्मिता एवं स्वाभिमान को जागृत करते हुए भारतीयता को बढ़ावा देना है।

स्वराज्य के प्रथम उन्नायक एवं मंत्रदृष्टा महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा था कि स्वराज्य सुराज्य-विदेशी सुराज्य से कहीं अधिक बढ़कर है। अत: हमें स्वाधीनता, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, संप्रभुता की समर्पित भाव से रक्षा करनी है।

श्रीमती सुभावती देवी

श्रीमती सुभावती देवी (बांसगांव): माननीय सभापति महोदय जी, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर अपना भाषण टेबल पर रखना चाहती हूं।

आज 50 वर्षों की आजादी के बाद सभी लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो सकी। सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। हाथ का महत्व कम कर दिया गया है। भारत ने दूसरे देशों की नकल की है। इससे हाथ बेकार होते जा रहे हैं। भारत को हाथ को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए।

सभी लोगों को एक ही काम की व्यवस्था हेतु संविधान में संशोधन होना चाहिए। एक ही परिवार के पास खेती, रोजगार तथा नौकरी है। उसमें से एक ही काम एक परिवार के पास होना चाहिए। उससे देश तरक्की करेगा तथा सभी को रोजगार मिलेगा।

आज तक सभी खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस संबंध में योजनायें बनाकर धन का आवंटन करना चाहिए।

आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। इसे रोका जाना चाहिए। सभी को काम व रोजगार मुहैया कराना चाहिए।

बेकारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

सभी लोगों को समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाये। 14 वर्ष तक के बच्चों को समान व मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

देश में मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य करने की व्यवस्था की जाये। देश में घरेलू उद्योग-धंधा चालू किया जाये।

तमाम इलाकों में धन का आवंटन अब तक भेदभाव करके किया गया है। आवंटन समान रूप से आबादी के अनुसार पूरा करने के लिए व्यवस्था की जाये।

महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत करने की मांग करती हूँ। इसके साथ-साथ पिछड़े वर्गों की महिलाओं का भी आरक्षण किया जाये।

श्री सुखलाल कुशवाहा

श्री सुखलाल कुशवाहा (सतना): आदरणीय सभापति महोदय, आपने स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित इस सत्र में मुझे सुनहरा अवसर दिया अपना वक्तव्य सभा पटल में रखने को। इसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ कुछ बात ही रखना चाहूंगा कि स्वतंत्रता काफी शहीदों के लंबे संघर्ष से व अमर बलिदान से प्राप्त इस आजादी को हम लोगों ने इतना हल्के से लिया जैसे इन कुर्बानियों को

सार्थक बनाने के लिए सत्तासीन लोगों का कोई दायित्व नहीं है। इस उदासीनता के चलते स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ की खुशी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह गयी। जबकि इसको देश के कोने-कोने व हर गली-कूचे व हर गरीब दलित के हाथ तक पहुंचायी जानी थी। वह काम अधूरा है।

समस्त माननीय सदस्यों ने अपने पक्षों को अपने तरीके से रखते हुए बहुत सारी बातों के बावजूद असुरक्षा की भावना पर जोर दिया, लेकिन मैं निःसंकोच कहना चाहूंगा कि देश को खतरा पाकिस्तान, अमरीका, चीन से जितना नहीं है—उससे ज्यादा भारतीय संस्कृति में पनप रहे मनुवाद से है जिसकी वजह से भारतीय समाज की सामाजिक एकता आज भी खतरे से घिरी है। जब देश के अंदर देशवासियों को इन्सानियत का दर्जा मिलेगा, राजनैतिक बराबरी की तरह सामाजिक बराबरी कायम की जायेगी तभी हम वास्तविक रूप से मजबूत होंगे। इस देश में तमाम अपराधों व आक्रमणों पर लंबी चर्चा होती है लेकिन इस देश के मूल निवासी दलित पिछड़े आज भी अछूत, नीच, निकम्मे कहकर धिक्कारे जाते हैं—ऐसा बर्ताव करने वाले तथा कथित उच्चकुलीन लोग यह सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, लेकिन इसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रोका नहीं गया जबकि इसी तरह का अमानवीय वीभत्स कृत्य सती प्रथा भी आर्य संस्कृति का सामाजिक मान्यता प्राप्त कृत्य था लेकिन इसको राजा राममोहन राय के आंदोलन व बाबा साहब डा. अम्बेडकर के संविधान के निर्देशों के सहारे दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ रोका गया जो आज पूर्णतः समाप्त हो गयी है। ठीक इसी तरह से यहां के अछूतपना व धार्मिक घृणा को रोककर मजबूत व सुरक्षित राष्ट्र बनाया जा सकता है। इस देश के राजनेताओं द्वारा राजनीतिक सुधार की बात तो लंबे समय से की जाती रही लेकिन सामाजिक सुधार की बात न करना उनके ऊपर संदेह की उंगुली उठाने का पर्याप्त कारण है।

इस मौके पर इतना और कहना चाहूंगा कि लाख प्रयास के बाद भी इस देश को एक जाति व एक धर्म में नहीं समेटा जा सकता। जब औरंगजेब की तलवार इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने में कामयाब नहीं हो सकी पुष्प मित्र शूरा की क्रूरतम तलवार व सौ स्वर्ण मुद्राओं के लालच देकर एक बौद्धभिक्षु व उनके अनुयायियों का गर्दन कटवाना भी यहां समूचे राष्ट्र को ब्राहमण नहीं बना सके—अतः आज इस बात की कल्पना करना बेमानी है—जरूरत है सब लोग धार्मिक भावनाओं को न मानकर मानवीय भावना को प्रोत्साहित कर समूचे राष्ट्र को मानवता के रिश्ते से मजबूत करें।

सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान की सीमा में पृथ्वी, अग्नि तैनात करने का सुझाव दिया है। मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इतना कहूंगा कि तोप, तलवारों और बारूद के गोलों में वह ताकत नहीं है जो साहित्य में है। इस देश में भारी संख्या में ऐसे साहित्य हैं जो मानवता का कत्ल करने के प्रेरक हैं। उनको पूर्णतः समाप्त कर ऐसे साहित्यों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कराया जाये जिससे उनमें एक राष्ट्रीय चरित्र व राष्ट्रीय भावना का महान आदर हो व राष्ट्र भक्त-देशरक्षक बन सकें।

अंत में कहना चाहूंगा कि हमारा देश कोयले से लेकर हीरे तक पैदा करता है। यहां प्रकृति ने संसाधनों के पर्याप्त साधन व सम्पदाओं के भण्डार निःशुल्क उपहार में दिए हैं लेकिन सामाजिक घृणा के माहौल ने देश को उन्नति के शिखर में जाने से रोका, जबकि "जापान" सामाजिक भाईचारे को मजबूत कर विश्व में अपनी अच्छी पहचान बनाई है जबकि वहां पर कच्चा लोहा हमारे ही देश से जाता है। अतः आज हम सब अपने इतिहास का पुनरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण कर भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए देश के तमाम करोड़ों नंगे, भूखों को भूख व भयमुक्त करने का संकल्प कर अगले पचास वर्षों में सपनों को साकार करने का संकल्प दृढ़ता से लें।

श्री एस.पी. जायसवाल

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी): माननीय सभापति जी, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित लोक सभा के इस विशेष सत्र में वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद। मैं यहां पर एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो राष्ट्र के अस्तित्व से संबंधित है। अपराधियों, माफिया संगठनों, उद्योगपतियों, सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों और राजनैतिक नेताओं के साथ सांठ-गांठ की जानकारी करने के लिए वोहरा कमेटी की नियुक्ति 9 जुलाई 1993 को की गई थी। इसमें वोहरा जी के अलावा चार और उच्चाधिकारी थे। उन्होंने 5 अक्तूबर 1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। पौने चार साल हो गये रिपोर्ट को दिये हुये।

वोहरा कमेटी में जिन अधिकारियों को आपने नियुक्त किया उनके मन में इस बात की शंका थी, संशय था कि सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी। कमेटी के रिपोर्ट में नौकरशाहों की चर्चा की गई है, उद्योगपतियों की चर्चा की गई है, राजनीतिज्ञों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि सबकी एक दूसरे से सांठ-गांठ है। आखिर यह कौन लोग हैं कि जो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय खतरा है। इसका अविलम्ब समाधान निकलना चाहिए। इसी के समाधान के लिए आज मैंने सदन के सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी— इसके लिए राजनैतिक दल भी जिम्मेदार हैं। विशेषकर वह दल जो देश की स्वतंत्रता से लगातार कई दशक तक इस देश का शासन किया है और अब तो उनसे सीखकर कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल उनसे कई गुना आगे बढ़ गये हैं। इस सदन तक यह बात पहुंच गई है। अपराधियों को राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिज्ञों द्वारा सुरक्षा देने की प्रवृत्ति, भावना अगर समाप्त हो जायेगी तो राष्ट्र बच सकेगा।

वोहरा कमेटी के पैरा 3 में कहा गया है—सी.बी.आई. ने सूचित किया है कि पूरे भारत में अपराधी सिंडीकेटों ने—कानून के ऊपर एक अलग सत्ता कायम कर ली है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लठैतों का दबदबा आम बात हो गई है। भाड़े के हत्यारे इन संगठनों के अंग बन गये हैं। अपराधी गिरोहों, पुलिस गिरोहों तथा राजनीतिज्ञों के बीच की सांठ-गांठ अब संपूर्ण देश में खुलकर सामने आ गई है। ऐसा नहीं कि यह बात एक दिन में शुरू हुई हो। यह एक जमाने से चला आ रहा है। जस्टिस वांचू कमेटी की 1971 की रिपोर्ट है। तो आखिर इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की? यह सरकार हो या जो भी सरकारें रही हों उनमें इच्छाशक्ति नहीं थी अपराधीकरण रोकने की, समाज विरोधी लोगों को सबक सिखाने की।

नेहरू जी के समय में संथानम् रिपोर्ट दी गई थी कि ये सारे काम हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस समानान्तर सरकार को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं।

राजनीति में अपराधीकरण के कारण अपराधी गिरोहों, पुलिस अफसरों, उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों के बीच सम्पूर्ण देश के अधिकांश भागों में स्पष्ट रूप से संबंधित स्थापित हो गया है।

कई प्रदेशों में तो इन अपराधी गिरोहों का सहारा लेकर सरकार चलाई जा रही है, सरकार को बचाने का प्रयास हो रहा है। मैं बिहार प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इस सदन के कई माननीय सदस्य उत्तेजित हो जायेंगे। वहां क्या हो रहा है। वहां जो कुछ हो रहा है क्या राजनीति में अपराधीकरण का परिणाम नहीं है? इस सदन को इस सबके बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और आवश्यकता है मेरे वक्तव्य पर विचार करने की।

जहां तक इस सरकार का संबंध है इस मोर्चे के कई घटक राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों के राजनैतिककरण को अपना आधार बना लिए हैं। ऐसे लोग इस सरकार को मटियामेट कर देने की धमकियां देते हैं। प्रधान मंत्री जी, आज आप गलत ताकतों के बल पर सत्ता में हैं। इसी कारण लोकतंत्र को चुनौती के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण हम भाजपा चुनाव सुधारों की बात करते हैं।

हमें चिन्ता है। यदि विधायिकाओं के गठन के बारे में आरोप हो तो लोकतंत्र का क्या होगा? किसी विशेष विधान सभा का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ कहते हैं कि सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है। इस तरह के समाचार हैं कि इतनी संख्या में ''हिस्टरी-शीटर्स'' विधान सभाओं या संसद के सदस्य हैं। ऐसे लोगों के नाम लिए गए हैं जो मंत्री हैं जिनके अपराधी लोगों के साथ संबंध हैं।

देश चाहता है राजनीति से अपराधीकरण की समाप्ति और देश को इस पर कार्यवाही करने का हक है।

मैं आपकी अनुमति से वोहरा समिति की सिफारिशों के पृष्ठ 6 का पैरा 15.2 पढ़ना चाहता हूं:

''मैंने इस रिपोर्ट की केवल तीन प्रतियां तैयार की हैं। एक-दो प्रति माननीय गृह मंत्री तथा आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री को दी जा रही हैं। तीसरी प्रति मैं स्वयं रख रहा हूं। माननीय गृह मंत्री द्वारा इसका अध्ययन कर लिए जाने पर मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर आगे कार्यवाही के बारे में वित्त मंत्री क्योंकि आर्थिक अपराधों का इसमें उल्लेख है—आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री और मेरे साथ बातचीत की जाये। उसके पश्चात् प्रधान मंत्री की अनुमति प्राप्त की जा सकती है कि आगे क्या दृष्टिकोण अपनाया जाये। उस समय अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को भी विश्वास में लिया जा सकता है।''

मान्यवर, बढ़ते हुए राजनीति के अपराधीकरण को देखते हुए और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त वोहरा कमेटी की सिफारिशों के प्रकाश में मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति करें, जो राजनेताओं, उद्योगपतियों, सरकारी अफसरों तथा अपराधियों के संबंधों की गहराई से और व्यापक जाँच कर ऐसे सुझाव दें जिससे सार्वजनिक जीवन में पुनः शुचिता प्रस्थापित हो और लोकतंत्र वर्तमान संकट से मुक्त हो कर जन कल्याण का सही साधन बन सके। राष्ट्रीय आयोग में ऐसे व्यक्ति हों जिन पर जनता का विश्वास हो। आयोग उच्चस्तरीय जाँच के लिए सभी अधिकारों से सम्पन्न हो।

मान्यवर, कुछ सिविल अधिकारियों की एक नोडल एजेन्सी की स्थापना कर देने से यह कार्य पूरा नहीं होगा। नोडल एजेन्सी के प्रयास इसका साक्षी है। श्री इन्द्रजीत गुप्त के दिनांक 23 अगस्त 1995 को सदन में दिये गये भाषण के अंश को आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूँ—''एक केन्द्रीकृत समन्वय एजेन्सी होनी चाहिए। अन्यथा, हम कभी भी कार्यवाही करने में सफल नहीं हो सकेंगे।'' आज वे गृह मंत्री हैं क्या उन्होंने ऐसी कमेटी बनाई। माननीय गृह मंत्री जी कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने आगे कहा है ''मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं जो ''पार्टी काडरों'' पर निर्भर नहीं हैं, जिन काडरों को किसी विशिष्ट विचार पद्धति अथवा राजनीति का प्रशिक्षण दिया गया हो। ऐसे अनेक दल हैं जो ऐसे काडरों के जरिए काम नहीं करते। उन दलों ने ऐसे गुण्डा तत्वों के सहारे चलना शुरू कर दिया है जिनके पैसे से अदायगियाँ की जाती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, जो तस्करी से, नारकोटिक व्यापार से, हवाला सौदों से, विदेशी स्रोतों से और इस तरह के तरीकों से हासिल किया जाता है और इन तत्वों को चुनाव के समय मतदान में गड़बड़ी करने, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने आदि जैसे कामों के लिए बड़े पैमाने पर किराये पर लिया जा रहा है। स्वाभाविक है कि इन प्रयोजनों के लिए इन लोगों की सेवाओं का उपयोग करने वाले एक बार जब निर्वाचित हो जाते हैं तो इन लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। उनको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसको रोका नहीं जा सकता। एक बार यदि किसी गुण्डे ने आपकी मदद की है और निर्वाचित हो गये हैं तब आप हमेशा के लिए उस गुण्डे के अहसान के नीचे हैं और उसकी तरफदारी करते हैं। यह एक दुश्चक्र है।

माननीय गृह मंत्री जी, आज ऐसे अनेक दल हैं जो ऐसे काडरों के जरिये काम नहीं करते। उन दलों ने ऐसे गुण्डा तत्वों के सहारे चलना शुरू कर दिया है'' उनके समर्थन से यह मोर्चा सरकार बनी है, टिकी है और आप गृह मंत्री हैं क्या यह सच नहीं कि यही कारण है जो आप को ऐसे दलों और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने से रोकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आगे कहा है कि ''आपराधिक अन्डर वर्ल्ड तथा राजनैतिक दलों के बीच गठजोड़ करने के इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इस सदन की एक स्थायी समिति का गठन क्यों न किया जाये।''

मान्यवर, श्री पासवान जी ने कहा था ''हमारा पहला भी रेजोल्यूशन था जिसमें हमने निन्दा की है यह सरकार अपराधीकरण को रोकने में असमर्थ नहीं है, हम इसकी निन्दा करते हैं सरकार उसके ऊपर कदम उठाए।''

श्री पासवान जी आज हम आपकी सरकार की निन्दा करते हैं कि आपकी सरकार अपराधीकरण को रोकने में असमर्थ रही।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने अपने भाषण में आगे कहा था ''हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि कानूनों को कठोर बनाने की जरूरत है। वर्तमान कानूनों में बहुत कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है और सरकार को कानून विभाग की सहायता से इस बारे में कोशिश करनी चाहिए।'' मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी ने, इस मोर्चे की सरकार ने, यह कार्य किया, कानून को कठोर बनाया?

मान्यवर, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने अपने भाषण में आगे कहा था ''जैसा मैंने कहा है दलों के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ और माफिया के इस प्रभुत्व के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के लिए इन्हें मदद दी जानी चाहिए। भाजपा अभियान चला रहा है और आप मदद करने के बजाए दबा रहे हैं?''

मान्यवर, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने और आगे कहा था जैसा कि मैंने पहले कहा है, रिपोर्ट में नोडल एजेंसी की जिस सिफारिश का उल्लेख है, सरकार भी शायद उसका समर्थन करती है परन्तु वह शायद बेकार है। शासक दल में बहुत से सदस्यों ने भी यह कहा है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अत: उसके स्थान पर संसद की समिति बनाई जानी चाहिए या किसी तरह का आयोग बनाया जाना चाहिए। हम भी किसी न्यायाधीश, किसी न्यायिक व्यक्ति की अध्यक्षता में अथवा इसी तरह की किसी व्यवस्था के साथ आयोग की स्थापना पर सोच रहे थे। परन्तु किसी अफसर के अधीन काम करने वाली नोडल एजेंसी को जनता का विश्वास नहीं मिल सकता।

माननीय गृह मंत्री जी, क्या आपने इस प्रकार का कोई आयोग गठित किया? आवश्यकता है कि एक राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति की जाए। राष्ट्रीय आयोग में ऐसे व्यक्ति हों जिन पर जनता का विश्वास हो और आयोग उच्चस्तरीय जांच के लिए सभी अधिकारों से सम्पन्न हो।

श्री विश्वेश्वर भगत

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट): महोदय, देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं एवं ऐसे अवसर पर आपने संसद का विशेष सत्र का आयोजन कर हम सब को आत्मचिन्तन का अवसर दिया है। आजादी के बाद इन पचास वर्षों में हमने क्या-क्या पाया एवं हमें किन-किन लक्ष्यों को पाना है।

महोदय, इन कृषकों की मेहनत एवं वैज्ञानिकों के अनुसंधान 50 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन 1947 में 5 करोड़ मै. टन से 1995 में 19 करोड़ मै. टन होने से हम आत्मनिर्भर जरूर हो गये हैं किन्तु आज भी कृषि क्षेत्र का 30% क्षेत्र को ही सिंचाई की व्यवस्था है 70% क्षेत्र आज भी असिंचित है, मानसून पर निर्भर है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों को छोड़ दे तो शेष राज्यों में सिंचाई का प्रतिशत नगण्य है। हमें उन राज्यों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु एम्सन प्लान बनाना होगा।

महोदय, पर्याप्त मानसून के अभाव में किसान की आर्थिक स्थिति दिनों-दिन कमजोर हो रही है। कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं। हमें सुनिश्चित व्यवस्था करना होगा तभी देश की बढ़ती जनसंख्या एवं विद्यमान बेरोजगारी एवं गरीबी को मिटाया जा सकता है।

महोदय, हमने कृषि, उद्योग, शिक्षा, संचार, विज्ञान एवं टैक्नालाजी एवं अन्य क्षेत्रों में बहुत प्रगति की किन्तु हमें इससे भी अधिक करना है। हमारी अर्थव्यवस्था में अवसंरचना की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब तक अवसंरचना क्षेत्र में विद्युत उत्पादन 1947 में 4.1 बिलियन किलोवाट से 1995 में 380 बिलियन किलोवाट हुआ है।

आज हमारी अधिष्ठापित क्षमता 85000 (1996) मेगावाट है। आज हमारी मांग एवं आपूर्ति के बीच 18% से 25% तक का अन्तर है। इस अन्तर को पाटने हेतु वर्ष 1991 में नीति कें अनुसार हमने निजी क्षेत्रों को ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सम्मिलित किया है। अब तक 67281 मेगावाट क्षमता की 924 विद्युत परियोजना जिनमें 246472 करोड़ रुपये का निवेश अन्तर्ग्रस्त है, स्थापित करने हेतु प्रस्ताव आये हैं। किन्तु लालफीताशाही के कारण अनेक परियोजनाओं का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस लालफीताशाही पर अंकुश लगाने हेतु हमें समय सीमा निश्चित करना होगा। तभी समय पर हम लक्ष्यों को पा सकते हैं।

महोदय, सम्पूर्ण विकास के परिप्रेक्ष्य में आधारभूत संरचना के विकास को देखना जरूरी है। इस देश का माल ढुलाई एवं यात्री यातायात में सड़क द्वारा 53% से 87% अधिक का हिस्सा है। आवागमन हेतु सड़कों पर पहली पंचवर्षीय योजना का 63% राशि व्यय की जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि के पश्चात् भी कुल योजना का 3% अब आधी कर दी गयी है। आजादी के 50 वर्षों के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामों को पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है। ग्रामों का हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अपर्याप्त सड़कों के नेटवर्क के अभाव में परिवहन लागत में वृद्धि हुई है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में धक्का लगा है एवं इससे 20 करोड़ से 30 करोड़ प्रतिवर्ष आर्थिक हानि होने का अनुमान है। सड़कों के विस्तार एवं रखरखाव में निजी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाना न्यायोचित है किन्तु क्षेत्र अनियंत्रणीय लाल फीताशाही द्वारा प्रशासनिक विलम्ब एवं प्राधिकारियों द्वारा वचनबद्ध नीतियों के अभाव के स्वरूप निवेश में कमी आई है। इसके लिए समय सीमा निश्चित रखनी होगी, विलम्ब के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा, कड़े उपाय करने होंगे।

महोदय, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हमारे विमानपत्तन एवं बन्दरगाहों का विस्तार करना होगा, संचार व्यवस्था ने पिछले एक दशक में भारी प्रगति की है किन्तु और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने का प्रमुख कारण हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि है। बीसवीं सदी में 2000 ईस्वी तक हम विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या एक करोड़ वाला देश भारत होगा। जनसंख्या नियंत्रण हेतु 1951 से निरन्तर प्रयास जारी रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किन्तु अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। उसका कारण शिक्षा का अभाव, वर्ष 1951 में अशिक्षितों की संख्या 50% से अधिक थी महिलाओं में अशिक्षितों की संख्या 85% थी आजादी के बाद लगातार शिक्षा के प्रचार हेतु प्राथमिक, माध्यम एवं उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा प्रौद्योगिकी संस्थान प्रारम्भ किये गये किन्तु इन शिक्षा संस्थाओं से कई तरह का अभाव बना रहा। अध्यापकों की कमी आज भी बनी है जिससे गुणवत्ता कम हुई है। प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का आजादी के पश्चात् हमारे नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत लिया था। किन्तु अभी भी हमारे देश की एक तिहाई आबादी अशिक्षित है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे गरीबी, बेकारी, शोषण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हो पायेगा। अत: सम्पूर्ण साक्षरता हेतु समाज में जन-जागरण लाना होगा। इसके लिए सरकारी प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। हमें सामाजिक, स्थायी, समाजसेवी, बुद्धिजीवियों एवं समग्र समाज में एक आन्दोलन के रूप में कार्य करना होगा तभी हम सफल हो सकते हैं।

महोदय, इस देश की एक मुख्य समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी में असंगठित मजदूर जो मुख्यत: कृषि पर आधारित एवं शिक्षित बेरोजगारी की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कृषि पर आश्रित मजदूर की स्थिति सिंचित क्षेत्रों में अच्छी है। असिंचित क्षेत्रों में कृषकों की पर्याप्त मानसून के अभाव में स्वयं उसकी आर्थिक स्थिति चिंतनीय होने से उस क्षेत्र के कृषि मजदूरों को नियमित रोजगार एवं अच्छी मजदूरी नहीं मिल पाती है। शिक्षित बेरोजगार में तकनीकी शिक्षा प्राप्त अनेक युवाओं को रोजगार नहीं होने से उनमें हताशा एवं निराशा उत्पन्न हो रही है। अत: समयबद्ध कार्यक्रम एवं प्रभावी योजनायें बनाना होगा ताकि देश में श्रम शक्ति का समुचित उपयोग हो सके जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

महोदय, आज इन सब कमियों के बावजूद हमारा देश विश्व के सब देशों में सफल लोकतांत्रिक देश है। अनेक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लोकतंत्र सफलता से चला आ रहा है। आज देश भर में भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण, साम्प्रदायिकता का जहर, जातिवाद का जहर, भाषाई एवं क्षेत्रीयता यह ऐसे पहलू हैं जो प्रजातन्त्र एवं देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करती है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करें तो कोई कारण नहीं कि लोगों के मन में अविश्वास की धारणा बने। आज देश प्रेम की भावना कम होती जा रही है। दुनियों के अनेक देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। जो हमारे साथ या बाद के आजाद हुए परन्तु उन्होंने हमसे अधिक तरक्की की है। जापान का उदाहरण लें। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान में तबाही हो चुकी थी परन्तु उनमें देश प्रेम की भावना ने ही प्रगति के उन आयामों को प्राप्त किया जो आज शक्तिशाली एक देश है। हमारे देश में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम हेतु शिक्षा के पाठ्यक्रम् में भी स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्र प्रेम के अध्यायों को जोड़ना होगा।

महोदय, आपने इस विशेष सत्र के अवसर पर आज़ादी की दूसरी लड़ाई की बात कही है। निश्चित रूप से आज देश के लिए आवश्यक है कि सभी प्रतिनिधियों को आत्म चिन्तन कर हमारे महापुरुषों के उन आदर्शों को, त्याग को सामने रख कर लोगों को विश्वास दिलाना होना। इसके लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधियों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना अति आवश्यक है। लोकपाल विधेयक शीघ्र पारित करना होगा। तभी पारदर्शिता आयेगी। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा विद्यमान हैं। हमें उन राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत रोक लगानी होगी जो अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर स्वार्थ सिद्धी करते हैं इसके लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

महोदय, पिछले 4-5 दिनों से इस सदन में अनेक सदस्यों, पार्टी के नेताओं के उद्‌गारों के पश्चात् इस सदन से कोई रास्ता निकलना चाहिए ऐसा हम सब संकल्प लें।

आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर) : महोदय, आजादी की स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष में सदन की विशेष बैठक बुलाई गई है, मैंने सभी मान्य सदस्यों के विचार सुने। जब से मैंने मंत्री पद संभाला है तभी से मन में यही इच्छा है कि देश की उन असंख्य बहनों के विकास की योजना बनाई जाए। बच्चों, युवा और महिलाओं के विकास के लिए 1951 से 1997 तक नौ पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं उसका खुलासा करना चाहती हूँ।

शहरों और गांवों के बीच जो दूरी है उसे दूर करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उनके लिए अपने कार्यकाल में कुछ कर जाऊँ।

जो योजनाएँ यहां बनती हैं राज्य सरकारें भी उसकी सहभागी हैं। इसे लागू करने के लिए उनका योगदान बहुत आवश्यक है। पंचायतों के माध्यम से उसे लागू करने का भी प्रयास पूर्ण होना चाहिए। महिलाओं के अस्पताल, बाल-वारिभाएं, अच्छे स्कूल होना आवश्यक है। मेरा तो यही विचार है कि अनिवार्य शिक्षा के रहते बेसिक शिक्षा के साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा को भी मुफ्त करना चाहिए ताकि गरीब और असहाय लोगों को शिक्षित किया जा सके।

अपेक्षित और पीड़ित महिलाओं के लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से भी किया जा सकता है।

मैं अपने सांसद भाईयों से भी आग्रह करना चाहती हूँ अपने क्षेत्र में हो रहे योजनाबद्ध कार्यों में अपना सहयोग दे और कमियों को हम तक पहुँचाए ताकि उन्हें दूर किया जा सके।

इस सदन की कार्रवाई को सारा देश देख रहा है। मैं इसी के माध्यम से भी अपनी ग्रामीण बहनों और भाईयों से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि वे अपनी समस्याओं को विधायकों और सांसदों के सहयोग से हमारे सामने लाएँ ताकि हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर सके।

मैं अपने मंत्रालय के द्वारा किए गए प्रयासों को सदन के सामने रख रही हूँ। वैसे तो अन्य क्षेत्रों में भी योजनाएं एवं कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन इस समय मैं बच्चों, युवा और महिलाओं के विकास हो चुके कार्यों और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं को मैं इस स्वर्णमयी बेला पर रख रही हूं।

महिलाओं का विकास 1951 में शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना से ही सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। पांचवें दशक के दौरान महिलाओं के विकास की अवधारणा मुख्य रूप से कल्याणोन्मुखी थी। तदनुसार 1953 में संस्थापित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वैच्छिक क्षेत्रक के माध्यम से अनेक कल्याण उपाय किये थे। छठवें दशक के दौरान महिलाएं, महिलाओं के विकास के लिए प्रारम्भिक स्तर पर केन्द्र बिंदुओं के रूप में कार्य करने हेतु महिला मण्डलों (स्व: सहायता दल) में संगठित की गई थी। मातृ और बाल स्वास्थ्य और पोषाहार सेवाओं सहित महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। 7वें के दशक के दौरान कल्याण से विकास की ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। इसने मुख्य केन्द्र बिन्दु के रूप में रोजगार और प्रशिक्षण सहित महिलाओं के आर्थिक विकास का समर्थन किया था। आठ के दशक में युगान्तरकारी उपलब्धि हुई थी जबकि महिलाओं की भिन्न लक्षयित वर्ग के रूप में पहचान बनी थी और छठे योजना दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को स्थान दिया गया था। इसमें महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करने और उनमें अपनी संभावनाओं की पहचान हेतु जागरूकता उत्पन्न करने को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य; शिक्षा और रोजगार पर तीन तरफा दबाव सहित बहु-विषयक एप्रोच अपनाई गई थी। विभिन्न क्षेत्रकों के अन्तर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अर्थात् कृषि, हथकरघा, उद्योग आदि में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। आठवें दशक के मध्य में मात्र महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना और उस समय नये स्थापित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत इसे रखने से एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम विभिन्न क्षेत्रकों में महिलाओं के लिए लाभोन्मुखी-कार्यक्रमों की पहचान/विकास था जिन्होंने महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ दिये थे। दशक की अन्य दो महत्वपूर्ण विशेषताएं महिलाओं के लिए राष्ट्रीय भावी योजना (1988-2000) तैयार करना था जो महिलाओं के लिए निर्धारित नीति की अनुपस्थिति में महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए आज भी निदेश मुहैया करानी है। (2) अनौपचारिक क्षेत्रक में स्वरोजगार प्राप्त महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट-श्रम शक्ति का प्रकाशन था जिसने स्वरोजगार प्राप्त महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्रक में महिलाओं के लिए कार्यनीतियां निर्धारित की थीं। इन रिपोर्टों ने राष्ट्रीय क्रेच निधियों के अलावा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण फण्ड (राष्ट्रीय महिला कोप) (आर.एम.के.) स्थापित करने सहित महिलाओं के आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देने के लिए मार्ग निर्धारित किया है।

साढ़े चार विकासात्मक दशकों के दौरान विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित विकासात्मक नीतियों से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जागरूकता उत्पन्न करने, सहकारी कार्यकलाप, राजनैतिक भागीदारी आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है लेकिन महिलाओं से संबंधित सूचक जैसे कि कम साक्षरता दर, विभिन्न स्तरों पर कम अनुक्रमांक अनुपात, लिंग के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत वितरण, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की दर आदि क्षेत्रक में सतत सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

महिला साक्षरता 1951 में 8.9 प्रतिशत से 1991 में 39.2 प्रतिशत तक चार गुना बढ़ गई है जो पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर से लगभग दुगुनी है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का पंजीकरण 1950-51 के 5.38 मिलियन की तुलना में 1995-96 में 47.37 मिलियन तक बढ़ा है जो नौ गुना वृद्धि को दर्शाता है। तदनुसार, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा

के स्तरों पर बालिकाओं के पंजीकरण में क्रमशः 30 गुना तथा 46 गुना वृद्धि हुई है जबकि बालकों के मामले में इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि क्रमशः 10 व 13 गुना के लगभग है। लिंग के आधार पर साक्षरों का प्रतिशत वितरण तथा शिक्षा का पूर्ण किया गया स्तर, किसी शैक्षिक स्तर के बिना तथा 1971, 1981 एवं 1991 में प्राथमिक स्तर पर महिला साक्षरों के उच्च प्रतिशत को दर्शाता है।

शिक्षा जारी रही या नहीं इसे जानने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की दर ज्ञात करना जो कि बालकों एवं बालिकाओं दोनों के ही संबंध में तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल सभी स्तरों पर गिरावट को दर्शाती है। इस एक दशक 1986-96 की अवधि में, जहां कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं की दर, प्राथमिक स्तर पर 34 प्रतिशत तक, माध्यमिक स्तर पर 22 प्रतिशत तथा हाई स्कूल स्तर पर 15 प्रतिशत तक गिरी है वहीं बालकों के मामले में गिरावट की यह दर क्रमशः 33 प्रतिशत, 19 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत रही है।

इसके अतिरिक्त, बालिकाओं हेतु अनौपचारिक शिक्षा तथा पूर्ण साक्षरता प्रचार स्कीमों लगभग 40 मिलियन महिलाओं को लाभान्वित किया है। आगे, महिला संख्या जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं की, न केवल शिक्षित होने में वरन उनके द्वारा अपनी शक्ति को पहचानने तथा उस जानकारी एवं ज्ञान, जो उनकी सूचनायुक्त चयन करने में मदद करेगा, तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर उनकी सहायता की है।

ये सभी उपलब्धियां, निसंदेह, स्त्री शिक्षा में एक बड़े कदम को दर्शाती है फिर भी ''समानता हेतु स्त्री शिक्षा की उपलब्धि, जो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति-1992 के अनुरूप ही है, एक दूरस्थ लक्ष्य बनी हुई है तथा महिलाओं का शैक्षिक स्तर पुरुषों की तुलना में अनापेक्षित रूप से निम्न बना हुआ है। यह अनुमान किया गया है कि 1991 में, 279 मिलियन महिलाओं ने या तो शिक्षा बिल्कुल ही प्राप्त नहीं की थी या तीन वर्ष से भी कम समय के लिए विद्यालय गयी थी। 1991 में स्कूल जाने वाली जनसंख्या के वितरण (6-19 वर्ष) का प्रतिशत इंगित करता है कि मात्र 38.52 प्रतिशत बालिकायें ही स्कूलों में जाती थीं। यद्यपि, 1950-96 की अवधि के दौरान, स्कूलों में बालिकाओं का पंजीकरण बढ़ रहा है, यह बालकों की तुलना में, हर स्तर पर बहुत कम रहा है। स्कूलिंग के प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं के निम्न पंजीकरण के विपरीत बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं की दर बालकों की तुलना में सदैव अधिक ही रही है और इस प्रकार लिंग भेद को बढ़ाती रही है। समस्या में वृद्धि, लिंग भेदक जो बना हुआ है, के अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं ग्रामीण-शहरी भेदकों के कारण भी हुयी है। स्त्री शिक्षा में कुछ प्रगति के बावजूद, लिंग असमानता बनी हुई हैं जिसे भरने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में, महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार को दर्शाती हुयी, महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं। बालिकाओं की जन्म के समय जीवन सम्भाव्यता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुयी है जो 1951 के 23.9 वर्ष की तुलना में 1989-93 में 59.7 वर्ष हो गयी है। 1980-85 के बाद से, महिला जीवन संभाव्यता, पुरुष जीवन संभाव्यता की तुलना में बढ़ी है, 1989-93 में यह 59.7 वर्ष थी जबकि पुरुषों के लिए यह 59 वर्ष थी। महिलाओं के लिए विवाह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हुई जो 1951 की 15.6 वर्ष की तुलना में 1993 में 19.6 हो गयी थी। यह फिर भी, पुरुषों की तुलना में कम बनी हुयी है परन्तु यह ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में उच्च है।

अपरिपक्व जन्मदर में गिरावट आयी है जो 1951-61 की 41.7 की तुलना में 1995 में 28.3 हो गयी तथा उसी अवधि में अपरिपक्व जन्म दर 22.8 से 9.0 गिर गयी। 1993 में महिलाओं की अपरिपक्व जन्म दर, पुरुषों की अपरिपक्व जन्म दर 9.5 के मुकाबले 9.1 थी।

शिशु मृत्यु दर (ई.एम.आर.) वर्ष 1951-61 के 146 से घटकर वर्ष 1995 में लगभग आधा 74 हो गयी है। आई.एम.आर. में कमी के बावजूद, इसका वर्तमान स्तर सन् 2000 तक प्रति 1000 लाइफ बर्थ में 60 से कम आई एम आर करने की हमारी प्रतिबद्धता की तुलना में अभी भी अधिक है। आई एम आर के समान पुरुषों और महिलाओं दोनों के (0-4) बाल मृत्यु दर में 1970 के और 1993 के वर्षों के बीच आधा से भी अधिक कमी हुई है। जैसा कि पुरुषों के मामले में 55.7 से 22.7 कमी की तुलना में महिलाओं के लिए वर्ष 1970 में 51.1 से वर्ष 1993 में 24.8 की कमी हुई। प्रजनन आयु ग्रुप में महिलाओं के लिए विशिष्ट मृत्यु आयु दर पुरुषों से अधिक बना रहा और परिणामस्वरूप एम एम आर प्रति एक लाख में 423 पर बना रहा जो वास्तव में अधिक है। 1990 और 1994 के बीच कुल मातृत्व मृत्यु में से शिशु जन्म संबंधी मृत्यु अर्थात् गर्भाशय रक्त स्राव और प्यूपेरियम से 20-22 प्रतिशत, एनीमिया से 20 प्रतिशत हुयी।

कुल प्रजनन दर वर्ष 1950 के लगभग 6% से वर्ष 1993 में 3.5 हो गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किये गये व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम ने प्रत्येक तीनों एन्टीजेंस अर्थात् डी.पी.टी, ओ.पी.वो. और बी.सी.जी. में 92 प्रतिशत कवरेज हुआ है, मार्च, 1997 तक ख़सरा में 88 प्रतिशत और टी टी में 82 प्रतिशत कवरेज हुआ।

लिंग अनुपात जो महिलाओं के उत्तरजीविता को दर्शाता है, न केवल महिलाओं के लिए अनुपयुक्त है बल्कि विगत नौ दशकों से इसमें निरन्तर कमी चिन्ता का विषय है। वर्ष 1993 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे चुने हुए राज्यों में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्यायोजित राष्ट्र व्यापी अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि लड़के की पसंदगी तथा भ्रूण हत्या और शिशु हत्या जैसी अपनाई गई बुराईयां देश में लिंग अनुपात में कमी की समस्या के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैं।

भारत में वर्ष 1972 से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रीगनेन्सी (एमटीपी) अधिनियम द्वारा सुरक्षा के उपाय के रूप में गर्भपात को वैधानिक कर दिया गया है तब से अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या के सुलभ पहुंच के अंतर्गत एम टी पी सेवाओं की अनुपलब्धता तथा वर्तमान कानूनों की अज्ञानता के कारण अस्वास्थकर स्थितियों के अंतर्गत स्थानीय नीम हकीमों और अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक गर्भपात कराये जा रहे हैं। अतः वर्ष 1990-94 की अवधि में गर्भपात द्वारा मृत्यु का प्रतिशत 10.8 से बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993 के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली से बाहर के अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 56.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 11.8 प्रतिशत प्रसव कराये गये।

भारत में पोषाहार रुझान (1993) संबंधी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1988-90 की अवधि में विभिन्न क्रोनिक एनर्जी डिफिशन्सी (सीईडी) से 49.3 प्रतिशत महिलाएं प्रभावित हुईं जो वर्ष 1975-79 में सीईडी से प्रभावित 51.8 प्रतिशत से मात्र 2.5 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। जहां रीप्रोडेक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन (आर टी टी) और सेक्सुअली ट्रांसमीटेड इन्फेक्शन पहले से ही अधिक है, वहां महिलाओं में एचईवी/एड्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। वर्ष 1996 के अंत तक 3161 एड्स मामलों में से 749 महिलाओं के हैं।

इस प्रकार भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर की जनांकिकी रूपरेखा मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। जहां जन्म दर में कमी लाने में सफलता मिली है, वहां मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, कम उम्र के विवाह में बढ़ोत्तरी, महिला जीवन संभाव्यता में बढ़ोतरी आदि, अधिक अनुपयुक्त लिंग अनुपात, उच्च मातृहत्या दर, कम उम्र ग्रुप में अधिक महिला मृत्यु दर, विभिन्न रुग्णता जिनका महिलाएं सामना कर रही हैं, पुरुषों की तुलना में इनकी अस्वस्थता स्तर को सूचित करते हैं।

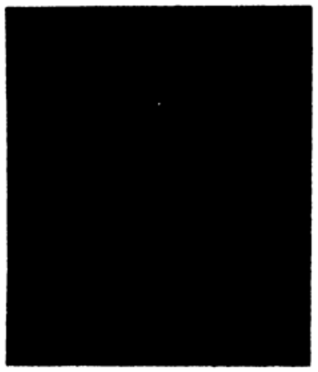

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): मान्यवर, हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर एकत्र होकर उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों/शहीदों के प्रति श्रद्धा व आदर व्यक्त करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए समर्पण किया, प्राणों की आहूति दी। आज हम आजादी के पचास वर्षों में इस महान भारत ने क्या खोया क्या पाया? इस पर भी विचार करेंगे। हम अपने संसाधनों, विकास की संभावनाओं पर भी दृष्टिपात करेंगे। निश्चय ही इस देश में जहां अपरिमित वन क्षेत्र हैं, अपार खनिज राशि हैं। कल-कल छल-छल निनाद करती नदियाँ हैं, परिश्रमी मजदूर हैं, वर्षा, धूप व शीत से लड़ते किसान हैं, बलशाली युवा हैं। वह देश विकास की दृष्टि से पिछड़ा क्यों? क्या हमारे पास आधारभूत संरचना नहीं है, क्या हमने अपने स्रोतों का ठीक से दोहन नहीं किया? क्या हमने पुरुषार्थ को नहीं जगाया? ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो मन मस्तिष्क को झकझोरते हैं। आजादी के पूर्व का राष्ट्रीय भाव क्यों कम हुआ है? देश के प्रति समर्पण की दीवानगी कहां है? आज हमारी रक्षा सेना अत्यन्त सशक्त और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

हम हर क्षेत्र में क्यों पिछड़े हैं? मानव संसाधन की दृष्टि से क्या कमी है? फिर भी निरक्षरता को हटाने में हम सफल नहीं हो पाये हैं? विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी पिछड़े हैं? शिक्षा के लिए हमारे बजटीय प्रावधान को बढ़ाना जरूरी है। एक सुनिश्चित कार्यक्रम हाथ में लेने की आवश्यकता है। मानव विकास की दृष्टि से शिक्षा को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा? महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करना होगा। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

बढ़ती जनसंख्या आज हमारे लिए अत्यन्त चिंता का विषय है। देश में कई प्रकार की अव्यवस्था, बेकारी और बेरोजगारी निर्धनता से निर्धनतम की स्थिति पर हम विचार करें और एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करें। हमारा संकल्प बने, एक स्वस्थ, सुविकसित समाज रचना का समता व ममतायुक्त समाज का, चिकित्सा व आवास ऐसे दूसरे क्षेत्र हैं जिनके बारे में निश्चय ही गंभीर चिंता है। एक राष्ट्रीय नीति निर्धारण की आवश्यकता है। तभी आर्थिक विपन्नता की विषमता को दूर कर सकेंगे। विकास के आधारभूत ढांचों के बारे में भी सदन में काफी कुछ कहा गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है? बिजली के अभाव में हमारी औद्योगिक प्रगति पर, कृषि उन्नति पर, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि हमने राष्ट्रीय नीति तैयार की है किन्तु उसका पालन न होने से सुधार की संभावनाएं अत्यन्त धूमिल हैं। हमारे पास परम्परागत और गैर परम्परागत स्रोत हैं। हमारे पास पर्याप्त जल है, कोयला है, पवन विद्युत की पर्याप्त संभावनाएं है। इनका हम दोहन करें। हमारी धरती को रत्नगर्भा वसुन्धरा कहते हैं। आज हम उन देशों को देखते हैं जो कभी भारत से पीछे थे, आज आगे हैं। जापान, चीन व इण्डोनेशिया इसके उदाहरण हैं। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। एक सुनिश्चित दृष्टिकोण आवश्यक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अधिकाधिक रोजगार दे सकता है। आर्थिक उन्नति का आधार कृषि बनना चहिए या हमारी अर्थ नीति कृषि पर आधारित हो। इस दृष्टि से गंभीर चिंतन जरूरी है। देश के पुरुषार्थ को जगाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयता को पुनः जगाना होगा। देश के स्वाभिमान को पुनः प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। हम महान है। हम समृद्ध हैं। हम सक्षम हैं किन्तु इस दृष्टि से राष्ट्र को समृद्ध करना होगा। आज हमारे कुछ और प्रश्न हैं। राजनीति में सुचिता का, देश में सामाजिक क्षेत्र व राजनीति में अपराधीकरण का।

देश के जनमानस में चिंता व निराशा है। हम संस्कार विहीन होने जा रहे हैं इसलिए कि हमने अपनी संस्कृति को विस्मृत किया है। हम संस्कृति को न भूलें। हमारे चरित्र निर्माण का हमारी अपनी पहचान उसी से है। अन्यथा आज चरित्र के बारे में चर्चा आम हो गई है। हमें चरित्र निर्माण की दिशा में विशेष चिंता लेनी होगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के शंखनाद की आवश्यकता है।

इसी संस्कृति या सांस्कृतिक एकता के दृष्टिकोण के अभाव में क्षेत्रीयतावाद पनपा है। उसके यद्यपि असंतुलित विकास भी कारण है किन्तु भावना मूलक सांस्कृतिक एकता का अभाव है। यही कारण है कि देश की समस्याओं के बारे में पृथक-पृथक दृष्टिकोण हैं, इनमें सहमति जरूरी है।

चरित्र और संस्कृति का अभाव भ्रष्टाचार का मूल कारण है। कारण है स्वार्थ सिद्धि का हर प्रकार से सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों ने

के स्तरों पर बालिकाओं के पंजीकरण में क्रमश: 30 गुना तथा 46 गुना वृद्धि हुई है जबकि बालकों के मामले में इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि क्रमश: 10 व 13 गुना के लगभग है। लिंग के आधार पर साक्षरों का प्रतिशत वितरण तथा शिक्षा का पूर्ण किया गया स्तर, किसी शैक्षिक स्तर के बिना तथा 1971, 1981 एवं 1991 में प्राथमिक स्तर पर महिला साक्षरों के उच्च प्रतिशत को दर्शाता है।

शिक्षा जारी रही या नहीं इसे जानने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की दर ज्ञात करना जो कि बालकों एवं बालिकाओं दोनों के ही संबंध में तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल सभी स्तरों पर गिरावट को दर्शाती है। इस एक दशक 1986-96 की अवधि में, जहां कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं की दर, प्राथमिक स्तर पर 34 प्रतिशत तक, माध्यमिक स्तर पर 22 प्रतिशत तथा हाई स्कूल स्तर पर 15 प्रतिशत तक गिरी है वहीं बालकों के मामले में गिरावट की यह दर क्रमश: 33 प्रतिशत, 19 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत रही है।

इसके अतिरिक्त, बालिकाओं हेतु अनौपचारिक शिक्षा तथा पूर्ण साक्षरता प्रचार स्कीमों लगभग 40 मिलियन महिलाओं को लाभान्वित किया है। आगे, महिला संख्या जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं की, न केवल शिक्षित होने में वरन उनके द्वारा अपनी शक्ति को पहचानने तथा उस जानकारी एवं ज्ञान, जो उनकी सूचनायुक्त चयन करने में मदद करेगा, तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर उनकी सहायता की है।

ये सभी उपलब्धियां, निसंदेह, स्त्री शिक्षा में एक बड़े कदम को दर्शाती है फिर भी "समानता हेतु स्त्री शिक्षा की उपलब्धि, जो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति-1992 के अनुरूप ही है, एक दूरस्थ लक्ष्य बनी हुई है तथा महिलाओं का शैक्षिक स्तर पुरुषों की तुलना में अनापेक्षित रूप से निम्न बना हुआ है। यह अनुमान किया गया है कि 1991 में, 279 मिलियन महिलाओं ने या तो शिक्षा बिल्कुल ही प्राप्त नहीं की थी या तीन वर्ष से भी कम समय के लिए विद्यालय गयी थी। 1991 में स्कूल जाने वाली जनसंख्या के वितरण (6-19 वर्ष) का प्रतिशत इंगित करता है कि मात्र 38.52 प्रतिशत बालिकायें ही स्कूलों में जाती थीं। यद्यपि, 1950-96 की अवधि के दौरान, स्कूलों में बालिकाओं का पंजीकरण बढ़ रहा है, यह बालकों की तुलना में, हर स्तर पर बहुत कम रहा है। स्कूलिंग के प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं के निम्न पंजीकरण के विपरीत बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली बालिकाओं की दर बालकों की तुलना में सदैव अधिक ही रही है और इस प्रकार लिंग भेद को बढ़ाती रही है। समस्या में वृद्धि, लिंग भेदक जो बना हुआ है, के अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं ग्रामीण-शहरी भेदकों के कारण भी हुयी है। स्त्री शिक्षा में कुछ प्रगति के बावजूद, लिंग असमानता बनी हुई हैं जिसे भरने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में, महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार को दर्शाती हुयी, महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं। बालिकाओं की जन्म के समय जीवन सम्भाव्यता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुयी है जो 1951 के 23.9 वर्ष की तुलना में 1989-93 में 59.7 वर्ष हो गयी है। 1980-85 के बाद से, महिला जीवन संभाव्यता, पुरुष जीवन संभाव्यता की तुलना में बढ़ी है, 1989-93 में यह 59.7 वर्ष थी जबकि पुरुषों के लिए यह 59 वर्ष थी। महिलाओं के लिए विवाह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हुई जो 1951 की 15.6 वर्ष की तुलना में 1993 में 19.6 हो गयी थी। यह फिर भी, पुरुषों की तुलना में कम बनी हुयी है परन्तु यह ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में उच्च है।

अपरिपक्व जन्मदर में गिरावट आयी है जो 1951-61 की 41.7 की तुलना में 1995 में 28.3 हो गयी तथा उसी अवधि में अपरिपक्व जन्म दर 22.8 से 9.0 गिर गयी। 1993 में महिलाओं की अपरिपक्व जन्म दर, पुरुषों की अपरिपक्व जन्म दर 9.5 के मुकाबले 9.1 थी।

शिशु मृत्यु दर (ई.एम.आर.) वर्ष 1951-61 के 146 से घटकर वर्ष 1995 में लगभग आधा 74 हो गयी है। आई.एम.आर. में कमी के बावजूद, इसका वर्तमान स्तर सन् 2000 तक प्रति 1000 लाइफ बर्थ में 60 से कम आई एम आर करने की हमारी प्रतिबद्धता की तुलना में अभी भी अधिक है। आई एम आर के समान पुरुषों और महिलाओं दोनों के (0-4) बाल मृत्यु दर में 1970 के और 1993 के वर्षों के बीच आधा से भी अधिक कमी हुई है। जैसा कि पुरुषों के मामले में 55.7 से 22.7 कमी की तुलना में महिलाओं के लिए वर्ष 1970 में 51.1 से वर्ष 1993 में 24.8 की कमी हुई। प्रजनन आयु ग्रुप में महिलाओं के लिए विशिष्ट मृत्यु आयु दर पुरुषों से अधिक बना रहा और परिणामस्वरूप एम एम आर प्रति एक लाख में 423 पर बना रहा जो वास्तव में अधिक है। 1990 और 1994 के बीच कुल मातृत्व मृत्यु में से शिशु जन्म संबंधी मृत्यु अर्थात् गर्भाशय रक्त स्राव और प्यूपेरियम से 20-22 प्रतिशत, एनीमिया से 20 प्रतिशत हुयी।

कुल प्रजनन दर वर्ष 1950 के लगभग 6% से वर्ष 1993 में 3.5 हो गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किये गये व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम ने प्रत्येक तीनों एन्टीजेंस अर्थात् डी.पी.टी, ओ.पी.वी. और बी.सी.जी. में 92 प्रतिशत कवरेज हुआ है, मार्च, 1997 तक खसरा में 88 प्रतिशत और टी टी में 82 प्रतिशत कवरेज हुआ।

लिंग अनुपात जो महिलाओं के उत्तरजीविता को दर्शाता है, न केवल महिलाओं के लिए अनुपयुक्त है बल्कि विगत नौ दशकों से इसमें निरन्तर कमी चिन्ता का विषय है। वर्ष 1993 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे चुने हुए राज्यों में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्यायोजित राष्ट्र व्यापी अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि लड़के की पसंदगी तथा भ्रूण हत्या और शिशु हत्या जैसी अपनाई गई बुराईयां देश में लिंग अनुपात में कमी की समस्या के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैं।

भारत में वर्ष 1972 से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रीगनेन्सी (एमटीपी) अधिनियम द्वारा सुरक्षा के उपाय के रूप में गर्भपात को वैधानिक कर दिया गया है तब से अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या के सुलभ पहुंच के अंतर्गत एम टी पी सेवाओं की अनुपलब्धता तथा वर्तमान कानूनों की अज्ञानता के कारण अस्वास्थकर स्थितियों के अंतर्गत स्थानीय नीम हकीमों और अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक गर्भपात कराये जा रहे हैं। अत: वर्ष 1990-94 की अवधि में गर्भपात द्वारा मृत्यु का प्रतिशत 10.8 से बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993 के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली से बाहर के अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 56.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 11.8 प्रतिशत प्रसव कराये गये।

भारत में पोषाहार रुझान (1993) संबंधी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1988-90 की अवधि में विभिन्न क्रोनिक एनर्जी डिफिशन्सी (सीईडी) से 49.3 प्रतिशत महिलाएं प्रभावित हुईं जो वर्ष 1975-79 में सीईडी से प्रभावित 51.8 प्रतिशत से मात्र 2.5 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। जहां रीप्रोडेक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन (आर टी टी) और सेक्सुअली ट्रांसमीटेड इन्फेक्शन पहले से ही अधिक है, वहां महिलाओं में एचईवी/एड्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। वर्ष 1996 के अंत तक 3161 एड्स मामलों में से 749 महिलाओं के हैं।

इस प्रकार भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर की जनांकिकी रूपरेखा मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। जहां जन्म दर में कमी लाने में सफलता मिली है, वहां मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर, कम उम्र के विवाह में बढ़ोत्तरी, महिला जीवन संभाव्यता में बढ़ोतरी आदि, अधिक अनुपयुक्त लिंग अनुपात, उच्च मातृहत्या दर, कम उम्र ग्रुप में अधिक महिला मृत्यु दर, विभिन्न रुग्णता जिनका महिलाएं सामना कर रही हैं, पुरुषों की तुलना में इनकी अस्वस्थता स्तर को सूचित करते हैं।

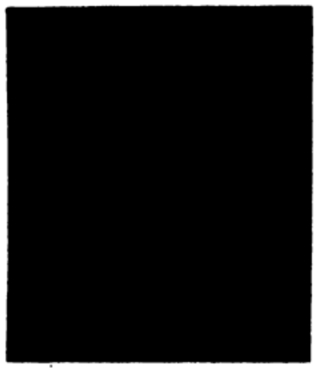

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): मान्यवर, हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर एकत्र होकर उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों/शहीदों के प्रति श्रद्धा व आदर व्यक्त करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए समर्पण किया, प्राणों की आहूति दी। आज हम आजादी के पचास वर्षों में इस महान भारत ने क्या खोया क्या पाया? इस पर भी विचार करेंगे। हम अपने संसाधनों, विकास की संभावनाओं पर भी दृष्टिपात करेंगे। निश्चय ही इस देश में जहां अपरिमित वन क्षेत्र हैं, अपार खनिज राशि हैं। कल-कल छल-छल निनाद करती नदियाँ हैं, परिश्रमी मजदूर हैं, वर्षा, धूप व शीत से लड़ते किसान हैं, बलशाली युवा हैं। वह देश विकास की दृष्टि से पिछड़ा क्यों? क्या हमारे पास आधारभूत संरचना नहीं है, क्या हमने अपने स्रोतों का ठीक से दोहन नहीं किया? क्या हमने पुरुषार्थ को नहीं जगाया? ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो मन मस्तिष्क को झकझोरते हैं। आजादी के पूर्व का राष्ट्रीय भाव क्यों कम हुआ है? देश के प्रति समर्पण की दीवानगी कहां है? आज हमारी रक्षा सेना अत्यन्त सशक्त और किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

हम हर क्षेत्र में क्यों पिछड़े हैं? मानव संसाधन की दृष्टि से क्या कमी है? फिर भी निरक्षरता को हटाने में हम सफल नहीं हो पाये हैं? विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी पिछड़े हैं? शिक्षा के लिए हमारे बजटीय प्रावधान को बढ़ाना जरूरी है। एक सुनिश्चित कार्यक्रम *हाथ में लेने की आवश्यकता है। मानव विकास की दृष्टि से शिक्षा को* सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा? महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करना होगा। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

बढ़ती जनसंख्या आज हमारे लिए अत्यन्त चिंता का विषय है। देश में कई प्रकार की अव्यवस्था, बेकारी और बेरोजगारी निर्धनता से निर्धनतम की स्थिति पर हम विचार करें और एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करें। हमारा संकल्प बने, एक स्वस्थ, सुविकसित समाज रचना का समता व ममतायुक्त समाज का, चिकित्सा व आवास ऐसे दूसरे क्षेत्र हैं जिनके बारे में निश्चय ही गंभीर चिंता है। एक राष्ट्रीय नीति निर्धारण की आवश्यकता है। तभी आर्थिक विपन्नता की विषमता को दूर कर सकेंगे। विकास के आधारभूत ढांचों के बारे में भी सदन में काफी कुछ कहा गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है? बिजली के अभाव में हमारी औद्योगिक प्रगति पर, कृषि उन्नति पर, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि हमने राष्ट्रीय नीति तैयार की है किन्तु उसका पालन न होने से सुधार की संभावनाएं अत्यन्त धूमिल हैं। हमारे पास परम्परागत और गैर परम्परागत स्रोत हैं। हमारे पास पर्याप्त जल है, कोयला है, पवन विद्युत की पर्याप्त संभावनाएं है। इनका हम दोहन करें। हमारी धरती को रत्नगर्भा वसुन्धरा कहते हैं। आज हम उन देशों को देखते हैं जो कभी भारत से पीछे थे, आज आगे हैं। जापान, चीन व इण्डोनेशिया इसके उदाहरण हैं। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। एक सुनिश्चित दृष्टिकोण आवश्यक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अधिकाधिक रोजगार दे सकता है। आर्थिक उन्नति का आधार कृषि बनना चहिए या हमारी अर्थ नीति कृषि पर आधारित हो। इस दृष्टि से गंभीर चिंतन जरूरी है। देश के पुरुषार्थ को जगाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयता को पुन: जगाना होगा। देश के स्वाभिमान को पुन: प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। हम महान है। हम समृद्ध हैं। हम सक्षम हैं किन्तु इस दृष्टि से राष्ट्र को समृद्ध करना होगा। आज हमारे कुछ और प्रश्न हैं। राजनीति में सुचिता का, देश में सामाजिक क्षेत्र व राजनीति में अपराधीकरण का।

देश के जनमानस में चिंता व निराशा है। हम संस्कार विहीन होने जा रहे हैं इसलिए कि हमने अपनी संस्कृति को विस्मृत किया है। हम संस्कृति को न भूलें। हमारे चरित्र निर्माण का हमारी अपनी पहचान उसी से है। अन्यथा आज चरित्र के बारे में चर्चा आम हो गई है। हमें चरित्र निर्माण की दिशा में विशेष चिंता लेनी होगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के शंखनाद की आवश्यकता है।

इसी संस्कृति या सांस्कृतिक एकता के दृष्टिकोण के अभाव में क्षेत्रीयतावाद पनपा है। उसके यद्यपि असंतुलित विकास भी कारण है किन्तु भावना मूलक सांस्कृतिक एकता का अभाव है। यही कारण है कि देश की समस्याओं के बारे में पृथक-पृथक दृष्टिकोण हैं, इनमें सहमति जरूरी है।

चरित्र और संस्कृति का अभाव भ्रष्टाचार का मूल कारण है। कारण है स्वार्थ सिद्धि का हर प्रकार से सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों ने

राजनीति में व अन्य क्षेत्रों में अपराधीकरण को जन्म दिया है। हमें इससे लड़ना होगा, इसे मिटाना होगा।

हमने कई क्षेत्रों में उत्साहजनक कार्य किया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। हमें विश्वास है अपने वैज्ञानिकों पर उन व्यक्तियों पर जो देश को समर्पण भाव से आगे बढ़ाने का चिन्तन करते हैं।

यदि हम कृतसंकल्प हों एक सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत के निर्माण के लिए, तो हम निश्चय ही इसे पूरा भी करेंगे।

श्री सिद्दया कोटा

[अनुवाद]

श्री सिद्दया कोटा (नरसारावपेट): महोदय, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर बुलाए गए विशेष सत्र पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले पचास वर्षों के दौरान हमारी उपलब्धियां और विफलताओं की पुनरीक्षा के लिए बुलाए गए इस विशेष सत्र के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सत्र में हमें आत्मनिरीक्षण करने के विचार और भविष्य के लिए योजना बनाने का मौका मिला है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं इस माननीय सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र जोकि प्रमुख उद्योग है जिसका हमारी राष्ट्रीय आय में पर्याप्त योगदान है और जो देश में सबसे अधिक रोजगार दिलाने वाला साधन है, उपेक्षित रहा है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या इस पर निर्भर करती है। उद्योगों के विकास का कृषि से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि यह उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। किसान समुदाय जोकि अनाज के संबंध में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। उसे अपने उत्पादों की दर निर्धारित करने का हक नहीं है। एक उद्योगपति उत्पादन की लागत, करों और लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों की दर निर्धारित कर सकता है। व्यापारी भी विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य स्वयं निर्धारित करता है। वकील अथवा डाक्टर अपनी सेवाओं के लिए लाभकारी शुल्क प्राप्त करते हैं। यहां तक कि नाई भी दाढ़ी बनाने और बाल काटने के लिए अपने मूल्य निर्धारित करता है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में खरीददार मूल्य निर्धारित करता है। किसान के शोषण का यही एक कारण है और इस विकृति में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। अब इसके किए जाने के लिए यह सही मौका है, जबकि हमने सुधारों और उदारीकरण के लिए कार्यक्रम शुरू किया है।

किसान को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है। कृषि उत्पाद मूल्य निर्धारण आयोग द्वारा दिया जाने वाला समर्थन मूल्य वास्तविक कतई नहीं है। वे समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं यह केवल आयोग ही जानता है। किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे तर्कसंगत क्या है। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। नहाने के साबुन की कीमत पिछले कुछ वर्षों में 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए पहुंच गई है, जबकि कपास जो गत वर्ष से पहले 2500 रुपये प्रति क्विंटल बेची जाती थी, गिरकर पिछले वर्ष 2000 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी और इस वर्ष इसमें और अधिक गिरावट आकर यह 1700 रु. प्रति क्विंटल हो गयी है। मिर्च जो पिछले वर्ष लगभग 5000 रु. प्रति क्विंटल बेची जा रही थी, इस वर्ष 2000 रु. प्रति क्विंटल बेची जा रही है। इसी प्रकार पिछले वर्ष सादे चने और काले चनों का मूल्य क्रमशः 2000 रु. और 1800 रु. प्रति क्विंटल था जो इस वर्ष 1200 रु. और 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहे हैं। इसके विपरीत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और श्रम जैसे कृषि आदानों के मूल्यों में हर वर्ष वृद्धि हो रही है।

पुराने जमाने में कृषक समुदाय का बहुत सम्मान हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि एक किसान के बेटे को जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, दुल्हन नहीं मिल पाती और शादी के लिए इसके बजाय उस व्यक्ति को अच्छा समझा जाता है जो मात्र परिचर के पद पर तैनात है क्योंकि आज लोग यह महसूस करते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज की परिस्थितियों में किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण-पोषण कर पाएगा।

गांधी जी ने एक बार कहा था कि भारत गांवों में बसता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तरवर्ती सरकारों ने इस सच्चाई को नहीं समझा। परिणामस्वरूप कृषि पर आश्रित गांवों की पूर्णतया उपेक्षा कर दी जाती है। गांवों में पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सुविधा, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कृषि उत्पादों को बाजार में ले जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। यही कारण है कि आज कृषि अपनी विशेषता और आकर्षण खोती जा रही है। किसान जो पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि व्यवसाय से जुड़े थे आज इस व्यवसाय से विमुख हो रहे हैं। शहरों की ओर भाग रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप शहरों में भीड़-भाड़ बढ़ रही है जिसके कारण शहरों में भोजन, पानी रहने और पर्यावरण जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हम देखते हैं कि शहरों में लाखों लोग सड़क की पटरियों पर रह रहे हैं जो उक्त समस्याओं के तले दबे पड़े हैं।

हमें इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि हरित क्रान्ति के बावजूद 1990-97 के दौरान हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत रही है। कृषि विकास की दर 1970 के दशक में 2.2 प्रतिशत रही। 1980 के दशक के दौरान यह बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई। लेकिन पुन: इसमें ह्रास शुरु हो गया है जो कि हम सभी के लिए चिंता की बात है। हरित क्रान्ति क्षेत्र से उत्पादन में स्थिरता आने के संकेत मिले हैं। इसलिए अब हमें एक अन्य खाद्यान्न क्रान्ति की आवश्यकता है लेकिन यह क्रान्ति एक अलग तरह की क्रान्ति हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हमें जैविक खादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करके जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु वृहत्त प्रयास करने चाहिए। जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है। अत: कृषि के लिए खोदे गए कुओं को पनधारा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पुन: चालू किया जाना चाहिए। हमारे कृषि संस्थानों और प्रयोगशालाओं की विस्तृत शोध अवसंरचना को सक्रिय उपयोग में लाना चाहिए ताकि चीन के बराबर कृषि उत्पादकता हासिल की जा सके।

कृषि उत्पादों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाने और किसानों के विभिन्न कार्यकलापों को विनियमित करने जैसे किसानों के प्रति भेदभाव बरतने से कृषि क्षेत्र निवेश के लिए अनाकर्षक बन गया है। वित्त मंत्री ने खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबंध हटाने का वायदा किया था। इसे तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य पा सके। कृषि उत्पादों को निर्बाध निर्यात करने की अनुमति होनी चाहिए। कुछ समय से कृषि आय पर कर लगाने की बात भी चल रही है। लेकिन हमें इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि घरेलू उद्योग को शुल्क के माध्यम से संरक्षण देने से कृषि पर भी स्पष्ट रूप से कराधान हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था की आयोजना में कृषि के बल पर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबल औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। अब इसका अंत होना चाहिए।

उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने पर रोक लगानी चाहिए। पानी जमाव वाले क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया जाना चाहिए और बंजर भूमि को खेती के उपयोग में लाया जाना चाहिए। भंडारण क्षति में भी कमी लाई जानी चाहिए। परंपरागत फसलों को जो स्थान विशेष में ही उगाई जाती है, को पुन: बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें कृषि के इस महत्वपूर्ण कारक की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारी खेती अभी तक मानसून पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र के केवल 30 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई होती है, शेष भाग वर्षा की दया पर निर्भर रहता है। अत:, हमें अपनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में सरकारी निवेश, जिसे छठे दशक के उत्तरार्ध में रोक दिया गया था, पुन: चालू किया जाना चाहिए।

कृषि को यदि अपेक्षित सहायता दी जाए तो इसमें बेरोजगार एवं अल्परोजगार व्यक्तियों की अच्छी खासी संख्या को अभी भी खपाने की क्षमता है। इस महान सभा से मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिया जाए।

श्री जसवन्त सिंह

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति जी, मैं पहले ही घोषणा कर दूं कि 12 बजकर 15 मिनट से पहले, जो कुछ मुझे कहना है, मैं प्रयत्न करूंगा कि उससे पहले ही कह दूं। अपने आप में यह एक धृष्टता होगी कि 60-65 घंटे की बहस के बाद, मैं पहले हर ऐलान करके चलूं कि मुझे कोई ऐसी बात कहनी है जो माननीय संसद सदस्यों की 65 घंटे की बहस के बाद रह गई और मुझे कहनी है, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं यह अपने आप में एक धृष्टता होगी। परंतु आज बहस के अंतिम दिन पार्टी अध्यक्ष का आदेश भी हुआ और कुछ व्यवस्था भी बन गई, इसलिए मैं अपने विचार संक्षेप में इस सदन के सामने रखना चाहूंगा।

पिछले 5-6 दिनों के विचार-विमर्श से, निश्चित रूप से, कई दूरियां कम हुई हैं जो वास्तव में एक सराहनीय कदम था और अपने आप में यह एक बड़ा सुखद संयोग है। जैसे अभी कहा गया कि यह बहस ऐसे अवसर पर हुई।

[अनुवाद]

आज जब हमारे यहां साझा सरकार चल रही है, हम 50 वर्ष पहले के उपनिवेशिक शासन से मुक्त होने की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आज एक ऐसा अवसर भी है जब शताब्दी बदलने वाली है और यह अवसर शताब्दी के मात्र सहस्त्र अंकों के बदलाव का नहीं, केवल अंकगणीतीय फेरबदल का ही नहीं है बल्कि इसका अपने आप में काफी महत्व है और इस स्थिति ने राष्ट्र के बारे में गत 6 दिनों से चल रही चर्चा के सुखद अनुभव की अद्वितीयता में इजाफा कर दिया है।

[हिन्दी]

पिछले 50 सालों में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या नहीं पाया।

[अनुवाद]

यदि मुझे कोई खेद है तो वह अधिकांशत: वाद-विवाद के स्वरूप और ढांचे के बारे में है, इसमें वह बात नहीं आ पाई जैसा कि सोचा

गया था और जो हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प में अंतर्निहित थी। वाद-विवाद पर लगी सीमाओं के कारण हम उन दो-तीन पहलुओं पर चर्चा नहीं कर पाए, जिन्हें मैं समझता हूं कि यदि वाद-विवाद में इन्हें सम्मिलित कर दिया जाता, तो संसद के गरिमापूर्ण वाद-विवाद में भारी इजाफा हो जाता।

मध्याह्न 12.00 बजे

पहली बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। मैं यह भली भाँति जानता हूं कि यह निर्णय जानबूझकर लिया गया है और दूसरी समस्याओं जिनसे हम सभी ग्रसित हैं, पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा पर चर्चा करने के बजाय यह विकल्प चुना गया। यदि मैं सभी सैनिकों, नाविकों, वायु सैनिकों, जिन्होंने पिछले पचास वर्षों से लगन और त्याग से हमारे देश का सिर ऊंचा किया है, की समस्याओं के बारे में नहीं बोलता हूँ और उनकी समस्याओं के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त नहीं करता हूँ, तो मैं अपने कर्तव्यों की अवहेलना ही करूंगा और यह उन सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के हित में होगा जिन्हें हम कभी महत्व नहीं देते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय तैयारी से है। मैं इस अवसर पर तीन अन्य विषयों पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। एक सिविल सेवा की वर्तमान स्थिति से संबद्ध है-क्योंकि सिविल सेवाओं का वास्तविक स्वरूप और शासन का वास्तविक स्वरूप केन्द्र स्तर पर या संघ राज्य स्तर पर वही है जो अंग्रेजों ने हमें दिया था फिर चाहे वह जिला प्रशासन हो या भारत के सचिवालय का शासन हो। यह अंग्रेजों द्वारा दी गई प्रणाली है। हमने इसमें परिवर्तन नहीं किया है और चूंकि हमने परिवर्तन नहीं किया है इसलिए केन्द्र स्तर पर या भारतीय संघ के राज्यों के स्तर पर हमारे लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और हमारे लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए सरकार की सक्षमता के बीच में अंतर विद्यमान है।

यदि इस अवसर पर देश की न्यायपालिका पर प्रकाश डाला जाता तो मुझे वास्तव में ही बहुत लाभ होता। मैं जानता हूं कि मेरे अच्छे मित्र और वरिष्ठ सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी या जनाब अंतुले साहब इस पर बोले हैं। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि यदि हम देश की न्यायपालिका की स्थिति जिसका सीधा संबंध देश की कानून व्यवस्था से है, पर समय दिया गया होता, तो हमें अधिक लाभ मिलता।

देश के बुनियादी ढांचे के बारे में भी चर्चा हुई है। देश के बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों तथा इससे संबंधित कमियां भी बताई गईं। मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ क्योंकि बुनियादी ढांचे के अंतर्गत भौतिक संरचना और सामाजिक संरचना भी आते हैं। और यदि इन दोनों बुनियादी ढांचों में कमियां हैं, तो मैं इस सभा के विचारार्थ यह प्रस्तुत करता हूं कि राष्ट्र के बुनियादी ढांचे का दूसरा स्वरूप भी है और मैं इसे देश की नैतिक संरचना मानता हूँ। यह ऐसी नैतिक संरचना है जैसाकि मेरा विश्वास है कि पिछले पचास वर्षों में यह मजबूत होने के बजाय कमजोर हुआ है। और इसी नैतिक संरचना ने हमारे कई माननीय सहयोगियों को भ्रष्टाचार के अपराधीकरण पर बोलने के लिए उत्साहित किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): भ्रष्टाचार का अपराधीकरण या राजनीति का अपराधीकरण?

श्री जसवन्त सिंह: मैं राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये आज की वो गालियाँ हैं जो सभी प्रकार की कमियों को छुपाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। मेरे विचार से पिछले पचास वर्षों में देश का नैतिक बुनियादी ढांचा और हम सभी का नैतिक बुनियादी ढांचा कमजोर हुआ है।

महोदय, दुर्भाग्य से ही चन्द्रशेखर जी यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा था।

[हिन्दी]

मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। उन्होंने कहा कि जसवन्त सिंह जी बार-बार एक वाक्या जो कि 1985-86 में हुआ, उसको लेकर क्यों चले। मैं इसलिए चला था कि ......

[अनुवाद]

इस कारण नहीं कि मैं इस सभा में अपनी भूमिका कार्यों, उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को एक पुलिस निरीक्षक की तरह स्पष्ट करता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे हमारा नैतिक बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। लोकतंत्र के साथ यह महान प्रयोग, शासन में सहभागिता का महान प्रयोग जिसके आधार पर हमारे देश ने पचास वर्ष पहले यह मार्ग चुना था, यदि हमारी नींव ठीक नहीं रखी गई? देश के नैतिक बुनियादी ढांचे की समर्थन प्रणालियों को एक साथ नहीं बनाया गया तो यह प्रयोग अपने में ही कमजोर हो जाएगा।

[हिन्दी]

करप्शन की बात होती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों का आह्वान किया था कि वे सत्याग्रह करें। यह सही भी है, अवसर भी ऐसा है-स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती का अवसर, लाल किले की प्राचीर, वहां से ऐसा संदेश जाये। लेकिन सभापति जी, इससे मुझे कठिनाई हुई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में हम सत्याग्रह करें। भ्रष्टाचार केवल रुपया पैसा आने से नहीं जुड़ा हुआ है। जिस मॉरल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करता हूं, उसमें भ्रष्ट आचरण है। वह भ्रष्ट आचरण भ्रष्ट राजनीतिक आचरण से शुरू होता है और आज अगर हम भ्रष्ट राजनीतिक आचरण पर विचार नहीं करेंगे, तो उसके जो बाकी के परिणाम हैं, यह रुपया पैसा आने की, जिस भ्रष्टाचार की हम गिनती करते हैं, वह अपने आप में एक मोरल इन्फ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्ट राजनीतिक आचरण का परिणाम मात्र है।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम सत्याग्रह करें। भारत का प्रधानमंत्री आग्रह करें, आह्वान करे कि सत्याग्रह करें, तो हम किसके खिलाफ सत्याग्रह करें। सरकार के खिलाफ करें, प्रधानमंत्री के खिलाफ करें, किस राजनीतिक आचरण के बारे में करें, अभी तक मैं इस पहेली को सुलझा नहीं पाया हूं। दूसरा क्रिमिनलाईजेशन है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आज सदन उठने से पहले पूरा सदन एक आम राय से निश्चित रूप से इस ओर अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई न कोई आम सहमति का दस्तावेज स्वीकार करेगा। यह इतनी बड़ी डिबेट की अपने आप में सही और उचित इति होगी।

सभापति जी, मैं बहुत तलाशता और सोचता हूँ कि यहां से हम कहां जायें। 50 साल अपने आप में अंकगणित का आंकड़ा नहीं है। अंकगणित का आंकड़ा मात्र होता है कि 50 साल पूरे हुए और 51वां साल शुरू हो गया, वह तो हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी होगा। हमारे करने से तो 51वां साल शुरू नहीं होगा। यहां से हम कहां जाये? मुझे दो बातें विशेष रूप से जो हमारी आज की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का उल्लेख करना है। यदि हमें स्मृति में से उस उन्नत राष्ट्रवाद को पुन: पहचानना है, तो यह हमारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य भी है, हमारा फर्ज भी है, और हमारा कर्तव्य भी है। उन्नत राष्ट्रवाद को आजकल पश्चिम में और अंग्रेजी में शोवेनिज्म अनुवाद कहकर उसको नकारा जाता है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। भारत जैसे राष्ट्र में उन्नत राष्ट्रवाद एक ऐसी कड़ी है जो हमारे पूरे देश को जोड़ती है और उस उन्नत राष्ट्रवाद का नया खाका खींचे, उसकी पहचान हम फिर से पायें। उस उन्नत राष्ट्रवाद के बिना नहीं चलेगा। मैं अगर कोई दूसरी कमी पाता हूं।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में वीरोचित भावना की कमी है। आजकल की हमारी जो प्रीओकूपेशन्स हो गई हैं, उस प्रीओकूपेशन्स में छोटी बातें टुच्ची बातें, कई बार तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र के सामने सिवाए छोटेपन और टुच्चेपन या एक-दूसरे की बात को काटने या एक-दूसरे को छोटा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है।

[अनुवाद]

महोदय, इस राष्ट्र को और यहां हम सभी को हमारे राष्ट्रीय जीवन में वीरोचित भावना के महत्वपूर्ण तत्व को पहचानना होगा।

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, जो 3-4 मिनट रह गए हैं, उसमें मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। एक विचार हमारे सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य और हमारी राजनीति में एक बहुत ही विद्वान नेता माननीय नरसिंह राव जी ने रखा और शायद उन्होंने जो विचार रखा, वह प्रो. सैम्यूल हनडिंगडन के विचार ''क्लैश ऑफ सिविलाईजेशन'' पर आधारित था। मैं निवेदन करूँगा कि प्रो. सैम्यूल हनटिंगडन के ''क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन'' की चर्चा कई दिनों से चल रही है। प्रो. सैम्यूल हनटिंगडन के जो सहयोगी हैं, जब उनके एक लेख से यह पुस्तक बनी, तब से उनके सहयोगी से मेरा इसी विषय पर विचार होता रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में हम पहचानें। इतिहास में भारत को ''क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन'' का सामना कब नहीं करना पड़ा।

[अनुवाद]

वास्कोडिगामा के आगमन और 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो की संपूर्ण साम्राज्यवादी अवधि सभ्यताओं के टकराहट का परिणाम है। साम्राज्यवादी अवधि में समस्त महाद्वीपों और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के लोगों का विनाश देखा है। इन देशों या सभ्यताओं में बिना हानि, बिना मूल्य चुकाए, बिना परिणाम के कोई ठहर सका तो वह था भारत। यह भारतीय सभ्यता थी। हम केवल भारतीय होने के कारण अपनी सभ्यता पर आक्रमण का उत्तर देने में सक्षम थे।

[हिन्दी]

माननीय चतुरानन जी यहां नहीं हैं। वे तो चतुरानन हैं, मैं तो उनसे शास्त्रार्थ की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हें किसी शब्द से आपत्ति थी। आपको शब्द से आपत्ति है, आप इंडिया का पर्यायवाची ढूंढ लीजिए। उस सभ्यता, उस संस्कृति को यदि हम छोड़ देंगे तो पिछले इतने हमलों के बाद भी, इस 'क्लैश ऑफ सिविलाईजेशन' के बाद भी आज हम हैं तो केवल इसलिए, और यह 'क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन' आज भी है और आगे भी रहेगा और इस 'क्लैश ऑफ सिविलाईजेशन' में जिस दिन हमने अपने आकार, अपनी प्रकृति, अपने विचार, अपना व्यवहार छोड़ दिया, उस दिन हम डूब जाएंगे। आज यह चुनौती है और इसलिए आज की चुनौती के सामने भारत को केवल आंतरिक चुनौती से नहीं जूझना है, भारत को निश्चित रूप से अपना यह स्थान पाने के लिए, आज विश्व में यह संभव नहीं है कि भारत जैसा देश विश्व में अपनी आवाज न रखे। परंतु यदि हमें आवाज वापिस पानी है, तो मैं आशा करता हूं कि इस बहस से उस मार्ग में हम फिर चलेंगे।

मैंने कहा था कि मैं सवा बारह बजे तक अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं तीन चीजों में अपने विचार आपके समक्ष और पूरे सदन के सामने रखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

हमारे अंदर सदाचार की भावना रहनी चाहिए। सदाचार केवल आचार-विचार, साधारण रूप से जिसे राजनीति कहते हैं, में ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक आचार-विचार और कुछ भी नहीं सामाजिक मानदंडों का पैमाना है।

यदि समाज सदाचार की भावना से प्रभावित होता तो मेरा विश्वास है कि वे लोग जो यहां देश का नेतृत्व करने के लिए इकट्ठा हुए हैं,

उनका यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक राजनीतिक आचार, व्यवहार में देश के लिए सदाचार की भावना विकसित करे।

दूसरा शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है वह शब्द है शक्ति। दूसरा शब्द आप में संवैधानिक शासन की भावना जगाएगा। मैं केवल संविधान के कानूनी अनुपालन के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि हम अपने में संविधान के प्रति समर्पण की भावना जगाए और मैं स्वयं को भी सुधार रहा हूं।

[हिन्दी]

कांस्टीट्यूशनलिज्म मात्र संवैधानिकता नहीं है और जब हम यह अंतर समझ लेंगे कि कांस्टीट्यूशनलिज्म क्या है और कांस्टीट्यूशन से परे है, क्योंकि उसी कांस्टीट्यूशनलिज्म के कारण आज यह संविधान हमारे पास है, जिस दिन हम कांस्टीट्यूशनलिज्म से अपने आपको अलग कर देंगे तो फिर यह संविधान मात्र एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। मेरे पास समय नहीं है।

[अनुवाद]

किसी भी प्रकार, हम सभी को सामूहिक रूप से सदाचार से, संवैधानिक शासन से नैतिक विश्व की रूप-रेखा खींचनी चाहिए। जिसमें हम राष्ट्रीय गतिविधियां चलाना चाहते हैं। इकोनामिक लिब्रलाइजेशन की बात है। नैतिक विश्व से इतर आर्थिक उदारीकरण उदारीकरण नहीं है। यह खाली है। यह खोखला है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री थे और जो प्रतिवेदन तैयार किया गया था उसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है और समिति के सभापति डा. हक्सर, जिन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया, एक महान भारतीय हैं। प्रतिवेदन के शुरू में ही बताया गया है कि संस्कृति में क्या तत्व निहित हैं। इसलिए संस्कृति के बिना शिक्षा संभव नहीं है।

[हिन्दी]

वैसे भी साक्षरता और शिक्षा में अंतर है। मात्र शिक्षा और साक्षरता के अंतर को और फिर हमारी शिक्षा में हमारी संस्कृति का कोई पुट नहीं हो तो फिर जो आज खोखलापन हम कहीं पाते हैं, यह कहीं-कहीं आयेगा।

मैंने तीन-चार मिनट ज्यादा ले लिए, क्षमा चाहूंगा। एक बार पहले उल्लेख कर चुका हूं कि हमें करना क्या है, ज्यादा कोई नई बात नहीं करनी है। मैं कई बार सोचता हूं, इस संसद के सभाकक्षों में, गलियारों में जो उक्तियां लिखी गई थीं, चाहे संस्कृति में हों, खड़ी बोली में हो, चाहे बृज में हो, जिस किसी ने इन उक्तियों का चयन किया, बहुत सोच विचार करके किया। उदाहरण के तौर पर ''हाँ'' पक्ष के ऊपर वहां लिखा हुआ है, हमें केवल उसको पढ़कर अपने हृदयस्थ करने की आवश्यकता है। जहां से ''हाँ'' पक्ष इस सदन में आता है, वहां लिखा है:

''जहाँ सुमति तहां सम्पत्ति नाना
जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।''

इसके आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा इरादा बोलने का नहीं था। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के लंका कांड में आता है:

''पर उपदेस कुशल बहुतेरे,
जे आचरहिं ते नर न घनेरे।''

पर उपदेश न करें, आचरण कर ले तो बहुत होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि कोई अन्य सदस्य भी अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्रीमती कांति सिंह

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): मान्यवर, देश की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के शुभावसर पर, सर्वोच्च सदन का यह विशेष सत्र गोल्डन जुबली मनाने हेतु जो एकत्रित हुआ है यह अपने आप में ऐतिहासिक रूप धारण कर चुका है। इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने ही नहीं, बल्कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अपना बहुमूल्य स्पीच देकर, इस गोल्डन जुबली मनाये जाने वाले सत्र को काफी रोचक एवं आकर्षक बनाकर देश की जनता को एक नया संदेश दिया है। इतिहास साक्षी है शासन तो आते जाते रहने वाली एक मृगतृष्णा के अलावा कुछ भी नहीं है लेकिन इस सत्र में जो कुछ कहा गया या कहा जा रहा है उसका मूल्यांकन कर किस हद तक हम कार्यान्वित करा पाने में सक्षम हो पायेंगे, उन सारी चीजों का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो चाहे सामाजिक समानता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव हो अथवा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित भ्रष्टाचार उन्मूलन का मुद्दा आदि हो, इन सारी चीजों से उपजी लाभ-हानि का प्रभाव हमारी अगली पीढ़ी पर निःसंदेह पड़ेगा।

कुल पचास वर्षों में अभी तक हमने मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा एवं मकान की भी समस्या नहीं सुलझा पाए हैं। गरीबी, बेरोजगारी सारे देश में संक्रामक रोग के रूप में फैली हुई है। प्राय: सभी राजनीतिक दल जाति धर्म एवं अन्य असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर नि:संकोच वोट की राजनीति करते हैं। 35 प्रतिशत गरीबी की रेखा तथा 45 प्रतिशत अशिक्षित लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए हम कोई भी कालबद्ध कार्यक्रम नहीं कर पाये हैं। हम मात्र यह कह कर लोगों को सांत्वना देते रहे हैं कि "मेरा देश महान"।

लोग गरीब एवं अशिक्षित रहकर भी हमारी सभाओं में लाखों की संख्या में जुट कर हमारे जिंदाबाद का नारा इस आशा एवं विश्वास के साथ लगाते हैं कि आने वाले कल में उनके भवि... को सुधारने का मेरे पास अब भी जबरदस्त नुस्खा है। प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत हम चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लुभावने मेनिफेस्टों के अलावा अनेक असम्भव वायदे करने के पश्चात् हम चुनाव जीतते हैं। और देश के सर्वोच्च सदन में प्रविष्ट कर जाते हैं। इस सदन में देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक संतुलित बजट पास होता है जिसे संबंधित सरकार कार्यान्वित कराती है। एक सांसद पर लगभग 10 से 20 लाख लोगों की आशायें बंधी रहती हैं लेकिन क्या कुछ कर पाता है। यह बात सबको विदित है। वर्तमान व्यवस्था जिसके तहत हम विकास करना चाहते हैं उसमें कहीं न कहीं खामियां हैं। वर्तमान व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के अलावा मीडिया ये चार स्तम्भ हैं लेकिन सभी के खामियों की जिम्मेवारी प्रजातांत्रिक शासन होने के नाते विधायिका पर लाद दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में इस सदन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बिना भेदभाव के दलगत स्थिति से ऊपर उठकर ईमानदारीपूर्वक देशहित के कार्य में एकजुटता का परिचय देना होगा। हरेक दल का अपना संगठन है लेकिन कोई भी दल ईमानदारीपूर्वक देश के विकास एवं प्रगति को प्राथमिकता न देकर विभिन्न हथकंडे अपना कर चुनावों में अपनी जीत सुरक्षित करने में संलग्न रहता है।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद सामंतवादी प्रवृत्तियाँ देश पर इस कदर हावी रहीं जिसके दुष्परिणामस्वरूप अमीर अमीर होते गये तथा गरीब गरीब होते गये। लगातार बढ़ती हुई महंगाई न छोटे मोटे किसानों खेतिहर एवं कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन स्तर गिरा दिया है। आम जरूरत की चीजों की कीमत में बढ़ोत्तरी यहाँ तक कि न्याय इतने महंगे होते गये कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गये हैं। किसी भी गरीब तबके के आदमी को केस मुकदमें में फंसाकर गुलामी की जिंदगी बसर करने के लिए बाध्य कर देना आम बात बन कर रह गई है। आम आदमी को वर्तमान महंगे न्यायिक व्यवस्था से आस्था लगभग टूट चुकी है। लेकिन आम लोगों से मिलने से मुझे यह महसूस हुआ है कि हरेक रोग का इलाज एक ही जगह विश्वास के साथ आशाभरी नजरों से लोग देखता है वह है उनके द्वारा चुना गया लोक सभा/विधान सभा के प्रतिनिधियों में। इस प्रकार हमारी जिम्मेवारी काफी बढ़ जाती है। मैं सदन के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा रखती हूं कि पुरानी गलतियों को नजर अंदाज करते हुए, दलगत भावना से ऊपर उठ कर एक ऐसे भारत के निर्माण में एकजुटता का परिचय देना होगा जहाँ, जाति, धर्म, गरीब-अमीर का भेदभाव नहीं रहे। हम बड़े ही सुंदर एवं सजीले शब्दों में कहते हैं कि मेरा देश महान, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से कड़े संघर्ष एवं जानें देकर, लगभग एक शतक के पश्चात् हमें स्वतंत्रता का बहुमूल्य उपहार दिया और उसके पश्चात् हमने पचास वर्षों के बाद भी आर्थिक, जातीय एवं साम्प्रदायिक गुलामी से अभी तक मुक्त नहीं करा सके हैं। कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज भी भू-सम्पदा से काफी सम्पन्न है। जरूरत है हमें आत्मनिर्भरता की। हम हीन भावना से इतना ग्रसित हैं कि सही किंतु छोटे-मोटे कार्यों को करने में अपना अपमान समझते हैं। काम न करके गलत ढंग से पैसे इकट्ठा कर, सम्पन्न जिंदगी बसर करने की इच्छा देश की प्रतिष्ठा का अपमान के सिवा कुछ भी नहीं है।

गत पचास वर्षों में हमने क्या कुछ किया नहीं किया, इससे बेहतर और कुछ क्या कर सकते थे। इन सारी बातों पर अब तक लगभग एक सौ से भी अधिक माननीय सांसदों ने अपना बहुमूल्य सुझाव देकर भविष्य के कार्यक्रमों की एक मजबूत नींव डाल दी है। मैं भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश के अहम मुद्दों को इस आशा और विश्वास के साथ रखना चाहती हूँ ताकि हमारा भारत अन्य देशों की तुलना में ज्यादा सुखी एवं खुशहाल हो सके।

हमने बहुत सी योजनायें बनाई ताकि हम मूल समस्याएं रोटी, कपड़ा, मकान, पेयजल, चिकित्सा एवं बुनियादी शिक्षा आदि की समस्याओं का समाधान कर इनसे मुक्ति पायें, किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी ये समस्यायें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं हमारे पास इनका मुकाबला करने एवं इन पर विदेशों से बिना सहायता लिए विजय प्राप्त करने के सारे संसाधन मौजूद हैं लेकिन हम अपने विरासत में मिली सारे संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ही देश के वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी वर्ग तथा कुशल एवं अकुशल मजदूर विदेशों में जाकर जिस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। मुझे नि:संकोच कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि यही वर्ग अपने ही देश में करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। क्या इससे निबटने का संसाधन मेरे पास नहीं है। अगर ईमानदारीपूर्वक मैं कहूँ तो जितना संसाधन हमारे पास है उसी से हम सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर बाधा है तो सिर्फ हमारे समाज में कण-कण में फैली ब्रिटिश सल्तनत से सामंतवादी प्रवृत्तियाँ जिसने राष्ट्र के प्रति हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ ही दायित्वों को भुला दिया है। यह रोग हममें कार्य करने की प्रवृत्ति का मूल रूप से बाधक है। हम काम के मूलभूत सिद्धांत को या तो गलत ढंग से परिभाषित कर रहे हैं या आम लोगों तक इसके अहमियत को समझा पाने में असमर्थ हो गये हैं। पुरानी कहावत चरितार्थ है–

उत्तम खेती मध्यम बान,

नीच चाकरी भीख निदान।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने काम एवं सेवा के मूलभूत सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर हमें व्यावहारिक रूप से बोध कराया था जैसे भंगियों द्वारा मैला ढोने के पेशे को स्वयं प्रदर्शित करके यह सिद्ध कर दिया कि समाज जिस कार्य को सबसे हेय दृष्टि से देखता है वह सारे समाज के लिए सबसे लाभदायक है। गांधी जी ने अपने संस्मरण में लिखा है उसका उल्लेख करना चाहूँगी कि वायसराय की बैठक में उन्हें थोड़ा विलम्ब से पहुँचने में इसलिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि रास्ते में एक सार्वजनिक नल से व्यर्थ में गिरते हुए पानी को बंद करने के महत्व को चालक ने बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चार भागों में बंटी व्यवस्थायें एक दूसरे के अधिकार पर कीचड़ उछाल कर अपनी अहमियत के आगे देशहित की बातों को नजरअंदाज कर रही हैं जिसके चलते देश का विकास वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। हमारे देश के खासतौर पर नौजवानों में आपराधिक प्रवृत्तियों का मूल कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी है। अभी तक फूट डालो राज करो का सिद्धांत ज्यादा से ज्यादा पल्लवित एवं पुष्पित होता रहा है। नई पीढ़ी ने अब इसे अस्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया है। इसके पहले की लोग निरंकुश हो जाये हमें सोच समझ कर कार्य के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, बेरोजगारी की समस्या को मूल रूप से समाप्त करते हुए हर इंसान को काम देने की कालबद्ध योजना कार्यान्वित करना होगा। देश के हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा आदि मुहैया कराना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम तो है लेकिन इसे कार्यान्वित कराये जाने में चारों शाखायें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं मीडिया बिना भेदभाव के एक देशभक्त के रूप में एक साथ जुट जायें तो यह समस्या चुटकियों में अलमनाला का जामा पहन लेगी।

कामकाजी महिलाओं के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उन पर हो रहे यौन शोषण के निदान के लिए जो ऐतिहासिक फैसला दिया है यह सर्वत्र स्वागत योग्य है लेकिन सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए तो यह आसान है। उन पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के लिए वे किसी भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर देंगी किंतु खेत, खलिहानों, ईंट-भट्टों, बालू, छरी एवं अन्य खदानों में काम करने वाली गरीब एवं असहाय महिलाओं की यौन शोषण से संबंधित शिकायतें, ''नकारखाने की आवाज में तूती की बोली'' साबित होगी। सिर्फ कार्यालयों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की समस्या से सारे देश की महिलाओं की समस्या नहीं सुलझ सकती है। इसलिए हमें ऐसा कानून बनाना होगा जिससे सारे देश के हर वर्ग की महिलायें लाभान्वित हों। साथ ही यह भी देखना होगा कि ऐसे कानून का दुरुपयोग न होने पाये और इसी प्रकार महिलाओं की सत्ता में भागीदारी आज एक अहम मुद्दा बन गया है लेकिन उनका आरक्षण केवल विधायिका में ही नहीं बल्कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में भी होना आवश्यक है। मैं विशेष रूप से आरक्षण का लाभ गाँव, कस्बों में रहने वाली गरीब एवं अशिक्षित महिलाओं को दिये जाने की पक्षधर हूँ। सांप्रदायिक ताकतें इस देश के असंवैधानिक अधिकार को हमेशा ठेंगा दिखाई हैं इसके फलस्वरूप सांप्रदायिक दंगों ने देश के लाखों लोगों की जानें ली हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। लेकिन यह फख्र की बात है कि देश की कुछ सशक्त हस्तियों ने दंगाईयों के हौसले पस्त कर दी हैं इसके फलस्वरूप देश में एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि अब कोई भी दंगा कराने का दुःसाहस नहीं कर पायेगा क्योंकि आम जनता जिनको गुमराह कर यह जघन्य अपराध करा कर निर्दोष लोगों की जानें ले ली जाती थीं अब अच्छी तरह उनके साजिश भरे नारों को समझ चुकी हैं इसलिए वे लोग सदा धन्यवाद के पात्र ही नहीं बल्कि पूज्यनीय हैं जिसके साहसिक कदम ने अच्छे-अच्छे लोगों के चेहरों से नकाब उतार कर रख दिया है। अब तो ऐसा स्वच्छ वातावरण बनता जा रहा है उसके तहत माननीय श्री चंद्रशेखर जी की बातें अच्छी लगती हैं कि साम्प्रदायिकता की हम बात ही न करें क्योंकि साम्प्रदायिक सद्भाव हम लोगों ने इतना चलाया है कि उसके परिणामस्वरूप जिस प्रकार प्रयागराज में गंगा-यमुना-सरस्वती एक साथ मिल कर एक धारा बन गई है वही हमारे देश में हमारे संविधान के मुताबिक पूर्णतः धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत परिलक्षित होने लगा है।

न्यायपालिका पर अब सबकी उंगलियां उठने लगी हैं। खासतौर पर न्यायिक प्रक्रिया इतनी महंगी हो गई है कि गरीब तबके के लोगों को न्याय प्राप्त करना उनके वश की चीज नहीं रह गई है। न्यायाधीशों के चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल संदेहात्मक दृष्टि से देखी जाने लगी है क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण पद पर मनोनयन की प्रक्रिया अपने आप में प्रजातांत्रिक प्रणाली में राजतंत्र की मिसाल सी लगती है। इसलिए इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सार्वजनिक नियुक्ति हेतु एक नियमावली तैयार की जाए। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में, पुरानी गलतियों से सबक लेकर देश का सर्वांगीण विकास करें तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान, पेयजल एवं बुनियादी शिक्षा आदि की समस्याओं का समाधान कालबद्ध तरीके से करना होगा।

जातीय, वर्ग संघर्ष एवं साम्प्रदायिक झगड़ों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वदलीय सद्भाव समितियां प्रखंड स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जायें।

कृषि, खनिज, भू-सम्पदा का भरपूर इस्तेमाल कर बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। महिलाओं को सभी तरह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई जाये।

न्यायपालिका के वर्तमान ढाँचे में आमूल परिवर्तन लाकर उसमें सामाजिक समानता का परिवेश कराते हुए आम आदमी की पहुँच के योग्य बनाया जाय तथा कालबद्ध होना सुनिश्चित हो।

हमें विश्वास है कि यह सदन वह सब कुछ करेगा जिससे आखिरी व्यक्ति को भी सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त होगा और तभी हम समझेंगे कि हमें 50 वर्षों के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई है।

डा. सी. सिल्वेरा

[अनुवाद]

डा. सी. सिल्वेरा (मिजोरम): सभापति महोदय, मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के बहुत से माननीय सदस्यों के विद्वतापूर्ण भाषण सुने हैं। इन सबका सारांश मुझे यही समझ में आया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश ने उतनी प्रगति नहीं की जितनी उसे करनी चाहिए थी। अधिकांश भाषणों से कुछ हद तक निराशा और असन्तोष की भावना झलक रही थी। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी द्वारा कही गई एक उक्ति याद आती है। उन्होंने कहा था और मैं उसे उद्धृत करता हूं कि, "ऐसे सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे आपने देखा हो और फिर सोचो कि जो कदम तुम उठाना चाहते हो क्या उससे उस व्यक्ति का कुछ फायदा होगा। दूसरे शब्दों में क्या यह कदम भूखे और दीन-हीन लाखों लोगों को स्वराज की ओर ले जाएगा।" मुझे लगता है कि गरीबों को स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी स्वराज नहीं मिला। यह एक विडम्बना ही नहीं अपितु विगत पचास वर्षों में विशेषकर गरीबी उन्मूलन, साक्षरता और सामाजिक न्याय के मूलभूत क्षेत्रों में हमारे द्वारा किए गये कार्यों के प्रति एक दुखद टिप्पणी भी है। यह सच है कि इतने बड़े देश में, जिसकी जनसंख्या इतनी अधिक हो और जहां इतनी अधिक सामाजिक-राजनीतिक विविधताएं, जटिलताएं हों, इन उद्देश्यों को प्राप्त करना एक बहुत कठिन कार्य है। यह कार्य शायद अभी भी इसलिए कठिन लगता है क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं रहीं और हमारी वचनबद्धताएं शत-प्रतिशत नहीं थी। इनमें से अधिकतर रोग जिनसे राष्ट्र अभी भी प्रभावित है, गरीबी, साक्षरता और आम आदमी का योगदान न होने के कारण है। गरीबी और बेरोजगारी देश में फैलती जा रही है जिसके फलस्वरूप सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक कुव्यवस्था पैदा होती है। अव्यवस्था, असन्तोष तथा अशान्ति इसी स्थिति के सीधे परिणाम हैं। राष्ट्र ने सन 2002 तक लगभग सभी को रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था। क्या हम इस उद्देश्य को लगभग पूरे के आसपास तक प्राप्त कर पायेंगे? क्या हमने कृषि विकास में और ग्रामीण मूलभूत ढांचे में सुधार करने तथा गैर-कृषि क्षेत्र, विशेषत: लघु उद्योग क्षेत्र में जन-निवेश बढ़ाना सुनिश्चित किया है? रोजगार वृद्धि दर को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ गंभीर प्रयासों की भी आवश्यकता है। इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था में अधिक वृद्धि दर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा होना संभव नहीं लगता। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह स्वीकार किया है कि विकास पैट्रन से गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है और नौवीं योजना को इस तरह से बनाना होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ गरीबों तक पहुंचे। हम 1987-88 के दौरान गरीबी की समस्या को हल करने में भी कोई खास सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, गरीबों के अनुपात और उनकी संख्या की समस्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल के अनुसार 1987-88 में गरीबों की संख्या 3127.48 लाख थी और वर्ष 1983 के 3270 लाख गरीबों की तुलना में इसमें मामूली सा सुधार हुआ है। इन आंकड़ों से ही समस्या की गंभीरता स्पष्ट है। अत:, गरीबी की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। यद्यपि सामाजिक विकास के क्षेत्रों में सुधार हुआ है। फिर भी अधिकांश विकासशील राष्ट्रों से हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। मानव विकास के स्तरों का मापक चिन्ह अभी भी बहुत कम है। पूर्वोत्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में उनका उचित हिस्सा मिलना अभी शेष है जिसके कारण उनमें उपेक्षित होने की भावना आ गई है। राष्ट्र के व्यापक हित में ऐसे क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार के बारे में संसद में, जनता में तथा समाचार-पत्रों में व्यापक चर्चा हुई है। मैं चन्द्रशेखर जी के विचारों से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार के परिमाण पर इतनी बढ़ा-चढ़ा कर चर्चा नहीं की जानी चाहिए अपितु इसको दूर करने के लिए चर्चा की जानी चाहिए। भ्रष्ट लोगों अथवा ईमानदार व्यक्तियों की प्रतिशतता का इतना महत्व नहीं है। गरीबी दूर करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के हमारे सारे प्रयासों को भ्रष्टाचार निष्फल कर देता है। इस तथ्य को देखते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिहाद छेड़ा जाना चाहिए। हमारे बहुवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज में साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। सामाजिक व्यवस्था और शांति तथा राष्ट्रीय एकता के हित में इन शक्तियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

जिन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक बुराइयों का हम सामना कर रहे है उनमें से अधिकतर बुराइयों का समाधान साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाने और जनता द्वारा इसमें पूरे तरह भाग लेना सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। इस समय इन दोनों की कमी है। इस कमी को शीघ्र दूर करने के लिए कुछ ठोस योजनाओं को लागू करना होगा।

जहां तक जनसंख्या की समस्याओं का संबंध है, मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि पहले के वक्ता ही इस विषय में विस्तार से बोल चुके हैं। किंतु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जनसंख्या नीति राज्य सरकारों द्वारा लागू की जानी है, और जब तक राज्य सरकारें इस विषय को गम्भीरता से नहीं लेंगी, यह सफल नहीं होगी फिर चाहे हम कितनी ही अच्छी नीति क्यों न बना लें।

अत: मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों को और अधिक निर्देश दिये जाने चाहिए और चूककर्ता राज्यों के साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रशासनिक ढांचे भी बहुत बड़े हैं। और मैं समझता हूं कि इन बड़े राज्यों के बेहतर प्रशासन के लिए छोटे-छोटे राज्य बनाए जाएं।

स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बावजूद उत्तर पूर्वी राज्य अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं और इनमें अधिकतर राज्यों में बगावत जोरों पर है। केन्द्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए भरपूर सहायता करनी चाहिए चूंकि ये सभी राज्य वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं सरकार को भारत की स्वतंत्रता की स्वर्णजयंती की स्मृति में उनके सभी ऋणों को माफ कर देना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): सभापति महोदय, मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्रता की स्वर्णजयंती के इस वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं क्योंकि मेरा संबंध स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मेरे पिता जी 13 वर्ष तक जेल में रहे। मैं उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और उन सभी लाखों लोगों का जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कार्यवाही वृत्तान्त में इस बात को सम्मिलित कराऊं कि आज जो हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं यह केवल उनके बलिदान के कारण है। अब यह देखा गया है कि भारत की स्वतंत्र जनता जिस प्रकार स्वतंत्रता को सुरक्षित देखना चाहती है उससे कहीं अधिक सहज था स्वतंत्रता प्राप्त करना। सम्भवत: इसीलिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन आरम्भ करने का आह्वान किया। इससे पिछले 50 वर्ष में जो काम हमने किया उसका महत्व कम नहीं हो रहा है अपितु हमें उनके आह्वान से याद दिलाया जा रहा है कि हमें भविष्य के लिए अपना कर्तव्य पूरा करना है।

स्वर्णजयन्ती मनाते हुए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। हमने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, हमने प्रौद्योगिकी में विकास प्राप्त किया है और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं भारत को राष्ट्रमंडल में एक गौरवमय स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जब हमारे पड़ोसी देशों में, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सैन्य शासन था—हमें इस बात का गर्व है कि पिछले 50 वर्ष के दौरान कई राजनीतिक दल आए और गए किंतु इसके बावजूद, लोकतंत्र जीवित रहा। न यहां तानाशाही थी और न ही कोई सैनिक शासन। हमें इस बात का भी गर्व है कि 50 वर्ष पश्नात् यद्यपि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है फिर भी 14 दल एकजुट हुए, मैं भारतीय राष्ट्रीय दल से सम्बद्ध हूं। हमने सरकार चलाने में कोई जिम्मेदारी लिए बिना मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। यद्यपि यह हमारे दल के हित में नहीं है, फिर भी हमने ऐसा किया है। हम देश में स्थिरता चाहते हैं न कि अस्थिरता। हमें इस बात पर भी गर्व है।

जबकि हम खाद्यान्नों के उत्पादन में और अन्य विभिन्न मामलों में आत्मनिर्भर हैं वहीं हमारी कई कमजोरियां भी हैं और आज हमें इन कमजोरियों की ओर ध्यान देना है। इनमें से प्रथम है निरक्षरता, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी समस्या है देश भर में सुव्यवस्थित आर्थिक विकास का अभाव। क्षेत्रों के बीच, राज्यों के बीच और समुदायों के बीच असंतुलन है। दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न भागों में अशांति फैल गई है। हमने जातीय विवाद देखा है। जातिगत दंगे तथा साम्प्रदायिक दंगे देखे हैं। संभवत: यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो कुछ उपलब्ध करना चाहते थे वह उपलब्ध नहीं कर पाये।

महोदय मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूं। इस क्षेत्र को अब तक बहुत ही गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग कहते हैं कि वहां की स्थिति पंजाब और कश्मीर से भी बुरी है। ऐसा क्यों है? यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुराने इतिहास का अवलोकन करें तो पायेंगे कि जब 1955-56 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया था तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाया। इंदिरा जी ने ऐसा किया और इस प्रकार उन्होंने 1963 में नागालैंड बनाया। तत्पश्चात 1970-71 में पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा नए राज्य बनाए गए और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेश बने रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हमें वह वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए जैसे कि अपेक्षित थे।

हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 1981 में जब हमारी सरकार आई तो हमने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया। आज भी हम देखते हैं कि राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। कुछ राज्यों में जातीय संकट है। मणिपुर में कुकी और नागाओं के बीच झगड़ा है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही समूह समानांतर सरकार चला रहे हैं। यह मैं नहीं कहता हूं। असम के मुख्य मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है "ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी का 'उल्फा' को लूटपाट के रूप में धन देना पड़ता है।" इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार का वह धन जो गांवों में सबसे अधिक गरीब लोगों के लिए होता है वह उल्फा और अन्य लोगों को चला जाता है। आज देश को इस बात का खतरा हो गया है कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आज विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। असम, नागालैंड और मणिपुर में भी ऐसा हो रहा है। सौभाग्य से, मिजोरम इसका अपवाद है। अरूणाचल प्रदेश, जो पहले इससे बचा हुआ था, में पुन: आतंकवाद फैल गया है। मैं यह मामला इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस सम्माननीय सदन को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल विद्रोह का आंदोलन नहीं चल रहा है अपितु यह नशीले पदार्थों के व्यापार का सवर्ण द्वार भी बन गया है। बाजारों में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और म्यांमार, चीन और अन्य देश हमारे देश के अन्य भागों में आतंकवादियों को शस्त्रों की सप्लाई कर रहे हैं। यदि हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्या का समाधान करना है तो यह उचित समय है जबकि इस सदन को वहां की स्थिति को समझना चहिए और उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। उपचारात्मक कदम क्या उठाए जा सकते हैं? टी.एन.वी. "आसू" के साथ और मिजोरम तथा नागालैंड में भी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर

किए गए थे। भारत सरकार द्वारा और फिर मिजोरम सरकार द्वारा मिजोरम समझौते को कार्यान्वित किया गया और अब वहां शांति है। लेकिन किसी न किसी कारण से अब असम गण परिषद को यह शिकायत रहती है कि असम समझौते को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इससे क्या संकेत मिलता है। जब हम अन्य आतंकवादियों को संधि वार्ता के लिए बुलाते हैं और उन्हें भारत के संविधान के तहत चर्चा करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि आपने क्या किया है? आपने ''लालडेंगा'' के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपने अन्य नेताओं के साथ संधि वार्ता पर हस्ताक्षर किए हैं। आप संधि को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। हम संधि वार्ता के लिए क्यों आएं? हम स्वतंत्र असम या स्वतंत्र नागालैंड या स्वतंत्र मणिपुर की मांग करेंगे। केवल इतना ही नहीं। नागावासी भी ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं। मणिपुर, असम और त्रिपुरा से क्षेत्र लेकर ग्रेटर नागालैंड बनाए जाने की मांग है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें कहा गया है कि हम पूर्वोत्तर प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन नहीं चाहते। क्यों? इससे अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी। बोडोलैंड श्री पी.वी. नरसिंह राव की देन है। इसके पीछे उद्देश्य बोडोलैंड को स्वायत्ता देना था। अब वे सीमा के लिए लड़ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में बोडो जनसंख्या मात्र 3 प्रतिशत है उसके लिए भी उन्हें और क्षेत्र चाहिए। चाय बागान वहां स्थित हैं जहां उड़ीसा और अन्य राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। वे बागान उन्हें चाहिए। यह बहुत ही अनुचित मांग है। इसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन वे लोग इसकी मांग कर रहे हैं।

अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले पर विचार करें। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरे अच्छे मित्र, श्री राम विलास पासवान, जो सदन के नेता भी है, यहां उपस्थित हैं। आपको पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा ताकि आप इसका समाधान कर सकें। अस्थायी तौर पर सेना भेजना तो ठीक है। लेकिन बार-बार सेना नियुक्त करना बहुत खराब है। सेना का आम नागरिकों से कुछ मतभेद हो जाता है। यह ठीक नहीं है। सेना विदेशियों से हमारे देश की रक्षा के लिए है न कि कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस प्रशासन न के बराबर है उनके पास जो अस्त्र-शस्त्र हैं उनसे विद्रोहियों के पास उपलब्ध आधुनिक शस्त्रों का मुकाबला नहीं कर पाते।

वहां नियुक्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य अर्ध-सैनिक बल हमेशा भयभीत रहते हैं। पिछले 20 दिनों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के 40-50 जवान मारे गए हैं। केन्द्र सरकार, जिसने वहां त्वरित कार्य बल का गठन किया है, को उन राज्यों को विशेष धनराशि देनी चाहिए जहां विद्रोही गतिविधियां हो रही हैं और एक विद्रोह विरोधी बटालियन का गठन भी करना चाहिए। उन्हें ऐसे शस्त्र दिये जाने चाहिए जिनसे वे विद्रोहपूर्ण स्थिति का सामना कर सकें।

दूसरे मैं इस पर चर्चा के पक्ष में हूं। वार्तालाप भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र में ही होना चाहिए उसके बाहर नहीं, ऐसा करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन वार्ता शुरू करने से पहले कृपया पिछले समझौते को कार्यान्वित कीजिए। समझौते को कार्यान्वित न करने से विद्रोहियों के मन में विश्वास नहीं जागा है। वे विद्रोही कौन हैं? वे हमारे ही भाई-बहन हैं और वे ही सब काम कर रहे हैं। हमें उनका ध्यान रखना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज भुक्तभोगी विद्रोहियों को, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और जो ''सल्फा'' नाम से जाने जाते हैं। देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और न ही अपना जीवन जीने का कोई अन्य अवसर मिल रहा है। वे अपने हाथों में बंदूक पकड़ कर ही खुश हैं। वे उनका उपयोग कर रहे हैं। लूट-खसोट अपहरण और कत्ल आदि की घटनाएं आम हो गई हैं।

मैं बराक घाटी से निर्वाचित होकर आया हूं। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस घाटी का दौरा किया था तो उन्होंने इस घाटी को शांति द्वीप की संज्ञा दी थी। श्री राजीव गांधी ने वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात की और श्री पी.वी. नरसिंह राव ने उसे स्थापित कराया। वहां शांति बनाए रखने और मुख्यधारा से जुड़ने के लिए हमें पुरस्कृत भी किया गया क्योंकि बराक घाटी में भारत सरकार के विरुद्ध या देश की संस्कृति के विरुद्ध कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आज मेरे राज्य में घाटी में लूट-खसोट की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं क्योंकि अन्य राज्यों से निकाले जा रहे सभी लोग हमारे राज्य में शरण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि पड़ोसी देशों की ओर ध्यान दें विशेषकर बंगलादेश की ओर जो उल्फा के लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है। कृपया पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से इस पर बातचीत करें क्योंकि आई.एस.आई. हमारे देश के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। इसने पंजाब में समस्याएं खड़ी की और वहां से खदेड़ा गया था। उसने कश्मीर में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की और आज भी कर रहा है। वे हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग में मनमानी कर रहे हैं। आई.एस.आई. ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज की हैं। इसे रोका जाना चाहिए। आपको भूटान सरकार के साथ बात करनी चाहिए। भूटान बोडो आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण कैंप बन गया है। वे भूटान से आकर हमला करके वापस भूटान चले जाते हैं। जब मैंने सैनिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके लिए भूटान में प्रवेश करना संभव नहीं है क्योंकि भूटान एक अलग देश है।

गोल्फ कोर्स के दौरान मैं एक राजनयिक से मिला। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी भूटान नरेश से बात हुई थी। उन्होंने भूटान नरेश से कहा था कि ''जब हम उनकी इतनी सहायता कर रहे हैं तो आप भारत सरकार की सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं?'' तब भूटान नरेश ने कहा कि ''वह कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं? यदि वे भारतीय सैनिकों को यहां प्रवेश की अनुमति देते हैं तो आतंकवादी उनके देश और संस्थाओं की शांति भंग कर देंगे। भारत सरकार यदि उन्हें आश्वासन दे कि वह उनके संस्थानों का पुनर्निर्माण कर देगी तो वह उनकी सहायता के लिए तैयार है।'' यह भूटान सरकार का कथन था। इस स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर मैं इस सम्माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि जब तक हम पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ध्यान नहीं देंगे स्थिति नहीं सुधरेगी और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करके समस्या

का समाधान किया जा सकता है। इससे स्थिति और खराब होगी। नौकरशाही का सामना करने की बजाए निर्वाचित सरकार होना अधिक अच्छा है। मैं ऐसा नहीं चाहता। आपको इसे सुदृढ़ बनाना होगा। मैं नहीं जानता कि श्री पासवान जी और हमारे प्रधान मंत्री जी हमें किस तरह से लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जब भी वे पंजाब जाते हैं तो वह उन्हें धन देते हैं और कानून और व्यवस्था के रख-रखाव पर हुए अतिरिक्त व्यय को बट्टे खाते में डाल देते हैं। वह कश्मीर को भी धन देते हैं लेकिन असम, नागालैंड और अन्य राज्यों के बारे में अपनी आंखें मूंद लेते हैं।

यह उचित नहीं है। आपको हमारे साथ भिन्न व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप एक राज्य को धन देते हैं तो आपको असम और नागालैंड को भी अतिरिक्त खर्च देना चाहिए। इसके बिना वहां विकास नहीं होगा। ये सभी राज्य घाटे में चल रहे हैं। उनके पास खर्च करने के लिए धन नहीं है। वहां क्या हो रहा है। मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष हूं। मैं जानता हूं कि बहुत से राज्य आपके धन को कहीं और लगा रहे हैं। उदाहरणत: कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो कि उनकी प्राथमिकता बन गई है, पर खर्च कर रहे हैं। उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। मुझे अपनी रिपोर्ट में इन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें पूर्वोत्तर राज्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि जब तक आप उनकी सहायता करें तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आपकी एक ऐसी सरकार है जिसे हम सभी का समर्थन प्राप्त है और आपको इसके अनुरूप कार्य करना है।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि मेरे पास अभी दो-तीन मिनट का समय है। लेकिन मैं आपको ऐसा अवसर नहीं दूंगा कि आपको घंटी बजानी पड़े। उससे पहले मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

महोदय यह सभा भी यह मानती है और इस बात पर मैं भी श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री सोमनाथ चटर्जी से पूर्णतया सहमत हूं कि यदि हम चाहें तो हम सभा को अनुशासित रूप से चला सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम सभा की कार्यवाही का संचालन बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर हमने पिछले 5 दिनों में यही किया है कि कई सदस्यों ने अपने-अपने भाषण दिए हैं और आपने भी लम्बी दौड़ के धावक की तरह इस आसन पर बैठे रहने का रिकार्ड बना लिया है। आपने इतने अधिक समय तक आसन पर बैठकर सभापति के रूप में सभा की कार्यवाही चलाने का अभूतपूर्व रिकार्ड स्थापित कर लिया है और हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में भी इसका अनुसरण करेंगे। हमारी सभा का संचालन इसी तरह का होना चाहिए।

कहीं पर कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि सूखा, बाढ़ और ऐसे ही अन्य विषय चर्चा के लिए स्थायी समितियों के पास भेजे जाने चाहिए और उनकी सिफारिशों को सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभा को विधायी कार्य पर चर्चा करनी चाहिए। सभा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मामलों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि वहां भी एक आचार संहिता है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। केवल यही एक विषय है जिस पर चर्चा की जा सकती है। इसके बिना किया भी क्या जा सकता है।

मुझे आशा है कि बैठक समाप्त होने तक आज प्रस्ताव पारित हो जायेगा। और प्राथमिक और मौलिक शिक्षा देने, जनसंख्या पर नियंत्रण रखने पर मत या "वाद" से ऊपर उठकर हम सबमें सहमति होगी और हम एकजुट होकर भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। हमें आशा करनी चाहिए आगामी एक या दो माह के अंदर चुनाव सुधार संबंधी विधेयक भी पारित कर लेंगे और एक सर्वसम्मति बनेगी कि हम सभी विभिन्न वादों के बावजूद भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के विरुद्ध लड़ेंगे। एक या दो महीनों के दौरान हम चुनाव सुधार संबंधी विधेयक को पारित कर लेंगे। इस संबंध में हम सब मिल चुके हैं और कतिपय निर्णय पर भी पहुंच चुके हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि आगामी शीतकालीन सत्र में यह विधेयक अवश्य लाया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि हम सब कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं।

अपराह्न 12.38 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव: ठीक है, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप सही वक्त पर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुन रहा था।

श्री संतोष मोहन देव: धन्यवाद महोदय।

मैं समझता हूं कि आज आपका जन्मदिन है। आपको जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संतोष मोहन देव: हम आपको उपहार तो नहीं दे सकते हैं लेकिन मुझे गर्व है कि गारो पहाड़ियों से आए एक साधारण से मनुष्य ने बिना किसी प्राचीन परम्परा के एक इतिहास का सृजन किया है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बरहामपुर): उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के वर्ष में हुआ।

श्री संतोष मोहन देव: उनका जन्म सन् 1947 में हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने इन सभी दलों का नेतृत्व किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री शरद पवार, श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे महानुभावों तथा अन्य सभी सदस्यों ने आपको सहयोग दिया। आपको समूची सभा से सहयोग मिला। यहां तक कुछ समाचार-पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ कि आप भगवान बुद्ध का मुस्कराता हुआ स्वरूप हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण यह कहकर समाप्त कर रहा हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि लगभग 90 प्रतिशत सदस्यों ने

राजनीति, संकीर्णता और क्षेत्रीयतावाद से ऊपर उठकर इस चर्चा में भाग लिया और इस महान सभा में हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की यह अद्वितीय उपलब्धि है।

हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधान मंत्री महोदय के ऐतिहासिक भाषण सुनने के व्यग्रता से प्रतिक्षा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दो महानुभाव और बीच में बैठे श्री शरद पवार अपने भाषणों में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिससे हमें आगामी तीन वर्षों तक चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे 26 अगस्त, 1997 से शुरू हुए भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में संसद के लोक सभा के विशेष सत्र की ऐतिहासिक चर्चा में बोलने का अवसर नहीं मिल पायेगा तो, मैं अपने उन लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे 1967 से अब तक 6 बार संसद में भेजा है, अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहूंगा यदि मैं संसदीय कार्यवाही में दर्ज कराने के लिए तथा भावी संतति के लिए अपने विचारों को रिकार्ड नहीं करवाता हूं।

महोदय, इतिहास 50 वर्षों की घटनाओं के बाद लिखा जाता है ताकि वास्तविकता, पूरे तथ्य और विश्लेषण उपलब्ध हो सकें और भावी आवश्यकताओं के लिए हम कुछ सीख सकें।

अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के विशेष स्मृति सत्र को बुलाने में आपकी विशेष रुचि के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं लोक सभा में राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा आपकी पहल का समर्थन करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं तथा इस अवसर पर और भविष्य के संदर्भ के रूप में अद्यतन वस्तुपरक आंकड़ों की एक उत्कृष्ट विवरणिका संकलित करने के लिए लोक सभा के महासचिव तथा समूचे स्टाफ की भी तहे दिल से सराहना करता हूं।

महोदय, आपके विचारणीय प्रथम भाषण ने कई उत्कृष्ट मुद्दों का विश्लेषण कर दिया है तथा इसमें कई विशेष सुझाव अंतर्निहित हैं। यह भाषण कई मायनों में अपने आप में अद्वितीय रहा है। इससे विषय वाद-विवाद तथा चर्चा में सामंजस्य स्थापित हो गया। आगे की गति एवं दिशा निर्धारित हो गई।

यहां काफी उच्च कोटि की चर्चाएं हुई तथा इस वाद-विवाद से काफी हद तक संसदीय गरिमा पुनः स्थापित हो गई इससे कई युवा एवं नये सांसदों की अव्यक्त प्रतिभा सामने आई जिससे संसदीय लोकतंत्र का भविष्य संवरेगा।

प्रजातंत्र में जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार चलाई जाती है और जनता सर्वोच्च होती है। भारत की प्रभुता सम्पन्न जनता के बारे में मैं संविधान की उद्देशिका से उद्धृत करता हूं:

"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं।"

संविधान की उद्देशिका में 'समाजवादी' अभिव्यक्ति का पुर:स्थापन जानबूझकर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से अन्तर्निहित किया गया था। हमारे समाजवादी राज्य का मुख्य उद्देश्य आय, दर्जे और जीवन स्तर में असमानता को दूर करना है। समाजवाद का मौलिक ढांचा यह है कि कामकाजी लोगों को उत्कृष्ट जीवन स्तर प्रदान किया जाए तथा विशेषकर उन्हें जीवन से मरण तक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाये। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें आर्थिक दृष्टि से आर्थिक समानता और आय के समान वितरण की बात कही गई है। यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है जिसका पूरा झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। यह सामन्तवाद द्वारा शोषित समूचे दासतायुक्त समाज से प्रतिध्वनित, स्पन्दित, समाजवादी, कल्याणकारी समाज की एक लम्बी यात्रा है लेकिन उक्त लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में राज्य का प्रत्येक कार्य, जो भी किया जाए, इस प्रकार दिशा-निर्देशित होना चाहिए, इस प्रकार विवेचित होना चाहिए कि उसकी अंतिम परिणति सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति में होवे।

"डी. एस. नकुआ बनाम भारत संघ 1983, धारा 305, 325, 326"

यह संविधान और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का भाग है। अतः, संविधान में प्रदत्त लोकतंत्र के स्तंभ इस प्रकार हैं:

स्वतंत्र विधायिका

स्वतंत्र कार्यपालिका

स्वतंत्र न्यायपालिका।

स्वतंत्र चतुर्थ संपदा—प्रैस और मीडिया को भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने अपने प्रथम भाषण में अति महत्वपूर्ण और निर्णायक विषयों का जिक्र किया है।

(क) **राजनीतिक जीवन**

लोकप्रिय चुनाव और प्रजातंत्र का निर्वाह, सदन की कार्यवाही संचालन

उत्तरदायित्व

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और मानक

सामाजिक शांति, हिंसा और विद्रोह

महिलाओं को अधिकार देना।

(ख) **प्रशासन**

(ग) **जनसंख्या**

(घ) **शिक्षा**

शिक्षितों को रोजगार तथा उच्च शिक्षा के लिए संसाधन।

मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आधारभूत और प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए और शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद अध्ययन की पाठ्यचर्या और शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए।

महिलाओं के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और मानव संसाधन विकास, व्यावसायिक कुशलता अर्जित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राज्यों का अंशदान बिना किसी उच्च सीमा के अनिवार्य होना चाहिए।

(ङ) **कृषि**

खाद्य आत्मनिर्भरता और हरित क्रांति अनिवार्य।

कृषि वृद्धि दर, अव्यवस्थित सांस्कृतिक व्यवहार और उनके निहितार्थ।

(च) **सार्वजनिक वितरण**

भूख से छुटकारा, प्रणाली द्वारा वितरण

(छ) **उद्योग**

भूतकाल और भविष्य

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण प्रतिष्ठानों का पुनःस्थापन; इसकी अपरिहार्यता और मानवीय आयाम।

एक नई कार्य संस्कृति उत्पादकता।

(ज) **निर्यात परिदृश्य**

(झ) **आर्थिक सुधार**

धन उत्पादन

विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई)

(ञ) **विज्ञान और प्रौद्योगिकी**

(ट) **पर्यावरण और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार और संरक्षण**

(ठ) **निष्कर्ष**

हमारी सम्पन्नता और गरीबी के बीच निजी, आंतरिक विरोधों से स्वतंत्रता के लिए, संसाधन अक्षयनिधि की प्रचुरता और उनके विवेकपूर्ण प्रबंध की कमी के बीच, शांति और सहनशीलता की संस्कृति के बीच और हिंसा, असहनशीलता और विभेदीकरण की ओर झुकाव के वर्तमान व्यवहार के बीच, एक **दूसरे स्वतंत्रता संघर्ष** की आवश्यकता।

महोदय, आपका भाषण विचार उत्तेजित करने वाला और प्रेरणा देने वाला है जिसने हमारे हृदय और आत्मा को छू लिया है। क्या मैं अपना कर्तव्य विनम्रता से पूरा कर सकता हूं? मैं लाखों देशभक्तों, राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों को उनके मातृभूमि भारत के प्रति निस्वार्थ प्रेम के लिए आदरणीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ त्याग, दृढ़ विश्वास, स्व-अनुशासन और निज बलिदान को बनाए रखा। जब स्वतंत्रता कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती थी उस समय महात्मा गांधी के सुयोग्य नेतृत्व में खिलाफत, असहयोग और सविनय अवज्ञा आन्दोलन जैसे अनेक आन्दोलन चलाए गए। लोगों में उच्च दर्जे की राजनीतिक चेतना अंतर्निविष्ट करने के लिए और नौकरशाहों और व्यापारिक हितों के ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था, उस समय लोगों को विश्व की शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन की पाबंदियों का सामना करने के लिए अत्यंत मजबूत बना दिया।

उद्देश्य: स्वराज/पूर्ण स्वराज, तकनीक थी सत्याग्रह

ढाल: सत्य और अहिंसा

महामंत्र: करो या मरो

विश्व के लोगों के लिए यह एक अद्वितीय योगदान था। मैं संविधान के निर्माताओं और भारतीय राजनेताओं की विशिष्ट मंडली को श्रद्धांजलि देता हूं जिनके पास एक ऐसे अद्वितीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की, जो लचीला, गतिशील और परिवर्तन का साधन और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो, दूरदृष्टि थी।

मैं अपने माता-पिता को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अनन्त अपमान, उत्पीड़न, तिरस्कार और अभित्रास भोगा। उनका अनादर किया गया और दो छोटे बच्चों के साथ, जिनमें एक गूंगा और बहरा था, शिकारी कुत्तों की तरह पीछा किया गया और फरार घोषित किया गया क्योंकि ये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रशंसक और सहयोगी थे। 1942 में गिरफ्तारी के आदेश जारी किये गये।

घटनावश मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शंकर प्रताप सिंह देव महिन्द्र बहादुर, विद्यासागर उड़ीसा के प्रथम शासक थे जिन्होंने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस प्रकार 15 अगस्त, 1947 को हमारी असह्य वेदना हर्षोन्माद में बदल गई जब भारत ने आजादी प्राप्त की।

महोदय, यह अद्वितीय सम्मान और गर्व का विषय है कि मैं भारतीय संसद में 1967 से स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में ढेंकानाल की जनता का प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूं। मेरे पिता जी और माता जी 1957 में विधान सभा के सदस्य थे मेरी माता जी श्रीमती रत्न परुवा देवी 1957, 1961 और 1967 में विधान सभा की सदस्य रहीं और पिताजी 1964 में संसद सदस्य थे। मुझे 1972 से 1976 तक राज्य सभा में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य भी रहा था और 1971 के भारत-पाक युद्ध में 144 वायु प्रतिरक्षा तोपखाना रेजिमेंट, प्रादेशिक सेना के अधिकारी के रूप में मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का सौभाग्य भी मिला।

मुझे उड़ीसा राज्य का होने पर गर्व है

- भगवान जगन्नाथ की भूमि-विश्वनाथ-अति धर्म-निरपेक्ष अवधारणा।
- पथ-प्रदर्शक भगवान

जिन्होंने चन्द्रा (दुष्ट) अशोक को धर्म अशोक में बदल दिया-दानशील आदर्श शासक जिसे व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों, कीड़ों, पौधों-वनस्पति पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रति करुणा की भावना से भरा था।

धर्म कर्तव्य के रूप में

आज उसका चक्र हमारे राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में है।

- महान पथ-प्रदर्शकों की भूमि, खगोलशास्त्री पठानी सामंत जिसने सामान्य इन्द्रियों की सहायता से गैलिलियों से बहुत पहले चन्द्रमा और सितारों की दूरी नाप ली थी।
- वह भूमि जिसने उत्तम भट्ठी की अवधारणा और कुतुबमीनार से बहुत पहले कोणार्क के लौह स्तम्भ विश्व को दिए।
- यह वह भूमि है जिसने चावल का वनस्पति नाम ओरयजा दिया।
- यह वह भूमि है जिसने ची गुयेरेरा और माओ-त्से-तुंग, जनरल गियाप से बहुत पहले गुरिल्ला योद्धा, वीर सुरेन्द्र साय को जन्म दिया।

यह नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म स्थली है।

यह एक आदर्श और धर्मनिरपेक्ष सम्राट खारबेल की भूमि रही है जिन्होंने समुद्री यात्रा में अग्रणी निभाते हुए जावा, बाली सुमात्रा और सिंहल की यात्रा की।

मैं ढेंकानाल का रहने वाला हूं जिसने उपन्यासकार डी.एच. राय के इस गाने की, धन धान्य पुष्पे, भरा, अजे अमादेर वसुंधरा, थारा माझे आचे जे सकल देशर सेहरा, स्वपन दिया तोतरी सेजे, स्मृति दिए घेरा, अमोन देश ती खूजे, पवे ना को तुमि, शकोल देशर रानी सेजा अमार जन्म भूमि, शारजहां से तुलना की है।

हमारी मातृभूमि का प्रकृति के साथ सामंजस्य है। प्रचुर राष्ट्रीय अक्षय निधियों से भरी है और समस्त पृथ्वी की रानी है।

मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व है:

1. कृषि में हरित क्रांति;
2. दुग्ध और डेयरी उत्पाद में श्वेत क्रांति;
3. समुद्री मत्स्यपालन में क्रांति;
4. उद्योग;
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
6. निर्यात;
7. संचार:
   दूर-संचार
   इलेक्ट्रानिकी संचार
   रेलवे
   जहाजरानी
   विमानन
   सड़क परिवहन;
8. ग्रामीण विकास और अधिकार प्रदान करना;
9. खेल-कूद, शिक्षा और संस्कृति;
10. परमाणु ऊर्जा सहित विद्युत तथा ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा के सभी स्रोत; नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत; तथा ऊर्जा के जवाहर लाल नेहरू के आधुनिक मंदिर;

सरकारी क्षेत्र के बहुत उपक्रम, इस्पात, सीमेंट, विद्युत संयंत्र, भारी उद्योग, उर्वरक, अल्युमिनियम सहित विद्युत तथा ऊर्जा का उत्पादन।

सामाजिक सुरक्षा और शक्ति प्रदान करना

गरीबी उन्मूलन योजनाएं

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

स्वास्थ्य योजना और देखभाल

परिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण

उपभोक्ता संरक्षण

विकेन्द्रीकरण—जनता, महिलाओं अ.जा./अ.ज.जा. को शक्ति प्रदान करना, मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करके युवकों को शक्ति प्रदान करना तथा पंचायती राज और नगर पालिका संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना।

प्रौद्योगिकीय मिशन

कम्प्यूटराइजेशन

गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना

लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

प्रशासन में निपुणता: प्रशासन में ईमानदारी अच्छी सरकार का आवश्यक गुण है। अत:, अन्याय, गलत न्याय, न्याय से इंकार करना, जवाबदेही और उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशील प्रशासन, जो सरल तार्किक और समयबद्ध हो और उसे लोकपाल जैसे शीर्षस्थ प्राधिकारी के माध्यम से विलंब और न्याय के इंकार से न्याय उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि न्यायपालिका सहित जो न्याय दिलाते हैं वे उस जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जो कि सर्वोच्च है।

हमारी नौकरशाही विश्व की सर्वश्रेष्ठों में से एक है। अपनी व्यावसायिक निपुणता, सत्यनिष्ठा और प्रशासनिक क्षमता तथा प्रबन्ध गुणवत्ता के फलस्वरूप सरकार से बाहर भी उनकी काफी मांग है। लेकिन उन्हें समयबद्ध तरीके से प्राधिकार, स्वायत्तता, जवाबदेही, और उत्तरदायित्व के साथ-साथ एक सुस्पष्ट, गैर-राजनीतिक और उद्देश्यपूर्ण स्वरूप में निर्देश, लक्ष्य और चुनौती सौंपनी चाहिए।

कठिन परिस्थितियों में हमारी योजना प्रक्रिया और योजना आयोग ने बहुत अच्छे कार्य किये हैं लेकिन उन्हें, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां अधिकतर लोग आदिवासी अनुसूचित जातियों, पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के रहते हैं और जिन्होंने काफी प्रगति की है और क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ रही हैं की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

उनके लिए उत्तरदायी होना आवश्यक है फिर चाहे पर्याप्त बुनियाद सुविधाओं सहित संगठन निचले स्तर की योजना ही क्यों न हो।

स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारिता और सम्बद्धता की भावना समझे जाने की आवश्यकता है और हम सभी में ऐसी भावना होनी चाहिए। इतिहास अपने आप को दोहराता है और हमें भविष्य के लिए शिक्षा लेने हेतु इसमें से एक-एक पृष्ठ को समझ लेना चाहिये।

भारत इसलिए सुरक्षित रहा है क्योंकि प्रत्येक धर्म, जाति, समुदाय या वर्ग के व्यक्ति यहां पर एकत्रित हुए हैं। यह संस्कृति ही है जिसने हमें एकजुट बांधे रखा है।

भारतीय संस्कृति और मर्यादा की झलक धर्मनिरपेक्ष तीर्थस्थलों पर मिलती है।

(1) भारत के सैन्य-बल

(2) भारतीय के वनों के सुन्दर वातावरण में अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों का निर्माण

1857 के आंदोलन में पहली गोली सिपाही मंगल पांडे द्वारा चलाई गई थी। तत्पश्चात् 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तेजी आयी।

27 अक्तूबर, 1947 को बड़गाम के संग्राम में श्रीनगर के लोगों ने पहली बार भारतीय स्वतंत्र सेना को देखा। राष्ट्रीय सेना के मेजर सोमनाथ शर्मा, एन.के. जदूनाथ सिंह, सी.एच.एम. पीरू सिंह, सूबेदार करण सिंह ने महान बलिदान दिया और उन्हें परम वीर चक्र से सुशोभित किया गया। अब तक सेना के जवान अपनी मातृभूमि की एकता एवं अखंडता, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को बनाये रखने के लिए अपने प्राणों तक को न्योछावर कर देते हैं। 50 लाख भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों को देश के लिए खपा दिया वे आज गरीबी से जूझ रहे हैं।

क्या हम उन्हें एक समान पेंशन नहीं दे सकते हैं, क्या हम अन्यों की भांति उनके लिए भी वित्तीय विकास निगम नहीं बना सकते हैं।

महोदय, मैं इस निवेदन के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि उन्हें भी कार्यवाही वृत्तांत में स्थान दिया जाए।

श्री आनन्द रत्न मौर्य

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली): अध्यक्ष महोदय, आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर विगत पांच दिनों से संसद का विशेष सत्र आहूत है। इस सत्र का विशेष महत्व है एवं देश की वर्तमान हालत एवं आवश्यकता के ऊपर एक सार्थक चर्चा एवं मंथन का अवसर बना है।

महोदय, आज देश की इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर पूरे देश के सामने सुरसा के मुंह के समान कई गंभीर समस्याएं हैं जिसमें कि बेरोजगारी, गरीबी एवं भ्रष्टाचार प्रमुख रूप से हैं। आजादी के पूर्व से ही महात्मा गांधी ने देश को भली प्रकार से समझ कर एक नारा दिया था कि "यह देश गांवों का देश है, देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में वास करती है। अतएव कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग की प्रमुखता एवं विस्तार करो" ऐसा कहा था। वस्तुत: यह कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग ही एक ऐसा समुचित उपाय होगा जिससे कि हर हाथ को काम का नारा पूरा हो सकता है एवं बेरोजगारी दूर की जा सकती है। दुख की बात है कि आज बापू का कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग का नारा मजाक बन के रह गया है हम सभी आजाद भारत में खादी ग्रामोद्योग को ही बापू का सपना मानते हैं जबकि बापू ने सिर्फ खादी ग्रामोद्योग में कपड़ा बनाने की बात नहीं कही थी वह तो मात्र प्रतीक था। स्पष्टतया यह

नारा ग्रामों के औद्योगिकरण का था जिस ओर हम सभी ने कदम नहीं बढ़ाया।

अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने जो बेरोजगारी की समस्या है उसका निदान बड़े-बड़े कल कारखाने नहीं है, उसका निदान छोटे-छोटे ग्रामों के अन्दर कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग से है। इस सभा को इस पर विचार करना चाहिए एवं मजबूत कदम उठाने चाहिए। पचास सालों के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों की संख्या पचास करोड़ से ज्यादा है। गम्भीर विषय है, चिन्ता का विषय है। आज सभा को इस ओर कोई ठोस निर्णय करना चाहिए कि गरीबी का उन्मूलन कैसे किया जा सके।

चिन्ता का विषय यह भी है कि भारत में आज व्यापारी वर्ग दोयम दर्जे का नागरिक रह गया है, सामान्यता सामाजिक मान्यता ऐसी पनप गई है कि व्यापारी वर्ग चोरों का समूह है एवं उसके उलट सरकारी कर्मचारी जो उत्पादन से कतई जुड़ा नहीं होता वह देश का विशेष वर्ग, अभिजात्य वर्ग सम्मान प्राप्त कर रहा है। यह बहुत ही भूल एवं देश के सामने गंभीर समस्या है। देश का वह समाज जो अर्थतन्त्र को चलाता है यदि उसे ही सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं होगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी रहेगी एवं बेरोजगारी रहेगी तो गरीबी रहेगी एवं गरीबी रहेगी तो देश कभी समृद्ध नहीं होगा। इसलिए आज सभा को इस ओर प्रस्ताव लाना चाहिए कि व्यापारी वर्ग का देश के अन्दर सामाजिक सम्मान किस प्रकार से बढ़ाया जाए ताकि युवा वर्ग सिर्फ सरकारी नौकरी की ओर ध्यान न देकर व्यापार की ओर मुड़े।

अध्यक्ष महोदय, मुझे भ्रष्टाचार पर बहुत नहीं कहना है बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार आज पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंच गया है जिसे रोकना इस सभा के हर सदस्य का कर्तव्य बनता है।

देश के अन्दर जितने भी जनसेवक हैं चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हों या सरकारी महकमें में सभी को अपनी जायदाद (प्रापर्टी) की स्वत: घोषणा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए तभी इस कठिनाई से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

श्री येल्लैया नंदी

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट): अध्यक्ष महोदय, आज हम अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में है और हाल ही में हमने पूरे देश में इस ऐतिहासिक अवसर को बड़े उत्साह से मनाया।

स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी उपलब्धियों का संबंध हमारे राजनीतिक जीवन और प्रजातंत्र के सफल संचालन के साथ जोड़ा जा सकता है।

हमारा राष्ट्र महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी (राष्ट्रपिता) श्री जवाहरलाल नेहरू, डा. अम्बेडकर, श्री सुभाष चन्द्र बोस, श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री अबुल कलाम आजाद और कई अन्य महान नेताओं का सदैव ऋणी रहेगा जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन की नींव रखी और हमारे राष्ट्र को अवधारणात्मक निदेश दिये जिससे वह विश्व में सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सके।

स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशी शासन में हमारा देश अत्यधिक शोषण का शिकार रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत न तो एक पिन बनाने की स्थिति में था न ही पेन।

ब्रिटिश उपनिवेशी शासन में हमारे संपूर्ण राष्ट्र की 30 करोड़ जनसंख्या ने राजनीतिक शोषण, भीषण आर्थिक शोषण और अशिक्षा, भुखमरी का सामना किया था और अधिकांश लोग शिक्षा पाने से वंचित रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के इन पचास वर्षों के बाद आज देश की जनसंख्या करीब 95 करोड़ है और यदि हम अपने वर्तमान की तुलना ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दिनों से करें, जब हमारी जनसंख्या मुश्किल से 30 करोड़ थी तो हम आत्मविश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

इन उपलब्धियों का लाभ हमारे राष्ट्र के विस्तृत भू-भाग और विशाल जनसंख्या को मिला है।

भारत अपने निर्माताओं की आकांक्षाओं को, कई क्षेत्रों विशेषकर प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में, पूरा कर चुका है। भारत की कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, हम निवाहार्थ खेती और खाद्यान्नों के आयात के स्थान पर अग्रणी निर्यातक बन गए हैं।

हमारा राष्ट्र अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने वाले गिने-चुने देशों की श्रेणी में आ गया जब हमने स्वदेश में निर्मित पहले उपग्रह ''आर्यभट्ट'' को प्रक्षेपित किया था और उसके पश्चात् उपग्रहों की एक श्रृंखला को प्रक्षेपित किया गया जो कि अपनी तरह के बेहतरीन उपग्रह थे और जिनकी तुलना संसार के विकसित देशों द्वारा बनाए गए उपग्रहों से की जा सकती है।

''भारत उच्च कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी है और भारत ने अपने स्वनिर्मित सुपर कम्प्यूटर के विकास के साथ कम्प्यूटर युग में प्रवेश कर लिया है, जो कि मौसम की भविष्यवाणी करने और कई क्षेत्रों और नाभिकीय अनुसंधान में आधुनिकतम वैज्ञानिक विश्लेषण में सर्वोत्कृष्ट है, देश को विकसित राष्ट्रों के गम्भीर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबंधों के बावजूद भी ''फास्ट ब्रीडर'' प्रौद्योगिकी की संचालन क्षमता को प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है।

वर्तमान में भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा औद्योगिकीकृत राष्ट्र है और इसके पास स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती को मनाने के पर्याप्त कारण हैं। इस समय हमारा देश अपने लिए लड़ाकू विमान, प्रक्षेपास्त्र, विद्युत

संयंत्र, आटोमोबाइल्स, नाभिकीय, ईंधन, नाभिकीय दवाइयां, रसायनिक रंगों, उर्वरक, औषधियां, सीमेन्ट, स्टील, चीनी, वस्त्र, तेल शोधक कारखाने कई प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, भारी मशीनें और इस तरह की कई वस्तुओं का उत्पादन करता है और कृषि क्षेत्र में हमारे देश ने 95 करोड़ की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है जो कि अपने आप में स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश की महान अद्वितीय उपलब्धि है।

पोखरण में 1974 में शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट द्वारा प्रदर्शित भारत की नाभिकीय क्षमताएं और राकेट और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का साथ-साथ विकास भारत को यदि आवश्यकता हो तो अपेक्षित प्रक्षेपण प्रणाली उपलब्ध करा सकता है।

यह हमारी वर्तमान राजनीतिक जीवन और प्रजातंत्र संचालन की हमारी संसदीय प्रणाली के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था में और राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय राष्ट्रीय सम्पत्ति के सृजन की हमारी क्षमता को दर्शाता है।

स्वतंत्रता पूर्व की अवधि की तुलना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक हमारा ही ऐसा राष्ट्र है जो विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या 95 करोड़ है और हमने विश्व में सिद्ध कर दिया है कि हमारा देश विश्व का सफल संचालित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। बावजूद इसके कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं और कई संस्कृतियाँ और धर्म विद्यमान हैं।

ये उपलब्धियां राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण और समाज का समाजवादी स्वरूप और विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और महात्मा गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू और डा. अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित वर्तमान राजनीतिक जीवन और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के राजनीतिक और आर्थिक प्रतिरूपों पर आधारित है।

हमारे महान नेताओं ने विश्व की विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी कुछ अच्छी अवधारणाओं को लेकर हमारे अद्वितीय संविधान सहित हमारी अपनी राजनीतिक आर्थिक प्रणालियों को रूपायित किया। हमारी राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक प्रणालियों में एक लचीलापन है जिसका उपयोग उसके मूल अन्तर्निहित स्वरूप में बदलाव लाए बिना और अन्यों की सीधी-सीधी नकल किए बिना विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर कतिपय संशोधनों को लाने और क्रांतिकारी परिवर्तनों हेतु किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी दूसरा राष्ट्र हमारे राष्ट्र के समकक्ष नहीं ठहर सकता और सभी सुधारों को, महात्मा गांधी, श्री जवाहर लाल नेहरू और डा. अम्बेडकर के द्वारा सुस्थापित हमारी राजनीतिक अवधारणाओं की सीमाओं के भीतर ही लाना होगा तभी हम कई विषमताओं, जिनका कि हम सामना कर रहे हैं, को दूर करने का आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और हमारा राष्ट्र इस ढंग से आगे बढ़ सकेगा जिससे कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

भारत राज्यों का एक संघ है जहां सहकारी संघवाद की महान भावना निहित है।

संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि भारत राज्यों का संघ है। वास्तव में संघ की एक हमारी अद्वितीय प्रणाली है जिसमें एकात्मक स्वरूप प्रदर्शित है। संघ और राज्यों के कार्य-क्षेत्र और गतिविधियों का स्पष्टरूप से निर्धारण किया गया है। इन सारी चीजों में समवर्ती सूची का उपबंध एक अतिरिक्त हितकर विशेषता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों से पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी शक्तियों का विनियोजन किया गया है यह महसूस किया गया कि निचले स्तरों पर शक्तियों के हस्तांतरण अर्थात् ''जनता को अधिकार'' देने से न केवल हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली और मजबूत होगी। अपितु हितकारी शासन की वृहत अवधारणा के अनुसार प्रशासनिक रूप से दक्ष भी बनाएगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के पचास वर्षों में भारत ने विश्व की सबसे बड़े कार्यकारी संसदीय लोकतंत्रात्मक के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है। प्रतिनिधिक संस्थाओं में हमारा विश्वास का मूल अद्यतन नहीं है। हमारे देश में विचार-विमर्श करने वाली प्रतिनिधिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है। हमारे लोगों के प्रजातांत्रिक आदर्श हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मूल भावना में अंतर्निहित थे। इसीलिए जब भारतीय क्षितिज पर स्वतंत्रता का प्रभात हुआ तो, केवल यह कहना तार्किक और सही होगा कि, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हमारी जनता के लिए एक संसदीय प्रजातांत्रिक संस्था को चुना था।

हमारे प्रजातंत्र की शक्ति को राजनीतिक सत्ता की भागीदारी की क्रियाशील इच्छाशक्ति में देखा जा सकता है। हमारे संविधान के निर्माता दूरदृष्टा थे और उन्होंने केन्द्र के लिए राज्यों के साथ सत्ता की भागीदारी के लिए मानदण्ड निर्धारित किये थे। उन्होंने संविधान में एक निदेशक सिद्धांत के रूप में स्थानीय स्वशासन को भी विनिर्धारित किया था। अद्यतन संवैधानिक संशोधनों ने स्वशासन के इस निदेशक सिद्धांत को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में बदल दिया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण उद्योगों, शहरी विकास इत्यादि संबंधित कई विषयों को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में निहित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तथापि महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ताधारी वर्ग में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की भागीदारी की मूल इच्छाशक्ति प्रबल हो।

आज हमें अपनी सरकार चलाने तथा जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है।

हमें अपनी लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को सुस्पष्ट तरीके से तथा अत्यंत पारदर्शी तरीके से और अधिक लोकतांत्रिक बनाकर इन कठिनाइयों

को दूर करना होगा तथा अपनी पार्टी की प्रणालियों को इसके निचले स्तर से पूर्णतः लोकतंत्रात्मक बनाना होगा।

प्रशासनिक मशीनरी को निचले से ऊपरी स्तर तक प्रत्येक स्तर पर कानून के नियम तथा लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

भावावेश में भ्रष्टाचार की केवल बात करने तथा लोगों को इस संबंध में अधिक भावुक बनाकर, जिससे भ्रष्टाचार के विरोध की बात करने वाले नेताओं के निकट जाया जा सके, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। सरकार को राज्य और केन्द्र स्तर पर प्रत्येक विभाग के कार्य की गंभीरता से जांच करनी चाहिए तथा प्रत्येक विभाग की नौकरशाही कार्यपालक मशीनरी के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार होने, के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर इसका सक्रिय समाधान किया जाना चाहिए।

सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को न्यायपालिका की तरह या उससे भी अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। जिस मतदाता को किसी भी कोर्ट द्वारा किसी भी अवधि के लिए सजा सुनाई गई हो उसे कम से कम दस वर्षों के लिए कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जिस तरह से किसी भी मतदाता को मत देने का अधिकार है उसी प्रकार हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, जो कई दशकों के संघर्ष के बाद निर्मित हुई हैं, को भी मतदाता के निर्णय को सुरक्षित करने का अधिकार होना चाहिए और इसके लिए ग्राम पंचायत के चुनावों से लेकर विधानसभा तथा संसद के चुनावों के लिए मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए तथा मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य कर देना चाहिए।

जो व्यक्ति मतदान नहीं करता उस पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और मत देना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर देना चाहिए।

राज्य को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तथा संसदीय चुनावों के लिए समूचे चुनाव खर्च के लिए वित्तपोषण करना चाहिए तथा कमजोर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किसी भी उम्मीदवार की प्रतिभूति जमा राशि को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रत्येक निर्दलीय उम्मीदवार का उन संस्थाओं से निचली संस्थाओं के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए जिनके अंतर्गत वे अपना नामांकन भरते हैं।

राष्ट्रीय राजनैतिक दलों, जो 50% से अधिक राज्यों में नियमित रूप से कार्यरत हैं, को ही चुनाव आयोग द्वारा जारी पार्टी के चिन्हों पर संसदीय चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा सभी राष्ट्रीय दलों के चुनाव नियमित आधार पर करवाए जाने चाहिएं तथा प्रत्येक राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टी के लेखों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। संविधान में बड़े सुधार करने के लिए आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिएं तथा जैसा कि चुनाव आयोग को नियमित रूप से संसदीय चुनाव करवाने का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार उसे सभी पंचायतों तथा नगरपालिकाओं तथा विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी नियमित रूप से चुनाव करवाने का अधिकार होना चाहिए, केवल तभी लोकतंत्र को निचले स्तर पर मजबूत किया जा सकेगा। इन परिवर्तनों और ऐसे ही अन्य मूलभूत परिवर्तनों द्वारा भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण समाप्त किया जा सकेगा तथा ऐसे मूलभूत परिवर्तनों से हमारे लोकतंत्र की स्वच्छ प्रशासन वाली संसदीय प्रणाली निश्चय ही मजबूत होगी।

श्री मृत्युंजय नायक

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी): अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की पूर्वसंध्या पर इस संकल्प का स्वागत करता हूं। गत 50 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा करने के बाद यह पाया गया है कि कांग्रेस पार्टी विभिन्न आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों द्वारा देश को चलाने में सफल रही है। देश का इतिहास हमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कांग्रेस दल के समर्पण की याद दिलाता है तथा देश के शासन से उनकी समर्पित सेवा के 42 वर्षों की उपलब्धियों से देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। महात्मा गांधी, देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का आंदोलन तथा देश की स्वतंत्रता मिलकर भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान बनाएंगे। एक दूसरे को आपस में जोड़े बिना हमारा इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के पास शायद ही कुछ संसाधन थे परन्तु वे केवल राजनैतिक गतिरोध के कारण ही समर्पित नहीं थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश को पिछले 42 वर्षों से चला रही है तथा समय की मागं पर खरी उतरी और उसने विभिन्न उपायों द्वारा आर्थिक नीतियां लागू करके इसे उपयोगी बनाया है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में प्रिवी पर्स को हटाये जाने तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उन किसानों का सुनहरा भविष्य बनाने में काफी मदद मिली जो कृषि उत्पादन तथा किसानों के लिए एक अच्छे प्रगतिशील परिवर्तन को लाने के लिए जिम्मेवार थे। बैंकों की संस्थागत संप्रभुता को कम किया गया तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण

से यह पाया गया कि बैंकों के सभी कार्यों का लक्ष्य किसानों को बैंक ऋणों, "नाबार्ड" द्वारा राजसहायता, आर्थिक ऋण तथा आईआरडीपी योजनाओं के अंतर्गत वीपीएल का लाभ देना है। यद्यपि देश में काफी संसाधन थे फिर भी उनका उपयोग सिंचाई और पीने के पानी के लिए नहीं किया गया। इसलिए, सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, महानदी जैसी बड़ी नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाने का काम शुरू किया तथा मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इस त्वरित तथा प्रगतिशील उपाय के कारण यह देश भारी मात्रा में खाद्यान्न उत्पादित करके आन्तरिक उपभोग के लिए तथा विश्व के अन्य देशों में निर्यात कर सकने में सफल हुआ है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए मजदूरी या इंदिरा आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा अ.जा. और अ.ज.जा. निगम के वित्तीय ऋण इत्यादि जैसे कई कल्याण कार्यक्रम शुरू किये गये थे।

रक्षा के क्षेत्र में हम पृथ्वी और अग्नि तथा नाभिकीय अस्त्रों जैसे कई रक्षा उत्पादनों का विनिर्माण करने में सक्षम हो सके हैं हमने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष उपग्रह भेजे हैं जिसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम पूरे किये गये थे तथा रक्षा क्षमताएं बढ़ाई गईं। जहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध है, शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं शुरू करके पर्याप्त प्रगति की गई है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता पूर्व के समय में गुलामी और दासता के दिनों के पीड़ित लोगों को नया जीवन और सफलता प्रदान करके एक सभ्य और सुशिक्षित मानव समुदाय बनाया है।

योजना आयोग का कार्यों के प्रति रवैया काफी ढुलमुल रहा है क्योंकि हम कानून और प्रक्रियाओं से निर्देशित होते रहे हैं जिससे मुश्किल से ही ऐसी स्थिति पैदा हुई जो उन लोगों को आर्थिक आजादी देती है जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है। उन जिलों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है जो उद्योग रहित, रेल रहित, औद्योगिक विकास रहित जिले घोषित किये गये हैं यद्यपि उन्हें अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. लोग हों, डी.पी.ए.पी. जिले के अंतर्गत लाया गया है। सरकार चुप है, संसद चुप है, योजना आयोग चुप है और उनके पास ऐसी कमियों का कोई जवाब नहीं है। और इसी कारण गरीबी अभी भी जारी है और जब भी कहीं कोई प्राकृतिक संकट, अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं, तो मृत्यु, पलायन, भूखमरी इत्यादि घटनाएं होती हैं। देश ने कोई ध्यान नहीं दिया और संसद चुप्पी साधे हुए है। सरकार निकम्मी है, देश का कानून अंधा हो गया है। जहां तक संसद का संबंध है, 540 संसद सदस्यों में से मुश्किल से आधे संसद सदस्य ही सभा की बहस में भाग लेते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो सभी 540 संसद सदस्यों को अपनी आवाज उठाने, संकल्प पारित कराने या सरकार को उत्तर देने और प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए निदेश दे। अपने क्षेत्र में उनके आश्वासनों और सेवा को देखते हुए सभी 540 संसद सदस्यों के होने की आवश्यकता और मांग बार-बार उठ रही है। ऐसे उदाहरण हैं कि किस प्रकार सदस्य मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक को पत्र लिखते हैं। परन्तु न ही सरकार और न ही संसद इस स्थिति में है कि सभी 540 संसद सदस्यों को चुनने के लिए लोगों तथा देश को स्थिति स्पष्ट कर सके। हमें यह कहने में गर्व होता है कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा राजनैतिक विचारकों तथा राजनैतिक वैज्ञानिकों द्वारा कई उक्तियां कही गई हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा है— लोगों की, लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा चुनी गई सरकार परन्तु साथ ही यह भी विरोधाभास है कि लोकतंत्र मूर्खों की, मूर्खों के लिए तथा मूर्खों द्वारा चुनी गई सरकार है। मैं लोकतंत्र के उपर्युक्त अर्थ से सहमत नहीं हूं परन्तु मैं समझता हूं कि संसद और सरकार लोगों की भावनाएं समझे तथा लोगों को यह न महसूस करवाए कि जिन्होंने सभी 540 संसद सदस्यों को चुना है—उन्हें उनके संबंधित क्षेत्र के लिए ही मांग करने का अधिकार है।

जहां तक महिला आरक्षण विधेयक का संबंध है मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि सरकार ने महिलाओं की मांग के संबंध में तथा देश की अधिक बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर की है। मुझे कड़ी आपत्ति है कि कोई भी उन बुराइयों का पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा जो महिलाएं अपने आप दैनिक जीवन में झेलती हैं जैसे कि महिलाओं की बेरोजगारी, विधवा और अपंग महिलाएं, शोषित महिलाएं जो घरेलू नारी के रूप में गुलामी का जीवन बिताती हैं, दैनिक मजदूर के रूप में नारी, तथा वे नारिया जिनका वेश्यालयों में बलात्कार होता है। कोई भी महिला उपयुक्त महिला समुदाय के प्रति की जाने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही और न ही उनकी आजीविका चलाने, उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रही है ताकि वे भी एक सम्मानीय सभ्य, सुसंस्कृत तथा देश के अधिक अच्छे नागरिकों जैसा जीवन बिता सकें।

इसलिए, मैं संसद और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे उनके अधिकार सुनिश्चित करे जिससे वे देश के सच्चे नागरिक के रूप में अपनी आजीविका चला सकें।

ऐसा लगता है कि न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका और मीडिया जो कि प्रजातंत्र के चार स्तंभ माने जाते हैं, के बीच सहयोग और कोई तालमेल नहीं है। प्रत्येक अपनी सर्वोच्चता और सम्प्रभुता के लिए लड़ रहा है। कोई भी मिल बैठकर कमियों पर चर्चा नहीं करता और सुझाव या सही तरीके से कोई समझौता और कोई हल नहीं निकालता जिससे कि वे देश के विकास में और अच्छा सहयोग प्रदान करे और देखें कि इस अवसर पर उपर्युक्त संस्थाओं के द्वारा सरकार ने नीतियों और

कार्यक्रमों द्वारा संविधान के दिशा-निर्देशों का पालन किया है। इसलिए, संसद लोगों की वह आवाज है जो केवल देश के नियमों, प्रक्रिया और कानून से ही न बंधी हो अपितु संसद को अधिक प्रभावी, अधिक सिद्धांतपूर्ण और परिणामोन्मुखी होने की आवश्यकता है। वास्तविक अर्थ में वर्तमान विशेष सत्र के आयोजन करने में सरकार की प्रत्येक मामले में संसद के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार, संसद, न्यायपालिका और मीडिया को संविधान में उपयुक्त ढंग से कार्य करना चाहिए ताकि समयानुकूल उन लोगों के सपनों और इच्छाओं को पूरा किया जाए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिये।

श्री भगवान शंकर रावत

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित लोक सभा के इस ऐतिहासिक विशेष अधिवेशन में खुलकर सदस्यों को विचार प्रकट करने का अवसर दिया है, उसके लिए आपको बधाई। आपने स्वयं प्रस्ताव रखा है, यह भी तो ऐतिहासिकता ही है। पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ है।

विभिन्न पूर्व वक्ताओं ने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा राजनीति के अपराधीकरण के खतरे की ओर देश का व शासन का ध्यान आकर्षित किया है। भ्रष्टाचार ऐसा कैंसर है जो जनजीवन को डस रहा है। जब भ्रष्टाचार ऊपर से होने लगता है तब उसकी गति और तेज हो जाती है। आज तो रिक्शा चालक से भाड़ा ज्यादा मांगने पर सही पैसे लेने को कहो तो वह शीर्ष नेताओं के भ्रष्टाचार की बात कहकर कहता है कि मैं तो मजदूरी ही तो ज्यादा मांग रहा हूं, देश को लूट नहीं रहा।

राजनीतिक अपराधीकरण इस कदर बढ़ गया है कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो नई शताब्दी में प्रवेश के साथ माफियाओं के गुटों के प्रतिनिधि या उनके सरदार संसद व विधान मंडलों में बैठेंगे। सामान्य व्यक्ति तो चुनाव ही नहीं लड़ सकेगा। अपराधी कानून को तोड़ने वाले बाहुबल से चुनाव में बूथों पर कब्जा कर चुनाव जीत लेंगे। पहले धन शक्ति का प्रयोग कर पूंजीपति अपने एजेंटों को चुनवाने का प्रयत्न करते थे और किसी सीमा तक चुनवा भी ले जाते थे और अब बाहुशक्ति का उपयोग कर बाहुबली या उनके चहेतों की चुनाव जीतने की शुरुआत हो गई है। इस देश में फूलन देवी जैसों को महिमामंडित किया जा रहा है तब देश का क्या बनेगा? इसमें हमारे मीडिया के सहयोगी भी दोषी हैं जो अपराधियों को महिमामंडित करने में सहयोग करते हैं। अपराधियों के राजनीति में प्रवेश को दृढ़ता से रोका जाना चाहिए। आवश्यकता हो तो उनके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन सरकार लाये ताकि राजनीति अपराधियों से शुरू न हो सके। हाँ यह भी आवश्यक है, यदि निचली अदालतें किसी अपराधी को सजा दे जाए और उसकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित हो तो भी उच्च न्यायालय के निर्णय तक उस जन प्रतिनिधित्व कानून में अपराधी ही माना जाना चाहिए तथा अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों में 15 से लेकर 20 वर्ष तक अपीलों के फैसले में लग जाते हैं। उच्च न्यायालय सजा पर रोक लगा देता है, जमानत दे देता है मगर उसका लाभ अपराधी को इस क्षेत्र में नहीं मिलना चाहिए चूंकि एक न्यायालय में उसे दोषी माना जा चुका है।

इस सदन में एक मुद्दा ऐसा है कि जो राष्ट्रीय महत्व का तो है मगर उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई वह है पर्यावरण का। पर्यावरणीय प्रदूषण हो या अन्य प्रकार के प्रदूषण की समस्या, इनको हल करने के लिए शासन को इच्छा शक्ति जगानी होगी। शासन को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रदूषण की समस्या नकारात्मक दृष्टिकोण अपना कर समाप्त नहीं की जा सकती। शासन की उपेक्षा वृत्ति का ही परिणाम है देश की स्वतंत्रता के साथ ही औद्योगीकरण की शुरुआत का सर्वाधिक दुष्प्रभाव हमारी दैवीय नदियों पर पड़ा। देश की कोई भी नदी इस प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बची नहीं। यहाँ तक कि पतित पावनी गंगा नदी को भी नहीं छोड़ा गया। ऋषिकेश व हरिद्वार से ही गंगाजल प्रदूषित कर दिया गया। यमुना नदी का तो और बुरा हाल है। दिल्ली के बाद का यमुना जल तो विष जैसा खतरनाक है, जिसका उपयोग व्यक्ति कर सकते हैं मवेशियों को भी नुकसान करता है। साथ ही जिस खेती को उस जल से सींचा जाता है उस खेती की मिट्टी भी खराब हो जाती है। उत्पादों में तो दुष्प्रभाव आता ही है। गोमती नदी का भी यही हाल है। पर्यावरण में सुधार के नाम पर न्यायालयों ने अनेक फैसले ऐसे दिये हैं जिनमें विसंगतियाँ हैं। वे विसंगतियाँ इसलिए हैं कि शासन की ओर से न्यायालयों के समक्ष पूरे तथ्य सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखे गये। आज आवश्यकता इस बात की है कि शासन पर्यावरण के बारे में विस्तार से वृहद नीति बनाये तथा उसके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाये। पर्यावरण संबंधी नीति बनाते समय रोजी, रोटी, विकास और पर्यावरण इनमें तालमेल बिठाना होगा। अभी कुछ निर्णय हुए हैं जिनमें आगरा के उद्योगों तथा दिल्ली के उद्योगों को स्थानांतरित करने की बात

कह दी गई। आगरा में औद्योगिक विकास लगभग रोक दिया गया है। वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार के पास नौकरियाँ नहीं हैं आखिर वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चले? नौजवान पेट कैसे भरें? भुखमरी फैल रही है। एक बार तो चंबल के बीहड़ों से दस्युराज मानसिंह व अन्य अपराधियों से मुक्ति हुई। क्या शासन पुन: चंबल के बीहड़ों को अपराधियों से आबाद करना चाहता है? दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति है। आगरा में तो अवाधगति से अनवरत विद्युत आपूर्ति पूरे ताज संरक्षित क्षेत्र में देने की बात कही जा रही है। उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन ने शपथ पत्र लगा दिया लेकिन बिजली वहाँ आती नहीं। कैसे प्रदूषण रुके, कैसे ताज धूएं से बचे? इसलिए आवश्यकता है कि शासन पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के ऐसे उपाय करे जिससे क्षेत्र का विकास हो, वहाँ के लोगों की क्रय शक्ति भी पुष्ट हो। रोटी तब मिलेगी जब क्रय शक्ति होगी। अर्थात् रोजी होगी तो रोजी और रोटी दोनों मिल जायेंगे तो विकास होगा उसके साथ ही पर्यावरण के नियम अंकुश व अनुशासन चल सकेगा।

ताज संरक्षित क्षेत्र के अन्दर विश्व की तीन धरोहरें ताजमहल, किला व फतेहपुरसीकरी है। उनकी पर्यावरणीय प्रदूषण से रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। मगर इनकी सुरक्षा के बारे में शासन ने कोई स्थिर सुविचारित नीति नहीं बनाई। अनेक समितियों ने इनकी सुरक्षा के उपायों के बारे में संस्तुतियाँ की हैं मगर उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उन संस्तुतियों को ईमानदारी, निष्ठा और पूर्ण सच्चाई के साथ रचनात्मक भाव से लागू नहीं किया गया। लागू करने की बात आती है तो केन्द्र सरकार कहती है कि प्रदेश सरकार इन कार्यों को करें और जब प्रदेश सरकार से कहा जाता है तो वह कहती है स्थानीय निकाय करें। मामला सारी बहसों के बाद वहीं का वहीं रह जाता है।

मेरा सुझाव है कि देश की इन तीनों विश्व धरोहरों सहित देश में स्थित अन्य पुरा संपदा की विश्व धरोहरों की देखभाल इनके शहरों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना इनको पर्यावरणीय या अन्य प्रकार के प्रदूषण से सुरक्षा करने का काम केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले। इस कार्य के निमित्त वह आर्थिक संसाधन उपलब्ध करावे। ताज संरक्षित क्षेत्र के बारे में तो उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्देश दिये हैं। उनको भी सही रूप में शासन ने कार्यान्वित नहीं किया। अभी तक ताज संरक्षित क्षेत्र के गांवों में विद्युत आपूर्ति की योजना के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया। आगरा नगर को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए सीवर नालों की समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई। मेरा सुझाव है कि योजना आयोग ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पृथक रूप से ताज संरक्षित क्षेत्र विकास निधि बनाने का सुझाव केन्द्र व राज्य सरकार को दिया है। उस निधि को ताज संरक्षित क्षेत्र के विकास के लिए स्थायी निधि के रूप में सृजित किया जाए। अभी तक केन्द्र सरकार की नजर में पर्यावरण मंत्रालय को धन दिये जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास की मद से देता है इसलिए पृथक शीर्षक संनिधि बनाई जाए। हर वर्ष बजट में पृथक रूप से धन आवंटित किया जाए तथा एक अध्ययन दल बना कर वहाँ की समस्याओं का अध्ययन कराकर उनके लिए दीर्घकालीन व तत्कालीन व्यवस्थायें कराई जायें। वित्त आयोग से भी पृथक रूप से ताज संरक्षित क्षेत्र के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये।

जनसंख्या वृद्धि के मामले में हमें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। मेरा सुझाव है कि बिना किसी जातिगत, धार्मिक भेदभाव के अनिवार्य रूप से किसी भी दंपत्ति को दो बच्चों से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दो बच्चे जन्मते ही पति पत्नी दोनों का अनिवार्य बंध्याकरण कराया जाना चाहिए। इससे तलाक देकर दूसरी शादी करने वालों की समस्या का भी निदान होगा। जनसंख्या का दानव भस्मासुर बनकर देश के विकास को निगल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था व संसाधनों को नष्ट कर रहा है। प्रगति की दौड़ में देश को पीछे धकेल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जो बच्चे पैदा हों उनके विकास की नीति बने जिससे देश में अच्छे नागरिक पैदा हो सकें।

चौधरी तेजवीर सिंह

चौधरी तेजवीर सिंह (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इस शुभ अवसर पर मुझे आपके द्वारा अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी यातनायें सहीं, हंसते-हंसते फांसी के फंदों "को चूमा और—मेरा रंग दे बसंती चोला" के गायन के साथ हंसते-हंसते देश की आजादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया।

महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को देशवासियों को प्रेरित किया, अहिंसात्मक रास्ता अपना कर अंग्रेजो भारत छोड़ो का

नारा दिया, सुभाषचन्द्र बोस के वो शब्द "कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने देशवासियों के दिलों में स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाने का कार्य किया। चन्द्रशेखर आजाद, अशफाकउल्लाखाँ, राजगुरू सुखदेव आदि ने आजादी का शंखनाद किया जो 15 अगस्त, 1947 को सार्थक हुआ। देश से यूनियन जैक हटकर लालकिले पर तिरंगा फहराया, लेकिन अध्यक्ष जी प्रश्न यह उठता है कि आजादी के 50 वर्षों के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया? जिस उद्देश्य को लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ी गई क्या उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सके हैं? क्या 50 वर्षों के अन्दर भारत जैसे महान देश को विकसित राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में हम ला सके हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि नहीं? ऐसा नहीं कि भारत में विकास नहीं हुआ ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है, परन्तु जिस गति से महात्मा गांधी जी ने तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के विकास की तथा भारत को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की कल्पना की थी वो हम साकार नहीं कर पाये हैं। मैंने माधवराव जी सिंधिया का भाषण सुना उन्होंने कहा कि यहाँ 42 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है जो सौभाग्य की बात है, मैं श्री माधवराव जी से कहना चाहता हूं कि देश का सौभाग्य तो तब होता जब भारत विकसित राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में होता।

मा. अध्यक्ष जी, आगामी 50 वर्षों में हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है, हमें गरीब-अमीर की खाई को पाटना है, भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप में सशक्त करना है और देश की जनता के दिल में स्वतंत्रता की लड़ाई को ताजा रखना है, देश में लघु उद्योग धन्धों को खोलना तथा कृषि को प्राथमिकता देना, गरीब मजदूरों के दिल में आर्थिक विषमता दूर करने की भावना जागृत करनी है और बच्चों को वन्देमातरम का पाठ पढ़ाना है तभी हम देश के विकास की बात सोच सकते हैं।

अध्यक्ष जी, भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे यहां पानी की कोई समस्या नहीं। यहाँ नदियों का भंडार है, उपजाऊ जमीन और बलशाली पुरुष है, लेकिन कृषि पैदावार फिर भी कम है उसका एक ही कारण है कि कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष जी, मैं निःसंकोच कहना चाहता हूं कि देश के किसान के बारे में जो सोच सरकारों की होनी चाहिये थी वो नहीं रही। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिया नहीं जाता है उसे सही समय पर खाद और उत्तम बीज एवं कीटनाशक दवाईयों की सुविधा मिल नहीं पाती है और इससे स्थिति यह होती जा रही है कि किसान टूटता चला जा रहा है, कहा यह जाता है कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है, हमारा देश विदेशों को अनाज निर्यात करता है, लेकिन कुछ समय बाद यह सुनने में आता है कि भारी दामों पर विदेशों से भारत अनाज आयात करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृषि को प्राथमिकता देनी होगी, किसान का जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, और जब यहां का किसान खुशहाल होगा तो यह देश स्वतः खुशहाल हो जायेगा। भारत को विकसित राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का कार्य इस देश का किसान ही करेगा। आज स्थिति यह है कि किसान का आलू शीतगृहों के बाहर या खेतों में सड़ रहा है, गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता, इसमें हमें किसान के लिए उचित और उत्तम व्यवस्था करनी होगी। चौधरी चरणसिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है।

अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर हमें विशेष बल देना होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा के अभाव में ही पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर ऊंचा उठाना होगा, आज स्थिति यह है कि ग्रामीण विद्यालयों में जो अध्यापक नियुक्त हैं वही विद्यालय जाना पसंद नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की समुचित व्यवस्था नहीं है, देश की शिक्षा को अंग्रेजी ने पूरी तरह जकड़ लिया है। जो अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालय हैं उन्हें ही आज अच्छा माना जाता है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत की प्राचीन संस्कृति को अगर जिन्दा रखना है तो भारत को अंग्रेजी शिक्षा की जंजीरों से मुक्त करना होगा, तभी हम अपना नैतिक और सामाजिक स्तर ऊंचा उठा पायेंगे। अध्यक्ष जी यहां मेरे कई सांसद मित्रों ने स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा को कायम रखने की बात कही। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तम्भ हैं-न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रैस। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ही समय-समय पर इन चारों स्तम्भों पर प्रहार किया गया है और देश की जनता को "हल्ला बोल" का गलत संदेश पहुंचाया गया। इस पर सभी राजनीतिक दलों को चिंतन करना होगा और एक मंच पर बैठ कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये विचार करना होगा। तभी देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा कायम रह सकेगी। अध्यक्ष जी रक्षा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ पड़ोसी देश भारत से खुश नहीं है लेकिन फिर भी हमारी यह नीति है कि भारत पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहता है। लेकिन फिर भी कोई राष्ट्र भारत की इस भावना को कमजोरी के रूप में लेता है तो हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार रखना होगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि देश की रक्षा पर खर्च करने में किसी तरह की कमी न हो, हमारे देश में सैनिकों का मनोबल हम ऊंचा रखें। अध्यक्ष जी मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि भारत को महान और सशक्त बनाने के लिये आज आवश्यकता है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की, देश प्रेम की शिक्षा की और रामकृष्ण के संदेशों की, महात्मा गांधी और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय के विचारों की, गीता के उपदेशों की और महाभारत की कथाओं की। जब हम देश में इनका क्रियान्वयन कर लेंगे तो निश्चित ही हमारा महान भारत देश आगामी 50 वर्षों में अपनी आजादी के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने में सफल होगा।

श्री अनिल कुमार यादव

श्री अनिल कुमार यादव (खगरिया): अध्यक्ष महोदय, आज देश को आजाद हुए पचास साल हो गया और इस शुभ अवसर पर आजादी की स्वर्ण जयन्ती को यह विशेष सत्र बुलाया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभार मानता हूं। इस संबंध में मेरा अपना सुझाव है कि देश तो आजाद हो गया लेकिन व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी वह आज भी बदली नहीं जा रही है। आज से अध्यक्ष महोदय इस अंग्रेजी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। आज आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. की जो ट्रैनिंग होती है वह अंग्रेजी व्यवस्था के निर्धारित मापदण्ड पर ही होती आ रही है।

मान्यवर, देश की अर्थव्यवस्था में कई योजनाओं द्वारा बदलाव लाने का प्रयास जारी है, किन्तु हमारे गरीब, नि:सहाय ग्रामीण मजदूर किसान तथा दबे-कुचले लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रम केवल कागजों पर ही चलता आ रहा है और अभी भी देश के छ: करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं एवम् गरीब, गरीबी से ग्रस्त ही हैं उन्हें अपने देश की पचासवीं वर्षगांठ पर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मेरे क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या है वह प्रत्येक वर्ष लगभग दस हजार लोगों को नि:सहाय तथा गरीबी के मुंह में झोंकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें देश की आजादी का अर्थ भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। उनसे जब आजादी का मतलब पूछा तो वे यही कहते हैं कि पहले से अच्छा अब नहीं है। बाबू लोग तो मौज मस्ती में लीन है मगर हमारे ग्राम का विकास जैसा का तैसा है बल्कि प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका से हमें नुकसान ही हो रहा है। मान्यवर, हमारे देश की जनता को दो तरह की आजादी मिली है एक तो वे मुट्ठी भर लोग हैं जो पहले अंग्रेजों का चमचागिरी कर अपने को खूब सम्पन्न बना लिया तथा अब उसी का परिवार तथा समाज सामंती हो गये हैं। ये सामंती लोग गरीबों को बुरे वक्त पर उनकी मजबूरी का फायदा उठा कर उन्हें ऊंचे दर पर ऋण देते हैं तथा बदले में बंधुआ मजदूरी करा कर दर पुश्त दर उनके बच्चों का भी शोषण करते आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव सुदूर देहात में पड़ता है और उसके इर्द-गिर्द सामंती लोग आज भी गरीबों को बंधक बनाकर उसके बाल-बच्चों से मुफ्त में काम लेते हैं। साथ ही उनके द्वारा दिये गये चन्द रुपये भी पता नहीं किस हवा की गति से बढ़ती जाती है कि वह वसूल भी नहीं होता जिसका भय दिखाकर सामंती लोग गरीबों का शोषण करते हैं। इसी तरह अध्यक्ष महोदय अंग्रेजों का चमचागिरी करने वाले लोग के औलाद अब अफसरशाही का चमचागिरी कर रहे हैं तथा गरीब अशिक्षित जनता को उसका भय दिखाकर उसका शोषण कर रहे हैं।

मेरा गुजारिश है अध्यक्ष महोदय कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा प्रत्येक ग्रामीण, किसान, मजदूर को तत्काल पांच हजार रुपया बिना विलंब का चौबीस घंटा के अंदर ऋण लेने तथा उसका भुगतान एक निश्चित अवधि के अंदर बिना सूद का करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए जिससे ये भोली-भाली गरीब जनता अपने विपत्ति में सामंतों के चंगुल में न फंस सके और अपनी तत्काल आवश्यकता की पूर्ति कर बैंक को पुन: निर्धारित अवधि के अंदर रुपये का भुगतान कर दे।

महोदय, देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती तभी सफल मानी जायेगी जब गरीब का बच्चा गरीबी के कारण भूखे न मरे तथा अमीर का बच्चा अपनी रईसी के कारण न मरे। इन दोनों चीजों के बीच सामंजस्य जब स्थापित होगी तब ऊंच-नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा तथा लोगों में सहयोग की भावना जागृत होगी। वे मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाये बगैर एक दूसरे को सहयोग करेंगे और तब जाकर "बसुधैव कुटुम्बकम्" का सही ध्येय सामने नजर आएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी गरीबों के मसीहा के रूप में कार्य करने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसी का उदाहरण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री लालू प्रसाद जी हैं जो गरीबों, दलितों तथा नि:सहायों को सच्ची आजादी देने का कार्य करना अभी प्रारंभ ही किया था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के साजिश का शिकार बनकर आज कैदखाने में पड़े हैं।

अत: महोदय, आज न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत है जिससे कि वह अपनी सीमा में रहकर संविधान में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करे, लेकिन हाल में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य में धारा 356 लागू करने एवम् गिरफ्तारी के लिए सेना बुलाने का खानगी निदेश दिया गया। इस पर केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय का भी ध्यानाकृष्ट करना चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र रहे लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं।

सरकार को गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार मिटाने एवम् राजनीति का अपराधीकरण पर रोक लगाने एवम् सबको शिक्षा, सबकी इज्जत और सबको काम के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। वहीं पर हर गांव को सड़क से, सभी गांवों का विद्युतीकृत कर गांवों की बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने, सिंचाई एवम् पीने का पानी की व्यवस्था, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर करने, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ठोस योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन कराने से आजादी की असली स्वर्ण जयंती कही जाएगी।

श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला

श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला (तिरुपति): अध्यक्ष महोदय, मुझ जैसे नये सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

हम भारतीयों को इन 50 वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों पर गर्व है, और स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे होने के इस सुनहरे अवसर पर मैं सभी दलों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान प्रजातंत्र का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं डा. भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा के चेयरमैन थे, का अभिवादन करता हूं। खाद्य, वस्त्र, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि देश के गरीब और आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े विशाल जन समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उससे अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा और देश के लोगों का, अपनी कमजोरियों और समाज में व्याप्त नकारात्मक सोच, जिस पर निर्भय होकर सहृदयता के साथ चर्चा की जा सकती है, के संबंध में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और कुछ कटु सच्चाई बताना चाहूँगा।

1. महोदय, स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात् भी हमने मूलभूत आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त की।

(क) जल—पेय जल-सिंचाई के लिए जल

(ख) बिजली—किसानों के लिए बिजली—उद्योगपतियों के लिए बिजली।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक प्रधान मंत्री के नाते खाना, कपड़ा, मकान अर्थात् खाद्य, वस्त्र और आवास का नारा दिया। महोदय, खाद्य और वस्त्र के क्षेत्र में हमें अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हुए लेकिन महोदय यह बताइये कि जल और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं के बिना हम अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

इसलिए हमें पानी, बिजली और मकान का नारा देना चाहिए; दलगत भावना से ऊपर उठकर हमें देश के लोगों, अभियंताओं और कार्यकर्ताओं को समाज के सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल और अधिक जल के उत्पादन के लिए उत्साहित करना चाहिए।

2. जनसंख्या—इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए अन्यथा विकास कार्यों पर खर्च किये गये लाखों करोड़ों की धनराशि जनसंख्या नियंत्रण में निष्फल सिद्ध होगी अथवा एक दिन ऐसा आयेगा कि ओजोन परत नष्ट हो जायेगी और यह जनसंख्या पूर्णरूपेण नेस्तनाबूद हो जायेगी।

3. मध्यावधि चुनाव कराये बिना सरकार स्थायी रूप से पांच वर्ष चले।

4. हुडको लि.—भारतीय शहरी आवास विकास निगम लि. भवन निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपये उपलब्ध कराके बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ई.डब्ल्यू.एस. आवास का ब्याज सबसे कम अर्थात् 9 प्रतिशत है। हुडको ने अब तक 10,000 करोड़ के ऋण दिये हैं और गरीब वर्ग के लिए कम से कम 64 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण किया है। इसलिए सरकार गरीब लोगों के लिए और अधिक ई.डब्ल्यू.एस. आवास बनाने के लिए हुडको को और अधिक धन उपलब्ध कराके प्रोत्साहित करे।

5. फसल बीमा योजना—भारत में अधिकांश क्षेत्र या तो बाढ़ग्रस्त है या अकालग्रस्त है, इसलिए गरीब किसानों की सहायता के लिए उनके गांवों को फसल बीमा के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक—गरीबों के कल्याण और उनकी सहायता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना का शुभारंभ किया। देश की 14000 बैंक शाखाओं में लगभग एक लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन 20 वर्षों के पश्चात् भी उनकी सेवा शर्तें, वेतन और अन्य लाभ दयनीय स्थिति में हैं। अधिकांश शाखाएं घाटे में चल रही है। यह जरूरी है कि एक पृथक बैंक बनाया जाए और शाखाओं को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें अधिक धन उपलब्ध कराया जाए ताकि वे ऋण दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बीर सिंह महतो

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): समय की कमी के कारण मैं सभा में बोल नहीं सकता इसलिए मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम इस विशेष सत्र के आयोजन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर लोक सभा के विशेष सत्र से देश की समस्या कुछ कम होंगी।

भारत के लोगों ने संगठित भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष किया। धर्म के आधार पर देश को बांट कर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। आज तक, हम इस बँटवारे का मूल्य चुका रहे हैं।

महोदय, निरक्षरता हमारी बुनियादी समस्याओं में से एक है। हमें इस समस्या से छुटकारा पाना चाहिए। निरक्षरता उन्मूलन के लिए लगभग 27000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। फिर भी हमें भविष्य के बारे में सोचना है।

महोदय, निर्धनता हमारी एक अन्य बुनियादी समस्या है। विश्व में कुपोषण के शिकार लोगों में से एक चौथाई लोग भारत में हैं। हमने कुछ गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाये हैं। हमें देश से गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

क्षेत्रीय असंतुलन से हमारे राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को खतरा है। योजना बनाते समय विभिन्न राज्यों के असंतुलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे में सुधार करना आवश्यक है। भारतीय आधारभूत ढांचे में मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आधारभूत ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश किये जाने की आवश्यकता है। हमें इस भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, जनसंख्या की वृद्धि दर भी चिन्ताजनक है। वर्ष 2001 तक जनसंख्या लगभग 1000 मिलियन होने का अनुमान है। चीन भारत से दूसरे स्थान पर आ जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कानूनी तथा अन्य कदम भी तत्काल उठाने चाहिए।

महोदय, आज, हमारे लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार है। यह हमारे समाज के ताने बाने को, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन को नष्ट कर रहा है। लोकपाल विधेयक को तत्काल पारित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि हम समय-सीमा में रहकर सत्र को सार्थक और उचित निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे।

श्रीमती केतकी देवी सिंह

श्रीमती केतकी देवी सिंह (गोण्डा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाने मैं भी चली आई। मैं भाग्यशाली हूं। यहां संसद में आकर लगा कि हम एक हैं। सभी को स्नेह मिला, हम आपके आभारी हैं। आज पांच दिन से मैं भी सुन रही हूं, लोगों का भाषण सुन रही हूं। कभी लगता है कि 50 साल में देश बहुत आगे आ गया है, कभी लगता है कि बहुत पीछे चला गया है। जबसे मैं आई हूं, मुझे एक ही बात में आश्चर्य हुआ कि राम का नाम लेने वाले से अछूत का व्यवहार किया जाता है, यही मुझे लगता है कि जमाना आगे चला गया है। एक बार ऐसा और हुआ था जब राम और कृष्ण के नाम को लेने वाले को मार दिया और जला दिया जाता था, लेकिन एक वही था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप जिसको उसके बेटे ने राक्षस कहा, उसको मारने स्वयं भगवान ही आए, और आगे कुछ नहीं कहूंगी।

यहां लगता है कि देश बहुत पीछे चला गया है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): अध्यक्ष महोदय, भारतीय स्वराज्य की स्वर्ण जयंती पर हम एक प्रकार से सिंहावलोकन कर रहे हैं। यह एक प्रकार का आत्मचिंतन है। वैसे देखा जाय तो 50 साल किसी देश के लिए कोई बहुत समय नहीं होता इसलिए हो सकता है हमने अलग-अलग क्षेत्रों में अपेक्षित उन्नति नहीं की हो फिर भी उस दिशा में कुछ कदम भी बढ़े हों तो उस पर गौरव करते हुए जो खामियां रही हों उसे दूर करने के लिए एक एकत्रित विचार आवश्यक है।

आज हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, भुखमरी, नारी शोषण, भ्रष्टाचार, राजनैतिक अपराधीकरण या यूं कहें कि अपराधियों से प्रभावित राजनीति बाहरी ताकतों का राष्ट्रीय व्यवहार में हस्तक्षेप या बिगाड़ने की कोशिश जैसे राक्षस तांडव कर रहे हैं। इन सबको मिटाना समाप्त करना और एक नवजीवन की शुरुआत करना केवल विचारों से नहीं हमें उसके लिए कारगर कदम उठाने होंगे।

किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे उद्योग, विज्ञान तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य या अन्योन्य ऐसे क्षेत्र में अपना बुनियादी ढांचा मजबूत होना आवश्यक है और देश को एक रखते हुए विकास के लिए यातायात के विकसित साधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज यही साधन चाहे वह रोड ट्रांसपोर्ट हो रेलवे हो या हवाई साधन हो सबसे उपेक्षित है। हम रेल सुविधा ही देखें तो जो प्रगति नये ट्रैक नई लाईन बिछाने में होना चाहिये थी नहीं हुई है। उल्टे कम ही हुआ है मालवाहक के रूप में रेलों का भारत के विकास में हिस्से का प्रतिशत कम ही हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन के साथ-साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और कई परियोजनाएं कुछ करोड़ खर्च करके आधी अधूरी छोड़ी जाती हैं जैसे मेरे ही क्षेत्र की इंदौर-दाहोद रेल लाईन। वही बात रोड ट्रान्सपोर्ट की है, भारत जैसे विशाल देश में संपूर्ण देश में रास्तों का जाल बिछा हुआ होना चाहिए उनकी हालात भी ठीक होनी चाहिए क्योंकि यातायात का मालवाहक के रूप में रोड ट्रांसपोर्ट देश का महत्वपूर्ण अंग है इसलिए वास्तव में पैट्रोल से होने वाली आय का एक अंश रोड की स्थिति सुधारने के लिए रखना आवश्यक है।

लेकिन महोदय, यातायात या उद्योग या बाकी भौतिक दृष्टि से राष्ट्र को सम्पन्न बनाते समय राष्ट्र का महत्वपूर्ण घटक जिसके लिए जिसके द्वारा उन्नति होना है उस मनुष्य को ही हम भूलते जा रहे है और मानव संसाधन की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। साक्षरता के क्षेत्र में खर्च के अनुपात में उपलब्धि ना होना, स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाएं गांव-गांव तक न पहुंचना, प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्था हम प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में भी आवश्यक साधनों के अभाव के साथ-साथ उपेक्षा का भाव तथा योजनाओं की तरफ अनदेखी इस कदर हो रही है कि वास्तव में प्रतिभावान खिलाड़ी तक न साधन पहुंचते न प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान होती है ना प्रशिक्षण और इस कारण ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्तित्व विकास में खेलों का अपना एक स्थान होता है उसका प्रभावी उपयोग न होने के कारण इस देश में मनुष्य निर्माण कहीं ना कहीं अपेक्षानुरूप नहीं हो रहा।

और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो राष्ट्र की आधार शक्ति स्त्री है आज उसकी स्थिति क्या है एक समय था इस देश की स्त्री अभिमानपूर्वक कहती थी

यो में ज्येष्यासि संग्रामें
यो में दर्पोव्यपोहार्त
यो में समबलों लोकं
समें भर्त्ता भविष्याति

मुझे संग्राम में जीते, मेरा गर्वहरण करे, मेरे समान बलवान हो, वही मेरा पति बनने लायक है यह कहने वाली संपन्न स्त्री आज दुरावस्था को प्राप्त हो गयी। कितनी भी योजनाएं स्त्री कल्याण के लिए चलायी जाती हों, कितने भी कानून उसकी रक्षा के लिए, उसके हितों कि रक्षा के लिए लेकिन जब तक नारी की तरफ देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा उसकी एक मानवी के रूप में पहचान नहीं बनेगी। तब तक देश उन्नति के शिखर पर नहीं जा सकता। नारी केवल आंकड़ों में 50 प्रतिशत हो सकती है लेकिन समाज विकास की दृष्टि से 100 प्रतिशत योगदान उसका है। वह समाज को बनाने वाली निर्मात्री है।

महोदय, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में बदलाव तो आवश्यक है ही आज हम अपने ही आदर्शों को भूलते जा रहे हैं अगर हम बच्चों को पढ़ायेंगे कि अकबर महान था तो उससे टक्कर लेने वाले राणाप्रताप क्या थे? इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं मिलेगा और यही से राष्ट्रीय अवनीति का प्रारम्भ है। जी हां मैं मानती हूं आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की अपनी अद्भुत भूमिका थी लेकिन गत 50 सालों में हमने 'खून का एक बूंद बहाये बिना हमें आजादी मिली' इस बात को इस कदर राष्ट्र मन पर अंकित करवा दिया कि हमारी पूरी युवा शक्ति स्वातन्त्र्य वीरों को आजादी के लिए खून बहाने वाले क्रान्तिकारों को भूल कर अपना व्यक्तित्व नहीं बना पायी जिसके कारण आज राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र भक्ति के प्रखर भाव का अभाव हो गया और भ्रष्टाचार, आतंकवाद का राक्षस हावी होने लगा। एक विचारणीय स्थिति बन गयी फिर भी अभी अवसर है अगर हम सब फिर से एक विचार से राष्ट्र भाव जागृत करते हुए बुनियादी ढांचा मजबूत करने की कोशिश करें जिसमें स्त्री और पुरुष समान रूप से अपनी भूमिका निभाए और परस्पर सम्मानपूर्वक भाव रखें तो फिर से भारत माता अपना गौरवशाली स्थान अक्षुण्ण रख कर विश्वगुरू बन सकता है।

श्री छतर सिंह दरबार

श्री छतर सिंह दरबार (धार): अध्यक्ष महोदय, हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पर करोड़ों रुपये खर्च हुए। मेरा संसदीय क्षेत्र धार (म.प्र.) जो आदिवासी क्षेत्र है, में आदिवासियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति को करीब से देखा है तथा मैं उसी समुदाय का सदस्य हूं। आदिवासियों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में प्रभावी सुधार नहीं हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है।

देश को विकसित बनाने, देश में समरसता लाने, भेदभाव रोकने तथा देशवासियों का आर्थिक उत्थान करने तथा देश की एकता, अखण्डताओं, संस्कृति की रक्षा करने व देश को सुदृढ़ करने तथा पुन: साधना सम्पन्न बनाने तथा विश्वगुरू का स्थान दिलाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 51 तथा 335 एवं 31क, 40, 41, 43, 43क, 44, 45, 46 और 48 का कठोरता से अनुपालन करवाया जाय तथा अनुच्छेद 334 जोकि वर्ष बाद आरक्षण समाप्त करने का अपवाद करता है पर फिर से विचार कर इसे भविष्य के लिए आरक्षण हित में रखा जाय तथा अनु. 370 व 371 आदि को समाप्त कर के देश के सभी राज्यों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए अर्थात किसी राज्य को विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि उक्त अनुच्छेदों का परिपालन दृढ़ता से अगर किया जाता है तो देश को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है व आदिवासी दलित, पिछड़ा वर्ग का अधिक उत्थान होगा।

मेरा सुझाव है कि आदिवासी भागों में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसकी निगरानी का कानूनी अधिकार आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को भी दिया जाय ताकी भ्रष्टाचार पर अंकुश रखा जा सके।

मेरा सुझाव यह भी है कि आदिवासी भागों में स्वीकृत धनराशि उन्हीं क्षेत्रों में लगायी जाए उस राशि का पद या स्थान परिवर्तन नहीं किया जाए।

महोदय, आदिवासी, दलित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का हर क्षेत्र में शोषण तथा अत्याचार होता है, उसे रोकने हेतु कारगर कदम उठाये जायें। आदिवासियों, दलित तथा पिछड़े वर्गों के सामूहिक तथा व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कारगर उपाय किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं किसानों की आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा मैं भी भूमि पुत्र हूं। शासन की कृषि नीति ठीक नहीं होने से किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है। किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कृषि नीति ऐसी बनाई जाए जिससे कृषि उपज का मूल्य उचित मिल सके तथा किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस सत्र के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, ज्ञात, अज्ञात सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को और देश धयतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

महोदय, आज जो राज व्यवस्था विकसित हुई है उसमें—जागृत जनता, जागृत पत्रकार और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका जैसे लोकतंत्र के प्रणक्य तत्व भी हैं। जब तक ये अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे तब तक इस लोकतंत्र का विकास होता रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन अध्यक्ष जी लोकतंत्र और भारतीय राज्य व्यवस्था के कमजोर और घातक लक्षणों को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता-जैसे भाई भतीजावाद, वंशवाद, व्यक्ति पूजा, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अपराधों को बढ़ावा, अपराधियों को संरक्षण, जातिवाद, वर्गवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, देशद्रोह, हिंसा, अनाचार, अत्याचार, आतंकवाद, नेताओं की कथनी करनी में अन्तर, शासन-प्रशासन में अनुत्तर दायित्व, शोषण, गरीब-अमीर के बीच बढ़ती खाई इत्यादि।

महोदय, यह देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। तब इस देश में धन आता ही आता था, बाहर कभी नहीं जाता था। कभी भी लोगों के घर के दरवाजे बंद नहीं करने पड़ते थे। लोग ईमानदार थे। कर नहीं चुराते थे। किसान मजदूरों की हालत अच्छी थी। राजा-प्रजा को अपने बेटे-बेटी के समान समझता था। पदाधिकारी ईमानदार थे। भ्रष्ट आचरण और बेईमानी की कठोर सजा थी। लेकिन अध्यक्ष जी आज तो उद्योगों की हालत खराब है। मजदूरों की छंटनी हो रही है। मिलें बंद पड़ी हैं। विदेशी कम्पनियाँ धड़ाधड़ देश में आ रही हैं और देश के आर्थिक आकाश पर छाये जा रही हैं।

किसानों की स्थिति बहुत बदतर है। उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं हो रहे हैं। न अच्छे बीजों की व्यवस्था है, न पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है, न सम्पर्क मार्गों की व्यवस्था है, न उचित मंडियों की व्यवस्था है, न फसल बीमा की व्यवस्था है, न ही क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। लगता है गांव गरीब किसान को बेसहारा करके मझधार में छोड़ दिया गया है।

महोदय, पूरा देश खेत और किसान की समृद्धि से जुड़ा है। गांव और गांव का मजदूर तो पूर्णत: खेती और किसानों से सम्बद्ध है। यदि किसानों की दशा सुधरेगी तो गांव की दशा सुधरेगी-मजदूर की दशा सुधरेगी। गांव की दशा सुधरेगी तो जिला प्रदेश और देश की दशा भी सुधरेगी।

महोदय, बिना ज्ञान और दिशा के मानव और मानवता अधूरे हैं। साक्षरता शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा तो वह होती है जो ज्ञान बढ़ाती है और चरित्र का निर्माण करती है। नैतिकता सिखाती है, कर्मठता, प्रेरणा और साहस का संचार करती है। आप भी जानते हैं कि भारत में ऐसी शिक्षा का नितांत अभाव है।

लाखों गांवों में लाखों गलियों में स्कूल-विद्यालय नहीं हैं। आबादी के अनुपात में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कालेज और महाविद्यालय बहुत कम हैं। शिक्षा का वातावरण ही समाप्त हो गया है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि आज स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम देश को सुधारना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिष्टाचार युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें सबसे गरीब व्यक्ति की दशा सबसे पहले सुधारनी होगी। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देना होगा। गांव, कस्बा, नगरों के साथ-साथ महानगरों और उनकी पिछड़ी और सुविधाहीन गलियों का भी ध्यान रखना होगा। कानपुर जैसे प्राचीन ऐतिहासिक और औद्योगिक व्यावसायिक नगरों का पुनरुद्धार करना होगा। विज्ञान का विकास और वैज्ञानिकों को सम्मान प्रदान करना होगा। शिक्षा का प्रसार करना होगा जनसंख्या के दैत्य पर लगाम लगानी होगी। राजनीतिज्ञों के आचरण में शुचिता लानी होगी। कथनी करनी का अन्तर भाई-भतीजावाद, लालफीताशाही, काम चोरी और घोटालों को समाप्त करना होगा। सीमाओं की सुरक्षा, देश के भीतर, आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आतंकवाद और माफियावाद को नेस्तनाबूद करना होगा, तभी इस सत्र को आहूत करना सार्थक होगा।

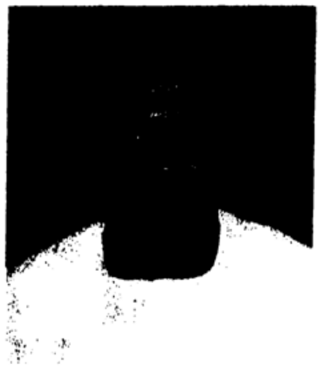

श्री अशोक शर्मा

श्री अशोक शर्मा (राजनंदगांव): अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती के 50वीं वर्षगांठ पर संसद की विशेष सभा में मैं अपना विचार निम्नानुसार रखता हूँ। पूरे प्रयत्न के बाद संसद में मैं अपना लिखित वक्तव्य दे रहा हूँ—आपने इसे ग्राह्य किया उसके लिए आपका आभारी भी हूं।

महोदय, संसद का यह विशेष अधिवेशन माननीय अध्यक्ष महोदय ने बुलाया यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। दिनांक 26.8.96 से आज दिनांक 1.9.97 तक इस सत्र में विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव बहस के लिए रखा उस पर सभी दल के नेताओं ने तथा सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। सभी वक्ताओं ने देश को आगे बढ़ाने के कुछ बिन्दुओं पर जोर भी दिया है। मेरा यह मत है कि आजादी के पचास वर्षों के बाद यद्यपि भारत ने कुछ क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी हम आर्थिक क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। भारतवर्ष में गांव में बसने वालों की संख्या अधिक है। मेरा संसदीय क्षेत्र भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र व जंगल क्षेत्र में बसा है। आज आजादी के पचास वर्षों बाद भी गांवों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी, चलने की सड़क, बच्चों के लिए पढ़ाई सुविधा, बीमारी के लिए औषधालय का अभी भी गांवों में अभाव है। इन बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं जाने के कारण गांव का रहने वाला व्यक्ति अभी भी भूखा व प्यासा है। उनके सामने हम देश की समृद्धि की बात करते हैं तो वे अपनी हालत दिखाकर इसे बेमानी की बात कहते हैं। अपनी योजना गांव में बसे लोगों की उक्त मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में होना चाहिए।

भारत कृषि प्रधान देश कहलाता था। लेकिन आज देश के किसानों के सामने सिंचाई सुविधा का अभाव, खाद एवं बीज का अभाव हमेशा बना रहता है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं मध्य प्रदेश के अन्तर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगांव में सिंचाई का प्रतिशत मात्र 13 प्रतिशत है। यदि इन्द्रदेव प्रसन्न हुए तो खेती अच्छी हो जाती है अन्यथा सूखे का

सामना करना पड़ता है। जो वन कटाई के कारण लगभग प्रत्येक वर्ष कोई न कोई क्षेत्र सूखा के चपेट में आ ही जाता है। इसके निवारण के लिए यह आवश्यक है कि खेती को आत्मनिर्भर बनाया जाये एवं सिंचाई हेतु बड़ी योजनाओं को पूर्ण किया जाए एवं एक आय का बड़ा अंश इस हेतु रखा जाये।

भ्रष्टाचार की भी चर्चा हुई। मैं यह नहीं कहता कि देश में सारे लोग भ्रष्ट व बेईमान हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो तस्वीर सामने आई है वह जनता के सामने सभी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उच्च पदों पर बैठे राजनेताओं, अधिकारियों, इनके कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए। तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प हम भारतवासियों को लेना होगा। एवं देश की जनता के सामने एक अच्छा आचरण व व्यवहार पारदर्शिता प्रदर्शित कर पुनः विश्वास, स्वच्छ छवि को प्राप्त करने की आवश्यकता है।

भारत वर्ष की भूमि पर जहाँ अनेक जाति, धर्म, भाषा के मानने व बोलने वाले लोग निवास करते हैं। इस देश में विविधता के बाद भी एकता है, लेकिन वोट की राजनीति ने कुछ वर्षों से इस पर भी अपनी दृष्टि डाल दी है, यही कारण है कि आज समाज बंटा हुआ दिखता है। इसे रोकने की जरूरत है एवं भारत अखण्ड भारत है यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी उच्च पदों पर बैठे एवं विभिन्न दल के राजनेताओं की है।

राजनीति में अपराधीकरण की घुसपैठ भी सर्वविदित है। इससे राजनीति व राजनीतिज्ञ दूषित व बदनाम ही हुए हैं। अपराधियों का राजनीति में प्रवेश का कड़ा विरोध हो, इसके लिए चुनाव आयोग नियम बनाए एवं सभी दल इसका कड़ाई से पालन करें। निश्चित रूप से इसका प्रभाव देश की प्रगति के लिए अनुकूल सिद्ध होगा।

अंत में मैं युवा वर्ग के हित की बात करना चाहूंगा। आज देश में लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं। इनके हाथों को काम की जरूरत है अन्यथा देश की जवानी दिशाहीन हो रही है, इस पर भी ठोस निर्णय हो। इस के साथ ही हर व्यक्ति को काम एवं हर खेत को पानी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, की मांग के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं एवं अपने लिखित वक्तव्य का अवसर दिया उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री प्रहलाद सिंह

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आपका यह प्रयास सराहनीय है। 50 वर्षों की लोकतंत्र की यह यात्रा कैसी रही? यह प्रश्न आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। आत्मचिंतन से ही इसका उचित एवं समुचित समाधान एवं निदान प्राप्त हो सकेगा।

पिछले 50 वर्षों में देश के महान मनीषियों, विचारकों एवं कर्मयोगियों के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान के बाद भी हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं यह विचारणीय है। यह समय आलोचना का नहीं है। ऐसी आम राय इस पुण्य एवं गौरवशाली स्वर्ण जयन्ती की नैतिक एवं पवित्र अवधारणा है। तब पिछली खामियों, प्राथमिकताओं की गलत धारणाओं के प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न जटिल परिस्थितियों को स्पष्ट करने के इस प्रयास को आलोचना मानेंगे ऐसी मेरी प्रार्थना है।

देश ने अनेक सफलताएं अर्जित की हैं इसमें संदेह नहीं है। पर यह सफलतायें कैसी हैं? इन्हें सफलताओं की श्रेणी में रखे जाने की मान्यतायें क्या हैं? सफलताओं को सुनिश्चित करने की पिछली एवं भविष्य की समय सीमा क्या है यह महत्वपूर्ण है।

मेरे आराध्य श्रीबाबाश्री ने मुझसे एक प्रश्न किया था, कि—

युगपरिवर्तन का अकाट्य सिद्धान्त क्या है?

मूल सुधार या भूल सुधार?

मैं स्तब्ध होकर चुप ही था काफी समय तक। तब हंसकर उन्होंने कहा था कि यह प्राथमिकता ही उचित नहीं है। उत्तर इनके बीच में से एक को चुनकर हो ही नहीं सकता। उसका उत्तर होगा—

युगपरिवर्तन का अकाट्य सिद्धान्त—
मूल सुधार और भूल सुधार।

महोदय, मुझे अनुभव आता है कि हमने स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में मूल सुधार के नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकारते हुए कुछ प्रयास प्रारंभ किये, चर्चाएं भी की थीं, पर कालान्तर में बहुत जल्दी ही हमने अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भ्रमवश बुद्धि विलास के स्तर पर बदलकर उनका निदान खोजना प्रारंभ कर दिया। यही हमारी भूल थी, भूल है। हमने व्यक्तियों की इच्छाओं को सीमित करने के मूलतत्व को समाप्त होने दिया बल्कि नेतृत्व ने अपरिग्रह के विचार को समाप्त करने में अपना सहयोग प्रदान किया। व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छापूर्ति को महत्वपूर्ण बनाकर सार्वजनिक हित की गुणवत्ता को समाप्त कर व्यक्तिवादी सोच को फलने-फूलने का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया है। यह एक उदाहरण है। अब तो हम भूल सुधार की बातें मात्र करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, कहीं-कहीं तो सीमा लांघ कर भूल सुधार के विचार की अभिव्यक्ति को ही रुढ़िवादी कहकर चुप कराने का दुःसाहस कर बैठते हैं। हमारा सारा प्रयास एवं सारी प्राथमिकताएं तात्कालिक समस्यायें एवं व्यक्तिगत हानि लाभ का दृष्टिकोण बन गई

हैं। यहाँ मेरा मत व्यक्तिमात्र से नहीं संस्था भी व्यक्तिगत इकाई होती है। भूल सुधार का भी स्थायी सुधार का प्रयास होता तब भी शायद हम किसी स्थायी समाधान तक पहुँच पावें। लेकिन हम तो भूल सुधार के लिए फिर एक नई भूल कर बैठते हैं और अब तो भूलों का समुद्र, भूलों का सागर, भ्रान्ति के महासागर के रूप में हमारे सम्मुख है। शायद इसी भ्रान्ति को दूर करने के लिए हमने दूसरी आजादी की लड़ाई प्रारंभ करने की बात कही है।

महोदय, भ्रान्ति की शक्ति तर्क होती है ऐसा मेरे आराध्य श्री बाबाश्री ने मुझसे कहा था और तर्क बुद्धि से पैदा होता है तब हम इस भ्रान्ति से कैसे मुक्त होंगे जब हम सभी बुद्धि के स्तर पर विचार कर रहे हैं। मैं बुद्धिवादियों का आलोचक नहीं हूँ पर उस विचार वाक्य को स्मरण करता हूँ जहाँ लिखा है—बुद्धि भ्रमित करती है और ज्ञान तटस्थ करता है। अर्थात् कहीं न कहीं इस बुद्धि एवं ज्ञान के बीच के फासले को पाटने की मैं आवश्यकता महसूस करता हूँ ताकि आजादी की दूसरी लड़ाई का प्रारंभ युग परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

मेरे स्वर्गीय मित्र ने मुझे पत्र में लिखा था, मुझे पता नहीं वह किस मनीषी का है उसमें लिखा था कि जब व्यक्ति/समाज की आवश्यकताएं आधी पूर्ण होती हैं तो उसकी मुश्किलें दुगुनी हो जाती हैं।

कहीं न कहीं हमारी कार्य प्रणाली में पंचवर्षीय योजनाओं में इस दूरदर्शी चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा। शायद इसका ध्यान दें तो फिर हमारी सफलतायें हमें संतुष्ट नहीं करती। श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचना ही सफलता है। हम पूर्णता से संतुष्ट नहीं बल्कि परिपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें ऐसी शुभकामना है।

डा. सत्यनारायण जटिया

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं इस सदन के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

हिन्दुस्तान की आजादी के 50 सालों में देश ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। इन वर्षों में देश के विकास और प्रगति के कई आयामों को हमने प्रारंभ करने का प्रयास किया है और कुछ दूरियां भी तय की हैं किन्तु देश को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम अभी बाकी है जहां पर समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति को स्वतंत्रता का अहसास कराया जा सके। देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय भी किए गए हैं किन्तु समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का काम पूरी तरह से जहां एक ओर नहीं हो पाया है वहीं दूसरी ओर आर्थिक विपन्नता से भी मुक्त नहीं हो पाया है। देश में राजनीति को लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप बनाने का काम बाकी है। इसके साथ ही सांस्कृतिक ऊंचाईयों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने की महती आवश्यकता है।

आज भारत का अपना स्वरूप भारत के अनुरूप नहीं है। देश की स्वतंत्रता के पूर्व का ''इंडिया'' जिसे ''सोकाल्ड भारत'' कहा जाता रहा है राजनीतिक परिवर्तन से इस परिभाषा से बदला नहीं जा सका है। उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। विश्व में भारत की पहचान कम और ''इंडिया'' के रूप में ज्यादा है। इसलिए हमें एक स्वतंत्रता संघर्ष इंडिया को भारत बनाने के लिए भी करना होगा। देश की आजादी को स्वतंत्रता कहना तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक हम इसे स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ पूरी तरह से जोड़ नहीं लेते हैं। हमें उन सब बातों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी जो हमें हमारे देश भारत की पहचान के लिए बाधा उपस्थित करती हैं। हमें अपनी स्वभाषा, हमें अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है।

आज भी देश में सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में राष्ट्रभाषा हिन्दी को मान्यता नहीं है तथा अभिव्यक्ति को अपनी भाषाओं से करने की मान्यता नहीं है। अत: इन बाधाओं को समाप्त कर भारत को संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न बनाने के लिए हमें अपने स्वदेशी उपायों का ''स्व''-अवलम्बन कर स्वतंत्रता को सार्थक करना है। हमने अपने विकास की स्वकीय प्रगति की पद्धति को बनाना होगा। विदेशी वादों पद्धतियों के भरोसे हमारे देश का उत्थान संभव नहीं है। हमारे अपने मौलिक दर्शन हमारे विकास के लिए जो देश की परम्परा से जुड़ा हो, मान्यता देना है।

व्यक्ति से समष्टि तक के संबंधों को जोड़ने का अपना दर्शन सारे समाज का एकात्म रूप में हमें स्वीकार करना होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को जोड़ने के लिए व्यक्ति-व्यक्ति का विकास कर समाज को संस्कारित करने तथा देश को सांस्कृतिक परम्परा से जोड़कर भारत को एक स्वाभिमानपूर्ण राष्ट्र बनाने का काम हमें करना है। एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से हम समूची मानवता को एक साथ एकरूपता में देखना चाहते हैं जहां व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में परस्पर स्नेह, सद्भाव और संवेदना का भाव स्थापित हो और इसी के माध्यम से समूचे समाज को सुसंगठित कर संस्कृति की आत्मा से राष्ट्र को सुसम्पन्न करने का लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं। जहां व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सर्वांगीण विकास कर समाज में समरसता और राष्ट्र को पुरुषार्थ सम्पन्न

करना है। विश्व में हम अपना गौरव-गरिमामय स्थान बना सकें इसके लिए भी हमें सतत् पुरुषार्थ करना है।

हमें अपने देश की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने की ओर विशेष ध्यान देना है। गांव, गरीब और किसान की सम्पन्नता के लिए अधिक उपाय करना है। परिश्रम और मेहनत करने वाले लोगों को आर्थिक विपन्नता से मुक्त कराना है। श्रम को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है।

देश के युवाओं में व्याप्त निराशा और असंतोष को दूर कर योग्यता और क्षमता के अनुरूप काम के अवसर उपलब्ध करना है। प्रत्येक को रोजी रोटी, आवास और स्वास्थ्य तथा स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराने के तथा हमारी स्वतंत्रता के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय हमें करना है। मैं अपनी भावनाओं को इन पंक्तियों से अभिव्यक्ति देना चाहता हूं:

आजादी के पचास साल
बनें हमारा देश खुशहाल,
घर घर में खुशहाली आए
समृद्धि के दीप जलाएं।

प्रगति पथ चलते चलते
हमने जितना कुछ पाया है,
उसका हिस्सा सबको बराबर
अब तक नहीं मिल पाया है।

साथ जुटाकर सबको
आगे बढ़ते जाना है,
चलते चलते साथ में हमको
नयी मंजिले पाना है।

बचा है जो कुछ करने को
इन आजादी के सालों में,
भरपाई करना है उसकी
समर्थ देश बनाने को।

काम बहुत करने हैं हमको
सबका हित साधन करना है,
खुशहाली के सब रंगों को
नक्षे आजादी में भरना है।

करने सार्थक स्वतंत्रता को
स्वर्ण जयंति पर्व मनाएं,
भारत भारती विजय ध्वजा को
विश्व गगन में फहराएं।

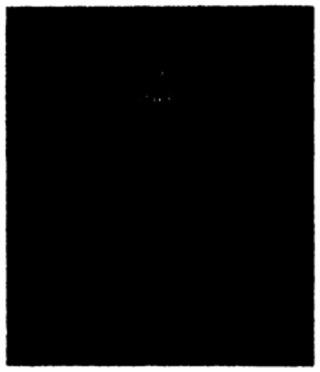

श्री एम. कमालुद्दीन अहमद

श्री एम. कमालुद्दीन अहमद (हनामकोण्डा): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में संसद का यह विशेष सत्र बुलाने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

किसी राष्ट्र के इतिहास में 50 वर्षों का समय काफी नहीं होता अपितु हमारे जैसे राष्ट्र और देश में, जहां इतनी अधिक समस्यायें हैं, यह लोकतंत्र के संरक्षण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे संविधान ने, जो कि एक आदर्श संविधान है, इन सभी उतार-चढ़ावों का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन सभी अच्छे और बुरे अनुभवों के आधार पर हमें अपने लोकतंत्र की समीक्षा करनी चाहिए। संविधान के प्रारंभिक अध्याय में नागरिक अधिकारों, विशेषाधिकारों और कर्त्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 में कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करने और लोक रोजगार के मामलों में समान अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 और 22 में जीवन सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गिरफ्तारी और निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख है। हमें यह देखना होगा कि क्या लोगों को वास्तव में ये अधिकार उपलब्ध कराये गए हैं अथवा नहीं। यदि इसका कहीं उल्लंघन होता है तो उसका क्या उपचार किया जा सकता है।

विगत दो दशकों में नागरिकों को उपलब्ध गारंटियों में अनेक अतिक्रमण हुए हैं तथा उनका उल्लंघन भी हुआ है। न्यायपालिका से मिलने वाला न्याय महंगा और अपर्याप्त होता है। यह स्थिति उस वक्त और भी गंभीर हो जाती है जब ये उल्लंघन राजकीय तंत्रों द्वारा होता है जो कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं।

हाल ही में अनुच्छेद 21 और 22 के अतिक्रमण का एक मामला प्रकाश में आया है यह मामला हिरासत में मौत और आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ के नाम पर हुई मृत्यु का है। इसका लक्ष्य ''पीपुल्स वार ग्रुप'' है जो कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पुलिस अत्याचार और ज्यादती के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं।

पीपुल्स वार ग्रुप को लोगों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हैं और यही कारण है कि इतने कम समय में यह आंदोलन समग्र तेलंगाना क्षेत्र में फैल गया है। पुलिस गांवों के छोटे-छोटे लड़कों और इनसे

सहानुभूति रखने वाले लोगों और समर्थकों को गिरफ्तार करती है और बिना कोई मामला दर्ज किए या मजिस्ट्रेट के सामने उन्हीं पेश किए लड़कों को मार देते हैं और यह समाचार जारी करते हैं कि वे पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। मैंने यह मामला पहले भी संसद में उठाया था किंतु राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति पूर्णतया नियंत्रण के बाहर हो गई है। मेरा यही निवेदन है कि उन गरीब माता-पिताओं के लिए क्या उपाय है, जिनके बच्चे इनमें मारे जा रहे हैं। यदि उनके माता-पिताओं को इस बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश के विरुद्ध अदालत में जाने का सुझाव भी दिया जाता है तो उनके न्यायालय पहुँचने के पूर्व ही लड़कों को मार दिया जाता है। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और संसद में बैठे हम सभी सदस्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए हम शीघ्र उपाय करें।

महोदय, एक और अन्य मुद्दा जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है योजना प्रक्रिया। योजना आयोग और राज्य सरकारों की भूमिका का समग्र मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है। हम लोग नौवीं योजना में प्रवेश करने वाले हैं और प्रति वर्ष एक वार्षिक योजना बनायी जाती है। इससे ये दो प्रश्न उठते हैं कि क्या पूर्व योजनाओं को राज्य द्वारा ईमानदारी से क्रियान्वित किया गया और केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध धनराशि बताये गये निर्देशों के अनुसार व्यय की गयी है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या योजना की वर्तमान प्रणाली से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबी को दूर करने की दिशा में अपेक्षित परिणाम हासिल हुए हैं?

मेरा कहना है कि उपरोक्त दोनों ही मामलों में हमने सफलता हासिल नहीं की हैं। योजना कार्यों और उन पर व्यय को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है। हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रामीण विकास योजनाओं में पूरी अव्यवस्था है। राज्य सरकार का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है और तेलुगू देशम से संबंधित लोगों को राजनैतिक पक्षता के आधार पर यह लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के लक्ष्यों के अनुसार यदि हम राज्य के समग्र विकास पर ध्यान दें तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन योजनाओं से हमने अपनी स्थिति खराब ही की है, अविकसित क्षेत्र और भी अविकसित हो गए तथा विकसित क्षेत्र और भी विकसित हो गए हैं। मैं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और अन्य क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं। तेलंगाना के पिछले क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अन्य विकसित क्षेत्रों से अधिक पीछे हो गये हैं। बेरोजगारी और गरीबी अपने शीर्ष पर है। यही कारण है कि एक अलग तेलंगाना राज्य की मांग शुरू हो गई। इसी प्रकार की एक मांग तीस वर्ष पूर्व की गई थी किन्तु चूंकि उस समय मैं विधान सभा का सदस्य था अत: मेरी बात का विरोध किया गया।

उनकी वर्तमान मांग पहले से बिल्कुल ही भिन्न है और अब यह आर्थिक कारणों से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के विकसित क्षेत्रों द्वारा त्वरित विकास के लिए इस क्षेत्र के दोहन को रोकने हेतु एक अलग तेलंगाना राज्य बनाना आवश्यक हो गया है जिसे समग्र तेलंगाना वासियों का समर्थन प्राप्त है। मेरे विचार से यह मांग यथोचित है और इसे मान लिया जाना चाहिए। जब हरियाणा और पंजाब जैसे छोटे राज्य प्रगति कर सकते हैं तो तेलंगाना, जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है तथा जिसकी जनसंख्या भी अधिक है, क्यों नहीं प्रगति कर सकता है। जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में गठित पूर्व राज्य पुर्नगठन आयोग ने 1955-56 में आर्थिक और राजनैतिक, दोनों कारणों से, तेलंगाना राज्य की सिफारिश की थी। महोदय, मैं आपके माध्यम से, यह निवेदन करता हूं कि सरकार को इसे राज्य का दर्जा दिलाने के लिए शीघ्र से शीघ्र कार्य करना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, जिस विविधता और छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों के आने से अब खतरा उत्पन्न हो गया है, रास्ता ढूंढना चाहिए। तीसरी बार लगातार लोगों ने त्रिशंकू संसद को चुना है जो कि उचित नहीं है। हमें लोगो की निराशा को दूर करना होगा। राष्ट्रीय स्तर के दलों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और अपनी गलतियों और चूकों, जिससे वर्तमान स्थिति का निर्माण हुआ है, को दूर करें। आर्थिक पिछड़ापन, जनसंख्या की अधिकता, पड़ोसी देशों द्वारा लगातार तीन युद्ध थोपने जैसी अनेक समस्याओं से जूझने के बावजूद अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह एक परिवार एक बच्चा प्रणाली को कठोरता से लागू करें और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कठोरता से क्रियान्वित किया जाए।

यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री निहाल चन्द चौहान

श्री निहाल चन्द चौहान (श्री गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, भारत की 50 वर्ष की आजादी के बाद भी भारत के नागरिक गुलामों की तरह जीवन-यापन करते हैं। भारत के 60 फीसदी लोगों के पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, सिर ढंकने के लिए मकान नहीं। 50वीं स्वर्ण जयन्ती पर आप द्वारा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अध्यक्ष जी, यह अधिवेशन आजादी के

बाद पहली बार बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है।

महोदय जी, अधिवेशन बुलाने व यहाँ पर भाषण देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। कुछ करने की जरूरत है। एक नयी प्रणाली बनाने की जरूरत है। यह सदन भारत का सर्वोच्च है। यहां पर बैठकर यह कसम लेनी चाहिए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत का आज पूरा विश्व भारत का तमाशा देख रहा है। इस बात को हम सुधारेंगे कि भारत का विकास हो।

महोदय, जब संविधान बना तब आम बजट का 16 प्रतिशत पैसा सिंचाई पर व्यय करना यह घोषणा हुई थी। अध्यक्ष महोदय आजादी के बाद में और जमीन सिंचित होने लायक है। आजादी के 50 साल बाद भी सिंचाई का बजट 16 प्रतिशत है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जमीन आजादी के समय से अब तक काफी ज्यादा सिंचित होने वाली है।

मैं आपके माध्यम से यह भी सुझाव दूँगा कि शिक्षा के स्तर पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज भी भारत के अधिकत्तर गांवों में प्राथमिक स्कूल नहीं हैं। अगर स्कूल हैं तो भवन नहीं, अगर भवन हैं तो अध्यापक नहीं। आज के युग में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते नहीं। बच्चे पढ़ते नहीं तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा, भारत कैसे विकसित होगा?

आज भी गांवों में गरीबों के बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कत है। आज भी भारत के 38 प्रतिशत बच्चे निरक्षर हैं। 1991 में निरक्षरों की संख्या 20 करोड़ थी। अध्यक्ष महोदय राष्ट्र तभी विकास कर पायेगा जब भारत की भावी पीढ़ी पढ़ लिख जायेगी। जब तक भारत की आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास कैसे होगा?

महोदय, मैं आपको भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस पर भी कुछ ध्यान देना होगा।

महोदय, एक तो हर गांव में स्कूल हो, वहाँ भवन हो व पूरे अध्यापक हों और बच्चों को पढ़ाएँ, यह मेरा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय एक सुझाव यह भी दूँगा कि आज टेलीविजन पर अश्लील चित्र व फिल्में दिखायी जाती हैं। जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस पर भी रोक लगानी चाहिए। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि भारत के जब व्यापारी अपने सामान का खुद भाव तय करता है, तो किसान क्यों नहीं। किसान अपने खून-पसीने से फसल बोता है। रात को सर्दी के महीने में भी सिंचाई करता है। फिर भी उसे पूरे भाव नहीं मिलते। उसका भाव व्यापारी तय करता है। किसानों को भी अपनी फसलों के भाव पूरे मिलने चाहिएं। यह भी मेरा सदन के माध्यम से सुझाव है।

मेरा एक निवेदन और है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा मिलना चाहिए और जहाँ भी इन्टरव्यू देने जायें, आने-जाने का किराया भी मुफ्त हो, ऐसा भी मेरा सुझाव है। ज्यादा टाईम नहीं लूँगा। मेरे सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये। मेरा आखिरी सुझाव है कि बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ताकि भारत का विकास हो।

श्री कल्लप्पा आवाडे

श्री कल्लप्पा आवाडे (इचलकरांजी) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मना रहे हैं और इस मौके पर आपने यह विशेष अधिवेशन बुलाकर अपने विचार रखने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत आभारी हूँ।

इस मौके पर जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया उनके प्रति अभिवादन करता हूं।

जब स्वतंत्रता मिली तब अपने देश की आबादी करीब 35 करोड़ थी और आजादी के बाद हर आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा और उनका हक है, यह नारा महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने सामने रख इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिशें की और अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बढ़ती हुई आबादी उनके लिए अपनायी गयी योजना बिजली, पानी, खेती, उत्पादन में बढ़ावा, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण विकास योजनाएं एक या अनेक योजना इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनाई और समाजवादी समाज रचना का ढांचा अपनाया और इस देश को पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्री के लिए बढ़ावा दिया।

इस देश में इंडस्ट्री में पब्लिक सैक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्री के माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। लेकिन गरीब और बेरोजगार लोगों की समस्या नहीं छूटी। इसी कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाया और गरीबों के लिए नेशंनलाईज बैंकों के माध्यम से बेरोजगार और युवकों को नया विश्वास

दिलाने की कोशिश की। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के मौके पर आपका ध्यान कपड़ा उद्योग और कोआपरेटिव सेक्टर की ओर ले जाना चाहता हूं।

आपको मालूम है अपने देश का कपड़ा उद्योग बहुत पुराना उद्योग है और अपने देश में कृषि उद्योग के बाद उसका क्रम आता है लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद बहुत ही समस्या है।

एक जमाना ऐसा था अपने एक संघ भारत में ''ढाके'' की मलमल मशहूर थी उसके साथ ही हैंडलूम पर भी अनेक विविध डिजाइन कपड़ा भी मशहूर था।

देश की बढ़ती हुई आबादी कपड़े की मांग-मिल सेक्टर के प्राब्लम और हैंडलूम उत्पादित कपड़े की, मर्यादा इस कारण मा. अशोक मेहता कमेटी ने पावरलूम सेक्टर को बढ़ावा दिया और अपने देश में करीबन 14 लाख पावरलूम अभी चल रहे हैं और प्रतिवर्ष उसमें बढ़ावा होकर आज 70 प्रतिशत कपड़ा इस क्षेत्र में उत्पादित हो रहा है। अपने देश की बढ़ती आबादी की कपड़े की जिम्मेवारी साथ ही पावरलूम कपड़े का एक्सपोर्ट और गारमेंट बनाकर करोड़ों रुपये की आमदनी मिल रही है।

लेकिन इस पावरलूम इंडस्ट्री के प्राब्लम के बारे में पचास साल के बाद में भी जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं है—यह दुर्भाग्य की बात है।

जिस तरह हैंडलूम इंडस्ट्री मिल सेक्टर के लिए बजट में प्रोविजन किया है उसी तरह पावर लूम सेक्टर के लिए माडरनाइजेशन वर्किंग कैपिटल के लिए बजट में प्रोविजन करने की मांग करता हूं।

इसी तरह कोआपरेटिव सेक्टर में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में को-आपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा दिया है और खास करके महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री स्पिनिंग और दुग्ध सोसाइटी के माध्यम से बढ़ावा दिया है, के साथ ही बेरोजगारों को काम धंधा देने का महत्वपूर्ण निर्णय यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव दादा पाटिल, वसंतराव नाईक और मा. हमारे नेता शरद पवार ने लिया और महाराष्ट्र का ढांचा ही बदल दिया।

आज कोआपरेटिव सेक्टर के माध्यम से जो संस्था चल रही है उनमें भी कई कठिनाइयां हैं। महाराष्ट्र शासन की ओर से जितना ध्यान यह प्राब्लम सौल्व करने के लिए होना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिलता इसी कारण आपसे मैं विनती करता हूं। जिस को-आपरेटिव सेक्टर से महाराष्ट्र का विकास और रोजगार उपलब्ध हुआ उसे बढ़ावा देने के लिए केन्द्र शासन पूरा सहयोग दे उसी के साथ ही मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं और मुझे दो शब्द बोलने का जो मौका दिया मैं आपका आभारी हूं।

श्री विद्यासागर सोनकर

श्री विद्यासागर सोनकर (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, आजादी की स्वर्ण जयंती के इस विशेष सत्र में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस ऐतिहासिक अवसर पर यह सत्र बुलाया है।

महोदय, आज आजादी की पचासवीं वर्षगांठ में हमने काफी प्रगति की है, किन्तु आज इन बीते हुए पचास वर्षों में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि अभी सभी गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो कि शर्मनाक है। हम इस पर विचार करें कि देश किस रास्ते पर चले कि देश समृद्ध हो तथा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा मुहैया हो सके। आज भी मेरा देश सभी तरह से सम्पन्न है। सब कुछ मेरे देश में है, किन्तु भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, शोषणवाद की नीतियाँ देश को आगे जाने से रोक रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस देश से जब तक शोषण समाप्त नहीं होगा, तब तक इस देश में समृद्धि नहीं आ सकती है।

आज गरीब, अधिक गरीब होता जा रहा है तथा अमीर, अधिक अमीर होता जा रहा है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ''कोई खा-खा के मर रहा है तथा कोई खाये बिना मर रहा है।''

आज समय है, जब हम विचार करें कि किस तरह का व्यवहार करें और लोकतंत्र सुरक्षित रख सकें। आज लोकतंत्र नीचे जा रहा है तथा राजतंत्र ऊपर जा रहा है। हम योजनायें जनता के हित के लिए बनाते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता को लाभ नहीं मिल पाता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना तो बहुत कुछ है, किन्तु समयाभाव के कारण मैं अपनी बात श्रद्धेय अटल जी की इस कविता के रूप में समाप्त कर रहा हूं।

पन्द्रह दिन का अगस्त कहता-आजादी अभी अधूरी है।
सपने सच होने को बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है।।

दिन दूर नहीं खण्डित भारत को पुनः अखंड बनायेंगे।
गिलगिट से गारों पर्वत पर आजादी पर्व मनाएंगे॥
उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें।
जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें॥

अन्त में, मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि हम कुछ ऐसा करें ताकि देश पुनः सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाये।

श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी

श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी (राजमपेट): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के इस विशेष सत्र का आह्वान करने पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने संसद सदस्यों को इसके लिए प्रारूप पत्र और पृष्ठाधार सामग्री उपलब्ध कराकर एक अच्छा कार्य किया है जिससे सदस्यों को भाषण में काफी सहायता मिली है। इस अवसर पर चर्चा के लिए विभिन्न विषयों को चुना गया है।

सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्र के उन महान नेताओं को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और हमें आजादी दी। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। अपने वरिष्ठ सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों, जिससे कि देश को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है, का मैं आदर करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य महान नेताओं—पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डा. राजेन्द्र प्रसाद, तंगुतूरी प्रकाशम पंतुलू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और अन्य के द्वारा प्रतिपादित एक संस्कृति का सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।

महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस संबंध में कुछ साधारण विचार रखना चाहता हूं। महान् नेताओं द्वारा उत्तराधिकार के रूप में छोड़ी गयी विरासत का हमें ध्यान से रखरखाव करना होगा। हमने भावी पीढ़ी के लिए अपने मानदंड निर्धारित किए हैं। अपने महान् नेताओं द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों और दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में सौंपी गई स्मारकों और इमारतों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए तथा ईमानदारी तथा निष्ठा से उनका अनुसरण भी करना चाहिए।

प्रत्येक वर्ष हम इस सदन में देश का वार्षिक बजट पारित करते हैं। राज्यों के सुधार के लिए हम राज्य सरकारों को अपेक्षित निधियों का आवंटन करते हैं। राज्य स्तर पर विभिन्न अनुभाग विकासात्मक गतिविधियों में शामिल हैं। केन्द्र द्वारा आवंटित अधिकांश निधियों का दुरुपयोग होता है। हम अक्सर इसका वर्णन करते हैं परन्तु हम सुधारात्मक उपाय नहीं कर सके। एक योजना विशेष के लिए आवंटित राशि का राज्य अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करता है। सिंचाई, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों तथा शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटित निधियों को कार्य विशेष के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे उदाहरण भी हैं जब विधवा पेंशनधारियों तथा अन्य लोगों के लिए आवंटित की गई राशि का भी दुरुपयोग किया गया है।

हमें सबसे पहले तथा महत्वपूर्ण कार्य यह करना है कि हमें अपने राजनैतिक जीवन में काफी सावधान रहना चाहिए। हमें ईमानदार एवं अनुशासित व्यक्ति के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हमें एक अच्छे जनजीवन का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। तभी कार्यपालिका और अन्य निकाय हमारे उदाहरण का अनुसरण करेंगे। तभी हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं।

सरकार को हमारे देश के किसान वर्ग को अधिक महत्व देना चाहिए। हमारे देश की लगभग सत्तर प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। कृषि हमारे देश का आधार है। परन्तु अब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषक समुदाय बिजली, पेय जल इत्यादि की कमी से परेशान है। कृषकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। देश में ऐसे अनगिनत गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनको सड़कों तथा निकटतम बस स्टापों तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीलों चलना पड़ता है।

हमारा देश इन सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। हम लोगों में केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बिना यह नहीं हो सकता। हम अब गत पचास वर्षों तथा आने वाले पचास से भी अधिक वर्षों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। शताब्दी समाप्त होने वाली है तथा 21वीं सदी भी ज्यादा दूर नहीं है। हमें इस नई शताब्दी में देश के लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। बहुत गरीब लोगों, दलितों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

इस सदन के सभी सदस्यों को इन लोगों के उत्थान के लिए पूरी कोशिश करने की शपथ लेनी चाहिए। हमें इस क्षेत्र को पहली वरीयता

तथा महत्व देना चाहिए। तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा तथा एक ऐसा सच्चा राष्ट्र कहलाएगा जो देश की जनता के लिए संघर्ष करता है। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए।

महात्मा गांधी जी ने हमें सार्वजनिक जीवन जीने की संस्कृति समझाई। उन्होंने इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। हम जानते हैं कि हम यहां लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। हम जानते हैं कि चुनावों के समय कुछ राजनैतिक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करते हैं। हेराफेरी, मतदान केन्द्रों पर कब्जा इत्यादि जैसी बातें हमारे जीवन पर कलंक हैं। इसीलिए लोग राजनेताओं को खराब समझते हैं। हमें ऐसी कोई परिपाटी नहीं डालनी चाहिए।

कल हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला कर रहा है। उन्होंने अपना दुख प्रकट किया था कि उन्हें कुछ ऐसे सदस्यों के साथ बैठना पड़ा जो विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। हमें इस उद्देश्य के लिए यहां अभी एक शपथ लेनी चाहिए।

मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त विचारों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं उनके इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि हमें भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिए। इसके साथ ही इस देश में साम्प्रदायिकता एक अलग ही राह अपना रही है। हमें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस देश में साम्प्रदायिकता न बढ़े। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें अपनी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमारे अंदर अन्य समुदाय के लोगों के लिए भी काफी सहनशक्ति है। इसी प्रकार मैं देश में तेजी से फैल रहे जातिवाद का भी कड़ा विरोध करता हूं। हमें जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए और सभी जातियों को बराबर समझना चाहिए। यह हमारे लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त होना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि देश के अन्य भागों की तुलना में हमारे देश की विश्व में अच्छी छवि है। हमारा लोकतंत्र विश्व में दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है। हमें वह स्तर बनाए रखना चाहिए। हमें दी गई धरोहर को अगली पीढ़ियों तक बचाए रखना चाहिए। हमें इस संबंध में सभी संभव प्रयास करने चाहिए।

मैं यहां यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने राजनैतिक जीवन में पूरी कोशिश करूंगा, जैसाकि मैं अब तक करता आ रहा हूं, कि मैं देश से साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद और भ्रष्टाचार हटाऊंगा तथा मैं अपने देश के तथा अपने क्षेत्र के लोगों की अंत तक अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करूंगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदर सहित इस अवसर पर "स्वाधीनता के पचास वर्ष और भारत का लोकतंत्र" विषय पर अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहूँगा।

जब भी सामाजिक न्याय, समाज सुधार या दलितों और दबे, कुचलों को न्याय देने की वार्ता होगी तो उसका अभिप्राय होगा शोषक वर्ग की शक्ति कम करना। ऐसे प्रत्येक प्रयास का शोषक वर्ग की सुदृढ़ व्यवस्था अपनी पूरी शक्ति से विरोध करती है। वर्तमान में चुनाव जीतने में इस शोषक वर्ग की सुदृढ़ व्यवस्था चुनाव प्रत्याशी को बहुत आवश्यकता होती है। इसकी सहायता के बिना चुनाव जीतना प्रायः असम्भव है। यह शोषक वर्ग सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के रूप में तो शासन करता ही है साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया को भी बहुत सशक्त ढंग से अपने कब्जे में रखता है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा हेतु सबसे पहले इसकी शक्ति को कम करना होगा। यह तभी हो सकेगा जब इस पर चारों ओर से प्रहार हो। किसी एक दिशा से प्रहार होने पर यह शोषक संगठन अन्य दिशाओं में सक्रिय होकर प्रतिक्रिया करता है। लोकतंत्र का मूल है सार्वभौमिक शक्तियाँ जनता में निहित हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता चुनावों में मात्र मूक दर्शक होती है और चुनावों के बाद शोषण का शिकार होती है।

लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब जनता स्वयं सामने आकर इन शोषक तत्वों की इच्छा के विरुद्ध अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और अपने प्रत्याशियों को जीत का सेहरा पहनाएगी।

भारतीय लोकतंत्र के लिये यह एक शुभ संकेत है कि आज हम मतदाता के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं अन्यथा मतदाता कुछ वर्षों पूर्व तक मात्र एक दर्शक बन कर रह गया था और वह केवल चुनाव के बीच यही कल्पना करता रह जाता था कि चुनावों के बाद उसका किस दल, धर्म, समुदाय, वर्ग या व्यक्ति द्वारा शोषण किया जाना है। आज कम से कम मतदाता इतना जागरूक अवश्य होता जा रहा है कि चुनावों का अर्थ समझ सके। परन्तु अभी भी उसे चुनाव में अंतिम निर्णय लेने की भूमिका निभाने योग्य नहीं बनाया जा सका है। इसलिए इस ओर हमें और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

परन्तु मेरे विचार से मतदाता द्वारा पहचान पत्र को मात्र एक सिनेमा की टिकट के रूप में ही देखा जा रहा है। जिस प्रकार दर्शक टिकट

लेकर हाल में प्रवेश कर जाता है परन्तु पर्दे पर क्या चित्र चलेगा और उसमें कौन किरदार क्या रोल अदा करेगा इस निर्णय पर उसका अधिकार नहीं होता। हमें परिचय पत्र में छिपी शासन की शक्ति जन-जन के सामने रखनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि उसका उपयोग कैसे करना है और इसका दुरुपयोग कैसे रोकना है।

लेकिन क्या मात्र पहचान पत्र से ही चुनाव धांधली रोकी जा सकती है? मेरे विचार से चुनाव में दो तरफा चौकसी की आवश्यकता है, दो तरफा नियंत्रण की आवश्यकता है।

मान लो मैं एक मतदाता हूँ और मेरे पास पहचान पत्र भी है। यदि मतदान केन्द्र पर मेरा वोट बूथ कैपचरिंग कर डाल दिया जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे नाम से भी मतदान हो चुका है जब तक मैं स्वयं केन्द्र पर जाकर चेक नहीं करूं। कितने ऐसे मतदाता होंगे जो जाकर चेक करेंगे। अरे जब भय से मतदाता मतदान केन्द्र की ओर मुंह भी नहीं करता है तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वे जांच करने जायेंगे कि उनका मत दे तो नहीं दिया गया है।

अब दूसरा बिन्दु विचारणीय है। मान लो मेरे मत का दुरुपयोग कर लिया गया बूथ लूट द्वारा। यह भी मान लें कि ऐसे मतदान केन्द्र पर हम यह चेक नहीं कर पायें। किसी भी कारण से जैसे पुलिस बल नहीं था, मतदान केन्द्र दल किसी प्रत्याशी से मिल गया आदि-आदि। अब यदि बूथ लूटने का यह कार्य इस ढंग से हो गया कि मतगणना में भी ये मतदान केन्द्र रद्द नहीं हो तो ये मत संवैधानिकता की श्रेणी में आ जायेंगे। यह कितना बड़ा मजाक होगा लोकतंत्र का जरा सोचें। इसलिए पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए हमें दो स्थानों पर नियंत्रण की आवश्यकता होगी।

इसलिए यह अनिवार्य है कि हम मतपत्र और पहचान पत्र दोनों को जोड़ दें तभी दोनों की सार्थकता पूरी होगी।

इसके लिए मतपेटिका के साथ-साथ पहचान-पत्र पेटिका भी मतदान केन्द्र पर रखी जायें। मतपत्र पेटिका में डालने के साथ-साथ पहचान पत्र भी पहचान पत्र पेटिका में डाले जायें। दोनों की गणना हो, दोनों का मिलाना हो, सही पाये जाने पर ही उस मतदान केन्द्र के मतों को मत गणना सूची में सम्मिलित किया जाये।

तब होगा सही नियंत्रण मतों की असलियत पर चूँकि यदि किसी कारणवश मतदान केन्द्र की लूट हो गई तो मतगणना केन्द्र में कैसे यह लूट फिर दुबारा संभव है। मत लूटने वाले को तब एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होगा जैसे पहले पहचान पत्र एकत्रित करना होगा और फिर मतदान केन्द्र लूटना। क्या यह इतना आसान होगा उनके लिये?

हाँ यह आपत्ति उठ सकती है कि इससे चुनाव प्रक्रिया लम्बी होगी, कठिनाइयाँ प्रारम्भ होंगी और पहचान-पत्र लौटाने में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं।

परन्तु क्या लोकतंत्र को हम सचमुच में बचाना चाहते हैं? यदि हाँ तो यह करना होगा। जब तक कि भारत का एक-एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जायेगा, जब तक हम शिक्षित होकर विकसित राष्ट्रों की भांति मतदान करना नहीं सीख पाते हैं।

वैसे भी माननीय वाजपेयी जी ने कहा है कि चुनाव सरकारी व्यय पर हों। इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपये निर्धारित करने की मांग भी की है। लेकिन इसमें आने वाली समस्याओं को भी तो नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। इस सरकारी राशि को कैसे प्रत्याशियों में वितरित किया जायेगा। क्या वितरण में वही शक्तिशाली शोषक तत्व बाधक नहीं होंगे? जो प्रशासनिक तंत्र निर्धन, दबे कुचले दलितों को उनके घर जलने पर राहत देने में आनाकानी करता है, जो सामूहिक हत्याएं होने पर उन्हें राहत नहीं देता उसी तंत्र को यह राशि वितरित करने का जिम्मा दिया जायेगा। फिर न्याय कैसे होगा?

चलो हम मान भी लें सब ठीक होगा, फिर भी यदि एक-एक सीट पर एक-एक हजार प्रत्याशी हो जायें तो सरकारी राशि कैसे वितरित होगी? क्या ये मात्र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को दी जायेगी? फिर निर्दलीय उम्मीदवारों का क्या होगा? यदि निर्दलीय उम्मीदवारों को नहीं दी जायेगी तो फिर यह लोकतंत्र का खिलवाड़ होगा।

इसलिए गम्भीर प्रत्याशियों के चयन के बिना सरकारी व्यय पर चुनाव कराना सम्भव नहीं है।

मेरा यह मानना है कि चुनाव प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए निराधार प्रत्याशियों को चुनाव मैदान से हटाना होगा। इसके लिए यह विधान बनाया जाये कि जो प्रत्याशी कुल मतों का एक प्रतिशत चुनाव में नहीं ला पाये उन पर मुकदमा चलाया जाये और न केवल उन्हें बल्कि उनके प्रस्तावक और समर्थक को भी छः-छः माह का सश्रम कारावास के साथ-साथ आर्थिक दण्ड की भी सजा दी जाये। चूँकि बिना किसी आधार के फर्जी प्रत्याशी बनने के कारण वे जन-धन एवं राष्ट्रीय समय की बर्बादी करने के साथ-साथ अपने संवैधानिक अधिकारों का भी दुरुपयोग करते हैं।

इसलिए सरकारी व्यय पर चुनाव होना वर्तमान परिस्थितियों में ना केवल असम्भव है बल्कि अनुचित है चूँकि क्या गारंटी है कि जो दल या प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे और सरकारी सहायता प्राप्त करेंगे वे शोषक धनी वर्ग से भी चुपके-चुपके नाजायज सहायता नहीं लेंगे। क्या सरकारी व्यय पर चुनाव होने पर ये शोषक तत्व सभ्य हो जायेंगे और स्वार्थी एवं लालची राजनीतिज्ञों को अपने प्रभाव से मुक्त कर देंगे जिन्हें चुनावों के बाद राजनीतिक प्रभाव से अपने गलत और नाजायद काम करवाने हैं।

इसलिए मूल मुद्दा होना चाहिये चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक तंत्र को उन शोषक, स्वार्थी तत्वों के प्रभाव से मुक्त करना और यह तभी संभव है जब चुनाव कम खर्च में हों और इस प्रकार हों जैसे हम अपने सामाजिक पर्व मनाते हैं। इन पर्वों से हमारी ना केवल सामाजिक भावना जुड़ी होती है बल्कि हम आत्मिक रूप से उनसे जुड़े होते हैं। समाज में यह पर्व मिल जुल कर एक सामुदायिक प्रयास के रूप में मनाये जाते हैं। चुनाव भी एक सामुदायिक प्रयास होना चाहिये परन्तु

आज हम ऐसे मुकाम पर आ गये हैं कि जहाँ चुनाव ना केवल धन का घृणित खेल हो गया है बल्कि अपराध जगत का भी इसमें आज बोल-बाला हो गया है।

शायद इसीलिए माननीय चुनाव आयुक्त श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति ने चुनाव में अपराध को समाप्त करने हेतु हाल ही में कुछ सुझाव दिये हैं। हमें ऐसे सभी प्रयासों का स्वागत करना चाहिए। परन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि कहीं ऐसे प्रयास अभाव ग्रस्त, दलित, पिछड़े, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक रूप से सताये समुदाय को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकलापों से अलग-थलग करने के प्रयास तो सिद्ध नहीं होंगे।

अपराधी किसे कहेंगे? जो अपराधी सिद्ध हो गया है? या जिसे अपराधी नहीं होने पर भी पूरी व्यवस्था ने अपराधी घोषित कर दिया है? यहाँ 'घोषित करने' की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है बिहार के गांवों में कि भूख से तंग आकर जो व्यक्ति राज्य से वर्षों पूर्व बाहर चला गया है उसे भी सामंती शक्तियाँ गांव के थाने में जहाँ उनका पूर्ण वर्चस्व है प्राथमिकी दर्ज करवाते समय कल्पित अपराध का मुजरिम दर्ज करवा देते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति अपराधी हैं? और यदि श्री कृष्णमूर्ति जी की बात हम स्वीकार कर लें तो वह व्यक्ति सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया से वंचित हो जायेगा।

अपराधी सिद्ध करने के लिए अपराधी होना भी आवश्यक नहीं है अपराधी नामित होने के लिए कोई किस वर्ग में पैदा हुआ है कई बार काफी होता है। देश में बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिन्हें आज भी अपराधी जाति माना जाता है। राजस्थान की पारदी जाति को आज भी दिल्ली की पुलिस अपराधी मानती है। इसी प्रकार पूर्व में राजस्थान की कई जातियाँ अपराधी जातियाँ मानी जाती थीं लेकिन भाग्यवश कुछ को सही वातावरण मिल गया जिससे आज वे न केवल राजस्थान में बल्कि देशभर में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। इन जातियों के राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, उद्यमी, उच्च अधिकारी आज किसी की भी तुलना में पीछे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उच्च एवं कुलीन वर्ग के बहुत से लोग नशीली दवाएं बेच कर या व्यवसाय में धोखाधड़ी करके, बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों के स्वामी बन शहर के सम्मानित व्यक्तियों की श्रेणी में आ गये हैं। क्या वे अपराधी नहीं हैं? उन्हें किस आधार पर चुनाव प्रक्रिया से वंचित किया जायेगा?

हाँ एक ऐसी व्यवस्था है जिससे दो व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया हो निरपराधी घोषित हो सकता है और जिसने अपराध किया हो और निरपराधी का ढोंग रच कर बैठा हो अपराधी घोषित हो जाये। और यह व्यवस्था है स्वयं स्थानीय समाज के अपने भीतर की व्यवस्था। जब प्रत्याशी का चयन बाहर से ना होकर स्वतंत्र रूप से स्थानीय समाज करेगा तो ऐसे समाज में अपराधी-निरपराधी की परख करने की क्षमता होगी। परन्तु हाँ। यह चयन जाति, समुदाय या सम्प्रदाय पर आधारित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा ही हुआ होता तो किसी भी समुदाय, जाति या धर्म का प्रत्याशी कहीं से भी चुनाव जीत कर आ जाता। उदाहरण सामने है। अनारक्षित सीटों पर कितने दलित आज तक जीते हैं? यह उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ राजनीतिक शक्तियों और प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण करो। नई चुनाव पद्धतियाँ अपनाओ। समाज को स्वयं निर्णय लेने दो किसे प्रत्याशी बनाना है और किसे नहीं।

तब जाकर अपने आप अपराधी चुनाव प्रक्रिया से लुप्त हो जायेंगे। बूथ लूट रुक जायेगी और योग्य व्यक्ति ही संवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश कर पायेंगे।

ये कैसे होगा इसके लिए हमें विचार करना होगा। मैं अपना जो मत इस संबंध में देता हूँ वह एक ऐसे व्यक्ति का मत नहीं है जो दूर बैठा सुझाव दे रहा हो। मैं स्वयं राजनीतिज्ञ हूँ, स्वयं चुनाव लड़ कर आया हूँ। अन्दर-बाहर के सब राजनीतिक दाँव पेंचों की जानकारियों से अनभिज्ञ भी नहीं हूँ। इन सब की कड़वाहट और दूरगामी दुष्प्रभावों को भी मैंने देखा है इसलिए मेरा सुझाव अनुभव पर आधारित है।

प्रत्येक स्थानीय समाज एक स्थान पर बैठकर प्रत्याशियों का चयन करें जहां एक पर मतैक्य नहीं हो उन पर मतदान हो। दो समाज से आये प्रत्याशियों पर भी स्थानीय मतदान से निर्णय हो। इस प्रकार अन्त में सही प्रत्याशी का चयन कर चुनाव मैदान में उन्हें उतारा जाये। इसमें जाति, वर्ग, समुदाय और धर्म काफी हद तक गौण हो जायेंगे। बाहरी दबाव कम होगा और प्रत्याशियों के चरित्र की भी जाँच हो जायेगी। हाँ यह जरूर है कि इस प्रक्रिया में धर्म-बल, जाति-बल, धन-बल और बाहु-बल की विजय नहीं होगी और लोकतंत्र भी तो इसी पर आधारित है।

प्रश्न फिर यही उठेगा कि बिना धन और सुविधाओं के ऐसा प्रत्याशी चुनाव कैसे जीतेगा।

मेरे सुझाव मूल रूप में इसी पर आधरित हैं। यदि प्रत्याशी बाहरी निर्णय से थोपा जायेगा तो उस समाज में जिसे अपने मतों से प्रत्याशी को जिताना है सहभागिता की भावना उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ऐसे प्रत्याशियों को धन-बल, बाहु-बल आदि की बाहरी आवश्यकता पड़ती है और इस चुनाव प्रक्रिया में स्थानीय समाज मूक दर्शक बना रह जाता है।

परन्तु यदि स्थानीय समाज का अपना चयनित प्रत्याशी मैदान में होगा तो उसे जिताना, चुनाव के लिए धन एकत्रित करना, व्यवस्थाएं जुटाना उसकी अपनी जिम्मेदारी हो जायेगी, और तब चुनाव उनके लिए एक अपना सामाजिक पर्व बन जायेगा। घर-घर प्रचार का जिम्मा भी स्थानीय कार्यकारिणी के सदस्य लेंगे। इसमें भी बिना अधिक व्यय के ही कार्य करना है।

यदि स्थानीय समाज की कार्यकारिणी के 150 सदस्य मान लें तो प्रत्येक सदस्य को 10-10 घर आवंटित किये जा सकते हैं जो अपने दैनिक कार्यकलापों से समय निकाल कर चुनावों में प्रत्येक दिन इन घरों में जायेंगे और प्रचार का काम करेंगे। इस प्रकार रोज ही 1500 घरों में प्रचार का कार्य होगा। ये सदस्य विधान सभा या लोक सभा चुनाव के लिए ऐसे 500 घरों का चयन करें जो 100 रुपये प्रत्येक परिवार दे सके इस प्रकार 50,000 रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र में एकत्रित होगा

जिससे चुनाव व्यय का वहन होगा जिसमें बैलेट पेपर के नमूने भी तैयार हो जायेंगे। चूँकि कोई मंच या जलसा नहीं करना है इसलिए एक मिनि ट्रक पर ही माईक लगाकर चलते-फिरते स्टेज का काम लिया जा सकता है।

इस प्रक्रिया में चूँकि बाहरी संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसलिए किसी बाहरी या भीतरी धनी व्यक्ति या वर्ग के चुनाव से पूर्व या प्रत्याशी के चुने जाने के बाद के हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होगा।

ये स्थानीय कार्यकर्ता मतदाताओं को अपने प्रचार के क्रम में पहचान-पत्र की महत्ता को भी समझा सकेंगे और स्थानीय जनता के सहयोग से प्रशासन को सहायता प्रदान कर बूथ लूट से भी चुनाव को दूर रखेंगे।

अब इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कहां है आवश्यकता बड़े-बड़े उद्योगपतियों की, बाहु-बलियों, अपराधियों की या सरकारी खर्च पर चुनाव कराने की?

हाँ आवश्यकता है तो समाज की सहभागिता को चुनावों में सुनिश्चित कराने की, उन्हें चुनावों का आधार स्तंभ बनाने की, और शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने की। तभी सही मायने में चुनाव प्रक्रिया में सुधार कर हम लोकतंत्र के मूल आधार को सुदृढ़ कर सकेंगे।

बिना विकास के कोई आजादी कायम नहीं रह सकती। मानव विकास को किसी एक दिशा या एक ही विषय में ही नहीं बांध कर रखा जा सकता है। यदि हम मात्र राजनीतिक आजादी की बात करें तो वह सामाजिक एवं आर्थिक आजादी के बिना अधूरी है। इसी प्रकार ये तीनों अंग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीनों में आजादी चाहिये तभी समाज में शान्ति स्थापित हो सकती है।

जब हम समाज में शान्ति की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं तो विकास की बात भी प्रासंगिक हो जाती है। साथ ही यह भी प्रासंगिक हो जाता है कि क्या विकास कुछ व्यक्तियों के लिए हो, कुछ ही स्थानों के लिए हो, या इसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए करने का उद्देश्य निर्धारित किया जाये? हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि आज भी आजादी के 50 वर्षों पश्चात् हम 80 हजार गांवों को बिजली उपलब्ध नहीं करा पाये। यह मैं मानता हूँ कि इनमें से 18,000 ऐसे गांव हैं जहां पारम्परिक ऊर्जा स्रोत नहीं पहुंचाये जा सकते हैं, चाहे वो अत्यधिक खर्चीले होने के कारण हो या स्थान विशेष इतना कठिन हो जहां परम्परागत स्रोत पहुंचाये नहीं जा सकते हैं। मैं यहां उन गावों की बात भी नहीं कर रहा हूँ जिन गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है, तब भी वहां बिजली नहीं है। यदि ऐसे गांवों की संख्या भी इस 80,000 की संख्या में जोड़ दी जाये तो मेरे विचार से यह संख्या डेढ़ लाख से भी ऊपर चली जायेगी। क्या हम ऐसे गांवों में आधुनिक विकास होने की बात सोच सकते हैं? क्या इन गांवों का आधुनिक तर्ज पर औद्योगिकरण हो सकता है या इन गांवों के निवासियों को आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं? इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऊर्जा के मुद्दे को विकास का पहला चरण माना जाये।

जब हम आधुनिक समय में विकास की बात करते हैं तो हम अपने आप को विकासशील देशों की सूची में रखते हैं। परन्तु क्या हम सचमुच विकासशील देशों में अपनी गणना कराने योग्य अपने को पाते हैं? विकासशील देशों में भी प्रति व्यक्ति आय को यदि आधार मानें तो हम आज अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से भी नीचे गिने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ताईवान, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, साउथ कोरिया आदि ऐसे देश हैं जिन्होंने लगभग हमारे साथ ही अपनी विकास यात्रा शुरू की थी और आज वो हम से कहीं आगे बढ़ चुके हैं।

दुखद स्थिति यह भी है कि हमारे पास ऊर्जा की अत्यधिक संभावनायें हैं जिनका दोहन हम नहीं कर पाये हैं, इनमें मैं बड़े-बड़े पावर प्लान्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि उस प्राकृतिक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ जो सहज रूप में हमें प्राप्त हो रही है और जिसे हम अभी तक पूर्णतया अपने उपयोग में नहीं ला पाये हैं। चूँकि बहुत से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे बहुत सी भूमि चली जाती है, परिवार उजड़ जाते हैं और बहुत बार तो ये प्रोजेक्ट्स लागू ही नहीं हो पाते जैसे कोयलकारो परियोजना सन् अस्सी के दशक से ही चल रही है और आज तक पूरी नहीं हुई है यदि मात्र पवन ऊर्जा की पूरी संभावना का ही हम दोहन कर लें तो आज तक की हमारी उपलब्धियों में डेढ़ गुणा की वृद्धि हो जायेगी। केवल राशि उपलब्ध करा दी जाये तो इन योजनाओं का कार्यान्वयन एक-दो वर्षों में ही प्रारम्भ किया जा सकता है। यदि हम मात्र पवन ऊर्जा की बात करें तो हम 40 हजार मेगावाट ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार लघु पनबिजली परियोजना से 10 हजार मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है ये छोटी-छोटी योजनाएं शीघ्र प्रारंभ कर पूरी की जा सकती हैं जिससे न उपजाऊ भूमि डूबेगी न लोगों को उजड़ना पड़ेगा। यदि हम उपलब्ध बायोमास का समुचित ढंग से उपयोग करें तो 17 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हम कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया से पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। समुद्र की विशाल क्षमता का भी दोहन किया जा सकता है जिससे 50 हजार मेगावाट बिजली उत्पादित की जा सकती है। सौर ऊर्जा की अपार सम्भाव्यता हमारे देश में है जिससे 35 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर थरमल पावर से, और 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर फोटोवोल्टाइक से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम एक करोड़ 20 लाख बायोगैस संयंत्र लगा सकते हैं और 12 करोड़ उन्नत चूल्हे निर्मित करा सकते हैं। यहां प्रश्न स्थानीय और छोटी-छोटी योजनाओं को प्राथमिकता देने का है न कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने का है। यदि राशि इन छोटी-छोटी योजनाओं के लिए उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाये तो राष्ट्र की ऊर्जा की कमी से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन की हमारी उपलब्धियां अच्छी रही हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग हमारे देश में किया जा रहा है और आज अमेरिका और जर्मनी को छोड़ कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश संसार में सबसे आगे है। हमने 900 मेगावाट विद्युत का उत्पादन पवन ऊर्जा से करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में और

अतिरिक्त 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हमने पवन उर्जा के क्षेत्र में रखा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य 100 मेगावाट था जिसके विरुद्ध 860 मेगावाट विद्युत उत्पादन की उपलब्धि रही है। इसी प्रकार सौर फोटोवोल्टाइक सिस्टम में आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य 3 मेगावाट था जिसके विरुद्ध हमारी उपलब्धि 25 मेगावाट से अधिक रही है। बायोगैस में यह लक्ष्य साढ़े सात लाख संयंत्र लगाना था जिसके विरुद्ध साढ़े नौ लाख से अधिक बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं। 116 लाख उन्नत चूल्हे के स्थान पर लगभग 132 लाख उन्नत चूल्हे लगाये गये हैं।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे हैं जिनमें हमारी उपलब्धियां उतनी अच्छी नहीं हो पाई। सोलर कुकर में 3 लाख सोलर कुकर वितरित करने के स्थान पर हम लगभग 2 लाख सोलर कुकर ही वितरित कर पाये। सोलर कुकर में हमारी उपलब्धियां इसलिए भी अच्छी नहीं रही चूंकि सोलर कुकर से हमने पिछले कुछ वर्षों में सब्सिडी समाप्त कर दी थी, इसका बुरा प्रभाव इस कार्यक्रम पर पड़ा। इसी प्रकार सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में भी हमारी उपलब्धियां लगभग 70 प्रतिशत रही हैं। इस कार्यक्रम का उपयोग विविध रूप से किया जा सकता है और इसलिए हमने इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में सब्सिडी देने पर विचार करने का निर्णय लिया है। समन्वित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 नये प्रखंडों में से इस कार्यक्रम को मात्र 408 प्रखंडों में लागू किया जा सका है। इस दिशा में भी हमने पिछली कमी को पूरा करने हेतु कदम उठाये हैं, और इस वर्ष 200 प्रखंडों को समन्वित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में हम अपारम्परिक उर्जा स्रोतों को एक नया स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। चूंकि आज सभी स्तरों पर अपारंपरिक उर्जा स्रोतों में छिपी सम्भाव्यता को पहचाना जा रहा है और सभी इस बिन्दु पर एकमत होते जा रहे हैं कि हमें उर्जा के वैकल्पिक साधनों को अधिक से अधिक विकसित करना चाहिए। माननीय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रीत्व काल में अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय गठित किया गया था। यह उनकी दूरदर्शिता का द्योतक है और विशेष सत्र में भी माननीय श्री राव द्वारा अपारम्परिक उर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिये जाने पर बल देना उनकी इस मंत्रालय के प्रति भावना का परिचायक है। उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए पवन उर्जा और जल उर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया है। उच्च सदन राज्य सभा में भी माननीय श्री सुरेश पचौरी ने विशेष सत्र के बाद एक राष्ट्रीय एजेण्डा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है और उसमें उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि वैकल्पिक उर्जा के साधनों के विकास का मुद्दा भी इसमें सम्मिलित किया जाये।

वैकल्पिक उर्जा के साधनों के विकास की न केवल इसलिए आवश्यकता है कि ये दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाये जा सकते हैं परन्तु इनकी अनिवार्यता इसलिए है कि पारम्परिक उर्जा के स्रोत लगभग 30 वर्षों से अधिक हमें उर्जा उपलब्ध नहीं करा पायेंगे और इसके पश्चात् हमें मात्र अपारम्परिक उर्जा स्रोतों पर ही आश्रित होना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि वैकल्पिक उर्जा स्रोतों के विकास से संबंधित विषय को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, और न केवल इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए बल्कि इसे उच्च प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए।

माननीय सांसदों की भी लगातार इस ओर चिन्ता बनी हुई है कि राष्ट्र का विकास तब तक नहीं हो सकेगा जब तक उर्जा के साधन पूर्ण रूप से विकसित नहीं किये जायेंगे और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की उर्जा आवश्यकतायें पूरी नहीं की जायेंगी। परन्तु इस ओर अग्रसर होने के लिए हमें विभिन्न मंत्रालयों की अधिकार सीमायें तोड़ कर एकजुट होकर कार्य करना होगा। इस वर्ष हमने विभिन्न ऐसे मंत्रालयों से, जिनके कार्यकलापों को हम अपने कार्यकलापों से सीधे रूप से प्रभावित कर सकते हैं, समन्वय स्थापित करने की भी पहल की है। इसमें ग्रामीण विकास, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लघु उद्योग, कल्याण, मानव संसाधन विकास, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन आदि मंत्रालय मुख्य हैं।

मुझे अपने मंत्रालय के कार्यक्रमों में गति लाने हेतु माननीय सांसदों के भी सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यकलाप घर-घर और जन-जन तक पहुंचाने के लिए माननीय सांसदों के माध्यम से हम प्रयास करना चाहते हैं। मैं तो यहां तक अनुरोध करने जा रहा हूँ कि यदि सभी माननीय सांसद अपने सांसद कोटे से अपने-अपने क्षेत्र में मेरे मंत्रालय के कार्यक्रमों में राशि उपलब्ध करायें तो मात्र एक वर्ष की अवधि में काफी गांवों में अपारम्परिक उर्जा स्रोतों से उर्जा के साधन ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराये जा सकते हैं। मैंने अपने सांसद कोटा से 50 लाख रुपये की राशि इन कार्यक्रमों के लिए दी है। मैं इस दिशा में राज्यों की राजधानियों में जा-जा कर माननीय सांसदों से अपने मंत्रालय के कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा करने का भी विचार कर रहा हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपारम्परिक उर्जा स्रोतों के विकास में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है। मेरा मंत्रालय इनके मार्गदर्शन में सतत् प्रयासरत है, ताकि अधिक से अधिक गांवों में और अधिक से अधिक व्यक्तियों को उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके, जिसमें रोजगार की सम्भावनायें बढ़ाना और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना मुख्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित ज़नजाति वर्ग के लिए मेरा मंत्रालय विशेष प्रयास कर रहा है जैसे सोलर लालटेन पर अनुदान एवं अधिक से अधिक उन्नत चूल्हा लगाने की कार्यवाही करना। परन्तु यदि हम ये कार्यक्रम कल्याण मंत्रालय के सहयोग से करें तो हम इनमें और गति ला सकते हैं। मैं पहले भी माननीय कल्याण मंत्री जी से इस संबंध में चर्चा कर चुका हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल्याण मंत्रालय की ओर से अपारम्परिक उर्जा स्रोतों को इन वर्गों के लिए विकसित करने में नये प्रयास किये जायेंगे।

मेरा यह भी प्रस्ताव है कि गांव-गांव तक अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों को पहुंचाने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाये। मैं तो मंत्रालय के नाम तक को सरल करना चाहता हूँ। चूंकि ग्रामीण जनता को मंत्रालय के नाम का उच्चारण करने में भी कठिनाई

होती है। वैसे भी यह प्राकृतिक उर्जा है जो हमें सहज रूप से प्राप्त होती है इसलिए मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ कि मंत्रालय का नाम भी सहज उर्जा स्रोत मंत्रालय किया जाये। इस संबंध में आगे विचार किया जा रहा है।

मेरा मंत्रालय माननीय सांसदों के उन सभी सुझावों का स्वागत करेगा जो वैकल्पिक उर्जा स्रोतों के विकास में सहयोगी सिद्ध होंगे और मैं आशा करता हूँ कि सभी माननीय सांसद एकजुट होकर राष्ट्र के विकास के इस मूल आधार को सुदृढ़ करने में हमारा सहयोग करेंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: (चांदनी चौक-दिल्ली): भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ सारे हिन्दुस्तान में बड़ी जोर से मनायी जा रही है। हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सदन में भी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। ये आजादी बड़े संघर्ष के बाद मिली है। उस समय के नेताओं ने सही सोच का परिचय देते हुए एक लम्बे रास्ते पर चलते हुए देश की आजादी का बिगुल बजाया। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जेलों में गये, फांसी के फंदे को चूमा और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के करोड़ों लोगों को संघर्ष के लिए आह्वान किया। आज हम याद करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके बलिदान के बाद हमें एक आजाद देश मिला। ये देश जब आजाद हुआ जब इस देश के गरीब मजदूर किसान व भूखे पेट रहने वालों ने महात्मा गांधी को अपना नेता समझा और उसकी भावना जागी कि हमें अपना देश मिलेगा, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान व रोजगार मिलेगा। हम अपने नीति व कार्यक्रम खुद बना सकेंगे। बगैर किसी धर्मपथ भेदभाव के सबने मिलकर कुर्बानी दी।

आज आजाद भारत हमारे पास है। हमें गर्व है कि पिछले 50 साल में हमने एक अच्छा रास्ता तय किया है। किसी देश के लिए 50 साल कोई बड़ा समय नहीं होता हर दिशा में हमने कामयाबी हासिल की है। जवाहर लाल नेहरू ने बड़े-बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया। लोगों को रोजगार दिया—दुनिया भर में अपनी बात पहुँचाते हुए दो बड़ी ताकतों के बीच एक नया पंचशील (नॉन एलाइंड नेशन) का रास्ता निकाला जो आज एक बहुत बड़े समूह के रूप में है। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को आह्वान किया कि आज हम अपना उगाया हुआ अनाज खायेंगे और हरित क्रांति को और देश को लेकर चले, इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी मिटाने का संकल्प लिया और उस ओर प्रभावी कदम उठाये। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया लोगों को रोजगार दिलाने के नये-नये कार्यक्रम बनाये। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि गरीब आदमी को कारोबार के लिए धन मिल सके। लोन मेले का आयोजन करके गरीबों को धन दिया।

नॉन एलाइंड नेशन के माध्यम से सारी दुनिया के गरीब देशों की जोरदार तरीके से हिमायत की। उसके बाद राजीव गांधी ने देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने के लिए प्रभावी कदम उठाये। कम्प्यूटर को हर जगह इस्तेमाल करने व टेलीकम्यूनीकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। वो देश को दुनिया की दौड़ में सबसे आगे रखना चाहते थे। सारी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती थी। नरसिम्हा राव जी ने भारत के बाजारों को दुनिया के लिए खोला और आर्थिक नीति को और उदार बनाया ताकि नयी तकनीक का विकास हो और हम व्यापारिक क्षेत्र में किसी से पीछे न रहें।

आज भारत किसी से कमजोर नहीं है। आर्थिक रूप से हम सक्षम हैं। विधान में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमें गर्व है कि हम अपने लड़ाकू जहाज खुद बनाते हैं। हमारे अपने सेटलाइट आकाश में हैं।

हमारा अपना एक साथी दूसरे देशों के लोगों के साथ स्पेस में गया। हम अनाज एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन अभी और भी काम करने हैं। जैसे गरीबी दूर करने के और प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पटरी पर समान बेचने वाले को व झुग्गी में रहने वाले को या खेत व कारखानों में काम करने वाले को रोजगार मिल सकें। जनसंख्या को रोकने के लिए नयी नीति के कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे।

ये देश हमारा है और हमें अपने देश पर गर्व है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैला है, इस सत्र में सबने यह बात स्वीकार की है। इसको भविष्य में हम ठीक करें। आज नेता शब्द से लोगों को

चिढ़ हो गई है और नेता को लोग खराब समझने लगे हैं। हमको उदारीकरण में विश्वास करना चाहिए। महंगाई कम करें और महिलाओं की इज्जत करना सीखें।

अध्यक्ष महोदय, आपने लोक सभा को बहुत मर्यादित ढंग से चलाया, इसके लिए धन्यवाद।

स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी

स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी (फर्रुखाबाद): मान्यवर, राष्ट्र स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। सदन में लगभग दो सौ पन्द्रह से अधिक सांसदों ने अपने गहन विचार व्यक्त किये समूचे राष्ट्र ने इस विशेष सत्र में अपने नेताओं के विचारों का श्रवण किया।

महोदय, आजादी की लड़ाई हम सब मिलकर लड़े थे। आजादी के पश्चात् बहुत कुछ विकास किया है राष्ट्र ने। परन्तु दुर्भाग्य इस राष्ट्र का कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र आज भी शून्य जैसा है और पचास वर्षों में भी यदि हम राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण न कर सके तो इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। अध्यक्ष जी, इन पचास वर्षों में राजनेताओं के प्रति जनता की भावनाएं कुछ अच्छी नहीं बन रही हैं क्योंकि राजनेताओं के कारण ही इस पवित्र राष्ट्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारा राष्ट्र का उद्‌घोष कि मेरे राष्ट्र में कोई भी चोर जार मद्यप नहीं है परन्तु आज ....।

महोदय, यहाँ पूज्य महात्मा गांधी के बारे में तो सबने प्रशंसा की है, करनी भी चाहिए मेरे ह्रदय में भी बापू के प्रति बहुत सम्मान है परन्तु हमें नहीं भूलना चाहिए कि ....

लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी,
अहिंसा की फिरौती नहीं है देश मेरा,
चन्द्र जहाँबाज लड़ाकों का हक है इस धरती पर,
किसी एक के बाप की बपौती नहीं देश मेरा।
चन्द्रशेखर, सुभाष, भक्त, बिसमिल की धरोहर है,

हमें इन्हीं के आदर्शों पर चल कर देश महान् बनाना है।

महोदय, अभी बहुत कुछ काम करना शेष है। महिलाओं का आरक्षण हो रहा है मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ परन्तु दबी, कुचली, पिछड़ी महिलाओं को इसका लाभ मिले यह हमारा कर्तव्य बनता है। बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर तो आरक्षण के पूरी तरह से विरोधी थे परन्तु आज आरक्षण को लेकर ही विवाद है। यह इस राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर दलितों तथा पिछड़ों में जो राजनैतिक जागृति आई है इससे कुछ वर्गों के दिल में दर्द होने लग गई, न जाने कब इन्हें दिल का दौरा पड़ जाये। अध्यक्ष जी, कुछ लोग जातियता के आधार पर, कुछ धर्म मजहब के आधार पर राजनीति करते हैं हमें राष्ट्र की प्रभुसत्ता की रक्षा हेतु चिंता करनी चाहिए। हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम एकजुट होकर राष्ट्रनिर्माण की चिंता करें।

महोदय, दिल्ली में आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उस दिन राजधानी में एक सरकारी त्यौहार मनाया जाता था मैंने देखा कि एक बुढ़िया जो पागल जैसे दिख रही थी सड़क पर खड़ी जोर-जोर से चीख रही थी कि "ऐ दिवानों की तरह भारत माता की जय के नारे लगाने वालों, तिरंगा झंडा लहराने वालों, राष्ट्रीय गीत गाने वालों तुम्हारे इस जलूस की भीड़ में मेरा इकलौता बेटा खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है, क्या तुमने उसे देखा है?" लोग चले ही चले जा रहे थे बुढ़िया की बात पर जरा भी गौर नहीं फरमा रहे थे। यह देखकर मेरे दिल ने बुढ़िया पर तरस खाया। मैं उसके और करीब आया। मैंने कहा-मां मैं एक कवि हूं, भावुक होने की सजा जरूर भरूंगा। किसी और को फुर्सत हो न हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मेरे लायक कोई काम बताओ, मुझे अपने खोये हुए बेटे का हुलिया, नाम बताओ, तुमसे उसका पूरा परिचय पा लूँ तो हो सकता है कि मैं ही उसका पता लगा लूँ। बुढ़िया चौक कर बोली क्या तुम कवि हो? यानि कि मेरे खोये हुए बेटे की अंतिम छवि हो और तुम्हारे लिए तो मेरे बेटे की तलाश बहुत आसान है तुम्हें उसका हुलिया और नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी और उसकी तो पुरानी जान-पहचान है। क्या अब भी नहीं समझे? मेरे खोये हुए बेटे का नाम हिन्दुस्तान है जिसे लोग भारत के नाम से भी जानते हैं पर अब तो बेटे की तलाश में दर-बदर ठोकरें खाती हुई इस भारत माता को नहीं पहचानते हैं। उसे ढूँढ सको तो ढूँढो, जरूर ढूँढो। पर यह जरूरी भी नहीं कि मेरा खोया हुआ बेटा कहीं जिन्दा ही हो।

कभी कभी तो लगता है कि प्रजातंत्र के इस अंधेरे जंगल में खूनी भेड़ियों का कोई झुंड मेरे बेटे को निगल गया है या फिर मेरा बेटा किसी बेईमान मिनिस्टर इम्फाला के नीचे कुचल गया है या हो सकता है कि महाभारत में एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराया हो और इस बार संसद के चक्रव्यूह में सात नहीं, सैंकड़ों राजनैतिक महारथियों ने मेरे अकेले निहत्थे अभिमन्यु जैसे बेटे को मार गिराया हो। भागो मत, ऊबो मत, सुनो दिल थाम के सुनो, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती मात्र बेटा ही खो गया होता तो मैं इतना अधिक नहीं रोती, दुर्भाग्य ने मुझ पर एक प्रहार और किया है कि चन्द सफेदपोश गुण्डों ने मेरी जवान बेटी का अपहरण करा दिया है। मैंने तड़प कर कहा माँ, इस देश का हर नौजवान तुम्हारा बेटा है, तुम क्यों फिकर करती हो। मुझे समझाओ तो, मुझे बताओ तो, तुम अपनी कौन सी बेटी का जिक्र करती हो। सिसकती हुई भारत माता ने कहा कवि तुम मेरी उस बेटी को ही भूल गये जिसके जन्म दिन पर तुम खुद मुझे बधाई देने आये थे उस दिन खुशी में तुमने न जाने कितने गीत गाए थे। मेरी बेटी और कोई नहीं शहीदों के सपनों की वही हसीन शहजादी है और अब तो समझ ही गए होंगे मेरी अपहृत बेटी का नाम आजादी है जिसकी पवित्रता से भोर की लाली तक लज्जाती थी जिसकी देह से बलिदानों की सुगंध आती थी। चन्द्रशेखर आजाद ने जिसकी हथेलियों पर अपने लहू की

मेंहदी रचाई थी। भगत सिंह ने जिसे बसंती चूनड़ पहनाई थी। लोकमान्य तिलक ने जिसके ललाट पर अपने आशीर्वाद का टीका चढ़ाया था और सुभाष चन्द्र बोस ने जिसके पैरों में अपनी श्रद्धा का महावर लगाया था। हाँ ये मेरी वही बेटी है जो उस रात जब राजनीति की उस अंधेरी बस्ती में नैतिकता का हर चिराग शायद धूएं की चादर ओढ़कर सो गया था, तब मेरी आँखों के सामने ही मेरी बेटी का अपहरण हो गया था। अपहरणकर्ता गुण्डे सफेद खद्दर के लिबास पहन कर आये थे और मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि वे अपने चेहरों पर स्वार्थों की नकाब चढ़ाये थे। उनकी आँखें से पद लोलुपता की आग दहक रही थी और उनकी श्वासों से सत्ता की शराब महक रही थी जानते हो कवि उन्होंने अपहरण कर मेरी बेटी का क्या किया? उसे दुर्गन्धित राजनीति के अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया जहाँ मेरी बेटी की जिन्दा लाश आज भी अपनी सांसों का कर्जा भर रही है और शहीदों के सपनों की तरह धीरे-धीरे मर रही है। उसकी पवित्रता के हार-श्रृंगार राजनीतिक वासना की गंदी नाली में झर रहे हैं क्योंकि सत्ता के नशे में चूर और कुर्सी की हवस में पागल नेता दिन-रात आजादी के साथ बलात्कर कर रहे हैं।

वाणी पुत्र, हो सके तो मेरा सन्देश देश की युवा पीढ़ी तक पहुँचाओ कि पहले मेरे खोये हुए बेटे का पता लगाओ कि पहले मेरी बेटी को उन दरिन्दों के पंजों से छुड़ाओ और यदि तुम ऐसा न कर सको तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम बेशर्मी के साथ भारत माता की जय के नारे लगाओ, तिरंगा झंडा फहराओ और राष्ट्रीय गीत गाओ और तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम 15 अगस्त या 26 जनवरी का जश्न मनाओ।

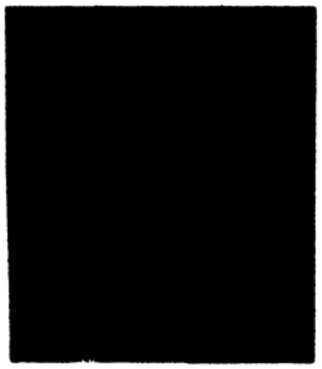

कुमारी शैलजा

कुमारी शैलजा (सिरसा): महोदय, हमारा देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ बड़े गर्व से मना रहा है। इस अवधि के दौरान हमारी विपुल उपलब्धियां रही हैं। यदि हम स्मरण करें कि हमारे देश में कितनी विविधता है विभिन्न जातीय और अल्पसंख्यक दलों के हित कितने भिन्न-भिन्न हैं, यहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं, भिन्न-भिन्न जातियों और जनजातियों के लोग रहते हैं और इन सबके अलावा यदि हम देखें कि हमारी जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रीय और सामाजिक वर्गों के विकास का स्तर स्वरूप कितना असंतुलित और असमान है तो भारत का कटु से कटु आलोचक भी लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार कार्य करते हुए इस देश को एकजुट बनाए रखने की हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि को मानने के लिए अपितु उसकी प्रशंसा करने के लिए भी बाध्य हो जाएगा। इन 50 वर्षों में भारत में ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों का शासन रहा है और इस सम्माननीय सदन में उस दल का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हम क्षण भर के लिए भी, इस देश की, जिसका नेतृत्व इस अवधि में जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया है, उपलब्धियों को कम करके नहीं आंक सकते हैं।

ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन काल में, भारत की विकास दर वास्तव में रुक गई थी। इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, विकास दर एक वर्ष में एक प्रतिशत भी नहीं थी। हमारे योजनाबद्ध विकास के पहले 30 वर्षों के दौरान विकास दर बढ़कर 3.5 प्रतिशत तक हो गई। यह हमारी क्षमता और अन्य कई विकासशील देशों विशेषकर दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई देशों की तुलना में कम थी। लेकिन ऐसे किसी भी देश को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जिनका भारत को करना पड़ा। भारत की आरंभिक विकास दर बहुत कम थी और हमें कई राजनीतिक संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से निपटना पड़ा था क्योंकि इस विविधतापूर्ण, बहुजातीय, बहुधर्मी और बहुवर्गीय समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता थी। हमारे पड़ोसी शत्रु देशों ने हम पर तीन बार युद्ध थोपे और बाहरी ताकतों ने यहां निरन्तर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। हमें अपने संसाधनों का काफी बड़ा भाग रक्षा बलों के रखरखाव पर लगाना पड़ा, अन्यथा उन संसाधनों का उपयोग देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता था। हमें विश्व के कई देशों से विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई और हम उनके आभारी हैं। लेकिन जहां तक प्रति व्यक्ति औसत की बात है यह राशि न के बराबर है, हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए अति अल्प हैं और इन दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई देशों की भेजी जा रही विदेशी पूंजी से काफी कम है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई देश ''शेर'' की भांति थे जिन्होंने इस अवधि के दौरान भारत, जिसकी तुलना ''हाथी'' से की गई है, की अपेक्षा काफी तेजी से विकास किया। लेकिन ये तुलनाएं एकदम निराधार हैं। इनमें से किसी भी देश को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जिनका सामना हमने किया है और आज भी हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार है और हमारी विकास दर काफी अधिक है।

1980 के बाद जब से श्रीमती गांधी ने वास्तव में मुसीबतों से निकलकर झगड़ालू और अक्षम जनता सरकार के हाथों से देश की बागडोर संभाली थी हमारे देश की विकास निष्पादकता में काफी सुधार हुआ? हमारे देश की अर्थव्यवस्था में श्रीमती गांधी ने जो सुधार किया उसे राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया और जिससे भारत की विकास दर काफी अधिक हो गई। इसके परिणामस्वरूप नौवें दशक में, भारत की विकास दर पूर्व में 3.5 प्रतिशत के रिकार्ड को तोड़ते हुए औसत 5.6 प्रतिशत से 5.8 प्रतिशत तक पहुंच गई। पुनः 1991 में नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने मूलभूत आर्थिक सुधार शुरू किए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया। इसके परिणामस्वरूप अब हमारी विकास दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह विकास दर 7 प्रतिशत तक जाने का अनुमान है। ये हमारी उपलब्धियां रही हैं और हमें इन पर गर्व है। लेकिन हमें अपनी असफलताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

और न ही उन क्षेत्रों तथा कारणों की उपेक्षा करनी है जिनमें हम असफल रहे हैं। मेरे विचार से हमारी सबसे बड़ी असफलता यह रही है कि हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक पाए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारी कुल जनसंख्या सौ करोड़ के करीब है जो कि आजादी के समय हमारी जनसंख्या से लगभग तीन गुणा अधिक है। यदि हम अपनी जनसंख्या के हिसाब से अपनी उपलब्धियों का विभाजन करें, तो चाहे राष्ट्रीय आय की बात हो या औद्योगिक उत्पादन, कुल कृषि उत्पादन की, समाज सेवाओं अथवा मूलभूत सेवाओं की बात हो, प्रति व्यक्ति आधार पर हमारी उपलब्धियां बहुत कम हैं। निश्चय ही जनसंख्या वृद्धि को रोकना बहुत बड़ा काम है और इसके लिए हमें सामयिक विकास, अपने विचारों और मूल्यों में मूलभूत परिवर्तन करने का बहुत बड़ा कार्य करना है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। फिर भी इस समस्या का समाधान उन सभी ताकतों को मिलकर करना है जो हम अगले कुछ वर्षों में जुटा सकते हैं।

हम सामाजिक विकास, मानव विकास सूचकांक से संबद्ध शिक्षा, साक्षरता, पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य, शिशु देखभाल और महिला विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में बहुत अधिक सफल नहीं हुये हैं। इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों में हम अत्याधिक जनसंख्या के कारण असफल रहे हैं अन्यथा स्पष्ट रूप से ये बहुत ही प्रभावी उपलब्धियां रही होती। आज हमारे देश की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 8वें दशक के आरम्भ से अर्थात पिछले 20 वर्षों में 200 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। लेकिन प्रत्याशित आयु में वृद्धि प्रौढ़ साक्षरता दर, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों आदि में वृद्धि के संबंध में मूल्यांकन करते समय जनसंख्या में निरन्तर हो रही अत्यधिक वृद्धि के आयाम को भी ध्यान में रखना चाहिए। निःसंदेह हमें इन क्षेत्रों में अभी बहुत कार्य करना है और इनमें से किसी में भी हम स्वयं को पूर्णतः संतुष्ट नहीं मान सकते लेकिन हमें मूल्यांकन करते समय यह सावधानी बरतनी होगी कि इन सब कारणों की उपेक्षा न की जाए।

अन्य क्षेत्र जिसमें हमारी असमर्थता के कारण हमारी भावी विकास क्षमता प्रभावी हो सकती है वह है आधारभूत ढांचा। विश्व में कोई भी देश आधारभूत सुविधाओं के अभाव में विकसित नहीं हो सकता। हमें विद्युत, ऊर्जा, दूरसंचार, रेलवे, भूतल परिवहन, सड़कें, पत्तन, शहरी मूलभूत ढांचे, मलजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था जलापूर्ति के साथ-साथ कृषि के लिए लघु और वृहद सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था करनी है। विकास के सभी ऐतिहासिक अनुभव स्पष्ट रूप से इस तथ्य को उजागर करते हैं कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पादों के विकास से पूर्व तथा इसके साथ-साथ विकास का पर्याप्त आधारभूत ढांचा होना आवश्यक है, चाहे यह कृषि क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र। मैं आज इन तथ्यों को और अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि किसी भी सरकार द्वारा विकास की कोई ऐसी नीति तैयार करते समय आधारभूत सेवाओं की वृद्धि के लिए हमें सबसे पहले संसाधनों और ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए।

हमारी आधारभूत सेवाओं का स्तर हमारी आवश्यकताओं से काफी कम है और यदि हम विकास की यथोचित दर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। वर्ष 1980 के बाद आधारभूत ढांचे के कुल निवेश में काफी वृद्धि हुई है। स्थायी मूल्यों पर आधारभूत ढांचे में निवेश में 1980-81 में 6000 करोड़ रु. से बढ़कर 1990-91 में 12,000 करोड़ रु. तक की वृद्धि हुई और आगे 1994-95 में यह वृद्धि 15,000 करोड़ रु. तक हुई। आधारभूत पूंजी निवेश की औसत 1980 के पूर्वार्द्ध में सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 4.8 से 5 प्रतिशत था और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5.6 प्रतिशत के बराबर हुआ और 1990 के दशक तक इतना ही बना रहा। इन कार्य-निष्पादनों की तुलना अनेक विकसित देशों के साथ की जा सकती है, किंतु जितना हम पिछड़े हुए हैं, उसे पूरा करने के लिए यह बिल्कुल अपर्याप्त है अथवा यह अगले 5 से 10 वर्षों के बीच सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 7 से 8 प्रतिशत पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। नैशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च की 'इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट' के अनुसार वर्ष 1996-97 से 2000-2001 के बीच पांच वर्षों के दौरान भारत में 4,30,000 करोड़ रुपया आधारभूत पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी और वर्ष 2001 से 2005 के अगले पांच वर्षों में 750,000 करोड़ रु. निवेश करने की आवश्यकता होगी और विभिन्न क्षेत्रों के लिए लगाए गए यथार्थवादी अनुमानों के अनुसार पहले पांच वर्षों में केवल बिजली के लिए लगभग 20,0000 करोड़ रुपये की और तत्पश्चात् 5 वर्ष के लिए 300,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। वर्ष 1996-97 और 2000-2001 की अवधि के दौरान सड़कों के लिए 24,000 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता है और वर्ष 2001 और 2006 के बीच और 44,000 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। शहरी आधारभूत ढांचे में निवेश अगले पांच वर्षों में लगभग 55,000 करोड़ रु. होना चाहिए और बाद के पांच वर्षों में 150,000 करोड़ रु. होना चाहिए।

यह राशियां बहुत बड़ी हैं। हमें इन निवेशों के वित्त पोषण के लिए धन की व्यवस्था करनी है जो हमारे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यह धन कहां से प्राप्त होगा? घरेलू बचतों से इन संसाधनों को पाना अत्यंत कठिन होगा। हमारी बचतों के बारे में अनेक दावे हैं और यदि बचत दर पर्याप्त रूप से बढ़ाई भी जाए तो भी यह सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वही विशेषज्ञ समूह कहता है कि हमें वर्ष 1996-97 और 2001 के दौरान पांच वर्षों में आधारभूत ढांचे के निवेश के लिए कम से कम 64,500 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा चाहिए और अगले पांच वर्षों के दौरान 1,12,500 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। यदि यह आंकड़ें कहीं करीब-करीब सही हैं तो इससे स्पष्ट रूप से हमारी नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता व्यक्त होनी चाहिए? ताकि इस बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

विदेशी पूंजीनिवेश और गैर-सरकारी पूंजी निवेश उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जो ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जिनको बाजार में बेचा जा सकता है अथवा जिनके लिए प्रयोक्ताओं से राजस्व वसूल किया जा सकता है। हम व्यापक रूप से विद्युत ऊर्जा क्षेत्र, दूरसंचार और परिवहन पत्तनों और राजमार्गों के लिए पूंजीनिवेश हेतु वित्त पोषण कर सकते हैं। हमें इन क्षेत्रों में अपनी अनेक नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें अपने राज्य विद्युत बोर्डों को कुशलता से

चलाना होगा। हमें अपनी सेवाओं की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि ऊर्जा और ऊर्जा के उपभोक्ता इन सेवाओं का नियमित रूप से भुगतान करें। हमें अपने बहुत सारे राजमार्गों को कर योग्य मार्गों में बदलना होगा जहां मार्ग के दोनों ओर भूमि विकास की सुविधाऐं हों। हमें अपने पत्तनों, दूरसंचार प्रणाली और हमारे परिवहन क्षेत्रों को और अधिक व्यावसायिक और कुशलतापूर्वक चलाना होगा ताकि यह विदेशी और देशी पूंजीनिवेशकों के लिए आकर्षक दुकानें बन सकें। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि अधिकांश सिंचाई सुविधाएं किसानों की विभिन्न प्रयोक्ता समूहों द्वारा बनाई गई सहकारिताओं द्वारा बनायी जा सकती हैं जिसमें सार्वजनिक निवेश की सहायता भी ली जा सकती है।

लेकिन ऐसे बड़े क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति रहेगी जहां कि प्रयोक्ता बहुत ही गरीब हैं और इतने छितरे हुए हैं कि वे उनसे निर्विष्ट पूंजी से लाभ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? जलापूर्ति, स्वच्छता, मल व्यवस्था अथवा ग्रामीण मार्ग, भूमि सुधार, प्राथमिक विद्यालय अथवा स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कौन भुगतान करेगा? ये क्षेत्र केवल देश के विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपितु गरीबी उन्मूलन के किसी भी कार्यक्रम के लिए अत्यंत अनिवार्य भी हैं। जलापूर्ति और स्वच्छता में सुधार करने से अस्वस्थता दर में भी कमी आएगी। गरीब किसानों और शिल्पकारों को बाजार से जोड़ने के लिए सड़कें बनाना अनिवार्य है। अत: हमारी आधारभूत सेवाओं के एक व्यापक भाग को सरकार द्वारा सार्वजनिक पूंजीनिवेश से बनाया जाता है और इसे निजी क्षेत्र के लिए उनके पर्याप्त लाभांश के आधार पर आपूर्ति करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

वास्तव में अधिकतर आधारभूत सेवाएं कुछ इस प्रकार की हैं जिसे अर्थशास्त्री ''जनता वस्तुओं'' की संज्ञा देते हैं जो ऐसी सेवाएं उपलब्ध करती हैं, जो प्रयोक्ता के लिए काफी लाभकारी हैं किंतु ऐसी सेवाएं उन मूल्यों पर उपलब्ध करना कठिन है जिन पर लाभ प्राप्त हुए हैं। विकासशील देश में यह और अधिक कठिन है क्योंकि अधिकतर प्रयोक्ता उन सेवाओं को बाजार की कीमत पर प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है और गरीब प्रयोक्ता अपनी क्रय शक्ति और उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं इन सेवाओं के माध्यम से सेवाओं के बदले में भुगतान भी स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। लेकिन जब तक वह स्थिति आती है तथा विकास के फलस्वरूप जब तक निर्धन प्रयोक्ता धनवान नहीं बन जाता है ये सेवा सरकार की राजसहायता और सार्वजनिक निवेश द्वारा उपलब्ध करानी होगी। यदि हम इन आधारभूत सेवाओं को देश के अथवा विदेशी निवेशकों द्वारा पूर्ण रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति किये जाने और हिसाब में दर्ज किये जाने के लिए छोड़ दें तो इस में इस बात की भयंकर आशंका है कि ये आधारभूत निवेश किये ही न जाएं। और यदि यह निवेश नहीं होगा तो विकास के हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जायेंगे। विकास के इस चरण में हम यह स्थिति वहन नहीं कर सकते।

इसलिए हमें अपनी आधारभूत सेवाओं में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की योजना बनानी चाहिए। विशेषकर आधारभूत सेवाओं की आपूर्ति, जो निर्धन व्यक्तियों का अवलम्ब है, आने वाले कुछ समय तक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा की जानी चाहिए, तथापि हम विकास के अपने दृष्टिकोण में जितना परिवर्तन करते हैं उतना ही बाजार की ताकतों को अपनी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सार्वजनिक क्षेत्र की विकास के प्रति अपने दायित्व का वहन करना होगा। नि:संदेह परियोजनाओं के निष्पादन में वे यथासंभव गैर-सरकारी क्षेत्र की सेवाओं को उपयोग में ला सकते हैं। जहां कहीं कुछ सेवाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी प्राइवेट निवेशकों, बिल्डरों और आपरेटरों को सौंपी जा सकती हो तो उन्हें बिना हिचकिचाहट के सौंपी जानी चाहिए। लेकिन विकास की समूची प्रक्रिया को समन्वित करने का दायित्व तो अंतत: सरकार का ही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि काफी अधिक जिम्मेदारी तो केन्द्र सरकार द्वारा ही निभाई जानी है। वास्तव में जहां तक ग्रामीण आधारभूत ढांचे का संबंध है, कई मामलों में परियोजनाओं के वास्तविक निरूपण और निष्पादन का उत्तदायित्व स्थानीय सरकार को ही सौंपना होगा। केन्द्र सरकार तो वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकती है लेकिन वास्तविक कार्यक्षेत्र में स्थानीय सरकार को जिलों, ब्लाकों और गांवों में पंचायतों को ही अभिन्न रूप से सम्मिलित करना होगा ताकि इन प्रयासों को सफल बनाया जा सके।

श्री टी.आर. बालू

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की स्मृति में संसद के विशेष सत्र को सम्बोधित करने हेतु मुझे यह महान अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज यह महान सभा और इस महान राष्ट्र की जनता स्वतंत्र भारत के गत 50 वर्षों के इतिहास का अवलोकन कर रही है हम उस लम्बे दौर से गुजरे हैं जिसमें इस देश की जनता ने लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने, इस विशाल देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचे के विकास और देश के करोड़ों गरीब, दलित एवं सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने में कई कष्ट एवं पीड़ाएं झेली हैं।

इस अवसर पर मैं इस महाद्वीप के उन महान नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में सम्मान एवं गर्व महसूस कर रहा हूँ जिन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे दी। इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,

महान तमिल कवि सुब्रमणियम भारती, विख्यात राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ. चिदम्बरम, सुब्रमणियम सिवा, तिरूप्पुर कुमारन जिन्होंने तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए युवा आयु में ही अपने जीवन का बलिदान दे दिया थिल्पैयाडी बाल्यिम्माड वंचिनाथन और अन्य महान नेता आते हैं जिनके महान बलिदान से यह देश स्वतंत्र हुआ। मैं अपने कर्तव्य में असफल रहूंगा यदि मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पेरियार, कामराज और राजाजी जैसे महान नेताओं के अमूल्य योगदान की चर्चा न करूँ जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि आधुनिक भारतीय समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी उल्लेखनीय कार्य किया।

मैं भारत के संविधान निर्माता महान प्रतिभा डा. बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने में गर्व महसूस करता हूं जिन्होंने इस महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक गणराज्य की आधारशिला रखी जो गत 50 वर्षों के दौरान सभी विकट परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए अक्षुण्ण रूप से कायम है।

गत 50 वर्षों में देश ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग आदि के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से कदम बढ़ाया है। समाज की प्रगति और गरीब एवं दलित वर्गों के उत्थान के प्रति चिन्ता का एक महत्वपूर्ण विषय निरक्षरता को दूर करना है। यहां स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर जब हम अपना सिंहावलोकन करते हैं कि हमने इन 50 वर्षों में क्या किया तो निश्चित रूप से हमें गर्व होता है कि हमने लोगों को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन अभी हमें लम्बे दौर से गुजरना है और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करना है कि देश निकट भविष्य में पूर्ण साक्षरता हासिल कर ले। केवल तभी वास्तव में हम गर्व से कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं तथा यह देश एक स्वतंत्र राष्ट्र है।

महान राष्ट्रवादी और मानवतावादी तमिल कवि सुब्रमणियम भारती ने तमिल में कहा है कि "यानि ओरुवनुकू आनिल्लैथेनिल जगथिनाड अझिथिडुवम" जिसका अर्थ है कि यदि "इस संसार में एक भी मनुष्य भूखा है तो इसे नष्ट हो जाने दो" भारत की गरीब जनता, जिन्हें खाने को भोजन नहीं मिलता की गरीबी की हालत पर कवि की भावनाएं इतनी उग्र थीं।

स्वतंत्र भारत में सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और बेरोजगारी की समस्या से निपटने संबंधी कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप हमने गरीबी को दूर करने एवं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति की है। रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार है। जब तक हम लोगों को समुचित रोजगार उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक एक ओर तो हम गरीबी की क्रूरता को रोकने में असफल रहेंगे और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था तथा समाज का सरल एवं सुगम विकास सुनिश्चित करने हेतु देश में उपलब्ध विस्तृत मानव संसाधनों की क्षमता का दोहन भी नहीं कर पायेंगे। इस महान घड़ी में हमें गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देने के प्रति अपनी प्रतिबंधता को पुन: दोहराना चाहिए क्योंकि आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले असंख्य लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं।

यह महान उपमहाद्वीप, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, वास्तव में एक ही हाथ की अलग-अलग उंगलियों की तरह विविध इलाकों एवं क्षेत्रों में बंटा है और जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुवाहाटी से गुजरात तक विभिन्न उपराष्ट्रों का अभिन्न एवं अविभाज्य राष्ट्र है। विविधता में एकता ही हमारे लोकतंत्र की महान विशेषता है।

जब तक वर्तमान आर्थिक विसंगतियों को दूर करके देश के संसाधनों और सम्पदा का सही आबंटन सुनिश्चित नहीं किया जाता। हम अपने देश की स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। देश के आधारभूत ढांचे और आर्थिक व्यवस्था में अभी भी विद्यमान सही क्षेत्रीय असंतुलन और उप क्षेत्रीय विसंगतियों के अलावा, जो अत्याधिक चिन्ता का विषय है, वह है सामाजिक असंतुलन। जाति और वर्ग में सामाजिक असंगति, पिछड़े वर्गों और लाखों गरीबों के साथ कई शताब्दियों तक लगातार होते रहे शोषण के लिए जिम्मेदार थी। आज हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता समाज के दबे हुए और उपेक्षित वर्गों को सामाजिक स्वतंत्रता दिलाने में उत्तरदायी रही है।

समाज के दबे और उपेक्षित वर्गों के पक्ष में सार्थक पक्षपात के लिए संवैधानिक सुरक्षोपाय का प्रावधान स्वतंत्र भारत में उपलब्ध करवाया गया है जिससे वे जिंदगी में ऊपर उठ सकें। परन्तु फिर भी हमें अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना है जहां समाज में प्रत्येक भारतीय हर दृष्टि से समान हो। स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी देश के दलितों को स्वतंत्रता का लाभ प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। जाति भेद पर आधारित पक्षपात और विद्वेष की सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए पेरियार और अन्ना जैसे महान नेताओं ने अपना पूरा जीवन लगा दिया।

इस संदर्भ में मुझे अपने प्रिय नेता डा. कलैगनार की अध्यक्षता वाली डी.एम.के. सरकार द्वारा किये गये सुधारवादी उपाय का स्मरण हो आता है जिसके फलस्वरूप 1973 में ऐसा विधान तमिलनाडु विधान सभा में लाया गया कि कोई भी हिन्दू चाहे वह किसी भी जाति का हो मंदिर का पुजारी बन सकता है। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उस बिल को निरस्त कर दिया। मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा कोई सुधार लाया गया होगा जिसका उद्देश्य मनुष्यों में समानता लाना हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में सभी को सामाजिक न्याय दिलाया जा सके, हमें इन महान नेताओं के दर्शन के प्रति स्वयं को पुन: समर्पित करना होगा।

असमानता चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, साम्प्रदायिक, आर्थिक अथवा लिंग आधारित हो, डी.एम.के. सरकार हमेशा इन असमानताओं से लड़ने में अग्रणी रही है। क्योंकि डी.एम.के. सरकार ने भारत में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत

आरक्षण लागू किया। इसी तरह डा. कलैगनार की अध्यक्षता में डी.एम.के. सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण लागू करने में रचनात्मक भूमिका अदा की। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त मोर्चा सरकार ने पेट्रोल उत्पाद के आबंटन अभिकरणों में महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। एजेंसियाँ खोलने के लिए 40 वर्ष से ऊपर की अविवाहित महिलाओं तथा विधवाओं को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वतंत्र भारत के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे स्वर्ण जयन्ती समारोह भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे क्योंकि एक सच्ची संघीय सरकार के हाथों में सत्ता है। हमारे संविधान ने संघीय ज्ञान का विधान किया है जिसे अब पचास वर्षों के दौरान प्राप्त कर लिया गया है। हमें अपने इस ढांचे को न केवल परिरक्षित और सुरक्षित रखना है बल्कि इसका संवर्धन भी करना है ताकि स्वतंत्रता के मूल को सुदृढ़ किया जा सके क्योंकि आजादी रूपी वृक्ष की जड़ें पानी से नहीं, अपितु हमारे उन महान नेताओं के आंसुओं द्वारा सींची गई थी जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपने अमूल्य जीवन बलिदान कर दिए। लोगों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाकर ही भारतीय राज शासन के संघीय स्वरूप को बरकरार रखा जा सकता है। यह तभी संभव है जब शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए तथा राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाए। अतीत में कुछ समय के लिए डी.एम.के. को विद्रोही आन्दोलन के लिए बदनाम किया गया जबकि उनका उद्देश्य केवल उस व्यापक आधार वाली संघीय स्वरूप या कि हमारे संविधान के लिए कभी अभिशाप नहीं हो सकता। इसे गलती से राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति समझा गया। तथापि यह तो सारा विश्व जानता है कि देश प्रेम के प्रति अपनी वचनबद्धता को सिद्ध करने में डी.एम.के. किसी से भी पीछे नहीं रहा। इस समय पर मैं डी.एम.के. संसदीय दल के नेता, श्री थीरू मुरासोली मारन द्वारा लिखित विचारोत्तेजक पुस्तक "स्टेट आटोनामी" का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि स्वायत्त राज्य की आवश्यकताओं को प्रकाशित करती है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान डा. कलैगनार करुणानिधि के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा निधि के लिए एकत्र किये जाने वाले दान में डी.एम.के. ने भरपूर योगदान किया और तमिलनाडु सरकार का योगदान सभी राज्यों से अधिक था।

मेरा दल, डी.एम.के. तथा मेरी पार्टी के संस्थापक नेता अन्ना हमेशा राज्यों को अधिक स्वायत्ता दिये जाने के पक्षधर रहे हैं। यह इस सम्माननीय सदन के लिए सबसे अच्छा समय है कि वह भारत के संविधान की धारा 356 की आलोचनात्मक समीक्षा करे जो कि लोकतंत्र, संघीय स्वरूप और स्वायत्ता की भावना से मेल नहीं खाता। मुझे विश्वास है कि ऐसी आलोचनात्मक समीक्षा डी.एम.के. विचारपूर्ण तथा संगत रवैये को सिद्ध करेगी और यह सिद्ध करेगी कि इस उपबंध को निरस्त किया जाना चाहिए। लोगों को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने से तथा संघीय राज्यों की स्वायत्ता से ही स्वतंत्र भारत के स्वप्नों को साकार करना सम्भव होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं यह यादगार मौका देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती उषा मीणा

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर): मान्यवर, हम भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा का विशेष सत्र बुलाकर एक अभूतपूर्व कार्य किया है और इस अवसर पर मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उससे मैं हर्षित हूं एवं गौरवशाली महसूस कर रही हूं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले जाने अनजाने सभी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

यों तो भारत का इतिहास बहुत पुराना है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए परन्तु क्योंकि इस सत्र में स्वाधीनता के 50 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया और कहां हम रास्ता भटक गए, के बारे में कुछ विषयों पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम खाद्यान्नों के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर नहीं थे। पचास वर्ष बाद देश की जनसंख्या तिगुनी हो जाने के बावजूद भी हम आज खाद्यान्नों का निर्यात करने की स्थिति में हैं।

स्वतंत्रता के वक्त जहां इस देश में सुई तक नहीं बनती थी आज मिसाइलें बनाने की हमारी क्षमता है।

हालांकि हमने शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है फिर भी शिक्षा की दर विशेषकर महिला शिक्षा की दर विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है।

इस स्थिति में सुधार आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ी बाधक जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि है और इसका कारण मुख्य रूप से महिलाओं की अशिक्षा और समाज में उनको उचित स्थान नहीं मिलना है।

महिलाओं को कागजों पर तो पुरुषों के बराबर अधिकार हैं परन्तु वास्तविकता क्या है इससे आप सभी परिचित हैं। यह सदन की महिलाओं को लोक सभा एवं विधान सभाओं में आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव को येन-केन-प्रकारेण टालती रही है। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में इस पर कोई निर्णय हो जायेगा।

गांधी जी ने समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का एक सपना देखा था। इस हेतु अच्छे प्रयास भी सरकार द्वारा किये गये हैं। परन्तु अभी भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। वे स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी छुआछूत एवं आर्थिक तंगी से पीड़ित हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातियों के कल्याण हेतु व्यापक कदम उठाये गये हैं। काफी धनराशि भी खर्च की गई है। परन्तु इस क्षेत्र में हमें कितनी सफलता मिल पाई है। इससे आप सभी परिचित हैं।

ग्रामीण विकास की समस्याओं को देखते हुए हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ग्रामीण स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में संशोधन करवाकर संस्थाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने की व्यवस्था की थी। भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी राज्य सरकारें इन ग्रामीण संस्थानों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं दे रही हैं।

यह अच्छी स्थिति नहीं, है, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए इस क्षेत्र में सच्चे दिल से प्रयास करना आवश्यक है।

पिछले पचास वर्षों में हमारे देश में काफी विकृतियां भी पैदा हुई हैं। आतंकवाद फैला है एवं भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकार के तीनों अंगों विधायिक कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तक को भी सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं की स्थिति तो सबसे बदतर है। इसमें हमें सुधार लाने के प्रयास करने आवश्यक हैं जिससे कि इस देश में लोकतंत्र सुदृढ़ हो और हमारा देश भी हमारे कुछ पड़ौसी देशों की तरह लोकतंत्र से एकतन्त्र का शिकार न बन जाए।

हमें वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी एवं सही देश का विकास तब ही हो सकेगा जब हम भारत, अपने देश के सभी लोगों को रोटी कपड़ा एवं मकान उपलब्ध करवा सकेंगे। आज इस सदन में हम सब को इस मौके पर संकल्प लेना चाहिए।

श्री जयसिंह चौहान

श्री जयसिंह चौहान (कपड़वंज): भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध किया जाएगा किन्तु आज हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, तब भी आज भी उनका पालन हुआ नहीं है। जिसकी वजह से देश के विकास में अवरोध बना हुआ है। आज मैं गुजरात की बात कहूं तो हरेक जिले में साक्षरता अभियान चल रहा है—बाद में निरक्षरता अभियान चल रहा है। लेकिन उसमें कुछ नहीं है। मात्र योजनाएं कागज पे रही हैं। सरकारी ग्रान्ट आती है-जाती है। उनका कोई अर्थ नहीं है। मेरी मांग है अभी भी समय है। ईमानदारी से बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा का उपबन्ध करना चाहिए जिससे देश की प्रगति में उनका सहयोग हो सके।

मेरी दूसरी बात है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में बात करूं तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता में अभी तक कुछ गड़बड़ियां हैं। उनका भी पूरी तरह पालन नहीं होता है। नागरिक न्याय के लिए भटक रहा है। न्यायतंत्र महंगा हो गया है। सामान्य नागरिक अब भी इससे नाराज हैं। जो सहायता मिलनी चाहिए उसमें कुछ सुझाव जरूरी हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार आ गया है। जो भारत के संविधान में है उसका जरूर पालन किया जाए ऐसी मेरी राय है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बात करूं तो अभी भी ये लोगों के बारे में निःसंदेह सूत्र होती है। दिन प्रति दिन ये लोग गिर रहे हैं। पाठशालाओं में अभी भी ये बालक अछूत ही हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उन लोगों को, उनके बालकों को समाज में प्रतिष्ठा युक्त स्थान मिले—ऐसी मेरी राय है।

कृषि और पशुपालन का संगठन का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। उनका भी अभी इतने सालों में पालन नहीं हुआ है। अभी भी गाय और दुधारू पशुओं की निर्मम हत्या हो रही है। उनका पालन करना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद नं. 43क के अनुसार।

राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त, 1997 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला ने भद्र के किले पर राष्ट्रध्वज फहराया तो वो अर्द्धकाठी पर रहा। ये भारत के संविधान का, राष्ट्रध्वज अपमान नहीं है? यदि है तो उन पर चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों न हों उन पर शिक्षात्मक कार्यवाही करनी नहीं चाहिए? लेकिन मुझे बताते हुए खेद है कि कुछ नहीं हुआ।

आज स्वर्ण जयंती के दिनों में भारत की आजादी के 50 सालों बाद अभी भी गरीबी, बढ़ती निरक्षरता में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या हमारे गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष बाबू और अनेक देश नेताओं ने इसलिए अपनी शहादत दी थी? क्या उनके यही सपने थे? उनकी शहादत का स्वप्न बिखर न जाए। उनकी जवाबदारी हम सबकी होगी और स्वर्ण जयंती सच्चे दिल से हम तब मनाने के लिए हकदार होंगे।

श्री दादा बाबूराव परांजपे

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत एक वर्ष से स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण मैं सदन में कोई भाषण नहीं दे सका। माल 377 तक सीमित रहा। आज भी मेरा कोई इरादा भाषण देने का नहीं था। परन्तु विगत 5 दिन में लगभग 200 सांसदो ने 50वीं जन्म शताब्दी पर अपने बिचार सदन में रखे। मेरी अपनी धारणा थी कि मेरी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय किसी वक्ता द्वारा इसमें समाहित होगा। परन्तु ऐसा ना होने के कारण मैं अपने विचार रखने में मजबूर हो गया हूं। मेरा विषय है—नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा निर्मित "आजाद हिन्द फौज" का स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान तथा अनगिनत शहीदों की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की अपेक्षाएं।

मैं स्वयं आजाद हिन्द फौज का अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का एक सैनिक रहा तथा अंग्रेजों के खिलाफ बर्मा में युद्धरत रहा। सन् 1944 में बर्मा में मंडाले में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए घायल हुआ। एक पैर में गोली लगी तथा दूसरे पैर का घुटना टूट गया तथा उसकी नीकैप बदलनी पड़ी। मैं किस प्रकार फौज में भर्ती हुआ इसका भी अपना एक इतिहास है।

सन् 1939 में (त्रिपुरी) जबलपुर में कांग्रेस का 52वां महाअधिवेशन हुआ था और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 52वां अधिवेशन होने के कारण शोभायात्रा के लिए जो रथ सजाया गया था उसमें 52 हाथी लगाये गये थे। परंतु उस दिन नेताजी को 104 बुखार रहा इस कारण इस रथ पर नेताजी की फोटो रखकर शोभायात्रा निकाली गई। मैं उस कांग्रेस के अधिवेशन में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत था। मेरी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। कांग्रेस विचारधारा में दो प्रकार के कार्यकर्ता थे। एक तो नरम दल के लोग तथा दूसरे गरम दल के लोग। नेताजी गरम दल का नेतृत्व करते थे। और मैं उनकी विचारधारा से अपने आपको सहमत पाता था। मेरी इच्छा नेताजी को निकट से देखने की थी और इसलिए मैंने स्वयंसेवक के रूप में उनकी सेवा करने का तय किया और वे जहां बीमार पड़े थे वहां अपनी ड्यूटी लगा दी। लगभग 6 घंटे तक मैं उनके साथ रहा। इस दरमियान थर्मामीटर लगाना, पानी पिलाना, माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखना तथा दूध पिलाने का काम मेरी तरफ था। 104 डिग्री बुखार के बावजूद भी नेताजी से कुछ चर्चा हो पाई और उन्होंने अपने उत्तर में इस बात की स्वीकारोक्ति दी कि देश की आजादी की लड़ाई के लिए 1857 से जो बलिदान हुआ उसमें सबसे अधिक महत्व का बलिदान वे रानी लक्ष्मीबाई का मानते हैं।

कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता की पंक्ति इस प्रकार लिखी:

'बुंदेलों हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।''

कवियत्री तथा रानी लक्ष्मीबाई समकालीन ना होने के कारण कवियत्री को यह कहना पड़ा था बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, परन्तु यहां तो नेताजी का मामला हैं, उनके द्वारा स्थापित आजाद हिन्द फौज का मामला है। मैंने कुछ अन्यों से सुना नहीं अपितु स्वयं ने नेताजी के साथ रहकर, उस फौज में भर्ती होकर, अंग्रेजों के साथ लड़ते हुये घायल होकर स्वयं हर बात का अनुभव किया और इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी अपनी बात का वजन अधिक है। अफगानिस्तान में जाने के पूर्व नेताजी से स्वातंत्रवीर सावरकर जी की कलकत्ता में गुप्त भेंट हुई थी। तब नेताजी कलकत्ता के अपने मकान में अंग्रेजों के नजरकैद थे। इस भेंट के कुछ समय बाद नेताजी अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे और उसके कुछ समय पश्चात् स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने देशवासियों को एक नारा दिया कि भारतीयों फौज में जाओ, लेखनी छोड़ो बन्दूक पकड़ो। नारे का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। उनका विचार था कि अहिंसात्मक ढंग से जो सत्याग्रह देश में हो रहे हैं। चाहे वह नमक का सत्याग्रह हो चाहे चरखा तकली चलाने का कार्यक्रम हो, अंग्रेज इस देश से जाएगा नहीं। यदि अंग्रेज को इस देश से भागना है तो आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय तरुण के हाथ में बन्दूक हो, बम हो। इसका उद्देश्य यही था कि मौका मिलने पर उसी बंदूक की नली अंग्रेज की तरफ तानकर उनको भारत से भगाया जा सकता है। मुझ जैसे हजारों तरुण ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए। मैं सन् 1941 में भर्ती हुआ तथा 42 के प्रारंभ बहुत बड़ी फौज के साथ बर्मा रवाना हुआ। लगभग दो वर्ष के पश्चात् मुझे भी एक मौका मिला की मैंने अपने चार अंग्रेज अधिकारियों को खाई में बन्दूक मारकर समाप्त किया। और अपनी कम्पनी के साथ आजाद हिन्द फौज में जा मिला।

संस्कृत में एक सुभाषित है: "युद्धस्य कथा: रम्या:" इसका अर्थ यह है कि युद्ध की कथाएं पढ़ने में, टी.वी. पर देखने में, सिनेमा के माध्यम से देखने में तो बहुत अच्छी लगती है परंतु युद्ध की विभिषिका अत्यंत भयानक होती है और यही कारण है कि आज विश्व के सब बड़े राष्ट्र अपनी धरती पर युद्ध नहीं होने देना चाहते। मैंने जिस युद्ध में भाग लिया वह लगभग 55 वर्ष पहले की बात है। आज तो विज्ञान की प्रगति इतनी अधिक हो चुकी है कि मनुष्य संहार भीषणतम होता है। परंतु उसका अर्थ यह नहीं कि बर्मा के इस महायुद्ध में कुछ हानि कम हुई। आम लोग इस प्रश्न को अवश्य पूछते हैं कि युद्ध के कुछ प्रसंग बतावें जिससे कि हमें कल्पना आये कि युद्ध क्या होता है। मैं कुछ प्रसंग बतलाना चाहूंगा।

1. जापानी बम्बार भयानक बमबारी करते थे, तथा झाड़ों के ऊपर तक हवाई जहाज लाकर खाइयों में अपने प्राण बचाने के लिए लेटे हुए जवानों को मशीनगनों से मार डालते थे। इस खतरे से बचने के लिए उन दिनों में यह आम रिवाज था कि हम बमबारी से बचने के लिए खाई में लेटने के पूर्व आजू-बाजू वाली कोई लाश अपने ऊपर ढक लेते थे ताकि मशीनगन की गोली हमको ना लगे।

2. कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहता है। मेरा अपना अनुभव है कि मैं एक बार पैगू नामक स्थान पर अपने प्लटून के साथ युद्धरत था इतने में बमबारी चालू हुई। बमबारी से बचने के लिए एक रेल के पुल के नीचे हम सब जाकर दुबक गये। पास के झुरमुट से एक जंगली खरगोश भागा। तीन दिन के सब भूखे थे। मैंने अपनी बन्दूक उठायी और खरगोश पर ला दी। कुछ दूर जाकर खरगोश तड़पने लगा और मैं इस बात को भूल गया कि बमबारी हो रही है। दौड़कर उस खरगोश को कान से पकड़ा। उसमें से खून टपक रहा था। इतने में पीछे से धड़ाम से आवाज आई मैंने पीछे मुड़कर देखा तब समझ में आया कि जहां मेरे साथी छिपे हुये थे उन पर बम गिरा था तथा क्षणभर में सभी स्वर्ग सिधार गये।

3. यह मोलमीन का किस्सा है। हम भाग रहे थे तथा दुश्मन हमारा पीछा कर रहा था। बाजू के गांव वाले सैकड़ों की तादात में ग्रामवासी हमारे साथ भाग रहे थे। बमबारी की शुरुवात हुई। सभी ने दौड़कर खाइयों में शरण ली। मैंने दूर की एक खाई में प्रवेश किया जिसमें मैं अकेला ही था। एक बर्मी बहन जो शायद 9 माह की गर्भवती थी दौड़ नहीं पा रही थी। परन्तु धीरे धीरे चलकर वह मेरी खाई तक पहुंची शायद 1 मिनट उसको एक और मिलता तो वो खाई में उतर जाती परंतु बाजू में एक बम गिरा और उसके टुकड़े ने इस प्रकार उस बहन का पेट काटा कि पेट का बच्चा खाई में मुझ पर और वह बहन उसके ऊपर आ गिरी। मुझे रक्तस्नान हुआ था। मैंने घबरा कर बाहर आकर एक लाश के कपड़े उतार कर पहने और मैं आगे भागा।

भारतवर्ष लगभग 1000 वर्ष गुलाम था। चाहे मुगल रहें या अंग्रेज रहें हमने गुलामी की ही जिंदगी व्यतीत की। अगर बहुत पुरानी बात ना कहूं तो आज याद आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। रानी लक्ष्मीबाई, इब्राहिम खां गार्दी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब पेशवाहों के साथ हजारों हजार देशवासियों ने अपना बलिदान किया और देश की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ायी। यदि मैं 19वीं शताब्दी की बात करूं तो याद आते हैं शहीद-ए-आजम भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, शहीद अशफाक उल्लाह, चन्द्रशेखर आजाद, चाफेकर बन्धु, खुदीराम बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मदनलाल डींगरा, तथा अनगिनत क्रांतिकारी जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया।

हम भारतवासी चारधाम की यात्रा करते हैं। परंतु मेरी नजर में यह यात्रा पांच धाम की है। पांचवा धाम है अंडमान में स्थापित राष्ट्रीय जेल। सन् 1909 से बंगाल के तथा पंजाब के अनेकों क्रांतिकारी अंडमान जेल में लाए गए और बर्बर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर टांग दिया। स्वातंत्रवीर सावरकर की वह कालकोठरी भी देखने योग्य है जिसमें अंग्रेजों ने उनको लगातार 9 वर्षों तक रखा। यह कालकोठरी तीसरी मंजिल पर स्थित है तथा नीचे के आंगन में फांसी घर बना हुआ है। उन 9 वर्षों के दरमियान कुल 87 क्रांतिकारी फांसी पर चढ़े और जब-जब यह फांसी लगती थी तब-तब स्वातंत्रवीर सावरकर को हाथ में तथा पैर में बेड़ियां डालकर फांसीघर में लाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि तुम्हारा हश्र भी वैसा होगा।

मेरा मानना है कि भारतवर्ष की आजादी के रथ के दो पहिये थे। एक पहिया था महात्मा गांधी प्रणीत अहिंसा का मार्ग और दूसरा पहिया था इन क्रांतिकारियों द्वारा नेताजी द्वारा तथा उनकी आजाद हिन्द फौज द्वारा प्रस्थापित हिंसा का मार्ग। ये दोनों पहिये ठीक चले और भारतवर्ष आजाद हुआ। आज आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर मेरे मन के सामने वह बर्मा की रणभूमि आती हैं और वे हजारों हजार सैनिक बन्धु आते हैं, उनकी आत्माएं आती है और वे पूछते हैं कि हमारा खून, खून नहीं था पानी था। क्या हमारा बलिदान व्यर्थ जायेगा। मैं उन आत्माओं से कहना चाहता हूं कि आखिरकार मैं भी आपमें से एक हूं। अंतर यह है कि आप बंदूक की गोलियां खाकर स्वर्ग सिधार गये और मैं सौभाग्य से बंदूक की गोलियां खाने के पश्चात भी जीवित रहा। इस सदन में 5 दिनों में जो कुछ भावनाएं व्यक्त हुईं उनको मद्देनजर रखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा और आजादी के 50 वर्ष पश्चात् भारतवर्ष ने करवट बदली है। और यह निश्चय किया है कि देश में चारित्रिक शुद्धता आयेगी तथा भ्रष्टाचार समूल नष्ट होगा। इन आश्वासनों पर विश्वास करते हुये मैं समग्र शहीदों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतवर्ष का भटकाव समाप्त होकर महात्मा गांधी प्रणत: रामराज्य की स्थापना का शुभ आरंभ आज हो गया है। सभी शहीदों को अपनी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री देवी बक्स सिंह

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव): महोदय, देश में आजादी की 50वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर संसद का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया है, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है, स्वर्णजयंती पर आयोजित इस विशेष सत्र का पूरे देश में प्रसारण किया जा रहा है, देशवासी इस चर्चा को देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन पचास वर्षों में हमने क्या पाया? क्या खोया? मान्यवर, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मा. प्रधानमंत्री जी और अनेक नेताओं का भाषण सुना है, सारे देश ने दूरदर्शन के माध्यम से सुना है, लेकिन देश के उस अन्तिम आदमी की बात किसी ने नहीं सुनी, उसे बोलने का अवसर नहीं मिला, जिससे कि देश बनता है। अध्यक्ष महोदय, आज देशभाव भ्रष्ट और

विखंडित हो रहा है, लोगों में देशप्रेम की भावना भी नहीं है, इन पचास सालों में कितना अन्तर आ गया है, तब लोग देश पर मर मिटने को तैयार रहते हैं, हमारे आजादी के सिपाही सुभाषचन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, राजा राव बक्स सिंह, राजगुरु आदि अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मान्यवर, हमारे उन्नाव के पं. विशम्बरदास त्रिपाठी, जेठा सिंह, जैसे महान लोगों ने आजादी का शंखनाद किया और प्रदेश-प्रदेश का बच्चा-बच्चा उनके साथ हो गया, लेकिन आज देश में भ्रष्टाचार खून में फैल गया है, और भ्रष्टाचार आज की युवा पीढ़ी के खून में शुगर की तरह है, इसे किस प्रकार से निकाला जाये। और अगर यह नहीं निकला तो देश कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता है, जिस देश के प्रधानमंत्री तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, मुख्यमंत्री पर, और मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उस राज्य का क्या होगा, जिसका प्रमुख जेल में हो, तो मान्यवर, देश को भगवान ही बचा सकता है, या फिर हमारी नयी पीढ़ी क्रांति करें तो संभव है, हमारा देश आगामी पचास वर्षों में अग्रिम विकसित राष्ट्रों में होगा, इसे कोई नहीं रोक पायेगा, इसलिए सर्वप्रथम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना होगा। इसके लिए हमारे नेताओं को ही रास्ता निकालना है।

मान्यवर, दूसरा मुद्दा है शिक्षा। आज आजादी के इतने वर्षों बाद हम पाते हैं, कि गांव में शिक्षा का स्तर कहा है, कहीं स्कूल नहीं तो, कहीं स्कूल है पर अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं है। हम करोड़ों रुपये शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना लाभ मिला है, शिक्षा देना प्रथम लक्ष्य होना चाहिये।

मेरा तीसरा मुद्दा है, स्वास्थ्य आज शहरों में ही बड़े-बड़े अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिलता। एक-एक बेड पर दो-दो मरीज देखने को मिलते हैं, तो गांवों में क्या स्थिति होगी, गांव में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, अगर हैं तो डाक्टर और दवा नहीं है, कोई डाक्टर जाना ही पसंद नहीं करता। मान्यवर, हमें आम आदमी को स्वस्थ्य शिक्षा, बीमारी, के लिए ज्ञान देना होगा, जिससे समाज में बीमारियों से मुक्ति हो सके। गांवों से युवक, युवतियाँ शहरों को पलायन कर रहे हैं, क्योंकि गाँवों में उन्हें कोई भी रोजगार नहीं मिलता है, गांववासी भी अपने बच्चों को शहरों में भेज रहे हैं, जबकि हमारा भारत तो गाँवों में बसा हुआ है, लेकिन इस ओर सरकार ने पिछले पचास वर्षों में ध्यान नहीं दिया, योजनायें तो बनीं, पैसा भी गया, लेकिन क्या देश विकास के मार्ग में जा रहा है, नहीं। उसका पन्द्रह प्रतिशत भी इस कार्य पर खर्च नहीं हो रहा है, जिसका उदाहरण बिहार में सामने है, मैं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, हमारे प्रदेश ने तीन-तीन प्रधानमंत्री दिये, लेकिन उत्तर प्रदेश विकास के मामले में कहां रुका हुआ है, प्रदेश के गाँवों लोगों को नहीं पता लगता कि प्रधान मंत्री कौन है, किसकी सरकार है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उन्हें शिक्षित नहीं कर सके, उन्हें सुविधा नहीं दे सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि देश की खुशहाली एवं आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को और सुविधा देनी होगी, सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों पर शिक्षा व रोजगार के अवसर देने होंगे। शहरों से कोई देश विकसित नहीं हो सकता है। जब तक कि अन्तिम आदमी शिक्षित नहीं होता है, इन लम्बे-चौड़े भाषणों से भूखे एवं अनपढ़ लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयत्न करने होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सभी देशवासी संसद की ओर देख रहे हैं, हम सब मिलकर नया संकल्प लें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाई से निपटेंगे, भ्रष्टाचारी को न बचाये। जिससे कि लोगों को राहत मिल सके।

अत: महोदय, यह पांच-छ: दिनों से जो चर्चा चल रही है, वह बेकार न जाये इसके लिए सभी मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की शपथ लें।

श्री नन्द कुमार साय

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मुझे आजादी के इस स्वर्ण जयन्ती के सुनहरे क्षण में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिला, किन्तु इस स्वर्णिम पृष्ठों में लिखित रूप में अपने हृदय के भावों को अंकित करना चाहता हूँ। इसके लिए आपने अनुमति भी दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के 50 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कहूंगा लेकिन अत्यंत दुख के साथ यह जरूर कहूँगा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, जिसे नहीं कर पाये। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में आज भी आवागमन के साधन नहीं हैं। पीने के पानी का प्रबंध नहीं है। वनवासियों के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनीं, वे अत्यन्त अव्यवहारिक थीं। इसलिए जनजातियों को उसका समुचित लाभ नहीं मिला। उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ कि हमारे रायगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) के जशपुर के पहाड़ों पर रहने वाले कोरवा जनजाति के लोगों के रहने के लिए आवास का निर्माण कराया गया किन्तु लोग रहते हैं पहाड़ों पर, पाठ पर और आवास का निर्माण हो रहा है नीचे गांव के पास। परिणाम यह हुआ कि इन घरों में कोई जनजाति का नहीं रहता, दूसरे-दूसरे लोग रहते हैं किन्तु इसी तरह लाखों-करोड़ों रुपये जनजातियों के नाम पर खर्च हो गये। इसी तरह की अनेक अव्यवहारिक योजनायें बनायी गयीं। जनजाति मूलत: कृषक है, खेती करता है लेकिन उसे बकरी पालने के लिए दे दिया गया, वह बकरी भी अस्वस्थ होने से कुछ ही दिनों में मर गयी। वास्तव में जनजातियों को पाठों पर भूमि पर सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध होना चाहिए था, वह नहीं किया

गया और 50 वर्षों में जहां कृषि पिछड़ गयी, जनजाति पिछड़ गये और कुल मिलाकर हमारे राष्ट्रीय इतिहास का 5 दशक पिछड़ गया।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सदन का विशेष सत्र का आयोजन करके हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि 50 वर्षों का हम अनुशीलन कर सकें। हम नैतिक क्षेत्रों में नीचे चले गये हैं। शिक्षा में भी हम बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। शिक्षा में संस्कृति का तिरोहित होना चिंता का विषय है। शिक्षा में मानव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, जो बच गया है उसे आगे पूरा करना है क्योंकि देश में यदि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है तो शिक्षा को राष्ट्रभक्तिपूर्ण हमारी भुवन मोहिनी संस्कृति सम्मत हो, ताकि हम एक सबल राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ऐसा राष्ट्र जो सम्पूर्ण विश्व को दिशा दे सके। शिक्षा सम्पूर्ण देश के लिए एक हो। पाठ्यक्रम भी एक हो। अलग-अलग राज्यों में वहां की भाषा में पढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी की पढ़ाई पर पूर्ण पाबन्दी लगा देनी चाहिए। राजकाज की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। संस्कृत की पढ़ाई पूरे देश में अनिवार्य करनी चाहिए। संस्कृत में संस्कार का समावेश है। भारत के विविध ज्ञान का संस्कृत अनन्त स्रोत है। जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता, वह प्राचीन भारत के ज्ञान-विज्ञान को समझ नहीं सकता। इसलिए संस्कृत के अध्ययन पर जोर देना चाहिए।

यदि देश में उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देने वाली शिक्षा देंगे तो भ्रष्टाचार पनपेगा, अपराध बढ़ेगा। आन्तरिक खतरे भी बढ़ेंगे। देशभक्तिपूर्ण शिक्षा होगी तो भावी पीढ़ी देशभक्त होगी और कोई आतंकवादी पैदा नहीं होगा, बल्कि सभी नागरिकों द्वारा बाह्य संकटों का भी सामना किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि देश में व्यक्ति का निर्माण सबसे बड़ा काम है। उसे आने वाले समय में पूरा करना पड़ेगा। उससे अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर भी अंकुश लगेगा। देश का विकास भी होगा और बेरोजगारी और जनसंख्या नियंत्रण में भी हमें सफलता मिलेगी। आजादी के कुछ समय पहले तथा तपस्वी स्वामी विवेकानन्द ने ठीक ही कहा था—हमें व्यक्ति चाहिए केवल व्यक्ति, बाकी सब कुछ तैयार होगा किन्तु शक्तिशाली प्रबल उत्साही आस्थावान युवक अंतिम बिन्दु तक प्रमाणिक चाहिए। मेरे बच्चों में लोहे का शरीर और फौलाद की नसें चाहता हूं जिसमें वज्र का मस्तिष्क हो। शक्ति पौरुष, ज्ञानवीर्य और ब्रह्मा तेज यदि ऐसे नागरिकों का निर्माण हम कर पायें तो सभी समस्याओं का समाधान होगा।

आपने हमें लिखित भाषण प्रस्तुत करने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री कृष्ण लाल शर्मा

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम भारत की स्वाधीनता के पचासवें वर्ष में लोक सभा के सदन में गत पचास वर्षों की समीक्षा कर रहे हैं तथा भविष्य के बारे में कुछ संकल्प कर रहे हैं।

इस अवसर पर मैं अत्यंत संक्षेप में तथा सूत्र रूप में कुछ विषयों पर अपना भाषण लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

सबसे पहले आज हमें उन असंख्य महापुरुषों और शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिनके आजीवन संघर्षों तथा बलिदानों के कारण हमारा देश शताब्दियों की दासता से मुक्त हुआ। इसके साथ ही हमें आज आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भारत को 1947 में जो आजादी मिली और जिनके संघर्षों और बलिदानों से यह आजादी मिली, क्या हम उनके सपनों को गत 50 वर्षों में साकार कर पाए हैं और क्या हम उनकी अपेक्षा की कसौटी पर खरे उतर पाए हैं। निश्चित रूप से हम सब यह अनुभव करेंगे कि देश की स्वाधीनता के बाद यद्यपि भारत ने विकास के क्षेत्र में कुछ प्रगति की है किन्तु विश्व के उन अनेक देशों की तुलना में जो हमारे साथ ही स्वाधीन हुए हम अपेक्षाकृत उतना विकास नहीं कर पाए। आज हमें इस प्रश्न का भी उत्तर अवश्य ढूंढना है। भारत जो एक समय सोने की चिड़िया था और जिसकी तुलना प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से कोई अन्य देश नहीं कर सकता था वह शताब्दियों तक गुलाम क्यों रहा। इतिहास साक्षी है कि परकीयों ने चाहे वे मुगल थे या अंग्रेज अपनी शक्ति के आधार पर यह नियंत्रण अथवा शासन चलाया बल्कि हमारे देश में फूट डालो और राज करो की नीति के कारण ही सफलता प्राप्त कर सके। स्वर्ण जयन्ती के इस वर्ष में आज इस सदन में हमें सबसे पहले यह संकल्प करना होगा कि स्वाधीन भारत में अब शासन चाहे किसी दल का रहे, हम फूट डालो और राज करो की विदेशियों की नीति को तिलांजलि देकर जोड़ो और राज करो की नीति का अवलम्बन करेंगे।

देश की आजादी के साथ-साथ हमें देश के विभाजन का दुर्दिन भी देखना पड़ा। आज हमें उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए जो विभाजन की विभीषिका में शहीद हो गये। यहां एक बात अवश्य स्मरण रखनी चाहिए कि हमारे देश में विभाजन की नींव कम्यूनल एवार्ड और दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को स्वीकार करने के कारण ही पड़ी थी। आज हमें यह दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि देश विभाजन की उस गलती को हम कभी नहीं दोहरायेंगे और अब हम अपने जीते जी देश में दुबारा कोई विभाजन नहीं होने देंगे। हमें यह भी स्पष्ट करना

चाहिये कि भारत एक राष्ट्र, एक देश और एक जन है तथा भाषा प्रान्त एवं अलग-अलग रीति रिवाजों के कारण हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता प्रभावित नहीं हो सकती बल्कि अनेकता में एकता के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। आज हम दूसरी आजादी की भी बात कर रहे हैं। देश की स्वाधीनता के बाद दूसरी आजादी का अर्थ इसके सिवाय कुछ नहीं कि राजनैतिक आजादी के साथ-साथ लोगों को आर्थिक आजादी भी मिले। आज हमें यह चिन्तन भी करना चाहिये कि क्या हम आजादी का अनुभव गांव, गरीब, किसान, मजदूर और दलित वर्ग को करा पाये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अन्तोदय की भावना से देश के अन्तिम व्यक्ति को आर्थिक सुविधाओं का आभास कराके दूसरी आजादी को सार्थक करें। इस बात की भी हमें गम्भीर चिन्ता करनी चाहिये कि उदारीकरण की अन्धी दौड़ में हम कहीं आर्थिक गुलामी को तो निमंत्रण नहीं दे रहे हैं।

पिछले 50 वर्षों में हमने सिद्ध कर दिया है कि भारत लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता के सिद्धान्त में गहरी निष्ठा रखता है। अब देश में शासन किसी दल का भी हो, हमें अपने संविधान को और उसमें प्रतिपादित लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता के सिद्धान्त को कभी आंच नहीं आने देनी चाहिये। भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, उपासना पद्धति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और समान मताधिकार द्वारा जो आश्वस्ती दी गई है, उससे हमारे देश की एकता का आधार मजबूत हुआ है। मेरे मन में एक बात अवश्य आती है कि हमारे संविधान में यदि मूल अधिकारों से पूर्व मूल कर्त्तव्यों का अध्याय जोड़ा जाता तो इस क्रम से भारत के प्रत्येक नागरिक का ध्यान अपने अधिकारों से पूर्व अपने कर्त्तव्यों पर जाता। इतिहास साक्षी है कि जब स्पर्धा, कर्त्तव्य और समर्पण की होती है तो देश का उत्थान होता है और जब स्पर्धा, अधिकारों और सत्ता की होती है तो देश का पतन होता है। आज तो ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में मूल कर्त्तव्यों का कोई अध्याय है, इसको हम सर्वथा भूल गये हैं जिसे स्मरण कराना नितान्त आवश्यक है।

दुर्भाग्य से आज हमारे देश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। प्रत्येक नेता और प्रत्येक दल इससे चिन्तित भी दिखाई देता है। अपने-अपने स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का नेताओं द्वारा आह्वान भी किया जा रहा है। किन्तु कहने की आवश्यकता नहीं कि स्थिति यह बन गई है "मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की"। हमें सोचना चाहिये कि हमारे शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं होता। महात्मा गांधी के इस आह्वान पर कि "करो या मरो" सारा देश खड़ा हो गया था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जब कहा कि "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा," तो खून देने वालों की होड़ लग गई थी। शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक सपूतों ने फांसी के फंदे चूम लिये थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन आदर्श के द्वारा अपने शब्द में वह शक्ति पैदा करें कि जिसके आह्वान पर पूरा देश अनुकरण के लिए खड़ा हो जाये। अगर हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है और एक नये अध्याय की शुरूआत करनी है तो हमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जय प्रकाश नारायण और डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की प्रखर देशभक्ति और प्रेरणा देने वाले जीवन आदर्शों का अनुकरण करने का संकल्प लेना होगा।

हमारा अतीत महान था। उस पर गर्व करते हुए हम उससे प्रेरणा लें। स्वाधीनता के 50 वर्षों की अच्छी-बुरी बातों की समीक्षा करें और भविष्य के लिए हम यह एक महान संकल्प लें कि 21वीं सदी में जब तक हम भारत को विश्व की पहली पंक्ति वाले देशों में खड़ा नहीं कर लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और यह भी आत्मविश्वास पैदा करें कि विश्व शान्ति और मानव अधिकारों की रक्षा का संदेश भारत से ही उदय होगा क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो समस्त मानव जाति को समान दृष्टि से देखता है। गांधी, बुद्ध, महावीर और विवेकानन्द की इस भूमि से ही यह सदा बुलन्द हो सकती है कि:

निजाम-ए-जीस्त का महवर मुहब्बत,
हकीकत एक अफसाने बहुत हैं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि देश की आजादी के 50वें वर्ष पर आजादी की स्वर्ण जयन्ती पर यह संसद का विशेष सत्र आहूत किया, जिसमें 50 वर्ष में देश के लिए किये कार्यों की समीक्षा हो रही है। आपने प्रथम दिन के सम्बोधन में आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया है। स्वर्ण जयन्ती वर्ष में देश की 96 करोड़ जनता के दिल एवं दिमाग में एक नई चेतना का संचार हुआ। देशभक्ति का खून भारतीय नागरिकों के शरीर में एक बार पुनः गर्म होकर तीव्र गति से दौड़ने लगा है। विगत 15 वर्षों के अन्दर जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ और उसमें देश के कर्णधारों की अहम भूमिका एवं हिस्सेदारी खुलकर सामने आई उससे देश के आम नागरिक का दिल बैठ गया है, देश के प्रति समर्पण की भावना पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, परन्तु संसद सत्र के प्रारम्भ में बोलते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस जोरदार ढंग से भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को प्रस्तुत किया उससे देश की जनता ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। उसके बाद सभी राजनैतिक दलों ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रस्तुत किया उससे आम जनता की चेतना भी जागृत हुई है।

मान्यवर, विगत 50 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, उद्योग एवं व्यापार में विकास हुआ, देश की सीमाओं की रक्षा वीर सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से की। वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में भारत का नाम विश्व के प्रमुख देशों में लिया जाने लगा, परन्तु नैतिक पतन की ओर भी कदम काफी तेजी से उठे। देश के कर्णधारों के चरित्र में गिरावट आई। आर्थिक नीतियां दोषपूर्ण रहीं। महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना सत्ता प्राप्त करने के बाद भूल गये। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा राजनीति में चाणक्य की नीतियों का अनुसरण नहीं किया गया। वोट को आकर्षित करने के लिए चुनाव घोषणा पत्र तैयार होने लगे। आजादी प्राप्ति के समय देश का बंटवारा सरहदों पर हुआ, परन्तु वोट की राजनीति को प्रधानता देते हुए देश में जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, भाईभतीजावाद से चलते-चलते पति-पत्नीवाद तक देश को पहुंचा दिया गया। सत्ता कैसे प्राप्त हो और प्राप्त सत्ता कैसे बनी रहे इसके लिए निम्न से निम्न तरीके राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाये गये, जिन राजनीतिज्ञों ने इसका विरोध किया, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की धारा बहाते हुए देश को राम राज्य की स्थापना का सपना साकार करने का प्रयास किया, उन्हें साम्प्रदायिक कहकर पुकारा जाने लगा। स्वदेशी, स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान का नारा सपना हो गया। उदारीकरण की नीति ने तो स्वदेशी की भावना का ही परित्याग कर दिया। भाजपा ने स्वदेशी के नारे को उजागर किया तो उसे रूढ़िवादी कहा गया।

इन 50 वर्षों में देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, गरीब और अमीर के बीच का अन्तर कम होने के बजाय चरम सीमा तक बढ़ गया है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके बंगलों एवं मकान, मकान की छतों पर स्वीमिंग पूल बने हैं दूसरी तरफ गांवों में स्लम बस्तियों में बसे वे गरीब किसान व मजदूर हैं जो 50 वर्ष की आजादी के बाद पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में गर्मियों के दिनों में अनेक नागरिक इसलिए मर जाते हैं क्योंकि प्यास बुझाने के लिए दूषित जल पी लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक और साक्षरता आन्दोलन चलाया जा रहा है दूसरी ओर विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामों में आज भी 25 प्रतिशत छात्र पेड़ के नीचे अथवा चबूतरों पर बैठ कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दलित, शोषित एवं पिछड़े समाज के उत्थान के लिए भाषणों की तलवारें चलायी जा रही हैं। इस आधार पर समाज में विरोधाभास पैदा कराके गांव-गांव में झगड़े कराये जा रहे हैं परन्तु देश के सभी बच्चों को हाईस्कूल तक अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था नहीं लागू की जा रही है।

देश की आजादी के 50 वर्ष के बाद भी देश के आम नागरिक को नागरिक सुविधायें भी नहीं दे पाये हैं। देश की कर-व्यवस्था ऐसी बनाई गई जिससे देश में कालाधन की बढ़ोत्तरी हुई तथा घूस के रूप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि प्रत्येक राजा को कर लेने का अधिकार है परन्तु कर की दर व उसकी वसूली का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कर देने वाले को कठिनाइयों का अहसास न हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, कर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे भौंरा फूल का मधु ले लेता है परन्तु फूल की शोभा नहीं बिगाड़ता। आज देश में ऐसी कर व्यवस्था की आवश्यकता है।

एक ओर लालकिले से प्रधान मंत्री रिश्वत समाप्त करने की घोषणा करते हैं दूसरी तरफ आवश्यक वस्तु अधिनियम विशेष संशोधन, 1981 पुनः 5 वर्ष के लिए बढ़ाकर रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। यह दोहरी बातें कैसे चलेंगी?

50 वर्ष की आजादी के बाद भी कपड़ा, रोटी और मकान तथा शिक्षा नहीं उपलब्ध हो रही है।

मान्यवर, इस चिन्तन सत्र में गरीबी, बेरोजगारी समाप्त करने हेतु आर्थिक आजादी प्राप्त करने की नई लड़ाई प्रारम्भ करने की योजनाओं पर प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता है।

श्री भेरूलाल मीणा

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): मान्यवर, देश की आजादी की 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर लोक सभा के इस विशेष सत्र में मुझे अथक प्रयास के बावजूद बोलने का अवसर नहीं मिल सका, परन्तु आपके आदेशानुसार मैं अपने विचार लिखित रूप में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। यदि मेरे विचार देश को नई दिशा देने हेतु उपयोगी समझें तो इन्हें शामिल करने की कृपा करें।

महोदय, आपने विशेष अधिवेशन बुलाकर अति उत्तम कार्य किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारे देश को आजादी मिले 50 वर्ष हो रहे हैं, इस बीच में हमारे देश ने बहुत कुछ किया है। जनसंख्या बढ़कर ठीक तिगुनी हो गई है, फिर भी हमारा देश खाद्यान्न की पूर्ति करने में सक्षम है। मुझे याद है, जब देश को आजादी मिली उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी, आज 96 करोड़ हो गई है। 30 करोड़ लोगों के खाद्यान्न की पूर्ति के लिए विदेशों से अनाज मंगाया जाता था, वह भी हमें सड़ा-गला अनाज दिया जाता था। अनाज के मामले में हम आगे बढ़े हैं। कल-कारखानों में भी आगे बढ़े हैं। रहन-

सहन में भी आगे बढ़े हैं। आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधरी है, जितनी चाहिए उतनी नहीं सुधरी है।

इस देश को आजादी दिलाने में हमारे देश के महान पुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 60 वर्ष तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। अहिंसा के तरीके से लड़ाई लड़ने पर जेल की ताड़ी या फांसी का फन्दा मिला, फिर भी इन महापुरुषों महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, शहीद भगत सिंह, रवीन्द्र नाथ टैगोर आदि ने देश की आजादी में अपने जीवन की पूरी शक्ति लगा दी।

आजादी के बाद हमारे देश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू किये गये। जवाहर लाल नेहरू जी की योजनाओं के कारण हमारा देश अनाज के मामले में स्वयं पर निर्भर हो गया। देश की बड़ी नदियों पर विशाल बांधों का निर्माण किया गया और देश की सूखी भूमि को हरित क्रांति में परिवर्तित किया गया। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी ने उद्योगों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लाखों नवयुवकों को सरकारी उपक्रमों में रोजगार का अवसर प्रदान किया।

मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि 50 वर्ष हो गये हैं, गरीबों के नाम पर इस लोक सभा में हर सांसद अपना वक्तव्य दे रहे हैं, परन्तु उन गरीबों की समस्या ज्यों की त्यों है। कारण गरीब प्रतिनिधियों की भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वे उच्चाधिकारी हों या चाहे हर पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेतागण हों, केवल गरीबों के नाम पर लम्बे-लम्बे भाषण दे देते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूं, श्रमिकों से जुड़ा हुआ हूं। मुझे जितनी जानकारी गरीबों के बारे में है, उसको मैं विस्तार से नहीं कह रहा हूं क्योंकि उच्च पंक्ति के नेताओं को बुरा लगेगा। आज हम गरीब तबके को भी समझ में आ गया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, परन्तु हमारी मजबूरी है। चाहे किसी भी पार्टी के गरीब तबके के प्रतिनिधि हों, वे मन में घुटन महसूस करते हैं कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज पैसे वालों का ही बोलबाला है। देश के प्रति भावना रखने वाले और उनकी आशाओं एवं समस्याओं को सुनने वालों की गति पैसे वाले कमजोर कर देते हैं तथा गरीबी मिटाने का नारा केवल भाषणों तक ही सीमित रह जाता है।

पिछड़े क्षेत्र में विकास के नाम पर जो धन दिया जाता है, वह कम है। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत प्लानिंग कमीशन द्वारा दिये जाने वाला धन आदिवासी क्षेत्रों में कम दिया जाता रहा है। मेरा आग्रह है कि प्लानिंग कमीशन द्वारा दी जाने वाली राशि आदिवासी क्षेत्र खास कर राजस्थान के उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों को दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में खेती की भूमि नहीं है। इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए।

मैं किसी पार्टी विशेष की तारीफ या बुराई नहीं करना चाहता हूं, पर मेरे जीवन में जो देखा उसे कहना चाहता हूं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि देश को आजादी मिलने के बाद 25 वर्ष तक देश का विकास पूर्व तरीके से होता रहा, यानि 1947 से 1972 तक विकास की योजनायें सुचारू रूप से चलती रहीं।

1972 के बाद देश में एक ऐसा वातावरण बनता गया कि देश में कई प्रकार की पार्टियों का गठन हो गया और क्षेत्रवाद, जातिवाद का बोलबाला होने लगा। सही योजनाओं में कुछ दिक्कतें आने लगीं। इसके बावजूद पं. नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी अपनी सूझबूझ से देश के विकास को गति देते रहे।

1977 में देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा और विपक्ष की सरकार बनी। लेकिन वह सरकार भी टिक नहीं पाई और ढाई वर्ष में ही बैक टु दि पैवेलियन हो गई। 1980 से 1990 तक कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, उसके बाद फिर देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा, गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और वह भी डेढ़ वर्ष में बैंक टु दि पैवेलियन हो गई। इस प्रकार 1977 के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहा और देश के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। जो मैं समझ पाया हूं कि आज हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की भावना भी सीमित होती दिखायी देती है। देश के प्रति कम रुचि दिखाते हैं और अपनी एवं अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह जाते हैं जिसके कारण देश में बढ़ती आबादी, बढ़ती समस्या कैसे हल की जा सकती है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

यदि यही भावना हमारी रही तो हमारा देश दुनिया के सामने, जो हमारी स्थिति नेहरू जी, इंदिरा जी ने बनाई, पीछे हटने की स्थिति में होने की संभावना है और इसके बहुत ही बुरे दुष्परिणाम हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने यह विशेष अधिवेशन सही समय पर बुलाया है। हमें देश के संबंध में, क्या योजनायें, क्या भावनायें, क्या नीति और किस दिशा में चलें, विशेषकर गंभीरता से विचार करना है।

इस संबंध में मेरी मान्यता है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने 60 वर्ष तक जान की बाजी लगाकर देश को आजादी दिलाई, हम देशवासियों को चाहिये कि—हम अपनी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठें और राजनीति से ऊपर उठकर निम्न संकल्प करें:

1. मेरा भारत महान के प्रति अपने कर्त्तव्य को आगे रखें।
2. अपने समाज के उत्थान के प्रति आगे आयें।
3. अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों में सहयोग करें।
4. अपने संबंधियों एवं परिवार के विकास से पहले देश का विकास पहले रखें।

आशा है कि इस प्रकार के सोच एवं कर्तव्य भावना से हम देश को एक नई दिशा देने में सक्षम हो पायेंगे।

श्री छत्रपाल सिंह

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। शहीदों ने बलिदान देते समय सोचा था कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा भारत बनायेंगे जो सभी के लिए सुखदायी, अधिकार-सम्पन्न भारत होगा। परन्तु 50 वर्ष की आजादी के बाद भी हम अपने राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी को आम जनता का त्यौहार नहीं बना पाये। इन दिनों आम व्यक्ति के घर दिवाली, होली, ईद, गुरू नानक दिवस, बैशाखी, जैसा उत्साह नहीं होता। इस देश की जनता महान है जो भाषा, वेश-भूषा, भोजन, भजन में अन्तर के बाद भी इस देश को एकजुट रखना चाहती है। परन्तु इस महान जनता के प्रत्येक वर्ग को हम ऊपर नहीं उठा पाते। आज 50 वर्ष बाद भी व्यक्ति, महिलाएं सिर पर मैला ढोती हैं। यह हमारे सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। अत: सबको यह प्रयास करना होगा कि यह शर्म समाप्त हो जाये।

आज देश की 38 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। परन्तु यह प्रतिशत सभी प्रान्तों में बराबर का नहीं है क्योंकि आजादी के बाद सभी प्रान्तों पर बराबर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ प्रान्तों को ज्यादा सुविधायें, ज्यादा धन दिया गया। इसके उदाहरण के लिए मैं छोटे से विभाग बागवानी का उदाहरण दूंगा जिसमें केन्द्र सरकार ने बराबर न्याय नहीं किया। हार्टिकल्चर से आंध्र प्रदेश को वर्ष 92 में 24.18 करोड़, 93 से 97 में क्रमश: 260.41, 633.51, 860.59, 466.08, 7095.86 करोड़ रु. दिये गये। वहीं उ.प्र. को वर्ष 92 में 124.92, 93 में 205.32, 94 में 305, 95 में 344.98, 96 में 93.36 करोड़ रु. दिया गया है। यही भारत के अन्य प्रदेशों का रहा है। यही कारण रहा है कि प्रत्येक का बराबर विकास नहीं हुआ।

आज 50 वर्ष बाद भी देश के हर व्यक्ति को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, घर नहीं और तो और काम तक उपलब्ध नहीं है। यह बनाया है हमने 50 वर्ष का भारत। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं, हर खेत को पानी नहीं, यह देश भारत व इंडिया में बंट कर रह गया है। कुछ घरों में भोजन नहीं बनता वहीं कुछ घरों में कुत्ते कारों में घूमते हैं इस अंतर को मिटाना होगा। तभी देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिल पायेगा।

50 वर्ष बाद भी हम प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, आजादी नहीं दे पाये। यहां तक कि राजनैतिक आजादी भी नहीं दे पाये क्योंकि कुछ लोगों को आज भी वोट नहीं डालने दिया जाता है, यह हो रहा है। समाज के कुछ वर्गों को आज भी चारपाई पर बराबर में बैठने का अधिकार नहीं है। जातिवाद मिटाने की बात सब करते हैं परन्तु सही में जातिवाद राजनैतिक व्यक्ति ही ज्यादा करते हैं। लोक सभा, विधान सभा के सदस्यों को व्रत लेना चाहिए कि वे नाम के साथ जातिसूचक शब्द नहीं लगायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष बाद भी हम बिजली जैसी पहली आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाये। यही कारण है कि देश के खेत सूखे हैं तथा कारखाने बंद हैं। जिस तेजी के साथ आबादी में बढ़ोत्तरी हुई, उसके अनुसार बिजली उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। उ.प्र. में मात्र 63,377 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन है। उसका वितरण भी सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों का नेटवर्क तो हमने खड़ा किया परन्तु ग्रामीण अंचलों तक नहीं पहुंचा पाये। लघु उद्योगों का निर्माण तो 29.3 प्रतिशत बढ़ा परन्तु रोजगार केवल 4.1 प्रतिशत बढ़ा।

कृषि के क्षेत्र में हम बजट का कम प्रतिशत खर्च करते हैं। यही कारण है कि खेत सूखा है तथा किसान भूखा है। कृषि में बजट बढ़ाया जाये तथा वर्षा का कीमती पानी जो बह रहा है उसे रोककर खेत की तरफ मोड़ा जाये। 50 वर्ष में किसान के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। सोने का भाव 22 गुना बढ़ा तथा गेहूं का भाव केवल 4 गुना बढ़ा। किसान की उपज के दाम बढ़ाये जायें तथा बंजर भूमि को ठीक कर बेरोजगारों में बांटा जाये।

समय की कमी के कारण मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुद्दे बहुत बाकी हैं। समाप्त करने से पहले यही कहूंगा कि नौकरशाही पर अंकुश ले तभी भ्रष्टाचार पर रोक लग पाएगी।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत

***श्री माणिकराव होडल्या गावीत** (नन्दुरबार): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार मराठी में व्यक्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दी जाये। मैं अपनी बात उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आरंभ करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलायी। हम स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर लोक सभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और भारत सरकार को मैं बधाई देता हूं। कई नेताओं और सदस्यों ने पिछले 50 वर्षों में विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। वास्तव में उनके विचारों को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ।

मैं, महात्मा गांधी, जिनकी भूमिका स्वतंत्रता प्राप्ति में मुख्य रूप से अग्रणी है, उनके सहयोगियों और इस देश के लोगों के योगदान का स्मरण करता हूं। महात्मा गांधी की नीतियों के अनुसार विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया और किया जा रहा है। इस देश के लोग विकास हेतु पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा दी गई सही दिशा और पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा ''जय जवान जय किसान'' को नहीं भूल सकते हैं। उसी प्रकार से पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे निर्णय लिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की गईं और की जा रही हैं। आवासहीन लोगों के लिए 30' × 30' साइज के प्लाटों का आबंटन और उन पर आवासों का निर्माण किया गया, 'रोटी कपड़ा और मकान', की व्यवस्था की गई, आदिवासी क्षेत्रों के लिए आदिवासी उपयोजनाएं, क्षेत्र विकास योजना और इस प्रकार की अन्य योजनाएं क्रियान्वित की गईं। यही कारण है कि सभी लोग, विशेषकर आदिवासी लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं भूल सकते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 18 वर्ष के युवाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। उन्होंने इस देश के नवयुवकों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों के लिए प्रति व्यक्ति अनुदान मंजूर किया। इस प्रकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने का अवसर दिया गया। मैं स्वतंत्रता संग्राम के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने निर्भय होकर अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। इस देश के लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।

नन्दुरबार शहर, जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में 9.9.1942 को छात्रों का एक जुलूस निकाला गया था। अंग्रेजों ने स्वर्गीय श्री कुमार और उनके सहयोगियों को गोली मार दी। श्री कुमार और उनके तीन सहयोगी तिरंगे झंडे को हाथ में लिए शहीद हो गये। उन दिनों इस प्रकार के छात्र थे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद करें। मैं 1947 में एक छात्र था। 15.8.47 को तिरंगा झंडा हमारे स्कूल में फहराया गया। छात्रों को 'पेड़े' बांटे गये थे। मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। यही कारण है कि मैं प्राथमिक, उच्चतर और कालेज शिक्षा पर बोलना चाहूंगा। आज प्राथमिक शिक्षा, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में, केवल एक अध्यापक के ऊपर केन्द्रित है। छात्रों को सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं दी जाती है। माता-पिता 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र के पास इकट्ठे हो जाते हैं। परीक्षा में नकल कराने के लिए छात्रों को नकल की सामग्री दी जाती है। इसी प्रकार, 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में अपने-अपने बच्चों को नकल कराने के लिए उनके संबंधी परीक्षा केन्द्रों पर रहते हैं। इसी प्रकार कालेजों में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र नकल कराने वालों की शरण में जाते हैं। नवोदय विद्यालयों में, जो दूर-दराज क्षेत्रों में खोले गये हैं, ठीक समय पर प्राचार्य और अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती और उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। हमें बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता, अध्यापक, प्रवक्ता और प्राचार्य बनाने हैं। हमारे यहां अच्छे डाक्टर, वकील, अभियंता, वैज्ञानिक और अधिकारी हों। हमारे यहां आदर्श नागरिक, देशभक्त और सामाजिक कार्यकर्ता हों। यह समय की मांग है लेकिन शिक्षा के वर्तमान स्तर से प्रतीत होता है कि हम इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है। पिछड़े वर्ग के लोगों का यह सौभाग्य था कि पं. जवाहर लाल नेहरू और अन्य नेताओं ने डा. बाबासाहेब अम्बेडकर को संविधान निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा था। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा, विधान सभाओं, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं और निगमों में आरक्षण दिलाया। यही कारण है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिला। यही कारण है कि मैं और अन्य सदस्य जो पिछड़े वर्ग के हैं, इस सम्माननीय सभा लोक सभा के सदस्य हैं। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा में, सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में आरक्षण और अन्य रियायतें दी गई हैं। कुछ लोगों की यह सोच बन गई कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में आरक्षण मिलने से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। इसलिए आरक्षण का विरोध हो रहा है। बहुत से अपात्र लोगों को पिछड़े वर्ग के लोगों का लाभ मिल रहा है। वास्तविक पिछड़े लोगों को नौकरियां

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नहीं मिली हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण देने का यह अर्थ था कि वे समाज के अन्य वर्गों के साथ आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास करें और अपने जीवन स्तर में सुधार लायें। लेकिन यह दुख की बात है कि ऐसा नहीं है। 7वीं लोक सभा से मैं इस सभा का सदस्य हूं। कई माननीय सदस्य पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के बारे में बात करते हैं लेकिन क्या पिछड़े क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास उस स्तर तक हो पाया है जिस स्तर पर सोचा गया था? रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित विकास बहुत कम और उपेक्षित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूची के उपबंधों के अनुसार आरक्षण का कड़ाई से पालन किया जाए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।

श्री चित्रसेन सिंकु

श्री चित्रसेन सिंकु (सिंहभूम): आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के विशेष अधिवेशन के उपलक्ष्य में इस सदन एवं भारत की जनता के समक्ष अपनी निम्न बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:

"भारत कृषि प्रधान देश है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों में भी बहुसंख्यक किसानों के विकास एवं सुविधा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सके हैं। न उनके खेतों को समुचित सिंचाई हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी और न ही उन्हें उनके उत्पादन का सही मूल्य दिया जा सका है। 20 वर्षों पहले के सामानों के मूल्य से किसानों के अनाज की कीमतों की तुलना की जाये तो अन्य वस्तुओं के मूल्य जहां 10 गुना बढ़ गये हैं वहीं किसानों के अनाज का मूल्य मात्र डेढ़ गुणा से 2 गुना तक ही बढ़ पाया है। ऐसी स्थिति में किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता चला गया। आज कृषि को घाटे का सौदा समझा जाता है। अगर यही स्थिति रही तो किसान अपनी फसल उगाना बंद कर देंगे। इनकी इस दयनीय स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

देश में बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप बेरोजगारों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज देश में रोजगार कार्यालयों में निबंधित बेरोजगारों की संख्या लगभग 4 करोड़, 85 लाख पहुंच गई है। गैर-निबंधित संख्या 8 करोड़ तक पहुंच जायेगी। इस पर तुर्रा यह कि भारत की सभी सरकारी उद्यम और निजी उद्योगों में आधुनिकीकरण के नाम पर मानव शक्ति घटायी जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने चुनाव क्षेत्र के सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थिति बतलाना चाहता हूं। स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल) की इकाइयों में विगत 5 वर्षों की तुलना में 12,000 (बारह हजार) श्रमिक घटाये गये हैं। इसी तरह टाटा के इस्पात कारखाने में विगत 5 वर्ष में पूर्व में करीब 35 हजार श्रमिक कार्यरत थे लेकिन अब तक घटकर मात्र 28 हजार मजदूर रह गये हैं। अत: आधुनिकीकरण के नाम पर मानव शक्ति के घटाव को रोका जाये तथा नई नौकरियों के लिए अवसर का निर्माण किया जाये।

छोटा नागपुर, संथाल परगना के समुचित विकास के लिए अलग प्रान्त का निर्माण आवश्यक है। तभी इन क्षेत्रों के आदिवासियों का समुचित विकास हो सकता है।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा (शाहजहांपुर): मान्यवर, आज आपने विशेष सत्र हिन्दुस्तान आजाद होने के 50 वर्ष पूरे होने पर बुलाया है कि हमारे देश ने क्या पाया और क्या खोया, इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। इतिहास में पहली बार आपने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो देश की तरक्की में बाधायें उत्पन्न हो रही हैं कैसे दूर करके देश को दुनिया के देशों में शामिल किया जाये। सुझाव समस्त सदन के सामने व सारे हिन्दुस्तान की जनता के सामने रखा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रस्ताव रखा है और जितने नेताओं ने अपने-अपने सुझाव माननीय सदन में रखे हैं, मैं सबसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, आज देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गये हैं। खास तौर से इस देश के किसानों की उपेक्षा की गई। देश की 80 फीसदी जनता देहात गांवों में रहती है। इसके जीवनयापन, शिक्षा और सभी तरह के विकास को नहीं किया गया। जब तक गांव में रहने वाली जनता

खुशहाल नहीं होगी, तब तक देश में सम्पूर्ण खुशहाली नहीं हो सकती। गांधी जी ने, नेहरू जी ने और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने जो देश को आजाद कराने की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी। इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए उन्होंने सारे धर्मों के लोगों को शामिल करके लड़ाई लड़ी और हिन्दुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी ने, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने, सपना देखा था कि हमारे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के मुंह पर मुस्कान हो। सारे धर्मों के लोग भाईचारे में रहकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जायें, लेकिन गांधी जी के सपने साकार नहीं हो सके। जो गरीब था और गरीब होता चला गया। जो अमीर था, वह और अमीर होता चला गया। गैर-बराबरी की खाई और बढ़ गई। 50 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन मान्यवर आज भी इस देश में 46 प्रतिशत जनता गरीब ही है। जिसको रहने का मकान नहीं है। दिन में एक बार ही रोटी खाकर समय काटते हैं। सारे राजनैतिक दलों के नेता गरीबी दूर करने की बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं लेकिन गरीबों के हित में जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं जिसको अंजाम देने के लिए जो सरकारों से धन भेजा जाता है इसको अधिकारी मिल कर नेताओं से खा जाते हैं। अध्यक्ष जी, आज सारे दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार पर बड़े लम्बे भाषण माननीय सदन में दिए हैं लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सारे ब्यूरोक्रेट्स व बड़े नेता, छोटे नेता, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले लोग ही सारा पैसा खाये जा रहे हैं। मान्यवर, सदन में बढ़ रहे अपराधीकरण के ऊपर भी चर्चा बहुत लम्बी हुई, लेकिन राजनैतिक दलों के सारे नेता लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसको दूर करने के लिए कानून बनाया जाये, जिससे बढ़ते अपराधीकरण को रोका जाये। जब तक राजनीति में अपराधीकरण नहीं रुकेगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर पायेगा और न ही गांधी जी के सपने पूरे हो पायेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री श्रीराम चौहान

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती): मान्यवर, स्वर्ण जयन्ती के ऐतिहासिक अवसर पर हमने पचास वर्षों में क्या खोया, क्या पाया इसके लिए आपने सब आहूत किया इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, हमारा यह देश बहुत महान देश है इसकी गौरवशाली परम्परायें हैं यह कभी अति विशाल राष्ट्र था तब देश के प्रति मर मिटने की जनता के मन में श्रेष्ठ भावना थी, जब यही राष्ट्र भावना कमजोर हुई हमारा राष्ट्र भी कमजोर होता गया और धीरे-धीरे गुलाम होता गया, इस गुलामी से भारत को मुक्त कराने के लिए आन्दोलनों और संघर्षों का एक लम्बा सिलसिला हमारे उभरकर सामने आता है। उत्तर भारत में तुलसीदास, मीरा, कबीर, रामानंद, सूरदास, रसखान, आचार्य शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक और अनेक परवर्ती गुरु सामने आते हैं तो विन्ध्या के दक्षिण में नायनभार और अलवार सन्तों की पूरी श्रृंखला सामने आयी। बसवेश्वर, त्यागराज, पुरदंरदास, कनकदास, रामदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने जनता के भीतर राष्ट्रभक्ति का प्रबल भाव जगाकर भजन और कीर्तन के माध्यम से विदेशी आक्रमणों के प्रतिरोध हेतु सक्षम बनाने में समर्थ रहे, शिवाजी जो स्वराज्य के लिए आगे आये उनकी प्रेरणा आध्यात्मिक ही थी जिन्होंने कहा विश्वास रखो कि हम स्वराज्य की स्थापना में सफल होंगे क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है। इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर गुरु गोविन्द सिंह ने अपने चारों बेटों को फूलों की तरह चढ़ा दिया, अपने उत्तराधिकारी के रूप में बीर बन्दा बैरागी और रणजीत सिंह को छोड़ गये जो स्वराज्य के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे।

माननीय अध्यक्ष जी, 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नायकों में नाना साहब, पेशवा, लक्ष्मी बाई, तांत्या टोपे ने इस स्वतंत्र ज्योति को आगे बढ़ाया। कूकाराम सिंह वासुदेव, बलवन्त फड़के सावरकर, मैडम कामा, रास बिहारी बोस, आलोक नाथ चक्रवर्ती, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिसमिल, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव आदि वीरों ने इस स्वातंत्रीय यज्ञ कुंड की इस ज्वाला को देदीप्यमान रखा, तमाम भारत माता की जय करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गये। मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह ने विदेशों में बलिदान देकर विश्व जनमत को पक्ष में करने का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद नें युगों पुराने प्रेरक राष्ट्रीय लक्ष्य को स्वाधीनता संग्राम का मूल स्वर बना दिया। उनकी शिष्या भगिनी नीवेदिता ने उनके लक्ष्य को आगे गतिमान किया। योगी अरविन्द ने कहा "हिन्दुत्व के उत्कर्ष से भारत का उत्कर्ष और हिन्दुत्व की ग्लानि से भारत की ग्लानि है।" भारत के स्वाधीन होने का मतलब है कि वह सनातन धर्म के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित करे। भारत को भविष्य में सनातन जीवन दर्शन के प्रकाश में ही राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, वैचारिक, कला आदि क्षेत्रों में विविध क्रियाशीलताएं और रचनाएं विकसित करनी चाहिएं। एनी बेसेंट ने कहा "हिन्दुत्व ही भारत के जीवन की श्वास और प्राणशक्ति है। भारत की उस अवस्था से वंचित भारत वस्तुत: भारत नहीं रह जाएगा"। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति लाल, बाल, पाल जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से थे। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में एक व्यापक जनाधार प्रदान किया। तिलक का स्वप्न था "स्वतंत्र भारत एक आदर्श धर्मराज्य की स्थापना करेगा वह वैदिक संदेश को सर्वत्र प्रसारित करेगा।" उन्होंने लोक प्रचलित प्रमुख धार्मिक उत्सवों और ऐतिहासिक घटनाओं को देशभक्ति के जागरण और प्रसार का माध्यम बनाया। गणेश उत्सव, शिवाजी जयन्ती, रामनवमी आदि के व्यापक आयोजनों से सोये हुए जन-मानस को जगाया और प्रखर

देशभक्ति जागरित की। बंगाल में राजा राममोहन राय ने उपनिषदों से प्रेरणा लेकर समाज सुधार के माध्यम से लोगों को जगाया। आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने लोगों में आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा और आत्माभिव्यक्ति के भाव जागृत किए।

बंगाल के वीर सन्यासी स्वामी प्रणवानन्द ने भारत सेवाश्रम संघ और अखाड़ों तथा मिलन केन्द्रों के द्वारा नौजवानों में सैन्य शक्ति के कार्यक्रम शुरू किए। महाराष्ट्र में महादेव गोविन्द राणाडे, महात्मा फुले, डा. अम्बेडकर, डा. हेडगेवार आदि ने सामाजिक समरसता के लिए कार्य किए। श्री नारायण को केरल में समाज सुधार में काफी सफलता मिली। बंकिम चन्द्र ने वन्दे मातरम् के उद्घोष से समस्त राष्ट्र को प्रचंड देशभक्ति से भर दिया। जिसके कारण बंगाल विभाजन के निर्णय को 4 वर्ष बाद वापिस लेना पड़ा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि भारत से एकात्मकता की अनुभूति अद्वैतवाद का परिणाम है। इस देश में धर्म ग्राम पंचायतों से लेकर राजाओं तक के स्तर पर सबसे बड़ी प्रेरक और नियामक शक्ति रहा है।

लेकिन स्वाधीन भारत की सर्वाधिक दुखद बात यही है कि स्वाधीनता संग्राम के इस तत्व की एक हजार वर्षों से गतिशील समर के प्राणबिन्दु की सम्पूर्ण उपेक्षा कर डाली गयी जिसके कारण राष्ट्र भाव का अभाव होता गया। बाद में राजनीतिक सत्ता पाना ही प्रधान हो गया तथा सुदीर्घ समय प्रवाह परीक्षित एवं प्रतिष्ठित लक्ष्य गौण हो गया। सारा मामला राजनीतिक सौदेबाजी का हो गया। राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रद्रोही विघटनकारी शक्तियों के बीच सत्ता की साझेदारी की प्रक्रिया आगे बढ़ी और मातृभूमि के अंगछेदन को स्वीकार कर लिया गया। दुर्भाग्य पूर्ण विभाजन का भयानक मूल्य चुकाने के बाद भी राजनैतिक नेतृत्व की बुद्धि वैसी ही बनी रही। 1947 से पहले स्वाधीनता का लक्ष्य सामने था। आज राजनीतिक सत्ता कैसे हमारे नियंत्रण में रहे। मेरे परिवार का, मेरे दल का प्रभुत्व बना रहे। यही राजनीतिक लक्ष्य हो गया है। राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रभक्ति के सच्चे भाव से रहित हो गयी है। इसमें हमारी स्वाधीनता निष्प्रयोजन और लक्ष्य खो गया है। हमारी सारी राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक नीतियों में व्यवस्थाओं के मूल में पश्चिमी सिद्धांत ही हैं। मैकालेवादी शिक्षा पद्धति आज भी जारी है। हमारे नीति नियामक पश्चिमी चिन्तन प्रणाली है या उससे प्रशिक्षित लोग हैं। जो आज भी अपनी थाती रही। स्वदेशी की पूर्ण उपेक्षा करते चले आ रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। सभापति जी, जब तक हम स्वदेशी का आचरण नहीं करेंगे, स्वदेशी को नहीं अपनायेंगे तब तक हमारी आर्थिक दशा सुधरेगी, इसमें मुझे संदेह है। आज देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब तक हमारी शिक्षा में बदलाव नहीं आएगा, शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र से देशभक्ति से ओत-प्रोत नहीं होगी तब तक देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होने से वंचित रहेगा। स्वदेशी से ही स्वावलम्बन व बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने देश के सामने मुंह बाये हुए तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए दूसरे संघर्ष का आह्वान किया है। मेरा कहना है मान्यवर इन सारी समस्याओं का निराकरण हम योग्य नीति इस देश की प्रकृति के हिसाब से योजनाएं बनाकर कर सकते हैं स्वाधीनता की पचासवीं वर्षगांठ पर भारत को एक करने, अखंड करने, समरस करने का संकल्प लें, यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पद्मसेन चौधरी

श्री पद्मसेन चौधरी (बहराइच): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम लोक सभा अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूं और साथ ही आदरणीय हमारे नेता माननीय अटल जी का आभारी हूं कि उन्होंने स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर अपना प्रस्ताव रखा है, जिस पर 6 दिन से चर्चा हो रही है। 50 वर्षों बाद हमने क्या अर्जित किया, कौन सी उपलब्धि हुई। मैं आपका ध्यान कृषि नीति पर आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारी अपेक्षा थी कि आजादी के बाद गांवों का समग्र विकास होगा। आजादी के बाद गांवों में रहने वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमारे देश की 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। मेरी सोच थी कि गांव के और शहर के हर बेरोजगार को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे को शिक्षा, हर गांव को सड़क से जोड़ देना, हर नागरिक को जीवन रक्षक दवाएं मुहैय्या की जायेंगी। हर नागरिक के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी। हर गांव का विद्युतीकरण होगा। इस सपने को साकार करने के लिए पूर्व नेताओं ने स्वीकार किया था लेकिन आप उसके अपेक्षा में जो उपलब्धि होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। हमारे देश में पानी इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो बिजली के उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है जिससे अधिकांश गांवों में विद्युतीकरण हो जायेगा। गांव के विकास में सड़क बहुत ही आवश्यक है लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। 50 वर्ष बाद आज सम्पूर्ण देश के प्रत्येक गांव में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है। हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि हर गांव में स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें। हर बच्चे की शिक्षा अनवार्य कर देनी चाहिए। स्वास्थ्य योजना होने के बावजूद गांव के लोगों को जीवन रक्षक दवाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह हमारी कमी है। इसे दूर करने के लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। आज उ.प्र. सरयू परियोजना को 20 वर्ष हो गये परन्तु आज भी पूरी नहीं हुई। इस परियोजना को केवल 10 वर्ष में पूरा होना था लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पायी। सरयू परियोजना से उ.प्र. के 1/3 भाग में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है जिससे किसानों के खेतों में हरियाली आती,

अनाजों के पैदावार में भारी वृद्धि हो जाती, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता। लेकिन हमारी गलत और अधूरी योजनाओं के कारण यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

भारत कृषि प्रधान देश है। यहां का किसान जब खुशहाल होगा तो देश में समृद्ध विकास का नया दौर आयेगा, मेरी सोच है कि

किसान उठेगा तो गांव उठेगा
गांव उठेगा तो देश उठेगा।

हमें इस प्रकार की विचारधारा की जागृति की आवश्यकता है, तभी देश का विकास होगा। भारत की समृद्धि होगी।

मैं अपने अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया और अपने सभी लोक सभा के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं उन्होंने धैर्य से सुना। अपना देश आगे समृद्धिशाली हो, उसकी कामना करता हूं।

श्री चुन चुन प्रसाद यादव

श्री चुन चुन प्रसाद यादव (भागलपुर): महोदय, बड़ी प्रसन्नता एवं बड़े गर्व की बात है कि 26.8.97 से चल रहे विशेष सत्र में अपनी आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के बाद के दिनों की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। इन पांच दशकों में हमने क्या खोया क्या पाया और आगे क्या करना है राष्ट्रहित में इसकी चर्चा में सारा सदन संलग्न है। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है। अगस्त 1947 में हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से त्राण पाया। सारे देश ने आजादी की सांस ली। प्रजातंत्र का आविर्भाव हुआ। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। देश में कई बार चुनाव हुए। आम वयस्क लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। सत्ता परिवर्तन भी शांतिपूर्ण ढंग से मताधिकार के प्रयोग से ही हुआ है कभी सैनिक विद्रोह द्वारा नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में यथासंभव विकास भी हुआ पर विकास का लाभ चन्द मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही केन्द्रित रहा। 85 प्रतिशत लोगों को सही रूप में विकास का लाभ नहीं मिला। इतिहास गवाह है कि सन् 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत आयी और राजघरानों की अपनी वैमनस्यता के कारण धीरे-धीरे देश की सत्ता अपने हाथ में ले बैठी। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गुलाम हो गये और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए 1857 ई. से देश जाग उठा। अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन् 1947 में देश आजाद हुआ। हर तबके के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। सबों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी। परंतु सभी के साथ न्याय नहीं हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक आजादी से 85 प्रतिशत लोग वंचित रहे। देश की समृद्धि एवं विकास कुछ लोगों के ही हाथ में सिमट कर रह गया। फलतः अधिक से अधिक लोग आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकने पर अभाव की जिंदगी जीते रहे। बेरोजगारी का हुजूम लग गया। पढ़े-लिखे नौजवान रोजगार न मिल पाने के कारण गलत राह पकड़ने पर मजबूर हो गये। वो शांति का देश आतंकवाद, चोरी, डकैती, लूट-खसोट, बलात्कार का शिकार हो गया। हमें इस पर विचार करना है। अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। 75 प्रतिशत यहां किसान एवं खेतिहर मजदूर बसते हैं। लेकिन हमने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु सही रूप में कभी चेष्टा नहीं की। शुरू में संपूर्ण बजट का 14-15 प्रतिशत कृषि बजट के रूप में खर्च होता था और बाद में वो कृषि बजट घटकर आधे से भी कम हो गया। अध्यक्ष महोदय, बचपन में हमने पढ़ा था—

उत्तम खेती, मध्यम वाण।
निषिध चाकरी, भीख निदान॥

पर आज खेती का ग्राफ वाण (वाणिज्य) एवं चाकरी से नीचे आ गया। ये किसका दोष है। जब देश की आबादी का तीन-चौथाई खेती पर निर्भर है तो हमें खेतिहर किसानों की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना होगा। सिंचाई, बिजली की सम्यक व्यवस्था करनी होगी। आधे से अधिक गांवों में अभी तक हम सड़कों का निर्माण नहीं कर पाये हैं। किसान अपनी फसल बाजार तक पहुंचा सकें ताकि उन्हें फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए गांवों को मेन सड़कों से जोड़ना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम शुद्ध पेयजल की पूर्णरूपेण व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। चन्द लोग मिनरल वाटर पीते हैं और दूसरी ओर अनेकों लोग, तालाब, गढ़े का पानी पीने पर मजबूर हैं। एक ओर बड़े लोगों के कुत्ते दूध पीते हैं दूसरी ओर एक तिहाई लोगों को दोनों जून रोटी मयस्सर नहीं होती। आर्थिक विषमता इसी से आंकी जा सकती है। इस विषमता को पाटना होगा। हरेक लोगों के जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवा इत्यादि की पूर्ति करनी होगी। बीसवीं सदी का अवसान समीप है। हम इक्कीसवीं सदी में पहुंचने वाले हैं। गरीबी मिटाने, विषमता एवं अशिक्षा दूर करने के लिए हमें ठोस कदम उठाना चाहिएं। तभी हमारा देश विकासशील से विकसित देशों की गणना में पहुंच सकेगा। भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा होती है। वास्तव में भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए ठोस उपाय किये जाने चाहिएं। एक नये प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाले अधिकारी बिना अपने से ऊपर के अधिकारी अथवा सरकार के आदेश के बिना किसी को गिरफ्तार करने के लिए

बायस्ड व्यू अपना कर सेना बुलाता है। मैं समझता हूं ये भी भ्रष्टाचार का एक अंग है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के संबंध में सेना का बुलाया जाना सारे सदन को मालूम है। इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

एक बात और ऊपर की पंक्तियों में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायी के रूप में आने और बाद में हिन्दुस्तान की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेने की चर्चा मैंने की है। मुझे डर है हमारी उदारवादी नीतियां कहीं हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आर्थिक गुलामी के शिकंजे में न डाल दे। अतः हमें विदेशी कंपनियों से सजग रहना चाहिए।

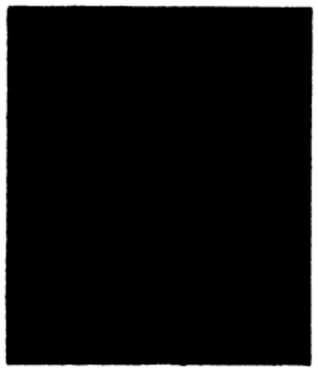

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज

***श्री ऑस्कर फर्नान्डीज** (उडुपी): स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के शुभ अवसर पर मैं महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया, को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं भगत सिंह और उनके अनुयायियों को, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से संघर्ष किया, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह समय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष पर उत्सव मनाने का है। यह वर्ष सुभाष चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष भी है जिन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं कर्नाटक की जनता के स्वप्नदृष्टा मायलर महादेवप्पा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर मैं उत्तर कनारा जिले के करनाडु सदाशिव राव और उनके सभी पक्के समर्थकों और मेरे जिले के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, का स्मरण करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

उल्लालडा रानी, अबक्का देवी, किट्टूर रानी चेन्नमा, उनाके ओबव्वा और अन्य ने पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। शेर-ए-मैसूर टीपू सुल्तान को याद करना हमारा परम कर्तव्य है जिन्होंने हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य को करारी मात दी थी। उत्तर कनारा जिले के उडुपी तालुक के पंगाला नायक के परिवार की सेवाओं को भी भुलाया नहीं जा सकता है।

इस बात पर विचार करना हमारा परम दायित्व है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न रामराज्य को लाने में कितने सफल हो पाए हैं। गरीबों के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होगा कि उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए। गांधी जी का विश्वास था कि इन लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब ये सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जायेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया था कि स्वतंत्रता को सार्थक तभी बनाया जा सकता है जब प्रत्येक गरीब की आंखों से आंसू पोंछ दिए जाएं। कमजोर तबकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों, जिन्हें समाज के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और सभी वर्गों के गरीब लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। यही बाबा साहेब अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था। वे एक महान नेता थे जिन्होंने हमारे समाज के दलित वर्गों के हितों के लिए संघर्ष किया था। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि बाबा साहेब का स्वप्न साकार हो।

स्वर्गीय इंदिरा जी गरीबों की प्रेरणा स्रोत थीं। उन्होंने किसानों को गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह हमारे देश में हरित क्रांति लायी थीं। उन्होंने हमारे देश को विकासशील देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया था।

हमारे देश के दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी ने हमें 21वीं सदी में ले जाने के लिए तैयार किया था। दुर्भाग्यवश वे आज हमारे बीच नहीं हैं। हमारे पास 21वीं सदी में प्रवेश के लिए केवल तीन वर्ष ही रह गए हैं। राजीव जी के स्वप्न को साकार करना हमारा कर्तव्य है।

स्वतंत्रता के 50 वर्षों के दौरान हमारे देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। परन्तु अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना है। हम सभी सबसे पहले भारतीय हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस भावना को सुदृढ़ किया जाये। हमारा ग्रामीण जीवन सर्वोत्तम है। हमारा पारिवारिक जीवन सर्वोत्तम जीवन का आदर्श है और यदि इसे जारी रखा जाता है तो कई उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को स्कूली शिक्षा दृढ़ आधार प्रदान करती है। स्कूली शिक्षा भले ही पूर्ण ज्ञान प्रदान न करती हो। हमारे पूर्वजों ने पंचायत प्रणाली से काफी कुछ हासिल किया है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि गांवों के इस अद्वितीय स्वरूप को बनाए रखें और विकसित करें। पंचायत का अंतिम लक्ष्य एक शांतिमय जीवन को व्यतीत करने में सर्वाधिक गरीब व्यक्ति को भी समर्थ बनाना और उसे अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्रदान करना है। बापू जी का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब गरीबों को समानता का अधिकार और आर्थिक समानता मिले।

हमारी नदियां, पहाड़, समुद्र, भूमि, पानी, वायु हमारी सम्पत्ति हैं। यदि हम प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग कर पाते हैं तो हम गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। यदि हम समुद्र की ओर बहने वाली नदी का रुख मोड़कर उसका उपयोग कृषि के लिए करते हैं तो सोना उपजा सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक गांव के लिए योजनाएं होनी चाहिएं। राष्ट्र की प्रगति गांवों की प्रगति के बिना नहीं हो सकती। हमारी योजना जल की प्रत्येक बूंद को और भूमि के प्रत्येक चप्पे को उपयोग में लाने की होनी चाहिए।

इज़रायल ने समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने और इसे कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पास वर्षा का पानी बहुतायत में है। यदि इस जल को कृषि के लिए समुचित ढंग से उपयोग में लाया जाता है तो ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते हैं।

शिक्षा द्वारा मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इससे बेरोजगारी की समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि और उद्योग के क्षेत्र में सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। हमें अपने प्राचीन ग्रन्थों को नष्ट होने से बचाना चाहिए और अपनी प्रगति के लिए उनमें अन्तर्निहित ज्ञान का उपयोग में लाया जाना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग और आयुर्वेद को भली-भांति प्रयोग में लाया जाना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस कारण विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त प्रगति हमारी समस्याओं से राहत दिलाने में असफल हो रही है। इसके लिए हमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी होगी और हमें इन कार्यक्रमों को ग्राम विद्यालय के अध्यापकों, बालवाड़ियों, आंगनवाड़ियों, महिला मंडलों और युवक संगठनों के माध्यम से सफल बनाना चाहिए।

हमारे समाज में कुछ बुराइयां व्याप्त हैं। हम लोग बिना परिश्रम के बड़े आदमी बनना चाहते हैं। हर कोई किसी भी साधन को अपना कर अमीर बनना चाहता है। इस प्रकार की आकांक्षा हमारे समाज में व्याप्त है। यह उचित नहीं है। हमारा संघर्ष रोगों, भूख, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के विरुद्ध होना चाहिए। हमें आगामी 50 वर्षों के लिए अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए और तदनुरूप योजनाएं बनानी चाहिएं। हमें अगले दशक के लिए कार्यक्रम बनाने होंगे और सोचना होगा कि हम राष्ट्र की प्रगति को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी उपलब्धियां हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं।

श्री अशोक अर्गल

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने का समारोह एक गौरवपूर्ण इतिहास की स्मृति को फिर से तरोताजा करने का आयोजन है। यह अवसर आजादी की लड़ाई से जुड़े हजारों ज्ञात-अज्ञात शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। उन करोड़ों लोगों से जुड़ने का एक अवसर है जिनके त्याग और बलिदान के कारण भारत को आजादी नसीब हुई। लेकिन आज देखा जाए तो दौर दूसरा है और वर्तमान हालात इतने बदतर हैं कि न उनपे रोना आता है न हंसना। पर्यावरण के लिहाज से मानव सभ्यता के इतिहास में पिछले 150 वर्षों का कालखंड काफी महत्व रखता है। इतिहास के इस दौर में एक तरफ जहां मानव मस्तिष्क ने अपने सुख-सुविधा के अकूत साधन जुटाए, वहीं दूसरी तरफ उसने पूरी सभ्यता के विनाश की व्यवस्था कर ली। जंगल की कटाई ने एक तरफ मानव का पेड़ पौधों के साथ भावनात्मक एवं आवश्यक जैविक लगाव को कम किया तो वहीं दूसरी तरफ इसने जमीन, पेड़, जल, वातावरण एवं मानव के बीच सहज प्राकृतिक संतुलन को अस्त-व्यस्त कर दिया। वाहनों एवं कारखानों के ठोस एवं गैसीय कचरों ने इस संतुलन को बिगाड़ने में और मदद की। दूसरी तरफ, मानव समाज में आर्थिक संसाधनों के गैर-बराबरी पूर्ण बंटवारे ने बड़ी जनसंख्या को अपने अस्तित्व के लिए विकास के इस तरीके में न सिर्फ शामिल होने को मजबूर किया बल्कि अमूमन उसने यह समझा कि औद्योगिकीकरण मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी है जिसका खामियाजा बहुसंख्यक गरीब व मध्यमवर्ग की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है।

भारत में कथित आर्थिक सुधारों तथा आर्थिक उदारवाद का इतिहास तकरीबन छह वर्ष पुराना है। सन् 1991 में प्रथम बार इसकी व्यापक गूंज सुनाई दी थी। हालांकि राजीव गांधी के सत्ताहीन होते ही अर्थात् 1984 से ही आर्थिक क्षेत्र में खुलेपन की बात शुरू हो गयी थी। मारुति कार जब भारत की सड़कों पर दौड़ना शुरू हुई थी तो इसके साथ ही बहुत से विदेशी साजो सामान बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हुए। वस्तुत: भारत में "उपभोक्तावाद" का आगाज राजीव गांधी के आगमन के साथ शुरू हो चुका था।

जून 1991 के आते-आते भारत आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर आ पहुंचा था। इसका सबसे अहम कारण था सत्ताधारी आकाओं की दुधर्ष सनकें जिन्होंने सार्वजनिक राजकीय कोष का मनमाना इस्तेमाल किया। यह एक विचित्र संयोग है कि एक तरफ हम स्वतंत्रता की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के नीति निर्धारक देश की आर्थिक आजादी को अमेरिका और विश्व व्यापार संगठन के हाथों में गिरवी रखने की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक माह पहले सिंगापुर में श्री चिदम्बरम ने जिस तरह भारत के हितों के साथ समझौता किया वह भारत की गरीब आम जनता के साथ विश्वासघात है। पश्चिमी देशों के दबाव के आगे वह सर्वथा असहाय बने रहे। यहां तक कि लघु एवं मझोले उद्योगों पर चर्चा तक नहीं करवा पाए जबकि भारतीय संदर्भ में उसकी अहमियत बड़े उद्योगों से कहीं ज्यादा है।

सन् 1996 के दिसंबर में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में यह दुर्भाग्य है कि बैठक में "डंपिंग" विरोधी नीतियों पर चर्चा छिड़ने के बावजूद भारत उस पर कोई ठोस प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाया, जबकि डंपिंग विरोधी रवैया अपनाने के चलते हाल के दिनों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है।

15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार मिटाने हेतु एक नये किस्म का सत्याग्रह शुरू करने की बात कही। मेरा कहना है कि इन पचास वर्षों में भ्रष्टाचार इतना किसने फैलाया जो लोग पचास वर्षों

से इस देश पर शासन कर रहे हैं उनको इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। साथ में मैं आज देख रहा हूं भारत की (ब्यूरोक्रेसी) नौकरशाही का भ्रष्टाचार फैलाने में विशेष हाथ रहा है क्योंकि सारी शक्ति उनके हाथों में है जिसका वे मनमाना दुरुपयोग करते हैं। उनकी गंदी राजनीति में घुसपैठ है जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऊंची गद्दियों पर बैठकर रिश्वत के लालच में देशद्रोह करते हैं चाहे वह खरीददारी का मामला या सरकारी तौर पर टैक्स की बात हो। चाहे कस्टम की उन्होंने सभी को वार्निंग दी है। मैं उनका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां सारी व्यवस्था नौकरशाही ने ठप्प कर रखी है, वहां के कलेक्टर तानाशाह हो गये हैं पंचायती राज का मखौल उड़ाया जा रहा है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जो पार्षद वहां चुनकर आए हैं उनकी जिला प्रशासन नहीं सुनता। यह तो दूर की बात वहां के कलैक्टर महोदय जनता प्रतिनिधियों से बात करना अपना अपमान समझते हैं। उनको डराया धमकाया जाता है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मुरैना कलेक्टर ने शहर में शांति का नहीं आतंक का माहौल बना रखा है एवं ऐसे लोगों को वर्तमान राज्य शासन शह दे रहा है। यह स्थिति सिर्फ मुरैना में ही नहीं राज्य में कई जगह है। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने लाल किले से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात कही है—आपने ऐसे मुजरिमों को सबक देने का वायदा किया है। मैं उनका ध्यान स्वयं पर आकर्षित करता हूं। मैंने मुरैना कलेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। मुरैना जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसकी सारी जिम्मेदारी मुरैना कलेक्टर की बनती है। मेरे आवाज उठाने पर उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कोर्ट में ठोक दिया है। ऐसे में यह देश कहां जायेगा। मैं प्रधानमंत्री से इस ओर कार्यवाही करने का आह्वान करता हूं। जब जनप्रतिनिधि के साथ कलेक्टर यह सलूक कर रहे हैं तो वहां आम जनता के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। इसका आसानी से जायजा लिया जा सकता है। मैं यहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय संगमा जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा है "सिविल सेवा की राजनैतिक कार्यपालिका के प्रति, राजनैतिक कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायिता की कड़ी पूरी तरह टूट गयी है तथा ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि लोक सेवकों के प्रति अपनी शिकायतों के मुद्दे न्यायालयों में घसीटे जा रहे हैं। इसे बदलना होगा।

पचास वर्ष बीत गये। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है। एक समय हुआ करता था जहां नालंदा में विदेशी विद्यार्थीगण दाखिले के लिए लाइन में रहते थे। आज शिक्षा में गैर बराबरी देखने को मिलती है। एक तरफ एक विद्यार्थी ए.सी. कमरों में बैठकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह फीस देता है वहीं एक विद्यार्थी के लिए स्कूल की छत नहीं है।

श्री सोडे रमैया

***श्री सोडे रमैया** (भद्राचलम): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चार जिलों में फैला है जिसमें सात विधान सभाई क्षेत्र आते हैं। ये हैं विशाखापटनम जिले के पडेरू और चिन्तापल्ली, पूर्वी गोदावरी जिले का एल्लावरम, पश्चिमी गोदावरी जिले का पोलावरम और गोपालापुरम और खम्मम जिले के भद्राचलम और बरगम पहाड़ खण्ड। इनमें छह का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जनजाति के विधायकों द्वारा किया जाता है और एक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ है। मानसून के दौरान खबरी, गोदावरी, किन्नरसानी और सेलेरू नदियों में बाढ़ आ जाती है और सारा इलाका जलमग्न हो जाता है। लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांशत: लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी इस क्षेत्र के लोगों को परिवहन, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आज भी वे दुनिया से कटे हुए हैं। जब वे बीमार पड़ते हैं तो उन्हें स्थानीय जड़ी-बूटियों पर निर्भर रहना पड़ता है और अंतत: अपनी व्याधियों के कारण काल का ग्रास बन जाते हैं। इस क्षेत्र में आज भी कोई अस्पताल नहीं है, डाक्टर नहीं हैं और न ही किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य और केन्द्र सरकारें करोड़ों रुपयों का आबंटन करती हैं किन्तु इसे बिचौलियों द्वारा हड़प लिया जाता है। लोग विकास के लाभों से वंचित हैं।

इस समय मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चार जनजाति विकास निगम कार्य कर रहे हैं। परन्तु वे जनजातीय लोगों के किसी काम के नहीं हैं। इन संगठनों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो कोई रिश्वत देता है उन्हें इसमें नौकरी मिलती है। इन संगठनों में कार्यरत कई लोग गैर-जनजातीय हैं। वहां पर ये गैर-जनजातीय कर्मचारी अपने नजदीकी रिश्तेदारों को नियुक्त करा लेते हैं। इस कारण से अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित युवक और युवतियां बेरोजगार रह जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों को पद भी मुश्किल से मिलते हैं और वह भी उन्हें निम्नतम स्तर के पद ही दिये जाते हैं। मेरी मांग है कि उन्हें रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

*मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

1. केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में एक विशेष सर्वेक्षण करवाना चाहिए और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत तथा यातायात संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। बैंकों द्वारा उन लोगों को ऋण दिए जाने चाहिए जो कि कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं।

2. शबानी और गोदावरी नदियों के दोनों ओर लिफ्ट सिंचाई योजना आरम्भ की जानी चाहिए।

3. भूमिहीनों को 5 एकड़ की दर से अतिरिक्त भूमि वितरित की जानी चाहिए।

4. भद्राचलम के आसपास बीड़ी-पत्ता की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए भद्राचलम में एक बीड़ी की फैक्ट्री लगाई जानी चाहिए।

5. मानुगुरू में तत्काल ही एन टी पी सी संयंत्र के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।

6. कोवूर-भद्राचलम रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

7. "पोडू" कृषकों को भूमि पर अधिकार प्रदान करने के लिए पट्टे जारी किये जाने चाहिए।

8. दूरवर्ती क्षेत्रों, जैसे वजेदु, वेंकटापुरम, चरला, चिन्तुरु, कुनावरम, वेलेरुपाडू, कुक्कुनुरु मंडलों में एस टी डी की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

9. सभी जनजातीय लोगों को एस पी आर आवास प्रदान किए जाने चाहिए।

10. आंगनवाड़ी अध्यापकों और आयाओं के वेतनों को तत्काल क्रमशः 1000 रु. और 5000 रु. तक कर दिया जाना चाहिए।

11. आरक्षित वन घोषित क्षेत्रों में जहां वन बिल्कुल नहीं हैं पेड़ उगाने के लिए निर्धनों को पट्टे प्रदान किये जाने चाहिए।

12. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बुरगुनिपहाद क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए डा. के.एल. राव द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार गोदावरी नदी पर ईचमपल्ली में परियोजना के निर्माण का कार्य तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

13. भद्राचलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

14. भद्राचलम में स्नातकोत्तर केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

15. केन्द्र सरकार को केवल जनजातीय कृषकों के लिए एक कृषि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना चाहिए।

16. कृषि कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।

17. गैर जनजातीय लोगों को भी क्रय तथा विक्रय संबंधी लेन देन में शामिल करने के लिए भूमि अन्तरण अधिनियम (1/70) में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए।

18. आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में नेलाकोटा में एक परियोजना का निर्माण किया जाना चाहिए।

19. आदिलाबाद जिले के बेल्लमपाल्ली में जहां अनेक कोयले की खानें स्थापित की गई हैं, नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रैस का एक हाल्ट होना चाहिए।

20. रामागुंडम में तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हाल्ट होना चाहिए क्योंकि करीमनगर एक औद्योगिक केन्द्र है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और इसके साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अनिल बसु

श्री अनिल बसु (आरामबाग): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वतंत्रता के इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में पिछले पचास वर्षों के दौरान उपलब्धियों तथा असफलताओं का आत्मनिरीक्षण करने तथा परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए इस सम्माननीय सदन का यह विशेष सत्र बुलाया गया है।

महोदय, मैं इस विशेष सत्र को बुलाने के लिए तथा इस सभा के सभी वर्गों को हमारे गणराज्य के भविष्य के संबंध में कुछ मूल राय बनाने के लिए आपकी समझ-बूझ के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं इस अवसर पर आपके तथा इस सम्माननीय सभा के विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, बेरोजगारी और निर्धनता दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर सबसे अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हमारी

37 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। 3 करोड़ से अधिक शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। इसके साथ-साथ हमारी 8 करोड़ जनसंख्या के पास काम नहीं है।

इस समस्या से कैसे निपटा जाए। पिछले पचास वर्षों के दौरान धन-सम्पत्ति कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में एकत्रित हो गई है। अन्य लोगों को सरकार की नीतियों से लाभ नहीं हुआ है। कुछ गिने-चुने क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया जबकि बहुत बड़े क्षेत्र की उपेक्षा की गई जिससे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ और साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतें अपने नापाक इरादों को प्राप्त करने के लिए हमारे लोगों की इस कुंठा का फायदा उठाने में सक्रिय हैं। हमारे देश की एकता तथा अखंडता खतरे में है।

महोदय, यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इन समस्याओं से निपटना होगा।

महोदय, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए देश के लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

महोदय, भूमि सुधार द्वारा औद्योगिक वस्तुओं की मांग उत्पन्न कर लाखों ग्रामीण लोगों, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

यदि हम घरेलू बाजार, जो कि औद्योगिकीकरण का आधार है का विस्तार करना चाहते हैं, तो भूमि सुधार और सहकारिता दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको महत्व दिया जाना चाहिए।

सहकारी समितियां निर्धनों और सीमान्त कृषकों को ऋण तथा निवेश प्रदान करें ताकि वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे लोगों की क्रय शक्ति हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यदि लोगों की क्रय शक्ति कम है, तो औद्योगिकीकरण को नुकसान होगा और जिन औद्योगिक वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उनके लिए यदि खरीददार ही कम होंगे तो यह हमारे औद्योगिक क्षेत्र को ही अर्थ-अक्षम बना देगा।

महोदय, इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि भूमि सुधार और सहकारी समितियों को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

महोदय, हमारा देश एक विकासशील देश है। लेकिन हमारे आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में संतोषजनक विकास नहीं हुआ है।

विद्युत क्षेत्र में, हम निजी क्षेत्र को महत्व दे रहे हैं। महोदय, हमें कम कीमतों पर अच्छी किस्म की बिजली की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में उत्पादित और संचरित विद्युत की प्रति यूनिट लागत बहुत अधिक है। इससे हमारे उद्योग गैर-स्पर्धात्मक बन जायेंगे। हमारी कोई तर्कसंगत ईंधन नीति नहीं है। हर प्रकार के ईंधन, विशेषकर कि नाप्था जैसे महंगे ईंधन से निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन की अनुमति दी जा रही है। महोदय, विद्युत तथा देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए हमें एक व्यापक समेकित विद्युत नीति बनाने की आवश्यकता है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर मनाई जा रही स्वर्ण-जयंती के अवसर पर संसद का यह विशेष अधिवेशन बुलाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। देश की आजादी के विगत 50 वर्षों में हमने कितनी प्रगति की है, क्या खोया है और क्या पाया है इस सच्चाई को आंकने का यह उचित अवसर है तथा गत 50 वर्षों में जो संस्थाएं व नीतियां हमने बनायी हैं क्या वे हमारे हित में हैं, इस पर आत्मालोचन करने का अवसर दिया है जिसके लिए आप कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उन्होंने भारत माता की दासता की जंजीरों को तोड़ने के संघर्ष में भाग लिया और देश को आजाद कराया। मैं उन सौभाग्यशाली नागरिकों में हूं जो बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई कुरबानियों के फलस्वरूप प्राप्त स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसका मैं सदस्य हूं, आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को स्वतंत्र कराया तथा देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में अपना सक्रिय सहयोग दिया। आजादी के बाद 50 वर्षों में देश में जो प्रगति और उन्नति हुई है, उसका श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। आज यह ऐसा अवसर है जब हमें अपनी उन्नति एवं प्रगति के साथ-साथ जो कमियां एवं जो क्षेत्र अविकसित रहे हैं उनके ऊपर दृष्टिपात करना चाहिए। मैं अपने भाषण को कृषि, जनसंख्या, युवा समस्याएं, भाषा, गरीबी, अशिक्षा एवं अर्थव्यवस्था जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों तक सीमित रखूंगा।

महोदय, हमारा देश आजादी के समय खाद्यान्न संकट से घिरा था। खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हमें इसके लिए अमेरिका से पी.एल. 480 का समझौता करना पड़ा जो हमारे लिए बहुत लज्जाजनक तथा हमारी अस्मिता को खतरा था। हमारे देश के किसानों ने हमारी प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हरितक्रान्ति की और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। पहले हम मात्र 50 मिलियन टन अन्न उत्पादित करते थे लेकिन अब हरितक्रांति के बाद 190 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहे हैं। आज हम न सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं बल्कि कुछ राष्ट्रों को गेहूं और चावल निर्यात भी कर रहे हैं जो अपने आप में एक महान उपलब्धि है। इसके साथ ही हमें इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां इस देश के किसान ने अपना पसीना खेत में

बहाकर देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया वहां हमने किसान को क्या दिया। आज देश में करोड़ों एकड़ ऐसी भूमि है जो असिंचित है। हम इन 50 वर्षों में अपने खेतों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। आज किसान को हम उन्नत किस्म के बीज, सस्ती दर पर खाद और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। इसका मुख्य कारण हमारे बजट में कृषि के लिए दिये जाने वाला बहुत कम धन है। आज स्थिति यह है कि हम अपने कुल बजट का मुश्किल से पांच प्रतिशत धन ही कृषि पर खर्च कर रहे हैं। आज देश में 29 कृषि विश्वविद्यालय एवं 46 कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं जो हमारे विशाल भूभाग को देखते हुए बहुत कम हैं। हमें यदि कृषि की तरक्की करनी है, तो हर खेत को पानी, सिंचाई के लिए बिजली, कम कीमत पर उन्नत किस्म का बीज, सस्ती दर पर खाद और उच्च क्वालिटी के कीटनाशक उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ-साथ किसानों को उच्च तकनीक उपलब्ध कराने के लिए उच्च कोटि के अनुसंधान एवं तकनीकी संस्थान खोलने होंगे। इन संस्थानों में किए गए प्रयोगों को केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि किसान को खेत में जाकर इन नए-नए प्रयोगों की जानकारी देनी होगी ताकि देश का अन्नोत्पादन देश की बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप हो सके।

महोदय, आज हमारे देश में सिंचित क्षेत्र में 17 क्विंटल प्रति हैक्टेयर पैदावार होती है जबकि विकसित देशों में 35 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक पैदावार होती है जिसे हमें प्राप्त करना होगा। तभी हम देश के किसानों की उन्नति कर सकेंगे। हमारे देश का किसान दुनिया के किसानों के मुकाबले सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन हमें उसका जितना सहयोग करना चाहिए और जितनी सहायता देनी चाहिए वह हम नहीं कर पा रहें हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान देश की रीढ़ है। हमें किसानों की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा है। सरकार यह देखे कि उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। सरकार को किसानों की सहायता करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।

महोदय, हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जिसमें से 90 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन हमने इन 50 वर्षों में गांवों का विकास नहीं किया। आज गांवों में सड़कें नहीं हैं। स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए डिस्पेंसरी और अस्पताल नहीं हैं। संचार की कोई सुविधा नहीं हैं जिसके कारण गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन जारी है। हमारे देश में आजादी के समय गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या लगभग 18 करोड़ थी जो अब बढ़कर 38 करोड़ हो गई है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इसमें किसान, मजदूर और खेतिहर मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। गांवों में पर्याप्त संख्या में स्कूल नहीं है। जहां स्कूल हैं वहां अध्यापक नहीं हैं। जहां अध्यापक हैं वहां स्कूल भवन नहीं हैं। शिक्षा का प्रसार बहुत कम है। अमीर और गरीब की खाई पटने की बजाय और गहरी होती जा रही है। ऊंचे और नीति बनाने वाले पदों पर गरीब और किसान के बेटे जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक यह खाई और बढ़ती जाएगी। आज हमारी सरकार को गांवों में जाने की आवश्यकता है। जब तक हमारे गांवों का चहुंमुखी विकास नहीं होगा, तब तक हमारा देश संपन्न नहीं हो सकता। हमारे गांव गरीब और पिछड़े रहेंगे, तो भारत कभी उन्नति नहीं कर सकता। आज हमें शहरों की बजाय गांवों के विकास और उन्नति की ओर ध्यान देना होगा।

महोदय, हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आज हम 90 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम इस दौड़ में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। आबादी के मामले में हम दुनिया के नंबर एक देश बन जाएंगे। हमारी जनसंख्या दो प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रति वर्ष एक करोड़ अस्सी लाख की बढ़ोत्तरी हो रही है, जो भयावह है। बढ़ती हुई आबादी हमारी प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ ठोस और कड़े कदम उठाने होंगे और अब वह समय आ गया है जब इस बारे में अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाना चाहिए। यदि हमें अपने देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है, तो हमें अपनी आबादी पर तेजी से नियंत्रण करना होगा अन्यथा हमारा सारा विकास इस बढ़ती हुई आबादी की बेदी पर बलि हो जाएगा। यदि हमने अपनी आबादी पर नियंत्रण नहीं किया, तो फिर हम चाहे जितनी बिजली पैदा करें, चाहे जितने मकान बनाएं, चाहे जितने कारखाने खोलें वे सब इस बढ़ती हुई आबादी के नीचे दबकर रह जाएंगे। इसलिए आज हमें दो संतानों के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन करना होगा। भले ही इसके लिए हमें कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ें और कठोर कदम उठाने पड़ें। प्रजनन शक्ति को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें महिला साक्षरता, उनकी हैसियत, उनकी अर्जन क्षमता, उनकी स्वीकार्यता और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी मुख्य है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को शक्तियां दी जाएं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किये जाने चाहिए।

महोदय, बढ़ती आबादी को रोकने में शिक्षा सबसे बड़े अस्त्र के रूप में काम कर सकती है। आज हमारे देश में निरक्षर लोगों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत है। महिलाओं की शिक्षा तो और भी कम है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता व्यापक पैमाने पर देश की निरक्षरता को दूर कर साक्षर बनाने की है। शिक्षा प्रसार के लिए हमने बहुत सी नीतियां बनाईं, लेकिन उन पर ईमानदारी से अमल नहीं किया। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण व आवश्यक है। हमें प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिए। हमें लड़का-लड़की में भेद किए बिना प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमें निरक्षरता दूर करने के लिए जन अभियान चलाना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में आजादी के बाद से सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हमारे साथ दुनिया के 82 देश और आजाद हुए थे, लेकिन सभी जगह लोकतंत्र समाप्त हो चुका है या आखिरी सांस गिन रहा है जबकि हमारे देश में लोकतंत्र फला-फूला है और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश में ग्राम पंचायतों से लेकर लोक सभा तक के निष्पक्ष और सराहनीय ढंग से चुनाव कराने में सफल

हुए हैं। जहां हमें लोकतंत्र में सफलता मिली है वहीं अब चुनावों में बाहुबल और धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राजनीति का अपराधीकरण देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमें चुनाव सुधारों के माध्यम से इस पर रोक लगानी होगी। इस दुखद प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें तत्काल कार्रवाई करनी होगी और गोस्वामी प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

महोदय, जहां तक महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सवाल है ये हमारे समाज के ही अंग हैं और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। चुनावों पर खर्च अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। अब समय आ गया है कि सरकार चुनावों पर हो रहे व्यय को वहन करे। सरकार को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

मान्यवर, हमारे देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे? अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो जो भ्रष्टाचार है उसकी उत्पत्ति पर हमको जाना होगा। सिर्फ राजनीति में ही भ्रष्टाचार नहीं है या राजनीति करने वाले लोग ही भ्रष्ट नहीं हैं। व्यवसाय में भी भ्रष्टाचार है। प्राईवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर, सबमें भ्रष्टाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है। हर जगह व्यवस्था में भ्रष्टाचार है।

महोदय, अर्थव्यवस्था एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, वर्तमान में हमारे लिए तीन चुनौतियां हैं—पहली यह कि घाटे पर किस प्रकार से काबू पाया जाए, दूसरी यह कि कम लागत पर पर्याप्त और विश्वसनीय आर्थिक अवसंरचना कैसे प्रदान की जाए और अंततः कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में व्यापक आधार वाली रोजगार सृजक वृद्धि कैसे सुनिश्चित की जाए। ये चुनौतियां हमारी चिन्ता का केन्द्र बिन्दु हैं। केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत से कम करना आवश्यक है। हमें कर सुधारों के अपने कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए जिससे सकल घरेलू उत्पाद के लिए राजस्व का अनुपात बढ़ा है।

महोदय, बेहतर लक्ष्य निर्धारण द्वारा हमें राजसहायताओं की वृद्धि को कम करना चाहिए। विद्युत, दूरसंचार, सड़कों, पत्तनों, नागर विमानन तथा सिंचाई में अवसंरचना के विस्तार को गति देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इसका दृढ़ता तथा समर्पण के साथ अनुसरण किया जाना चाहिए। विद्युत की कमी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। विद्युत की खुदरा दरों को न्यायसंगत बनाकर इसके वितरण में गैर-सरकारी निवेश को शामिल करके और राज्य विद्युत बोर्डों को वाणिज्यिक आधार पर चलाने के लिए उसका पुनर्गठन करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तेल-पूल का घाटा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परिवहन के क्षेत्र में हमारी 85 प्रतिशत रेल लाइनें आजादी से पहले बिछाई गई थीं। परिवहन, नौवहन तथा नागर विमानन क्षेत्रों का विकास उत्साहजंनक नहीं रहा है।

महोदय, अब हमारे सामने सुधार का मुद्दा है। सुधार उन दशाओं से आरंभ होना चाहिए जो देश में विद्यमान हैं। यह आगे बढ़ने का रास्ता है न कि एक ऐसी प्रक्रिया जो कोरे सिद्धान्त पर आधारित होती है। वास्तव में प्रश्न अगले कुछ महीनों में इस काम में जुट जाने का है क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आप जिन प्रक्रियाओं तथा नीतियों को ठीक मानते हैं उनसे संबंधित निर्णयों को टालते नहीं रह सकते अन्यथा हमारी जैसी अर्थव्यवस्था में जहां सुधारों की प्रक्रिया जारी है, काफी देर हो जाएगी। यहां 30 प्रतिशत बचत दर प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसे कई अन्य देशों ने प्राप्त कर लिया है। इस देश में मूलभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम अथवा मूलभूत ढांचा कार्यक्रम के संदर्भ में हमें इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का भी धन्यवाद किए बिना नहीं रहूंगा। उन्होंने संसद के इस विशेष सत्र में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे निश्चय ही सांसदों द्वारा प्रतिदिन संसद में वैल में आने, प्रश्नोत्तर को स्थगित करने की मांग करने एवं सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने पर रोक लगेगी और सांसदों के संसद में किये जा रहे इस व्यवहार को दूरदर्शन पर देश के लोगों द्वारा देखे जाने पर आम जनता के मन में राजनेताओं के प्रति गिरती हुई छवि में सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लाल बाबू प्रसाद यादव

श्री लाल बाबू प्रसाद यादव (गोपालगंज): महोदय, मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कुरबानियाँ दीं और हमें आजादी दिलायी। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इसमें मुख्य बात भारतीय प्रतिभाओं तथा वैज्ञानिकों के पलायन के कारण बोलना चाहता हूँ। इसे विधि की विडम्बना कहें या अपना ही दोष, आजादी की आधी सदी में हमने काफी कुछ पाया है पर खोया ज्यादा है। शिक्षा का विस्तार हुआ। ए.बी.सी. का ज्ञान शहरों की चारदीवारी से निकाल कर गाँव-देहात तक पहुँचा। अब गाँव के लोग भी अंगूठा नहीं लगाते वे हस्ताक्षर करते हैं, पर इससे देश की ज्ञान-पिपासा को पूर्ण गति नहीं मिल सकी।

अध्ययन और अनुसंधान में अंतर है। साक्षरता बढ़ी पर अनुसंधान की प्रवृत्ति को विराम मिल गया। वैज्ञानिक शोधों के लिए आधुनिक

उपकरणों से सज्जित अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित की गयीं फिर भी विश्वस्तरीय कार्य से देश वंचित रहा।

आजादी के पहले डा. रमन तथा डा. रामानुज जैसे वैज्ञानिकों ने भारतीय विद्वता की धाक विश्वभर में जमा दी थी, लेकिन विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों की भीड़—आज उस स्तर का एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकेंगे? आखिर कमी कहां रह गई है? क्या हो रहा है प्रतिभावों का पलायन? खास बात यह है कि अनेक भारतीयों ने देश से बाहर जाने पर अपनी प्रतिभा का रंग दिखाया है। उन्हें हम रोकने में क्यों असफल रहे? इन सभी कारणों की तह तक जाने का प्रयास होना चाहिए।

इस पलायन का सबसे मुख्य कारण है, देश में संसाधनों की कमी, आवश्यक सुविधाओं का अभाव एवं सरकार द्वारा बर्ती जा रही उपेक्षा पश्चिमी देशों द्वारा जिस प्रकार उन्नत प्रतिभावों को मूलभूत सुविधा, पद एवं धन का प्रलोभन दिया जा रहा है, उससे भारतीय प्रतिभाएँ तथा वैज्ञानिक अपने आकर्षक कैरियर को ध्यान में रखते हुए विदेश को पलायन को विवश हैं सरकार उन्हें पश्चिम सम्पन्न राष्ट्रों जैसी सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही है। जिस भारत वर्ष में विदेशी नागरिक एवं विद्वान (बिहार राज्य के नालंदा वि. विद्यालय में) शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, आज ठीक इसके विपरीत भारतीय नागरिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाते हैं। अनेक भारतीय प्रतिभाएँ सरकारों की उपेक्षा के शिकार होकर विदेश की ओर उन्मुख हो रही हैं। इसी में से एक है डा. हरगोबिन्द खुराना, जिन्हें 1968 में शरीर विज्ञान एवं औषधि क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं, जहाँ पर प्रतिभावों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है। इसका जीता-जागता उदाहरण है विश्व विख्यात गणितज्ञ डा. बशिष्ट नारायण सिंह की दुर्दशा। भारत सरकार ने अब भी इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसका 21वीं सदी का सपना अधूरा रह जायेगा।

श्रीमती फूलन देवी

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर): मान्यवर, विशेष सत्र, स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर मैं सर्वप्रथम देश आजाद कराने वाले सभी उन महान सपूतों को प्रणाम करती हूं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।

आज हम आजाद हैं। आजादी के बाद देश के छोटे से छोटे नागरिक को, जो जरूरी आवश्यकता खाना, कपड़ा और मकान, शिक्षा तथा न्याय मिलना चाहिए वह हम अब तक नहीं दे पाए हैं इसीलिए आज लोगों में असंतोष है। आज हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जनता हमारा विश्वास करे कि देश के हमारे नेता, सरकार अपने खोए विश्वास को दूर करने के लिए सब को बराबर शिक्षा, दवा, भोज, वस्त्र, मकान तथा न्याय तथा रोजगार का इंतजाम करेंगे।

देश की आजादी में सभी ने मन से एक साथ काम किया तब हम सफल हुए और आजादी के बाद हम अपनी खोई चीजों को प्राप्त करने में तब सफल होंगे जब देश का हर व्यक्ति देश को अपना समझे और देश की तरक्की के लिए काम करे।

श्रीमती शीला गौतम

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आज आजादी के पचास साल पूरे हो गये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं उस संसद की सदस्य हूं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने स्वप्न देखा था। मैं इन कथाओं को अपनी माँ से सुना करती थी। मेरे पिताजी सन् 1920 में आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। वह पंजाब में लाला लाजपतराय के साथ संघर्ष करते रहे। उस समय के संस्मरण मैंने अपनी मां से सुने थे। चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल जब घर पर आकर घंटे 2 घंटे रुका करते थे और पत्र देकर या कुछ कह कर चले जाते थे कि यह समाचार कल वहां पहुंचा देना। भगवती चरन वोहरा ताप्ती नदी के किनारे बम बनाते हुए मारे गये थे। उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गा वोहरा जिनको सब दुर्गा भाभी कहते थे उनके साथ रहने का मौका भी मिला। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस समय भारत आजाद नहीं था और आजादी के दीवानों को पता भी नहीं था कि हम आजाद भारत देखेंगे भी या नहीं। कितने ही वीर शहीद हो गये जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। यह सब सुनकर बड़ा सुखद अनुभव होता था। 1947 का वह दिन जब अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गये और राष्ट्रपति भवन व संसद पर हमारा तिरंगा फहराया गया। उस दृश्य को देख कर खुशी के आँसू निकल आये थे।

अब आया आजादी का दौर और लगा कि जो हमने खोया था वह अब मिल जायेगा। पर पचास साल में क्या खोया क्या पाया। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया आजाद भारत के लिए जो हमने सोचा था वह पूरा नहीं हो पाया। आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं जो हमारी पहली मंजिल होनी चाहिए थी। आज भी हर गांव में स्कूल नहीं है, नाममात्र का स्कूल है तो कहीं छत नहीं है, कहीं बैठने को दरी नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं-कहीं एक-दो मास्टर हैं जो समय से आते नहीं हैं और न ही ठीक से पढ़ाते हैं। यह देखकर अध्यक्ष जी, इतना दुःख होता है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। लड़कियों का मामला तो और भी खराब है। उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या हमारा यही स्वप्न था?

अध्यक्ष जी, आज भी गाँव में सड़कों का न होना, पानी का अभाव, बिजली का न होना, स्वास्थ्य केन्द्रों का न होना, क्या इसे हम अपने पचास साल की उपलब्धियों में गिना सकते हैं? नहरों का साफ न होना, कागज पर सब कार्य का होना, पैसे का किसी की जेब में चला जाना और सुविधा के नाम पर गाँव वालों का नेताओं पर शासन और प्रशासन पर आरोप लगाना, भ्रष्टाचार का बोलबाला। जब गांव में जाती हूं तो दादी, चाची की शिकायत बेटी, लड़के की शादी में टेलीविजन आया है पर गांव में बिजली नहीं है। बेटी क्या इसी को आजादी कहते हैं। यह सच है कि हम लोगों ने कई क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। हमारे विद्वान चाहे डाक्टर हों, वैज्ञानिक हों, इंजीनियर हों, विदेशों में छाये हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि वह लौटकर भी आना चाहें तो उनको यहां पर वह सुविधा नहीं प्राप्त होती। भारत आते हैं फिर वापिस चले जाते हैं कि हम वहीं पर ठीक हैं। कार्य करने की सुविधा तो है। यहां पग-पग पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। यदि कोई वहां अपना नर्सिंग-होम या कारखाना लगाना चाहे तो हर जगह पर पैसा देना होता है। चपरासी को 50 रुपये दो तो साहब से जल्दी मुलाकात हो जाती है। क्लर्क को दो तो फाइल शीघ्र आगे बढ़ जाएगी। वह इतना परेशान हो जाता है कि वापस विदेश चला जाता है। अपने बच्चों का दाखिला भी बिना डोनेशन के नहीं करा पाता। क्या यही हमारा भारत महान है।

यह सच है अध्यक्ष जी कि काफी क्षेत्रों में हमने उन्नति भी की है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, भारत में बीएचईएल, स्टील के कारखाने आदि बना कर पेट्रोल के क्षेत्र में भी। वहीं पर हम कह सकते हैं कि क्या हर साल बाढ़ का आना हम नहीं रोक पाये, सूखे से हम पीड़ित रहे, क्या इसका उपाय हम लोग नहीं कर सकते?

आज हमारे यहां विदेशी कम्पनियाँ आ रही हैं। बहुत से वक्ताओं ने काफी चर्चा की। इनके आने से जो नुकसान होगा वह जानते हुए भी हम उन्हें आने का न्यौता दे रहे हैं। हमारा भारत जहां हर तरह का भंडार है। कुटीर उद्योग में आज भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसको बढ़ाने की दिशा में सरकार ने क्या किया? उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार को पालिसी बनानी चाहिए। जो धन नहीं खर्च कर सकते उन्हें लोन देना, सुविधा देना क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए?

आज हमारी सेनाएं बार्डर पर हैं उनको जो सुविधा दी जा रही है, क्या वह पर्याप्त है? उनको सुविधा देने पर क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए। हमारी जमीनें जो चीन पाकिस्तान में चली गयी हैं वह हम अभी तक वापस नहीं ले पाये। क्या हमारी फौजें इतनी कमजोर हैं या हम लेना नहीं चाहते। अध्यक्ष जी जब उधर देखते हैं तो दुख ही दुख होता है।

अध्यक्ष जी बढ़ती हुई आबादी जिससे हम लोगों का बजट चरमरा जाता है इस दिशा में हम कानून बनाकर कोई उपाय नहीं कर सकते? कानून बना कर आज बेरोजगारी का बोलबाला है। बेरोजगारी के लिए हमें रोजगार खोजने होंगे। उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी और रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। गरीबी दूर करने को सरकार कहती तो बहुत है पर सच पूछिये तो सरकार, हम लोगों ने गरीब को मिटाने की सोची है न कि गरीबी दूर करने की।

अध्यक्ष जी, कहने को तो बहुत है पर अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे भारत में यदि भ्रष्टाचार, बढ़ती आबादी, बेरोजगारी को सरकार दूर कर सके तो सच में हम स्वर्णजयंती का पर्व मना सकेंगे। अध्यक्ष जी, संसद में आने वालों पर भी विचार किया जाये कि यहां किस प्रकार के सांसद आने चाहिए।

स्वर्णजयंती के अवसर पर अंत में मैं चाहूंगी कि महिला आरक्षण पर भी सरकार विचार करके 33 प्रतिशत आरक्षण दे दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

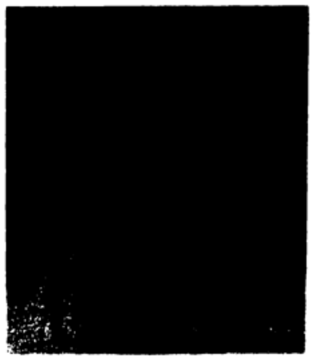

मुहम्मद शहाबुद्दीन

मुहम्मद शहाबुद्दीन (सिवान): अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपना विचार लिखित रूप से व्यक्त कर रहा हूं। मैंने कई दिनों से इस विशेष सत्र में माननीय सदस्यों के भाषण सुने और गौर किया। तमाम मुद्दे ही महत्वपूर्ण लगे। मेरी समझ से अब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था

जिस पर चर्चा किया जाये अथवा मैं करूँ। मैं पहली बार सदन में आया हूं। जितनी बैठकों में हमने हिस्सा लिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथा शांतिपूर्ण वातावरण में यह सत्र आरम्भ हुआ। सभी सदस्यों ने राजनीतिक करप्शन तथा राजनीति का अपराधीकरण पर जोर दिया तथा इस पर अंकुश लगाने हेतु अपने-अपने सुझाव दिये तथा देश के विकास की दिशा में भी ले जाने हेतु अपने-अपने सुझाव दिये। विशेषकर कुछ सदस्यों ने अच्छे तथा कुछ सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये जिस पर अमल कर देश को अति विकासशील देशों की कतार में खड़ा किया जा सकता है। मुझे बहुत ही अजीब लगता है जब कोई व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है क्योंकि मुझे आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे सामने से गुजरा जिसे मैं ईमानदार कहूँ। क्या सिर्फ रिश्वत तथा पैसा नहीं लेना ही ईमानदारी है या ईमानदारी की कोई और भी परिभाषा है। रिश्वत तथा पैसे का लेन-देन तो बहुत ही छोटी बेईमानी है। सबसे बड़ी बेईमानी अपनी जिम्मेवारियों से भागना, जी चुराना तथा जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके संविधान नीतियों पर न अमल करना तथा राष्ट्र के प्रति वफादार न होना। मैंने महसूस किया है कि एक व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि उससे ईमानदार कोई नहीं है। इसकी एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहूँगा।

दूसरी आलमी जंग के बाद जापान जैसा छोटा मुल्क (जो हमारे मुल्क के एक राज्य से भी छोटा है) संघ राष्ट्रों के आक्रमण में बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया। उसके बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ। एक हिसाब से हम दोनों ने एक ही साथ सफर शुरू किये। आज हम कहां हैं और जापान कहाँ? जरा एक नजर डालो तो पता चलेगा कि हम कहाँ और क्यों हैं और इसकी खोज भी करनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? मेरी समझ में इसका एकमात्र कारण है राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की कमी। आज मेरे यहाँ का कारखानेदार एक समान बनता है, तो उसके ध्यान में कभी नहीं रहता कि वह भारत का कारखानेदार है। ऐसे सामान बनायें जो दुनिया में राष्ट्र का नाम हो, पर ऐसा नहीं होता चाहे उस समान की क्वालिटी कुछ भी हो, पर मुनाफा अधिक होना चाहिए। लेकिन जापानी एक सुई भी बनाता है तो उसकी नियत होती है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जापान का नाम हो। उसके पीछे जापानियों का राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता छुपी होती है। आज अगर तमाम भारतीयों में मुल्क के लिए प्रेम पैदा किया जा सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकी जिससे शत-प्रतिशत जनता को जागरूक किया जा सके तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें कुछ अधिक ही कामयाबी मिलने की उम्मीद है।

कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि सबसे ईमानदार हमारे मुल्क के किसान तथा मजदूर हैं। पर मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। वह इसलिए कि अगर हमारे मुल्क के किसान, मजदूर जिस दिन ईमानदार हो जायेंगे उसी दिन से देश का चौतरफा विकास शुरू हो जायेगा, जिस दिन से किसान राष्ट्रीय भावना को सामने रख तथा व्यक्तिगत भावनाओं तथा निजी स्वार्थों को त्याग कर कार्य करना प्रारम्भ कर देगा उसी दिन हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कुछ राज्यों में कृषि के क्षेत्र में किसानों ने अपने लक्ष्य को पाया है तथा अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाया तथा कुछ राज्यों में आज भी बेईमान किसान सिर्फ अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लायक कृषि करते हैं। उससे अधिक उत्पादन करने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि उनके सामने निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवा कोई भावना नहीं होती। अगर राष्ट्र की उन्नति की बात सोचें तो शायद निजी जरूरतों से अधिक उत्पादन कर सकते थे।

आज के इस सदन में एक बात यह भी सामने आई कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जो बहुत ही गम्भीर बात है तथा इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है तथा अंकुश लगना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि साबित कैसे होगा कि आपराधिक चरित्र का व्यक्ति कौन है। क्यों पुलिस द्वारा किया गया। मुकदमे को आप मानें या सदन अपने तौर पर जाँच करने की कोई व्यवस्था करेगा। या यह दोनों ही कार्य चुनाव आयोग करेगा। मेरी समझ में पुलिस द्वारा किये मुकदमे को मानियेगा तो वह निहायत गलत कदम होगा। मेरी समझ से तो इस सदन में कोई भी ऐसा सदस्य होगा, जिस पर कोई मुकदमा नहीं हो। तमाम लोग सदन से बाहर हो जायेंगे।

मैं सुन रहा था एक माननीय सदस्य बाबरी मस्जिद पर बोल रहे थे। ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे भी इस मुल्क के विकास में अवरोधक हैं। इसे समाप्त करना चाहिए। मेरा तो सीधा सवाल है कि अगर कोई इतिहासकार यह साबित कर देता है। कभी श्री राम जी का चबूतरा था तो मुसलमानों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे मजहब में यह साफ-साफ लिखा है कि तुम अपने इबादतगाहों को जिस इज्जत व अजमत से देखते हो, उसी इज्जत तथा अजमत का नजरिया दूसरे की इबादतगाहों पर रखो। कई जंगों में तो हमारे खालिका ने हुक्म दिया है। गर तुम जंग में कामयाब भी हो जाओ तो वहाँ के इबादतगाहों को एहतराम के साथ रखो, जैसा उस मजहब के लोग रखते हैं। इस हुक्म के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई श्री राम जी के चबूतरे पर मस्जिद का निर्माण कराता। अगर ऐसा साबित होता है, तो हमारा कोई दावा नहीं है। अगर साबित नहीं होता है, तो हुकूमत को मस्जिद को हमारे सुपुर्द कर देना चाहिए।

अगर इस मुल्क को चौतरफा विकास की दिशा में ले जाना है तो सबसे पहला विषय होगा कि मुल्क में सौ-फीसदी तालीम हो जिसके लिए शिक्षा को सस्ता तथा सुलभ बनाने के लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे विकास में सबसे बड़ा जो बाधक है वह अज्ञानता और समाज में शिक्षा की कमी है जिसे दूर करना चाहिए।

आज हम देखते हैं या अगर समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि देश के अन्य दिशाओं में विकास कर चाहे किसी की बराबरी हमने नहीं की हो पर जनसंख्या के मामले में हमने विश्व रिकार्ड जरूर बनाया है। जिस अनुपात से हमारे मुल्क की जनसंख्या बढ़ी है, शायद ही विश्व के किसी भी देश की जनसंख्या इस अनुपात से नहीं बढ़ी है और हमारे विकास में यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है जो बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन गया है। यह सम्भव हुआ है अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण। इसके रोकथाम तथा अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज जनसंख्या नियंत्रण हेतु अनेक योजनायें चला रहे हैं, पर उसका परिणाम लगभग शून्य बराबर ही निकल पा रहा है। इसका कारण है कि जो योजना शुरू करते हैं शायद वह उतनी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती है। इसे और प्रभावी करना चाहिए तथा करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

आज लोगों ने सस्ती राजनीति तथा सस्ती लोकप्रियता हेतु जाति, मजहब तथा धर्म के नाम पर इन्सानियत को बाँट दिया है। उसे फिर से जोड़ने तथा एक करने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में इस देश का आप विकास चाहते हैं तो तमाम सदस्यों को यह अहद करना होगा कि मज़हबी लड़ाई को छोड़कर देश के विकास में जुटा जाय और देश हमारा देश आकाश की ऊंचाइयों को छूता है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री परसराम मेघवाल

श्री परसराम मेघवाल (जालोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 50 साल हो गये हैं। मैं भारत के काश्तकारों के बारे में कहना चाहता हूं। उद्योगपति अपने उद्योग से बनी वस्तु का मूल्य खुद अपना खर्च प्रोफिट जोड़कर मूल्य खुद तय करके बेचता है, लेकिन भारत का काश्तकार अपने खून-पसीने की मेहनत की कमाई का अनाज का मूल्य खुद तय करके नहीं बेच सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि देश आजाद हुए 50 साल के बाद भी यह सम्भव नहीं हुआ, इसके लिए हम सबको चौकसी की आवश्यकता है।

खेतीहर मजदूरों को सरकार सुनियोजित योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराती है लेकिन उनको समय पर आज दिन तक भुगतान व्यवस्था नहीं है क्योंकि वे अनपढ़ हैं, गरीब हैं। उनको भुगतान कभी-कभी तो दो या तीन महीने से भी अधिक समय हो जाता है तो भी भुगतान नहीं होता है। देश आजाद हुए 50 साल बाद भी इन लोगों के बारे में हम लोगों की कथनी और करनी में इतना अन्तर है, इस अन्तर को कम करना होगा।

जिले लेवल पर कमेटियों में कलैक्टर, अध्यक्ष होते हैं और संसद सदस्य उस कमेटी के सदस्य होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संसद सदस्य का अपमान है, तौहीन है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कलेक्टर की अध्यक्षता में सांसद को सदस्य नहीं बनाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह विशेष सत्र बुलाकर बहुत ही अच्छा किया लेकिन इस सत्र में सभी सदस्य अपना सुझाव बोल कर रखना चाहते हैं क्या आज भी सबको बोलने की आजादी नहीं है। अपने सुझाव रखने का अधिकार के लिए बोलने का अधिकार नहीं जो हम लोगों को लिखित में हमारा सुझाव पटल पर रखना पड़ रहा है।

श्री राजकेशर सिंह

श्री राजकेशर सिंह (जौनपुर): महोदय, आज हम सभी देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके शुभावसर पर देश की सर्वोच्च पंचायत का विशेष सत्र का छठवां दिन है। देशवासियों को गौरवान्वित होने का समय भी है। स्वर्ण जयंती पर आयोजित विशेष सत्र का प्रसारण किया जा रहा है। इन 50 वर्षों में हमने क्या किया, क्या पाया।

महोदय, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी व अन्य वरिष्ठ नेताओं के विचार सुने, सारे देश ने दूरदर्शन के माध्यम से देखा। आज देश प्रेम का भाव खण्डित होता प्रतीत हो रहा है, पचास वर्षों में देश प्रेम के प्रति भावनाएं बदलीं, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद आदि के अनेकों उदाहरण हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद जमीदार सिंह, राम नरेश सिंह, डा. हरगोविन्द सिंह, पं. भगौती दीन तिवारी व राजदेव सिंह तथा बहुत लोग जिनका नाम इस समय मैं नहीं दे पाया, ने अपना आदर्श रखा जिसे जनपद ही नहीं पूरा देश समय-समय पर याद करेगा और करता रहता है।

आज की युवा पीढ़ी में भ्रष्टाचार-घोटाला इत्यादि ही सुन रहा है जिससे उनकी देश प्रेम भक्ति की तरफ ध्यान नहीं जा पा रहा है। प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री व अन्य जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के ऊपर गबन, भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो प्रदेश, देश का प्रत्येक नागरिक कर्ज से बोझिल होगा जिससे देश की उन्नति बाधक होगी।

केन्द्र सरकार द्वारा साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु अनेक योजनाएं घोषित की हैं, परन्तु केवल कागज में खानापूर्ति की जा रही है। शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, परन्तु आज के राजनैतिज्ञ नकल को बढ़ावा देने का प्रलाप किया करते हैं। प्रा. पाठशालाओं की हालत बहुत ही चिन्ताजनक हो गई है।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होते हुए सर्वाधिक बार प्रधान मंत्री दिया, परन्तु विकास दर शून्य ही रही। अनेक दूर-दूर अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। यदि है भी तो डाक्टर वहां रहना पसन्द

नहीं करते हैं जिसके कारण ग्रामीण इलाके के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं।

ग्रामीण युवकों को रोज़ी-रोटी के लिए दूर-दूर भटकना पड़ता है इसके बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेकारी की जटिल समस्या ने नौजवानों को कुंठित कर दिया। माता-पिता ने किसी प्रकार बच्चे को महंगी शिक्षा दिलाई परन्तु रोजी-रोटी न प्राप्त होने से निराश नवयुवक आत्महत्या तक कर डाल रहे हैं।

भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कृषकों को महंगी उर्वरक, मजदूरी, बिजली प्राप्त हो रही है। मेहनत स्वयं कृषक कर रहा है, परन्तु वातानुकूलित कक्षों में बैठकर नौकरशाह नीति निर्धारण कर रहा है जिससे कृषकों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब तक समस्त पहलुओं पर विचार मंथन नहीं किया जायेगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। आत्मनिर्भर होने के लिए शासन स्तर से हमें मदद देनी होगी तथा प्रत्येक अन्तिम व्यक्ति को लाभ देना होगा।

श्री गिरधारी यादव

श्री गिरधारी यादव (बांका): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर विशेष सत्र को बुलाने पर हम आपका आभार प्रकट करते हैं। इस सदन में काफी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं अपना विचार भी लिखित रूप में दे रहा हूँ।

इन पचास वर्षों के शासन काल में शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है लेकिन संविधान की आत्मा में जो बात थी कि चौदह वर्ष तक के सभी भारतीय बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी वह लागू नहीं हो सका जो देश के लिए काफी दुर्भाग्य की बात है।

इस देश में उच्च शिक्षा को समान किया गया और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को असमान रखा गया। आई.आई.टी., मेडिकल, इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालय की शिक्षा को एक समान रखा गया जबकि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को असमान रखा गया है। इस देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए एक समान रहना चाहिए। उच्च शिक्षा जो बच्चे कम्पलीट करें उसी को नामांकन मिले। शिक्षा की जो मूल नीति है उसी को बदलना होगा और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता लानी होगी।

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या की वृद्धि में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का काफी योगदान है। कृषि प्रधान देश होने के कारण अशिक्षित एवं गरीब व्यक्ति यही समझते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतना अधिक काम करने वाला मिल जायेगा। गरीब एवं अशिक्षित जनता को अपने बच्चों को पढ़ाने एवं स्वास्थ्य की भी चिंता कम होती है, अत: वे बच्चे पैदा करते ही रहते हैं। इस देश की बहमवादी व्यवस्था भी जनसंख्या वृद्धि में काफी योगदान करती है। बहमवादी व्यवस्था में इस बात को गरीब एवं अशिक्षित जनता के मन में बैठा दिया गया है कि जब तक पुत्र के द्वारा मुखाग्नि नहीं दी जायेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और वंश नहीं चलेगा। इस प्रकार समाज में लड़का एवं लड़की को समान अधिकार देकर भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। कभी-कभी देखा गया है कि बेटे की आशा में समाज के गरीब एवं अशिक्षित लोग पांच-पांच बेटियों को जन्म दिया करते हैं। इससे भी हमारे देश की जनसंख्या काफी बढ़ रही है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्न कदम उठाये जाने चाहिए। जितने भी चुनाव हों उसमें यह नियम बना देने चाहिए कि जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे वह किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जितने भी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कर्मचारी हों उन पर भी यह नियम बना देना चाहिए कि दो से अधिक बच्चों को पैदा नहीं करें।

इस देश में न्यायपालिका के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहता हूं। आज की न्याय व्यवस्था पुलिस प्रशासन से भी ज्यादा भ्रष्ट हो गयी है। लोवर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेशकार पेशी लेता है और उस पर मजिस्ट्रेट चुपचाप देखता रहता है। ऊपर की अदालतों पर भी न्यायाधीश लोग वकीलों के माध्यम से यह काम करते हैं, हालांकि कुछ ईमानदार न्यायाधीश भी हैं जिन पर इस देश को गर्व है। वकील भी इस समाज के गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। हरेक पेशी पर वकील एक मोटी रकम मुवक्किल से ले लेता है और यदि उक्त तारीख में कोई काम नहीं होता है तो अगली पेशी पर पुन: वकील को उसकी फीस जमा करनी पड़ती है जिससे गरीब एवं अशिक्षित जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

जातिवादी व्यवस्था आज के इस समाज में घुन की तरह लग गयी है जो व्यक्ति जितना ऊंचा पद पर है वह उतना ही जातिवादी है। प्रारंभ के दिनों में जब तक उच्च जाति के लोग जातिवाद करते थे तब तक जातिवाद की चर्चा तक नहीं होती थी लेकिन जब इस देश का पिछड़ा वर्ग जागरूक हो गया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगा तो यही उच्च जाति के लोग जातिवादी होने का आरोप लगाने लगे। मैं तो उच्च जाति के लोगों को कहता हूं कि वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कौन जातिवादी है और फैसला भी स्वयं करें। आज पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जाग चुका है, इसकी शक्ति को अब दबाया नहीं जा सकता है।

इस देश में भ्रष्टाचार कैंसर रोग की तरह है। देश में भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत ही जटिल काम हो गया है। आज भ्रष्टाचार के बिना किसी भी कार्य को कराना असंभव लगता है। पटवारी, कर्मचारी, पंचायत सेवक, प्रखंड विकास पदा, थानेदार इन सभी निचले स्तर के कर्मचारी से जनता का सीधा वास्ता रहता है। यदि इन निचले स्तर के कर्मचारियों को ही ठीक कर दिया जाये तो इस देश की तकरीबन 80 प्रतिशत जनता को राहत मिल जाये। उच्च स्तर पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे इस देश की गरीब एवं अशिक्षित जनता न तो जानती है और न समझ ही सकती है।

इस देश की चुनाव व्यवस्था काफी खर्चीली है। जब तक इस देश में संसदात्मक शासन प्रणाली रहेगी तब तक भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मेरा सुझाव होगा कि प्रेजिडेन्सियल फार्म आफ गवर्नमेंट को इस देश में लागू करना चाहिए। तब इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

न्यायपालिका की नियुक्ति जो अब तक सिर्फ पैरवी के आधार पर हो रही है, एक न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाये और न्यायाधीशों की बहाली न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से की जाये।

श्री मुनिलाल

श्री मुनिलाल (सासाराम): स्वतंत्र भारत की आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर और लोक सभा के नए सदस्य के नाते मैं विभिन्न क्षेत्र में राष्ट्र की दुर्दशा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, इस विशाल देश ''भारत'' को इस समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और 50 वर्षों के बीत जाने के बाद भी कहीं कोई सकारात्मक विकास नजर नहीं आता और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तस्वीर धुंधली नजर आती है। इन समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालने में बहुत समय लगेगा किन्तु मैं उनमें से ऐसी कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा जो राष्ट्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोखला कर रही हैं।

पहली समस्या है भ्रष्टाचार की और दूसरी समस्या है आरक्षण की। ये दो घटक ही समाज में आपसी मतभेद और तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हीं के कारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई समस्याएं पैदा हुई हैं। संपूर्ण राष्ट्र को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना होगा और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जहां तक मैं समझता हूं भ्रष्टाचार उच्च राजनीतिक पदों से शुरू होता है और जब तक हम वहां इसे समाप्त नहीं करते तब तक समाज में जो इसने अपनी जड़े जमा लीं हैं उन्हें कभी काटा नहीं जा सकता। जब तक राजनीतिक प्रणाली में ईमानदारी नहीं आती कोई भी प्रणाली चाहे वह कितनी अच्छी या पवित्र क्यों न हो, स्थापित नहीं की जा सकती। अत: इस सम्माननीय संसद को भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का बहुत बड़ा काम करना है और इसे केवल इसी स्तर पर शुरू किया जा सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कई बार इस बात पर बल दिया है कि उनकी सरकार के कार्य करने का तरीका पारदर्शी होगा। लेकिन महोदय, मुझे आपके समक्ष बहुत खेद से कहना पड़ता है कि कहीं कुछ पारदर्शिता नहीं है और जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है पूरे देश में निराशा, हताशा और असहायपन की सी स्थिति है। अत: संपूर्ण राजनैतिक प्रणाली में संशोधन करने, इसकी पुन:संरचना किये जाने और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस सम्माननीय सदन को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। यदि राजनीतिज्ञ ईमानदार होंगे तो सब जगह भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे कठोर कदम अगर न उठाए गए तो इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार के इस पहलू के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है किन्तु मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उच्च पदों पर आसीन राजनीतिज्ञों पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वे भ्रष्टाचार में लिप्त न हों। अन्यथा, देश की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और देश बरबाद हो जाएगा।

आरक्षण के मसले ने समाज में बहुत तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। इस पहलू का समाधान सावधानीपूर्वक करना होगा। इससे बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आरक्षण का मामला समाज के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है कि हर जाति के लोग, प्रत्येक नागरिक आरक्षण के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और इस कारण देश में उत्तेजक स्थिति पैदा हो गई है और इसके कारण विभिन्न वर्गों में आपसी तनाव पैदा हुआ है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री ने ठीक ही कहा है कि ''कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी होने से उत्पादन में वृद्धि होगी।'' जब तक देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती, देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इस आरक्षण नीति के कारण कुछ राजनीतिक दलों का सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का नारा मिला है। नि:संदेह यह बहुत अच्छा नारा है लेकिन यह नारा अपने आप में गुमराह करने वाला है और यह नारा एक सस्ता नारा बन गया है और इसकी गलत व्याख्या की जा रही है कि इस नारे का देश में कोई महत्व नहीं है और यह हास्यास्पद हो गया है। मैं एक महान राजनीतिक विचारक, श्री सी.एम. कॉड को उद्धृत करना चाहता हूं, उनका कहना है कि समाजवाद एक '**फैल्ट हैट**' की तरह हो गया है जिसका आकार

इसलिए खराब हो गया है क्योंकि सबने उसका उपयोग किया है। इसी तरह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महत्व और उसका सही अर्थ समझे बिना इसे व्यवहार में लाया जा रहा है। इससे जातिवाद आदि जैसी कई बुराइयों को बढ़ावा मिला है। जातिवाद सम्प्रदायवाद से अधिक खतरनाक है और यह देश के तीव्र विकास में रुकावट के लिए भी जिम्मेदार है।

महोदय, भारत का प्रत्येक नागरिक सामाजिक न्याय चाहता है किन्तु चूंकि इसकी गलत व्याख्या की गई है इसलिए इसकी मांग केवल पिछड़े समुदायों के लिए की गई है। किन्तु इसके बजाय इसकी मांग जाति, धर्म की परवाह किए बिना आम जनमानस के लिए की जानी चाहिए। अत: मैं इस सम्माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि देश की सर्वसम्मति के आधार पर कोई अनुकूल नीति अपनाई जानी चाहिए और आरक्षण की समस्या समाप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

तीसरे, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में देश की विकास दर 7 प्रतिशत है जिसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इसमें और वृद्धि होनी चाहिए थी किन्तु दुर्भाग्य से हमारी आर्थिक योजना आयोजना के सिद्धांत के अनुरूप नहीं बनाई जा रही है। आयोजना में तीन तत्वों का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि संपूर्ण देश, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है, की प्रतिक्रिया क्या है? जब तक जनता की प्रतिक्रिया योजना के पक्ष में नहीं होगी, कोई भी आर्थिक योजना सफल नहीं होगी। इसका कार्यान्वयन उतना प्रभावी नहीं होगा। दूसरा सफल आर्थिक योजना के लिए एक स्थिर सरकार का होना अत्यन्त आवश्यक है और तीसरे, इसके लिए एक ईमानदार और कुशल नौकरशाही का होना आवश्यक है जो कि योजना नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। जब तक इन तीनों तत्वों को अपनाया नहीं जाता, आर्थिक आयोजना में इनका समावेश नहीं किया जाता और इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक देश का विकास नहीं होगा और बिना विकास के देश में पूंजी नहीं बढ़ेगी और यदि पूंजी नहीं होगी तो पूंजी निवेश नहीं होगा और यदि पूंजीनिवेश नहीं होगा तो किसी आर्थिक क्षेत्र में विकास नहीं होगा और देश में रोजगार के अवसर नहीं होंगे और यदि रोजगार के अवसर नहीं होंगे तो आरक्षण नीति निरर्थक हो जाएगी और इससे देश के युवकों में भ्रान्ति एवं असंतोष बढ़ने के कारण समाज में तनाव उत्पन्न होगा।

अन्य समस्याओं के अलावा ये समस्याएं देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और यदि भ्रष्टाचार, जातिवाद और बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो देश में तबाही मच जाएगी। अत: मेरा इस सम्माननीय सदन से अनुरोध है कि इन विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाए और आने वाले वर्षों में इन समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि जिस तरह आजादी के बाद 50 वर्ष गंवा दिए हैं, हम और समय न गंवाए।

श्री तसलीमुद्दीन

श्री तसलीमुद्दीन (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर दिया। आज जब देश भ्रष्टाचार में डूबा जा रहा है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का नौकरशाह और फासिस्ट ताकतें मजाक उड़ा रही हैं। इस विशेष सत्र में आपने जो चर्चा रखी है, यह एक अच्छी परम्परा की शुरुआत है। आज भी हमारे सदस्य दल से ऊपर उठकर अपनी भावना व्यक्त करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की चर्चा राज्यों की विधान सभाओं में भी होनी चाहिए और विधान सभा अध्यक्ष इसका अनुसरण करें। अध्यक्ष महोदय देश की आजादी का 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने किसान एवं कृषि वैज्ञानिकों का एहसानमंद हूं क्योंकि पहले हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। आज किसान और मेहनतकशों का फल है कि देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। यह हमारी किसी तरह उपलब्धि है। आज सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे देश पूर्ण आत्मनिर्भर हो जाए।

आज हमारे देश की आबादी का 40-45 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं जिसे सस्ता भोजन, नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों को पौष्टिक आहार, कम से कम एक वक्त की रोटी, रहने के लिए छप्पर की व्यवस्था करना आवश्यक है। अगर कुछ करने की कोशिश भी हुई है तो भ्रष्टाचार ले डूबा है और आजादी से पहले एवं बाद में कोई अन्तर नहीं हो सका है। आज जरूरत है कि जाति व्यवस्था, साम्प्रदायिकता एवं धर्म के नाम पर समाज को जो बांटने का काम करते हैं, यह भी एक कारण है जो गरीबी उन्मूलन में बाधक है। खासकर इस तरह की बुराई का जन्म चुनाव के समय हुआ करता है। इस तरह का हथकण्डा देश को बांटने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था को सुधारने में मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग द्वारा सेम्बूल चुनाव कराने की जरूरत है। जिस पार्टी के सेम्बूल को ज्यादा वोट आवे उन्हें ही सदस्य मनोनीत करने का अधिकार हो। चुनाव आयोग को भ्रष्ट आचरण, अपराधी चरित्र के लोगों को मनोनीत नहीं करने का कानून बनाना चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान स्वत: किसी तरह उपलब्ध हो सकेंगा। आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारी सरकार जो घोषणा करती है वह जमीन पर नहीं उतर पाती

है। इसको जमीन पर उतारने के लिए भी संसद द्वारा एक मानीटरिंग सैल भी बनाने की जरूरत है। आज हमारे देश को भ्रष्टाचार खा रहा है। दूसरी तरफ नौकरशाही अपने दायरे से हटकर राजनेताओं को लज्जित करना चाह रही है। आज ग्रामीण लोग गांव छोड़कर बेबसी, लाचारी और फटेहाली में चलते शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज गांव में गरीबी दूर करने हेतु सामग्री, उद्योग धंधा, बाढ़ बचाव, स्वनियोजन रोजगार की व्यवस्था की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जय प्रकाश जी, लोहिया जी एवं विनोबा जी ने कहा था कि हमारे देश में नदी, पानी, हरियाली, आम, लिची, दूध-दही उपलब्ध होने के बाद भी गांव के लोग भूखे हैं। ऐसा क्यों? जरूरत है संबंधित सामग्री को उन्नत तरीकों से उपलब्ध कराने से हर आदमी को रोजगार मिल सकेगा। इस तरह से हमारा गांव मजबूत होगा और जब गांव मजबूत होगा तो देश स्वत: मजबूत होगा।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि निर्भीक समाज, सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रान्ति लाकर के समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। क्या आज ऐसा हो रहा है? बल्कि आज इसका उल्टा मुट्ठीभर लोग शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद का वातावरण तैयार कर गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बना रहा है। इसी का फल है कि उग्रवादी पैदा हो रहे हैं। पंजाब, कश्मीर, नार्थ ईस्ट जल रहा है। क्या ये जो नौजवान हैं—उसके मलहम पट्टी के बदले गोली से भूनकर दबाने का काम रहा है। यह कभी नहीं दबेगा, जब तक प्यार, मोहब्बत से उनका समाधान नहीं होगा, तब तक समस्या का हल नहीं है और देश को टूटने से कोई बचा नहीं सकता।

श्री विनय कटियार

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर सदन में चल रही चर्चा में भागीदारी करते हुए संक्षेप में सदन और सदन के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम आज न्यायपालिका के द्वारा अनेक जनहितकारी मुकदमों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले दिये गये हैं। परन्तु न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय का लाभ गांव, गरीब और किसान को नहीं मिल पा रहा है बल्कि यूं कहा जाए कि इन फैसलों से गांव व गरीब के सामने बहुत सारी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं।

मैं एक दो उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए टी.एन. गोडावर्मन थिरुमनपाद बनाम भारत सरकार व अन्य की रिट याचिका में दिनांक 12.12.96 को एक आदेश पारित कर पेड़ की कटाई, चारा पत्ती, खनन, ईंधन लेने आदि सब पर रोक लगा दी गई।

इस फैसले से कानून की रक्षा की बात तो हुई लेकिन देश के करोड़ों गरीब मजदूर और किसानों की रोजमर्रा की जिन्दगी बहुत कष्टमय हो गयी है।

इसी तरह पर्यावरणविदों की अनेक याचिकाओं के फैसलों से भी ग्रामीण व मजदूरों का जनजीवन घोर कष्टमय हो गया है। जैसे उदाहरणस्वरूप दिल्ली से कारखानों को अन्यत्र हटाने के आदेश से गरीब मजदूर परिवार भूखों मर रहे हैं। इसी तरह ईंट भट्टा की चिमनियों की ऊंचाई निर्धारित करने से भट्टे नहीं चल पा रहे और गांव में रोजगार के साथ-साथ बड़े पूंजीपतियों को लाभ हुआ है।

संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लिखित करके यह आशा की होगी कि भारत की भावी सरकारें उन्हें लागू करेंगी, परन्तु दुख का विषय है कि अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता का कानून बनाना तो दूर की बात है सरकार अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति को सामने रखकर इस मामले में चर्चा तक करवाने से कतराती है। नतीजा हम सबके सामने जनसंख्या की समुदाय व वर्ग अनुसार असमान रूप से बढ़ते हुए प्रतिशत के रूप में है।

देश में पिछले पचास वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में निरंतर वृद्धि होती रही है और आर्थिक घोटाला आज एक आम घटना हो गयी है जैसे मुंदडा कांड, जीप कांड, बोफोर्स कांड, चीनी घोटाला, चारा घोटाला, टेलीफोन घोटाला, यूरिया घोटाला, इंडियन बैंक घोटाला, हवाला कांड, सांसद रिश्वत कांड वगैरह एक लम्बी शृंखला हमारे सामने है।

देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देशवासी गीत गाते थे कि

"आओ प्यारे वीरो आओ,
देश-धर्म पर बलि-बलि जाओ"

लेकिन आज क्या हो रहा है, देश को तो स्वतंत्रता मिली लेकिन धर्म पराधीन ही रह गया।

आज गौमाता का रक्त धरती पर बह रहा है, कृष्ण का माखन मथुरा में कैद है, भूतभावन शंकर का मंदिर काशी में अपमानित है। करोड़ों रामभक्त अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाने से वंचित हैं।

हमारे धार्मिक कृत्यों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जातिवाद का जहर अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए समाज में फैलाया जा रहा है।

जैसे श्री राम ने अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्गों को एकरूप समरस किया वह हमारे सामने है कि निषाद राज, हनुमान, जटायू, गिद्धराज, नल-नील, अंगद, सुग्रीव, शबरीमाता, महर्षि बाल्मीकि, वेदव्यास जैसे तमाम वर्ग एकसूत्र में बंध कर आदर्श रामराज्य की स्थापना में सहायक रहे। इसी राम राज्य की कल्पना पूज्य महात्मा गांधी जी ने की थी। आज उसके खंडित होने का क्या कारण है?

मैं अपने विचारों को विराम देते हुए यह मांग करता हूं कि देश में गांव, गरीब, किसान की खुशहाली के लिए संगत नियम कानून बनाये जायें और सबको न्याय मिले तुष्टीकरण किसी का न हो। देश में एक जन-एक कानून का भाव जगे। इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छीतुभाई गामीत

श्री छीतुभाई गामीत (माण्डवी): आदरणीय अध्यक्ष जी, लोक सभा के खास अधिवेशन में अभी तक बहुत से विषयों पर चर्चा हो चुकी है, मैं इन विषयों को दोहराना नहीं चाहता।

लोक सभा के खास अधिवेशन में इतने दिनों में जो बहस हुई है, इसमें समाज के पिछड़े लोगों अनुसूचित जनजाति के बारे में बहुत कम बातें की गई हैं, मैं आदिवासी समाज से आता हूं और आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मैं इसके बारे में ही कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हम देश में आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। आजादी के 50 वर्ष में देश में बहुत कुछ विकास हुआ है और आने वाले दिनों में भी विकास होगा। अनुसूचित जनजातियों के बारे में अभी तक बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है और होने वाला है। फिर भी हमारे देश में आदिवासियों की दयनीय स्थिति है उसको स्वीकारना होगा। देश आजाद होने के 50 साल बीतने के बाद भी आज भी हमारे देश का आदिवासी भूखा, नंगा कंदमूल खाकर जंगल में भटक रहा है और गरीबी और बेकारी का शिकार बना हुआ है। हमारे देश में आदिवासियों की कुल आबादी 7 प्रतिशत है। अभी तक आदिवासी समाज देश के दूसरे समाजों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा नहीं है या देश के दूसरे समाज के लोगों का जो विकास हुआ है उसकी तुलना में उनका विकास बहुत कम रहा है।

आदिवासी मेहनतकश शक्तिशाली हैं, लेकिन उनको विकास करने के लिए काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को रोजगार जुटाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत कम सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो आदिवासी समाज के विकास के लिए अपर्याप्त हैं। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए न्यूनतम जरूरी सुविधाएं बहुत कम हैं।

आदिवासी गांव में स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा आज तक पूरी नहीं की गई है। हमारे आदिवासी बहनों को दो-तीन कि.मी. से पानी भरकर लाना पड़ता है और जो पानी उपलब्ध है वह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा भी आज अपर्याप्त है। आदिवासी क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां स्कूल हैं तो स्कूल का मकान नहीं है और स्कूल का मकान है तो छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है इसीलिए आदिवासियों में शिक्षा का प्रमाण राष्ट्रीय प्रमाण से बहुत कम है और आदिवासी महिलाओं में शिक्षा का प्रमाण बहुत कम है।

सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए सात प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है और राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों की रिपोर्ट देखने से पता चलेगा कि वर्ग क, ख, ग, घ पर बहुत कम लोगों को नौकरी दी गई है। वर्ग "क" और "ख" में आजादी के 50 वर्ष बीतने के बाद सिर्फ 2 से 3 प्रतिशत लोगों को ही नौकरी मिली है। सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए आरक्षण का कोटा भरा नहीं गया, यह दुर्भाग्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाती हैं जिनका बहुत बुरा असर आदिवासियों के जीवन पर पड़ता है। इससे आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक और कौटुम्बिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इन प्रभावित लोगों को अपना जीवन निभाने के लिए काम की तलाश में भटकना पड़ता है और उन्हें खुले आकाश के नीचे वर्षा, गर्मी और सर्दी के दिनों में पेड़ के नीचे सड़क पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते जिसके कारण इन लोगों के बच्चे सिर्फ मजदूर ही बन पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां-जहां भारत सरकार और राज्य सरकारों का उपक्रमों में जो भी योजनाएं बनती हैं और इनका आदिवासियों पर प्रभाव पड़ता है, इन आदिवासियों को पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए तमाम सुविधाऐं और रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उनके विकास के लिए कई सुझाव देना चाहता हूं:

आदिवासी सब-प्लान में आदिवासियों के विकास के लिए पूरी धनराशि और रोजगार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए लघु उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योग के चौकस कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।

राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों और सभी सरकारी उपक्रमों में आदिवासियों के जो रिक्त स्थान हैं, वे जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिये जाने चाहिए।

आदिवासियों की शिक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार को ही लेनी चाहिए और इन क्षेत्रों में निवासी केन्द्रीय स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए कालेजों, तकनीकी विद्यालय आदि भारत सरकार की तरफ से ही चलाये जाने चाहिए।

हरेक आदिवासी गांव में प्राथमिक शिक्षा के लिए भवन की पूरी सुविधा होनी चाहिए और अध्यापक भी पूरी संख्या में उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

आदिवासियों की कृषि के विकास के लिए जहां पानी की उपलब्धता है वहां लघु सिंचाई योजना और उद्वहन सिंचाई योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जानी चाहिए और आदिवासियों को कम दर पर कृषि के लिए पानी दिया जाये।

आदिवासियों की कृषि से जो अनाज उत्पादन होता है, वह अनाज मंडियों में से सरकार द्वारा खरीद किया जाए जिससे निजी व्यापारियों द्वारा उनका शोषण न हो।

आदिवासी किसानों की कृषि से जो अनाज उत्पन्न होता है, उसे संग्रह करने के लिए सरकारी भंडारों का निर्माण कराया जाए जिससे आदिवासी किसान समय-समय पर अपना कृषि उत्पादन उचित मूल्य पर बेच सकें।

आदिवासियों को पशुपालन और मुर्गीपालन के लिए सहकारी समितियां बनाकर उनको गाय, भैंस और मुर्गीपालन के लिए कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा कृषि के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाए।

इन्दिरा आवास योजना के तहत गरीब आदिवासियों को मकान बनाने के लिए जरूरी तमाम धनराशि का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

जंगल आधारित उत्पादन जैसे तेन्दूपत्ता आदि आदिवासियों द्वारा ही इकट्ठा किया जाए और इसको सरकार द्वारा उचित दाम पर खरीद लिया जाए।

आदिवासी हरेक गांव में सड़क का निर्माण किया जाए।

आदिवासी क्षेत्रों के हरेक गांव में स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक अरोग्य केन्द्र और सरकारी अस्पताल खोले जायें और सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए डाक्टरों सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

हरेक आदिवासी गांव में सरकार द्वारा बिजली की सुविधा दी जाए।

अन्त में अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा भारत सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश के अन्य समाज के लोगों की तरह राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी समाज आगे बढ़े, इसलिए उनके विकास के लिए समय मर्यादित ठोस कदम उठाने की कृपा करें।

श्री वी. धनन्जय कुमार

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने देश की स्वातंत्रयोत्तर पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूं। अपने महान देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भाग लेते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर अपने देश की उपलब्धियों और साथ ही खामियों पर चर्चा करने के लिए लोक सभा का एक विशेष सत्र बुलाने का आपका निर्णय बहुत ही उपयुक्त और सराहनीय है। इस सत्र में हमें आत्म निरीक्षण करने और भविष्य के लिए मार्गदर्शक तत्वों का विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी मातृभूमि ''भारत'' का मानव जीवन संबंधी एक इतिहास है जो पांच हजार वर्षों से भी अधिक पुरातन है। ईश्वर ने प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ, भूमि, पानी, खनिज, जंगलों और वनस्पतियों तथा मानव संसाधनों सहित प्रचुर सम्पदा प्रदान की है। वास्तव में मानव शक्ति तो हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जिन विशाल समस्याओं का सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है उसका मूल कारण इस सम्पदा का दुरुपयोग किया जाना है।

एक प्रसिद्ध उक्ति है कि धन गया तो सोचो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ खोया और यदि चरित्र ही खो गया तो समझो सब कुछ खो गया। हम अपनी मानवीय शक्ति के साथ अपने राष्ट्र के चरित्र का तादात्मय स्थापित करने में असफल रहे हैं। मानवीय चरित्र का निर्माण हमारा प्रमुख कार्य है। समुचित और सार्थक शिक्षा, कोरे भाषण न देकर व्यावहारिक रूप से आदर्श स्थापित करने और अपने प्राचीन इतिहास एवं पुरातन संस्कृति से प्रेरणा लेने से ही हम आगे अपना चरित्र निर्माण कर पाएंगे।

भगवान महावीर ने मानव जाति के अच्छे जीवन, प्रेम, शांति और शाश्वत आनन्द के लिए पंचसूत्रों का प्रचार किया था। वे पांच सूत्र इस प्रकार हैं—सत्य, अहिंसा, ब्रम्हचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अहिंसा का सिद्धान्त सभी चर अचर प्राणियों के लिए स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सहजीवन की परिकल्पना करता है और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देता है। ब्रम्हचर्य

एक अर्थपूर्ण संयमित पारिवारिक जीवन की प्रेरणा देता है जो कि जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। अपरिग्रह सादा जीवन और धन सम्पत्ति के समान वितरण पर बल देता है।

पुरुषार्थ सूक्त की प्राचीन शिक्षाएं अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी प्रकार की हैं। हमें इन उत्तम आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। इनका पालन करना चाहिए और इन्हें यथार्थ में परिणत करना चाहिए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आज जितनी भी समस्याएं पैदा हुई हैं वे सब इन उपायों द्वारा बड़ी आसानी से सुलझायी जा सकती हैं।

आधुनिक युग में महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने "एकात्म मानववाद" अर्थात अखंड मानवतावाद के आदर्श का प्रतिपादन किया था। हर मनुष्य में अन्तर्निहित सामर्थ्य या योग्यता होती है किंतु उन्हें उभारने के लिए उचित अवसर नहीं मिल पाता। बुराइयों को दूर करने और समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रत्येक मनुष्य के बारे में गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में अखंड मानवतावाद का आदर्श एक स्वस्थ, गतिशील तथा समृद्ध समाज की स्थापना के लिए पद प्रदर्शक का कार्य करता है।

यदि हम इन श्रेष्ठ आदर्शों का अनुकरण और पालन करने का उदाहरण पेश करते हैं तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति हमारी यह महान सेवा होगी। मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि हम इस पथ पर अग्रसर होते हैं तो हमारी प्रिय मातृभूमि को विश्व में देदीप्यमान सर्वोच्च गौरव अर्थात 'परम वैभव' की प्राप्ति होगी।

श्रीमती भगवती देवी

श्रीमती भगवती देवी (गया): मान्यवर, मैं भारत देश में गरीबों की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहना चाहती हूं कि मेरा देश एक महान देश है, परन्तु देशवासियों को उपयुक्त व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। क्योंकि वर्तमान सरकार तथा आज से पूर्व की सरकारों को कभी गरीबों के लिए चिन्ता नहीं सताई है।

ज्ञात हो हमारे देश में एक तरफ अमीरी की आसमान है तो दूसरी तरफ गरीबी की पाताल है। जिसे सन्तुलित करना जनहित में नितान्त आवश्यक है। यहाँ पर यह कहना उचित प्रतीत होता है कि देश के करोड़ों गरीब लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के रोजगार से अपना जीवन पालन करते हैं उसे भी सरकार उनकी मेहनत की कमाई को देखकर बन्द करने का आदेश दे देते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि बहेलिया लोग पक्षी को अपने घर में पालकर अपने बच्चों की तरह रखते हैं फिर उसे बेचकर अपना जीवन पालन करते हैं परन्तु उस पर भी पूरी तरह पाबन्दी लगा दी गई है।

देश में करोड़ों जनता मछली पकड़कर जीवन पालन करते हैं। पत्थर तोड़कर जीवन पालते हैं। बन्धुआ मजदूरी करके तथा मेहनतकश मजदूर लोग अपना पूरा जीवन इसी तरह बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी ऐसे लोगों के पास न दोनों समय का भोजन मिलता है और न ही कोई रहने की झोपड़ी है। यह कैसा न्याय है। इन्हें इन्साफ कब मिलेगा।

आज आजादी की 50वीं वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जा रही है परन्तु सही आजादी तभी सम्भव है जब उक्त गरीबों को ज्यादा मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्कस में जानवरों को रखे जाने पर रोक लगा दी गई है जहां कि सर्कस में लगभग लाखों परिवार जीवन पालन करते हैं। सर्कस के माध्यम से ग्राम-कस्बा के रहने वाले लोग जंगली जानवर को देखते हैं। अन्यथा उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सर्कस एक ऐसा मनोरंजन का साधन है जिसमें अपनी-2 कलाओं को दर्शाकर लोगों का मन बहलाया जाता है। जबकि हाई कोर्ट दिल्ली द्वारा इनके पक्ष में निर्देश दिया गया है।

मेरा देश कृषि प्रधान देश है जहाँ पर 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। परन्तु गरीब किसान भाईयों को बाजार में या सरकार की तरफ से उचित दर पर खरीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि किसानों को हमेशा सट कर सामना करना पड़ता है क्योंकि सुस्वाड़ होती है तो कभी दहाड़ होती है तो कभी ओलावृष्टि होती है जिससे किसान पूरी तरह पिट जाते हैं। देश में आज तक पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, सिंचाई का साधन, चिकित्सा जैसे प्राथमिक व्यवस्था भी मुहैया नहीं कराई गई है। वहीं पर कमर तोड़ महंगाई का आलम है। उपरोक्त परिस्थिति में गरीबों की क्या दशा हो रही है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। देश में आज एक ओर जहां अमीर लोग अपनी विलासिता संबंधी आवश्यकता पर व्यय करते हैं वही पर गरीब को भोजन नहीं मिलता। इसमें समानता लाना नितान्त आवश्यक है। तभी देश का विकास सम्भव है अन्यथा एक मजाक बनकर रह जाएगा।

बहेलिया और मीर शिकार समाज के लोग लगातार 25.2.97 से अपने रोजगार को खुलवाने के लिए जन्तर मन्तर नई दिल्ली पर अपने पूरे समाज के साथ धरना दिये बैठे हुए हैं। कई बार हमें बहेलिया और मीर शिकार समाज के लोगों को कुछ रोजगार खोलने का आश्वासन सरकार ने दिलाया था लेकिन अब तक इस समाज के लोगों की बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों है।

बल्कि बहेलिया और मीर शिकार समाज के लोगों की गलत तस्वीर दिखाने के लिए और मीडिया को गुमराह करने के लिए इस रोजगार विरोधी गिरोह ने वाईल्ड लाइफ विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 14-15 और 16 अगस्त 97 को बर्डस डीलरों के यहाँ जो कि पूरी दिल्ली में है घरों पर जाकर छापों के जरिये उनके बड़े बड़े पिंजरों के अन्दर से पक्षी जब्त करके अपने और डीलरों के छोटे पिंजरों के अन्दर

पक्षियों को बुरी रह ठूस कर जमा किया ताकि पर्यावरण मंत्री के सामने दिनांक 17.8.97 को गलत तस्वीर के साथ पेश करके पक्षियों को आजाद कर दिया गया।

उन पक्षियों की संख्या लगभग 1200 थी जो केवल 11 छोटे पिंजरों में रखा गया था जबकि एस.पी.सी.ए. विभाग के कानून के अनुसार 12'' × 12'' × 12'' के एक पिंजरे में केवल एक ही छोटी चिड़िया रखी जा सकती है। इस तरह 1200 चिड़ियों के साथ हुई कुरवाल्टि का कौन जिम्मेदार है।

जबकि बर्डस डीलरों के ऊपर इसी कानून के तहत एक ही आदमी पर एक ही समय में 215, 178 और 60 मुकदमे लगाये गये।

हम मांग करते हैं कि लाखों बहेलिया और मीर शिकार समाज के लोगों का पुश्तैनी रोजगार कन्ट्रोल के अन्दर फोरन खोला जाये। क्योंकि इन पक्षियों जैसे तोता, मैना, मुनिया, घुरसल आदि को सिर्फ अच्छी तरह पालते है और ब्रीड करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं।

अगर सरकार इनके पुश्तैनी रोजगार को नहीं खोलना चाहती है तो इन लाखों लोगों को जीविका चलाने का कोई दूसरा मजबूत प्रबन्ध करे और जब तक बहेलिया समाज के लोगों के रोजगार का सरकार कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं करती तब तक इनके विरुद्ध हर कार्यवाही को रोका जाये।

कर्नल सोनाराम चौधरी

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपना लिखित भाषण देने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यद्यपि मैं सभा में बोलने के लिए बहुत उत्सुक था किन्तु समयाभाव के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाया।

हाल ही में विशेषाधिकार समिति के अध्ययन दल ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों, अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में संसद सदस्यों को एक प्रश्नमाला भेजी है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: 12 लाख से 15 लाख तक की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार होते हैं। विशेषाधिकारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए।

(क) विशेषाधिकार

(एक) संसद सदस्यों के आवासों पर छापे या उनकी जांच पड़ताल सक्षम प्राधिकारी (भारत का राष्ट्रपति/लोक सभा अध्यक्ष) की अनुमति मिलने के पश्चात ही, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में किया जाता है, की जानी चाहिए।

(दो) सरकारी कर्मचारी/अधिकारी संसद सदस्यों के पत्र और पत्राचार को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। इसका कड़ाई के साथ पालन करवाने के लिए सरकारी तन्त्र को ठीक किया जाना चाहिए।

(तीन) केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में संसद सदस्यों की कोई भूमिका नहीं है। सरकारी अफसर एकजुट हो जाते हैं और अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। इस संबंध में भी कठोर दिशा-निर्देशों अथवा कानून लागू किया जाना चाहिए।

(ख) कर्तव्य

(एक) संसद सदस्य संसद भवन और समिति की बैठकों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(दो) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाये? कानून में तदनुसार संशोधन किया जाये।

(तीन) निर्वाचित घोषित किये जाने के साथ ही संसद सदस्य को अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर देनी चाहिए। तत्पश्चात् संसद सदस्य आयकर विवरण प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय, किसी तन्त्र या देश का शासन और प्रशासन सर्वोपरि है। हमारे यहां भारतीय सिविल सेवा की उत्तराधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में औपनिवेशिक अफसरशाही हमें विरासत में मिली। हमारे यहां ब्रिटेन वाली परम्परा को अपनाया गया है। कई परिवर्तन हो गये हैं किन्तु अफसरशाही की स्थिति बद से बदतर हुई है। विभिन्न सरकारों द्वारा निम्नलिखित सुधार समितियों/आयोगों का गठन किया गया। इन प्रतिवेदनों में प्रमुख रूप से अफसरशाही को सुचारु बनाने और उसका रुझान बदलने पर बल दिया गया है। लेकिन अफसरशाही इतनी शक्तिशाली प्रभाव और निहित स्वार्थ से पूर्ण है कि सभी प्रतिवेदन निष्फल सिद्ध हुए:

(एक) गोइवाल प्रतिवेदन–1951

(दो) एपिलबी प्रतिवेदन–1953

(तीन) प्रशासनिक आयोग–1966-70

(चार) सरकारिया आयोग प्रतिवेदन–1983

मैं 27 वर्षों की सेवा के दौरान अफसरशाही सम्पर्क में रहा हूं। यह सेवा आत्मकेन्द्रित है और अन्य सेवाओं का सम्मान नहीं करती है। राजनेताओं के प्रति भी उनके मन में घृणा है। उनमें से बहुत से नौकरशाह संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं।

अधिकांश अफसरशाहों में सामाजिक उत्तरदायित्वों की कमी है। वे गरीब लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। अफसरशाही अभी भी स्थानीय निकायों को शक्तियों के हस्तान्तरण का विरोध करती है। दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिज्ञ भी इन अफसरों से मिले हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बारे में आपने जो पुस्तिका जारी की है जिसके पृष्ठ सं. 18 पर अफसरशाही के राजनीतिकरण का उल्लेख किया गया है। यह सच है और राजनीतिज्ञों और अफसरशाहों के बीच नापाक गठबंधन को रोकने के लिए कठोर उपाय किये जाने चाहिए। अधिकांश तकनीकी संस्थान और संगठन तकनीकीविदों के विशेषाधिकार में आते हैं लेकिन उनका संचालन अफसरशाहों द्वारा किया जाता है। देश को और अधिक हानि न हो इसके लिए इस प्रथा पर तुरन्त रोक लगायी जानी चाहिए।

हमने भ्रष्टाचार पर विस्तार से चर्चा की। कुल मिलाकर राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट बताया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने भी अफसरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख नहीं किया। सेवारत और सेवानिवृत्त अफसरशाहों के अपने आवासों और अन्य चल/अचल संपत्ति और उनके बच्चों की शिक्षा के संबंध में एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

यहां प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता लाने की बातें हो रही हैं। यह विद्यमान अफसरशाही के कारण है। इसलिए कुछ प्रणालियों को प्रभावी बनाया जाये। अफसरशाहों ने पांचवें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने अपनी सर्वोच्चता इस प्रकार दर्शाई है मानो कि अन्य सेवाएं उनके अधीन हैं। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। यह पहला अवसर है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को छोड़कर किसी भी सेवा के अधिकारी पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से खुश नहीं है। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के स्तर को कम किया है। यदि इसे ठीक न किया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

अफसरशाहों की भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया और वेतन-भत्ते अन्य सेवाओं की तुलना में बहुत अधिक हैं। सचिव स्तर के अतिरिक्त और कोई अधिक्रमण नहीं होता है उस स्तर पर भी वित्तीय लाभों से उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। सशस्त्र सेनाओं और अन्य सेवाओं में निचले स्तर पर 50 प्रतिशत अधिकारियों को प्रोन्नति का अवसर आने पर छोड़ दिया जाता है।

मैं कुछ ऐसी सिफारिशें करना चाहता हूं ताकि देश भविष्य में शासन और प्रशासन की रुग्णता से प्रभावित न हो। ये नीचे दी गई हैं:

(क) केन्द्र और राज्य स्तर पर अफसरशाही में सुधार और इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ख) अफसरशाहों की भर्ती प्रणाली को पूर्णतया बदल देना चाहिए और अन्य विकसित देशों से उदाहरण लेकर उसे एक नया रूप दिया जाना चाहिए।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सीधी भर्ती और नवयुवकों को सीधे जिले का प्रमुख बनाना ठीक नहीं है। जिलाधिकारी और कलेक्टरों को अन्य स्थानों में की गई सेवाओं का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(घ) कुछ विभागों को उदारीकरण के साथ बन्द कर देना चाहिए और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के अधिकारियों की भर्ती में भारी कटौती की जानी चाहिए।

(ङ) कुछ प्रशासनिक निकायों को पंचायती राज संस्थानों, सहकारी संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को हस्तान्तरित कर देना चाहिए। इस प्रकार अफसरशाही की संख्या में और कटौती की जा सकेगी।

(च) कार्मिक मंत्रालय को बिना किसी विलम्ब के इस संबंध में चर्चा और विचार-विमर्श शुरू कर देना चाहिए। मैं इस बात की भी सिफारिश करता हूँ कि उच्चाधिकार प्राप्त अफसरशाही सुधार आयोग का गठन किया जाना चाहिए जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अन्त में कही जाने वाली बात जिसका महत्व कम नहीं है इसे जोरदार ढंग से कहता हूं कि यदि अफसरशाही में अपने अनुकूल, सुधार और पुनर्गठन नहीं किया गया तो दूसरा स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं होगा।

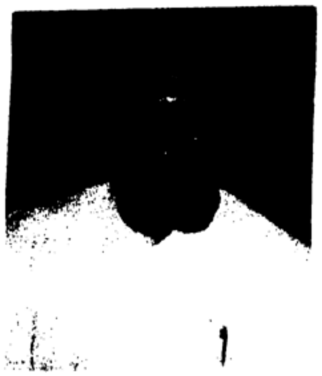

श्री नामदेव दिवाथे

श्री नामदेव दिवाथे (चिमूर): महोदय, आपने मुझे अपना भाषण टेबल पर रखने के लिए अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

किसान: भारत के किसानों को उनको, उन्होंने पैदा किया हुआ अनाज का वास्तविक भाव नहीं मिलता, दीगर उद्योग के बारे में विचार किया जाये तो किसान को उत्पादन खर्च के आधार पर कृषि मूल्य आयोग का गठन कर खेती व्यवसाय का दर्जा देकर खेती से उपजे माल की कीमत निश्चित करें। इससे किसान को और खेती पर काम करने वाले खेत मजदूर को उनके मेहनत के आधार पर मजदूरी मुआवजा मिलेगा। किसान और खेती पर काम करने वाला मजदूर की हालत बाकी लोगों की तुलना में बहुत ही खस्ता हालत है। वह कर्जों में डूबा हुआ है। पानी का कर्जा, सोसायटी का कर्जा, बिजली का कर्जा, निजी कर्जा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस निमित से मेरा सुझाव है कि एक बार किसान और खेत मजदूरों का सोसायटी का, बिजली का, पानी का कर्जा माफ करके उनको कर्जमुक्त किया जाए। चाहे वह मारक हो या सामान्य या बड़ा किसान हो।

बेरोजगारी: सुशिक्षित बेरोजगारी की समस्या अपने देश में बहुत ही भयावह होती जा रही है। इसलिए कम ब्याज से और शासन ने खुद जमानत देकर बैंक से उनको कर्जा देकर कर्ज मुक्त कर व्यवसाय होने के बाद वह व्यवसाय उनके हवाले करना चाहिए, तभी सुशिक्षित बेरोजगारी की समस्या मिट सकती है। सुशिक्षित बेरोजगार बैंक वालों से बहुत ही परेशान हैं। इसलिए सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए एक अलग आयोग या सेल गठित करके उनकी समस्या समझनी चाहिए।

कुटीर उद्योग: अपने देश में उदारीकरण नीति का बहुत बड़ा असर हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेषत: बुनकर लोगों की बस्ती की बस्ती उजड़ गई है। आज वह भूखे मर रहे हैं। रहने के लिए मकान नहीं, कर्ज से डूबा हुआ बुनकर मारा मारा, दर दर घूम रहा है। उसको

कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। इसलिए बुनकर हो या बहुराष्ट्रीय उदारीकरण से जो भी प्रभावित व्यवसाय चाहे वह कुम्हार, चमार, सुनार, धोबी या कोई भी व्यवसायी हो उनको ब्याज के बिना ब्याजी कर्जा देकर उनका व्यवसाय फिर चालू हो ऐसी व्यवस्था करके उनको भुखमरी से बचाना चाहिए।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदय, यह भारत के उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में केप केमोरिन तक एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। इससे तो भारत की केवल प्राकृतिक रचना अथवा बाह्य रूप का पता चलता है, जैसाकि कालिदास द्वारा अपने ''कुमारसम्भव'' में इसका सुन्दरता से वर्णन किया है:

''अस्त्युत्तरस्याम्
दिशि देवतारमा
हिमालयो नाम
नगाधिराजः
पूर्वापरो तोयः
निधिवगाह्य
स्थितः पृथिव्याम्
तव मानदण्ड''

भारत मात्र एक रचना का ही नहीं अपितु भावना का भी द्योतक है। शताब्दियों से वह भावना, विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता, सहनशीलता, स्वस्तिवाचन, प्यार और अनुकंपा का दृष्टान्त रही है। इस धरती की विपुल सम्पत्ति और समृद्धि के कारण हूण, शक, पठान और मुगल जैसे हमलावर यहां आये। कालिदास ने भारत की प्राकृतिक छठा को सबसे सुन्दर बताते हुए इसे धरती का स्वर्ण बताया है:

दूरादधश्रचक्रं नभस्य तन्वी
तमालताली वनराजि नीला
आभाति वेला लवणाम्बुराशिः
धारा निवर्दूवकलङ्करेखा

उन्होंने अति मनोरम धरती पर विजय पाने की कोशिश की परन्तु उसमें वे सफल नहीं रहे। भारत की आत्मा एक बनी रही और आज तक भी वह स्वतंत्र, निर्भीक और अविजित है। पृथ्वी की कोई भी शक्ति चाहे भले ही वह कितनी भी शक्तिशाली और आक्रमक क्यों न रहा हो, इसे जीत न पाये और सभी भारत की प्रकृति और आत्मा में समा गए। भारत की आत्मा ने हमलावर, आक्रमणकारी, लुटेरों को उसी रूप में अपना लिया जैसा कि उसने अपने लोगों को अपनाया है। उन हमलावरों के विरुद्ध, जिन्होंने भारत को अपवित्र और तबाह किया किन्तु वे इसकी अन्तरात्मा को बर्बाद करने में सफल नहीं रहे। इस धरती ने कोई वैमनस्य या दुर्भावना कभी नहीं रखी। इसी को देखते हुए टैगोर ने ''भारत तीर्थ'' में अपनी गतिमयी भाषा में अति सुन्दरता से वर्णन करते हुए कहा है:

''एराइज एण्ड अवेक
ओ माई कान्शसनेस
औन दिस सेकरेड लैण्ड,
औन दी वैल ऑफ दिस ग्रेट सी ऑफ ह्यूमेनिटी
दैट इज इंडिया
नोबौडी नोज
एट हूज बीहेस्ट
हाऊ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ मैन एण्ड वूमन
केम हियर लाईक गशिंग स्ट्रीम्स
हाऊ मेनी ऑफ देम इमर्सड देमसेल्व्स
इन दिस ओशन
इन टू दिस लैण्ड
केम दी आर्यन्स, दी नॉन-आर्यन्स
दी ड्रविडियन्स एण्ड चाइनीज
दी हून्स, दी शाकास, दी पठानस् एण्ड मुगलस्
एण्ड लौस्ट देयर आईडेंटिटी इन वन
दे केम थ्रू माउन्टेन पासेस
थ्रू डेजर्टस
दे केम सिंगिग देयर ग्लोरि
प्राउड एण्ड बॉइस्टरॅस
फाइनली दे सबमर्जड अमिडस्ट अस
देयर साऊंड एण्ड फ्यूरी
गौट मर्जड विद अवर इंसेशियल बींग''

15 अगस्त, 1947 को क्या हुआ था? अलौकिक या उपरी तौर पर यह जान पड़ता है कि भारत ने विदेशी उपनिवेशवाद के चंगुल, दो सौ वर्षों के पराभव, अत्याचार और जुल्म, से अपने आप को स्वतंत्र किया। लेकिन वास्तव में भारत कभी भी पराभव का शिकार नहीं हुआ, भारतीय आत्मा को कभी भी किसी के द्वारा बंदी नहीं बनाया जा सका, इस पर विजय पाना तो बहुत दूर की बात है। भारत इस धरती की सबसे पुरानी सभ्यता के भी पहले से ही स्वतंत्र है। 15 अगस्त, 1947 को जो भी हुआ वह मात्र भारत के भौतिक ढांचे की स्वतंत्रता थी, उसकी आत्मा की स्वतंत्रता नहीं। वह तो पूर्ण की भाँति ही विजयी, निर्भीक और अजेय हैं।

अतः भारतीय राष्ट्रीयता की तुलना 1947 से अब तक पचास वर्ष गुजरने से नहीं की जा सकती है। राष्ट्र का अस्तित्व, अपने आध्यात्मिक ख्याति और अपनी विजयी भावना की निर्भीकता और ख्याति तथा श्रेष्ठता के साथ सदियों से विद्यमान रहा है।

फिर भी, दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर इस अवसर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 15 अगस्त, 1997 हमें असंख्य पुरुषों, महिलाओं, बालकों, जिन्होंने अपना सब कुछ-अपनी शिक्षा, अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मानव भावना की स्वतंत्रता और सर्वोच्वता को बनाए रखने के लिए लुटा दिया, के साहसिक संघर्ष और बलिदान उनकी पीड़ा और उन पर हुए अत्याचार की गाथा की याद दिलाता है। इसी घटनाक्रम में वे शहीद हो गए। उन्होंने इतिहास में एक अनूठा स्थान बनाया। कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उनका स्मरण करते समय और उनके खून-पसीने संघर्ष और अश्रुओं की कथा को स्मरण करते समय, जब मैं वक्कम अब्दुल कादर, केरल के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जो कि स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करते हुए शहीद हुये थे (उन्हें 23 वर्ष की छोटी आयु में साम्राज्यवादियों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था) के नाम का स्मरण करता हूं और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपने हृदय के अन्तःस्थल से अर्पित करता हूं तो मेरे हृदय के साथ-साथ युवा पीढ़ी का मस्तक न केवल गर्व से ऊंचा हो जाता है बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत हो जाता है। उनकी स्मृति उन्हें कर्म संयुक्त और रचनात्मक कर्म की ओर प्रेरित करते हैं और यदि इस महान राष्ट्र को अपनी एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता को बनाए रखना है तो किसी भी बलिदान को स्वतंत्रता की कीमत से ज्यादा नहीं आंका जाना चाहिए। सतत निगरानी, जिसका आधार ईमानदारी और सदाचार हो, ही केवल इस एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा कर सकती है। इस स्वतंत्रता की सुरक्षा और संरक्षण, किसी प्रकार का व्यक्तिगत आत्माभिमान, व्यक्तिगत अभिमान या विद्वेष, व्यक्तिगत संचपन की मनोवृत्ति, व्यक्तिगत मिथ्या प्रदर्शन नहीं कर सकता। उन सभी को स्वयं को भारतीय राष्ट्रीयता के गौरव, उसकी विलक्षणता और संरक्षण के वृहत् कार्य में समर्पित करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं अपने उन जवानों, अपनी सशस्त्र सेनाओं के आगे नतमस्तक होता हूं जो कि प्रहरियों की भांति, हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं जो इस महान उद्देश्य के लिए अपनी सभी आरामदायक सुविधाओं का त्याग करने के लिए तैयार हैं और जिन्हें उनके बलिदानों के लिए, जिनका कि कोई सानी नहीं है, सम्पूर्ण राष्ट्र का स्नेह व सम्मान मिलना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो यह है कि 15 अगस्त, 1997 आत्मावलोकन का एक ऐतिहासिक अवसर होना चाहिए। क्या हम इस बात का पुनरावलोकन और आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारी क्या अपेक्षाएं थीं, अभी तक हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और ऐसे कौन से अपूर्ण लक्ष्य हैं जिन पर शीघ्रातिशीघ्र गम्भीरतापूर्वक कार्य किया जाना है। हमारे सारे उत्सव अपूर्ण रहेंगे यदि हम एक दृढ़ और आत्मान्वेषण करने वाला आत्मविश्लेषण नहीं करते।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नेतागण एक आधुनिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक शासनतंत्र या एक जाति मुक्त, वर्ग भेद रहित समाज और शासनतंत्र की स्थापना के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। इस स्वप्न को साकार कर पाने में हम कितने सफल रहे हैं। राष्ट्रपिता, जवाहरलाल नेहरु, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, नरेन्द्र देव और राम मनोहर लोहिया के सपनों का समाजवादी भारत कहां है?

यह कहना सत्य का उपहास नहीं होगा कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भारत की अर्थव्यवस्था में से समाजवाद का अस्तित्व मिट गया है। समाजवाद नारेबाजी नहीं है, यह टोकनिज्म भी नहीं है। यह विकास के निम्नस्तर के लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की इच्छाशक्ति है। यह हजारों लाखों बेजुबान-भूमिहीन कृषि श्रमिकों, कृषि के हिस्सेदार श्रमिकों, ग्रामीण कलाकारों, मछुआरों, नमक मजदूरों, चमड़ा कर्मकारों, बीड़ी मजदूरों, भवन और निर्माण मजदूरों ईंट-भट्टे में काम करने वाले मजदूरों, बंधुआ मजदूरों, दैनिक और नैमित्तिक कामगारों, के गमगीन चेहरों से आंसू पोंछने का एक ईमानदार प्रयास है। उन बेजुबानों के लिए जो बिना किसी कुसूर के आज उत्पीड़न का शिकार हैं, जो सामाजिक भेदभाव और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार हैं, जोकि हम जैसे ही मानव हैं और राष्ट्रीय सम्पदा में से अपने उत्कृष्ट जैविक अस्तित्व की रक्षा के लिए और संरक्षण के लिए अपना हिस्सा पाने में असमर्थ हैं।

ऐसा लगता है कि समाजवाद शब्द हमारे शब्दकोष से, हमारी विचारधारा से हमारी भावनाओं से मिट गया है और फिर भी हमें, जिन्हें समाजवाद के प्रखर समझा जाता था, इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। हमारे अनमोल विवेक के प्रति घोर अपमान दर्शाने के लिए हमें पश्चाताप भी नहीं है। हम लोग समाजवाद पर विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाषण देने में प्रवीण होंगे परन्तु सच्चा समाजवाद अभी भी ऐसा स्वप्न है जो साकार नहीं हुआ है। वर्गभेद रहित और जातिगत भावनाओं से रहित समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषणाओं एवं उद्घोषणाओं के माध्यम से समाजवादी गणराज्य के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध भारतीय शासनतंत्र की कार्ययोजना कहीं नहीं दिखायी देती। वास्तविकता तो कुछ और ही है।

हमें इस बात पर विचार करना होगा और स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि हम समाजवाद, सामाजिक क्रांति, गरीबी हटाओ, अन्त्योदय, महिला समृद्धि जैसे नारे क्यों देते हैं? हम इस प्रकार के दिखावे में विश्वास क्यों करते हैं? हम सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि सतही परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है, यह समय की मांग नहीं है। आज आवश्यकता है वास्तविक परिवर्तन की जो गरीबों, वंचित और पिछड़े लोगों के जीवन को करीब से प्रभावित करे। तमाशेबाजी से वास्तविक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता अपितु इसके लिए एकाग्रचित योजनाबद्ध और ठोस तथा गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है। हम क्यों नहीं यह बात स्वीकारते हैं कि हम देश की बेजुबान जनता के सम्मुख असफल हो गए हैं? हमने उनके साथ हर प्रकार की घटिया बातें और धोखाधड़ी की है परन्तु अब और ज्यादा समय तक हम उनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वे अशिक्षित हो सकते हैं, वे हिसाबी-किताबी नहीं है परन्तु वे निश्चित रूप से मूर्ख, निष्क्रिय या कम बुद्धिमानी नहीं हैं। वे परिपक्व, विवेकशील, संवेदनशील हैं और उनका पूरा जीवन राष्ट्र को आत्मनिर्भर और समृद्धि बनाने हेतु भरपूर अनुभव का, पीड़ा और बलिदान, कठिन परिश्रम और समर्पण की गाथा है। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। उनसे अनेक बातें सीखनी हैं किन्तु यदि हम उनकी वास्तविक आवश्यकताओं, आशाओं और आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे और दिखावा मात्र सहानुभूति जताते रहे तो उनके रोष को नियंत्रित करना कठिन होगा।

यह आत्म-निरीक्षण का एक ईमानदार और पारदर्शी प्रयास है और निश्चय ही यह गत 50 वर्ष के दौरान हमारी उपलब्धियों को कम करके आंकने का प्रयास नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्त होने तक साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपनी शान और लालच के लिए हमारे सभी संसाधन लूट लिये थे। हमें हर मामले में खाद्यान्न से सुई तक के लिए विदेशी

सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। स्वतंत्रता से पूर्व और इसके पश्चात् हमने अनेक चुनौतियों, विपत्तियों का सामना किया है। हमने अनेक प्रकार की पराजयों का भी सामना किया है। हमने बंगाल की भुखमरी की मानसिक पीड़ा सहन की है जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं, द्वितीय युद्ध की भी हमने तबाही देखी, विभाजन का मानसिक आघात भी सहन किया—एक ऐसा मानसिक आघात जिसमें लाखों शरणार्थियों ने अपने देश में किसी मरीचिका जैसी शांति, स्वतंत्रता और सुखद अनुभूति की खोज में अनगिनत कष्ट सहन किए। वर्ष 1934, 1950 और वर्ष 1993 में भूकंप आए। बाढ़ के प्रकोप और चक्रवात लगभग हर वर्ष आते रहे और वर्ष 1968, 1979 और 1987 में सूखे और अकाल की त्रासदी हुई। हमने इन सभी को सहन किया। हमारे देशवासियों ने इन आपदाओं को सहन कर लिया। 200 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन से हमने खाद्यान्न के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और हमें अब निस्सहाय होकर पी एल 480 की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है जो 50 से 60 के दशक में हमारी सोच और हमारे अस्तित्व पर हावी रहा। आज हम अधिक बचत करते हैं, अधिक पूंजीनिवेश करते हैं, आर्थिक विकास की उच्च दर भी है, मुद्रास्फीति की कम दर, अधिक खाद्य भंडारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेष उपलब्धियां, अधिक जीवन प्रत्याशा, अस्पतालों में बिस्तरों की अधिक प्रतिव्यक्ति संख्या, डाक्टरों (चिकित्सकों) और नर्सों की अधिक प्रतिव्यक्ति उपलब्धता, शिशु मृत्यु दर और मातृ-मृत्यु दर में कमी, प्रतिरक्षीकरण हेतु वैक्सीन की अधिक उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की अधिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता आदि सभी क्षेत्रों में हमें कामयाबी मिली है।

इसके साथ-साथ अनेक विषय हैं जिन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां गरीबी की रेखा से नीचे (जिनकी 11,600 रुपये से कम वार्षिक आय यानि एक डालर से कम औसत आय है) 300 मिलियन लोग हैं। 320 मिलियन कार्यबल के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जिनमें 300 मिलियन श्रम क्षेत्र में हैं अब भी नजर नहीं आ रही हैं।

हमारे यहां 300 मिलियन से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको गिनती नहीं आती है और न पढ़ना आता है और उनको निरंतर बढ़ती हुई सूचना, संचार, नवीनता, आधुनिकीकरण और निपुणता की न्यूनतम जानकारी भी नहीं है। हमारे देश में 5-14 वर्ष की आयु के 80 मिलियन से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं जिनमें से 20 मिलियन बाल श्रमिक हैं जो पैत्रिक गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी और अल्प रोजगार के शिकार हैं। यदि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से चुने हुए और उत्पादक रोजगार के सपने को साकार करना है तो हमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में लगभग 58 मिलियन रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है और 9वीं योजना अवधि के अंत तक हमें 94 मिलियन रोजगार के अवसरों की आवश्यकता होगी।

यह सच है कि हमने खाद्यान्नों के उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और किसी भी आपदा का सामना करने के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है। यह राष्ट्रीय गौरव का मामला है और बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की असीम पटुता, सृजनात्मकता और साधन सम्पन्नता का बखान करती है। किन्तु जब हम लगभग 185 मिलियन छोटे तथा सीमांत किसानों, बटाईदारों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में सोचते हैं तो खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता विस्मृति में क्षीण हो जाती है। क्या इतना उत्पादन उनके खून-पसीने और आंसुओं के बिना संभव हो सकता? हमने उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए उनकी कष्टसाध्य कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या किया है? क्या राष्ट्र उनकी तथा उनकी नाममात्र आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है? यहां केवल उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण के लिए विधायी सुरक्षा प्रदान करने मात्र का प्रश्न नहीं हैं, अपितु उन्हें मानव (न कि उत्पादन के आंकड़ों के रूप में) प्रतिष्ठा, उनके मानवीय अस्तित्व और योग्यता को स्वीकारते हुए उन्हें इस बात का आभास दिलाना है कि उन्हें मानव के रूप में कुछ अहार्य मानव अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास, प्रगति और समृद्धि तब तक अर्थहीन होगा जब तक उन्हें कम से कम वे सुविधाएं नहीं दी जाती जिसके वे हकदार हैं।

कई वर्षों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार दिलाने के क्षेत्र में अनेक सद्भावपूर्ण प्रयास किए गए हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आर एल ई जी पी, डी डब्ल्यू, सी आर ए, ट्राइसेम, डी पी ए पी, जवाहर रोजगार योजना, आई जे आर वाई, ई ए एस, डी डी पी, पी एम आर वाई, एन आर वाई आदि योजनाएं आरंभ की गई हैं जिन से गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों और लोगों के मन में अनेक आशाएं और आकांक्षाएं जागी हैं। तथापि हम अभी भी गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने की बात करते हैं किन्तु गरीबी दूर करने की बात नहीं करते हैं। गरीबी दूर करना भ्रामक प्रतीत हो रहा है। जहां एक ओर वातानुकूलित कक्षों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों के उद्देश्य, विषय, क्षेत्र और स्वरूप के लिए अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों और सेमिनार होते रहते हैं वहीं दूसरी ओर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है।

जैसे-जैसे लोग गरीबी, कृषि भूमि तथा किसी प्रकार की अन्य सम्पत्ति न होने के कारण एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं, कुछ तो बेहतर रोजगार एवं मजूरी की तलाश में जाते हैं और अधिकांश लोग अपने जीवन निर्वाह की तलाश में जाते हैं, वैसे-वैसे वे लोग कष्ट, विपत्तियों एवं संकट के दलदल में फंसते चले जाते हैं। कुसक्रिय एवं दुष्क्रिय बिचौलियों की संख्या जितनी अधिक होगी, जो उन्हें झूठी आशाओं एवं वायदों के साथ नौकरी की दिलासा देते हैं, उन्हें नौकरी दिलाते हैं, उनके साथ कल्पनातीत उम्मीदों का वायदा करते हैं, उनकी विपत्तियों एवं शोषण की सघनता उतनी ही अधिक होगी। वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मात्र थोड़ी सी भी सुख सुविधा प्राप्त हुए बिना उन्हें घंटों काम करना पड़ता है, उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है। उनके साथ धोखाधड़ी होती है तथा वस्तु रूप में मजदूरी दी जाती है। उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। दुर्घटनाएं अकसर होती रहती हैं जिससे कामगारों की मृत्यु तक हो जाती है या वे जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन टुकड़ों में बिखर जाता है क्योंकि यह बहुत सस्ता हो गया है शोषण के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ज्योंही परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे ऋण कुचक्र में फंसते चले जाते हैं और बच्चे उनके शैक्षिक अवसर प्राप्ति के अधिकार से वंचित हो जाते हैं तथा युवा एवं पूर्ण पुरूषत्व के पुष्पों की महक खिलने से पहले ही उनकी बचपन की पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं। बंधुवा जीवन बिता रहे तथा जीवन की लेशमात्र सुख-सुविधाओं से

भी वंचित लाखों पुरुष महिलाओं और बच्चों ने, मानव जीवन के जोकि सुंदरतम् एवं सर्वोत्तम रचना है, के उद्वेग एवं उल्लास का तो क्या कहना, अभी तक स्वतंत्रता का अमृत भी नहीं चखा है।

जैसे-जैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है, परस्पर एक दूसरे के प्रति उतना ही अधिक द्वेष, कटुता, ईर्ष्या और निन्दा की भावना बढ़ती जा रही है। उक्त स्थिति में बापू का यह कथन याद आता है कि साम्राज्यवाद से घृणा करो, न कि इसके एजेंटों से, वह ज्ञान कहां है जो हमने सूचना की बाढ़ में गंवा दिया। वह जानकारी कहां है जो हमने ज्ञान में गंवा दिया? जैसे-जैसे 20वीं सदी गुजरती जा रही है, धन सम्पत्ति का संचय होता जा रहा है, पुरुष एवं महिलाओं का अर्थात मानवता का ह्रास होता जा रहा है, परस्पर लड़ते हुए हम विनाश, घृणा एवं हिंसा के दलदल में फंसते जा रहे हैं। मुझे "वेस्टलैंड" में टी.एस. इलियट द्वारा उल्लिखित पंक्तियां याद आ रही हैं, "हम खोखले आदमी हैं, हमारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है" (व्ही आर हालौ मैन, व्ही आर स्टफ्ड मैन, हैड पीसेज फुल आफ स्ट्रा)।

ज्योंही घंटी बजेगी, 14 अगस्त की मध्यरात्रि 15 अगस्त, 1997 के उषाकाल का मार्ग प्रशस्त करेगी, यही विचार मेरे मन में बार-बार कौंध रहे हैं और सबके मन में यही विचार आने चाहिए। क्या हम मानव प्राणी हैं? क्या हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं? मानव प्रणाली के रूप में क्या हम जंगली जानवरों से बेहतर, सुंदर और कुलीन हैं? मनुष्य ने मनुष्य के लिए क्या किया है? हमने व्यक्तिगत रूप से एवं सामुहिक रूप से अपने लिए क्या किया है? क्या इसका कोई उपाय है? वह कौन सा उपाय है? क्या भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन प्रश्नों का कोई हल अथवा उत्तर मिल सकता है।

श्री धर्मभिक्षम

श्री धर्मभिक्षम (नालगोन्डा): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष सत्र के आयोजन के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। यद्यपि आपने चर्चा में सभी सदस्यों को शामिल करने का काफी प्रयास किया है लेकिन समयाभाव के कारण हम कई सदस्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए। इस प्रकार मुझे इस पवित्र अवसर पर अपने विचारों को लेखनीबद्ध करने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं उन महान शूरवीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारत माता को साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्त कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उनके महान बलिदान को भी श्रद्धांजलि देता हूं। भारत की स्वाधीनता आन्दोलन के सहभागी रूप में मैं भारत की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता से अवगत हूं। यंत्रणाओं पर विजय पाने का कंटीला मार्ग और जीवन यापन की असहनीय परिस्थितियां, भूमिगत जीवन तथा जेल के शिकंजों के पीछे समय गुजारना ये सब परिस्थितियां मैंने लगभग वर्ष तक झेली हैं। उन दिनों हम एक ऐसे महान भारत का सपना देखते थे जहां लोग भूखे प्यासे व गरीबी से न मरें, जहां बेरोजगारी व छुआछूत न हो, जातिपांति का भेदभाव न हो। इस पर ऐसी कोई काली छाया न पड़े जिससे राष्ट्र व इसकी भावी पीढ़ियों का अहित होता हो। आज 50 वर्षों के बाद हमने यद्यपि संचार, कृषि, डेरी, उत्पाद, इंजीनियरिंग जैसे कतिपय ढांचों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है लेकिन अधिकाधिक प्रगति हासिल करने हेतु वृहत्त प्रयास नहीं किए गए हैं। मैं छोटे से कस्बे के साधारण ताड़ी निकालने वाले पिछड़े समुदाय से आया हूं, इसलिए मैं ग्रामीण भारत और राष्ट्र के विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों को जानता हूं। विभिन्न सरकारों द्वारा लागू की गई ग्रामीण योजनाओं का लाभ, इनका प्रतिफल गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी के गर्त में लोग धंसते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप देश में असंतोष बढ़ता जा रहा है। साम्प्रदायिकता हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं सभा से अपील करता हूं कि वह सभी अल्पसंख्यक समुदाय को यह महसूस करवायें जिससे वे स्वयं यह महसूस करने लगें कि शासक दल द्वारा उनकी अपेक्षा नहीं की जा रही है। अल्पसंख्यक, जनजातीय समुदाय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े हुए वर्ग और महिला वर्ग को यह महसूस करना चाहिए कि उनके अधिकारों का दमन नहीं किया जा रहा है, उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए और समाज में सम्मानित महसूस करवाने के लिए हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।

अन्त में, निष्कर्ष के तौर पर मैं यह निवेदन करता हूं कि उज्ज्वल तथा विकसित भारत तथा वहां के लोगों के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं और व्यवसायी जो कि कई पीढ़ियों से अपने और अपने परिवारों का पेट भरने में लगे हैं और अपने खून तथा पसीने से राष्ट्र के विकास का रास्ता तैयार करने में लगे हैं, राष्ट्र बचाने और मजबूत करने के लिए हमें सभी बुराइयों के विरुद्ध लड़कर संविधान की भावना अर्थात् लोकतंत्र, प्रभुसत्ता, निरपेक्षवाद, समाजवाद को मजबूत करना चाहिए। बुनकर, मछुआरे, ताड़ी निकालने वाले, बढ़ई, सुनार, लुहार, धोबी जो अपने व्यवसायों में लगे हैं, और जो एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर स्वयं को विकसित कर सकते हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। यह हमारी कार्य प्रणाली की बहुत बड़ी असफलता है जो कि सरकार द्वारा अब तक अपनायी गयी है। जबकि नदियों में बाढ़ आ रही है लेकिन फिर भी किसान 50 वर्ष के बाद भी अधूरी सिंचाई योजनाओं के कारण अपनी उपज के लिए आसमान की ओर देखते हैं। सही आयोजना की असफलता के कारण, कृषि कामगार, जनजातीय समुदाय, समाज के गरीब वर्ग के लोग भूखों मर रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे राज्य में श्री राम सागर, एस.एल.बी.सी., इच्चामी पाली परियोजनाओं और गोदावरी और कृष्णा नदियों पर अन्य परियोजनाओं द्वारा पानी की सप्लाई की जा सकती है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी सरकार पर डाली

जा रही है, इससे लोगों का तथा राष्ट्र का भारी नुकसान हो रहा है। यदि सिंचाई परियोजनाओं का कार्य इस तरह से चलता रहा तो बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असंतुलन फैल जाएगा।

इसलिए, हमें सिंचाई परियोजनाओं और फ्लोराइड से ग्रस्त लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का कार्य तत्काल करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र इस राष्ट्र की महान् उपलब्धि है लेकिन इस कार्य के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण राष्ट्र तथा लोगों को काफी हानि पहुंचा रहा है। ग्रामीण विकास का कार्य व्यवसाय, कार्य उन्मुखता तथा करोड़ों लोगों का इसमें शामिल होने पर निर्भर करता है।

श्री सोमजीभाई डामोर

श्री सोमजीभाई डामोर (दोहद): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद का यह खास अधिवेशन इसलिए बुलाया गया है कि 50 साल में हम लोगों ने क्या पाया और क्या गवाया, इसी लेखे-जोखे के लिए हम यहां चर्चा कर रहे हैं।

मैं, आदिवासियों की आज तक क्या तरक्की हुई और आदिवासियों की स्थिति कहां तक सुधरी है, इस बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आज हमारे पूरे देश में आदिवासियों की शिक्षा के बारे में नगण्य प्रगति हुई है। गांवों में आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जहां अगर पढ़ाने वाला है तो वहां स्कूल के भवन नहीं हैं। आदिवासी लोग शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं। इतना ही नहीं प्राइमरी शिक्षा के बारे में सरकार को यह सोचना चाहिए कि हर गांव के हर मौहल्ले में प्राइमरी स्कूल के लिए एक-एक भवन बनाया जाये तथा साथ-साथ शिक्षक की भी व्यवस्था की जाये जिससे बच्चे शिक्षा ले सकें। प्राइमरी स्कूल के बाद हर 10 कि.मी. की दूरी पर एक-एक माध्यमिक स्कूल होना चाहिए और बाद में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कालेज तथा छात्रावास की भी सुविधा होनी चाहिए। यह काम जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि आदिवासियों के लिए एक आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाई जाये जिससे सभी आदिवासियों को शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी प्रावधान कर सके। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब तक यूनिवर्सिटी बने तब तक 50 साल की आजादी के समय में इस साल 50 हजार बालवाड़ी, एक हजार निवासी स्कूल, 5 हजार छात्रावास और हर तहसील में एका-एक कालेज और छात्रावास।

आदिवासियों की आर्थिक स्थिति आज इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि आजादी के पहले। आजादी के पहले आदिवासी लोग काफी सुखी थे लेकिन आज आदिवासी काफी ऋण में फंस गये हैं और कई साल तक फंसे रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से ठीक कदम नहीं उठाये गये। इसलिए मैं चाहूंगा कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए एक आदिवासी बैंक बनाया जाये और इतना ही नहीं आदिवासियों के छोटे-मोटे उद्योग धंधों के लिए भी एक टारगेट बनाया जाये जिनमें हर साल में कम से कम एक लाख आदिवासियों को छोटे-मोटे उद्योग धंधों में लगाया जाये जिससे बेकारी में कमी आ सके।

पहले जंगल के मालिक आदिवासी थे। आज जंगलों की मालिक सरकार हो गई है। जंगलों के साथ आदिवासियों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। आदिवासियों के बिना जंगल नहीं हो सकता और जंगल के बिना आदिवासी नहीं रह सकते। आज सरकार जंगलों का विस्तार करने के लिए काफी खर्चा कर रही है। इतना ही नहीं देश-विदेश से भी जंगलों के विस्तार हेतु काफी धन लाती है। लेकिन जंगल जो होना चाहिए उससे भी कम है और जो सरकार को करना चाहिए था वह बिल्कुल नहीं कर रही है। इसकी कोई प्रगति नहीं हो रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जंगल आदिवासियों को सौंप दे और सरकार की ओर से आदिवासियों को पौधे वगैरह दिये जायें जिससे खुद आदिवासी अपने हाथों से वृक्ष और पौधे लगायेंगे और जंगल एकदम तैयार हो जायेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि हरेक आदिवासी को तीस साल के पट्टे पर कम से कम 15 हेक्टेयर जमीन दी जाये जिसमें आदिवासी जंगल तैयार करे और स्वयं उसकी रोजी-रोटी भी जुड़ जायेगी।

भारत सरकार ने आदिवासियों की जमीन कोई न ले सके, इसके लिए कानून बनाया व हर राज्य में यह कानून भेजा गया लेकिन कई राज्य इस पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कानून का कड़ाई से पालन किया जाये। हमने सुना है कि बिहार में इस कानून में थोड़ा सा परिवर्तन कर के कानून उल्टा कर दिया है। हमें शिकायत मिली है कि वहां कोई आदिवासी लड़की अगर किसी गैर आदिवासी लड़के से शादी करती है तो उस आदमी को भी आदिवासी माना जाता है तो वह भी बाद में जमीन ले सकता है। ऐसे ही केरल में भी कानून को उल्टा करके आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, सब राज्यों में इस कानून का आदिवासियों के हित में अमल हो, ऐसी व्यवस्था करे।

आदिवासियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण रखा गया है लेकिन 50 साल के बाद आदिवासियों के पढ़े-लिखे लोग भटक रहे हैं और उनको नौकरी नहीं दी जाती है। जहां एस.एस.सी. पास मांगते हैं वहां ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट उम्मीदवार मिलते हैं लेकिन उनको लिया नहीं जाता है। इसलिए उनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

गांव में पीने का पानी नहीं हैं। लोग पांच-पांच, दस-दस कि.मी. दूर नाले से पानी ला कर पीते हैं। जहां से पशु पानी पीते हैं, वहीं से वे लोग पानी पाते हैं यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।

ऐसी ही समस्या बिजली की भी है। गांव में बिजली का खंभा लगा दिया है लेकिन वहां बिजली पांच-पांच, दिन तक नहीं आती है। इतना ही नहीं कभी-कभी दो-दो महीने, तीन-तीन महीने बिजली नहीं आती है। इसके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए।

भारत सरकार ने हरिजन आदिवासियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया लेकिन उसमें भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि इस कमीशन को दो भागों में विभाजित किया जाये। एक कमीशन के दो कमीशन बनाये जायें। एक सिर्फ आदिवासियों के लिए और दूसरा दलितों के लिए।

ऐसी ही बात मैं संसदीय कल्याण समिति के बारे में भी कहना चाहूंगा कि इस कमेटी की भी दो कमेटियां बनाई जायें। एक सिर्फ आदिवासियों के लिए, दूसरी दलितों के लिए। इसमें आदिवासियों के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें लोक सभा के 10 सदस्य लिये जायें और पांच राज्य सभा के सदस्य लिये जायें। इसके लिए भी सरकार तुरन्त कार्यवाही करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

हरिजन आदिवासियों के लिए एक राष्ट्रीय वित्त विकास निगम बनाया गया है लेकिन उस निगम ने आदिवासियों को आज तक कोई पैसा दिया है, ऐसा हमको मालूम नहीं है। उसकी कोई तरक्की नहीं है। यह निगम किसी काम का नहीं है इसलिए मैं निगम को भी दो हिस्सों में बांट कर दो निगम बनाने का सुझाव देता हूं जिसमें एक आदिवासियों के लिए और दूसरा हमारे दलितों के लिए। इस निगम में एक राष्ट्रीय कमेटी बनानी चाहिए और हर राज्य में भी एक-एक चेयरमैन वाली कमेटी बनानी चाहिए और जिलों और तहसीलों में भी एक-एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निगम का अलग बजट, वैसे राज्य स्तर पर, जिला और तहसील स्तर पर। सबको अलग-अलग बजट और टारगेट दिया जाना चाहिए ताकि उसमें कुछ प्रगति हो सके।

नौकरियों में आदिवासियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत का जो आरक्षण है उसी पर जो प्रमोशन का भी प्रावधान था उसमें अदालतों ने अलग-अलग जजमेंट कर के आज आदिवासियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इस बारे में सरकार को सभी सांसदों को बुला कर कोई नतीजा निकालना चाहिए।

सारे हिन्दुस्तान में आदिवासियों में छठी सूची के लिए मांग हो रही है। सरकार ने भी एक कानून पास किया है लेकिन सरकार ने अभी तक शैड्यूल एरिया डिक्लेयर नहीं किया है। इसी वजह से इस कानून पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी शैड्यूल एरिया डिक्लेयर करे और जल्दी से जल्दी छठी सूची लागू करने के बारे में सोचे।

संविधान में, आदिवासियों की क्या तरक्की हुई है इस बारे में एक कमीशन बनाने का प्रावधान है तथा अब तक एक ही दफा कमीशन बना उसके बाद आज तक कमीशन नहीं बना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके बारे में 50 साल में आदिवासियों ने क्या पाया, इसके लिए एक कमीशन बैठाया जाये।

आदिवासियों की शैड्यूल में कौन-कौन सी जातियां आनी चाहिए, इसके बारे में एक शैड्यूल बना है लेकिन 50 साल के बाद भी कई जातियां ऐसी हैं जिनको इस शैड्यूल में नहीं लिया गया है। इसलिए जो बाकी की जातियां हैं उनको भी इस शैड्यूल में शामिल करने के लिए नया कानून बनाया जाना चाहिए।

हरिजन आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कानून बना हुआ है लेकिन उसका भी ठीक ढंग से अमल नहीं हो रहा है। लोग शिकायतें ले कर जाते हैं तो शिकायत नहीं ली जाती है और लेते हैं तो दोषी के खिलाफ ऐसी शिकायत लिखी जाती है कि दोषी को सजा न मिले। इसलिए इस बारे में भी सख्ती से काम लेना चाहिए।

आज सरकार के पास 50 साल की आजादी के बाद भी कोई आदिवासी कैबिनेट मंत्री बने, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है। यह भी एक शर्मनाक घटना है।

आदिवासियों में अपनी तरक्की नहीं होने के कारण काफी असंतोष है। इसी वजह से सभी आदिवासियों ने मिल कर जब सरकार हमारी तरक्की नहीं कर सकती तो आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाने के लिए जो सुझाव आया था और इसके बारे में नक्शा बनाया गया था। उस नक्शे को पहले माननीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री तथा कल्याण मंत्री को भेजा गया था। उस नक्शे को मैं पेश कर रहा हूं तो इस बारे में भी सरकार गंभीरता से सोचे और आदिवासियों को जहां उनकी अपनी आबादी ज्यादा है, उनका अलग राज्य बनाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रावधान करे।

महिलाओं को संसद और विधान सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण की बात चल रही है लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बन सका है। इस बारे में जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए। महिलाओं को 30 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण देने की बात है। इसमें सरकार को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए।

आज सरकार भ्रष्टाचार निराकरण के लिए सत्याग्रह आन्दोलन करने की दूसरों को सलाह दे रही है। खुद सरकार के पास सत्ता होते हुए भी महात्मा गांधी या विनोबा जैसी बातें कर रहे हैं, यह सरकार के लिए ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार वगैरह के लिए सरकार सख्ताई से काम ले। हमने भ्रष्टाचार के लिए संचार विभाग में क्या चल रहा है इसके बारे में लिखा है। पेट्रोलियम मंत्रालय में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा है लेकिन दोनों मंत्रियों की ओर से आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए इन मंत्रालयों पर भी सरकार ध्यान दे तथा हमने जो लिखा है उसके बारे में पूरी जांच कर के दोषी व्यक्ति को दंडित करे।

इस बारे में मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले पाकिस्तानी हमारे जवानों पर गोलियां चलाते थे और हमारे कई जवानों को मार देते थे। तब हमारी सरकार कहती थी कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे और हम सख्ती से काम लेंगे लेकिन आज पाकिस्तान ने हमारे सात जवानों को मारा तो हमारे जवानों ने उनके 70 जवानों को मार दिया। मामला एकदम ठंडा हो गया। ऐसी सख्ती से सारा काम लें तो इस देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी, बलात्कार, चोरी वगैरह बस बन्द हो जायेगा।

मैं इतना कहते हुए, खास तौर पर बुलाये गये इस सत्र के लिए धन्यवाद करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी का भी आभार मानता हूं।

डा. बलिराम

डा. बलिराम (लालगंज): अध्यक्ष महोदय, आजादी के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर संसद में ऐतिहासिक राष्ट्रीय बहस चल रही है और बहस के दौरान अधिकांश माननीय सदस्यों ने देश की गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती भुखमरी, अंधविश्वास, जातिवादी व्यवस्था व भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की है। इसके बावजूद देश में हर्षोल्लास के साथ स्वर्ण जयन्ती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है।

आजादी के पचास साल में क्या पाया और क्या खोया इस पर चर्चा हो रही है। वास्तविकता यह है कि आजादी के पचास साल बाद भी इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज दूसरों के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। अभी भी इसकी निर्भरता का अन्त नहीं हुआ है। देहातों और गांवों में 60 प्रतिशत सामन्तों के खेतों पर निर्भर है। अपनी निर्भरता दूर करने के लिए देहात और गांव छोड़कर जब शहरों में आया तो इन्हें श्रम लार्ड के ऊपर निर्भर होना पड़ा। करोड़ों की तादाद में लोग पशु जैसी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। जबकि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पूरा राष्ट्र एक आशा भरी निगाह से इन्तजार कर रहा था, अपार खुशियां थीं कि हमें कुछ आजादी मिलने वाली है, हमारे सारे दुख दूर हो जायेंगे हमारे अधिकार मिलेंगे, इंसान और इंसानियत की बहाली होगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गैर-बराबरी की खाई पट जायेगी। निर्भरता का अन्त हो जायेगा इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर पूरा राष्ट्र खुशियां मना रहा था। लेकिन इस देश का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो दोहरी गुलामी का शिकार था, उसकी चिन्ता खत्म नहीं हुई थी। वह कहता था अंग्रेजों की गुलामी तो हमारे ऊपर से खत्म हो जायेगी लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी कायम रहेगी। अभी भी हमारी निर्भरता बनी रहेगी।

आजादी के पहले महात्मा ज्योतिराव फूले, शाहूजी महाराज, बाबा साहब डा. अम्बेडकर और पेरियार रामा स्वामी नायकर ने जातिवादी व्यवस्था और निर्भरता का अन्त करने के लिए लम्बा संघर्ष चलाया। इस बात को हमारा संविधान भली भांति परिलक्षित करता है। बहुजन समाज को संविधान निर्माताओं विशेषकर बाबा साहब डा. अम्बेडकर पर गर्व है जिनकी बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता के कारण संविधान में भारतीय समाज के कुछ वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल किये थे लेकिन आजादी के पचास सालों में जिनके हाथ में सत्ता सौंपी गई उन लोगों ने इस विशेष वर्गों को शासन और प्रशासन में भागीदारी न देकर उनकी उपेक्षा की है। संविधान लिखते समय बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ''भारतीय संविधान दुनिया में सभी संविधानों से बेहतर और विशाल संविधान है यदि संविधान लागू करने वाले की नियत सही नहीं है तो संविधान की धज्जियां उड़ जायेंगी''। बाबा साहेब की यह चिन्ता सही साबित हुई। आजादी के इन पचास सालों में संविधान के आधार पर देश नहीं चलाया गया। हम निःसंकोच कह सकते हैं कि जिन्हें देश चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी उनकी नियत साफ नहीं थी, बल्कि खोटी थी।

हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन के लिए संविधान को शस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ-साथ राजनैतिक लोकतंत्र के संविधान की मूलभूत चिन्ता रही है। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने लोकतंत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि ''प्रजातांत्रिक सरकार के लिए प्रजातांत्रिक समाज का होना आवश्यक है। प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का कोई महत्व नहीं है यदि सामाजिक प्रजातंत्र न हो। सामाजिक प्रजातंत्र के अभाव में शासन का ढांचा अनुपयुक्त होगा।''

प्रजातन्त्र के उस सिद्धान्त का जब हम मूल्यांकन करते हैं जिसमें कहा गया है कि सरकार, जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हो। लेकिन इस प्रजातांत्रिक भावना के अनुरूप सरकार का गठन नहीं होता बल्कि सरकार का गठन, मनी, मीडिया और माफिया के द्वारा होता है जो प्रजातंत्र के लिए बाधक है।

हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वह इस देश की जाति व्यवस्था है। इस संबंध में माननीय श्री पासवान जी चर्चा कर रहे थे कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी और बाबा साहब का योगदान बराबर है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं बाबा साहब डा. अम्बेडकर को और महात्मा गांधी जो एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसा मेरा मानना है। गांधी जी जाति व्यवस्था के पोषक थे और बाबा साहब जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। जाति व्यवस्था के बारे में मैं गांधी जी और बाबा साहब के विचारों को रखना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा ''जाति व्यवस्था को समाप्त करने का मतलब पैतृक पेशे को समाप्त करना, जाति प्रथा की संतति में आना स्वाभाविक और शाश्वत नियम है। यदि आये दिन ब्राह्मण शूद्र बनता रहा और शूद्र ब्राह्मण बनता रहा तो समाज का विकास रुक जायेगा।''

जाति के संबंध में बाबा साहब के विचार इस प्रकार हैं, "अछूत लोग जाति प्रथा की उपज हैं। जब तक जातियां हैं, तब तक अछूत भी रहेंगे। जाति प्रथा का नाश हुए बिना अछूतों की मुक्ति संभव नहीं है। हिन्दू धर्म में से जब तक इस घृणित और पाप पूर्ण सिद्धान्त का उन्मूलन नहीं किया जाता, तब तक आने वाले संघर्ष में हिन्दुओं को कोई चीज बचा नहीं सकती और यह धर्म जिन्दा नहीं रह सकता।" बाबा साहब— 7 फरवरी, 1933।

"मैं यह नहीं मानता कि जाति व्यवस्था घृणित एवं विषाक्त धर्म सिद्धान्त है। इसकी अपनी सीमाएं अपना दोष है, लेकिन उसमें कोई पाप युक्त बात नहीं है, जैसा कि अस्पृश्यता के बारे में भी नहीं है और यदि जाति व्यवस्था अस्पृश्यता की उपज है तो वह उसी अर्थ में जिससे कि किसी अंग में भद्दा अंग निकल आये या जैसे फसल में कीड़ा लग जाए। अस्पृश्यता के कारण जाति को नष्ट करना उसी प्रकार गलत होगा जैसे शरीर के किसी भद्दे उगे हुए अंग को अथवा फसल को कीड़ों के कारण नष्ट करना" हरिजन, 11 फरवरी, 1933, गांधी।

इतना ही नहीं महात्मा गांधी दलित विरोधी हैं। जब-जब बाबा साहब डा. अम्बेडकर दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किये, तब-तब महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया चाहे पृथक् निर्वाचन का मामला हो चाहे जाति समाप्त करने का मामला हो।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या भारत की गरीबी के संदर्भ में है। इस संबंध में जैसा कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया था इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। आज जो देश तरक्की किये हैं उन देशों ने प्राकृतिक साधनों का शोषण करके अपने देश को धन-धान्य बनाया है। जब कि भारत में प्रकृति का शोषण न करके व्यक्तियों का शोषण किया जाता है जिससे हम दूसरे विकसित देशों की तुलना में पीछे हैं जिसके कारण गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर विशाखापट्टनम विश्व में सबसे ज्यादा कोयला और लोहा के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद भारत प्रतिवर्ष 150 लाख टन लोहा पैदा करता है। जो हमारे यहां लोहा बनता है, उसका बुरादा जापान ले जाता है और एक हजार लाख टन अच्छे किस्म की स्टील पैदा करता है और दुनिया के देशों को निर्यात करता है। इससे हम कह सकते हैं कि यदि हमारे शासकों की नीयत सही रहे तो हम अपने देश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं।

इस देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके लिए यह सदन पूरी तरह जिम्मेदार है। पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने कहा जो विकास कार्य के लिए धन केन्द्र से चलता है वह जनता तक सिर्फ 17 प्रतिशत ही पहुंच पाता है। लेकिन जानते हुए भी इसके रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है। हर जगह भ्रष्टाचार को छोड़े सिर्फ लोक सभा सदस्य अपने आवास पर आने वाले फर्नीचर आदि के मूल्यों को देखें तो बाजार भाव से डेढ़े, दूने दाम से अधिक के होते हैं। इस पर किसी की उंगली नहीं उठती।

एक माननीय सदस्य ने आरक्षण समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि आरक्षण के कारण अयोग्य लोगों का चयन कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आपरेशन के दौरान पेट में कैंचियां छोड़ देते हैं। माननीय सदस्य के ऐसे विचार की मैं आलोचना करता हूं और सदन से अपील करता हूँ कि एक जांच आयोग बैठाकर सर्वे करायें कि घोटाले, हवाले, रेल दुर्घटना, बैंक घोटाले, आपरेशन में आरक्षित कोटे के लोग हैं कि सामान्य श्रेणी से आने वाले हैं। आरक्षण की व्यवस्था इस देश में तब तक रहनी चाहिए जब तक योग्यता का निर्धारण जाति के आधार पर होता है।

अत: मैं कहना चाहूंगा कि पूरी समस्या की जड़ अशिक्षा एवं राष्ट्रीय भावना का अभाव तथा इस देश की जाति व्यवस्था है। इन मुद्दों पर गम्भीरता से चर्चा होनी चाहिए और इसके विकल्प की तलाश करनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: प्रधान मंत्री को बुलाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने अनुरोध किया है कि प्रधान मंत्री को यहाँ होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, यह विशेष अधिवेशन समाप्त होने जा रहा है। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के महोत्सव के अवसर पर आयोजित यह सम्मेलन सचमुच में जैसा अन्य सदस्यों ने अभी कहा, एक इतिहास का निर्माण कर गया। इस सम्मेलन की सफलता के लिए, अध्यक्ष महोदय, आप हम सब की बधाई और अभिनंदन के अधिकारी हैं।

आज आपका जन्मदिन है, इसलिए हमारी बधाई दुगुनी हो जाती है। यह अधिवेशन आपकी पूर्व-कल्पना से हो रहा है। आपने पूर्व-तैयारी की, वह महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करवाया और मैं सचिवालय

को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और तैयारी के बाद यह अधिवेशन सफलतापूर्वक चलता रहा। महोदय, 65 घंटे की चर्चा, अहो-रात्रि, सदस्यों ने रात्रि जागरण किये। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो रात को जागता है, वह योगी होता है। लेकिन क्या केवल टेलीविजन पर आने की इच्छा ने उन्हें रात्रि-भर जगाया—मैं ऐसा नहीं मानता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः सवेरे चार बजे, पांच बजे, जब माननीय सदस्यों के घरवाले भी निद्रा-निमग्न थे, तो टेलीविजन पर बोलने का आकर्षण मात्र पर्याप्त नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो गये हैं। आपने 14 अगस्त को उसी ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में 14 अगस्त, 1947 की आधी रात को जो कुछ हुआ था, उसका एक छोटा-सा स्वरूप प्रस्तुत करके सदस्यों की राष्ट्रीय-स्मृति को जागृत कर दिया और 50 साल स्वाधीनता के पूरे होने के बाद जो ऐतिहासिक क्षण आया, उस क्षण में भागीदारी की इच्छा ने सदस्यों को रात-रात भर जागने और परिश्रम करके बोलने के लिए प्रेरित किया।

सदस्यों के भाषण सुनकर ऐसा लगा कि हम अपने सभी साथियों की प्रतिभा से परिचित नहीं हैं। जो भी सदस्य आया, तैयार होकर बोल रहा था, दस्तावेजों के हवाले दे रहा था, आंकड़े उद्धृत कर रहा था और किसी न किसी विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा था। जहां भारत की उपलब्धियों पर गर्व प्रकट किया जा रहा था, वहां विफलताओं का भी गहराई के साथ और कभी-कभी आक्रोश के साथ उल्लेख हो रहा था। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई प्रेरक क्षण हो, स्फूर्तिदायी प्रसंग हो तो सदस्य अपना भाषण तैयारी के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों को भूल कर, दलबंदी की दीवारों को लांघ कर, प्रभावी ढंग से उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। हम जिस भागीदारी के लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं, उसका आरम्भ इस लोक सभा से कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने प्रस्ताव पेश किया था तो मेरे साथ सभी दलों और गुटों के नेताओं के नाम भी थे। 19 नाम थे। कुछ अखबारों ने इस पर भी टिप्पणी की है। मेरा प्रस्ताव निर्विकार था, निर्दोष था। उसमें केवल चर्चा का आह्वान था। किसी निर्णय की घोषणा नहीं थी लेकिन वे प्रश्न ऐसे थे जो बुनियादी प्रश्न थे। मुझे खुशी है कि इन विषयों पर गम्भीरता से और गहराई से चर्चा हुई है। हमने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार किया है। हमने आर्थिक अवस्था को चर्चा का विषय बनाया है, बुनियादी ढांचे की दशा पर चिंतन किया है और विज्ञान तथा टैक्नॉलोजी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनका भी विशद विवेचन किया है। हमने मानव विकास की स्थिति पर भी अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। 65 घंटे की चर्चा के बाद देश हम से आशा करता है कि चर्चा में आम सहमति के जो मुद्दे निकले हैं, उनके बारे में हम कोई ठोस बात कहें और उनके बारे में देश के सामने कुछ स्पष्ट विचार प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय, यहां आपका कार्यक्षेत्र शुरू होता है। सभी दलों के नेता आप से मिल कर विचार-विनिमय करते रहे हैं। इस पर विचार मंथन होता रहा है। अगर समुद्र मंथन नहीं तो, विचार मंथन होता रहा है। यहां से विष निकलने की कोई सम्भावना नहीं है, निकलेगा तो अमृत निकलेगा, जो लोकतंत्र को जीवित रखेगा, लोकतंत्र को पुनर्जीवन देगा, प्रेरणा देगा। चर्चा में यह बात बार-बार कही गई कि हमारी आजादी के पचास साल हो गए हैं। भारत जैसे प्राचीन देश के जीवन में यद्यपि पचास साल का समय लम्बा नहीं होता, लेकिन पचास साल कोई कम भी नहीं होते। इन पचास सालों की उपलब्धियों पर जहां संतोष व्यक्त किया गया है, वहां जो हम कर नहीं पाए, उस पर चिन्ता भी प्रकट की गई है और व्यथा को भी व्यक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन केन्द्रीय कक्ष में जब हम लोगों ने गांधी जी, नेहरू जी और नेताजी का संदेश उनकी अपनी आवाज में सुना, वह बहुत से सदस्यों के लिए एक नया अनुभव था, एक प्रेरणादायी क्षण था। गांधी जी ने कहा था कि हमें सब की आंखों से आंसू पोंछने हैं लेकिन नेहरू जी को राजकाज सम्भालना था। नेहरू जी व्यवहारवादी थे। उन्होंने गांधी जी की इस बात को नहीं दोहराया कि हमें सब की आंखों से आंसू पोछने हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा संकल्प है कि हम सबकी आंखों से आंसू पोंछना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं यह संकल्प पूरा होगा या नहीं होगा? मैं यह अर्थ समझता हूं कि हमें बहुतांश लोगों की आंखों से आंसू पोंछना है। लेकिन यह बात नेहरू जी की 50 साल पहले थी। अब 50 साल बीत गये। इसमें प्रगति की दौड़ में हम क्यों पिछड़े, इस पर सदन में चर्चा हुई है। सारे देश में एक बहस हो रही है। मैं मानता हूं कि बहस में भाग लेने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रात-रात भर जागने वाले हमारे संसद् सदस्यों का योगदान नहीं दिखाई देता और आधी रात कुछ खाली पड़ी बैंचों की ओर ही उनकी नजर जाती है। पत्रकार स्वतंत्र हैं लेकिन सामान्य समय में भी कभी-कभी कोरम की कमी हो जाती है, घंटी बजानी पड़ती है लेकिन जिस तरह से सदस्य अपने स्थान पर बैठकर रात भर प्रतीक्षा करते रहे, वह एक अनोखा दृश्य है और वह लोकतंत्र की सजीवता को प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बहुत से विचार प्रकट किये गये। मैं चाहूंगा कि सरकार सदन में संसद् सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को और उनमें ये भाषण भी शामिल हैं जो सभा पटल पर रखे जा रहे हैं, उन भाषणों की गहराई से छानबीन की जाये। सरकार को तो यहां पूरे

समय रहना चाहिये था, सरकार सदन में उपस्थित नहीं रही। कुछ मंत्री थे, मगर सरकार नहीं थी। मैं प्रधान मंत्री की व्यस्तता तो समझ सकता हूं। उन्हें देश और विदेश दोनों की चिन्ता करनी है मगर बहुत से संसद सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य सदन में आ सकते थे, बैठ सकते थे, सुन सकते थे, कुछ मुद्दे नोट कर सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। कुछ मंत्री जरूर आये जिन्हें भाषण देना था। वे भाषण देकर चले गये। दूसरे के भाषण को सुनने के लिए उन्होंने ज्यादा प्रतीक्षा नहीं की। हां, हमारे गृह मंत्री जरूर एक दिन अपनी ध्यानमुद्रा को तोड़कर सदन में आये और उन्होंने इलैक्शन कमिशन द्वारा की गई एक घोषणा पर अपने विचार प्रकट किये। जब सदन राजनीति में अपराधीकरण पर चर्चा कर रहा था, किस तरह से अपराधीकरण का राहू हमारे लोकतंत्र को ग्रसने के लिए आगे बढ़ रहा है, जब इस पर प्रकाश डाला जा रहा था, तब चुनाव कमिशन ने घोषणा की। चुनाव कमिशन एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव का संचालन उसका दायित्व है। हम तो भाषण करने तक अपने को सीमित रखते हैं, आचरण उनका क्षेत्र है। अब अगर उन्होंने कोई घोषणा की थी तो उस पर जरूरी नहीं था कि गृह मंत्री महोदय अपनी व्यक्तिगत हैसियत से टिप्पणी करते। चुनाव कमिशन का निर्णय अगर कानून सम्मत नहीं है, कोई भी नागरिक जाकर उसे चुनौती दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस चुनौती को सुनने के लिए तैयार होगा। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या इस रूप में व्यक्त होनी चाहिए थी?

मैं देख रहा था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, 1951 के जो प्रावधान हैं, उसमें चुनाव कमिशन ने जो कुछ कहा है वह उसके साथ असंगत नहीं है। यह ठीक है कि किसी को अगर चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जायेगा तो फिर सभी बातों पर विचार करना पड़ेगा। इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि अपराधी कौन है। इसकी व्याख्या हमारे कानून ने की है। लेकिन इस संबंध में इलैक्शन कमिशन तो, जो कानून है, उसकी व्याख्या कर सकता है, उस कानून को व्यवहार में ला सकता है। कानून बनाना हमारा काम है और इलैक्शन कमिशन कानून बनाने के हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता। लेकिन देश में यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिये कि इलैक्शन कमिशन कोई तर्कसंगत और प्रभावी कदम उठाना चाहता है और राजनैतिक नेता उसमें बाधक बन रहे हैं।

इस तरह की भावना पैदा हुई है और उससे बचने की आवश्यकता थी। इस चर्चा में चुनाव सुधार पर गहराई से विचार-विनिमय हुआ है। लोगों ने अपनी बात कही है, गंभीरता के साथ कही है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जी जब बोलेंगे, प्रस्ताव पर तो नहीं, लेकिन इस चर्चा की समाप्ति पर जब भाग लेंगे तो वह इस बात पर भी अपने विचार प्रकट करेंगे कि चुनावों के बढ़ते हुए खर्चे के बारे में, जो राजनैतिक भ्रष्टाचार की जड़ है, सरकार का क्या चिन्तन है। पब्लिक फंडिंग का सुझाव दिया गया है। अधिक धनराशि आवश्यक नहीं होगी, लेकिन उस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। राजनीति का अपराधीकरण और सार्वजनिक जीवन में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दे हैं जिन पर सारा सदन एक राय का है। भ्रष्टाचार पर कोई पर्दा डालना नहीं चाहता। सरकार के बारे में भी मैं मानता हूं और प्रधान मंत्री जी ने तो सत्याग्रह की बात कही है। यह बात अलग है कि कौन सत्याग्रह करे, किसके सामने सत्याग्रह करे। श्री निखिल चक्रवर्ती ने एक लेख लिखा है। प्रधान मंत्री के वह मित्र हैं और प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधान मंत्री ने एक बड़ा अजीबोगरीब सुझाव दिया है कि सत्याग्रह करे। क्या प्रधान मंत्री के सामने सत्याग्रह किया जाए? मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज ने भी यह मामला उठाया था सत्याग्रह में तो कानून तोड़ने की भावना निहित होती है। क्या कानून तोड़ने की प्रधान मंत्री सलाह दे रहे हैं? क्या प्रधान मंत्री स्वयं इस सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगे, तो क्या वे पद छोड़ने का विचार कर रहे हैं? यह भी टिप्पणी की गई है, ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं। लेकिन भ्रष्टाचार सर्वग्रासी हो रहा है। हम उसका लालकिले पर उल्लेख करते या न करते, राष्ट्रपति महोदय उसकी चर्चा करते या न करते, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि लालकिले पर चढ़कर इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं थी, मगर मैं कहता हूं कि इस पर आप चुप कैसे रह सकते हैं? यह सारे देश के जीवन को त्रस्त करने वाली समस्या है। मैं टेलीविजन पर एक कार्यक्रम देख रहा था कि कदम-कदम पर किस तरह से लोग रिश्वत देने के लिए मजबूर होते हैं, इच्छा से नहीं देते। और इसलिए लोगों से यह कहना कि तुम रिश्वत मत दो तो रिश्वत बंद हो जाएगी ठीक नहीं है। लोग रिश्वत न दें यह कहना चाहिए, लोगों को रिश्वत देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन रिश्वत देने की जरूरत न पड़े, इस तरह की व्यवस्था करना हमारे राजनेताओं का काम है, शासन चलाने वालों की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार के मामले में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार के जो मुकदमे पड़े हैं, वे जल्दी तय हों, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था और मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि प्रधान मंत्री जी उपस्थित हैं। प्रधान मंत्री के सचिवालय में अगर जांच एजेन्सियों द्वारा ऐसे मामले भेजे गए हैं जिनमें मुकदमा चलाने की या चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत मांगी गई है, तो उनका निरीक्षण करके तत्काल फैसले होने चाहिए। विलंब दिखाई नहीं देना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, यह केवल भाषण से प्रकट नहीं होना चाहिए, यह आचरण से प्रकट होना चाहिए। कथनी से नहीं, करनी से लोगों को प्रमाण मिलना चाहिए। कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। अपराधीकरण को रोकने के लिए भी चुनाव आयोग से चर्चा हो सकती है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें रास्ते निकालने की आवश्यकता है। अगर दो-चार व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है तो जहां तक संभव हो, अधिकारों का हनन न हो, इसकी चिन्ता की जानी चाहिए, मगर उनके अधिकारों के हनन की चिन्ता करते हुए हम सारे राष्ट्र को रोगग्रस्त हो जाने दें, यह ठीक नहीं है। आवश्यकता है कठोर कार्रवाई की, लोगों के खोए हुए विश्वास को पुन: प्राप्त करने की।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, जब इस देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही थी, चर्चा बहुत अच्छी हुई और हमें आदरणीय नरसिम्हाराव जी के भाषण को सुनकर थोड़ा सा सुखद आश्चर्य हुआ। वह नई अर्थ नीति के प्रवर्तक हैं, लिब्रेलाइजेशन का आरम्भ उन्होंने किया। उस दिन उन्होंने इतने शब्दों में तो नहीं कहा, मगर उन्होंने जो सुझाव रखे जिस तरह से चर्चा करके अपनी बात मंथन के द्वारा कही, उससे ऐसा लगता है कि उनके मन में भी यह भाव पैदा हो रहा है कि जिस ढंग का अब लिब्रेलाइजेशन चल रहा है उससे भारत का कल्याण नहीं होगा। छोटे उद्योगों को बचाना, छोटे उद्योगों को पनपाना, स्वरोजगार की योजना का विस्तार करना यह छोटे पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा देने से ही हो सकता है। उसके लिए आवश्यक वातावरण बनाने की जरूरत है। अभी तो वातावरण छोटे उद्योगों के खिलाफ बनाया गया है। विदेशों के प्रतिनिधिमंडल आते हैं, मुझे भी मिलते हैं। मल्टीनेशनल वाले खुलेआम कह रहे हैं कि इस देश में छोटे उद्योगो के द्वारा साधनों की क्षति हो रही है। छोटे उद्योगों द्वारा धन का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है और विज्ञान और टैक्नोलोजी के बढ़ते हुए इस युग में छोटे उद्योगों की क्या उपयोगिता है। उपयोगिता हम लोग समझते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बरहामपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे कुछ अर्ज करना था। परसों जो मैंने बात कही, पांच साल पहले जब से हमने उदारीकरण की नीति शुरू की थी, उस जमाने से ही, उस दिन से ही, उस क्षण से ही मैं कहता आया हूं, बार-बार कहता आया हूं और इसका प्रमाण मौजूद है, रिकार्ड मौजूद है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपका कहना ही पर्याप्त है। लेकिन आपके द्वारा संचालित सरकार की नीतियों से जो धारणाएं बनी, उन धारणाओं का निराकरण भी बहुत आवश्यक है। चर्चा में चीन और भारत की तुलना भी की गई। यह कहा गया कि चीन हमारी तुलना में ज्यादा आगे बढ़ गया है, कुछ क्षेत्रों में जरूर आगे बढ़ा है। लेकिन चीन और भारत की तुलना करते समय इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो भी प्रगति की है, लोकतांत्रिक ढांचे में की है। जब कि चीन की व्यवस्था अलग है, चीन की प्रणाली अलग है। चीन अपनी व्यवस्था का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब हम उपलब्धियों की चर्चा करें तो इस पक्ष से हम अपनी दृष्टि ओझल नहीं कर सकते कि हमने सीमाओं के भीतर रहकर, मानवाधिकारों की मर्यादा के अंतर्गत प्रगति करने का प्रयास किया है। यद्यपि इस प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन जब चीन से हम तुलना करें तो यह पक्ष भी ध्यान में रखना चाहिए और उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। हम सब प्रधान मंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। वैसे नियम के अनुसार यदि प्रधान मंत्री जी पहले बोलते और फिर बाद में मुझे कुछ कहने का मौका मिलता, तो शायद चर्चा का रंग अलग होता। लेकिन एक लाभ है कि मैंने जो कुछ कहा है उसका भी प्रधान मंत्री जी को उत्तर देने का मौका मिलेगा। जिस वातावरण में यह चर्चा हुई है, यह वातावरण सचमुच में टिकाने लायक है, स्थायी करने लायक है। मैं जानता हूं यह ज्यादा टिकेगा नहीं, ज्यादा स्थायी नहीं होगा, मैं जानता हूं। लेकिन हम एक नया अध्याय आरम्भ कर रहे हैं, एक शुभारंभ कर रहे हैं। गलतियों को ठीक करके फिर से आरम्भ करने में कभी ज्यादा विलम्ब नहीं होता। वह समय की पुकार के अनुसार होता है।

मेरे त्रिसूत्री को व्यापक समर्थन मिला है। मैं सब दलों के नेताओं का आभारी हूं। प्रश्न काल में उपद्रव नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि और काल में उपद्रह हो सकता है। लेकिन प्रश्न काल चलते रहने देना चाहिए। मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी देखते रहे हैं कि हम किस तरह से पहले से प्रश्न काल चलता रहे, इसकी चिंता करते रहे हैं। लेकिन अब एक आम राय बनी है और दूसरा यह कि कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है। चतुरानन जी ने कहा है कि कुएं में यही कूदना क्या जरूरी है और जगह भी कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है, सचमुच में 'नेकी कर और कुएं में डाल', मगर अब कुएं कहां हैं। अब तो नल रह गए हैं और नल को पकड़कर आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अपनी सीट पर खड़े होकर प्रभावी बात कही जा सकती है। सदस्य उसी तरह से तैयारी करके आएं, जितनी तैयारी पिछले पांच दिनों में करके आए थे और मन लगाकर बैठें। इसके लिए सरकार का भी अधिक संवेदनशील होना जरूरी है। सरकार प्रतिक्रिया देने में देर न करे। जनपीड़ा के निराकरण में विलम्ब न करे। यह भी जरूरी है, जैसा उस दिन सुझाव भी दिया गया था कि पीछे बैठने वालों को समय दिया जाना चाहिए। हम आगे बैठने वाले लोग यही समझते हैं कि सारी बुद्धिमत्ता हममें ही एकत्रित है। पीछे बैठने वालों की भी चिन्ता भी करनी चाहिए क्योंकि उनमें प्रतिभा है, परिश्रम करके आते हैं और कुछ भाषण सुनकर मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि यह रत्न अभी तक कहां छिपे हुए थे।

अध्यक्ष महोदय, इस खोज के लिए आपको विशेष अधिवेशन का आयोजन करना पड़ा, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस काल में हमने जो सबक सीखे हैं, उनका हम आगे उपयोग करें, सदन को अच्छी तरह चलाएं और देश में राष्ट्रीय समस्याओं पर आम-सहमति विकसित करने का जो हमारा विचार है, उसे मूर्त रूप दें, ठोस रूप दें। केवल कहना काफी नहीं है, उस पर आचरण करें, व्यवहार करें। यदि कुछ राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर एक राय बनती है तो संकट के समय सारा राष्ट्र एक झंडे के नीचे खड़ा हो सकता है, सभी संकटों का मुकाबला करने वाली विजगीषु वृत्ति को भी जागृत किया जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने भाषण को सभा-पटल पर रखना चाहते हैं?

श्री एम. कमालुद्दीन अहमद (हनमकोण्डा): महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे शीघ्र रखिए। क्या आपने इसे सभा पटल पर रख दिया है?

श्री एम. कमालुद्दीन अहमद: जी हां। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बस?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा है। सभी भाषणों को जो कि सभापटल पर रखे गए हैं, सभा की कार्यवाही का हिस्सा माना जाएगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं आज के विषय पर बोलूं क्या मैं आपके जन्मदिन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस सदन की शुभकामनाएं आप तक पहुंचाने में अपने योग्य साथी, प्रतिपक्ष के नेता के साथ सम्मिलित हो सकता हूं। हमारी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आप भारत के स्वतंत्र होने के एक पखवाड़े के बाद पैदा हुए थे। अत: यह विधाता की विलक्षणता ही दिखायी पड़ती है कि आपके जन्मदिन की 50वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में ही पड़ती है। मेरा विश्वास है कि राष्ट्र की सेवा में आपके लिए एक बेहतर भविष्य इंतजार कर रहा है आपको मेरी बधाईयां।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा कराने के लिए आपने जो नवीन विचार रखा उसके लिए भी क्या मैं आपको बधाई दे सकता हूं? मुझे यह कहना चाहिए तथा मैं यह स्वीकार करता हूँ कि निसंदेह यह हमारे गणतंत्र के 50 वर्षों के संपूर्ण इतिहास में अभूतपूर्व है ऐसा पहली बार हुआ है।

पुन: आपको इस बोध क्षमता के लिए मैं बधाई देने में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हूँ। मैं बहुत साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि उधर तथा इधर दोनों पक्ष के बहुत से लोग शुरू में यह संदेह कर रहे थे कि इस पर कैसे चर्चा की जायेगी कितनी दिलचस्पी ली जाएगी कितने सदस्य वास्तव में उन विषयों पर बोलेंगे जिन पर हम सोच रहे थे। कभी-कभी ये संदेह अविश्वास की सीमा तक भी पहुंच जाते। मुझे कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार यह चर्चा इतने दिनों तक चली तथा सदस्यों ने जिस परिश्रम से इसमें भाग लिया है, उससे सभी अविश्वास तथा संदेह मिथ्या सिद्ध हुए हैं।

चर्चा बहुत ही उच्च स्तरीय रही है। मैं समझता हूँ कि संसद में मेरे इतने लंबे कार्यकाल में मैंने सदस्यों में इतना उत्साह तथा इतनी रुचि नहीं देखी कि वे रात-रात भर बैठे हो और चर्चा में भाग लिया हो। साथ ही जैसा कि अटल जी ने ठीक ही कहा है कि मुझे सभा के उन सभी सदस्यों की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने अपने विषयों जिन पर वे बोल रहे थे स्वयं को तैयार किया। सदन के मामले में भी यही बात हुई। अत: एक प्रकार से संपूर्ण संसदीय प्रणाली के लिए यह प्रशंसा की बात है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने शोरगुल जो हम आम दिनों के वाद-विवाद के दौरान देखते हैं से ऊपर उठकर असाधारण साहस, दृष्टि तथा क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन पांच दिनों में ये बातें मिथ्या साबित हुई हैं। सामूहिक आत्म चिंतन हमारे लिए कुछ नई बात है परन्तु इसके साथ ही मैं यह समझता हूँ कि हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती पर सदन द्वारा दी जाने वाली यह सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है। अत: अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसका श्रेय फिर एक बार आपको ही जाता है। मैं दोहराना चाहूंगा कि कभी-कभी तो चर्चा प्रात: काल तक चलती रही अथवा पूरी रात तक चलती रही। चर्चा उपयोगी, शिक्षाप्रद तथा विचारोत्पादक रही और कई बार हमने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अज्ञात पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। संसद ने एक संगठन के रूप में नई ऊंचाइयों को छुआ और इसने दलीय संबद्धता से ऊपर उठने की क्षमता प्राप्त की है तथा इन 50 वर्षों की उपलब्धियों एवं कमियों की उल्लेखनीय वस्तुनिष्ठ जांच की है। यहां और दूसरे सदन में कुछ भाषणों को जिसने भी सुना वह हमें यह विश्वास करने की ओर प्रेरित करता है कि राष्ट्र लगातार प्रबुध महाविभूतियों तथा महान विचारों वाले लोगों को उत्पन्न कर रहा है। गणतंत्रता के प्रथम दिन की भांति राष्ट्र स्वयं को लगातार पुन: समर्पित कर रहा है। अत: उसी भावना के तहत यह चर्चा हुई है।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैंने उसको नोट कर लिया है। जैसा कि मेरे योग्य साथी, प्रतिपक्ष के नेता ने सुझाव दिया है निश्चय ही हम उन सभी की कही गई बातों पर अवश्य ध्यान देंगे। तथा उन्हें संकलित करेंगे और जिन विभिन्न मसलों का यहां जिक्र किया गया है उन पर कार्यवाई भी प्रारंभ करेंगे। मुझे ऐसे समय बोलने के लिए कहा गया है जब मुझे चर्चा को समाप्त करना है यह एक बहुत ही विशाल कार्य है जिसे मैं नहीं कर सकता क्योंकि यह आसान नहीं है। जो कुछ भी पिछले लगभग पांच दिनों से बुद्धिमतापूर्ण शब्दों में कहा गया है और जो विशिष्ट मुद्दे यहां उठाए गए हैं, मेरे लिए उन सभी का उत्तर देना न तो साध्य है और न ही संभव है।

किसी समय किसी अवसर पर मेरे साथियों ने वाद-विवाद में भाग लिया है तथा अपने विचार प्रकट किये हैं। जो कहा गया है मैं उसे दुहराने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि वाद-विवाद ने मुझे बहुत हद तक प्रेरित किया है। इसने मुझे विशेषकर 50वें वर्ष में यह सोचने पर बाध्य कर दिया है कि भारत क्या है तथा भारत की परिभाषा क्या है। हम अपने को पुन: परिभाषित कर रहे हैं तथा यह पुन: परिभाषा बहुत ही उपयोगी रही है क्योंकि इस सदन एवं दूसरे सदन में बैठे हुए हमारे योग्य साथियों ने बहुत उल्लेखनीय दृष्टि तथा विचारों को सामने रखा है कभी-कभी तो मुझे महसूस हुआ कि चर्चा ने उत्कृष्टता की सीमा को छू लिया है। कभी-कभी मैंने महसूस किया कि हम उत्कृष्ट तरीके से स्वयं से ऊपर उठ रहे हैं तथा मैंने यह भी महसूस किया कि इन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा देश, हमारा राष्ट्र। स्वतंत्रता संग्राम हमारी चर्चा की पृष्ठभूमि रहा है। हमने यह भी देखा है तथा महसूस किया है कि जिस संग्राम की हम बात कर रहे हैं जिसने 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की वे मेरे विचार से एक प्रकार से हमारी सभ्यता का विस्तार ही था।

जब हम अपनी सभ्यता की ओर देखते हैं, इसकी चोटियों और घाटियों को देखते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम कैसे सफल हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा बहुत लम्बी रही है। मैं स्वतंत्रता संग्राम इसकी अवधि तथा इसके इतिहास जिससे वह गुजरा के बारे में बात करके आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। परन्तु एक बात बहुत ही स्पष्ट थी। जब हम उस युग गांधी जी के समय की ओर मुड़कर देखते हैं तो हम बार-बार यह अनुभूति करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम मुख्यत: इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसकी जड़ें हमारी अपनी मिट्टी अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति में काफी गहरी थी। गांधी दर्शन तथा उनके प्रेरणा स्रोत सभी स्वदेशी थे। गांधीवादी प्रेरणा स्रोत विदेशी नहीं थे उन्हें दूसरे देशों से आयात नहीं किया गया था वह यहीं उत्पन्न हुए थे।

जब गांधी जी बार-बार धर्म की बात करते थे। धर्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल होने के कारण कुछ ऐसी चीज था जिसने वास्तव में हमारे दिमाग और हमारे संघर्ष को एक नया आयाम दिया। नि:सन्देह, जब वह धर्म की बात करते थे, तो उनका आशय धर्म से कुछ अलग था, उनका आशय सम्प्रदाय पंथ पूजा से अलग था, उनका आशय जिसे हम चर्च कहते हैं उससे अलग था। उनकी धर्म की परिभाषा व्यापक थी। मैं उनमें से एक हूं जो विश्वास करते हैं और मैं समझता हूँ कि सदन भी विश्वास करता है कि एक शब्द धर्म है जिसका किसी भी गैर-जातीय भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने यही अपनी बात की।

गांधी जी ने पंथ निर्माण करने का प्रयास कभी नहीं किया। उन्होंने कोई मठ बनाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। उनका दृष्टिकोण यह मूलत: किसी अन्य बात से कहीं ज्यादा दया पर आधारित था। जब हम मुड़कर गांधीजी जी के बोध, उनके, दृष्टिकोण उनके अधिकारिक संचालन को देखते हैं तो मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि उनकी दया प्राय: महात्मा बुद्ध की याद दिलाती है। मेरे विचार से उन्होंने उस दया धर्म की धारा जो महात्मा बुद्ध ने सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त की थी, पुन: प्रवाहित कर दी। गांधीवादी विचारधारा में मूल रूप से प्राय: जो विचार और आदर्श थे वे हमारे लिए एकदम अपरिचित से थे। कभी-कभी वे हमें हैरान कर देते थे और कभी कभी वे उन्हें शब्दों की नई व्याख्या करके उन्हीं शब्दों को नया अर्थ दे देते थे। उन्होंने राष्ट्र के व्यापक पैमाने पर अलग ढंग से सोचना शुरू किया। यह गौर करने लायक बात है कि गांधी जी उन पुराने मुहावरों पुरानी उक्तियों और पुराने शब्दों का प्रयोग करते थे, जिनका हम प्रयोग करते रहे हैं, उन्होंने उनको नया अर्थ दिया और उन्होंने जनता को संगठित करने उसमें एक लहर पैदा करने के लिए उनका प्रयोग किया। कुछ लोग जो यह सोचते थे कि वे बहुत अधिक बुद्धिमान हैं वे हतप्रभ थे। कभी-कभी वे असमंजस की स्थिति में होते थे, क्योंकि वे इसके लिए तैयार ही नहीं होते थे कि पुरानी कहावतों का नये तरह का अर्थ दिया जा सकता है जो गांधी दिया करते थे।

हमारी जन लहर ज्वार-भाटा में बदल गई, हमने कुछ चाहा वह प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की सभ्यतागत एकता को पूरा महत्व दिया गया। भारतीय सभ्यता की मुख्य खोज हमेशा विविधताओं पर निर्भर रही। ये वे व्यापक विविधताएं हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं, निरंतर विभिन्न भाषाओं, विभिन्न सभ्यताओं विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों और जीवन के विभिन्न तरीकों का अनुभव करते रहते हैं लेकिन फिर भी हम वहां एक खिंचाव पाते हैं, जहां हम सभी जुड़ते हैं। गांधी जी का मूल योगदान इन विविधताओं में पुन: एकता को ढूंढना था। यह अब भी हमारे देश का एक पैमाना बना हुआ है। इन पचास वर्षों में हमने इसे सीखा है। हमने बार-बार कहा है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ भी पाया इसी बोध के कारण पाया। यदि गांधी जी उस समय एक बात पर अथवा एक धर्म पर अथवा जीवन के एक तरीके पर जोर देते तो संग्राम को कभी सफलता नहीं मिलती, भारत में कभी एकता स्थापित नहीं होती।

अत: महोदय हमें यह बात अपने लिए दोहरानी चाहिए और आपकी आज्ञा से मेरा तो सदन से यह निवेदन है कि विविधता की यह एकता वह ध्वज है जो भारतीय स्वतंत्रता की मजबूत मस्तूल पर ऊंचाइयों पर फहराता रहना चाहिए। यह मुख्य बात है।

हम कभी-कभी इसमें गलती करते हैं। कभी-कभी हम महसूस करते हैं कि शायद विविधता में एकता की तुलना में एकरूपता अधिक महत्वपूर्ण है। मैं विनम्रता से दोहराना चाहूंगा कि यदि इसे हम एकरूपता के सांचे में ढालना शुरू करें तो भी यह राष्ट्र कभी एक नहीं रहेगा इसमें कभी भी एकता नहीं रहेगी। हमें हमारी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, हमें अपने जीवन के तरीकों को सम्मान देना चाहिए, हमें अपने धर्मों को सम्मान देना चाहिए, हमें अपनी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने ऐतिहासिक अनुभवों को सम्मान देना चाहिए। तभी यह राष्ट्र गर्व के साथ स्वयं को भारत राष्ट्र कह सकेगा।

पुन: भारत राष्ट्र विविधताओं से भरा राष्ट्र है। मैं तो कहता हूँ कि अगले 50 वर्षों या एक शताब्दी के लिए हमारे समक्ष यह एक चुनौती है यदि हम इस सच्चाई को पहचान लें तो हम जीवन के एक पहलू पर एक भाषा या एक धर्म पर बल देने के प्रयास के उलझाव में नहीं फंसेंगे और इस प्रकार अपने पथ पर कभी नहीं भटकेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह गलती हमें बहुत भारी पड़ेगी। कभी कभी संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण, कभी-कभी एक विशेष आन्दोलन की समीचीनता, एक विशेष चुनाव की लाचारी हमें अंधा कर सकती है और हम मत प्राप्त करने के लिए एक जाति अथवा एक धर्म अथवा एक भाषा पर जोर देने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इस सदन को आज यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।

एक बार जब हम निश्चित रूप से यह समझ लें कि हमारी अपनी विविधता है जिनका हम सम्मान करते हैं, हमारे जीने के अपने अलग अलग ढंग हैं, हमारी आस्थाएं अलग-अलग हैं तो हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम ऐसा कुछ भी करने का प्रयत्न नहीं करेंगे जिससे किसी अन्य भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। हम हमेशा पहले भारत और फिर भारतीयता की बात करते हैं। जी हाँ भारत पहले और भारतीयता पहले इसी अवधारणा का परिणाम है और यह जीवन का एक तरीका है। यदि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं यदि हम अपनी अवधारणा, दिल और दिमाग को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो भारत का भविष्य सदा सुरक्षित रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमें इस देश की एकता के मंत्र को लागू करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करना होगा। मैं पंडित नहीं हूं जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी है, किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से भारत की एकता का महान मंत्र जो महानता का प्रवेश द्वार है के तीन आशय हैं मेल, सामन्जस्य सहनशक्ति, विविधताओं का सम्मान और उसमें बड़ी समझदारी से सम्मिलित सांतत्य और परिवर्तन भी है। सांतत्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांतत्य के बिना निष्क्रियता आ सकती है। हमारी भाषाओं, हमारे संगीत हमारे काव्य और हमारे दर्शनों को विगत शताब्दियों से शक्ति मिली है और यदि हम इसके अन्दर एकीकरण और सामंजस्य स्थापित करते रहेंगे तो ऐसा होता ही रहेगा।

वर्षों पहले एक उर्दू कवि ने कहा था:

युनानो मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

वह क्या है, जिसने हमें बनाये रखा है? वह कुछ बात क्या है। मुझे विश्वास है कि हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि यह कुछ बात है विविधताओं की एकरूपता, सम्मान, आत्मसात करने की प्रक्रिया, आत्मसात करने का साहस, निरस्त करने का साहस जो हम नहीं चाहते और आत्मसात करने का वह साहस जो हमारी सहायता करता है। इसने विगत काल में हमारी संस्कृति को शक्ति प्रदान की है और ऐसा आगे भी करता रहेगा। और इसीलिए मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज इस 'कुछ बात' की विकास के प्रत्येक स्तर पर खोज करें, कल हमने ऐसा किया था, कल इसे जारी रखेंगे।

इकबाल ने कहा था:

[हिन्दी]

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

[अनुवाद]

यह हमारी अतीत की धरोहर है तथा यह भविष्य के लिए एक चुनौती है। मैं समझता हूं कि इस चुनौती पर हमने निरंतर आत्मान्वेषण, आत्मलोचन, आत्म विश्लेषण करने और अपने आपको अनुप्राणित करने तथा साथ ही साथ अपनी धरती/अपनी परंपराओं और अपनी सभ्यता पर दृढ़ता से कायम रहते हुए विजय हासिल की है।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसाकि नेहरू जी कहा करते थे, जो हमें डगमगाये। कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे हम अपनी जड़ों से अलग हो जायें। कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें हमारी सभ्यता से दूर ले जाए। इसके साथ ही हममें क्षमता होनी चाहिए। जी हां, विगत में हमने उस बात को आत्मसात करने का प्रयास किया था जो कि हमारे हित में है। आज विश्व परिवर्तन के नये युग के द्वार पर खड़ा है अथवा परिवर्तन के नये युग में प्रवेश कर चुका है। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, विमान द्वारा लाए गए परिवर्तन अभूतपूर्व हैं, ये मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। मानव के समग्र इतिहास में जब से वह पैदा हुआ है मेरे विचार से इस प्रकार के अनुभव कभी नहीं किए गए हैं। इसलिए अब, इस स्तर पर, हमें भविष्य के लिए निर्णय लेना चाहिए। महोदय, आपसे और इस सभा से यही मेरी अपील है।

भारत को निर्णय लेना चाहिए कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान के नये परिवर्तन के इस युग में भारत अग्रणी स्थान प्राप्त करे, इसे अगली पंक्ति में रहना चाहिए, नयी प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए क्योंकि इससे नयी सृजनशीलता उत्पन्न होनी चाहिए। इस नई सृजनशीलता से भारत एक बार फिर वही महान भारत बन जाएगा जो सदैव से रहा है।

अत: विज्ञान के इन नये मोर्चों, प्रौद्योगिकी के इन नये मोर्चों के बारे में नए विचार उत्पन्न होने चाहिएं, और नये आविष्कार किये जाने चाहिएं। इस प्रकार हम चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और इन्हें अपने लिए एक अवसर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। केवल अकेले इससे ही, मैं फिर दोहराता हूं अकेले इससे ही, इस परिवर्तन से ही अग्र स्थान प्राप्त करने के लिए हमारा साहस, हमारा दृष्टिकोण, हमारा निश्चय बढ़ेगा। क्या हम वह स्थान प्राप्त कर सकेंगे जिससे भारत को प्रवेश द्वार पार करने में सुगमता हो।

आज भारत महानता की ओर अग्रसर है और यह महानता हमारी पहुंच में है और हमारी पकड़ में है। हम यह कर सकते हैं और हमें

ऐसा करना चाहिए। यह अगली शताब्दी के लिए अथवा यदि मैं ऐसा कहूं यह अगले पचास वर्षों के लिए एक चुनौती है।

एक बार मलेशिया के प्रधान मंत्री यहां आये थे। उन्होंने कहा था कि "चुनौती 20 : 20 की है।" वह अलंकारिक ढंग से बात कर रहे थे और दूरदृष्टि के बारे में भी बात कर रहे थे। आखिरकार विश्व का बेहतर नजरिया 20 : 20 का है। इसलिए हमें भी 20 : 20 की चुनौती स्वीकार करनी होगी। यह 20 : 20 प्रौद्योगिकी की चुनौती है तथा यह परिवर्तन की चुनौती है। अत: यह विवेकशील परिवर्तन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए तथा भारत को अब इसका अनुसरण करना चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस राष्ट्र के सामाजिक-बौद्धिक उद्देश्य केवल आश्चर्य से देखने के लिए ही नहीं हैं जैसाकि अन्य राष्ट्र कर रहे हैं। केवल यही देखने की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति चन्द्रमा पर उतर गया है और समाचार पत्रों में केवल यही पढ़ने की बात नहीं है कि यदि अन्य व्यक्तियों ने उपग्रह प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली है तो हमें भी मिल जायेगी। हमें स्वयं इसे प्राप्त करना होगा। परिवर्तन, बड़े परिवर्तन का यह ड्रामा जो कि विश्व देख रहा है उसे आत्मसात किया जाना चाहिए, यह न केवल कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किया जाना चहिए, न केवल उन एक-दो सौ लोगों द्वारा, जो प्रौद्योगिकी संस्थान से जुड़े हैं और न केवल उन कुछ हजार लोगों द्वारा किया जाना चाहिए बल्कि मेरे विचार से हमारे समक्ष चुनौती यह है कि समग्र राष्ट्र द्वारा इस लक्ष्मण रेखा को सम्पूर्णता के साथ पार किया जाना चाहिए। जब तक समग्र राष्ट्र इसे पार नहीं करता है और प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश नहीं करता है तब तक राष्ट्र वास्तविक रूप में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा। जब मैं समग्र राष्ट्र की बात करता हूं तो मैं विशेष रूप से युवा वर्ग की बात करता हूं।

इस देश में युवा वर्ग का बहुमत है। उन्हें नयी शिक्षा दी जाती है। उन्हें नयी प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाती है। इस सरकार का यह कर्तव्य है, इस संसद का यह कर्तव्य है, हम सभी का संयुक्त रूप से यह कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि युवा वर्ग, न केवल युवा वर्ग बल्कि महिलायें भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस नये युग में प्रवेश करें।

हमारे समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग महिलायें हैं। शिक्षा के माध्यम से, इनका स्थान उन्हें देकर, महिलाओं को शक्ति प्रदान करके और महिलाओं के अलावा विशेष रूप से समाज के वे वर्ग जो शताब्दी से पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं उनके लिए हम यह सुनिश्चित करें जिससे वे भी परिवर्तन के इस नये युग में प्रवेश करने हेतु सक्षम बन सकें। अनेक शताब्दियों से समाज ने उनके साथ अन्याय किया है। अनेक शताब्दियों से समाज ने उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं दिया। आज जब यह प्रौद्योगिकीय रूप से व्यवहार्य है, जब वैज्ञानिक दृष्टि से गरीबी और पिछड़ेपन को समाप्त करना संभव है, तो इसके लिए हम सभी को संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए।

यदि मुझसे पूछा जाये कि आज राष्ट्र के समक्ष क्या चुनौती है तो मैं इसे इस प्रकार बताऊंगा। पिछड़ापन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से समाप्त किया जा सकता है तथा इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि हम इन तीनों बातों को पूरा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरे राष्ट्र को नई रोशनी दिखा सकेंगे। नई रोशनी में ले जाना भविष्य की एक चुनौती है।

एक नजरिया समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी धर्मों, जीवन के सभी क्षेत्रों और पुरुषों और महिलाओं का है। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए।

इसे केन्द्रीय बिन्दु मानकर हमारी शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय संबंधी सभी नीतियां इस बुनियादी धारणा से तैयार की जानी चाहिए। एक बार यदि बुनियादी धारणा स्पष्ट हो जाती है तो नीति तैयार करना एक विशद मामला बन जाता है। यदि आप इस उद्देश्य में संभ्रमित हो जाते हैं तो नीतियों में भी भारी भ्रांति रहती है। निश्चित रूप से इसका ब्यौरा तैयार किया जा सकता है। ब्यौरे पर इस गरिमायुक्त निकाय और सभा में भी चर्चा की जा सकती है तथा परिवर्तन किए जा सकते हैं।

जब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पंक्तियों के विस्तार की बात करता हूं तो मुझे इस बात की भी जानकारी रहती है कि नयी पीढ़ी हमारे जीवन में कदम रख रही है और इस नये परिदृश्य का हमारे ऊपर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है।

हम सभी उपग्रह, दूरदर्शन की बात करते हैं। हम सभी उन कार्यक्रमों की बात करते हैं जिन्हें कि हम देख चुके हैं। इस स्थिति में आकर या कम से कम आज सुबह मैं यह बताने की कोशिश करना केवल मेरा ही जिम्मा नहीं बनता कि हमारी प्रचार माध्यमों संबंधी नीति क्या होनी चाहिए। परन्तु मैं इस बात को भी ध्यान में रखूंगा कि उपग्रह चैनल, दूरदर्शन, दूरसंचार के विभिन्न माध्यम तथा इसके अतिरिक्त यातायात और यात्रा के भिन्न माध्यम हमारा दिशा निर्धारण कर रहे हैं तथा हमारे जीवन में प्रभावकारी परिवर्तन ला रहे हैं। आज विचारधारा में भी परिवर्तन आ रहा है तथा सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। एक-दूसरे के प्रति हमारी सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। आज शेष विश्व की तरह भारत भी संचार माध्यमों के कारण सिमट कर रह गया है। यातायात के साधनों से यह सब आसान हो गया है। टेलीफोनों ने इसे और सुगम बना दिया है तथा फैक्स से हमें बहुत अधिक सुविधा हो गयी है। अब इन सामाजिक संबंधों में नाटकीय परिवर्तन आ रहा है। हम सभी के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। मेरा सब से, मेरा आशय सब है। यहां तक कि समाज के अभावग्रस्त वर्ग में भी परिवर्तन हो रहा है। तथा यह परिवर्तन कभी आन्दोलन के रूप में तथा कभी मांग के रूप में उभरता है। लेकिन नये विश्व के प्रति-ऐसा अनावरण भी अपना प्रभाव डाल रहा है कभी-कभी यह प्रभाव सकारात्मक नहीं होता है। कभी यह नकारात्मक रूप से हमारी संस्कृति को प्रभावित करता

है। कभी-कभी इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन के तौर तरीकों को प्रभावित करता है, कभी-कभी इसका हमारी भावनाओं संगीत और साहित्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। कभी-कभी यह लाभकारी होता है और जैसा कि मैंने कहा है कभी-कभी यह नकारात्मक तथा आंशिक रूप से हानिकारक होता है।

अत: जब हम अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक नीतियों की समीक्षा करते हैं तो हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि ये नीतियां विवेकशील हों। लेकिन पुन: वही बात सामने आती है कि कितना परिवर्तन किया जाए और इसे कितना ग्रहण किया जाए और कितना ग्रहण नहीं किया जाए। यहीं पर इस सभा की सामूहिक सोच से फायदा होता।

एक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। यहां तक कि पूरी स्थिति की कल्पना करना पूरे मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों के लिए भी संभव नहीं है। इस विषय पर इस सदन में और सदन के बाहर, प्रबुद्ध वर्गों के बीच बुद्धिजीवी वर्गों के बीच सामाजिक संगठनों तथा सभी गैर-सरकारी संगठनों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की जानी चाहिए और हमेशा हमारा मार्गप्रशस्त करते रहना चाहिए, विचारों का यह आदान-प्रदान ही सही मायने में लोकतंत्र है। यह विचार-विमर्श हमेशा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से इसी पर केन्द्रित रहता है।

लेकिन, साथ ही साथ जब मैंने यह कहा कि इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं, तो मैं इस बात को पुरजोर शोर से एक बार फिर कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में अपनी खिड़कियों को बन्द नहीं करना चाहिए। बल्कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हम दिमाग से काम लेना ही छोड़ दें।

भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है। हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता हमें बताती है कि भारत का महत्व इसी बात के लिए रहा है कि इसने हमेशा अपनी खिड़कियाँ खुली रखी हैं। कवि टैगोर ने अपने उस प्रसिद्ध गीत में कहा था कि अपनी बुद्धि के दरवाजे खुले रखिए। नये विचार आने दीजिए। उन्हें आत्मसात करना सीखिए। यही बात गांधी जी ने भी कही थी। भविष्य के लिए एक बार फिर हमारे लिए यही एक मंत्र है। इसलिए समाचार-माध्यम संबंधी नीतियां, शिक्षा संबंधी नीतियां तथा आर्थिक नीतियां निर्धारित करते समय हमें यह जान लेना चाहिए कि विचार-विमर्श कैसे किया जाए तथा एक अच्छे परिवर्तन के संदर्भ में कैसे बात की जाए। इस क्रम में हमें अपने लिए कल्याणकारी चीजों को ग्रहण करते हुए उन्हें यथासंभव आत्मसात करना चाहिए।

अपने सम्पूर्ण इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने कुछ भी ग्रहण न किया हो। भारत ने हमेशा ग्रहण ही किया है। हम अपने संगीत की नियति पर दृष्टिपात करें। अपनी भाषाओं पर नजर डालें, हिन्दी और उर्दू की योग्यता पर नजर डालें—मैं समझता हूं कि यह सदैव, जो हमारे लिए अच्छा है उसे आत्मसात करने, ग्रहण करने और जो अच्छा नहीं है उसे अस्वीकार करने की हमारी क्षमता का प्रत्यक्षण है, उसकी अभिव्यक्ति है। मैंने जानबूझकर विदेश नीति पर इसके प्रभाव के बारे में नहीं बताया है। मैंने सांस्कृतिक, शैक्षणिक और प्रचार माध्यमों संबंधी नीति पर बात की है। परन्तु विशेष रूप से जब मैं विदेश नीति की बात करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ हमारी सभ्यता का इतिहास बताता है कि हमारी नीति ग्रहण करने की रही है। परन्तु साथ ही यही बात पूरे विश्व के संदर्भ में भी है। हमारी खुली नीति रही है चाहे मैं आज की बात करने अथवा पिछले वर्षों की बात करूं, विश्व की निगाहें हमेशा भारत पर रही हैं। भारत के लम्बे इतिहास के ऐसे किसी चरण का मुझे स्मरण नहीं है जब भारत ने संपूर्ण विश्व के दर्शन को ग्रहण न किया हो। जब अशोक का काल था तो वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने विश्व भर में भगवान बुद्ध के सन्देश को पहुंचाया। यदि हम अपने समाज के किसी परिवर्तन के बारे में सोचते हैं तो हमने हमेशा अपने आपको विश्व और उस दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में देखा है। मैं इस बात पर बल देता हूँ कि यद्यपि हमारा राष्ट्र-राज्य वास्तव में 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आया, हमारी भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है। राष्ट्रीय अवधारणा भी बहुत पुरानी है। हमारी विशेषतायें और दर्शन बहुत पुराने हैं। और इसलिए हमने हमेशा विश्व से विचारों का आदान-प्रदान करने आदर्श विचारों धारणाओं और दर्शन को ग्रहण किया है। इस अवधारणा का बेजोड़ तथ्य यह है कि भारत ने हमेशा दोहरे तरीके का अनुसरण किया है—बाहर वालों को स्वीकार किया और यहां से बाहर जाने दिया। इसीलिए भारत ने हमेशा विश्व को कुछ दिया है तथा उससे प्राप्त किया है।

जब मैं खुसरो के बारे में और उससे भी आगे के बारे में सोचता हूँ तो मैं हमेशा इस तरह से सोचता हूँ कि भारत विश्व के लिए खुला तथा विश्व भारत के लिए खुला था। यही हमारी अवधारणाओं का आधार है। अपनी सभ्यता के 5000 वर्षों की अवधि में हम कभी भी किसी ऐसे युग तक सीमित नहीं रहे जब हमने इस प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न शब्द शैली का प्रयोग न किया हो कि हम विश्व में बाहर जाए और बाहर से हमारे देश में आएं। मुख्यत: इसी कारण से भारतीय सभ्यता सशक्त हुई थी *(व्यवधान)* हमारी भारतीय सभ्यता की दिलचस्प बात यह है कि इसमें अन्तर्निहित लचीलापन यह था जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं था उससे हमने इंकार कर दिया जो कुछ हमारे लिए अच्छा था हमने वह ग्रहण किया। लेकिन अपने इतिहास में हमने कभी भी दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आत्मसात करने और चुनौती की यह प्रक्रिया साथ-साथ चलती रही। हमें हमेशा इस बात का ज्ञान था कि कहां विरोध करना है। और साथ-साथ हम यह भी जानते थे कि कहां किन परिस्थितियों से समझौता करना है।

निस्संदेह वह समय आज के मुकाबले में काफी भिन्न था। संचार प्रणाली भिन्न थी। लोगों को काफी दूर-दूर तक पैदल जाना पड़ता था और पत्र भी घोड़ों पर लादकर भेजे जाते थे। इसमें काफी समय लगता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप की ओर शेष

विश्व का ध्यान बहुत अधिक हो गया। महाद्वीप के उत्तर में हम अधिकतर मध्य एशिया के भूभागों के संपर्क में रहे हैं। यह सब हमने ऐतिहासिक तौर पर किया। हम समुद्र के उस ओर से होने वाले खतरों से अधिकतर अनभिज्ञ रहे पर इन विषयों से अनभिज्ञ नहीं थे।

मुझे एक घटना याद दिलाई गई है जब औरंगजेब का परिवार मक्का जाना चाहता था तो उसे सूरत में पुर्तगालियों से वीज़ा लेना पड़ा था। उसे यह ध्यान नहीं आया कि भारत के आस-पास का समुद्र भारतीय साम्राज्य का ही हिस्सा है। नहीं, उसे ऐसा ध्यान नहीं आया। इसी प्रकार, हम देखते हैं कि उत्तर का सैनिक बल भी समुद्रवर्ती नहीं है। जबकि दक्षिण इसके बिल्कुल विपरीत है। दक्षिण के सभी राज्य समुद्रों के प्रति अधिक जागरूक थे। उदाहरण के लिए, कालीकट में शताब्दी के बेहतरीन समय में वह पुर्तगालियों को खदेड़ देने में संभवत: इसलिए सफल रहे क्योंकि उनके पास समुद्री बल था। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दक्षिण का संपर्क पूर्व से अधिक हुआ और बौद्ध धर्म का संदेश सुदूर प्रदेशों जैसे इंडोनेशिया, जापान व चीन तक गया।

वह समुद्र के प्रति सजग थे। परंतु इस के साथ ही वे थल सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं थे और यही कारण है कि दोनों पहलुओं को देखने व समझने में अजीब सी दुविधा थी। उत्तर समुद्र के प्रति सचेत नहीं था और दक्षिण थल के प्रति सजग नहीं था। दोनों को अलग-अलग तरह से हानि हुई और ऐसे ही प्रभुसत्ता को भी क्षति पहुंची। मैं समझता हूं कि इस संकुचित दृष्टिकोण ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि आज समुद्र अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के आने से, वाष्प-चालित जहाजों के आने से तथा अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ, इस उप-महाद्वीप के लिए अंतत: यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि वह सामुद्रिक शक्ति को महत्व दे। परंतु इससे भी अधिक आवश्यक और मेरे विचार से हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम वर्तमान समय में अपने सैन्य तंत्र की ओर अधिक ध्यान दें। दुर्भाग्य से भारत को कभी इस तथ्य का बोध नहीं हुआ कि युद्ध केवल वीरता से ही नहीं लड़े जाते अपितु इसके लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि जब उत्तरीय और समुद्र पार की ताकतों ने यहां आना शुरू किया तो उनकी युद्ध मशीनें और युद्ध संबंधी प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध साधन से भिन्न थी। हम बहुत साहसी थे। परंतु फिर भी हम हमेशा एक कदम पीछे रहे।

बाबर का आना पहला प्रमाण है और अंग्रेजों का आना दूसरा प्रमाण है। पुर्तगालियों का आना एक और प्रमाण था। अत: मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि यह सदन दृढ़ निश्चय करे और यह वचन दे कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। प्रौद्योगिकी में हम कभी पिछड़े नहीं रहेंगे। हमारी पराक्रमी सेनाओं, हमारे बहादुर बलों को नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवायी जायेगी, जो भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमने यह ऐतिहासिक सबक लिया है और इतिहास के इस पाठ को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। इसी कारण यह आवश्यक है कि हम जहां भी जाएं इस बात का ध्यान रखें कि जब सांस्कृतिक स्तर पर हम अपने विचार खुले रख सकते हैं, जब हम अपनी सभ्यता का संदेश जन-जन तक फैला सकते हैं तो हमें सुरक्षा स्तर पर भी अपने विचार खुले रखने चाहिएं।

हमारी विदेश नीति को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि केवल वही विदेश नीतियां अंतत: सफल होती हैं जो सुरक्षा के प्रति सावधान व सतर्क रहती हैं। और सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है। यह केवल अस्त्र-शस्त्र नहीं, यह आंतरिक स्थिरता भी है। यह भोजन की निश्चिंतता भी है और आपसी संबंधों में सुरक्षा भी है। यदि सेनाएं केवल आंतरिक लड़ाई-झगड़ों के निबटारे में ही फंसी रहेंगी तो हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। यदि हमारी आंतरिक शांति सुरक्षित नहीं होती, तो सुरक्षा क्षेत्र बहुत ही सुभेध हो जाती है। यदि हम आपस में ही लड़ते-झगड़ते रहेंगे तो हम प्रवेश पाने को तत्पर शक्तियों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन जाएंगे। और इसी कारण सुरक्षा की व्यापक अवधारणा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात दोहराता हूं कि सुरक्षा की इस व्यापक अवधारणा की मुख्य विशेषताएं अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाना, हमेशा राष्ट्र की एकता बनाना और इस बात की ओर गौर करना है कि आंतरिक झगड़े इस हद तक न बढ़ें कि सेना को देश के अंदर ही उलझना पड़े तथा इसके साथ ही आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक-सामाजिक न्याय पर भी गौर करना है। सामाजिक न्याय केवल सामाजिक न्याय का ही मामला नहीं है वरन् यह तो सुरक्षा का भी विषय है। सामाजिक दृष्टि से भेदभाव वाला कोई भी समाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। अत: यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम सामाजिक न्याय के विषय में बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह सुरक्षा से भी संबंधित है।

मेरी ही पीढ़ी के कुछ लोगों को याद होगा कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में हमने नेहरू जी द्वारा लिखित **''डिस्कवरी ऑफ इंडिया''** पढ़ी थी, जिसको उन्होंने बगैर किसी पाठ्य पुस्तक अथवा संदर्भ पुस्तक की सहायता के जेल की संकीर्ण कोठरियों में बैठकर लिखा था। वह हमें हमेशा दो चीजों का स्मरण कराते रहे। उन्होंने उस भारत का स्मरण कराया जो स्वत: ही शक्तिशाली था, उन्होंने उस भारत का स्मरण कराया जिसकी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी थी। उन्होंने भारत में होने वाले उस परिवर्तन की याद दिलाई जिससे भारत गुजर रहा था। उन्होंने उस भारत का स्मरण कराया, जिसके पास समय के साथ बदलने की क्षमता थी। अत: उपनिवेश काल आने पर ही यह समस्या अधिक कठिन हुई। भारत की सभ्यता और एकता पश्चिम से आने वाले विदेशी उपनिवेशी शासकों द्वारा भंग की गई थी और इसलिए पश्चिम के लोगों ने केवल हमारी सभ्यता और एकता को भंग करने का प्रयास ही नहीं किया अपितु यह तब तक जारी रहा जब तक हममें उनका विरोध करने का साहस नहीं जागा था। एक बार जो चुनौती सामने आई और एक बार तो गांधी जी ने हमारे दृढ़ निश्चय को जागृत किया हमने निरंतर उसका विरोध किया और इसी प्रकार से सामंजस्य तथा विरोध दोनों की प्रक्रिया चलती रही।

जब मैं राजाराम मोहन राय और टैगोर की बात करता हूं या सर सैयद अली की बात करता हूं तो देखता हूं कि इन सभी ने सामंजस्य व विरोध में एक न एक अध्याय जोड़ा है। और इस प्रकार भारतीय संघर्ष ने एक नया रूप धारण किया है। जब मैं विशेषरूप से गांधी जी और टैगोर के विषय में सोचता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे जुड़वां थे। वे कई प्रकार से सर्वसम थे और मैं न तो यह उद्धृत करूंगा कि टैगोर ने क्या लिखा था और न ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। परंतु टैगोर का एक स्वप्न था और वह यह था कि भारत का भविष्य संकीर्ण राष्ट्रीयवाद न हो। उन्होंने हमेशा मानवतावाद पर भारत के मानवतावादी संदेश पर बल दिया। दो दिन पहले मैं शान्तिनिकेतन में बोल रहा था वहां श्री सोमनाथ चटर्जी भी मौजूद थे। शान्तिनिकेतन में मैंने सबको टैगोर द्वारा लिखित विख्यात उपन्यास "घरे बोरे" का स्मरण दिलाया। ...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: यह "घरे बायरे" है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: खराब बंगाली उच्चारण के लिए मुझे क्षमा करें।

यह लिखकर उन्होंने हमें यह बात पुन: याद दिलाने की कोशिश की कि राष्ट्रीयता की लहर के चलते ही हमें विश्व को नहीं भूलना चाहिए और यही बात टैगोर ने कही थी। गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ होने वाले अपने "एक्सपेरिमेन्ट्स विद ट्रूथ" में एक नये आयाम की बात की। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि हम मध्य एशिया के प्रति अनभिज्ञ थे, हम कुछ समुद्री भागों के प्रति अनभिज्ञ थे और ब्रिटिश, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसियों के आने पर हमें यूरोप के बारे में पता चला।

गांधी जी ने अंधकार ग्रस्त दक्षिण अफ्रीका की भूमिका के संबंध में हमारे ज्ञान में एक नया आयाम जोड़ा। गांधी जी के आगमन से पहले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने एक अन्य स्थान पर कहा था कि भले ही भौतिक रूप से गांधी जी भारत में पैदा हुए थे परन्तु राजनीतिक रूप से उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इस प्रकार अब वह अफ्रीका की निराशाजनक असहाय संघर्षरत अंधकारमय स्थिति तथा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बीच एक नई कड़ी बन गये। यह सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी एक हिस्सा बन गया। गांधीजी और विशेष रूप से नेहरूजी ने हमारे रास्ते और खोल दिये। स्पेन के गृहयुद्ध के दौरान उस समय हममें से कुछ लोगों को यह बात अजीब सी लगी जब उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व ही स्पेन के गृह युद्ध के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। जब चीन में संघर्ष चल रहा था तो कोटनीस को भेजा गया। जब रूस के बारे में बात आयी तो उन्होंने सोवियत संघ को सभ्यता में एक नए प्रयोग के रूप में चित्रित किया तथा इसे स्वयं देखा। यह प्रयोग सफल भी हो सकता था और विफल भी हो सकता था। यह एक बिल्कुल अलग मुद्दा था। परन्तु उन्होंने उसमें देखा कि सामाजिक न्याय को राजनैतिक अभिव्यक्ति कैसे प्रदान की जा सकती है तथा विश्व को हमारे और निकट ला खड़ा किया। उन दोनों ने मिलकर विश्व को दो भागों—दमनकारी विश्व एवं उत्पीड़ित विश्व में विभक्त कर दिया। यहां हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दिन से ही हम उत्पीड़ितों के पक्षधर थे तथा स्वाभाविक रूप से उनके मित्र बने रहे। जब नाजीवाद का पदार्पण हुआ तब टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध कविता जो मैं समयाभाव के कारण यहां नहीं पढ़ पाऊंगा परन्तु इसमें टैगोर ने यह कहा कि जो भी जापान से आकर सहानुभूति का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जिनका दबाव चीन की सभ्यता में बढ़ता जा रहा है के संबंध में उनका विरोध है। गांधी और नेहरू का भी यही विचार था। इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के मूल उद्देश्यों और मूल दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया था।

महोदय, मैं आपको पुन: याद दिलाऊँ कि चूंकि आप 15 अगस्त से 15 दिनों बाद पैदा हुए थे अत: हमारा देश नाजीवाद, फासीवाद और सैन्यवाद के अवशेषों पर खड़ा हुआ और इसलिए शांतिप्रिय ताकतों के साथ हमारा यह संबंध अदभुत है। हमारे विधिवत रूप से स्वतंत्र होने से पहले ही गांधीजी और नेहरूजी दोनों ने मिलकर प्रथम एशिया सम्मेलन बुलाया। वह संदेश क्या था? मूल संदेश यह था कि हम उनके पक्षधर हैं जो अभी तक भी उपनिवेश में हैं और अंतिम उपनिवेश संभवत: अंतिम से पहला जिसे आजादी मिली है वह शायद हांगकांग का हस्तांतरण है।

यहां के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हांगकांग के उस समारोह में भाग लेने के लिए चीनियों से निमंत्रण मिला था। साथ ही हमें अंग्रेजों से भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था। हमने चीन के निमंत्रण का उत्तर दिया। अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का तो अस्त ही हो रहा है अत: हमारी उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है।

हमारी सारी सहानुभूति हांगकांग में साम्राज्यबाद की समाप्ति के लिए थी। हांगकांग के साथ हमारा एक और संबंध भी है अन्तत:, अफीम युद्ध भारत की धरती से ही लड़ा गया था। अफीम युद्ध किस लिए हुआ था वह जो आज नशीली दवाओं का विरोध करते हैं, वे भूल जाते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर युद्ध किया था कि ब्रिटिश भारत को चीन को अफीम पहुंचाने और निर्यात करने का अधिकार बरकरार रहे। वह एक युद्ध था और इसीलिए उन्होंने हांगकांग पर अधिकार कर लिया इसलिए हमें उन लोगों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति है और वे प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने अन्तत: इसे समाप्त कर दिया।

जैसा कि मैंने कहा, एशिया सम्मेलन उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संदेश था। इसी प्रकार हमारी विदेश नीति का जन्म हुआ। हमारी विदेश नीति, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि मेरे विद्वान साथी श्री पी.वी. नरसिंहराव ने भी स्वयं कहा है, किताबों में नहीं बनी थी। यह किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं निकली थी, इसका उद्‌भव स्वतंत्रता संग्राम के अनुरूप हुआ इसलिए इससे हम तीन पाठ सीख पाए।

इसे विभिन्न चरणों में जिन लोगों ने बनाया उन्होंने तीन निदेश दिये। उनमें से पहला है कि स्वतंत्र रहो। भारतीय विदेश नीति को सभी

चीजों से मुक्त रखो, हार न मानो और हमेशा अपना सिर ऊंचा रखो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इन 50 वर्षों में ऐसा ही हुआ है। इस सरकार पर या इससे पहले की किसी भी सरकार पर पड़ने वाले कोई भी दबाव भारत को डराने में कभी सफल नहीं हुए। दूसरा संदेश था कि उत्पीड़ितों का हमेशा साथ दो। हमने उत्पीड़ितों का साथ दिया है। तीसरा संदेश था कि जहां भी तानाशाही हो, उसका हमेशा विरोध करो तथा हमेशा शांति के पक्षधर रहो। भारतीय इतिहास में कूटनीति का एक ही उद्देश्य रहा। वह उद्देश्य था कूटनीति द्वारा परिवर्तन न कि सौदे-बाजी। सौदेबाजी नहीं थी, इंडियन फॉरिन पॉलिसी में कभी सौदेबाजी नहीं थी।

इसने कभी लेन-देन का प्रयास नहीं किया। यहां हमने विचारों के बदलाव, विश्व संबंधों के बदलाव का भी समर्थन किया तथा सौदेबाजी का प्रयास कभी नहीं किया। हमारे आदर्श हमेशा से रहे हैं विचार ही हमारे स्रोत हैं परन्तु हमारे यहां आदर्श हमेशा ही संजोए गए हैं। अत: इसी पर हमने गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का निर्माण किया। गुटनिरपेक्षता ने हमें नए मित्र दिए, वे जो उपनिवेशिक अनुभव रखते थे, वे जो कठिन समय से गुजरे थे, वे जो रंगभेद से पीड़ित थे और वे भी जो उस पक्ष से संबद्ध रहे। मैं खास तौर पर सोवियत संघ की ओर इशारा कर रहा हूं।

15 अगस्त, 1947 को प्रारंभ हुए नए दौर में हमने वही नीतियां जारी रखीं। हम इन मूल विचारों पर डटे रहे, चाहे यह वियतनाम हो, चाहे यह कोरिया हो, चाहे यह चीन हो अथवा दक्षिण अफ्रीका हो। मैं कई नाम गिना सकता हूं। बहुत से देश हैं। हर बार हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट रहा है। हमारा साहस ही हमारा सबसे अच्छा साथी रहा। हमने अलगाव को कभी बुरा नहीं माना क्योंकि अलगाव से इसका निर्णय नहीं होता है। कई बार हमने इसका मूल्य भी चुकाया है परन्तु साथ ही हमने कभी हार नहीं मानी। शीत युद्ध के कारण हमें अवश्य कठिनाई हुई। अत: हमें गलत भी समझा गया। परन्तु हमारे क्षेत्र में जो सबसे बुरी बात यह हुई कि यहां तनाव पैदा किया गया। तनाव अपने आप उत्पन्न नहीं हुए अपितु इस क्षेत्र में हथियारों और अन्य सभी चीजों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसा हमेशा से होता आ रहा है और इससे हमारे लिए लगातार कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। हम इस बात में विश्वास करते हैं और अपनी विदेश नीति के माध्यम से भी हमेशा ही इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि दक्षिण एशिया में एकता, मित्रता और सहयोग बना रहे और उस नीति को बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम भौगोलिक और व्यावहारिक रूप से विभाजित हो चुके हैं किंतु यह विभाजन ऐसा विभाजन है जो हमारे सामरिक सोच में परिवर्तन से और बढ़ा है। भारत की सामरिक सोच बाह्य रूप से थोपी गई विचारधाराओं से भिन्न थी।

महोदय, मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा लेकिन मेरा यह मानना है कि शीत युद्ध की समाप्ति होने से हमारे समक्ष नई चुनौतियां और नये अवसर भी उभर कर सामने आये हैं। विश्व में अचानक शांति नहीं आई है। साथ ही विश्वीकरण और क्षेत्रीयकरण दो भिन्न चीजें हैं जो एक साथ उभर कर सामने आयी हैं। निस्संदेह, हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए लेकिन हमें अपने क्षेत्रीय पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यत: यह माना जाता है कि आगामी शताब्दी एशिया के देशों की शताब्दी होगी और वहीं से भारत के भविष्य का उदय होगा।

यहीं हमें अपनी भूमिका अदा करनी है। अत: भारतीय नीति की स्थिरता दक्षेस देशों से मित्रता और सहयोग के परिणामस्वरूप होगी। हम बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका से नए संबंध स्थापित करने में सफल हुए हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है तो मैं एक मिनट में उसका उल्लेख करना चाहूंगा। आशियान देश अब हमारे पड़ोसी हैं। म्यांमार के आशियान में शामिल होने से अब हम भू-सीमाओं से भी जुड़ गए हैं। अत: अब हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की शुरुआत इस क्षेत्र में करनी होगी। इसी तरह, इंडियन, ओसियन रिम एसोसियेशन अब हमारे पड़ोसी हैं और हम उसके संस्थापक सदस्य हैं। तुर्कमेनिस्तान, भारत और ईरान के बीच त्रिपक्षीय संधि के फलस्वरूप अब हमें मध्य एशिया के साथ संबंध स्थापित करने का मौका मिला है जिसे हमें सुदृढ़ करना चाहिए।

अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोगपूर्ण दृढ़ संबंध स्थापित करने के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा ही पाकिस्तान के साथ आपसी विश्वास, मित्रता और सहयोग की भावना रखी है। विदेश सचिव स्तरीय वार्ता की शुरुआत इस दिशा में पहला कदम है। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं कि जून में इस्लामाबाद में हुई वार्ता की समाप्ति के पश्चात् एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। आगामी दौर की वार्ता सितम्बर में दिल्ली में होने वाली है और हमने इसके लिए पाकिस्तान को तारीखें भी सुझाई हैं। उनके उत्तर की हमें प्रतीक्षा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामान्य सत्र में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री नवाज शरीफ और मैं न्यूयार्क जा रहे हैं और यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मुझे उनसे मिलकर प्रसन्नता, खुशी होगी। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विगत मई में माले में उनके साथ मेरी एक उपयोगी बैठक हुई थी।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते-करते एक मिनट और लूंगा। संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप के देशों, जापान, चीन और रूस के साथ हमारे हमेशा सुचारू और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। यहां पर मैं मात्र यही कहना चाहता हूं कि अमरीका से हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है और आने वाले महीनों में वाशिंगटन से अनेक महत्वपूर्ण लोग भारत को यात्रा करने वाले हैं। जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं कि अमरीका के राष्ट्रपति भी आगामी वर्ष में भारत की यात्रा करने वाले हैं। मुझे न्यूयार्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के आगामी सत्र के दौरान राष्ट्रपति क्लिंटन से भेंट करने का भी अमरीका से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मैंने अमरीका के लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि भारत-पाकिस्तान संबंधों पर किसी भी

प्रकार की मध्यस्थता कार्यसूची में शामिल नहीं होनी चाहिए जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, इसकी एकता और अखंडता के बारे में कोई वार्ता नहीं की जाएगी।

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच अनेक बातों पर चर्चा की जा सकती है और यदि वार्ता हुई तो मैं राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ मैत्रीपूर्ण और द्विपक्षीय समझौतों, विशेषकर एशिया-प्रशान्त क्षेत्र से संबंधित आम हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

महोदय, यदि मुझे समय मिलता तो मैं विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखता। लेकिन मैं एक मुद्दा, जिसके बारे में मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। यह भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। अपने भाषण के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के समक्ष लोक पाल विधेयक के लाए जाने में हुए विलंब पर खेद प्रकट किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजनैतिक नेताओं को अपने सगे-संबंधियों सहित अपनी सम्पत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 13 सितम्बर, 1996 को लोक सभा में लोक पाल विधेयक लाया गया था। इस विधेयक को गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को सौंपा गया था जिसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। स्थायी समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। संसद के आगामी सत्र में समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक पुनरीक्षित विधेयक लाया जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह कानून हमारी अपनी शासन व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

महोदय, श्री वाजपेयी ने एक समाचार का उल्लेख करते हुए कहा था कि प्रधान मंत्री कार्यालय में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के 194 मामले मुकदमा चलाए जाने की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

वास्तविक स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री कार्यालय में एक भी मामला लंबित नहीं है। परन्तु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष और राज्य सरकारों के पास 157 मामले लंबित हैं। इनमें से 141 मामले केन्द्रीय मंत्रियों के पास लंबित हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के एक कदम के रूप में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त सरकारी अधिकारियों को दंडित करने में तीव्रता लाए जाने का विशेष प्रयास किया गया है। भारत सरकार मामलों की संख्या जो मार्च, 1997 के अंत तक 141 थी, को कम करके अब वर्तमान में 79 तक ले आई है। भारत सरकार के सभी सचिवों को यह कड़े निर्देश दिये गये हैं कि 15 दिनों के अंदर-अंदर पिछले बकाया केसों का निपटान कर दें और सभी नये केसों के संबंध में निर्णय एक माह के अंदर ले लें। न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित जांच-पड़ताल और उसकी अनुवर्ती कार्यवाही के स्वरूप और प्रकार के बारे में भी वहां विचार प्रकट किये गये। सरकारी तंत्र में संस्थागत कार्य प्रणाली की स्थापना, वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए उपायों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। सरकार वर्तमान सतर्कता कार्य प्रणाली पर पुन: विचार करने और उसे द्रुतगामी बनाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे उपाय कर रही है जिससे कि भ्रष्टाचार के केसों का निपटारा तीव्रता से एक निश्चित समयावधि में ही हो जाए। इसी संबंध में राज्यों के भ्रष्टाचार निरोधक विभागों के प्रमुखों तथा विभिन्न सरकारी उपक्रमों के सतर्कता अधिकारियों का एक सम्मेलन 4 और 5 सितम्बर को अर्थात् आज से ठीक दो दिन बाद होगा। इसके बाद मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन होगा।

सरकारी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने श्री एच.डी. शोरी की अध्यक्षता में "सूचना पाने का अधिकार" पर एक कार्यदल गठित किया है। हम चाहते हैं कि "सूचना पाने का अधिकार" पर एक विधेयक संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाए।

मैं चुनाव सुधारों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सदन का समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरा सदन सहमत है। मैं जल्दी ही सर्वदलीय बैठक में एक विधेयक प्रस्तुत करूंगा जिससे कि चुनाव सुधारों पर एक नई सहमति के साथ हम किसी परिणाम पर पहुंचें।

मैं और भी अन्य बहुत से विषयों पर चर्चा कर सकता हूं, किन्तु मैं जानता हूं कि समय की पाबंदी है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन्हें सदन के सभा पटल पर रख दूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा ही करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय क्या आप मुझे आधा मिनट देंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो): महिला आरक्षण के बारे में प्रधान मंत्री ने नहीं बताया।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: कृपया मुझे समाप्त करने दें। ...*(व्यवधान)*

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी): महोदय, प्रधानमंत्री जी, जो कि विदेश मंत्री भी हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा भूल गये हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के बारे में बात करना वे भूल गये हैं। कांग्रेस दल में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। प्रधान मंत्री अमरीका जा रहे हैं और श्री क्लिंटन भी भारत आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: प्रधान मंत्री जी महिला आरक्षण के बारे में तो बताइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। कृपया इस अवसर के महात्म्य को नष्ट मत कीजिए। प्रधान मंत्री के लिए प्रत्येक विषय पर चर्चा करना संभव नहीं है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: महोदय आपकी अनुमति से मैं सहकारी संघवाद, योजना तथा उदारीकरण के संदर्भ में इसकी भूमिका खाद्य, सुरक्षा और पेयजल, शिक्षा, साक्षरता, जनसंख्या के मुद्दे पर बुनियादी ढांचे में नीतिगत पहल की योजना, जैविक भिन्नता, पंचायती राज पर और सामाजिक न्याय आदि पर अपनी टिप्पणियां सदन के सभा पटल पर रख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि यह सदस्यों के लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि मैं सदन का और अधिक समय नहीं ले सकता।

महोदय, मेरे आदरणीय मित्र ने एक मुद्दा उठाया है ...*(व्यवधान)* कृपया पहले मुझे समाप्त करने दें और उसके बाद मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): राजनीति में अपराधीकरण के बारे में प्रधान मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि इन चर्चाओं से सदन और देश को काफी लाभ मिला है। कृपया जो मैंने कहा, उसे मुझे दुबारा कहने दें तथा इसी के साथ जिस शानदार तरीके से यह चर्चा संपन्न हुई उसके लिए मैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करता हूं। यह एक अन्य तरीके से भी उद्भूत था। हम यहां पर हास्यात्मक उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं कर रहे थे और न ही हम वाद-विवाद कर रहे थे। हम सब अपनी-अपनी दृष्टि से भविष्य का अवलोकन करने का प्रयास कर रहे थे।

मैं समझता हूं कि यह देश के भविष्य की सामूहिक कल्पना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गई टिप्पणियां

एक. सहकारी संघवाद

बहुदलीय प्रणाली के उद्भव के फलस्वरूप विभिन्न दल या अनेक दल मिलकर केन्द्र और राज्यों में सत्ता में आ रहे हैं। इसके कारण केन्द्र-राज्य संबंधों का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रकाश में आया है। केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध संविधान के द्वारा शासित होते हैं जिसमें विधायी और कार्यकारी शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के साथ संघीय स्वरूप की कल्पना की गई है। यद्यपि केन्द्र और राज्यों की आवश्यकताओं के मध्य उचित संतुलन है, संविधान ने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए केन्द्र को पर्याप्त शक्तियां भी प्रदान की हैं।

सरकारिया आयोग, जिसने केन्द्र-राज्य संबंधों के सभी पहलुओं का अध्ययन किया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ढांचागत परिवर्तनों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक मजबूत केन्द्र अपरिहार्य है न केवल स्वतंत्रता की रक्षा और अनुरक्षण और देश की एकता के लिए अपितु राष्ट्रीय चिन्ता के मूल मुद्दों पर एक समान नीति के समन्वयन के लिए एक मजबूत केन्द्र अपरिहार्य है। अन्तर्राज्यीय परिषद को क्रियाशील बनाया गया है और यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में समर्थ भी रही है। हम एक सहकारी संघवाद के युग की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं जहां हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपसी सामंजस्य की भावना से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

दो. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण: पंचायती राज संस्थाएं

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का प्रवेश एक महत्वपूर्ण युगान्तरकारी घटना थी। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि भारत ने 1950 में अपने संविधान को अंगीकृत किया था। यद्यपि देश के अधिकांशत: हिस्सों में चुनाव कराए जा चुके हैं परन्तु अभी भी कई राज्यों में शक्तियों का वास्तविक प्रत्यायोजन अभी भी होना बाकी है।

मैंने हाल ही में मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और पंचायतों को शक्ति संपन्न बनाने की गति को तेज करने के लिए प्रक्रिया के प्रस्ताव को रूपायित किया। मुख्य मंत्रियों ने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया था। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमने मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की है जो इस पर विचार-विमर्श करेगी और पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी रूप से शक्ति सम्पन्न बनाए जाने हेतु विशिष्ट प्रस्तावों को प्रस्तुत करेगी।

तीन. योजना प्रक्रिया और उदारीकरण के संदर्भ में इसकी बदलती भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में काफी संख्या में नागरिक गरीबी में जीवन-यापन करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अभी भी बड़ी मात्रा में असमानता विद्यमान है। बाजार व्यवस्था से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह स्वयं इन असमानताओं को दूर कर देगी। वास्तव में समुचित योजना और तर्कसंगत सरकार के हस्तक्षेप के अभाव में बाजार की शक्तियां ऐसी असमानताओं को और बढ़ा देंगीं। यह देश मूलभूत सामाजिक अवसंरचना, जैसे कि सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं, के न्यूनतम प्रावधान से पीड़ित है, जोकि हमारे लोगों की जीवन शैली की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला मूल घटक है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निजी क्षेत्र की पहलों द्वारा कोई प्रमुख भूमिका निभाए जाने की सम्भावना नहीं है और सरकार की यह प्राथमिक उत्तरदायिता होगी कि वह समुचित हस्तक्षेपों को सुनिश्चित करे।

अर्थव्यवस्था की त्वरित और सतत् वृद्धि के लिए अपेक्षित है कि पर्याप्त मात्रा में और दक्षता के उच्च स्तरों पर सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना प्रदान की जाये। जबकि निजी पहलें इन सुविधाओं को प्रदान किये जाने के एक भाग को पूरा करने में सक्षम है, इसका लोक कार्य के साथ सामंजस्य बैठाना होगा क्योंकि देश के विशिष्ट क्षेत्रों और आर्थिक अवसंरचना के कुछ ऐसे घटक हैं जिनमें परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता यथेष्ट निजी निवेश को सृजित करने हेतु पर्याप्त नहीं होंगी इसके परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए निजी उद्यमियों को आश्वासन के पर्याप्त स्तरों को प्रदान करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित होंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के चलते योजना प्रावधि को ऐसी संस्थाओं की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा जिन्हें बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के क्रम में बनाने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी ताकि जिसके माध्यम से बाजार व्यवस्था कार्य कर सके और उन क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित किया जा सके जिनका विकास उनके द्वारा नहीं किया जा सका हो। इसके लिए केन्द्रीय निर्देशों से विकेन्द्रीकृत और सहभागी सुपुर्दगी व्यवस्थाओं जिसमें योजना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी हो, में धीरे-धीरे परन्तु स्पष्ट परिवर्तन अपेक्षित हैं।

चार. खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत ने खाद्यान्न उत्पादन की दिशा में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। यह संतोष का विषय है कि देश आज लगातार बढ़ रही जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की स्थिति में है। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने को ध्यान में रखकर देश में 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) नामक एक नयी योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हम अत्यधिक गरीब और समाज के अति कमजोर वर्गों को विशेष राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। कई राज्यों से इस विषय में मानदण्ड को बढ़ाने और आवंटन को बढ़ाए जाने संबंधी मांगें होती रही हैं। हम सितम्बर, 1997 में एक सर्वसम्मति को बनाने और इस मुद्दे पर एक स्वीकार करने योग्य सूत्र को प्राप्त करने के लिए मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं।

पांच. जल संसाधन और पेयजल

भोजन की तरह जल भी एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है और बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है। हमें विभिन्न उद्देश्यों जैसे पीने के लिए, धोने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए नौ-परिवहन और उद्योग के लिए जल की आवश्यकता होती है। यद्यपि हमारे पास जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं परन्तु एक ओर उनका अल्पकालिक और दैशिक वितरण और दूसरी ओर लगातार बढ़ रही जनसंख्या के उपयोग में लाए जाने वाले जल की उपलब्धता में कमी ला रहे हैं। उपलब्ध जल के किफायती प्रयोग द्वारा जल के अधिकतम लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से हमने हाल ही में एकीकृत जल संसाधन विकास योजना को तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है। आयोग की एक सेवा शर्त यह भी है कि वह जल की कमी वाले इलाकों में नदियों को आपस में जोड़कर अधिशेष जल को वहां पर ले जाने के लिए उपायों को सुझाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आयोग पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण जनसंख्या को जल उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वियन के लिए कुछ व्यवहारिक सुझावों को प्रस्तुत करेगा। हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना होगा। हमें आशा है कि हम इसे एक व्यापक जल नीति के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। सरकार 9वीं योजना के अन्त तक देश की पूरी जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

छः शिक्षा

शिक्षा न केवल विकास गतिविधियों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपितु यह मानव अधिकारों का भी अभिन्न हिस्सा है। इस बात को मान्यता प्रदान करते हुए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वायदा किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को बुनियादी अधिकार बनाया जायेगा। इस बात को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए हम पहले ही राज्य सभा में मौलिक अधिकार विधेयक पुरःस्थापित कर चुके हैं।

इस राजनीतिक इच्छाशक्ति को परिचालित करने का सबसे बड़ा कार्य पर्याप्त संसाधनों को जुटाना होगा। इस लक्ष्य को केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों विशेषकर पंचायतों और निजी क्षेत्र को इस पवित्र राष्ट्रीय प्रयास में योगदान करने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार कर प्राप्त कर सकते हैं।

यह बात सही है कि हमारा तात्कालिक लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकीकरण करना है परन्तु हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा अन्तिम लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा है। वयस्कों में व्याप्त निरक्षरता का अधिक स्तर हमारे समाज पर धब्बा है। यदि हम 2005 ईस्वी तक 100% कार्य सार्थक साक्षरता को प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी स्तरों पर महज राजनीतिक और सामाजिक कार्यशीलता की आवश्यकता होगी।

महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। यद्यपि महिलाओं की शिक्षा को बाधित करने वाले कई घटक हैं परन्तु इसका महत्वपूर्ण कारण समाज में व्याप्त लिंग भेद की सामाजिक अभिधारणा है। इस स्थिति को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से ही बदला जा सकता है। हमने हाल ही में एक योजना की घोषणा की है जिससे यह अपेक्षित है कि यह बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी और उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाएगी।

हम इसे इस वर्ष 2 अक्तूबर को आरम्भ करने के बारे में सोच रहे हैं।

सात. सामाजिक न्याय

पिछले वर्ष जून में जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आयी थी तब हमने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया था। अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर वर्गों और वंचित समुदायों को समर्थ बना कर सामाजिक न्याय दिलवाना था। जिसमें एक-तिहाई

स्थानों के आरक्षण द्वारा संसद और राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की सदस्यता भी सम्मिलित है। इस उद्देश्य के लिए हम संसद में एक विधेयक भी ला चुके हैं। यह वास्तव में महिलाओं को समर्थ बनाने और स्त्री-पुरुष समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।

आठ. जनसंख्या का मुद्दा

सभा के अनेक माननीय सदस्यों और माननीय अध्यक्ष ने भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या की समस्या पर जोर दिया है और राष्ट्र के लिए एक प्रभावी जनसंख्या नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है। मैं इन चिन्ताओं से पूरी तरह सहमत हूं और जैसाकि मैंने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा था जनसंख्या की समस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या है जिसका सामना इस समय देश कर रहा है।

अभी भी इस देश की जनसंख्या 17 मिलियन प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि विचार करें तो यह एक चेतावनी है कि विश्व की कुल भूमि के 2.4 प्रतिशत भूमि वाले भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की 16 प्रतिशत जनसंख्या पहले से ही है। और सन् 2050 ईस्वी तक चीन को पीछे छोड़कर यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। आज भी हम पाते हैं कि प्रत्येक स्थान पर भीड़-भाड़ हो गई है तथा अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के बावजूद बेरोजगारी बढ़ रही है ज़ो बढ़ती हुई गरीबी का कारण है।

सन् 1951 में जबसे हमने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू किया तब से बाल मृत्यु दर 146 से 74 हो गयी, मृत्यु दर 28 से 9 हो गयी और जन्म दर 6 से 3.5 हो गयी। पल्स पोलियो टीकाकरण प्रमुख पहल रहा है और हमें आशा है कि सन् 2000 ईस्वी तक देश पोलियो रहित हो जाएगा। यदि हमें माता-पिता के मस्तिष्क में उनके बच्चों को दीर्घायु होने का विश्वास पैदा करना है तो हमें इन सब बातों के संदर्भ में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे। इसी विश्वास से उनमें छोटे परिवार अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

दिसम्बर 1996 में हमने संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रारूप पटल पर रखा था। इसका उद्देश्य सन् 2010 तक जन्म दर कम करना था। इसमें राजनीतिक नेताओं, धार्मिक और समुदाय स्तर के नेता, कर्मचारी, मजदूर संघ और भारतीय चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों सहित अर्ध-चिकित्सीय व्यवसाय वाले चिकित्सकों के सक्रिय सहयोग और प्रतिबद्धता अपेक्षित होगी।

अध्यक्ष महोदय ने जनसंख्या नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है। हमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से इस बारे में उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल अति शीघ्र ही इस पर विचार करेगा। सरकार का विचार है कि जनसंख्या नीति का संशोधित प्रारूप शीतकालीन सत्र में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दे।

प्रस्तावित जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषतायें ये हैं:

1. जनसंख्या संबंधी कार्यक्रम इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुरूप स्वैच्छिक आधार पर चलते रहना चाहिए।
2. नीति महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य सेवा तथा अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक और सात्रिक गर्भ निरोध के तरीके उपलब्ध कराने का प्रावधान करे।
3. महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं को सक्षम बनाने पर बल देते हुए इस संबंध में एक हितैषी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
4. भारतीय पद्धति से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों, गैर-सरकारी स्वैच्छिक क्षेत्र निजी चिकित्सक और औद्योगिक घरानों की महती भूमिका।
5. कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण के साथ पंचायती राज संस्थानों और महिला समुदायों की सक्रिय भूमिका।

नौ. ढांचागत विकास के लिए नीतिगत पहल

तीव्र आर्थिक प्रगति को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का उचित लागत पर प्रावधान तथा अनुरक्षण अत्यावश्यक है। हम इस बात से सुपरिचित हैं और बाद की सभी सरकारों ने रेलवे, सड़क, दूरसंचार, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी है। ढांचागत परियोजनाओं में भारी मात्रा में धनराशि लगती है और इनके कार्य आरंभ करने में काफी लम्बा समय लगता है। इनकी शुरुआती लागत भी काफी बैठती है और इन पर काफी लम्बे समय के लिए धन लगाना पड़ता है, उसके काफी समय बाद ही इन परियोजनाओं से लाभ मिलना आरंभ होता है। सरकार ने ढांचागत क्षेत्र में उच्च विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत प्रयास आरंभ किए हैं।

विद्युत: विद्युत न केवल औद्योगिक विकास के लिए ही, अपितु लोगों की विद्युत ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मूल आवश्यकता है। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् विद्युत पारेषण में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए संसद में विद्युत पारेषण विधेयक लाया गया है। केन्द्र और राज्यों में नियामक आयोगों की स्थापना के लिए भी एक अन्य विधेयक लाया गया है। शुल्क में एक समता लाने की दृष्टि से तरल ईंधन पर आधारित न्यून अवधि में कार्यारंभ करने वाले विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने के लिए विशेष उपाय भी आरंभ किए गए हैं।

कोयला: कोयला उद्योग में सतत् और सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नई खानों को खोलने, मौजूदा खानों के पुनर्गठन और संबद्ध मूलभूत ढांचे के विकास के लिए व्यापक निवेश किया गया है। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन का काम चल रहा है ताकि अन्वेषण कार्यों की निगरानी और नई कोयला खानों और लिग्नाइट ब्लाक आवंटित करने तथा मूल्य विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जा सके।

सड़कें: हमारे मुख्य सड़क नेटवर्क में सड़क यातायात के अनुरूप प्रगति नहीं हो पाई है। इसीलिए देश में राजमार्गों के विकास में तेजी

लाने के लिए अनेक नीतिगत उपायों को मंजूरी दी गयी है। इनमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, स्वच्छता, ऋण मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाना, बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश देना, राजमार्ग और आवास को कर रियायत के प्रयोजनार्थ राजमार्ग और आवास को सड़क संबंधी मूलभूत ढांचे के एक हिस्से के रूप में मानना और राजमार्ग संबंधी परियोजनाओं के लिए उच्च्व गुणवत्ता वाले अभिनिर्धारित उपकरणों के आयात को चुंगी तथा आयात शुल्क से मुक्त करना भी शामिल है।

रेल: भारतीय रेल प्रतिदिन एक मिलियन से अधिक यात्रियों तथा एक मिलियन टन से अधिक माल को ढोती है। इतनी प्रगति के बावजूद रेल देश के सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि सभी क्षेत्रों में रेल सुविधा उपलब्ध हो सके चाहे यह क्षेत्र वाणिज्यिक रूप में अर्थक्षम न हो। हम वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों को जुटाने की नई तकनीकों के माध्यम से इस संसाधन गत अंतर को पूरा करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं।

नागर विमानन: उदारीकरण और विश्व व्यापीकरण की शुरुआत से हमारे देश में नागर विमानन परिदृश्य में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है।

इस चुनौती का सामना करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय नागर विमानन के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार कर रहा है जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

दूरसंचार: गत दशक के दौरान मौलिक दूरसंचार सेवाओं में प्रति वर्ष 16-17 प्रतिशत की सतत उच्च विकास दर रही है। इस उच्च विकास दर के बावजूद अनेक लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। नौवीं योजनावधि के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग और निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की भी स्थापना की है।

दस. जैव विविधता

हमारे परम्परागत ज्ञान पर आधारित महान विरासत तथा जैव विविधता ही हमारी महान सम्पत्ति है। हमें इन्हें लाभकारी ढंग से उपयोग करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। इससे हम कुछेक अन्य क्षेत्रों में विश्व में कम अवधि में अग्रणी होकर उभर सकते हैं।

अब हम ऐसे युग में आ पहुंचे हैं जहां भू-पर्यावरणीय सम्पत्ति हमारे आर्थिक कार्यकलापों के वर्तमान स्वरूप तथा जीवन सहायक प्रणाली जिस पर हम निर्भर करते हैं, को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं रह गयी है। पर्यावरणीय अवक्रमण के चिन्ह व्यापक रूप से विद्यमान हैं।

हमारी कृषि भूमि का बहुत बड़ा भाग बंजर होता जा रहा है। जल के भण्डारों में व्यापक कमी आती जा रही है और प्रदूषण भावी खाद्य उत्पादन और शहरी विस्तार को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हमारी बढ़ती आबादी को देखते हुए हमारी समृद्धि अधिकाधिक संसाधनों के बेहतर तरीके से प्रयोग करने तथा आवश्यकता से अधिक उपभोग न करने पर निर्भर होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किये बिना हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये उपायों की खोज निश्चित रूप से एक एस.एंड टी. के समक्ष अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप सारा वातावरण खराब क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं समझता यह सही है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी (पैदापल्ली): मुझे बात नहीं करनी है। मुझे कहना है कि छ: रोज आपने डिसकशन चलाया और छ: रोज में कितने वीकर सैक्शन्स को अपनी बात रखने का मौका दिया, यह मेरा पाइंट है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी है, श्री जी. वेंकटस्वामी। श्री संतोष मोहन देव, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी: आपके नोटिस में दो मिनट लाने के लिए मैं बोल नहीं सकता हूं तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है, श्री जी. वेंकटस्वामी।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी: मुझे एक पाइंट आपके नोटिस में लाना है। मुझे बात नहीं करनी है। ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा कैमरे बन्द कर दिये जाएं। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे दुख है प्रधानमंत्री तथा अटल बिहारी वाजपेयी के बोलने के बाद, कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। श्री जी. वेंकटस्वामी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह सही तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी: मैं बात कहना चाहता हूं तो क्यों नहीं मुझे एक मिनट देते हैं? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.10 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यह सत्र जो कि ग्यारहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र का विस्तारित सत्र है, निम्नलिखित कारणों से ऐतिहासिक है:

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह सत्र हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आयोजित किया गया।

मुझे इस सभा के इतिहास में पहली बार नियम 360 के अंतर्गत सभा को सम्बोधित करने का विशेष अवसर मिला।

पुनः इस सभा के इतिहास में पहली बार वाद-विवाद का प्रस्ताव सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया।

इस सत्र में कोई सरकारी कार्य अथवा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य नहीं हुआ। जो भी कार्य हुआ वह सभी का, सरकार का, विपक्ष का, प्रत्येक सदस्य का और समूचे राष्ट्र का था।

जहां तक मेरी जानकारी है टेलीविजन पर निरन्तर दिखायी गई सभा की कार्यवाही को लोगों ने न केवल दिन में बल्कि रात में भी देखा।

प्रचार माध्यमों ने इस कार्यवाही का निष्पक्ष मूल्यांकन किया और कुल मिलाकर उन्होंने इस सत्र में हमारे प्रयासों की प्रशंसा की।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण और सभा पटल पर रखा गया वक्तव्य प्रधानमंत्री द्वारा अब तक दिया गया संभवतः सबसे लम्बा भाषण तथा वक्तव्य है।

इस वाद-विवाद ने पिछले कई रिकार्डों को पीछे छोड़ दिया।

इसमें मंत्रियों सहित 209 सदस्यों ने भाग लिया।

103 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे हैं जो कि निश्चय ही, सभा की कार्यवाही का हिस्सा बनाए जायेंगे।

अतएव कुल मिलाकर 312 माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया। मैं जानता हूं कि अनेक माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते थे जैसाकि उन्होंने अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं उन्हें समय न देने के लिए क्षमा याचना करता हूं।

यह वाद-विवाद छः दिन तक चला जिसमें सभा की बैठकों का समय बढ़ाया गया तथा सभा दो बार रात भर चली और इस प्रकार इस वाद-विवाद में कुल 64 घंटे और 29 मिनट का समय लगा।

वाद-विवाद का पिछला रिकार्ड जोकि अब टूट गया है, रेलवे तथा रेलवे की अनुदानों की मांगों पर चला वाद-विवाद था। यह वाद-विवाद 6 मार्च से 13 मार्च, 1997 तक पांच दिन चला और इसमें 26 घंटे और पांच मिनट का समय लगा।

सभा का कार्य निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी राजनैतिक राग-द्वेष अथवा आरोप-प्रत्यारोप के चला। सभा के समय का एक भी पल व्यवधान अथवा अव्यवस्था के कारण नष्ट नहीं हुआ। जैसा कि कई सदस्यों के भाषण से स्पष्ट है, व्यक्त विचारों का स्तर बहुत ऊंचा था। पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को दिये गये अपने प्रसिद्ध भाषण ''ट्राइस्ट विद डेस्टिनी'' में यह विचार व्यक्त किया गया था, ''स्वतंत्रता और अधिकार जिम्मेदारी लेकर आती हैं। यह जिम्मेदारी इस सभा पर है ...।'' इसमें संदेह नहीं कि इस सत्र के दौरान हमने पंडितजी के इस आदर्श के अनुरूप आचरण किया है आइए हम इसे अपने नियमित कार्य शैली के रूप में अपनायें।

मैं आप सबका राजनीतिक दलों के नेताओं, राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों का धन्यवाद करता हूँ और लोक सभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सत्र को सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया है।

मैं अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों की भी प्रशंसा करूंगा जिन्होंने पीठासीन होकर मेरे कार्य में सहयोग दिया। श्री पी.सी. चाक्को विशेष प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने लगातार सात घंटे चव्वन मिनट सभा की अध्यक्षता कर एक नया इतिहास कायम किया है।

शीतकालीन सत्र के लिए जब हम पुनः एकत्र होंगे तब तक हम दुर्गा पूजा, दीपावली का प्रकाशोत्सव मना चुके होंगे। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस सभा का भविष्य, हमारी जनता का भविष्य और हमारे देश का भविष्य प्रकाशोत्सव के समान दैदीप्यमान हो।

अब मैं यह संकल्प सभा के समक्ष रखता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): इससे पहले, क्या हम स्वैच्छिक योगदान के बारे में जान सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: कई संसद सदस्यों का सुझाव मिला है। चूंकि यह एक ऐतिहासिक सत्र रहा है और प्रत्येक सदस्य ने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के हित के लिए अपनी वचनबद्धता जाहिर की है तथा इस देश के कल्याण तथा प्रगति के लिए हमारे समर्पण के प्रतीक के रूप में सदस्य एक सप्ताह के इस सत्र के दैनिक भत्तों को प्रधान मंत्री राहत कोष में देने पर विचार कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इसके लिए पूरे सदन का अनुमोदन प्राप्त है।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 2.15 बजे

स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ''भारत के लिए कार्यसूची'' के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सदन के समक्ष निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

''हम, लोक सभा के सदस्य, स्वतंत्रता की अर्द्धशताब्दी के पूर्ण होने के स्मृति-स्वरूप, संसद के दोनों सदनों के विशेष रूप से बुलाए गए स्वर्ण जयन्ती सत्र में भाग लेते हुए;

हमारे स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा किये गये महान बलिदानों और उत्कृष्ट सेवाओं का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए;

लोकतंत्र की सतर्कतापूर्वक रक्षा करने तथा राष्ट्र की एकता की रक्षा करने में देश की जनता की परिपक्वता और देश की सेवा में हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं, के पराक्रम का अत्यंत संतोष और गर्व के साथ स्मरण करते हुए;

संविधान की प्रस्तावना को अपना मार्ग-दर्शक मानकर राष्ट्र की दशा का स्मरण करते हुए;

तत्पश्चात् हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन, देश में लोकतंत्र की स्थिति, हमारी अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानव विकास से संबंधित मामलों पर विशिष्ट रूप से चर्चा करते हुए;

अब उल्लिखित मुद्दों के प्रति अपनी संयुक्त एवं सर्वसम्मत वचनबद्धता का सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करते हैं और सत्यनिष्ठापूर्वक यह भी संकल्प करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इन मुद्दों को इस ऐतिहासिक अवसर पर तैयार की गई ''भारत की कार्यसूची'' में न्यूनतम कार्यों के रूप में अंगीकार किया जाये;

कि सार्थक चुनाव सुधार किये जायें जिनसे संसद तथा अन्य विधायी निकाय लोकतंत्र के संतुलित तथा प्रभावकारी साधन बनें; और कि राजनीतिक जीवन तथा प्रक्रियायें, शासन-तंत्र पर, अपराधीकरण सहित अवांछनीय बाह्य कारकों के कुप्रभाव से मुक्त रहे;

कि सार्वजनिक जीवन में और अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी तथा उत्तरदायिता सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर एवं सक्रिय प्रयास शुरू किये जायें ताकि संसद तथा अन्य विधायी निकायों की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा सुनिश्चित एवं परिवर्द्धित हो; कि विशेष रूप से सभी राजनीतिक दल ऐसे सभी कदम उठायेंगे जिनसे हमारी राजनीति को अपराधीकरण अथवा उसके प्रभावों से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके;

कि संसद की प्रतिष्ठा को दोनों सदनों के सुचारू कार्य संचालन से संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी सभी नियमों और पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों में निहित समस्त प्रावधानों का सजगता और गरिमापूर्वक पालन करते हुए विशेष रूप से अधोलिखित व्यवहार के माध्यम से सुरक्षित तथा परिवर्द्धित किया जाये—

- प्रश्न काल को निर्विघ्न बनाये रखना,
- सदन के अधिकारिक क्षेत्रों में अतिक्रमण अथवा कोई नारेबाजी न करना, तथा
- गणतंत्र के राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई व्यवधान अथवा हस्तक्षेप करने के प्रयासों से अनिवार्य रूप से बचना;

कि यह मानते हुए कि जनसंख्या की आर्थिक रूप से असहनीय वृद्धि हमारी अधिकांश मानवीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए जोरदार राष्ट्रीय अभियान चलाया जाये;

कि सभी स्तरों पर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाये तथा इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये; कि संविधान द्वारा आदेशित प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में हुई उपलब्धि पर गहन निगरानी रखी जाये; और कि प्राथमिक शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के लक्ष्य को सन् 2005 तक प्राप्त किया जाये;

कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन सूझ-बूझ के साथ किया जाये जिसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाये-

- संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा उनके अपव्यय से बचना;
- आधारभूत ढांचे के विकास पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना;
- धन का सृजन पूर्ण, स्वेच्छा से चयनित तथा उत्पादक रोजगार, निर्धनता उन्मूलन और समानता तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के अविलम्बनीय साधन के रूप में करना;
- संतुलित क्षेत्रीय विकास;

कि देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लक्ष्य समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जायें, जिसमें हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं अर्थात् पारिवारिक स्तर पर भोजन, पोषाहार एवं स्वास्थ्य रक्षा; पेयजल; स्वच्छता और आवास पर विशेष जोर दिया जाए;

कि संयुक्त राष्ट्र चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन (1995) की घोषणा तथा कार्य मंच की भावना के अनुरूप लिंग-भेद रहित न्याय की स्थापना की जाये तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए इसे जीवन शैली के रूप में अपनाया जाये;

कि पर्यावरण-सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी एवं जैव-विविधता के संरक्षण हेतु हमारे देशवासियों के जीवन में मूल्यों का विकास करने तथा उनके जीवन और कार्यशैली में तालमेल स्थापित करने के लिए सतत् प्रयास किये जायें;

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यत: एक वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने के लिए किया जाये, सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयासों का संवर्धन करके इनका विकास किया जाये और इनका उपयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि सर्वांगीण मानव विकास के लिए भी किया जाये;

और अंतत: कि सहभागी लोकतंत्र का सार तत्व हमारी आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय भावना विकसित करने में देखा जाये जिसके अंतर्गत हमारे देश के नागरिक केवल सरकारी प्रयासों के लाभार्थी न हों बल्कि राष्ट्रीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में बराबर के भागीदार हों।

यह संकल्प मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। क्या मैं समझूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है?

(माननीय सदस्यों ने स्वीकृति में अपनी मेजें थपथपाईं)

अध्यक्ष महोदय: संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.22 बजे

अध्यक्ष महोदयः सभी राजनैतिक दलों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि समस्त सदस्य इस घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। सदन के स्थगित होने से पूर्व सभी सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर सकें ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता। अतएव यह निर्णय लिया गया था कि अध्यक्ष महोदय वरिष्ठ नेताओं को चुन लें जो प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करें और शेष सदस्य सदन के स्थगित होने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर करें। वे कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रत्येक सीट पर हस्ताक्षर स्लिप बांट दी जाएगी और वे इस पर हस्ताक्षर करेंगे* परन्तु सभा को स्थगित करने से पूर्व मैंने ऐसे नौ माननीय सदस्यों को चुना है जो इस पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूं। इस पर अग्रलिखित हस्ताक्षर करेंगे—अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री पी.वी. नरसिंहराव, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री राम विलास पासवान, श्री जी.एम. बनातवाला, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला और उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद हम सभा को स्थगित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय हर पार्टी के लीडर को लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह तो केवल प्रतीक मात्र है। हस्ताक्षर करने में केवल पांच मिनट का समय लगेगा क्योंकि हस्ताक्षर स्लिप प्रत्येक सीट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी): मेरा निवेदन है कि जब आपने इतना अच्छा काम किया है, यहां अच्छी स्पीचेज हुई हैं, उन्हें कम्पाइल करके सभी मैम्बर्स को दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः हां, दो तरह के प्रकाशन होंगे। पूरे वाद-विवाद की शब्दशः प्रक्रिया एक स्मारक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जायेगी। यह सभी संसद सदस्यों को बांटी जाएगी। दूसरे, हरेक सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच होगी और अच्छे सुझावों को अलग से प्रकाशित किया जायेगा। प्रत्येक पृष्ठ पर अलग-अलग सदस्य के सुझाव प्रकाशित किये जायेंगे। केवल समग्र शब्दशः रिपोर्ट ही नहीं अपितु प्रत्येक सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव भी अलग से प्रकाशित होंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): यदि भाषण बुरा हो तो कोई मुद्दा नहीं होगा।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): हमें इस संकल्प के पालन को सुनिश्चित करना है जैसाकि सभी सदस्यों ने तथा राष्ट्र ने उसे सम्मति दी है। मेरा सुझाव है और मुझे लगता है कि यह अनुचित भी नहीं है कि सभी पार्टियों के सदस्यों द्वारा बनी एक समिति इस संकल्प के कार्यपालन का शीघ्र कार्यपालन सुनिश्चित करे। मंत्रिपरिपद ही सब कुछ करेगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता।

मंत्रिपरिषद माननीय सदस्यों को चिल्लाने से तो नहीं रोक सकती और न ही सदन के बीचों-बीच जमा होने की उनकी प्रवृत्ति को बदल सकती है।

अध्यक्ष महोदयः हमने राजनीतिक दलों के रूप में स्वयं इस संकल्प के कार्यपालन की जिम्मेदारी ली है।

श्री पी.सी. थामसः मेरा सुझाव है कि इस संकल्प पर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री आई. डी. स्वामी (करनाल): यह तो बहुत वस्तुपरक है। हमें भले और बुरे की पहचान होनी चाहिए।

डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी): इस ऐतिहासिक अवसर पर लिया गया एक चित्र हम सबके लिए एक स्मृति चिन्ह बन सकता था। एक चित्र खींचा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं।

अब माननीय सदस्य वन्दे मातरम् के लिए खड़े हो जाएं।

अपराह्न 2.26 बजे

राष्ट्र गीत

राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदयः अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

---

*सदस्यों के हस्ताक्षर सहित मूल प्रस्ताव की प्रतिलिपि अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अनुबंध

स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर
26 अगस्त से 1 सितम्बर, 1997 तक आयोजित
संसद के विशेष सत्र में लोक सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प

हम, लोक सभा के सदस्य, स्वतंत्रता की अर्द्धशताब्दी के पूर्ण होने के स्मृति-स्वरूप, संसद के दोनों सदनों के विशेष रूप से बुलाए गए स्वर्ण जयन्ती सत्र में भाग लेते हुए;

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किये गये महान बलिदानों और उत्कृष्ट सेवाओं का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए;

लोकतंत्र की सतर्कतापूर्वक रक्षा करने तथा राष्ट्र की एकता को रक्षा करने में देश की जनता की परिपक्वता और देश की सेवा में हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित हैं, के पराक्रम का अत्यंत संतोष और गर्व के साथ स्मरण करते हुए;

संविधान की प्रस्तावना को अपना मार्ग-दर्शक मानकर राष्ट्र की दशा का स्मरण करते हुए;

तत्पश्चात्, हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन, देश में लोकतंत्र की स्थिति, हमारी अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानव विकास से संबंधित मामलों पर विशिष्ट रूप से चर्चा करते हुए;

अब, एतत् पश्चात् उल्लिखित मुद्दों के प्रति अपनी संयुक्त एवं सर्वसम्मत वचनबद्धता का सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करते हैं और सत्यनिष्ठापूर्वक यह भी संकल्प करते हैं तथा निदेश देते है कि इन मुद्दों को इस ऐतिहासिक अवसर पर तैयार की गई ''भारत की कार्यसूची'' में न्यूनतम कार्यों के रूप में अंगीकार किया जाये;

कि सार्थक चुनाव सुधार किये जायें जिनसे संसद तथा अन्य विधायी निकाय लोकतंत्र के संतुलित तथा प्रभावकारी साधन बनें और कि राजनीतिक जीवन तथा प्रक्रियायें, शासन-तंत्र पर, अपराधीकरण सहित अवांछनीय बाह्य कारकों के कुप्रभाव से मुक्त रहें;

कि सार्वजनिक जीवन में और अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर एवं सक्रिय प्रयास शुरू किये जायें ताकि संसद तथा अन्य विधायी निकायों की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा सुनिश्चित एवं परिवर्द्धित हो; कि विशेष रूप से सभी राजनीतिक दल ऐसे सभी कदम उठायेंगे जिनसे हमारी राजनीति को अपराधीकरण अथवा उसके प्रभावों से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके;

कि संसद की प्रतिष्ठा को दोनों सदनों के सुचारु कार्य संचालन से संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी सभी नियमों और पीठासीन अधिकारियों के निदेशों में निहित समस्त प्रावधानों का सजगता

और गरिमापूर्वक पालन करते हुए विशेष रूप से अधोलिखित व्यवहार के माध्यम से सुरक्षित तथा परिवर्द्धित किया जाये –

- प्रश्नकाल को निर्विघ्न बनाये रखना,
- सदन के अधिकारिक क्षेत्रों में अतिक्रमण अथवा कोई नारेबाजी न करना, तथा
- गणतंत्र के राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई व्यवधान अथवा हस्तक्षेप करने के प्रयासों से अनिवार्य रूप से बचना;

कि यह मानते हुए कि जनसंख्या की आर्थिक दृष्टि से असहनीय वृद्धि हमारी अधिकांश मानवीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए जोरदार राष्ट्रीय अभियान चलाया जाये;

कि सभी स्तरों पर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाये तथा इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये; कि संविधान द्वारा आदेशित प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में हुई उपलब्धि पर गहन निगरानी रखी जाये; और कि प्राथमिक शिक्षा को लोक व्यापी बनाने के लक्ष्य को सन् 2005 तक प्राप्त किया जाये;

कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन सूझबूझ के साथ किया जाये जिसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाए–

- संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा उनके अपव्यय से बचना;
- आधारभूत ढांचे के विकास पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना;
- धन का सृजन पूर्ण, स्वेच्छा से चयनित तथा उत्पादक रोजगार, निर्धनता उन्मूलन और समानता तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के अवलम्बनीय साधन के रूप में करना; और
- संतुलित क्षेत्रीय विकास;

कि देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार के लक्ष्य को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जायें, जिसमें हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं अर्थात् पारिवारिक स्तर पर भोजन, पोषाहार एवं स्वास्थ्य रक्षा; पेयजल; स्वच्छता और आवास पर विशेष जोर दिया जाए;

कि संयुक्त राष्ट्र चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन (1995) की घोषणा तथा कार्य मंच की भावना के अनुरूप लिंग-भेद रहित न्याय की स्थापना की जाये तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए इसे जीवन शैली के रूप में अपनाया जाये;

कि पर्यावरण-सुरक्षा तथा परिस्थितिकी एवं जैव-विविधता के संरक्षण हेतु हमारे देशवासियों के जीवन में मूल्यों का विकास करने तथा उनके जीवन और कार्यशैली में तालमेल स्थापित करने के लिए सतत् प्रयास किये जायें;

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यत: एक वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने के लिए किया जाये, सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयासों का संवर्धन करके इनका विकास किया जाये और इनका उपयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि सर्वांगीण मानव विकास के लिए भी किया जाये;

और अन्तत: कि सहभागी लोकतंत्र का सार तत्व हमारी आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय भावना विकसित करने में देखा जाये जिसके अंतर्गत हमारे देश के नागरिक केवल सरकारी प्रयासों के लाभार्थी न हों बल्कि राष्ट्रीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में बराबर के भागीदार हों।

सदस्यों के हस्ताक्षर

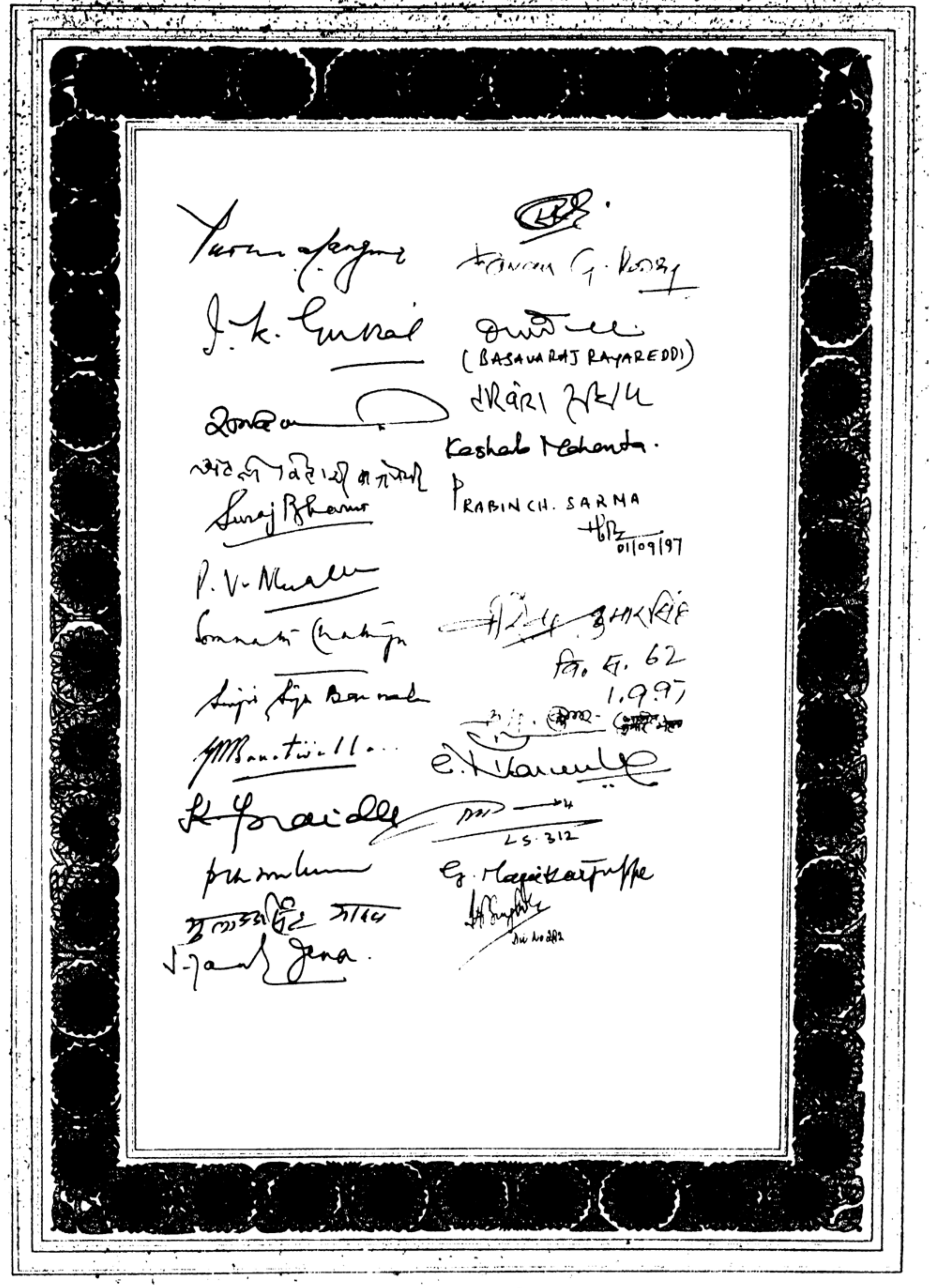

[illegible] L S 237

[illegible]

K. Vijaya Bhaskar Rao

210 [illegible]

DN 399

[illegible]

[illegible] 333

[illegible] Div 270.
L.S. 270
(V PRADEEP KUMAR DEV)

[illegible]
(B. K. Handique)

Meira Kumar

[illegible]

Ratna Singh

[illegible] (DR. B.N. REDDY)
L.S 256

Nurul Islam

[illegible]
221
(P.NAMGYAL)

Mangni Lal Sharma
Div. 222

[illegible]
Div. 40

[illegible] D-19

[illegible] D-22

[illegible]
(T.R. BAALU)

[illegible]
(M P Veerendra Kumar).

[illegible]
D 41 [illegible]

[illegible]
D-64

[illegible]
D-44

Lal Babu Prasad Yadav
Div.-50

[illegible]
Div-52

Md. Shahabuddin
Div. 51

[illegible]
D. 23

[illegible]
Div. 383

[illegible]
7.9.97
Div. no. 14

Jaswant Singh

[illegible]

श्याम बिहारी मिश्र

[illegible]

[illegible]
(डॉ. सत्यनारायण जटिया)

[illegible]
(जगत वीर सिंह द्रोण)

[illegible] (सत्य देव सिंह)

[illegible]
(V. DHANANJAYA KUMAR)

[illegible] श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी

[illegible]
(Rajendrasinh Rana)

गिरधारी लाल भार्गव

[illegible]
(अशोक शर्मा)

L. Ramesh
IC.37

पुराणदेवी IC 457

[illegible]
IC 367

[illegible]
I.C. 381

[illegible]
IC. 28
Dr M. Jagannath

Kota Pydayya
I.C. 17

Sode Ramaiah
SC 1100-5

[illegible] (N.V.N. Somu)
(Deputy Leader D.M.K
M.O.S. Defence)

A R Antulay 1/9/97

(S. Bangarappa)
1/9/97

1.9.97

(Pabansingh Ghatowar)

D. P. Yadav.
Div 316

M. Gamson

Manoranjan Bhakta
Div 193

Div 243

(23.300)

L.S.
Div. 376

Div. 340

'KASHIRAM RANA	[illegible]
JAGMOHAN	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Chandresh Patel	- [illegible]
Banwari Lal Purohit	[illegible] D.N.469
[illegible]	[illegible] D.N.491
Justice Guman Mal Lodha	[illegible] D.N.467
प्रो० रासासिंह रावत	[illegible] सि.सं. 470
डॉ. [illegible] पांडेय	[illegible] 472
[illegible]	[illegible] 477

अशोक प्रधान

राधा मोहन सिंह

बाबूराव [illegible]
[illegible]

मुनि [illegible]

[illegible]

छत्तरसिंह [illegible]
D.No. 448

निहाल चंद चौहान — निहाल चंद चौहान

[illegible]

D.V. No. 450

डॉ० स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी — साक्षी [illegible]
डि. नं. 394

कुन्दनलाल [illegible] 435 — [illegible]

Vishweshwar Bhagat

Sarat Jaterjee.

Sukhbeer Kaur

Alya

Ellitz

(Pawan Diwan)

SATYAJIT GAEKWAD.

Shri Haena

Nisha Chaudhary

Chhabila Netam

[illegible]

LS 200

[illegible]

L.S. 31

[illegible]

LS 329

A venkatarami [illegible]

LS353

[ANANTHA VENKATARAMI REDDY]

[illegible]

L.S. 213

(MULLAPALLY RAMACHANDRAN)

[illegible]

L.S. 267

रामबली सिंह वर्मा सदस्य

लोक सभा 355 [illegible]

[illegible] 393	[illegible signature]
VASUNDHARA RAJE KS.387.	Vasundhara Raje
डा० अमृतलाल भारती	[illegible signature] 460
महावीर लाल विश्वकर्मा 4,29	महावीर लाल
SATYA PAL JAIN	Satya Pal Jain 4,89.

Ramesh Chennithala.
DN 279

BHAKTA CHARAN DAS
Dim. No. 389.

Sribellav Panigrahi
Dvn. No. 214.
(SRI BALLAV PANIGRAHI)

(ASHOK GEHLOT)
360

(1) प्र॰ दयार्थ ... आनन्द रत्न मौर्य. 1106

(2) दिल्ली ना॰ ३. ८८८.

(3) देव 14 (डी॰बी॰ टी॰)

4 [illegible] [illegible] [illegible] 5?7

5. Subhashchand 496

पवन [illegible] चौधरी 550

[illegible] शर्मा D.N. 441

[illegible] 7
547

[illegible]

उमाकान्त [illegible] 390

नरेन्द्र अग्रवाल 400

सत्य पाल जैन 489

इन्द्रपाल सिंह 501

[illegible] प्रसाद अग्रवाल 529

डॉ. [illegible]

[illegible]

Amar Pal Singh

Division No 510

G. J. Jariya - 528

[illegible] 366.
1/9/97.

[illegible] 392

[illegible] 382
1/9/97

[illegible]
1/9/97.

[illegible] 427

विजय [illegible] 540

[illegible] 449.

[illegible] ४८८

राम [illegible] 516

शिखर [illegible] 425

[illegible] 124

चित्तरंजन सिंह 442

Sudhir Giri 137

Sunil [illegible] 170

Priya Ranjan Dash

Soumya R. Patnaik

Dr Krupasindhu Rao

K. S. R. MURTHY

Shakila Lonya

[illegible]

[illegible]

T1. [illegible]
1.6.10
(T1. SUBBARAYUDU)

Murli Ram Saikia

[illegible] M.P
S.P

গিরিধারী প্রসাদ

[illegible]
D.N. 541

Anil Basu 127

Ram Chandra Dome - 156.

Badal Chowdhury 126

Joachim Barla 111

Anchal Das · D.N. 95.

Surendra Yadav D. No. 93

[illegible] - 45

Syed Masudal Hossain

Tarit Baran Topdar

V. Raghavan

Nawal Kishore Sharma

Sandipan Thorat

Md. Idris Ali

1) पूर्णिमा वर्मा

378

(2) रामलाल नी

385

(3) राजकेश्वर उर्द

क्रि. ४२५.

(4) देवी वकर सिं

क्रि. क्र. 416

5) Pancy

O. No. 495

6. Majnu singh 317

KBH (

252

Rup Chand Pal

Sachin Chowdhury (?)

Ajoy Mukhopadhyay

Hannan Mollah

(1252)

343

245

[illegible]

[illegible]

Amar Roy Pradhan

Sanat Kumar Mandal

Bir Singh Mahato.

Ranen Barman [illegible]

[illegible]

মদন লাল গুপ্তা 479

[illegible] 480
(Sartaj Lushi)

[illegible] 481

মহম্মদ গি 490

সোবি সিকারী 500

তেলেঙ্গানা 548

Uttta Basu

Geeta Mukherjee

Ajay chakraborty

Prem Singh chandumajra

Div No 328

[illegible] Div. 536

[illegible] [illegible] D.M. 451

[illegible] Div: 537 Dr. Vallabhbhai Kathiria
Div M. 537

कार्यामुर्ग

[illegible]

प्रतिपरागत

[illegible]

रामसागर

सुभावती देवी

[illegible]

Div 230

Manabendra Nath

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रामविलास वेदान्ती
सि॰स॰ 405

जयवंती मरेला. 484.
प्रो॰ रीता वर्मा– सीकरी
सि॰ स॰ – 476

श्री सुमित्रा महाजन
सि॰ 475

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- DIV. No: 231

1- Chandra Bhushan Singh D.N. 522

2- [illegible] 532

3- [illegible] - 542

4 [illegible] D.N. 433

5. [illegible] D.N. 538

ક્લાસ નંબર ૨૮૪

[illegible] 418

(1) Suresh Ramrao Jadhav S.S.
Div. No. 109. [illegible]

(2) Sandhya Bauri L.S.
Div. No - 169. Sandhya Bauri

K. H. Muniyappa
[illegible]
L S - 331.

Basudeb Acharia
L S . 100

[illegible]
लो. सभा

[illegible]
(बच्ची सिंह रावत)
वि०नं० 524, लोक सभा

K C K[illegible]
L S 275
(K. C. KONDAIAH)

बृजभूषण तिवारी
लोकसभा 153.

[illegible signature]

V. Kandasamy IC 383

K. Satyanarayana

I.C. 17

[illegible] 39

T. Sarada I.C.14

Nirmal Kanti Chatterjee

Samik Lahiri

Louis Islary

[illegible]

Uddhab Barman

Tomo Riba.

[illegible] पटेल
306

[illegible]
346

Begum Noor Bano
318

(Oscar Fernandes)
D-308

[illegible] Prasanna Hazarika
Div 274

Panabaka Lakshmi
D.No. - 323

DILEEP SANGHANI [illegible signature]
IN.H. 520

[illegible] [illegible signature] 31 8 96

[illegible] [illegible]

आनन्द मोहन [illegible signature]

Shafiqur Rahman Barq Div No. 144
Gopal Krishna.

Birendra Pd. Baishya Div. No 9
(C. Narayana Swamy) Div No. 74.
(PRAFUL PATEL) DIV 247
(E AHAMED) Div 218

अनुक्रमणिका

विषय-वार अनुक्रमणिका

(अ)

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था, 169, 1320, 1329, 124, 162, 914

आर्थिक उदारीकरण, 397, 524, 1099, 455, 98, 1301, 444, 926, 825, 699, 149, 876, 707

आर्थिक आजादी, 516, 1302

आर्थिक आयोजना, 1342

आर्थिक नीति, 1320, 95, 32, 186

आर्थिक विकास, 1275, 371, 480, 459, 672

आर्थिक विषमता, 609, 1316, 1305, 506

आर्थिक सुधार 815, 220, 457, 1021, 402, 1135, 13

आय और वितरण की विषमता, 251

एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, 192

निजीकरण, 181, 72

निर्यात, 101, 12, 143

निवेश नीति, 1283, 944, 144

अनुत्पादक व्यय, 665, 667

पेटेण्ट प्रणाली, 611

बजट निधि, 1264

बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 399, 100, 1111, 859

भारत में प्रति व्यक्ति आय, 853

भूमण्डलीकरण के नाम पर उपनिवेशवाद, 649, 647

मुद्रास्फीति, 928, 884

योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, 1022

राष्ट्रीय आय, 251, 945

विदेशी कंपनियां, 100

विदेशी कर्ज, 1170, 436, 143

विदेशी निवेश, 185, 13

विदेशी मुद्रा, 953, 60

वित्तीय स्थिति, 876, 548, 556

स्वदेशी, 1254, 767, 996

समानान्तर अर्थव्यवस्था, 185

सब्सिडी, 845, 226

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 763, 884

आधारभूत संरचना, 683, 660, 1329, 1245, 1282, 26, 1199

आधारभूत ढांचे हेतु धन की उपलब्धता, 806

ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, 1012, 1015

15 सूत्री कार्यक्रम, 370

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम 360 के अंतर्गत संबोधन, 3

अधिनियम

असम के लिए आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 798

आदिवासी भूमि अधिग्रहण कानून, 1367

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 864

वन संरक्षण अधिनियम, 1346

अनुसंधान

अनुसंधान और विकास, 221, 582, 324, 527

अनुसंधान के लिए निधियों की समस्या, 324

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाईयां, 223

रक्षा अनुसंधान, 478, 580

विज्ञान-शोध, 470

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जातियों व जनजातियों की समस्याएं 177, 1289, 474, 977, 683

आदिवासी जनसंख्या, 721, 969, 1010

आदिवासी विकास, 1347, 1366, 1247, 1303

जनजाति विकास निगम, 1322

दलितों पर अत्याचार, 982, 406

अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याएं, 370, 867, 178, 919, 413, 343

अल्पसंख्यकों की भागीदारी और सुरक्षा, 363

आंग्ल-भारतीय समुदाय, 449

मुसलमानों का समाज में योगदान, 917, 296, 220

विधानसभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, 413

(आ)

आतंकवाद

आतंकवाद की समस्या और भारत में विघटनकारी शक्तियां, 938, 351, 634

कश्मीर में अलगाववाद, 434

अलगाववाद और आतंकवाद, 434

जम्मू और कश्मीर में हिंसा, 563, 433

जम्मू, कश्मीर, पंजाब और असम में व्याप्त आतंकवाद, 112

टाडा बंदी, 414

आरक्षण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण, 883, 1078, 1296, 711

आरक्षण, 1308, 521, 58, 1372, 1342, 1143, 685

उत्तराखंड में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, 451

दलित इसाइयों के लिए आरक्षण, 992, 295

दलितों को आरक्षण, 991, 792, 207

मंडल कमीशन, 184, 244, 575

महिला आरक्षण, 723, 1329, 393, 658, 1334

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, 1329

मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण, 684, 773

(उ)

उद्योग

अत्यधिक मशीनीकरण के दोष, 287

औद्योगिक उत्पादन, 153

औद्योगिक नीति, 1076, 1067

औद्योगिक विकास, 127, 1226, 1243, 972

उन्नत प्रौद्योगिकी से कच्चे माल का उत्पादन, 325

कपड़ा उद्योग की समस्याएं, 1261

कुटीर उद्योगों का विकास, 1356, 1224, 616, 233

भारी उद्योगों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, 647

मजदूरों की स्थिति, 979

रुग्ण उद्योग, 627, 55

लघु क्षेत्र के उद्योग, 1080, 953, 132

लाइसेंस कोटा परमिट, 256

वस्त्र उद्योग, 1261, 5091

स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन, 996

उपलब्धियां

आजादी के 50 वर्षों की उपलब्धियां और असफलताएं, 420, 126, 475, 435, 126, 426, 1089

देश की समस्याएं और उपलब्धियां, 1358

सिंचाई, विद्युत और रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में देश की उपलब्धियां, 442, 267, 614

(ऊ)

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र, 688
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, 488
सौर ऊर्जा तथा अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, 328, 430

(क)

कृषि

अजैविक कृषि पद्धतियां और उनके प्रभाव, 9
अनाज उत्पादन, 523, 153
अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता, 696
आर्थिक उन्नति के लिए किसानों को प्रोत्साहन व सब्सिडी, 845
उड़ीसा के गंजम जिले में कृषि की स्थिति, 426
किसानों की उपलब्धियां तथा सरकारी सहायता, 1076
किसानों की उपेक्षा, 972
किसानों की तरक्की, 778
किसानों की समस्याएं, 886, 681, 1102, 1090, 689
किसानों के जीवन-स्तर में सुधार, 981
किसानों के विकास हेतु समुचित पैकेज, 794
किसानों के हितों की सुरक्षा, 466
किसानों को उचित मूल्य, 1259
किसानों को राज सहायता और सुविधाएं, 990, 291, 1200, 947, 226
किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, 639
किसानों की स्थिति, 1247, 1249, 1067
कीटनाशक दवाएं, 143
कृषि, 1140, 473, 1250, 1309, 1235, 1074, 1071, 582
कृषि आय, 946
कृषि उत्पादन, कपास की आयात पर रोक, 1026, 1080, 1326, 925
कृषि और पशुपालन, 127, 1290
कृषि और उद्योग संबंधी नीति, 1023
कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, 28, 1306
कृषि के लिए बजट का आवंटन, 726
कृषि को उद्योग का दर्जा, 28
कृषि नीति, 1314
कृषि भूमि, 143
कृषि भूमि का आबंटन, 166
कृषि भूमि की सिंचाई, 1657
कृषि भूमि सुधार, 649, 227
कृषि मूल्य आयोग, 1356, 165
कृषि में निवेश, 534
कृषि विकास, 213, 1086, 986, 409, 955, 1186, 939, 1196-97
कृषि वैज्ञानिक, 128
कृषि मजदूरों की स्थिति, 999, 65
कृषि समस्याएं, 1005, 1102
खाद और कीटनाशक, 143
खाद, बीज और उन्नत खेती, 663, 959
खाद्यान्न उत्पादन, 213, 1344, 252, 165
खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा हरित क्रान्ति, 692, 1302, 615, 9
खेतिहर मजदूर, 1337
दालें और खाद्य तेल, 955
दुग्ध उत्पादन, 214
पशुपालन, 217, 482
फसल बीमा, 467
बुनकरों की समस्याएं, 474
भूमि सुधार, 218, 608, 358
सिंचाई सुविधाएं, 59, 242
सिंचाई परियोजनायें, 719, 1323
सिंचाई के द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रगति, 326, 768

केन्द्र राज्य संबंध

केन्द्र राज्य संबंध, 463, 318, 1287, 1168, 334, 1287
पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा, 495, 802
राज्यों को अधिक स्वायतता, 463
सरकारिया आयोग, 463, 334, 1176, 50

केन्द्र शासित प्रदेश

केन्द्र शासित प्रदेशों की समस्याएं, 724

क्षेत्रीय असंतुलन

क्षेत्रीय असंतुलन, 887, 464, 651, 799, 1243, 1286
क्षेत्रीयता की भावना, 651
योजनाओं में क्षेत्रीय असंतुलन, 887

(ख)

खनिज

खनिज भंडार, 528, 691, 374
तेल कुएं, 59

खेल कूद

एशियाई तथा ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, 877
खिलाड़ियों का चयन, 878, 302
भारतीय खेल प्राधिकरण, 878

(ग)

गरीबी

गरीबी की समस्या, 1086, 665, 921, 770, 1121, 1243, 1303, 1062, 1205, 1262, 3742, 1325
गरीबी उन्मूलन, 1002, 251, 411, 1225, 516, 848, 1175, 352, 777, 713, 738
गरीबी और कुपोषण, 132, 680
गरीबी और विषमता, 1351, 634
गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग, 615, 1282
देश में भुखमरी की समस्या, 1038

ग्रामीण विकास

ग्राम विकास की समस्याएं, 1079, 551, 205, 783, 543, 1311, 1338, 1082, 946, 227
गांवों में आवश्यक सुविधाएं, 882, 955, 1012, 1250
ग्रामीण विकास योजनाएं, 512, 1327, 241, 973, 1295
ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, 1274
ग्राम स्वराज, 234, 137

(च)

चुनाव

चुनाव के दौरान हिंसा, 865
चुनाव में अपराध को समाप्त करना, 840, 1268
चुनावों में धांधली, 1372
चुनाव सुधार, 424, 639, 1396, 52, 1215, 1229, 971, 1267, 104, 65, 726, 235
चुनाव सुधार विधेयक, 88
दिनेश गोस्वामी समिति रिपोर्ट, 52
देश में चुनाव खर्च की सीमा, 1059
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, 313
पहचान पत्र, 1266
सहकारी व्यय पर चुनाव, 52, 235

(ज)

जनसंख्या

जनसंख्या की समस्या, 536, 532, 1123, 154, 770, 159, 241, 1090, 472, 1281, 8, 897, 192
जनसंख्या और निरक्षरता, 124
जनसंख्या नियंत्रण, 1086, 793, 208, 895, 808, 340, 409, 1328, 392, 961, 1244, 1007, 44, 400, 1336, 1174
जनसंख्या नीति, 1401
जनसंख्या वृद्धि, 738, 1261, 910, 694, 80, 883, 925, 91, 1236, 897, 352
परिवार नियोजन, 533, 818, 59, 157, 1319, 925, 227
मुस्लिम जनसंख्या, 371
राज्यवार परिवार कल्याण स्थिति, 188
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का अभाव, 634

जम्मू-कश्मीर
जम्मू और कश्मीर, 563
कश्मीर की समस्याएं, 563
जम्मू कश्मीर के लिए अधिक स्वायत्तता, 462
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, 433, 563
जल संसाधन
अन्तर्राज्यीय जल विवाद, 365
जल संसाधन और पेयजल, 1399, 727
जल संवर्द्धन के प्रयास, 1098
जल समझौता, 883
नदी जल का उपयोग, 948
नदी जल का बंटवारा, 952
नदी जल विवाद, 952, 410
पानी की समस्या, 132
भाखड़ा नंगल योजना, 956
सिंचाई व्यवस्था, 768
जातिवाद
जातिवाद की समस्या, 998, 870, 58, 1340, 1090
जाति व्यवस्था का अंत, 921, 1370, 63, 725
जातीयता का जहर, 910
धर्म
धर्म निरपेक्षता, 739, 422, 361, 862, 54, 128, 80, 337, 977
धार्मिक आधार पर भेदभाव, 789
धार्मिक विचार की स्वतंत्रता, 793
बौद्ध धर्म, 570
निधन संबंधी उल्लेख
श्री द्वारका नाथ दास, 1
श्री बाबूनाथ सिंह, 123
श्री जुल्फीकारउल्ला, 1118
श्री कान्सारी हाल्दर, 1118

(न)

न्यायपालिका
न्यायपालिका, 509, 181, 1340, 1048, 732, 1157
न्यायिक सक्रियता, 53, 725, 88
न्यायिक सेवा आयोग, 894
न्यायपालिका में सुधार, 1345, 81, 317, 1040, 1240
न्यायपालिका का राजनीतिकरण, 241
न्यायाधीशों की नियुक्ति, 725
भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना, 361
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, 635
न्यायपालिका और कार्यपालिका, 1048, 732

(प)

पंचायती राज प्रणाली
ग्राम पंचायत, 1398
पंचायती राज संस्थाएं, 1096
परमाणु शक्ति
परमाणु अप्रसार सन्धि, 753
परमाणु नीति, 582
परमाणु शक्ति, 192
परमाणु हथियारों की होड़, 754
परिवहन
जल परिवहन, 365
रेल, 577
विमान परिवहन, 1403
सड़क परिवहन, 1402, 832, 183
पर्यावरण
पर्यावरण, 639, 1167, 453
पर्यावरण की सुरक्षा, 1004
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, 1234
पर्यावरण संतुलन, 525
पर्यावरण हेतु प्रौद्योगिकी, 271
पर्वतीय क्षेत्र
पर्वतीय लोगों की समस्याएं, 678
पिछड़े वर्गों की समस्याएं, 187
पिछड़े वर्गों का उत्थान, 187
पूंजी निवेश
पूंजी निवेश की समस्याएं, 1283
पूंजीवाद, 144
राज्यों में पूंजी निवेश, 50
विभिन्न राज्यों में केन्द्र का निवेश, 823
विदेशी पूंजी निवेश, 1284
पूर्वोत्तर क्षेत्र
पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं, 1087, 1213, 495, 803
पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद, 802
बोडोलैण्ड की समस्या, 1154
प्रशासन
अफसरशाहों की भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति, 1355, 681
त्रुटिपूर्ण प्रशासन प्रबंधन संबंधी प्रणाली, 1040
नौकरशाही, 7
नौकरशाही का राजनीतिकरण, 7
पांचवां वेतन आयोग, 951
प्रशासन में पारदर्शिता, 12
प्रबंधन, 333, 1066
प्रशासनिक सुधार, 182
प्रशासनिक व्यय, 7
प्रशासनिक तंत्र, 49
प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, 788
प्रबंधकीय नेतृत्व की समस्या, 1069
वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, 745
सूचना पाने का अधिकार, 638, 208, 106, 238
प्रस्ताव
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव, 16
प्राकृतिक संसाधन
देश की उन्नति के लिए संसाधनों को जुटाना, 1350, 1272
प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, 1350, 221, 768
प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, 1272, 60, 1194
प्राकृतिक सम्पदा, 1320
प्राकृतिक संतुलन, 1320
प्रतिभा पलायन
देश से प्रतिभा का पलायन और उसकी रोकथाम, 765, 425, 477, 1331

(ब)

बुनियादी सुविधाएं
बुनियादी आवश्यकताएं, 1264, 683, 378
बुनियादी ढांचे का अभाव, 1333, 1039, 1115
आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, 50, 1241, 23, 1282
गांवों में मूलभूत सुविधाएं, 1250, 1283
गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, 1012
बेरोजगारी
बेरोजगारी की समस्या, 638, 951, 1334, 534, 416, 97, 412, 259, 1188, 1006, 681, 1316, 554, 37, 973
बेरोजगारी भत्ता, 271
स्वरोजगार कार्यक्रम, 534
बैंक
बैंक ऋण, 743
बैंकिंग व्यवस्था का ग्रामीण स्तर पर और अधिक विस्तार, 784
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1088, 1303
बैंकों की भूमिका, 1149

(भ)

भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार, 1324, 961, 60, 1301, 1341, 1008, 1316, 241, 39, 927, 1321, 116, 743, 1265, 635, 864, 53, 134, 223

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, 1333, 1010
भ्रष्टाचार उन्मूलन, 907, 949, 904, 922, 837
भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण, 378, 1251, 237
भ्रष्टाचार का प्रसार, 980, 371
भ्रष्टाचार की समस्या, 111, 1346, 218, 536, 528, 1098, 72, 557, 1368, 1344, 1034, 1081, 84, 1229, 971, 210, 954, 21, 120
रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, 1001
लोकपाल विधेयक, 182, 237, 1072
सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, 839

भाषा
उर्दू भाषा का विकास, 918, 919
भाषा का महत्व, 480
भाषा नीति, 290, 302
मैथिली भाषा, 682
हिन्दी और अन्य राष्ट्र भाषाओं का स्थान, 96

भुखमरी
उड़ीसा में भुखमरी की समस्या, 1039
कुपोषण, 132

(म)

मत्स्यन
समुद्री खाद्य पदार्थों का उत्पादन, 834
मल्लाह तथा मछुआ कल्याण, 513, 468
महासागरीय संसाधन, 329

महिलाएं
कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण, 1034, 1260
दलितों तथा महिलाओं को अधिकार, 155, 202, 160, 401, 120, 7
दहेज-विरोधी कानून, 856
नारी-सम्मान, 522
महिला आरक्षण, 1027, 130, 983, 418, 1287, 1329, 393, 329, 650, 1063, 468
महिला आरक्षण विधेयक, 723, 1232, 958, 382
महिला जागरण, 1283
महिला साक्षरता, 222, 695, 381
महिलाओं का शोषण, 297
महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, 856, 980, 598, 417
महिलाओं से संबंधित समस्याएं, 639, 979
महिलाओं का विकास, 7
स्त्री-पुरुष समानता, 1018, 160

मानव संसाधन
दस्तकार, 282
मानव संसाधन विकास, 222, 103, 442, 38, 1107
श्रम शक्ति, 44

(य)

युवा पीढ़ी
युवा पीढ़ी की समस्याएं, 879, 936
नयी युवा नीति, 785, 855
युवा पीढ़ी का राजनैतिक उपयोग, 416
युवा शक्ति, 761
युवकों की आकांक्षाएं, 503
राष्ट्रनिर्माण के कार्य में युवा वर्ग की भागीदारी, 855

योजना
योजना कार्यक्रम, 1258
आठवीं पंचवर्षीय योजना, 450
इन्दिरा आवास योजना, 379
पंचवर्षीय योजनाएं, 884
योजना आयोग, 1232
योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, 454
योजनाओं की समीक्षा, 1108
रोजगार और आवास की योजनाएं, 379

(र)

रक्षा
रक्षा अनुसंधान, 478
रक्षा सैनिकों को उचित सुविधाएं, 1224, 1084
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, 1034
समुद्री एवं थल सुरक्षा, 1034
सशस्त्र बलों में युवकों की भर्ती, 111
सैन्य बल, 1084

राजनीति
नेताओं का चरित्र, 908
भारत की राजनीतिक व्यवस्था, 639
राजनीतिक अछूत, 1170
राजनीतिक स्थायित्व, 224, 692
वोट की राजनीति, 792, 799

राजनीति का अपराधीकरण
राजनीति का अपराधीकरण, 886, 1026, 840, 439, 196, 1182, 61, 868, 202, 605, 336, 88, 1328, 533, 242, 494, 1233, 1016, 494, 974, 1233, 1017, 1311, 19, 1251, 238, 1336

राजनैतिक दल
राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र, 115,941
दल-बदल, 749

राजभाषा
राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, 1148
भाषा का दर्जा, 1145, 930
हिन्दी थोपना, 487

राज्य
उड़ीसा का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, 1313, 1079
नये राज्यों का गठन, 1007, 913

राष्ट्र
राष्ट्रवाद, 231, 1391, 1313
राष्ट्र धर्म, 125
राष्ट्र भाषा, 230
राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, 1381, 200, 802
राष्ट्रीय एकता, 225, 198, 1277
राष्ट्रीय कार्यसूची, 54
राष्ट्रीय पुनर्गठन, 441
राष्ट्रीय मजदूर नीति, 257
राष्ट्रीय संस्थानों का पुनर्गठन, 196
राष्ट्रीय विकास, 559, 1301
राष्ट्रीय वित्त विकास निगम, 1368

राष्ट्रीय सुरक्षा
आंतरिक सुरक्षा, 1380, 258

रोजगार
रोजगार की समस्या, 1179, 204, 698
रोजगार कार्यक्रम, 204
रोजगार के अवसर, 954
रोजगार को मौलिक अधिकार बनाना, 638, 322, 102
रोजगार गारंटी योजना, 549
रोजगारोन्मुखी योजनाएं, 549

(ल)

लोकतंत्र
एकदलीय शासन-व्यवस्था, 1046
दल-बदल, 749
दलीय पद्धति, 229
देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली, 639
पंचायती राज प्रणाली, 1289, 119, 898, 914, 945
प्रजातंत्र और व्यवस्था में तीनों अंगों का प्रभाव, 786
प्रजातंत्र की दयनीय स्थिति, 941
प्रजातांत्रिक संस्थाएं, 731
बहुदलीय शासन व्यवस्था, 813, 1159, 253
भारत में प्रजातंत्र की जड़ें, 1229
भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, 361, 203, 1143, 20, 119
भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं, 520
भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष, 114, 202
मिली जुली सरकार, 693

राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र, 318
राष्ट्रपति प्रणाली, 748, 607
लोकतंत्र, 911, 143, 1150, 20, 23, 27
लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, 1257
लोकतांत्रिक व्यवस्था, 822
संघीय ढांचा, 1287
संप्रभुता, 603
सत्ता का विकेन्द्रीकरण, 1144
संसदीय प्रजातंत्र, 258
संसदीय प्रणाली का अनुसरण, 190
संसदीय लोकशाही पद्धति, 1158, 151

(व)

वन
वन क्षेत्र, 526, 854, 857
वृक्षारोपण, 723, 1003

विकास
आर्थिक व सामाजिक विकास, 614
राष्ट्रीय राजमार्ग, 701
विकास दर, 75, 1281, 1280
संतुलित क्षेत्रीय विकास, 615, 210
सांसद क्षेत्र विकास राशि, 210

विज्ञान और प्रौद्योगिकी
उपग्रहीय प्रौद्योगिकी, 323
कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, 323, 263, 899
विज्ञान और प्रौद्योगिकी समस्याएं, 1384, 223, 579, 641, 327, 768, 1070, 14, 699
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, 577
जैव प्रौद्योगिकी, 477
जैव विविधता के क्षेत्र में उपलब्धियां, 765
जैव सम्पदा की चोरी, 578
प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, 268
प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक संसाधन, 580
प्रौद्योगिकी में स्वदेशी संसाधनों का उपयोग, 767
प्रौद्योगिकी संबंधी नीति, 325, 321
फ्यूजन प्रौद्योगिकी, 328
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, 196, 268
सूचना प्रौद्योगिकी, 478, 594
स्टील टैक्नोलोजी, 589

विदेशी मामले
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, 13
विदेश नीति, 192
गुट निरपेक्षता, 268
परमाणु निशस्त्रीकरण, 761
साम्राज्यवादी ताकतें, 199

विद्युत
गांवों का विद्युतीकरण, 1062
गुजरात में पावर प्रोजेक्ट बनाना, 719
पन बिजली, 1272, 768, 674
बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति, 1402, 1098, 529, 1325, 1186, 1013, 166, 701, 916, 714
विद्युत उत्पादन की संभावनाएं, 166
विद्युत क्षेत्र की समस्याएं, 661, 621
विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका, 622

विश्व व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन–एक बड़ी औपनिवेशिक शक्ति, 648

व्यापार
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 649
व्यापारी वर्ग, 1225
विश्व व्यापार संगठन, 648

(श)

शिक्षा
शिक्षा की समस्या, 1309, 1400, 1086, 1321, 1188
उच्च शिक्षा, 1068
अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 889
अनिवार्य शिक्षा, 512
आदर्श शिक्षा प्रणाली, 434
निरक्षरता, 1285, 1320, 1010
नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 1290, 985
नैतिक शिक्षा, 1010
पंजाब में शिक्षकों की कमी, 690
पब्लिक स्कूल, 956
प्राथमिक शिक्षा, 1098, 195, 890, 991, 410, 357
बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं, 1030, 449
बुनियादी अधिकारों में शिक्षा को शामिल करना, 1027, 1043, 103
महिला शिक्षा, 1288
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 45
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 424, 1290
रोजगार उन्मुखी शिक्षा, 439, 976, 8, 1171
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 248
शिक्षा का अभाव, 545
शिक्षा का प्रचार, 890, 697, 672
शिक्षा के क्षेत्र में की गई उन्नति, 937, 1295
शिक्षा नीति, 1339, 277
शिक्षा पद्धति, 622, 471
शिक्षा प्रणाली, 493, 1039, 448, 929
शिक्षा व्यवस्था, 1321, 1238, 944
शिक्षण संस्थाओं में चन्दा, 836
शिक्षित बेरोजगार, 1175
साक्षरता, 604, 1243, 1301, 445, 900, 1174

शीत युद्ध
पश्चिमी राष्ट्रों के बीच संघर्ष की स्थिति, 1399
साम्राज्यवाद, 1392

(स)

संविधान
संविधान, 604, 603
आपातकालीन उपबन्ध, 51, 487
अनुच्छेद, 356
संविधान-42वां संशोधन, 51
देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका, 316, 317, 232, 236
नीति निदेशक सिद्धांत, 316, 201, 238
भारत का संविधान, 369, 1256, 1248, 519, 314, 439, 86, 401
भारतीय संविधान में समाजवादी दृष्टिकोण, 1218
मूल अधिकार एवं काम का अधिकार, 638, 315, 102
संविधान संशोधन, 750, 212
संविधान का मूल ढांचा, 671
संविधान बयालीसवां, तेहत्तरवां और चौहत्तरहवां, 463
सत्तरहवां संशोधन, 196
संविधान का पुनरीक्षण, 1104
संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, 982
संविधान में व्याप्त कमियां, 1017
संविधान में संशोधन के लिए आयोग, 116, 637
समान नागरिक संहिता, 362, 1346, 1290, 483

संसद
आचार समितियां, 637
कार्यपालिका की सदन के प्रति जवाबदेही, 54
भारतीय संसद, 82
जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, 1126
लोक सभा की कार्यवाही पर व्यय, 905
संसद की गरिमा, 812, 795, 791
संसद सदस्यों का सदन में व्यवहार, 865, 816
संसदीय परम्पराएँ, 212
सभा का कार्य-संचालन, 91, 4, 190
संसदीय समिति, 1354

संस्कृति
भारतीय संस्कृति, 715, 1063, 1094
मूर्तिकला और हस्तशिल्प का विकास, 523
सांस्कृतिक विकास, 535, 75
हमारी सभ्यता और संस्कृति, 408, 18

समाज कल्याण
वृद्धावस्था पेंशन, 974
नशाबन्दी, 1081
दहेज प्रथा, 900
समाजवाद
समाजवाद, 1360
वर्गरहित समाज की स्थापना, 883
गाँधीवादी विचारधारा, 266
सहकारिता
सहकारी आन्दोलन, 1325, 228
सहकारी क्षेत्र, 1261
सहकारी समितियां, 707
साम्प्रदायिकता
साम्प्रदायिकता, 862, 200, 462, 1334, 1325, 387, 978, 121
साम्प्रदायिक दंगे, 183, 731, 869
साम्प्रदायिक सद्भाव, 798
साम्प्रदायिकता का जहर, 615
सामाजिक व्यवस्था
सामाजिक शान्ति, 6
सामाजिक उत्थान, 1264
सामाजिक एकता, 30, 32
अंधविश्वास, 573
छुआछूत, 170
सामाजिक क्रान्ति, 576
सामाजिक न्याय
मंडल कमीशन, 244
सामाजिक न्याय, 397, 1180, 1343, 32
सामाजिक न्याय और समानता, 197, 1369
सामाजिक विषमता, 232, 1312, 1020, 45
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1399, 253, 1024, 10, 697
सार्वजनिक क्षेत्र
सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएं, 75
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 11
सिक्ख समुदाय
सिक्खों की उपेक्षा, 668, 69
सूखे की समस्या
उड़ीसा में सूखे की समस्या, 1313, 1079, 427
सूखा राहत कार्यक्रम, 1313
स्वतंत्रता
अपूर्ण स्वतंत्रता, 486
आजादी की दूसरी लड़ाई, 1170
स्वतंत्रता की उपलब्धियाँ, 425, 415, 470
स्वतंत्रता संग्राम
आजाद हिन्द फौज, 1292, 1291
गांवों में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों की स्थापना, 87
स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, 484
स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 85
स्वतंत्रता संग्राम, 740, 108, 489, 1381, 940, 55, 1312, 1218, 1291, 1318, 332, 445, 1298, 1298
स्वतंत्रता संग्राम भवन, 523
स्वतंत्रता सेनानी, 1326, 1194
स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 1194, 570
स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान, 1000, 1029, 198
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य, 1050
कुपोषण, 132
चिकित्सा सुविधायें, 949
प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, 902
बाल मृत्यु दर, 1368
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 963
स्वास्थ्य सेवाएं, 1330, 93
स्वायत्त संस्थायें
जन-जातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन, 462
झारखंड क्षेत्र, 818
तेलंगाना आन्दोलन, 1256
स्वायत्त संस्थाएं, 180

(ह)

हरिजन
दलितों का कल्याण, 405, 991
दलितों का शोषण, 406
हरिजनों पर अत्याचार, 396

नाम-वार अनुक्रमणिका

(अ)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
किसानों की समस्याओं का निराकरण, 886
क्षेत्रीय असंतुलन, 887
राजनीति का अपराधीकरण, 886
सामाजिक और आर्थिक आजादी, 882
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
आर्थिक विकास, 1275
अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र
देश की उपलब्धियां, 1118
अर्गल, श्री अशोक
अर्थव्यवस्था, 1320
आर्थिक नीति, 1320
भ्रष्टाचार, 1321
प्राकृतिक संतुलन, 1320
शिक्षा व्यवस्था, 1321
अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा
राष्ट्र की प्रगति, 559
अनंत कुमार, श्री, 113
भ्रष्टाचार, 116
भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष, 114-115
राजनीतिक दलों में आंतरिक लोक तंत्र, 115
संविधान में संशोधन के लिए आयोग, 116
अनन्त, श्री वेंकटरामी रेड्डी
कृषि उत्पादन की समस्या, 1026
महिलाओं को आरक्षण, 1027
राजनीति का अपराधीकरण, 1026
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना, 1027
अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान
जनसंख्या वृद्धि, 738
दल-बदल, 749
धर्मनिरपेक्षता, 739
निर्धनता उन्मूलन, 738
बैंक ऋण, 743
भ्रष्टाचार, 743
राष्ट्रपति शासन प्रणाली, 748
वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, 745
स्वतंत्रता संग्राम, 740
संविधान संशोधन, 750
अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप
बजट निधि, 1264
भ्रष्टाचार, 1265
मूलभूत आवश्यकताएं, 1264
विरासत, 1263
सामाजिक उत्थान, 1264
अहमद, श्री ई.
अल्पसंख्यकों की समस्याएं, 370
आर्थिक विकास, 371

15 सूत्री कार्यक्रम, 370
भारत का संविधान, 369
मुस्लिम जनसंख्या, 371
अहमद, श्री एम. कमालुद्दीन
क्षेत्रीय दलों के उभरने से संसदीय लोक तंत्र को खतरा, 1257
तेलंगाना आंदोलन, 1256
भारत का संविधान, 1256
योजना प्रक्रिया, 1258
अहीर, श्री हंस राज
पर्यावरण संतुलन, 525
वन क्षेत्र, 526
(आ)
आजमी, श्री इलियास
आजादी के 50 वर्षों की उपलब्धियां, 420
चुनाव सुधार, 424
धर्म निरपेक्षता, 422
प्रतिभा पलायन, 425
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 424
आठवले, श्री नारायण
युवकों की आकांक्षाएं, 503
आवाडे, श्री कल्लप्पा
कपड़ा उद्योग की समस्याएं, 1261
जनसंख्या वृद्धि, 1261
सहकारिता क्षेत्र, 1261
(इ)
इस्लाम, श्री कमरुल
अन्तर्राज्यीय जल-विवाद, 365
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, 363
जल-परिवहन, 365
धर्म निरपेक्षता, 361
भारत में लोकतंत्र, 361
भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना, 366
समान नागरिक संहिता, 362
इस्लेरी, श्री लुई
बोडोलैंड समस्या, 1154
(उ)
उपेन्द्र, श्री पी.
आचार समितियों का कार्यकरण, 637
काम करने व सूचना के अधिकार, 638
किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, 639
चुनावी सुधार, 639
देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली 639
बेहतर पर्यावरण पर बल देना, 639
भारत में विघटनकारी शक्तियां, 634
भारतीय अर्थव्यवस्था, 638
भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष 635
महिलाओं और कमजोर वर्गों पर अत्याचारों को रोकना, 639
राज्य सरकारों द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, 634
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का अभाव, 634
संवैधानिक सुधार आयोग, 637
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, 635
उबोक, श्री मेजर सिंह
जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम में व्याप्त आतंकवाद, 112
भ्रष्टाचार, 111
स्वतंत्रता संघर्ष, 108-111
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
टाडा के अंतर्गत बन्द मुसलमान, 414
मुसलमानों की समस्याएं, 413
(क)
कटियार, श्री विनय
न्यायपालिका, 1345
भ्रष्टाचार, 1346
वन संरक्षण अधिनियम, 1346
समान नागरिक संहिता, 1346
कठेरिया, श्री प्रभुदयाल
जनसंख्या वृद्धि, 910
जातीयता का जहर, 909
भ्रष्टाचार की समाप्ति, 907
राजनीति में नैतिकता, 908
लोकतंत्र, 911
लोक सभा की कार्यवाही पर व्यय, 905
कथीरिया, डा. बल्लभभाई
स्वास्थ्य, 1050
कमल रानी, श्रीमती
भ्रष्टाचार का प्रसार, 980
मजदूरों की स्थिति, 979
महिलाओं पर अत्याचार, 979
विधवा विवाह, 980
कलमाडी, श्री सुरेश
एशियाई तथा ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, 877
भारतीय खेल प्राधिकरण, 878
युवकों की भर्ती, 879
कारवेंधन, श्री एस. के.
कृषि, 509
न्यायपालिका, 510
कुमार, श्री एम.पी. वीरेन्द्र
उपलब्धियां, 1358
खाद्यान्न उत्पादन, 1361
गरीबी उन्मूलन, 1361
समाजवाद, 1360
स्वतंत्रता सेनानी, 1359
कुमार, श्रीमती मीरा
अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, 397
गांधीजी एवं सामाजिक न्याय, 397
जातिवाद, 394
बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, 399
हरिजनों पर अत्याचार, 396
कुमार, श्री वी. धनन्जय
प्राकृतिक संसाधन, 1350
कुरियन, प्रो. पी. जे.
शिक्षा प्रणाली, 493
सवतंत्रता संग्राम, 489
कुशवाहा, श्री सुखलाल
सामाजिक न्याय, 1180
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी, 1002
रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, 1001
स्वाधीनता सेनानियों की शहादत, 1000
कृष्ण, श्री
चिकित्सा सुविधायें, 949
पांचवां वेतन आयोग, 951
नदी जल-विवाद, 952
बेरोजगारी की समस्या, 951
भ्रष्टाचार उन्मूलन, 949
काशीराम, श्री
अर्थव्यवस्था, 169
छुआछूत, 170
कोंडय्या, श्री के.सी.
लिंग आधारित भेदभाव, 1018
कोटा, श्री सिद्दैया
कृषि उत्पाद, 1196-97
कौजलगी, श्री शिवानन्द एच.
मूर्तिकला और हस्तशिल्प का विकास, 523
स्वतंत्रता संग्राम भवन, 523
(ख)
खालसा, श्री हरिन्दर सिंह
धर्मनिरपेक्षता, 861
साम्प्रदायिकता, 862

(ग)

गंगवार, श्री संतोष कुमार
कृषि विकास, 213
खाद्यान्न की स्थिति, 213
दुग्ध उत्पादन, 214
पशुपालन, 217
भूमि सुधार, 218
भ्रष्टाचार, 218

गढ़वी, श्री पी.एस.
आधारभूत सुविधाएं, 717
नर्मदा सिंचाई परियोजना, 719
पावर प्रोजेक्ट, 719
भारतीय संस्कृति, 715

गवली, श्री पुण्डलिकराव रामजी
जनसंख्या, 536
भ्रष्टाचार, 536

गामीत, श्री छीतुभाई
आदिवासी विकास, 1347

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
आरक्षण, 1308
उपलब्धियां, 1307
शिक्षा, 1309

गीते, श्री अनंत गंगाराम
दलीय पद्धति, 229
धर्मनिरपेक्षता, 230
राष्ट्रभाषा, 230
राष्ट्रवाद, 231
सामाजिक विषमता, 232

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
आन्तरिक स्थिरता, 1380
आरक्षण, 1384
उदारीकरण, 1398
चुनाव सुधार, 1396
जनसंख्या नीति, 1401
जल संसाधन और पेयजल, 1399
जैव विविधता, 1403
नागर विमानन, 1403
पंचायती राज संस्थायें, 1398
परिवहन, 1402
प्रौद्योगिकी और विज्ञान, 1384
भ्रष्टाचार, 1395
राष्ट्रीयता, 1381
राष्ट्रीयवाद, 1391
विद्युत, 1402
शिक्षा, 1400
शीत युद्ध, 1399
सरकारिया आयोग, 1398
साम्राज्यवाद, 1392
सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, 1386
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1399
स्वतंत्रता संग्राम, 1381

गुप्त, श्री इन्द्रजीत
भ्रष्ट व आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट न देने का संकल्प, 840
राजनीति का अपराधीकरण, 839
सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, 839

गुप्त, श्री चमन लाल
कश्मीर में अलगाववाद की समस्या, 434
आदर्श शिक्षा प्रणाली, 434
जम्मू और कश्मीर की समस्याएं, 433

गोयल, श्री विजय
प्रजातंत्र की दयनीय स्थिति, 941
राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र, 941
स्वतंत्रता संग्राम, 940

गौतम, श्रीमती शीला
बेरोजगारी, 1334
भ्रष्टाचार, 1333
महिला आरक्षण, 1334
मूलभूत सुविधाओं का अभाव, 1333

(घ)

घाटोवार, श्री पवन सिंह
अशिक्षा, 1086
गरीबी की समस्या, 1086
जनसंख्या नियंत्रण, 1086
पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं, 1087
बागान मजदूर, 1088

(च)

चक्रवर्ती, श्री अजय
चुनाव के दौरान हिंसा, 865
भ्रष्टाचार, 864
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 864
संसद सदस्यों का सदन में व्यवहार, 865

चटर्जी, श्री सोमनाथ
अवसंरचनात्मक सुविधाएं, 50
कार्यपालिका की सदन के प्रति जवाबदेही, 54
चुनाव सुधार, 52
धर्मनिरपेक्षता, 54
न्यायिक सक्रियता, 53
प्रशासनिक तंत्र, 49
भ्रष्टाचार, 53
राज्यों में पूंजीनिवेश, 50
राष्ट्रीय कार्यसूची, 54
रुग्ण उद्योग, 55
स्वतंत्रता संग्राम-दूसरे स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान, 55
संविधान-अनुच्छेद 356, 51
संविधान आपातकालीन उपबंध, 51
संविधान-42वां संशोधन, 51
सरकारिया आयोग, 50

चन्दूमाजरा, प्रो. प्रेम सिंह
कृषि, 667
गरीबी, 665, 667
अनुत्पादक खर्च, 666

चन्द्रशेखर, श्री
आजादी के 50 वर्षों की उपलब्धियां, 126
औद्योगिक विकास, 127
कृषि, 127
कृषि वैज्ञानिक, 128
कुपोषण, 132
धर्म-निरपेक्षता, 128
पानी की समस्या, 132
महिलाओं को रिज़र्वेशन, 130
भ्रष्टाचार, 134

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा.
जैव प्रौद्योगिकी, 477
प्रतिभा पलायन, 478
रक्षा अनुसंधान, 478
सूचना प्रौद्योगिकी, 478
स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, 475

चाक्को, श्री पी.सी.
आर्थिक सुधार, 815
बहुदलीय व्यवस्था, 813
संसदीय मर्यादाओं का पालन, 812

चिखलिया, श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई
कृषि का विकास, 983
कृषि को उद्योग का दर्जा, 984
बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 985

चित्यन, श्री एन.एस.वी.
अनुसंधान, 221
आर्थिक सुधार, 220
आधारभूत संरचना, 219
प्राकृतिक संसाधन, 221
भ्रष्टाचार, 223
मानव संसाधन, 222
महिला साक्षरता द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, 222

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 223
साम्प्रदायिकता, 200
राजनीतिक स्थिरता, 224
राष्ट्रीय एकता, 225

चेन्नितला, श्री रमेश
आर्थिक उदारीकरण, 534
कृषि में निवेश, 534
जनसंख्या, 532
परिवार नियोजन, कार्यक्रम, 533
बेरोजगारी, 534
शिक्षा, 535
स्व-रोजगार कार्यक्रम, 534
सांस्कृतिक विकास, 535

चौधरी, श्री पद्मसेन
कृषि नीति, 1314

चौधरी, श्री बादल
अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, 462
केन्द्र राज्य-सम्बन्ध, 463
सरकारिया आयोग, 463
जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन, 462
तिहतरवां तथा चौहत्तरवां संविधान (संशोधन) विधेयक, 463
साम्प्रदायिकता, 462

चौधरी, श्री रामटहल
झारखंड क्षेत्र, 818
परिवार नियोजन, 818
सांसदों की गिरती छवि, 816

चौधरी, कर्नल सोनाराम
अफसरशाहों की भर्ती, पदोन्नत प्रक्रिया और वेतन भत्ते, 1355
औपनिवेशिक विरासत, 1354
संसदीय समिति, 1354

चौबे, श्री लाल मुनी
गरीबी, 539
भ्रष्टाचार, 538
राष्ट्रभाषा, 542

चौहान, श्री जयसिंह
कृषि और पशुपालन, 1290
नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 1290
पशुपालन, 1290
समान नागरिक संहिता, 1290
साक्षरता अभियान, 1290

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह
उदारीकरण, 1099
जल संवर्द्धन के प्रयास, 1098
बिजली का उत्पादन, 1098
बुनियादी शिक्षा, 1098
भ्रष्टाचार, 1098

चौहान, श्री निहाल चन्द
किसानों को उचित मूल्य, 1259
मूलभूत आवश्यकताएं, 1259

चौहान, श्री श्रीराम
राष्ट्रवाद, 1313
स्वतंत्रता संग्राम, 1312
स्वदेशी, 1313

(ज)

जगन्नाथ, डा. एम.
आरक्षण, 194
प्राथमिक शिक्षा, 195
राजनीति का अपराधीकरण, 196
राष्ट्रीय संस्थानों का पुनर्गठन, 196
राष्ट्रीय स्मृति उत्सव आयोजन समिति, 196
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 196
संविधान (सतहत्तरवां संशोधन), 196
सामाजिक न्याय और समानता, 197

जगमोहन, श्री
निजीकरण, 72
भ्रष्टाचार, 72
विकास दर, 75
सभ्यता और संस्कृति का निर्माण, 74
सार्वजनिक क्षेत्र, 75

जटिया, डा. सत्यनारायण
संस्कृति, 1254
स्वदेशी, 1254

जाधव, श्री सुरेश आर.
भ्रष्टाचार उन्मूलन, 904
स्वतंत्रता-संघर्ष, 902

जायसवाल, श्री एस.पी.
राजनीति का अपराधीकरण और वोहरा कमेटी, 1182

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
भ्रष्टाचार, 557
वित्तीय स्थिति, 556

जिन्दल, श्री ओ.पी.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, 683
आधारभूत ढांचा, 683
आरक्षण, 685
पिछड़े वर्ग, 684

जेना, श्री श्रीकांत
उड़ीसा का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, 1162
चुनाव सुधार, 1165
बहुदलीय शासन पद्धति, 1159
संसदीय लोकतंत्र, 1158

जैन, श्री सत्यपाल
केन्द्र शासित क्षेत्र, 724
न्यायाधीशों की नियुक्ति, 725
न्यायिक सक्रियता, 725

जोशी, डा. मुरली मनोहर
अनुसंधान और विकास, 582
कृषि अनुसंधान, 582
परमाणु नीति, 582
रक्षा अनुसंधान, 580
वस्त्र उद्योग, 591
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, 578
स्टील टेक्नोलोजी, 589
सूचना प्रौद्योगिकी, 594

जोशी, वैद्य दाऊ दयाल
जनसंख्या, 1123

जोस, श्री ए.सी.
जनसंख्या वृद्धि, 694
महिला शिक्षा, 695
राजनीतिक स्थायित्व, 692
सांझा सरकारें, 693
हरित क्रान्ति, 692

ज्ञानगुरुस्वामी, श्री आर.
अपूर्ण स्वतंत्रता, 486
राष्ट्र भाषा-हिन्दी थोपना, 487
संविधान का अनुच्छेद 356, 487

(ट)

टाडीपारथी, श्रीमती शारदा
महिलाओं से संबंधित समस्याएं, 598

टी. गोपाल कृष्ण, श्री
केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, 1168
प्रदूषण, 1168

(ठ)

ठाकरे, श्री राजाभाऊ
किसानों के विकास हेतु एक समुचित पैकेज की आवश्यकता, 794
जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और पर्यावरण पर विशेष बल, 793
धार्मिक विचार की स्वतंत्रता, 793
पद-दलितों को नौकरी में आरक्षण, 796
वोट की राजनीति, 792
सदन की गरिमा, 795

(ड)

डामोर, श्री सोमजीभाई
आदिवासियों के लिए आरक्षण, 1367
आदिवासी विकास, 1366
आदिवासी भूमि अधिग्रहण कानून, 1367
भ्रष्टाचार, 1368

डार, श्री मोहम्मद मकबूल
विज्ञान और टेक्नॉलोजी, 641

डोम, डा. रामचन्द्रन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 963

(त)

तसलीमुद्दीन, श्री
खाद्यान्न उत्पादन, 1344
भ्रष्टाचार, 1344

तिरिया, कुमारी सुशीला
अनुसूचित जाति व जनजातियों की स्थिति, 722
आदिवासियों की समस्याएं, 721
महिला आरक्षण विधेयक, 723
वृक्षारोपण, 723

तिवारी, श्री बृज भूषण
आर्थिक विकास और रोजगार, 480
गरीबी और विषमता, 481
भाषा का महत्व, 480.

तिवारी, श्री लाल बिहारी
आय और वितरण की विषमता, 251
खाद्यान्न उत्पादन, 252
गरीबी उन्मूलन योजना, 251
बाल शोषण, 251
योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, 251
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 253

तोमर, डा. रमेश चन्द
देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, 1043-1045

तोपदार, श्री तरित बरण
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 610
आंतरिक बाजार, 610
आर्थिक विषमता, 609
औद्योगिक ढांचा, 609
उत्पादकता, 611
पेटण्ट प्रणाली, 611
भूमि सुधार, 608
विदेशी पूंजी, 609

त्रिपाठी, लैफ्टिनैंट जनरल प्रकाश मणि
महिलाओं का शोषण, 1034-1035
भ्रष्टाचार, 1034
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, 1033-34

(थ)

थामस, श्री पी.सी.
राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, 832
संसद के विशेष सत्र में राष्ट्र-निर्माण के उपाय ढूंढना, 828
समुद्री खाद्य पदार्थों का उत्पादन, 834

दरबार, श्री छत्तर सिंह
आदिवासियों का विकास, 1247
किसानों की स्थिति, 1247
भारत का संविधान, 1248

दास, श्री अंचल
अ.जा. व अ.ज.जा. के लिए आरक्षण, 1078-79
आई.पी.सी. में संशोधन, 1080
उड़ीसा में सूखे की समस्या, 1079
खेती व लघु उद्योग, 1080
ग्राम विकास की समस्याएं, 1079
पिछड़ों पर अन्याय, 1079
बेरोजगारी, 1080
भ्रष्टाचार, 1080
शराबबंदी, 1081

दास, श्री भक्त चरण
बढ़ता हुआ क्षेत्रीय असंतुलन, 651
शहरों की तुलना में गांवों का कम विकास, 551
सुदृढ़ लोकतंत्र, दलगत भावनाओं से उठकर देश के लिए कार्य, 651

दासमुंशी, श्री पी.आर.
आपातकाल, 78
जनसंख्या वृद्धि, 80
धर्मनिरपेक्षता, 80
न्यायपालिका और कार्यपालिका, 81-82
भारत की विदेश नीति, 77
भ्रष्टाचार, 84
संसद की सर्वोच्चता, 82

दिलेर, श्री किशन लाल
आरक्षण का लाभ, 922
गरीबी, 921
जातिवाद व्यवस्था, 921
भ्रष्टाचार का उन्मूलन, 922

दिवाथे, श्री नामदेव
कुटीर उद्योग, 1356
कृषि मूल्य आयोग, 1356
शिक्षित बेरोजगारी, 1357

देव, श्री के.पी. सिंह
प्रशासन, 1219
भारतीय संविधान में समाजवादी दृष्टिकोण, 1218
स्वतंत्रता आन्दोलन, 1218
सैनिकों की समस्याएं, 1224

देव, श्री वी. प्रदीप
अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 889
प्राथमिक शिक्षा, 890
शिक्षा का प्रचार, 889-890

देव, श्री संतोष मोहन
चुनाव सुधार, 1215
पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद, 1213

देवी, श्रीमती फूलन
मूलभूत सुविधाएं, 1330

देवी, श्रीमती भगवती
गरीबी, 1351
बहेलिया और मीर शिकार समाज, 1352

देवी, श्रीमती सुभावती
रोजगार, 1179

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
किसानों की स्थिति, 1249
भारतीय राज्य व्यवस्था की कमजोरियां, 1248
शिक्षा, 1249

(ध)

धर्मभिक्षम, श्री
साम्प्रदायिकता, 1364
सिंचाई योजनाएं, 1365

(न)

नंदी, श्री येल्लैया
उद्योगों का विकास, 1226
चुनाव सुधार, 1229
भ्रष्टाचार, 1229
भारत में लोकतंत्र का विकास, 1224

नरसिम्हन, श्री सी.
गांवों में आवश्यक सुविधाएं, 882
जनसंख्या वृद्धि, 883
नदी जल का बंटवारा, 883
मुद्रास्फीति, 884
लघु उद्योग क्षेत्र, 883
वर्गरहित समाज की स्थापना, 883
स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 884

नामग्याल, श्री पी.
आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं, 969
भ्रष्टाचार, 971
चुनाव सुधार, 971

नायक, श्री मृत्युंजय
महिला आरक्षण विधेयक, 1232
योजना आयोग, 1231
स्वतंत्रता आंदोलन, 1230
''निडर'' प्रो. ओम पाल सिंह
आरक्षण, 521
नारी सम्मान, 522
भारतीय संविधान, 519
भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं, 520
निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक
देश में व्याप्त सामाजिक विषमता, 1028-29
बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं, 1030
स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान, 1029
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत, 1272
चुनाव सुधार, 1267
चुनाव में अपराध को समाप्त करना, 1268
पन बिजली परियोजनाएं, 1272
समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, 1274
निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद
अनिवार्य शिक्षा, 512
ग्रामीण विकास, 512
मल्लाह तथा मछुआरा कल्याण, 513
नीतीश कुमार, श्री
ग्रामीण भारत की समस्याएं, 205-206
जनसंख्या नियंत्रण में नारी शिक्षण का महत्व, 208
दलितों और शोषितों को अधिकार संपन्न करना, 207
भ्रष्टाचार, 210
मूलभूत आवश्यकता संबंधी कार्यक्रम, 205
सूचना पाने का अधिकार, 208
संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता, 212
संसदीय परम्पराएं, 207
सत्याग्रह द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन, 207
सांसद क्षेत्र विकास राशि, 210-211
नेलावाला, श्री सुब्रहमण्यम
आधारभूत सुविधाएं, 1241

(प)

पटनायक, श्री नवीन
उड़ीसा में सूखा, 427
स्वतंत्रता की उपलब्धियां, 426
पटनायक, श्री शरत
चुनाव सुधार की आवश्यकता, 1039
देश में भुखमरी की समस्या, 1038
बुनियादी सुविधाओं का अभाव, 1039
शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता, 1039
पटेल, श्री चन्द्रेश
पर्यावरण की सुरक्षा, 1004
वन रोपण से लाभ, 1003
पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह
कृषि मजदूर, 999
जातिवाद और साम्प्रदायिकता, 998
फूलपुर का विकास, 998
पटेल, श्री बुद्धसेन
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, 866
जातिवाद, 867
राजनीति का अपराधीकरण, 868
पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी
दलितों पर अत्याचार, 982
महिलाओं के लिए आरक्षण, 983
संविधान में आरक्षण का प्रावधान, 982
परसुरामन, श्री के.
उदारीकरण, 953
ग्रामीण क्षेत्र विकास, 955
दलहन और तिलहन का उत्पादन, 955
विदेशी मुद्रा, 953
भ्रष्टाचार, 954
रोजगार के अवसर, 954
लघु क्षेत्र के उद्योग, 953
परांजपे, श्री दादा बाबूराव
स्वतंत्रता संग्राम, 1291
सुभाष चन्द्र बोस, 1291
परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ
राज्यों का पुनर्गठन, 58
जातिवाद, 58
आरक्षण, 58
बजट प्रस्तुतीकरण, 58-59
परिवार नियोजन, 59
सिंचाई संसाधन, 59
पेट्रोल, 59
विदेशी मुद्रा, 60
प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, 60
पटवा, श्री सुन्दरलाल
अर्थव्यवस्था, 142
आर्थिक सुधार, 143
उर्वरक, 143
कृषि भूमि, 143
पूंजीवाद, 144
निर्यात, 144
निवेश नीति, 143
लोकतंत्र, 143-144
विदेशी ऋण, 143
पवार, श्री उत्तम सिंह
भ्रष्टाचार, 837
शिक्षण संस्थाओं में चंदा, 836
पवार, श्री शरद
अनाज उत्पादन, 153
औद्योगिक उत्पादन, 153
जनसंख्या, 154
प्रशासनिक व्यय, 152
बंध्यीकरण, 157
महिलाओं को अधिकार देना, 155
संसदीय लोकशाही पद्धति, 151
पाण्डेय, श्री लक्ष्मी नारायण
प्राकृतिक स्रोतों का दोहन, 1194
पाटिल, श्री अन्नासाहिब एम. के.
ऊर्जा क्षेत्र, 688
ग्रामीण क्षेत्र, 687
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 686
पाटिल, श्रीमती रजनी
महिलाओं की समस्या, 417
महिलाओं के लिए आरक्षण, 418
युवा पीढ़ी का राजनैतिक उपयोग, 416
सुशिक्षित बेरोजगारी की समस्या, 416
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती, 415
पाटिल, श्री शिवराज वी.
अनुसंधान और विकास, 324
आर्थिक विकास, 319
आधारभूत ढांचा, 320
आध्यात्मिकता का महत्व, 315
आनुवंशिकी, 327
उन्नत प्रौद्योगिकी से कच्चे माल का उत्पादन, 325
उपग्रह और पुनडुब्बियों का निर्माण, 323
केन्द्र-राज्य संबंध, 318
काम का अधिकार, 315
कार्यपालिका, 316
जनसंख्या नियंत्रण, 328
न्यायपालिका का आधुनिकीकरण, 317
निर्वाचन क्षेत्रों की विशालता, 313
नीति निदेशक सिद्धान्त, 316
फ्यूजन प्रौद्योगिकी, 328
प्रौद्योगिकी संबंधी नीति, 321
भारत का संविधान, 314
भूमि की सिंचाई, 326
महासागरीय संसाधन, 329
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र, 318
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 327
सौर ऊर्जा तथा अपरम्परागत उर्जा स्रोत, 328

पाठक, श्री हरिन
आजादी की दूसरी लड़ाई, 1170
राजनैतिक अछूत, 1170
विदेशों में जमा कालाधन, 1170
विदेशी कर्ज, 1170
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
उर्वरक उत्पादन, 663
बुनियादी ढांचा, 660
बिजली की कमी, 661
पायलट, श्री राजेश
ग्रामीण विकास, 783
धार्मिक आधार पर भेदभाव, 789
प्रजातंत्र और व्यवस्था में तीनों अंगों का प्रभाव, 786
प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, 788
बैकिंग व्यवस्था का ग्रामीण स्तर पर और अधिक विस्तार, 784
युवा पीढ़ी हेतु एक संतोषजनक नीति का निर्धारण, 785
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति, 786
पाल, डा. देवी प्रसाद
आर्थिक उदारीकरण, 455-56
आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास, 459
आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, 456
आर्थिक सुधारों की आवश्यकता, 457-58-59
पाल, श्री रूपचन्द
जल विद्युत, 768
जैव विविधता, 765
प्रतिभा का पलायन, 765
प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग, 768
प्रौद्योगिकी में स्वदेशी संसाधनों का उपयोग, 767
भ्रष्टाचार, 763
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, 768
वी.डी.आई.एस., 763
सिंचाई के द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रगति, 768
पासवान, श्री पीताम्बर
दलितों का कल्याण, 405
दलितों का शोषण, 406
पासवान, श्री राम विलास
अंधविश्वास, 573
जाति व्यवस्था, 568
बौद्ध धर्म, 570
भ्रष्टाचार, 577
मंडल कमीशन, 575
रेल व्यवस्था, 577
सामाजिक क्रान्ति, 576
पासवान, श्री सुकदेव
अल्पसंख्यक, 543
कृषि, 545
ग्रामीण विकास, 543
जनसंख्या, 543
भ्रष्टाचार, 545
शिक्षा का अभाव, 545
प्रधान, श्री अशोक
किसानों को सुविधाएं, 990
दलित इसाइयों के लिए आरक्षण, 992
दलितों को आरक्षण, 991
प्राथमिक शिक्षा, 991
विवादास्पद पुस्तक-''वर्शिपिंग फाल्स गॉड्स अम्बेडकर एंड दि फैक्टस विच हैव बीन इरेज्ड'', 993
स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन, 996
प्रभु, श्री सुरेश
अन्तर-राज्य संबंध, 437
कानूनों का सरलीकरण, 441
भारतीय संविधान का मूल ढांचा, 439
50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोई राष्ट्रीय नई परियोजना की आवश्यकता, 435
राष्ट्र निर्माण, 441-42
स्वतंत्रता के बाद देश की समस्याएँ, 436-437
विदेशी ऋण का बोझ, 436
शिक्षा एवं रोजगार, 439
प्रामानिक, प्रो. आर.आर.
अनुसंधान और विकास, 527
खनिज भंडार, 528-29
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 527-28, 530
विद्युत उत्पादन, 529
प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.
अलगाववाद और आतंकवाद, 198
क्रान्तिकारी आन्दोलन, 198
देश की एकता और अखण्डता, 198
देशभक्ति और राष्ट्रीयता, 200
नीति निदेशक तत्व, 201
भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली, 203
महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना, 202
राजनीति में अपराधीकरण, 202
रोजगार और आवास की योजनाएं, 204
संसदीय प्रजातंत्र, 202
साम्राज्यवादी ताकतें, 199

(फ)

फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर
परिवार नियोजन कार्यक्रम, 1319
प्राकृतिक सम्पदा, 1320
शिक्षा, 1321
स्वतंत्रता संग्राम, 1318
स्वास्थ्य, 1321
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
उदारीकरण, 98
काम का अधिकार, 102
चुनाव सुधार, 102
पारदर्शिता, 106
बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 100
निर्यात, 101
बेरोजगारी, 97
कार्पोरेटाइजेशन आफ एग्रीकल्चर, 101
भ्रष्टाचार, 104, 106
मानव संसाधन, 103-104
सबके लिए बराबरी की शिक्षा, 103
स्वदेशी, 102
हमारी सीमाएं, 96
हिन्दी और अन्य राष्ट्र भाषाओं का स्थान, 96
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
जनसंख्या नियंत्रण, 895
ज्यूडिशियल कमीशन, 894
बुनियादी सुविधाएं, 892
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 892

(ब)

बंगरप्पा, श्री एस.
ग्राम पंचायत, 602
राजनीति का अपराधीकरण, 605
राष्ट्रपति प्रणाली, 607
संप्रभुता, 603
संवैधानिक संस्थाएं, 604
साक्षरता दर, 604
बक्सला, श्री जोआचिम
गरीबी की समस्या, 770
जनसंख्या, 770
निरक्षरता, 770
''बचदा'', श्री बची सिंह रावत
आधारभूत ढांचा, 806
जनसंख्या नियंत्रण, 808
बनर्जी, कुमारी ममता
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 177
अल्पसंख्यक, 178

गरीबी हटाओ कार्यक्रम, 180
निजीकरण, 181
न्यायपालिका, 181
प्रशासनिक सुधार, 182
भ्रष्टाचार, 182
बेरोजगारी, 182
मंडल कमीशन, 184
राष्ट्रीय राजमार्ग, 183
लोकपाल बिल, 182
विदेशी निवेश, 185
समानान्तर अर्थव्यवस्था, 185
साम्प्रदायिक दंगे, 183
स्वायत्त संस्थाएं, 180

बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह
अल्पसंख्यक धार्मिक स्थानों की सुरक्षा, 335
केन्द्र-राज्य संबंध और सरकारिया आयोग, 334
जनसंख्या नियंत्रण, 340
प्रशासनिक प्रबंधन, 333-34
भारत का स्वतंत्रता-संघर्ष, 332-33
राजनीति का अपराधीकरण, 336-37

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान
अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएं, 919
उर्दू भाषा का विकास, 918, 919
बाबरी मस्जिद, 919
मुसलमानों की स्थिति पर श्वेत पत्र, 920
स्वाधीनता संघर्ष में मुसलमानों का योगदान, 917

बलिराम, डा.
आरक्षण, 1372
जाति व्यवस्था, 1370, 71
भ्रष्टाचार, 1370
सामाजिक न्याय, 1369-70

बसु, श्री अनिल
बेरोजगारी, 1324-25
गरीबी, 1325
विद्युत उत्पादन, 1325
सहकारिता, 1325
साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतें, 1325

बसु, श्री चित्त
निर्वाचन संबंधी कानून, 88
न्यायिक सक्रियता, 88
भारत की लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था, 88
भारतीय संविधान, 86
भ्रष्टाचार, 87-88
राजनीति का अपराधीकरण, 88
राजनैतिक स्थिरता, 89
स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 85-86

बालारमन, श्री एल.
कृषि विकास, 409
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 411
जनसंख्या नियंत्रण, 409
नदी जल विवाद, 410
प्राथमिक शिक्षा, 410
बेरोजगारी, 412
भारत की सांस्कृतिक धरोहर, 408

बालू, श्री टी.आर.
केन्द्र-राज्य संबंध, 1287
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 1285
निरक्षरता, 1285
महिलाओं के लिए आरक्षण, 1286-87
संघीय शासन, 1287
सामाजिक-आर्थिक असंतुलन, 1286

बुडानिया, श्री नरेन्द्र
अर्थव्यवस्था एवं आधारभूत ढांचा, 1329
कृषि उत्पादन, 1326
ग्रामीण विकास, 1327
जनसंख्या नियंत्रण, 1328
निरक्षरता, 1328
भ्रष्टाचार, 1329
महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, 1329
राजनीति का अपराधीकरण, 1328-29
स्वतंत्रता सेनानी, 1326
स्वास्थ्य सेवाएं, 1330

बैठा, श्री महेन्द्र
उर्वरक, बीज और उन्नत खेती, 959-960

बैंदा, चौधरी रामचन्द्र
कृषि विकास, 955-956
पब्लिक स्कूल, 956-957
भाखड़ा-नांगल योजना, 956
महिला आरक्षण विधेयक, 958

बौरी, श्रीमती संध्या
जनसंख्या और उसके नियंत्रण के उपाय, 392
महिला आरक्षण, 393

ब्रायन, श्री नील एलामसिमस ओ.
आंग्ल-भारतीय समुदाय, 449
शिक्षा के स्तम्भ, 449

(भ)

भक्त, श्री मनोरंजन
बहुदलीय शासन व्यवस्था, 255
बेरोजगारी, 259
राष्ट्रीय मजदूरी नीति, 257
राष्ट्रीय सुरक्षा, 258
लाइसेंस कोटा परमिट, 256
संसदीय लोकतंत्र, 258

भगत, श्री विश्वेश्वर
अशिक्षा, 1188
आधारभूत ढांचा, 1187
कृषि विकास, 1186
जनसंख्या और परिवार नियोजन 1187
बेरोजगारी 1188
विद्युत उत्पादन, 1186

भट्टाचार्य, श्री प्रदीप
दहेज प्रथा उन्मूलन, 900-901
संविधान का पुनर्निरीक्षण, 900-901

भारती, डा. अमृतलाल
भ्रष्टाचार, 1104
शिक्षा पद्धति, 1105

भारती, कुमारी उमा
धर्म निरपेक्षता और साम्प्रदायिकता, 387
बाबरी मस्जिद, 387
महिला आरक्षण विधेयक, 382
महिला साक्षरता, 381

भूरिया, श्री दिलीप सिंह
आदिवासी लोग, 514
आर्थिक आजादी, 516
गरीबी उन्मूलन, 516

(म)

मंडल, श्री सनत कुमार
गरीबी, 1121-22
जनसंख्या, 1122

मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर
औद्योगिक नीति, 1076-77
किसानों की उपलब्धियाँ और समस्याएँ, 1076-77

मल्लिकार्जुनय्या, श्री जी.
जनसंख्या नियंत्रण, 961-962
भ्रष्टाचार, 961-962

महतो, श्री बीर सिंह
औद्योगिक विकास, 1243
जनसंख्या नियंत्रण, 1244
गरीबी की समस्या, 1243
निरक्षरता उन्मूलन, 1243
क्षेत्रीय असंतुलन, 1243

महाजन, श्री सत
पर्यटन विकास, 676
पर्वतीय लोगों की समस्याएं, 678
विस्थापितों की समस्याएं, 677

महाजन, श्रीमती सुमित्रा
आधारभूत ढांचा, 1245
शिक्षा प्रणाली, 1246
महाराज, श्री सतपाल
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, 430
भारत में प्रजातंत्र की जड़ें, 429
मिश्र, श्री चतुरानन
दलितों के प्रति अत्याचार, 63
धर्म निर्पेक्षता, 62
कृषि और रोजगार, 65
चुनाव सुधार, 65
जाति व्यवस्था, 63
पब्लिक सैक्टर, 66-67
भ्रष्टाचार, 60-61
राजनीति का अपराधीकरण, 61
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
आर्थिक आजादी, 1302
उदारीकरण, 1301
भ्रष्टाचार, 1301
राष्ट्रीय विकास, 1301
साक्षरता, 1301
मीणा, श्रीमती उषा
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, 1289
पंचायती राज संस्थाएं, 1289
महिला शिक्षा, 1288
मीणा, श्री भेरूलाल
आदिवासी क्षेत्र विकास, 1303-04
गरीबी की समस्या, 1303
हरित क्रांति, 1302-03
मुखर्जी, श्रीमती गीता
जनसंख्या, 159
महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करना, 160
स्त्री-पुरुष समानता, 160
मुन्निलाल, श्री
आरक्षण, 1342
आर्थिक आयोजना, 1343
भ्रष्टाचार, 1341
सामाजिक न्याय, 1343
मुनियप्पा, श्री के. एच.
कृषि के लिए बजट का आवंटन, 726
चुनाव सुधार, 726
पेय जल की समस्या, 727
मूर्ति, श्री के.एस.आर.
जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, 1126
मेघवाल, श्री परसराम
खेतीहर मजदूरों की दशा, 1337
मेघे श्री दत्ता
कृषि क्षेत्र की समस्याएं, 1005
जनसंख्या नियंत्रण, 1007
नये राज्यों का गठन, 1007
प्राथमिक शिक्षा, 1006
बेरोजगारी की समस्या, 1006
भ्रष्टाचार, 108
मेहता, प्रो. अजित कुमार
देश की न्याय व्यवस्था में सुधार, 1040-41
देश में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1040
मेहता, श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र
महिला आरक्षण, 658
महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, 657
रोजगार, 658
साक्षरता, 656
मेहता, श्री सनत
आर्थिक परिदृश्य, 443
उदारीकरण, 444
मानव संसाधन विकास, 442
साक्षरता, 445
स्वतंत्रता संग्राम, 442
मोल्लाह, श्री हन्नान
आर्थिक सुधार, 1021
आयोजना और अर्थव्यवस्था, 1022
कृषि, उद्योग विकास की नीति, 1023
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1024
मोहन, श्री आनंद
आजादी की लड़ाई, 680
किसानों की समस्याएं, 681
गरीबी और कुपोषण, 680
बेरोजगारी की समस्या, 681
मैथिली भाषा, 682
शिक्षा पद्धति, 682
सेवानिवृत्ति की आयु सीमा, 681
मोहले, श्री पुन्नू लाल
आरक्षण, 1143
भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, 1143-44
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
कुटीर एवं ग्रामोद्योग, 1224
व्यापारी वर्ग, 1225

(य)

यादव, श्री अनिल कुमार
गरीबी, 1239
ग्रामीण बैंक, 1240
न्यायपालिका में सुधार, 1240
सामंती व्यवस्था,
यादव, श्री गिरधारी
जनसंख्या नियंत्रण, 1340
जातिवाद, 1340
न्यायपालिका, 1340
न्यायिक सेवा आयोग, 1341
शिक्षा नीति, 1339
यादव, श्री चुनचुन प्रसाद
आर्थिक विषमता, 1316
कृषि, 1316
बेरोजगारी, 1316
भ्रष्टाचार, 1316-17
स्वतंत्रता संग्राम, 1315
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
बैंकों की भूमिका, 1149
राजभाषा हिन्दी, 1145-48
राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, 1148-49
यादव, श्री डी.पी.
बेरोजगारी, 554
राजनीति का अपराधीकरण, 553
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता, 696
मूलभूत आवश्यकतायें, 698
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 697
यादव, श्री मुलायम सिंह
अत्यधिक मशीनीकरण के दोष, 291
अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, 295
किसानों को सुविधायें, 291
खिलाड़ियों का चयन, 302
छात्र और बुद्धिजीवी वर्ग, 296
भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, 291
महिलाओं का शोषण, 297
मुसलमानों का समाज में योगदान, 296
राजनीति का अपराधीकरण, 301
यादव, श्री राम कृपाल
ग्रामीण विकास, 241
जनसंख्या, 241
देश की मूलभूत समस्याएं, 241
न्यायपालिका का राजनीतिकरण, 241
भ्रष्टाचार, 241
मंडल कमीशन, 244
राजनीति का अपराधीकरण, 242
सिंचाई व्यवस्था, 242

यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद
प्रतिभा पलायन, 1331
यादव, श्री शरद
अंधविश्वास दूर करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 41, 43
गरीबी, 37, 42
जनसंख्या-नियंत्रण, 44
जल संसाधन, 39-40
दस्तकारी का प्रशिक्षण, 37, 41
बाल श्रम, 44
बेरोजगारी, 37
भ्रष्टाचार, 39
मानव संसाधन, 38
शिक्षा नीति, 45
सामाजिक विषमता, 45-46
यादव, श्री सुरेन्द्र
किसानों की समस्याएं, 1102
भ्रष्टाचार, 1101

(र)

रंगपी, डा. जयंत
पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं, 495
राजनीति का अपराधीकरण, 494
रमना, श्री एल.
औद्योगिक विकास, 972
किसानों की उपेक्षा, 972
ग्रामीण विकास योजनाएं, 973
बेरोजगारी, 973
राजनीति का अपराधीकरण, 974
वृद्धावस्था पेंशन, 974
रमैय्या, श्री पी. कोदंड
आर्थिक नीति, 95
जनसंख्या वृद्धि की समस्या, 91-92
स्वास्थ्य सेवाएं, 93
सभा का कार्य संचालन, 91
रमैया, श्री सोडे
बुनियादी सुविधाएं, 23-24
जनजाति विकास निगम, 1322
सिंचाई योजना, 1323
राघवन, श्री वी.वी.
भारी उद्योग, 647
भूमण्डलीकरण के नाम पर उपनिवेशवाद, 647
मौलिक भूमि सुधारों का अभाव, 649
विश्व व्यापार संगठन एक बड़ी औपनिवेशिक शक्ति, 648
राजपूत, श्री गंगा चरण
आतंकवाद की समस्या, 938
कृषि का विकास, 939
देश में शिक्षा की स्थिति, 937
युवा पीढ़ी की समस्यायें, 936
स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि, 934
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
आर्थिक सुधार, 402
जनसंख्या नियंत्रण, 400
महिलाओं के अधिकार, 401
संविधान संशोधन, 401
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
किसानों की स्थिति, 1061
गरीबी, 1062
महिलाओं को आरक्षण, 1063
संस्कृति, 1063
राणा, श्री राजू
अमेरिकन और जापानी प्रबन्धन, 1066
औद्योगिक नीति, 1067
पर्यावरण, 1067
प्रौद्योगिकी, 1067
रामचन्द्र, श्री मुल्लापल्ली
एक दलीय शासन व्यवस्था, 1046
कार्यपालिका और न्यायपालिका, 1048
प्रशासनिक असफलता, 1049
भ्रष्टाचार, 1048
रामलिंगम, डा. के.पी.
संघीय ढांचा, 671
रामशकल, श्री
किसानों की समस्या, 1090
जनसंख्या की समस्या, 1090
जातिवाद, 1090
स्वतंत्रता के 50 वर्षों की उपलब्धि, 1089
राय, श्री देवेन्द्र बहादुर
कार्यपालिका और न्यायपालिका, 732
जनसंख्या नियंत्रण, 736
जातिवाद, 735
लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं, 731
राय, श्री नवल किशोर
नयी युवा नीति, 855
भारत का आर्थिक विकास, 852
भारत में प्रति व्यक्ति आय, 853
वन क्षेत्र, 854
राय प्रधान, श्री अमर
साम्प्रदायिक दंगे, 869
स्वतंत्रता सेनानी, 870
रायुडू, श्री के.एस.
चुनाव सुधार, 466
किसानों के हितों की सुरक्षा, 466
फसल बीमा योजना, 467
मछुआरा समुदाय, 467
महिलाओं और पिछड़ा वर्गों को आरक्षण, 468
राव, श्री आर. साम्बासिवा
कृषि, 40-42
राव, श्री पी.वी. नरसिम्हा
आर्थिक स्थिति, 263
कम्प्यूटर, 263
गांधीवादी विचारधारा, 266
गुटनिरपेक्षता, 268
बेरोजगारी भत्ता, 271
पन बिजली उत्पादन, 274
पर्यावरण हेतु प्रौद्योगिकी, 271
पश्चिमी राष्ट्रों के बीच संघर्ष की स्थिति, 268
उपभोक्तावाद, 266
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां, 267
रावत, श्री भगवान शंकर
जनसंख्या वृद्धि, 1236
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, 1234
राजनीतिक अपराधीकरण, 1233
रावत, प्रो. रासा सिंह
लोकतंत्र, 77
रावले, श्री मोहन
अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, 926
जनसंख्या वृद्धि, 925
परिवार नियोजन, 927
भ्रष्टाचार, 927
मुद्रास्फीति की दर में गिरावट, 928
राष्ट्रभाषा का दर्जा, 930
शिक्षा प्रणाली, 929
रीगो, श्रीमती हैडविग माइकेल
दहेज विरोधी कानून, 856
महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, 856
रूडी, श्री राजीव प्रताप
ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, 1012
बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति, 1013
बुनियादी ढांचे का अभाव, 1015
राजनीति का अपराधीकरण, 1016
संविधान में व्याप्त कमियां, 1017

रेड्डी, श्री जी.ए. चरण
आर्थिक सुधार, 1135-40
रेड्डी, डा. टी. सुब्बारामी
उद्योगों के निर्माण हेतु पूंजी का निवेश, 850
गरीबी उन्मूलन, 848
प्राथमिक शिक्षा, 851
रेड्डी, डा. बी.एन.
आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, 1060
देश में चुनाव खर्च की सीमा, 1059
प्रदूषण की समस्या, 1059

(ल)

लाहिड़ी, श्री समीक
आर्थिक विकास, 673-74
शिक्षा का विकास, 672
लोढ़ा, जस्टिस गुमान मल
न्यायपालिका, 1157

(व)

वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा
लोकतंत्र, 1150-54
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद
आजादी के 50 वर्षों के दौरान उपलब्धियां और असफलताएं, 614
कुटीर उद्योग, देश की सांस्कृतिक धरोहर, 616
कृषि प्रधान देश, 615
गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग, 615
साम्प्रदायिकता का जहर, 615
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह
कृषि, 1108
मानव संसाधन, 1107
योजनाओं की समीक्षा, 1108
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
आजादी की 50वीं वर्षगांठ, 470
अनुसूचित जाति, जनजाति, 474
कृषि, 473
जनसंख्या, 472
बुनकरों की समस्या, 474
शिक्षा पद्धति, 471
वर्मा, प्रो. रीता
दूर संचार संबंधी सरकारी नीतियां, 625
रुग्ण उद्योगों में विनिवेश, 627
विद्युत क्षेत्र की समस्याएं, 621-622
विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका, 622-624
वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह
अपराधीकरण, 1311
ग्रामीण विकास, 1311
वर्मा, श्री आर.एल.पी.
भारतीय संस्कृति, 1094
स्वतंत्रता सेनानी, 1094
स्थानीय स्वशासन, 1096
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
आर्थिक नीति, 1377
चुनाव सुधार, 20, 1375
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव, 16
भ्रष्टाचार, 21, 1376
राजनीति का अपराधीकरण, 19, 1375
लोकतंत्र, 20, 23
लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था, 20
हमारी सभ्यता और संस्कृति, 18
विश्वकर्मा, श्री महाबीर लाल
भावी पीढ़ी, 1091
मनुष्य का विकास, 1092
वीरेन्द्र कुमार, श्री
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों का विकास, 977
जनसंख्या वृद्धि, 978
धर्म निरपेक्षता, 977
शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना, 976
साम्प्रदायिकता, 978
स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 976
वेदांती, डा. राम विलास
पशुधन, 482
समान कानून, 483
व्यास, डा. गिरिजा
अर्थव्यवस्था, 124
जनसंख्या, 124
पंचायती राज प्रणाली, 119
भ्रष्टाचार, 120
महिलाओं को अधिकार सम्पन्न कराना, 120
राष्ट्र धर्म, 125
लोकतांत्रिक व्यवस्था, 119
साम्प्रदायिकता और जातिवाद, 121

(श)

शर्मा, डा. अरूण कुमार
असम के लिए विशेष अधिनियम, 798
क्षेत्रीय असंतुलन, 799
क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण, 799
त्रिपुरा में बसे विदेशी लोग, 803
देश का आर्थिक विकास, 80,
पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा, 802
राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, 803
शर्मा, डा. अरविन्द
आरक्षण, 379
इन्दिरा आवास योजना, 379
बुनियादी आवश्यकताएं, 378
भ्रष्टाचार, 378
शर्मा, श्री अशोक
कृषि, 1250
गांवों में मूलभूत सुविधाएं, 1250
भ्रष्टाचार, 1251
राजनीति का अपराधीकरण, 1251
शर्मा, श्री कृष्ण लाल
भ्रष्टाचार, 1299
स्वतंत्रता संग्राम, 1298
शर्मा, श्री नवल किशोर
कार्यपलिका, 233
कुटीर उद्योग, 233
ग्राम स्वराज, 234
चुनाव सुधार, 235
दलितों तथा महिलाओं को अधिकार, 237
देश की समस्याएं, 236
नीति निदेशक सिद्धांत, 238
न्यायपालिका, 236
प्रेस, 237
भ्रष्टाचार, 237
राजनीति का अपराधीकरण, 238
राजनीति का व्यापारीकरण, 238
लोकपाल विधेयक, 237
लोकतंत्र, 236
विधायिका, 236
सूचना पाने का अधिकार, 238
शर्मा, डा. प्रवीण चंद्र
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 248
शर्मा, श्री मंगत राम
जम्मू और कश्मीर की समस्याएं, 563
शाहबुद्दीन, मुहम्मद
जनसंख्या नियंत्रण, 1336
बाबरी मस्जिद, 1336
राजनीति का अपराधीकरण, 1336
राष्ट्रीयता, 1336

शाह, श्री मानवेन्द्र
आठवीं पंचवर्षीय योजना, 450
उत्तराखंड में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, 451
उत्तराखंड राज्य, 451
पर्यावरण, 453
योजनाओं में क्षेत्रीय असंतुलन, 454
शैलजा, कुमारी
आधारभूत ढांचा, 1282
आधारभूत सेवाएं, 1283
गरीबी रेखा, 1282
जनसंख्या, 1281
पूंजी निवेश, 1283
विकास दर, 1281

ष

षणमुगम, श्री पी.
कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, 899
जनसंख्या, वृद्धि, 897
पंचायती राज प्रणाली, 898
साक्षरता को प्राथमिकता, 900

(स)

संगमा, श्री पी.ए.
अजैविक कृषि पद्धतियां और उनके प्रभाव, 9
अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएं, 15
आर्थिक सुधार, 13
उत्तरदायिता, 5
उद्योग, 10
खाद्य में आत्मनिर्भरता तथा हरित क्रान्ति में आत्मतोष, 9
जनसंख्या, 8
नवीन कार्य संस्कृति, 12
निर्यात, 12
प्रशासन, 7
महिलाओं के अधिकार, 7
विदेशी निवेश, 13
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 14
सभा का कार्य संचालन, 4
सामाजिक शान्ति, हिंसा और विद्रोह, 6
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, 11
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 10
रोजगारोन्मुखी शिक्षा, 8
सईद, श्री पी.एम.
गरीबी उन्मूलन, 1175
जनसंख्या नियंत्रण, 1174
साक्षरता, 1174
शिक्षित बेरोजगार, 1175
सरकारिया आयोग, 1176
सम्पत, श्री ए.
उदारीकरण के कारण बेरोजगारी में वृद्धि, 823
दूरदर्शन पर अश्लील कार्यक्रम, 825
प्रजातंत्र में धर्म निरपेक्षता, 822
बाल श्रम, 826
महिलाओं को शिक्षा, राजनीति में भागीदारी और पैतृक सम्पत्ति में अधिकार, 824
विभिन्न राज्यों में केन्द्र का निवेश, 823
सरपोतदार, श्री मधुकर
जम्मू और कश्मीर में हिंसा, 752
धर्म और धर्मनिरपेक्षता, 756
परमाणु अप्रसार संधि, 753
बेरोजगारी की समस्या, 761
महिलाओं के प्रति अत्याचार, 759
युवा शक्ति, 761
राजनीति की अपराधीकरण, 760
संसद की गरिमा, 751
साम्प्रदायिकता और जातिवाद, 757
सवानूर, श्रीमती रत्नमाला डी.
महिलाओं का विकास, 1159
सहाय, श्री हरिवंश
किसानों की दुर्दशा, 1155
साय, श्री नन्द कुमार
अनुसूचित जाति/जनजातियों का विकास, 1296
शिक्षा
साक्षी, स्वामी सच्चिदानन्द
महिलाओं के लिए आरक्षण, 1277
राष्ट्र की प्रभुसत्ता की रक्षा, 1278-79
साहू, श्री अनादि चरण
भारतीय संविधान, 702
महिला आरक्षण, 706
राजनीति का अपराधीकरण, 705
लोकतन्त्र, 705
सिंकु, श्री चित्रसेन
कृषि, 1309
बेरोजगारी, 1310
सिंधिया, श्री माधवराव
आर्थिक नीतियां, 32
आधारभूत संरचना, 26
आरक्षण, 31
कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, 28
धर्म निरपेक्षता, 31
पिछड़े वर्ग, 31
भ्रष्टाचार, 29
महिलाओं को अधिकार सम्पन्न कराना, 34
राजनैतिक अपराधीकरण, 28
लोकतंत्र, 27
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 26, 33
स्वतंत्रता संग्राम, 25-26
सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय, 30, 32
सैन्य बल, 28, 33
सिंह, कर्नल राव राम
अर्थव्यवस्था, 162
कृषि उत्पादकता, 162
कृषि मूल्य आयोग, 165
कृषि भूमि, 165
भ्रष्टाचार, 166
विद्युत उत्पादन, 166
सिंह, श्रीमती कांति
कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण, 1207
गरीबी, 1205
न्यायपालिका, 1205
प्रतिभा पलायन, 1206
सिंह, श्री चन्द्रभूषण
आधारभूत ढांचा, 699
उदारीकरण, 699
बिजली उत्पादन, 701
राष्ट्रीय राजमार्ग, 701
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 699
सिंह; चौधरी तेजवीर
कृषि, 72, 37
शिक्षा की स्थिति, 1238
राष्ट्रीय सुरक्षा, 1238
स्वतंत्रता के पश्चात् देश की उपलब्धियां, 1236
सिंह; श्री छत्रपाल
आर्थिक विषमता, 1305
कृषि क्षेत्र, 1306
जातिवाद, 1306
सिंह, श्री जसवंत
आधारभूत ढांचा, 1199
राजनीति का अपराधीकरण, 1200
राष्ट्रीय सुरक्षा, 1199
सिंह, श्री तिलक राज
अशिक्षा, 1010
आदिवासियों की समस्याएं, 1010
नैतिक शिक्षा, 1011
पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, 1010
सिंह, श्री देवी बक्स
ग्रामीण विकास, 1295
भ्रष्टाचार, 1296
शिक्षा का स्तर, 1295
स्वतंत्रता संग्राम, 1294
स्वास्थ्य केन्द्र, 1293
सिंह, श्री नकली
आर्थिक उन्नति के लिए किसानों को प्रोत्साहन व सब्सिडी, 843
स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति में सुधार, 843
सिंह, श्री प्रहलाद
राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, 1152
सिंह, श्री मोहन
किसानों की समस्याएं, 689
खनिज भंडार, 691
पंजाब में शिक्षकों की कमी, 690

सिंह; राजकुमारी रत्ना
राजनीति का अपराधीकरण, 767
सिंह, श्री राजकेशर
ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी, 1338
भ्रष्टाचार, 1338
साक्षरता, 1338
सिंह, श्री रामबहादुर
सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था, 1057
स्वावलम्बन हेतु आर्थिक नीति, 1055
सिंह, डा. राम लखन
ग्रामीण विकास, 1082
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, 1082
भ्रष्टाचार, 1083
महिलाओं के हितों की रक्षा, 1084
सैन्यकर्मियों की समस्याओं, 1084
सिंह; श्री रामाश्रय प्रसाद
आर्थिक विषमता, 506
भ्रष्टाचार, 506
सिंह, श्री राधा मोहन
कामगार की समस्याएं, 1074
कृषि, 1074
जल समझौता, 1075
भ्रष्टाचार, 1073
भारतीय संविधान, 1072
सिंह, श्री लक्ष्मण
अर्थव्यवस्था, 914
कृषि उत्पादन, 915
छोटे राज्यों का गठन, 913
पंचायती राज, 914
राजनैतिक व्यवस्था, 913
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 916
विद्युत-उत्पादन, 916
शिक्षा, 916
सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार
आर्थिक उदारीकरण, 139
ग्राम स्वराज्य, 137
भ्रष्टाचार, 138
सिंह, श्री शत्रुघ्न प्रसाद
रोजगारोन्मुखी शिक्षा, 1171
सिंह, श्री शिवराज
बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 1111
भाषानीति, 1114
राजनैतिक नेतृत्व, 1114
राजनीतिक स्थिरता, 1114
सिंह, श्री सत्यदेव
आतंकवाद की समस्या, 351
गरीबी उन्मूलन, 352
जनसंख्या वृद्धि, 352
प्राथमिक शिक्षा, 357
बेरोजगारी की समस्या, 358
भूमि सुधार, 354
सिंह, श्री सुरेन्द्र
महिलाओं को आरक्षण, 309
सिंह, श्री सोहनवीर
कृषकों की तरक्की, 778
गरीबी उन्मूलन, 777
जाति व्यवस्था का अंत, 777
मुस्लिम आरक्षण की मांग, 773
रक्षा सैनिकों को उचित सुविधाएं, 780
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती, 773
सिन्हा, श्री मनोज कुमार
आजादी के 50 वर्षों की उपलब्धियां, 873
उदारीकरण की नीति, 876
भारत की आर्थिक स्थिति, 876
सिल्वेरा, डा. सी.
गरीबी, 1209
भ्रष्टाचार, 1210
सुखराम, श्री
जंगलों का कटाव, 857
बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 859
सुल्तानपुरी, श्री के.डी.
अनुसूचित जातियों व जनजातियों की समस्याएं, 711
गरीबी दूर करना, 713
बिजली उत्पादन, 714
सुषमा स्वराज, श्रीमती
मानव संसाधन विकास, 282
चरित्र और अनुशासन, 284
जनसंख्या वृद्धि, 276
दस्तकार, 282
महिला जागरण, 281
युवावर्ग की समस्याएं, 283
शिक्षा नीति, 277
सोनकर, श्री विद्यासागर
गरीबी, विकास की गति, 1262
सौम्य रंजन, श्री
कृषि, 1071
प्रबंधकीय नेतृत्व की समस्या, 1069
बेरोजगारी, 1071
शिक्षा, 1068
सोमू, श्री एन.वी.एन.
आर्थिक नीतियां, 186
केन्द्र-राज्य संबंध, 187
पंचायती राज संस्थाएं, 188
पिछड़े वर्गों का उत्थान, 187
जनसंख्या, 188
सोरेन, श्री शिबु
अनिवार्य शिक्षा, 377
झरिया में खनिज, 374
झारखंड, 374
बेरोजगारी, 376
भ्रष्टाचार, 376
स्वामी, श्री आई.डी.
धर्मनिरपेक्षता, 498
नीति निर्देशक सिद्धांत, 499
स्वामी, श्री सी. नारायण
उदारीकरण, 707
औद्योगिक विकास, 708
लोकतंत्र, 706
सहकारी संस्थाएं, 707
स्वैल, श्री जी.जी.
आणविक शक्ति, 192
उपग्रहीय प्रौद्योगिकी, 193
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, 192
जनसंख्या की समस्या, 192
राष्ट्रीय चुनाव, 192
विदेश नीति, 192
संसदीय प्रणाली का अनुसरण, 190
साम्प्रदायिक हिंसा, 191

(ह)

हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना
एकता और अखण्डता, 547
रोजगारोन्मुखी योजनाएं, 549
वित्तीय संकट, 548
हांडिक, श्री विजय
संविधान में संशोधन, 986
स्वतंत्रता आन्दोलन, 988
हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह
किसानों को राजसहायता, 947
कृषि आय, 946
ग्रामीण विकास, 945
नदी जल-विवाद, 948
भ्रष्टाचार, 944
पूंजी निवेश, 944
पंचायती राज, 945
शिक्षा व्यवस्था, 946
स्वतंत्रता संग्राम, 944
हुसैन, श्री सैयद मसूदल
ग्रामीण विकास, 227
परिवार नियोजन, 227
भूमि सुधार, 227
सब्सिडी, 226
सहकारी आन्दोलन, 228